माला, खंड 24, अंक 28

मंगलवार, 30 अप्रैल, 2002
10 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 24 में अंक 21 से 30 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date. 13/6/2003

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 28, मंगलवार, 30 अप्रैल, 2002/10 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 501, 502 और 504	1–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 503 और 505 से 520	27–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 5367 से 5519	64–289
सभा पटल पर रखे गए पत्र	289–95
प्राक्कलन समिति	
नौवां प्रतिवेदन	295–96
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	296
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ सोलहवां से एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन	296
याचिका का प्रस्तुतीकरण	296–97
नियम 377 के अधीन मामले	297–304
(एक) तम्कुहीराज (उत्तर प्रदेश) और पखनाहा बाजार (बिहार) के बीच गंडक नदी पर पुल बनाए जाने की आवश्यकता	
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	297
(दो) गुजरात में भरूच रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त आरक्षण काउन्टर खोले जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	297–298
(तीन) मध्य प्रदेश में पेंच सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामनरेश त्रिपाठी	298

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(चार)	उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिपरहवा में बुद्ध के जीवन पर एक संग्रहालय बनाने और उसे वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता	
	श्री रामपाल सिंह	298–299
(पांच)	राजस्थान के अलवर जिले में पेयजल की भीषण समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	डा. जसवन्त सिंह यादव	299
(छह)	पूर्वी तट रेल जोन, भुवनेश्वर को अन्य रेल जोनों के समकक्ष लाने और इसे पूर्णत: कार्यशील बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त नायक	299–300
(सात)	महाराष्ट्र में नागपुर में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना को आवश्यक स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	300
(आठ)	कर्नाटक में गंभीर विद्युत संकट के समाधान के लिए राज्य को अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी.एस. बसवराज	300–301
(नौ)	खाड़ी में कार्यरत भारतीयों की यात्रा सुगम बनाने के लिए खाड़ी देशों और कोचीन के बीच ''फेरी सेवा'' शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री कोडीकुनील सुरेश	301
(दस)	ग्रेनाइट पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी	301–302
(ग्यारह)	पश्चिमी बंगाल में न्यू मैनागुडी और जोगीघोपा बरास्ता बसीरहाट-बेलासिरपाड़ा के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मिनाती सेन	302
(बारह)	बागान उद्योगों में कार्यरत कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वरकला राधाकृष्णन	302
(तेरह)	मुम्बई राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस का बोरीवली रेलवे स्टेशन, मुम्बई में ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	303
(चौदह)	बिहार में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए राज्य में कृषि उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	303

विषय	कॉलम
(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल में कैनिंग रेलवे स्टेशन के निकट पड़ी अप्रयुक्त भूमि को गरीब लोगों को जीविकोपार्जन के लिए पट्टे पर दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	304
नियम 184 के अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करने के बारे में प्रस्ताव	304–628
श्री मुलायम सिंह यादव	304, 607
कुमारी उमा भारती	323–343
श्रीमती सोनिया गांधी	343–350
श्री सोमनाथ चटर्जी	350–367
श्री के. येरननायडू	368–374
श्री चन्द्रशेखर	374–382
श्री अनंत गंगाराम गीते	383–391
श्री पी.एच. पांडियन	391–397
श्री वैको	392–424
श्री शिवराज वि. पाटील	397–411
श्री शरद पवार	424–433
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	434–438
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	438–454
श्री जार्ज फर्नान्डीज	454–479
श्री एच.डी. देवगौड़ा	479–492
कुमारी ममता बनर्जी	492–501
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	502–511
श्री हरिन पाठक	511–520
श्री राशिद अलवी	525–531
श्री भर्तृहरि महताब	532–536
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	536–541
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	541–545
श्री राम विलास पासवान	546–550

विषय **कॉलम**

श्री उमर अब्दुल्ला 550–556

श्री जी.एम. बनातवाला 556–561

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह 561–563

श्री जोवाकिम बखला 563–565

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 565–575

श्री अजय चक्रवर्ती 576–577

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी 577–580

श्री अमर राय प्रधान 580–582

श्री मणि शंकर अय्यर 582–587

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन 590–596

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 596–599

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 599–607

लोक सभा

मंगलवार, 30 अप्रैल, 2002/10 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न संख्या 501

औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण

***501. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय दवा निर्माताओं द्वारा निर्धारित किए जा रहे औषधियों के मूल्यों पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है और मुख्यत: बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित औषधियों के संघटकों के बारे में कोई मानक मापदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं तथा इसके साथ ही आवश्यक औषधियों की बार-बार कमी के कारण घरेलू दवा कंपनियों का निष्पादन खराब रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का औषधि उद्योग पर निगरानी रखने के लिए देश में कोई औषधि विनियामक प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का देश में औषधि उद्योग को नियंत्रित करने हेतु क्या प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अनुसूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतों का निर्धारण एक सतत् प्रक्रिया है और यह राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। किसी अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग के लिए विनिर्माता को सरकार द्वारा एक आदेश के माध्यम से निर्धारित कीमत का अनुपालन करना होता है, अर्थात् वह इस प्रकार निर्धारित कीमत से अधिक कीमत नहीं ले सकता है। निर्धारित कीमत के किसी उल्लंघन के लिए डी.पी.सी.ओ., 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतें विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती हैं। तथापि, सरकार, यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग सहित किसी सूत्रयोग की खुदरा कीमत निर्धारित अथवा संशोधित कर सकती है। राज्यों के औषध नियंत्रण प्राधिकारी, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के लिए क्षेत्र स्तर पर प्रवर्तन एजेन्सी हैं। औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत औषधों को भारतीय औषध कोश अथवा अन्य औषध कोश जैसे बी.पी. और यू.एस.पी. आदि में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप होना अपेक्षित है। किसी औषध सूत्रयोग में औषध के संघटक, संबंधित मोनोग्राफ में दिए जाते हैं और उसका लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है। पेटेन्टशुदा और स्वामित्व वाली दवाइयों के लिए नियम 71 और 76 में प्रावधान है कि लाइसेंस के लिए आवेदन देते समय साक्ष्य और डाटा यह औचित्य दर्शाते हुए कि औषध में उपचारात्मक और नैदानिक मात्रा में संघटक विद्यमान हैं, लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे। किसी नए औषध सूत्रयोग के लिए जिसका प्रयोग देश में पहली बार किया जा रहा हो, आवेदक को औषध तत्वों के लिए नैदानिक आधार सहित उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और सक्षमता के संबंध में व्यापक डेटा देना होता है और देश में उसके विपणन का अनुमोदन करने से पूर्व औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा उनकी जांच की जाती है।

भारतीय औषध उद्योग, प्रपुंज औषधों की जरूरतों को काफी हद तक तथा कुछ नए औषधों, टीके और डायगनोस्टिकों को छोड़कर, लगभग सम्पूर्ण रैंज के सूत्रयोगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। आमतौर पर देश में औषधों की उपलब्धता संतोषजनक है। जहां कहीं कमी की सूचना मिली है, वह अस्थायी और स्थानीय प्रकृति की है। एन.पी.पी.ए. कंपनियों को कमी की सूचना वाले स्थानों पर तुरंत स्टॉक भेजने की सलाह देने की कार्रवाई तत्काल करता है।

औषध उद्योग को संचालित करने वाले विनियामक कार्य, जैसा कि औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके तहत बने नियमों में प्रावधान किया गया है, केन्द्रीय और राज्य स्तर पर औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किये जाते हैं। विद्यमान प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में घोषित औषध नीति-2002 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-

(1) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष विनिर्माण विनियामक मानकों का उत्तरोत्तर बेंचमार्क,

(2) अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों के साथ नैदानिक जांच के मानकों को उत्तरोत्तर सुसंगत बनाना,

(3) स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के जरिए भारत में विकसित नए औषध प्रयोगों की स्वीकृति तथा शीघ्र मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाओं एवं कदमों को सुप्रवाही बनाना, और

(4) मौजूदा प्रणाली का आधुनिकीकरण, पुनर्गठन और सुधार करके विश्वस्तरीय केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) स्थापित करना और एक नोडल केन्द्र के रूप में सी.डी.एस.सी.ओ. के साथ राज्यों में औषध मानक प्रवर्तन प्रशासन का प्रभावी नेटवर्क स्थापित करना ताकि औषधों और भेषजों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 2000 करोड़ रुपये की दवाओं की खपत है। देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं और गरीब आदमी को बीमारी भी ज्यादा परेशान करती है। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार का दवाओं के मूल्य पर कोई नियंत्रण है या नहीं। इसके पश्चात् इनका प्राधिकार गठन करने की बात आती है ताकि दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण हो। फिर जाली दवाएं भी देश में चलती रहती हैं। दवा कम्पनियां मनमाने दाम पर दवायें बेचती हैं जिससे गरीब आदमी को लाचारी में दवा खरीदनी पड़ती है। इस तरह गरीब का शोषण हो रहा है। कई लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं। देश में डायबटीज की बीमारी लोगों को ज्यादा हो रही है। लोग इस से आक्रांत हैं। उन मरीजों को रोज इन्सुलीन दवा की जरूरत होती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार के पास ऐसी कौन सी योजना है, लेकिन सरकार ने जो उत्तर दिया है, उसमें कहा है कि उसने दवा मूल्य नीति-2002 बनाई है जिसमें चार सूत्र दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये चार सूत्र कब तक कार्यान्वित होंगे ताकि गरीब आदमी कम दाम पर दवा खरीद सके, और फिर जाली दवा पर भी नियंत्रण हो। इन सब पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या कब तक कार्यवाही करेगी?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत डिटेल्ड जवाब दिया है। जो शेडयूल ड्रग्ज हैं, एन.पी.पी. अथौरटी उनकी प्राइस फिक्स करती है। अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है या अंकित मूल्य से कोई ज्यादा चार्ज करते हैं, उस पर हम एक्शन लेते हैं लेकिन ड्रग्स कंट्रोल करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिसे स्टेट ड्रग कंट्रोलर कंट्रोल करता है। हमने जो नई ड्रग पालिसी बनाई है, वह एप्रूव हो चुकी है जो जून तक लागू हो जायेगी। उस पालिसी में जो कुछ कहा गया है, वह सब की सब लागू कर दी जायेगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अभी दोहा में सम्मेलन हुआ था। हमारे देश का पेटेंट कानून पहले से बेहतर था कि 5 से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए ही कोई कानून लागू रहता था, उसके बाद फ्री हो जाता था। जब विभिन्न दवा कम्पनियां कोई दवा बनाने लगती थीं, उसका मूल्य घट जाता था लेकिन दोहा सम्मेलन के चलते जो पेटेंट लागू हो रहा है, वह 20 वर्षों तक लागू रहेगा। इससे दवा कम्पनियां और खासकर मल्टी नेशनल कम्पनियां मनमानी कीमत पर दवा बेचेंगी। मैं उदाहरणस्वरूप बताना चाहूंगा कि आज देश में हैपटाइटिस-बी की बीमारी से चार करोड़ लोग परेशान हैं। यह एक खतरनाक बीमारी प्रकट हुई है। इसे लीवर कैंसर भी लोग कहते हैं। इसकी एक सुई की कीमत प्रतिदिन 1600 रुपये है। यह सुई 4 महीने तक लगातार प्रतिदिन लेनी पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि यदि एक गरीब आदमी को यह बीमारी हो जाये तो वह बस भगवान भरोसे है। दवा से उसका इलाज संभव नहीं है। आप जानते हैं कि देश में करोड़ों गरीब लोग हैं जिन्हें दवा उपलब्ध नहीं है। सरकारी अस्पतालों की हालत आप देख रहे हैं। कही दवा का इंतजाम नहीं है। यदि चिकित्सा मुफ्त में भी मिले तो भी दवाई खरीदनी पड़ती है। इसलिए आज प्राइवेट कारोबार ज्यादा बढ़ गया है। हम सरकार से जानना चाहता हैं कि जब इस तरह के मामले सरकार के नोटिस में आते हैं तथा दवाओं के मामले में मल्टी नेशनल कंपनियों की जो मोनोपोली है, दवाओं के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए, उन्होंने उनके मनमाने दाम रखे तथा कुछ बीमारियों में लाइफ सेविंग ड्रग्स उपलब्ध न होने के कारण लोग मर जाते हैं-इस संबंध में सरकार सोच-विचार कर कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, जिससे लाइफ सेविंग ड्रग्स तथा खतरनाक रोगों की रोकथाम के लिए जो दवाओं का अनुसंधान हुआ है और 1600 रुपये प्रति सुई की कीमत पर जो गरीब लोगों को लग रही है, उस पर नियंत्रण के लिए आप कौन सी कार्रवाई करने जा रहे हैं।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि शेड्यूल ड्रग्स अंडर कंट्रोल हैं, उनके बारे में हमें जहां भी शिकायत मिलती है, हम उसे चैक करते रहते हैं और इसके

अलावा यदि किसी दवा की ज्यादा कीमत हो तो वह हमारे पास आ जाता है या हम उन्हें बुला लेते हैं। जहां तक मल्टी नेशनल कंपनियों का सवाल है, जो इस वक्त भारत की कंपनीज हैं वे वर्ल्ड स्टैडर्ड की हैं और हमारा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से बहुत ज्यादा है। जब पेटेन्ट रिजीम आयेगा, उसमें हमारे हिन्दुस्तान की इतनी अच्छी कंपनीज हैं, वे उसमें कम्पीट करने के काबिल हैं। मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूं कि दो सौ देशों से भी ज्यादा में हमारी मैडिसिन एक्सपोर्ट हो रही हैं और इम्पोर्ट बहुत कम हो रहा है। इसलिए आपको जब भी कोई शिकायत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजकल जाली दवायें बिकने का सिलसिला बहुत जोरों से चल रहा है। कई दिन पहले दिल्ली में जाली दवायें पकड़ी गई और भारी मात्रा में उनका भंडारण भी मिला। मैं जानना चाहता हूं कि गरीब लोग पहले ही परेशान हैं, उन्हें दवायें नहीं मिलती हैं, दवायें बहुत महंगी हैं तथा जो दवायें मिलती हैं वे जाली दवायें मिलती हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जाली दवायें रोकने के लिए सरकार की नीति क्या है, तथा अभी तक जाली दवाओं के कारण कितने लोग मारे गये, कितने लोगों को खतरा पहुंचा है, जाली दवाओं का अभी कितना भंडारण मौजूद है तथा ऐसे कितने लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उपाध्यक्ष जी, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका कंट्रोल है। यदि कहीं नकली दवाइयां बनती होंगी या कोई उनका ज्यादा दाम लेता होगा तो स्टेट कंट्रोलर उसे कंट्रोल कर सकता है। भारत सरकार का हैल्थ डिपार्टमैन्ट उनके साथ सम्पर्क करके वे एक-दूसरे को मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव: सर, मेरे प्रश्न का जवाब ठीक नहीं मिला है। जाली दवायें रोकने के लिए सरकार की क्या नीति है-यह मेरा मूल प्रश्न है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: मैंने यही कहा कि जहां भी जाली दवायें बनती हैं, स्टेट का हैल्थ डिपार्टमैन्ट उसे कंट्रोल करता है और वह भारत सरकार के हैल्थ डिपार्टमैन्ट से तालमेल करके उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: ऐसे कितने केसिस आपके नोटिस में आए हैं।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: यह हैल्थ डिपार्टमैन्ट बता सकता है, व मेरे कंट्रोल में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके डिटेल्स नहीं होंगे।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने आकलन के 72 महत्वपूर्ण मामले भेजे हैं जिन पर 224 करोड़ रुपये की राशि अर्न्ग्रस्त है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने मामले निपटाये गए हैं, कम्पनियों से कितनी राशि वसूल की गई है और मामलों को यथाशीघ्र निपटाकर शेष धन की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गए हैं। मुझे बताया गया है कि कम्पनियां माननीय न्यायालय के पास गई हैं। क्या सरकार मामले में तेजी लाएगी? सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उपाध्यक्ष दी, इस केस में वह नहीं है। कुछ हमने रिकवर किया है लेकिन ज्यादातर मामलों में कोर्ट्स से स्टे ले लिया गया है। उसके लिए हमने अपने डिपार्टमेंट को लिखा है कि जल्दी से जल्दी पैरवी कोर्ट्स में करे ताकि उसकी रिकवरी हम जल्दी कर सकें।

श्री सुशील कुमार शिंदे: उपाध्यक्ष जी, देश में एक तरफ दवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जो कम कीमतों वाली दवाइयां भारत में निर्मित होती हैं, उनके पेटेन्ट के बारे में बहुत प्रयास करने के बाद भी, अतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके पेटेन्ट को स्वीकार नहीं किया जाता है। अभी माननीय सदस्य ने पूछा था कि हैपटाइटिस-बी में जो सुई लगानी होती है उसकी कीमत 50 रुपये से ऊपर होती है। वैसे ही एड्स पर सिप्ला नाम की कंपनी ने रिसर्च करके दुनिया में सबसे सस्ती दवाई निकाली है और वे उसे बेच रहे हैं। हम उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि वे इस दवाई का पेटेंट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थिति है? क्या वह सही दवाई है जो सिप्ला ने निकाली, अच्छी दवाई है या जो वे कह रहे हैं कि कम कीमत है, वह क्या है? इसकी जानकारी क्या आपने कराई है और सरकार उस पर क्या कार्रवाई करना चाहती है? सस्ती दवाई है इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: महोदय, यहां सवाल हैपेटाइटिस का है। उसकी दवा की कीमत काफी कम हुई है-पहले 250 रुपये थी, अब 75 रुपये में आती है। जहां तक सवाल सिप्ला का है, मैं भी गर्व से कह सकता हूं कि उन्होंने एड्स की एक ऐसी दवा निकाली जो साउथ अमेरिका में कुछ समय पहले 12500 डालर एक साल की मिलती थी लेकिन उन्होंने 350 डालर में उसका उत्पादन किया। उसकी बहुत चर्चा हुई और उसके लिए वे कई

इंटरनेशनल कोर्ट्स में और पेटेन्ट स्कीम्स में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः हैदराबाद बल्क औषधि विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र है। अधिकांश बल्क औषधियों का हैदराबाद शहर और उसके आस-पास निर्माण किया जा रहा है। माननीय मंत्री गर्व से घोषणा कर रहे हैं कि ये इन औषधियों का 200 से अधिक देशों को निर्यात कर रहे हैं परन्तु इसके साथ ही ये इकाइयां बहुत सा प्रदूषक पदार्थ उत्सर्जित कर रही हैं। हैदराबाद के आस-पास रहने वाले लोगों का इन प्रदूषक पदार्थों के कारण बहुत अधिक दम घुट रहा है। लोगों को अच्छा पेयजल नहीं मिल रहा है। कई बीमारियां उन्हें प्रभावित कर रही हैं। प्रदूषक पदार्थ पैदा करने वाले उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है।

दूसरे, दुर्घटनाएं हो रही हैं और निर्दोष लोग मर रहे हैं। गत सप्ताह एक इकाई में विस्फोट हुआ था और दो कैमिस्ट मौके पर ही मर गए थे। ये साधारण लोग नहीं हैं । इसका तात्पर्य यह है कि हम केवल निर्यात पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं और हम प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु और सुरक्षा उपायों के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर समस्या है। इसलिए, इन प्रदूषक उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिएं।

महोदय, चीन जैसे देश में उन्होंने प्रदूषण के कारण 2000 रासायनिक उद्योगों को बंद कर दिया है। हमारे देश में सभी प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए डम्पिंग यार्ड बन गया है। इसलिए, मामले की गम्भीरता से जांच की जानी चाहिए। केवल निर्यात करने तथा निर्यात हेतु वातावरण तैयार करने की बजाय मानव जीवन अधिक महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति, कृपया अब अपना प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन दो दुर्घटनाओं के लिए यह क्या सुधारात्मक कदम उठाने जा रहे हैं और यह प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बारे में क्या करने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः यह सवाल मूल प्रश्न में नहीं आता लेकिन इन्होंने एक सुझाव दिया है वह हमने नोट किया है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः महोदय, उन्होंने शुरूआत में ही कहा है कि हमारा देश बल्क औषधियों का निर्यात कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः वह तो है ही।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः हम किन परिस्थितियों में निर्यात कर रहे हैं? यह कहते हैं कि यह संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो अपने पाल्यूशन के बारे में कहा है वह एक सजैशन है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः हम बल्क औषधियों का निर्यात कर रहे हैं। आनुषंगिक प्रदूषण क्या है जो इसके बाद होता है? मानव जीवन की हानि भी होती है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः हम उसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः महोदय, यह छोटी बात नहीं है। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री सुखेदव सिंह ढिंडसाः हर चीज का जहां अच्छा प्रभाव होता है वहां कुछ खराब भी होता है, यानी थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। उसको समझने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हम स्टैप्स उठा रहे हैं। यह पाल्यूशन बोर्ड का काम है। अगर वह हमारे पास आएगा, तो हम देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री शरद पवारः महोदय, मंत्री जी ने ठीक ही उत्तर दिया है कि तीन प्रकार की इकाइयां हैं जो देश में औषधियां बनाती हैं। पहली है सरकारी क्षेत्र की इकाई, दूसरी है बहुराष्ट्रीय इकाई और तीसरी है गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाई। माननीय मंत्री ने ठीक ही

कहा है कि ये सरकारी क्षेत्र की इकाइयां लोगों को उचित मूल्य पर औषधियां प्रदान कर रही हैं? उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स एक ऐसी इकाई है जो पचास वर्ष पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई थी और यह गत पचास वर्षों से इस देश की सेवा कर रहा है। यह एक लाभ कमाने वाली इकाई थी परन्तु सरकार ने इस इकाई को यह निर्देश दिया है कि इसे अपने विशिष्ट उत्पाद विशिष्ट दरों पर सरकारी अस्पतालों को बेचने चाहिए। यही कारण है कि उन्हें घाटा होना प्रारम्भ हो गया। गत वर्ष और इस वर्ष भी यह लाभ कमाने वाली इकाई रही है परन्तु अभी भी भारत सरकार ने इसे बीआईएफआर को सौंपने का निर्णय लिया है और बीआईएफआर ने इसे निजी क्षेत्र अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया है। क्या सरकार इस प्रकार की इकाईयों को एक-एक करके बंद करने जा रही है और इन सभी इकाईयों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उपाध्यक्ष जी, इस कंपनी को चलाने के लिए हमारी श्री शरद पवार जी से निरंतर बात होती रही है। इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। हमने पूरी कोशिश की। उसे बी.आई.एफ.आर. को भी भेजा। गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट भी किया, लेकिन उन सब प्रयासों के बावजूद वह नहीं चल सकी। उसके न चलने का एक मुख्य कारण यह भी है कि जिस राज्य में वह फैक्ट्री है, वहां की राज्य सरकार भी उस कंपनी को ड्रग सप्लाई के आर्डर नहीं देती है। फिर वह कंपनी किसके लिए प्रोडक्ट बनाए और उसे कहां बेचे। उसको चलाने हेतु माननीय सदस्य ने एक सुझाव भी दिया था कि इस कंपनी के पास यदि कोई जमीन हो, तो उसे बेच दिया जाए, ताकि कुछ पैसा कंपनी के पास आ सके और कंपनी चल सके। किन्तु वह भी अभी नहीं हो सका है। उस पर हम फिर विचार कर सकते हैं। माननीय सदस्य से इस बारे में मेरी चर्चा होती रहती है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि लगभग 12 वर्ष पूर्व जीवन रक्षक औषधियों के बारे में जो मूल्य निर्धारण नीति घोषित की गई थी, तब से लेकर अब तक कोई नई नीति नहीं बनाई गई है, जिसके कारण लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और सामान्य आदमी की पहुंच से दवाएं बाहर हो गई हैं? जैसा अभी बताया गया कि जीवन रक्षक औषधियां बनाने वाली देशी कंपनियां, जैसे आई.डी.पी.एल. और हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स को आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके द्वारा निर्मित दवाओं के दाम, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं के मुकाबले काफी कम हैं। हमारी दवा कंपनियों को प्रोत्साहन न देकर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके कारण दवाएं महंगी होती जा रही हैं और गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। साथ ही उन दवाओं का जो अनुकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होना चाहिए वह भी नहीं हो रहा है। इसलिए क्या आप दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए कोई नई नीति निर्धारित करने जा रहे हैं ताकि ड्रग्स की प्राइस कंट्रोल के बारे में समुचित विचार हो सके?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उपाध्यक्ष जी, जो ऐसेंश्यल ड्रग्स हैं, जो शेड्यूल ड्रग्स हैं, वे अंडर कंट्रोल हैं। मैंने पहले भी कहा है और अपने उत्तर में भी बताया है कि दवाओं के मूल्य को एन.पी.पी.ए. कंट्रोल करता है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि ऐसेंश्यल ड्रग्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नही है। ऐसेंश्यल ड्रग्स पर हमारा कंट्रोल है और एन.पी.पी.ए. उसको कंट्रोल करता है। दूसरा सवाल यह पूछा गया है कि हम नई ड्रग पालिसी ला रहे हैं या नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि हमने नई ड्रग पालिसी बनाई है, जो जून से लागू हो जाएगी। उसमें सब प्रावधान किए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सस्ती दरों पर आवश्यक औषधियों की आपूर्ति करने हेतु इंडियन ड्रग्स एण्ड फामास्यूटिकल्स लि. की स्थापना की गई थी। आई.डी.पी.एल. की अधिकांश इकाईयां लगभग बंद हो गई हैं और सरकार ने आई.डी.पी.एल. का पुनरुद्धार करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आवश्यक औषधियों की कीमतें निम्न स्तर पर रखने के लिए क्या भारत सरकार एस.एस.पी.एल. जो पश्चिम बंगाल में है, के साथ आई.डी.पी.एल. का पुनरुद्धार करने पर गम्भीरता से विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उपाध्यक्ष महोदय, आई.डी.पी.एल. का भी वही केस है, जैसा अभी माननीय शरद पवार जी ने कहा। वह भी बी.आई.एफ.आर. में गया। उसको रिवाइव करने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन वह नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि यू.पी. स्टेट ने हमारे साथ एक एग्रीमैंट किया था, जिसके तहत यू.पी. गवर्नमैंट उसे 25 करोड़ रुपये में खरीदेगी। हमने उसे ट्रांसफर कर दिया। अगर कोई स्टेट ऐसा प्रपोजल लाये तो हम उसे देने के लिए तैयार हैं, जैसा यू.पी. गवर्नमैंट ने किया है। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, उसे हम दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जीवन रक्षक औषधियां, जो कैंसर रोगियों और हृदय रोगियों से संबंधित हैं, बहुत महंगी हैं; ल्यूकेमिया रोगियों के मामले में इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए होती हैं। हमारे देश में कुछ ही लोग हैं जो ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के उपचारहेतु 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इन मामलों में गरीब लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है। हमें मिलने वाले अधिकांश पत्र इनसे संबंधित होते हैं और हम उन्हें प्रधान मंत्री राहत कोष अथवा मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता के लिए भेज देते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि गरीब लोगों के लिए उचित कार्यक्रम होने चाहिएं ताकि उन्हें ये औषधियां मिल सकें ताकि वे अपने प्रियजनों के जीवन बचा सकें। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को इस मामले में क्या कहना है। जैसा आपने क्षय रोग के मामले में जहां गरीब लोग सस्ती औषधियां प्राप्त कर सकते हैं, किया है इसी प्रकार मैं समझता हूं कि यह कैंसर रोगियों और हृदय रोगियों और अन्य रोगों के मामले में किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उपाध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का कुछ हिस्सा हैल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित है। हम जो नई ड्रग पालिसी लेकर आये हैं, जैसे सिप्ला ने एक ऐसी दवा यहां पर ईजाद की है जो वर्ल्ड में बहुत सस्ती है। ऐसे ही हमने आर.एंड डी. के लिए प्रावधान किया है ताकि हमारी जो इंडियन कम्पनीज हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके और नई ड्रग जो बहुत महंगी होने के कारण यहां नहीं बनती थी, उन्हें हम बनाकर मार्केट में ला सकें। इस मिनिस्ट्री का जो काम है, उसके तहत हम वह प्रावधान करेंगे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

***502. श्री वाई.वी. राव:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन में सरकार के समक्ष बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सामने आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ बड़ी समस्यायें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों के अभाव, करों में एकरूपता के अभाव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों और संबंधित मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उप घटक योजना न होने और पर्याप्त संसाधनों के अभाव से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साझा आर्थिक जोन के रूप में विकसित करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों में कर ढांचे में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा समन्वित प्रयास किये गए हैं। क्षेत्र के संतुलित और एक समान विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा किये गये विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए रीजनल प्लान 2001 तैयार करना।

(2) परिवहन, दूरसंचार, उद्योग और बिजली से संबंधित 4 कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना।

(3) उत्तर प्रदेश में राजस्थान उप-क्षेत्रों की उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना।

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक और अवस्थापना परियोजनाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के सृजन हेतु राज्य सरकारों/एजेंसियों को ऋण सुविधाएं देना।

(5) भागीदार राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों पर क्षेत्र के लिए उपघटक योजनाएं तैयार करने पर बल देना, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विशेष घटक योजना का अंग बन सके।

श्री वाई.वी. राव: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया है और क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सामान्य आर्थिक क्षेत्र अपनाया है और इस परिकल्पना का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में सदस्य राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, 2021 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तैयार करने का कार्य पूरा होने वाला है। इस क्षेत्र के लिए साझा आर्थिक क्षेत्र तैयार करने का प्रस्ताव है। हमने पहले ही क्षेत्र के विभिन्न सदस्य राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को लिखा है और हमें उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

श्री वाई.वी. राव: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने हेतु समेकित विकास करने के लिए दिल्ली के पास किसी उपनगर की पहचान की गई है और क्या इस संबंध में राज्यों को कोई ऋण सहायता दी गई है अथवा नहीं।

श्री अनंत कुमार: महोदय, पहले से ही दिल्ली महानगर क्षेत्र नगर यथा नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ और कुंडली हैं। गत 15 वर्षों में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सहायता से विकसित किया गया है। एन.सी.आर.पी.बी. को 1323.12 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। वास्तविक स्वीकृत ऋण 2088.05 करोड़ रुपये है और जारी किया गया ऋण 1323.12 करोड़ रुपए है।

महोदय, हमने 159 परियोजनाएं चलाई हैं। इन 159 परियोजनाओं में से 76 आवासीय हैं, 25 औद्योगिक हैं, 14 वाणिज्यिक हैं और 44 अवसंरचनात्मक परियोजाएं हैं। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ और कुंडली के चार महानगर क्षेत्रीय नगरों के विकास में एन.सी.आर.पी.बी. सहायक रहा है।

श्री अजित कुमार पांजा: महोदय, 2001 के आंकड़े दर्शाते हैं कि अब देश की शहरी आबादी 285 मिलियन है। यह संयुक्त राज्य अमरीका की सम्पूर्ण आबादी से अधिक है। ऐसा लगता है कि रोजगार के अवसर और अन्य चीजों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं।

[अनुवाद]

वास्तव में, वर्ष 1991 में, एक बिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले केवल 23 शहर थे। परन्तु अभी 2001 में एक बिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले 35 शहर हैं।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली तीन खामियों की ओर ध्यान दिलाया है। उन खामियों में से एक अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तनकारी शक्तियों की कमी है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि अगर अधिनियम में प्रवर्त्तनकारी शक्तियों की कमी है तो क्या मंत्री इस अधिनियम में समग्र रूप से संशोधन करने पर विचार करेंगे? वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक विशेष बैठक के द्वारा 500 करोड़ रुपए के अर्बन रिफार्मस् इन्सेंटियस फन्डस और सिटी चैलेंज फंड जैसे कई महत्वपूर्ण निधियों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। जब तक इस अधिनियन में समुचित रूप से सुधार नहीं किया जाता और अवसंरचना गठित नहीं की जाती, इन निधियों के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया धन अनुपयोगी होगा और उन्हें समुचित उपयोग में नहीं लगाया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय इस अधिनियम में समुचित संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ताकि बोर्ड उचित रूप से कार्य करना आरंभ कर सके।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। परन्तु उनका प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसके दो पहलू हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समन्वयक विकास के लिए कार्य करती है जिसमें 30,242 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है और जिसमें राजस्थान के कुछ तहसील, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और हरियाणा के कुछ जिले आते हैं। इसलिए, हम गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ एवं कुंडली के छह सेटेलाइट नगरों के विकास के लिए अग्रसर है। यह एक हिस्सा है। इस हेतु हमने यह कहा है कि हमारे पास प्रवर्तनकारी जनादेश नहीं है। यह बड़ा ही नाजुक मुद्दा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें चार राज्य शामिल हैं। हमारी संघीय शासन व्यवस्था हैं और इसीलिए केन्द्र सरकार के समझौते को इन चार राज्यों में किस सीमा तक जबर्दस्ती लागू कर सकते हैं, यह भी एक प्रश्न ही है। अतएव, इसके लिए एक योजना बोर्ड है जिसकी बैठक पिछले 15 वर्षों में 25 बार हुई और जो इस मामले पर ईमानदारी से गौर कर रहा है।

महोदय, जहां तक उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के पड़ने वाले प्रभावों का प्रश्न है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाना है और मैं यह कहना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या 300 मिलियन थी। अब यह घटकर 285 मिलियन ही रह गई है। इस प्रकार, शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले ग्रामीण पलायन में 15 मिलियन की कमी है। मुझे इसके लिए माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री वैंकय्या नायडू को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: उनमें से एक मानदण्ड-जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रावधान है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, दूसरी बात यह जिसे मैं माननीय सभा के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि हम एन.सी.आर.पी.बी. की सारी शक्तियों की समीक्षा करने की सोच रहे हैं ताकि एक

क्षेत्रीय योजना के निर्माण में एन.सी.आर.पी.बी. को एक सशक्त उपकरण के रूप में सुदृढ़ कर सकें।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, वर्ष 1975-76 से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में झोपड़पट्टियों से बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास की एक योजना हमेशा ही रही है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि उनका पुनर्वास नहीं किया गया है। परन्तु उनमें से एक समस्या यह है कि उन्हें उस भूमि का अधिकार नहीं दिया गया है जहां उनका पुनर्वास किया गया है। उन्हें 1975 में हटाया गया था और अब शहरों का विस्तार हुआ है और इस प्रकार उन्हें उनके वर्तमान झोपड़े से नए क्षेत्रों में भेजे जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे बेदखल किए गए लोगों को उस स्थान पर स्थाई भूमि का टुकड़ा प्रदान करने के इस पहलू पर गौर करेंगे जहां पर अब उन्हें बसाया जा रहा है।

महोदय, दूसरा मुद्दा हालांकि इस शहर से संबंधित नहीं है, यह है कि मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि उन स्थानों में जहां शहरी जनसंख्या को झोपड़ पट्टियों के साथ मिश्रित किया जाता है, वहां उन लोगों को केन्द्र सरकार की खार अथवा लावणिक भूमि पर पुनर्वास करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव आपके मंत्रालय के पास लंबित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन भूमियों पर रहने वाले उन लोगों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों को खार अथवा लावणिक भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया जाएगा या नहीं।

श्री अनंत कुमार: महोदय, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु हम राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह मुख्य प्रश्न से संबंधित है?

श्री अनंत कुमार: महोदय, यह मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

प्रश्न यह है कि क्या विभिन्न राज्य सरकारें मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को काश्तकारी अधिकार देने वाली हैं। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री ने बाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना नामक एक नवीन कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत हम अनुदान राशि का 50 प्रतिशत और हुडको से 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। चूंकि यह हुडको से सम्बद्ध ऋण है, इसलिए, 40,000 रुपए या 50,000 हजार रुपए या 60,000 रुपए में उन्हें अपना आवास मिल सकता है, और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा काश्तकारी अधिकार प्रदान किया जाएगा। उन्हें भूमि प्रदान करनी चाहिए और नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। बाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत इस पुनर्वास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह बहुत ही अच्छी शुरूआत है।

दूसरे, मुम्बई साऊथ साल्ट पैन भूमि के संबंध में, माननीय प्रधान मंत्री ने मंत्रियों के समूह का गठन किया है। मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुम्बई जा रहा हूं। मैं उस स्थान का दौरा भी करने जा रहा हूं। सरकार की योजना उक्त साल्ट पैन भूमि का विकास करने की है। इससे, हम मलिन बस्तियों में रहने वाले कई लोगों को बसा सकते हैं जिन्हें मुम्बई की विभिन्न परियोजनाओं के कारण उनके वास्तविक स्थानों से हटाया गया है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: दिल्ली के उन लोगों का क्या होगा जिन्हें 1977 के बाद हटाया गया था? क्या उन्हें उनकी भूमि वापस दी जाएगी? जिन लोगों को बाहरी दिल्ली से 1977 में हटाया गया था, उन्हें नए स्थान तो दिए गए हैं परन्तु कोई भूमि नहीं दी गई है, और न ही उन्हें कहीं और हटाया गया है।

श्री अनंत कुमार: जब दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोग मौजूद हैं और भूमि...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: नहीं, नहीं, सरकार ने ही उन्हें 1977 में हटाया था। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण उस भूमि का अधिग्रहण कर रहा है।

श्री अनंत कुमार: वस्तुत: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब अवैध कब्जा करने वाले केन्द्र सरकार की भूमि, यथा एल एंड डी ओ और दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर काबिज हैं तो यह हमारा उत्तरदायित्व है जिसका निर्वहन हम मामलों के आधार पर कर रहे हैं। परन्तु जब दिल्ली सरकार की भूमि की बात आती है तब इसकी देख-भाल दिल्ली सरकार को ही करनी होगी।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: प्रश्न यह है कि क्या उन्हें भूमि का अधिकार मिलेगा या नहीं?

श्री अनंत कुमार: इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: नहीं नहीं, वर्ष 1977 में आपने उन्हें हटाया था।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा एक महत्वाकांक्षी-कार्यक्रम के साथ किया गया था। समस्त क्षेत्र का निर्माण न केवल शहर बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों से भी किया गया है।

महोदय, हर बार योजना बोर्ड की बैठक होती है और की गई प्रगति और भविष्य की योजना की भी समीक्षा कर रही है। तथ्य यह है। परन्तु तबसे शहरी विकास मंत्री के रूप में मुझे दो वर्षों तक इस समिति की अध्यक्षता करने का अवसर मिला था और मैं जानता हूं कि इसमें व्यवहारिक कठिनाई है। इसलिए, इस विशिष्ट कठिनाई की समीक्षा करते हुए पूर्ण रूप से दूर किया जाना है। हर बार जब हम सदस्य राज्यों की बैठक करते हैं, राज्य धन की मांग करते रहते हैं। वे शहरी विकास मंत्रालय और भारत सकार से कृपादृष्टि चाहते हैं कि कितना धन वह उपलब्ध करा सकती है। यह केवल योजना बनाना नहीं है।

महोदय, क्या मंत्रालय इस क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी अवसंरचनात्मक विकास के लिए धन की उगाही के बारे में सोचती है। पहले यह सुझाव दिया गया था कि एन.सी.आर. विकास और बांड निकाला जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु जी, कृपया पूरक प्रश्न पूछिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय उक्त बांडों को जारी करने पर विचार कर रहा है जिससे कि तेजी से अवसंरचनात्मक विकास किया जा सके।

श्री अनंत कुमार: महोदय, प्रथमत: मैं सुविज्ञ माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि धन की कमी है। वस्तुत: हमने इसे 1985-95 हेतु संदर्श योजना तैयार किया जिसके लिए हमें 58,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। परन्तु हमारे पास धन नहीं है।

वस्तुत:, हम केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों सहित राज्य सरकारों को भी यह बता रहे हैं कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना हेतु उप-संघटक योजना आबंटित करें, और हमने एन सी आर पी बांडों के रूप में 958.55 करोड़ रुपए एकत्र भी किए हैं जिसे हमने योजनाओं के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को जारी किया है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, प्रथमत: मुझे माननीय मंत्री के ध्यान में लाने दे कि लाखों हॉकर हैं जो अपना कारोबार सड़कों के किनारे कर रहे हैं और अपने कारोबार के लिए 3×3 फीट अथवा 4×3 फीट की जगह प्राप्त कर रहे हैं। यह बड़ा ही सुसाध्य कार्य है। उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद शहर के मामले में स्थायी स्थान आबंटित किया था।

मैं माननीय मंत्री से यह जानता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत क्या इन लोगों को व्यापार करने और अपनी आजीविका चलाने के लिए हॉकर जोन बनाने की कोई योजना है। यदि हां, क्या वे इसका कार्यान्वयन करने पर गंभीरतपूर्वक विचार कर रहे हैं? वास्तव में, वर्तमान में वे सड़कों के किनारे अपना व्यापार करने वाले निर्धन लोगों को स्थान आबंटित करने हेतु क्या कर रहे हैं?

श्री अनंत कुमार: महोदय, पहली बार हमने हॉकरों की समस्या का समाधान करने के लिए एक कृतक बल तैयार किया है और हमारे माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री जी इसके सभापति हैं। एक महीने के भीतर, हमें वे सिफारिशें मिल जायेंगी जिन्हें हम कार्यान्वित करना जा रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि क्या वे विशेष रूप से हॉकरों के लिए अलग ''हॉकर जोन'' बना रहे हैं क्योंकि वे उत्पीड़न का शिकार तो बनते ही हैं इसके अलावा उनको अन्य तरह से परेशान भी किया जाता है। क्या यह उनकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का एक भाग है?

श्री अनंत कुमार: महोदय, हर एक चीज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत आयेगी क्योंकि समस्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या हम ''हॉकर जोन'' बनायें अथवा उन्हें कैसे अलग करें और उनकी रोजी-रोटी के लिए उन्हें किस प्रकार सुविधाएं प्रदान करें और इसका कार्यकरण कृतक बल तय करेगा। हम सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट

***504. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) ने महिलाओं के प्रति किए गए विभिन्न अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने, महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसरण में समय-समय पर प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों में अवश्य ही इस प्रकार की सिफारिशें होती हैं।

(ख) ये सिफारिशें वर्तमान विधायनों में संशोधन करने, नए विधायन बनाने, अत्याचारों की शिकार महिलाओं को त्वरित और समुचित न्याय दिलाने के लिए प्रक्रियाओं को बदलने, न्यायिक और कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने और महिलाओं के कानूनी अधिकारों का समर्थन करने और जागरूकता पैदा करने के बारे में होती है।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार, वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए वार्षिक रिपोर्टों को, जिनमें सिफारिशें निहित हैं उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टें के साथ पहले ही लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है। भारत के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य उपयुक्त एजेन्सियों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए, किसी प्रकार का कानून में संशोधन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को या किसी अन्य एजेंसी से, जो प्रतिवेदनों में सुझाव दिए गए हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा है? इस प्रश्न से संबंधित जो उत्तर दिया गया है, वह सही नहीं है। उत्तर में कहा गया है, इस प्रकार के प्रतिवेदन में इस तरह की बात होती रहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 2000 और 2001 के प्रतिवेदनों में क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने भा.दं.सं. की कुछ धाराओं में संशोधन करने और महिलाओं के प्रति जो अन्याय और अत्याचार होते हैं, उसके प्रति कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए सुझाव दिए थे? यदि दिए थे, तो सरकार ने उन पर अभी तक क्या कार्रवाई की है और क्या सरकार भा.दं.सं. की धाराओं में संशोधन करने का विचार रखती है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, जो उत्तर दिया गया है, उसमें यह बात क्लीयर कही गई है कि अलग से कोई प्रतिवेदन नहीं आया है, बल्कि हर साल कमीशन आन विमैन अपनी रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करता है और उनकी रिपोर्ट तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में प्लेस की जाती हैं। जहां तक सन् 2001 का सवाल है, इसकी रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी प्लेस नहीं हुई है। यह कमीशन 1992 में बना था और 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की रिपोर्ट्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद में प्लेस कर दी गई हैं।...*(व्यवधान)* जहां तक उनका सवाल है कि क्या स्ट्रिजैंट एक्शन और सख्त सजायें देने की सिफारिशें की गई हैं, हां उनमें कुछ सिफारिशें की गई हैं और ला-कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को मैंशन किया है। चूंकि क्रिमिनल-ला कन्करैंट लिस्ट में है, उसके लिए, ला-कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, सारी स्टेट्स को कनसल्ट करके, सोच-विचार किया जा रहा है। उसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है। जहां तक सैन्ट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, बहुत सारी रिकमेंडेशन्स हैं, लेकिन उनमें ज्यादा कन्सनट्रेशन इस बात पर है कि सजायें सख्त होनी चाहिए। सजायें सख्त करने के लिए भा.दं.सं. की धारायें 353, 375, 376 (i) (ii), 509, 376 हैं और एक केस में तो डैथ पैनल्टी के लिए भी कहा गया है। इसके लिए सारी चीजें कंसीडर की जा रही हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत: महोदय, उत्तर के भाग "ग" में कहा गया है कि भारत के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य उपयुक्त एजेंसियों को भेज दिया गया है। अधिकांश सिफारिशों में कुछ के बारे में तो मंत्री जी ने बता दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अधिकांश सिफारिशें कौन-कौन सी हैं और किन-किन विभागों ने कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं और किन-किन एजेन्सियों को कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय ने कब-कब भेजा है और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई हो, वह सदन को बतायें, तो उत्तम होगा?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, इसमें सिम्पल बात यह है कि बहुत सारी चीजें लीगल अमेंडमेंट से ताल्लुक रखती हैं। इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। कुछ सिफारिशें क्रिमिनल जस्टिस स्पीडी बनाने के लिए हैं और पुलिस स्टेशन विमैन द्वारा हैन्डल करने के लिए हैं या हरेक पुलिस स्टेशन पर विमैन सैल होना चाहिए-ये सब सिफारिशें गाइडलाइन्स के तौर पर गृह मंत्रालय ने समय-समय पर सब स्टेट्स को भेजी हैं, अलग-अलग विभागों को भेजी हैं। बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पुलिस स्टेशनों पर विमैन सैल की व्यवस्था की गई है। जहां तक कौन-कौन सी रिकमैंडेशन का ताल्लुक है, उसमें क्रिमिनल जस्टिस के बारे में रिकमेंडेशन हैं कि कैसे इसको स्पीडी डिसपोज आफ किया जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में एक मलमथ कमेटी बैठी हुई है।

श्री थावरचन्द गेहलोत: उन सिफारिशों में यह है कि राज्यों में आयोग की स्थापना की जाएगी, लेकिन इस बारे में मंत्री जी नहीं बता रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जहां तक महिला आयोग राज्यों में बनाने की बात है, तो 21 राज्यों में आलरैडी महिला आयोग बने हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत: महोदय, लगभग 33-34 राज्यों में केवल 17 राज्यों में महिला आयोग बनाए गए हैं। क्या आप बाकी राज्यों में बनवाने की कार्यवाही करेंगे?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जी हीं, बिलकुल करेंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत: आपने जो उत्तर दिया है, उसमें केवल 17 राज्यों में महिला आयोग की स्थापना होने का उल्लेख है, बाकी राज्यों के बारे में आप क्या करेंगे?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: 21 स्टेट्स में महिला आयोग बन चुके हैं और सभी स्टेट्स को लिखा गया है, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार आदि शामिल हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाकी स्टेट्स के नाम भी पढ़ कर बता सकता हूं।...*(व्यवधान)* 21 स्टेट्स में आलरेडी आयोग बन चुके हैं, बाकी जिन स्टेट्स ने अभी नहीं बनाए हैं, उन्हें पहले भी गाइडलाइंस के तौर पर एडवायजरी इंस्ट्रक्शंस भेजी गई हैं। वे फिर भेजेंगे, उसके बाद परस्यु करेंगे।

श्रीमती कृष्णा बोस: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर की प्रथम पंक्ति यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के साथ हुए विभिन्न अपराधों की घटनाओं की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है तो फिर कोई प्रश्न पूछना ही बेमानी है लेकिन ऐसा होने पर मैं सरकार से एक प्रश्न तो करूंगी ही। इसमें वर्ष 1997-98 तक की रिपोर्टों का उल्लेख किया है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि गुजरात त्रासदी के पश्चात् समाचार पत्रों में प्रकाशित राष्ट्रीय महिला आयोग की हाल की रिपोर्ट की सरकार को जानकारी है। ऐसा कहा गया है कि उक्त रिपोर्ट बहुत हल्की-फुल्की है और इससे गुजरात की महिलाओं के साथ हुए अपराधों की गम्भीरता का पता नहीं चलता है। मुझे विश्वास है कि सरकार को इसकी जानकारी है और इस पर मैं एक बहुत सीधा सा अनुपूरक प्रश्न करना चाहूंगी। मैं आशा करती हूं कि सरकार उत्तर देगी और यह बहाना नहीं बनाएगी कि इसका सीधा संबंध प्रश्न से नहीं है।

गुजरात की महिलाओं के साथ जो भी हुआ है वह दुख की बात और उनकी गरिमा गिरी है उसकी पुन: प्राप्ति नहीं की जा सकती है। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ अपराधियों को पकड़ें और अभी भी कैम्पों में रहने वाली आहत महिलाओं का पुनर्वास करें। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दी गयी इस हल्की-फुल्की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई कदम उठायेगी? जैसा कि हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा रही है और बच्चों से यह कहा जा रहा है कि वे अपनी बहनों और माताओं के साथ हुए अपराधों की एफ.आई.आर. पुलिस स्टेशन में दर्ज करायें। क्या ऐसा होता रहेगा? या फिर आप इन दोनों मुद्दों पर कदम उठायेंगे ताकि लोगों को न्याय मिल सके और गुजरात की उन गरीब महिलाओं का पुनर्वास किया जा सके जो हमेशा के लिए अपनी गरिमा खो चुकी हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, माननीय सदस्य जब गुजरात गये थे तो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के संबंध में उनकी चिन्ता पर अच्छी तरह विचार किया गया और उन सभी सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य यह भी जानते है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण एफ.आई.आर. आदि को राज्य पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है और उन्हें दर्ज किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: हमें रिपोर्ट दिनांक 26 अप्रैल को ही प्राप्त हुई थी...*(व्यवधान)* जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट का संबंध है, हमें रिपोर्ट मिल चुकी है। इस पर विचार किया जायेगा...*(व्यवधान)* कार्रवाई की जायेगी...*(व्यवधान)* गुजरात मुद्दे पर चर्चा की जायेगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें श्रीमती कृष्णा बोस द्वारा किये गये प्रश्न का उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें जबाब देने दें। यह प्रश्न काल है। श्री आठवले जी, यह 'शून्य काल' नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप नहीं जानते कि यह प्रश्न काल है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दें। कृपया उन्हें पूरी बात कहने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वह श्रीमती बोस द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्हें पूरी बात कह लेने दें।

...(व्यवधान)

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: माननीय सदस्य ने दिनांक 26 अप्रैल को गृह मंत्रालय में प्राप्त की गयी गुजरात संबंधी राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। विशेष सचिव पहले ही बैठक बुला चुके हैं और इस पर विचार किया जा रहा है...*(व्यवधान)* महोदय, गुजरात पर एक अलग चर्चा हुई है। यदि वे चाहें तो वे इसका उल्लेख कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

जहां तक माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न का संबंध है, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट 26 अप्रैल को प्राप्त हुई थी और इस संबंध में विशेष सचिव पहले ही बैठक बुला चुके हैं...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यदि गुजरात पर चर्चा हो रही है, तो बाद में बिहार पर भी चर्चा होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बसंल: उपाध्यक्ष महोदय, आई.पी.सी. में आवश्यक संशोधन करने में हुए विलंब के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया तर्क पूरी तरह ठीक नहीं है। महोदय, जब वह कहते हैं कि प्रवर्तन राज्यों का उत्तरदायित्व है, तो कोई भी इस बात को समझ सकता है। लेकिन जहां तक आई.पी.सी. में आवश्यक संशोधनों का संबंध है, राज्यों के साथ परामर्श मात्र एक बहाना है, मैं समझता हूं कि वस्तुत: यह वह उत्तर नहीं है जिसकी अपेक्षा हम इस सभा में भारत सरकार से करते हैं। यह बहुत महत्व का विषय है और निश्चित रूप से हम मंत्री जी से यह अपेक्षा करेंगे कि वह वास्तव में सभा को इस संबंध में आश्वस्त करें कि आई.पी.सी. में आवश्यक संशोधन कब तक किये जायेंगे ताकि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने की दिशा में यहां हो रही चर्चा वास्तव में साकार हो सके।

आगे, उन्होंने कुछ ऐसे राज्यों के बारे में बताया जिन्होंने अब तक राज्य महिला आयोग गठित नहीं किया है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे आयोगों की स्थापना के प्रश्न का संबंध है, मंत्री जी यह जानते हैं कि यह भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे आयोग हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे आयोगों को कब तक स्थापित कर लिया जायेगा।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जहां तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है, राज्य महिला आयोग की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। लेकिन जहां तक अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं जांच करूंगा और इस बारे में सूचित करूंगा। लेकिन गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार इस मामले पर सभी राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें उनके राज्यों में राज्य महिला आयोग गठित करने के लिए राजी किया जा सके। महोदय, 21 राज्य पहले ही इनका गठन कर चुके हैं।

जहां तक आई.पी.सी. में संशोधनों का संबंध है, माननीय सदस्य एक वरिष्ठ वकील होने के कारण यह भली-भांति जानते हैं कि यह विषय समवर्ती सूची में होने के कारण इस बारे में राज्यों से परामर्श करना पड़ेगा। विधि आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और विधि आयोग की सभी सिफारिशें राज्य सरकार को भेजी जा चुकी हैं। जैसे ही राज्य सरकारों की स्वीकृति प्राप्त होगी वैसे ही संशोधन निश्चित रूप से कर दिये जायेंगे। लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: माननीय महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल महिला आयोग भंग किया जा चुका है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गयी थी। लेकिन बिना किसी कारण के वर्तमान केरल सरकार ने इस महिला आयोग को भंग कर दिया था। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, इस समय मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मैं इसकी जांच करूंगा क्योंकि हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केरल महिला आयोग है। लेकिन मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिन राज्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं बना है वहां इन्हें कब तक बनाएंगे? आज भी दहेज के कारण महिलाओं को मार दिया जाता है या जलाया जाता है। महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए हमें कानून में बदलाव और संशोधन लाना चाहिए—जिस-जिस राज्य ने राष्ट्रीय महिला आयोग को जानकारी दी है कि संबंधित कानूनों में बदलाव लाना है, क्या उसमें यह भी शामिल है या ऐसी सिफारिश आपके पास आई हैं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों के लिए मृत्यु-दंड का प्रावधान किया जाए?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जहां तक दहेज के केसेज का ताल्लुक है, वीमैन कमीशन पूरे राज्यों में स्थापित नहीं हुए हैं तथा

हम उसकी टाइम-लिमिट फिक्स नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इस मामले को परस्यू कर रहे हैं। हमारे पास रैडीली इंफोर्मेशन अवैलेबल नहीं है कि किस स्टेज पर यह मामला उनके पास है। हमारे पास करीब 21 राज्यों की जानकारी है कि उन्होंने इस संबंध में लैजिसलेशन पास कर दिया है और वहां कमीशन बन चुके हैं। बाकी स्टेट्स में हम परस्यू करेंगे लेकिन टाइम-लिमिट नहीं बता सकते हैं। दहेज के केसेज में कानूनों में सख्त सजा की जो रिक्मेंडेशन आई है उनका जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा कंसीडर करने के बाद, जिस भी अमेंडमेंट की जरूरत है, वह हम करेंगे। लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि जितने क्राइम महिलाओं के साथ होते हैं, उनमें सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, उनकी सजा बढ़ानी चाहिए और हमने उन सिफारिशों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, ला-कमीशन ने भी उनको बढ़ाने की तजवीज दी है, प्रपोजल दी है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्यों में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में जब महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है और जब महिलाओं पर आपराधिक हमले किये जाते हैं तो उनकी शिकायतों को भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जाता है। इसलिए, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वह कम से कम उत्पीड़ित महिला के बयान दर्ज करने हेतु राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती अनिवार्य बनाने के लिए पुलिस आयोग से परामर्श करके इस बात पर विचार करेंगे। एक अन्य विषय पर वाद-विवाद में मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी के ध्यान में ऐसे बहुत से मामले ला चुका हूं। क्या वह इस पर राष्ट्रीय नीति के मामले के रूप में विचार करेंगे कि भारत के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला अधिकारी होनी चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वयं सिफारिश की है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए एक डिवीजनल स्तर का आयुक्त होना चाहिए। इस पर भी विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं जहां तक महिला प्रकोष्ठों का संबंध है, मैं इस सभा के समक्ष यह पहले ही कह चुका हूं कि अधिकांश राज्य पहले ही इसका गठन कर चुके हैं और सभी पुलिस स्टेशनों में ऐसे प्रकोष्ठ नियुक्त कर चुके हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने यह कहा है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम-से-कम एक महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: न केवल एक पुलिस अधिकारी बल्कि महिला प्रकोष्ठ भी अधिकांश राज्यों में गठित किये जा चुके हैं। मैं यह पहले ही आपको बता चुका हूं।

श्री के. मलयसामी: महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने के लिए और महिलाओं के उत्पीड़न को कम करने के लिए आम नीति के रूप में तमिलनाडु का उदाहरण ले सकते हैं जहां हमने अधिकांश शहरों में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं अब हम इनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने पर विचार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। क्या आप इसे सारे देश के लिए उदाहरण के रूप में ले सकते हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: दिशा-निर्देश के रूप में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा नियंत्रित पुलिस स्टेशन स्थापित करने के प्रयास करने के लिए सरकार सभी राज्य सरकारों को पहले ही लिख चुकी है। अधिकतर राज्य प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पूर्णत: महिलाओं द्वारा नियंत्रित एक प्रकोष्ठ का पहले ही गठन कर चुके हैं।

श्री के. मलयसामी: न केवल एक प्रकोष्ठ वरन् एक पक्का महिला पुलिस स्टेशन।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभी राज्यों में केवल महिलाओं द्वारा नियंत्रित पुलिस स्टेशन स्थापित नहीं किये गये हैं। लेकिन कुछ राज्यों ने यह उपाय किया है। हम सभी राज्यों को यह लिख चुके हैं कि यदि वे केवल महिला द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन स्थापित कर पाने में असमर्थ हैं तो वे प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक प्रकोष्ठ स्थापित करें।

[हिन्दी]

डा. (श्रीमती) अनीता आर्य: उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर महिलाओं के ऊपर होने वाली विभिन्न अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए और उनके साथ होने वाले बलात्कार को रोकने के लिए, अभी तक कितने प्रदेशों में महिला कोर्ट्स बने हैं। जब राष्ट्रीय महिला आयोग से रिपोर्ट मांगी गयी तो उन्होंने कहा था कि हमें प्रदेश सरकारों से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है, उन्हें जमीन मुहैया नहीं कराई जा रही है। क्या इस संबंध में भारत सरकार हस्तक्षेप करेगी- मैं चाहूंगी कि इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पहले भी आनरेबल मैम्बर को कह चुका हूं कि इस बारे में हम एडवाइसरी इंस्ट्रक्शन्स भेजते रहते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं, चूंकि हमारा कांस्टीट्यूशन फैडरल सैट अप वाला है, इसलिये किसी राज्य को डायरेक्शन्स या इंस्ट्रक्शन्स हम नहीं दे सकते कि इसे जरूर करो क्योंकि वह फैडरेल सैट अप के खिलाफ जाता है।

जहां तक वूमैनमैन्ड कोट्र्स बनाने की बात है, दिल्ली में वुमैन्स कोट्र्स अलग से बनाये जाने की बात है, कई राज्यों में वुमैन सैल और प्योरली वुमैन-मैन्ड पुलिस स्टेशन्स जरूर हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राज-सहायता की धनराशि का दुरुपयोग

***503. डा. बलिराम:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान और आज की तारीख तक देश में विशेषकर गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अनेक उर्वरक कम्पनियों द्वारा राज-सहायता की धनराशि के दुरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों में किसानों को बेचे गए उर्वरकों के खातों में भारी अनियमितताओं का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानत: कितना वित्तीय घाटा हुआ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में की गई बिक्री के संबंध में विनियंत्रित उर्वरकों के लिये रियायत योजना के तहत उर्वरक कम्पनियों द्वारा रियायत देने के मामले में दुरूपयोग/ गलत दावे किये जाने की कुछ घटनाएं वर्ष 2001-02 में सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

बिहार सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार विनियंत्रित उर्वरकों के लिये रियायत योजना के तहत बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कृषि निदेशक द्वारा जिला कृषि अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त करना आवश्यक था। तथापि, कृषि निदेशक ने बेची गई उर्वरकों की गुणवत्ता और मात्रा के प्रमाणन के संबंध में इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुये 1994-95 से 1997-98 की अवधि में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किये। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट (सिविल) 2000 में आशंका व्यक्त की थी कि कृषि निदेशक द्वारा इस प्रकार जारी किये गये बिक्री प्रमाण पत्रों, जो लगभग 162 करोड़ रुपये के हैं, के कारण उर्वरकों की बढ़ाकर बताई गई और फर्जी आपूर्तियों के आधार पर 22 आपूर्तिकर्त्ताओं के रियायत के संदेहास्पद दावों का प्रमाणन किये जाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने तथ्यात्मक स्थिति मंगाने हेतु फरवरी, 2000 में बिहार सरकार को मामला भेजते समय राज्य सरकार द्वारा किये गये बिक्री प्रमाणन पर शेष भुगतान करने को, इस मामले का निपटारा हो जाने तक रोके रखने का भी निर्णय लिया था। बिहार राज्य सरकार ने छानबीन हेतु यह मामला फरवरी, 2002 में सी बी आई को सौंपा है।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एस एस पी इकाई द्वारा तथाकथित कपटपूर्ण दावों और अन्य कदाचारों के मामले में भारत सरकार ने मार्च, 2000 में राज्य सरकार से जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया था और फरवरी, 2000 में इन सभी 29 इकाईयों को रियायत का और भुगतान न करने का निर्णय भी लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार से 1998-99 और 1999-2000 की अवधि में उत्पादन और बिक्री के संबंध में की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् भारत सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से 21 इकाईयों के बारे में रियायत के भुगतान को रोके रखने का निर्णय लिया था। इसके अलावा, राज्य सरकार को उन सभी इकाईयों जिनके मामले में प्रथम दृष्टया अपराधिता सिद्ध हो जाती है, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने और इस संबंध में तथ्यों की पुन: पुष्टि करने के पश्चात् नये बिक्री प्रमाणन जारी करने के अनुदेश जारी किये गये थे ताकि किसी भी गलत दावे के विरुद्ध वसूली, यदि कोई हो, की जा सके। उपर्युक्त छानबीन के परिणामस्वरूप पाई गई एस एस पी की तथाकथित फर्जी बिक्री के विरुद्ध वसूली करने का भी निर्णय लिया गया है।

गुजरात राज्य सरकार ने अगस्त, 2001 में सूचित किया कि इंडियन पोटाश लि. (आई पी एल) द्वारा जून-सितम्बर, 2000 में गुजरात में बेची गई 4359 मी.ट. एम ओ पी जिसके लिए कम्पनी द्वारा गलत तरीके से रियायत का दावा किया गया था, कृषि प्रयोजनार्थ नहीं बेची गई थी। इसी बीच, उस अवधि में बेची गई एम ओ पी की संदेहपूर्ण मात्रा पर दी गई/देय राशि के बराबर रियायत राशि सरकार द्वारा रोक ली गई है। आई पी एल से मामले की जांच करने तथा रियायतों के गलत दावे के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है। आई पी एल ने राज्य सरकार से ब्यौरे मांगे हैं।

उत्तर प्रदेश के एक और मामले में राज्य सरकार ने हाल ही में ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (ओ सी एफ एल) द्वारा वर्ष 2000-01 में लगभग 21680 गैर मानक डी ए पी की बिक्री किये जाने और वास्तविक बिक्री की तुलना में डी ए पी

के लिए अधिक रियायत का दावा किये जाने की सूचना दी है। 21680 मी.ट. डी ए पी पर रियायत की संपूर्ण राशि को रोकने/वसूली करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, ओ सी एफ एल ने गैर मानक डी ए पी की सूचित की गई बिक्री के विरुद्ध कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को आभ्यावेदन दिया है। जहां तक किसी अधिक बिक्री, विवादित बिक्री के समायोजन/वसूली का संबंध है, यह वास्तव में बेची गई मात्रा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार उत्तर प्रदेश में गैर मानक डी ए पी की बिक्री करने के संबंध में ओ सी एफ एल के विरुद्ध एक अन्य शिकायत के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(घ) जहां तक उपर्युक्त मामलों में रियायत के तथाकथित गलत दावों से हुई हानि की मात्रा का संबंध है, राज्य प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाईयों/सी बी आई जांच-पड़ताल के पूर्ण होने के पश्चात् और वसूलियों की मात्रा ज्ञात होने पर ही इसका पता चलेगा।

(ङ) विनियंत्रित उर्वरकों के उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित अनुचित दावों एवं अन्य कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आगे कई कदम उठाये हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार है:-

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एस एस पी इकाईयां वास्तव में रॉक फास्फेट की अधिसूचित ग्रेड का इस्तेमाल कर रही हैं, एस एस पी इकाईयों का निरीक्षण करने हेतु एक तकनीकी लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(2) टी ए सी ने प्रथम बार देश में 95 एस एस पी इकाईयों का पहले ही निरीक्षण कर लिया है। केवल वे इकाईयां जो टी ए सी के अनुसार, संयंत्र और अवसंरचना सुविधाओं को ध्यान में रखने के पश्चात् एफ सी ओ मानकों को पूरा करते हुए एस एस पी का उत्पादन करने में सक्षम हैं, को योजना के अंतर्गत रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है।

(3) अधिसूचित ग्रेड के रॉक फास्फेट के इस्तेमाल तथा गुणवत्ता एस एस पी के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए टी ए सी को एस एस पी इकाईयों का छः माही निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है।

(4) सरकार ने टी ए सी को वर्ष 2001-02 के लिए उर्वरक के उत्पादन एवं प्रथम बिन्दु बिक्री पर रोक लगाने के लिए डी ए पी और मिश्रित उर्वरक उत्पादन करने वाले सभी संयंत्रों का निरीक्षण का कार्य सौंपा है।

(5) हाल ही में राज्य सरकार के साथ हुई बैठक में बिहार सरकार से 1.4.2001 को और उसके पश्चात् की गई बिक्री के संबंध में 17.5.2001 के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनियंत्रित उर्वरक के बिक्री प्रमाणन के पुनर्ग्रहण पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विभिन्न पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु नई नीति/दिशानिर्देश

*505. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न श्रेणी के खेलों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन करने हेतु एक नई नीति/दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान नीति/दिशानिर्देश पूर्व नीति की तुलना में किस सीमा तक भिन्न हैं;

(घ) क्या अर्जुन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों का चयन करने हेतु किसी नई समिति का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अर्जुन पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए चयन समिति गठित करने हेतु यदि कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (च) जी, हां। सरकार ने हाल ही में खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कारों की योजना को संशोधित किया है। संशोधित योजना के अंतर्गत, एक नयी चयन समिति का गठन किया जाना है। इससे संबंधित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण तथा पुराने मार्गदर्शी सिद्धांतों की तुलना में किये गये परिवर्तनों को संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

विवरण

पुरानी योजना के प्रावधान	खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार की योजना में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा
1	2
1. उद्देश्य देश में खेलकूद के विकास को बढ़ावा देना।	**1. उद्देश्य** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करना
2. पात्रता राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन वे खिलाड़ी जिन्होंने खेलों तथा खेलों को बढ़ावा देने में अपना जीवन-पर्यंत योगदान दिया है।	**2. पात्रता** अब केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। जीवन-पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार को अर्जुन पुरस्कार से अलग कर दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने में अपना जीवन-पर्यंत योगदान दिया है उनको पुरस्कार देने के लिए एक अलग योजना तैयारी की उन्नत अवस्था में है और उसे अंतिम रूप देते ही लागू कर दिया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला में अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा प्रतिबंधित औषधियों के सेवन के लिए सकारात्मक पाया जाता है, वे खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए हकदार नहीं होंगे।
3. श्रेणियां 1. ओलम्पिक्स/एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलविधाएं और क्रिकेट 2. स्वदेशी खेल 3. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए खेल	**3. श्रेणियां** (क) ओलम्पिक खेल/एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल/विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप खेलविधाएं और क्रिकेट (ख) स्वदेशी खेल (ग) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए खेल।
4. नामांकन आवेदन पत्र मंगवाने तथा अंतिम तारीख के लिए कोई विशेष तारीख निर्धारित नहीं की गयी थी। राज्य/संघ शासित सरकारों और भारतीय ओलम्पिक संघ का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।	**4. नामांकन** आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मई होगी। राज्य/संघ शासित सरकार और भारतीय ओलम्पिक संघ नामांकन भेजने के लिए विशेष रूप से अपेक्षित होंगे।
5. नामांकन का जांच-कार्य नामांकनों की विशेष समिति द्वारा जांच की जानी अपेक्षित थी जिसे अपनी सिफारिश सरकार को करनी थी। व्यावहारिक रूप से, प्राप्त सभी प्रविष्टियां कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण को सत्यापन तथा उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गयी थी।	**5. नामांकन का जांच-कार्य** सभी प्राप्त नामांकन कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ को 15 जून तक भेज दिये जाएंगे जो सभी नामांकित खिलाड़ियों की उपलब्धियों/प्रदर्शन का सत्यापन करेंगे।

1	2
6. चयन समिति मार्गदर्शी सिद्धांतों में, किसी विशेष गठन का जिक्र नहीं किया गया है। तथापि, प्रथा के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार होती थी:- 1. मंत्री (युवा कार्यक्रम और खेल)-अध्यक्ष 2. राज्य मंत्री-उपाध्यक्ष 3. सचिव (युवा कार्यक्रम और खेल)-सदस्य 4. महानिदेशक (भारतीय खेल प्राधिकरण)-सदस्य 5. संयुक्त सचिव (खेल)-सदस्य 6. अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक संघ-सदस्य 7. अध्यक्ष, भारतीय अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता संघ-सदस्य 8. कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण-सदस्य इस समिति को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार देने के लिए खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था।	**6. चयन की प्रक्रिया** यह प्रस्ताव है कि इस समिति में एक अध्यक्ष तथा 12 सदस्य होंगे जो निम्नानुसार खेलों के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होंगे:- 1. प्रतिष्ठित खिलाड़ी-अध्यक्ष 2. विभिन्न खेल विधाओं से ओलम्पिक खिलाड़ी-5 सदस्य 3. विभिन्न खेल विधाओं से अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता-4 सदस्य 4. खेल प्रशासक-4 सदस्य 5. निदेशक/उप सचिव (खेल) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय-सदस्य सचिव *अध्यक्ष सदस्य सचिव के परामर्श से, समिति की सहायता करने के लिए समिति के सदस्यों में से पैनल बना सकता है। *अध्यक्ष जहां कहीं आवश्यक हो, विशेष खेलविधाओं में विशेषज्ञों की लाह ले सकता है। *पुरस्कारों के लिए नामांकित खिलाड़ी के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति समिति में कार्य करने का पात्र नहीं होगा। *यह समिति अपनी कार्यविधि स्वयं निश्चित करेगी। *समिति की बैठक के लिए कोरम, समिति के सदस्यों का 75% तथा अध्यक्ष होगा। *समिति एकमत से पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का चयन करेगी और ऐसा न होने की सूरत में बहुमत निर्णय देगी और भारत सरकार को संदर्भ भेजने के एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। *कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण समिति के विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित रहेंगे ताकि समिति द्वारा यदि कोई सूचना/स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो वे दिये जा सकें। *चयन संबंधी कार्यवाही को गोपनीय रखा जाएगा।
7. एक वर्ष में दिये जाने वाले पुरस्कारों की संख्या कोई विशेष संख्या नहीं बतायी गयी थी। किसी खास वर्ष में प्रत्येक खेल में एक से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिये जाएंगे जो सुयोग्य व्यक्तियों की उपलब्धता पर	7. एक वर्ष में दिये जाने वाले पुरस्कारों की संख्या पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 15 रखी गयी है। प्रत्येक खेलविधा में एक ही पुरस्कार देने की अवधारणा रखी गयी है। तथापि, अगले वर्ष में एशियाई खेलों तथा

1	2
निर्भर करेगा। किसी खास खेल में महिला को दिये जाने वाले दूसरे पुरस्कार के लिए अपवाद हो सकता है।	राष्ट्रमंडल खेलों में, उन खेलविधाओं में किसी खिलाड़ी को दूसरा पुरस्कार देने के लिए अपवाद हो सकता है जिसमें उसने आपवादिक रूप में, एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में 5 से ज्यादा पदक जीते हों।
8. पुरस्कार राशि 1.50 लाख रु.	**8. पुरस्कार राशि** 3.00 लाख रु.

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

***506. श्री राम टहल चौधरी:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना को देश के सभी जिलों में लागू करने हेतु कोई लक्ष्य/समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के देश के सभी जिलों में कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए नियत निधियों को राज्यों द्वारा अन्यत्र खर्च किए जाने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या राज्यों से भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए बकाया निधियों को जारी करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत देश के 593 जिलों में से 582 जिलों में 2787 तहसीलों/तालुकों/खण्डों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। मेघालय राज्य और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दिव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के शेष 11 जिलों और शेष तहसीलों/तालुकों/खण्डों को 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शामिल किए जाने का कार्यक्रम है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) यह योजना एक मांग आधारित योजना है और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जांच की जाती है और निधियां तदनुसार जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों की अनुपलब्धता

***507. श्री अम्बरीश:**
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं और सरकार का छात्रों को हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई किस प्रकार करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना-2002 के आधार पर सभी कक्षाओं के लिए विस्तृत विषयवार पाठ्यविवरण तैयार किए हैं। इसने एक चरणबद्ध तरीके से शैक्षिक सत्र 2002-2003 से कक्षा 1, 3, 6, 9 और 11 से शुरूआत करते हुए स्कूलों में नए पाठ्यविवरण और पाठ्यपुस्तकें लागू करने की भी सिफारिश की है। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने इतिहास और धर्म सहित सामाजिक विज्ञानों, तथा हिन्दी से संबद्ध नयी पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों का और आगे क्रियान्वयन न करने के लिए अंतरिम आदेश दिया है। वर्ष 2002-2003 के शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 12 हेतु सभी विषयों के पाठ्यविवरण अथवा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों में किसी प्रकार के परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने यह सूचित किया है कि कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता जून के आरंभ में कक्षा 10 के परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही पड़ेगी। पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन तथा मुद्रण को सुव्यवस्थित बनाने और उन्हें छात्रों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ उठाया है ताकि छात्रों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों में वृद्धि

***508. श्रीमती हेमा गमांग:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु विशेषकर पर्वतीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में, निधियों के वर्तमान आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति इकाई सहायता की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। निधियों की उपलब्धता को देखते हुए अगर प्रति इकाई सहायता को बढ़ाया जाता है तो लाभार्थियों की संख्या को कम करने की जरूरत होगी। राष्ट्रीय आवास तथा पर्यावास नीति, 1998 ने भी ग्रामीण आवास के लिए सब्सिडी आधारित योजना को धीरे-धीरे लागत वहन योजनाओं में बदलने की वकालत की है।

[हिन्दी]

बोड़ो तथा गैर-बोड़ो के बीच दरार

***509. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्य असम में बोड़ो तथा गैर-बोड़ो लोगों के बीच दरार बढ़नी शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु अभी तक क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाये गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) असम में बोड़ो और गैर-बोड़ो के बीच तनाव की रिपोर्टें हैं। राज्य सरकार को इस क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। केन्द्रीय सरकार, असम सरकार और बोड़ो लिब्रेशन टाइगर के प्रतिनिधियों को लेकर त्रिपक्षीय शांति वार्ता जारी है। सरकार, समाज के सभी वर्गों के प्रजातांत्रिक अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान कॉपर लि. का विनिवेश

***510. श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लि. में अपनी सम्पूर्ण 98.5 इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इच्छुक पार्टियों की रूचि का कोई आरम्भिक आभास मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की हिन्दुस्तान कॉपर लि. के विनिवेश से पूर्व हिन्दुस्तान कॉपर लि. की विभिन्न इकाइयों को अलग-अलग कंपनियों के रूप में किराए पर देने की योजना है:

(च) क्या सरकार विनिवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व उक्त कम्पनियों के लिए वित्तीय पुनर्गठन पैकेज प्रदान करने पर भी विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) संभावित निवेशकों से रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने वाल विज्ञापन जारी कर दिया गया है। रूचि की अभिव्यक्तियां प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 30.04.2002 के 5.30 बजे है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) हिन्दुस्तान कॉपर लि. में विनिवेश करते समय पुनर्संरचना पैकेज प्रदान करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। पुनर्संरचना प्रस्ताव की मोटी-मोटी बातें रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने वाले विज्ञापन/प्रारंभिक सूचना ज्ञापन में दी गई है। वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पहले पुनर्संरचना योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत लाना

***511. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) हालांकि सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं के तहत लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकांश योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही हैं। पंचायती राज के बारे में कार्यदल (जुलाई, 2001 में गठित) ने सिफारिश की कि योजनाओं के एकीकरण पर कार्रवाई की जाए ताकि पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के अनुसार व्यापक लचीलापन अपना सकें। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण के बारे में कार्यदल की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त कार्रवाही करें और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के दिशा निर्देशों की समीक्षा करें ताकि इनके कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका निश्चित हो सके।

विदेशों में परिसरों (कैम्पस) की स्थापना करना

***512. श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर (कैम्पस) स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना से विश्वविद्यालयों को और धन सृजित करने में मदद मिलेगी/मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानवार और देशवार कितने परिसरों की स्थापना का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ सम-विश्वविद्यालयों को विदेशों में शैक्षिक केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिन सम-विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न विदेशों में बहु-परिसर स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की है उनके नाम, विदेशों में उनके परिसरों के नाम तथा उनकी स्थापना के स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल

   (1) वी.एम.सी. कार्पोरेशन एसडीएन., बीएच. डी., मलेशिया

   (2) अल घुरैर एकेडमी, दुबई

   (3) इवोल्युशन इनफो टेक-मिडिल ईस्ट, अल रूसेल, ओमान सल्तनत

2. बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी

   (1) बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एंड साइंस, दुबई सेंटर

3. बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची

(1) बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, मेसरा-बहरीन सेंटर

आशा है कि विदेशों में परिसरों की स्थापना से विदेशों, विशेषकर विकासशील देशों में वहन किए जा सकने वाले खर्च से बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एनआरसी) योजना के अंतर्गत जिले

***513. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एनआरसी) योजना के अंतर्गत जिलों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत और जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना के कार्यान्वयन के लिए जिलों का चयन, जिलों के तुलनात्मक पिछड़ेपन, लाभग्राही विभाग अथवा राज्य सरकारों की, उन जिलों में (जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी के अंतर्गत शामिल किये गए हैं) अपनी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहमति तथा उन जिलों में युवा क्लबों के सुस्थापित संजाल के अस्तित्व पर आधारित होता है। चूंकि यह योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से अमल में लायी जाती है, अत: किसी विशेष जिले में नेहरू युवा केन्द्र के अस्तित्व को भी ध्यान में रखा जाता है। चालू वर्ष के दौरान, 40 अतिरिक्त जिलों का चयन करते समय, राज्य सरकारों से भी सलाह ली गयी है।

(ख) और (ग) प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। पिछले वर्ष (2001-2002) में यह योजना 76 जिलों में प्रचालन में थी। इस वर्ष इस योजना का 40 अन्य जिलों में भी विस्तार कर दिया गया है। इस वर्ष चुने गए जिलों की राज्य-वार सूची विवरण में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एन.आर.सी.) योजना हेतु चयनित नए जिलों की सूची।

राज्य	जिले	
1	2	
आंध्र प्रदेश	1.	अनंतपुर
	2.	महबूबनगर
बिहार	3.	कटिहार
	4.	भागलपुर
	5.	मोतीहारी
छत्तीसगढ़	6.	बिलासपुर
	7.	राजनंदगांव
गुजरात	8.	कच्छ
हिमाचल प्रदेश	9.	बिलासपुर
झारखंड	10.	पलामू
	11.	लोहारडागा
कर्नाटक	12.	बंगलौर (शहरी)
	13.	उडप्पी
केरल	14.	कोजीकोड
मध्य प्रदेश	15.	सीहोर
	16.	धार
	17.	देवास
	18.	दमोह
	19.	बालाघाट
महाराष्ट्र	20.	अमरावती
उड़ीसा	21.	सुंदरगढ़
	22.	सम्बलपुर
	23.	क्योंझर
राजस्थान	24.	बारा

1	2	
	25.	कोटा
उत्तर प्रदेश	26.	झांसी
	27.	हमीरपुर
	28.	बरेली
	29.	जालौन
उत्तरांचल	30.	उत्तरकाशी
	31.	रूद्रप्रयाग
तमिलनाडु	32.	कोयम्बटूर
	33.	नीलगिरी
असम	34.	सोनितपुर
	35.	डिब्रूगढ़
हरियाणा	36.	गुड़गांव
मणिपुर	37.	तेमेन्गलोंग
नागालैंड	38.	मोन
सिक्किम	39.	सिक्किम पश्चिम
त्रिपुरा	40.	दक्षिण त्रिपुरा

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

***514. श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत 2002-2003 के लिए निधियां आवंटित/जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा राज्यों से 2001-2002 के दौरान प्राप्त सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (छ) कार्यों के शीघ्र निष्पादन के जरिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खपत क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2001-2002 के दौरान आबंटन की दुगुनी राशि के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्यं/संघ राज्य क्षेत्रों को यह स्पष्ट किया गया था कि जब तक ऐसी मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं की निविदा दी जाएगी, वर्ष 2001-2002 में वास्तविक रिलीज उस वर्ष के आबंटन तक ही सीमित रहेगी और बाद में, कार्यों की प्रगति के आधार पर वर्ष 2002-2003 के लिए रिलीजें की जाएंगी।

वर्ष 2001-2002 के दौरान अब तक स्वीकृत किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रस्ताव और रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान, आबंटन, स्वीकृत प्रस्तावों की लागत और रिलीज की गई राशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	स्वीकृत प्रस्तावों की लागत	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	190.00	389.38	224.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	80.00	45.00

1	2	3	4	5
3.	असम	75.00	154.92	80.00
4.	बिहार	150.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	87.00	184.45	98.62
6.	गोवा	5.00	10.16	5.00
7.	गुजरात	50.00	106.15	60.00
8.	हरियाणा	20.00	50.15	30.00
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	132.36	72.09
10.	जम्मू व कश्मीर	20.00	60.33	0.00
11.	झारखण्ड	110.00	230.26	120.00
12.	कर्नाटक	95.00	203.35	108.37
13.	केरल	20.00	47.65	27.65
14.	मध्य प्रदेश	213.00	513.68	248.00
15.	महाराष्ट्र	130.00	263.90	134.50
16.	मणिपुर	40.00	80.71	40.00
17.	मेघालय	35.00	80.72	45.72
18.	मिजोरम	20.00	46.53	26.53
19.	नागालैण्ड	20.00	45.53	25.53
20.	उड़ीसा	175.00	350.00	175.00
21.	पंजाब	25.00	74.29	55.00
22.	राजस्थान	130.00	263.05	150.00
23.	सिक्किम	20.00	37.81	20.00
24.	तमिलनाडु	80.00	115.81	88.57
25.	त्रिपुरा	25.00	51.85	26.85
26.	उत्तर प्रदेश	315.00	638.83	348.11
27.	उत्तरांचल	60.00	140.41	70.00
28.	प. बंगाल	135.00	281.07	149.65
29.	अंडमान निकोबार	10.00	22.38	0.00

1	2	3	4	5
30.	दादरा व नगर हवेली	5.00	9.95	5.00
31.	दमन व दीव	5.00	10.00	0.00
32.	दिल्ली	5.00	0.00	5.00*
33.	लक्षद्वीप	5.00	4.89	4.89
34.	पांडिचेरी	5.00	7.40	0.00
	कुल	2375.00	4687.97	2489.73

*रिलीज की गई राशि वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत प्रस्तावों के लिए है।

नक्सलवादी तथा उग्रवादी गुटों से बातचीत

***515. श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में तथा राज्य की सीमाओं पर अपने राज्यों की सीमा-पार अन्य राज्यों में सक्रिय नक्सलवादी (पी डब्ल्यू जी) तथा अन्य उग्रवादी/आतंकवादी गुटों से सीधी बात करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्रामीण भवन केन्द्र

***516. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण भवन केन्द्रों (रूरल बिल्डिंग सेन्टर्स) की योजना सम्पूर्ण देश में लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2002 तक 'हडको' द्वारा राज्य-वार ऐसे कितने केन्द्रों का निर्माण किया गया है;

(ग) ये ग्रामीण भवन केन्द्र कारीगरों को प्रौद्योगिकी की जानकारी तथा प्रशिक्षण प्रदान करने में किस सीमा तक सहायक रहे हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्राप्त/लम्बित अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास तथा शहरी विकास निगम (हडको) की सहायता से देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण निर्मिति केन्द्रों की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

ग्रामीण निर्मिति केन्द्र स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य हैं, (क) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना का प्रचार प्रसार (ख) प्रशिक्षण के जरिए हुनर बढ़ाना तथा (ग) किफायती और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री/घटकों का उत्पादन। ग्रामीण निर्मिति केन्द्र प्रयोगशाला से लेकर भूमि तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, बिक्री हेतु किफायती भवन सामग्री के उत्पादन, तथा कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

ग्रामीण निर्मिति केन्द्र स्थापित करने के लिए 31 मार्च, 2002 तक 208 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से इस समय 117 के मामले में कार्रवाई चल रही है। 56 ग्रामीण निर्मिति केन्द्र (राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है) मंजूर किए गए थे (मार्च, 2002 तक) जबकि शेष (35) को अनुमोदित नहीं किया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत ग्रामीण निर्मिति केन्द्रों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	17
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	जम्मू व कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	5
10.	केरल	1
11.	मध्य प्रदेश	4
12.	महाराष्ट्र	2
13.	उड़ीसा	5
14.	राजस्थान	1
15.	तमिलनाडु	2
16.	उत्तर प्रदेश	1
	कुल	56

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

***517. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत इसके लिए पात्र कस्बों और इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कस्बों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी राशि स्वीकृति और जारी की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2000, 31 मार्च, 2001 तथा 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति अनुसार अनुमोदित तथा लम्बित स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) और (घ) केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पात्र कस्बों, अनुमोदित कस्बों की संख्या तथा स्कीम के अंतर्गत जारी राशियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II तथा III में है। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार ए यू डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत जलापूर्ति स्कीमों के लिए 660 कस्बे स्वीकृत किए गए हैं जिनकी कुल अनुमानित लागत 829.33 करोड़ रुपये है और स्वीकृति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 360.57 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं। राज्यों को राशियां स्कीम वार नहीं बल्कि एकमुश्त जारी की जाती हैं।

विवरण I

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000 (31.3.2000 स्थिति अनुसार)				2000-2001 (31.3.2001 स्थिति अनुसार)				2001-2002 (31.12.2001 स्थिति अनुसार)			
		अनुमोदित डीपीआर		लम्बित डीपीआर		अनुमोदित डीपीआर		लम्बित डीपीआर		अनुमोदित डीपीआर		लम्बित डीपीआर	
		संख्या	अनु. लागत	संख्या	अनु. लागत	संख्या	अनु. लागत	संख्या	अनु. लागत	संख्या	अनु. लागत	संख्या	अनु. लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	600.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	4	1257.31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1406.04
4.	बिहार	8	1301.44	–	–	1	148.55	–	–	–	–	7	1167.36
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1115.45
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	7	1395.28	–	–	4	846.78	–	–	–	–	12	1450.34
8.	हरियाणा	4	512.82	–	–	8	1897.28	1	175.25	–	–	5	1410.30
9.	हिमाचल प्रदेश	2	626.00	–	–	1	188.00	1	1247.00	–	–	2	944.17
10.	जम्मू व कश्मीर	1	305.70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	झारखंड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	7	1371.45	–	–	4	1088.70	–	–	3	978.45	5	4319.81
13.	केरल	–	–	2	395.00	2	510.70	1	550.80	–	–	1	550.80
14.	मध्य प्रदेश	28	2559.35	7	917.00	9	1280.50	6	926.55	–	–	19	2887.01
15.	महाराष्ट्र	2	465.58	2	829.38	5	2063.18	–	–	–	–	–	–
16.	मणिपुर	3	340.88	–	–	3	653.54	–	–	1	141.09	1	206.23
17.	मेघालय	–	–	–	–	1	386.10	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	3	320.79	–	–	1	322.88	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	1	683.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	3	520.48	–	–	6	722.79	2	434.71	–	–	2	434.71
21.	पंजाब	1	102.61	–	–	–	–	2	153.75	–	–	3	343.24
22.	राजस्थान	–	–	–	–	9	1226.68	–	–	–	–	–	–
23.	सिक्किम	1	115.68	–	–	–	–	–	–	–	–	1	438.00
24.	तमिलनाडु	6	1396.10	–	–	8	1444.12	–	–	1	694.50	4	1017.62
25.	त्रिपुरा	1	288.14	–	–	3	800.97	–	–	–	–	2	821.85
26.	उत्तर प्रदेश	27	2389.54	1	97.07	67	6194.97	4	1550.11	22	1535.29	34	3113.78
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1434.91
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	10	1559.62	4	994.05	–	–	–	–	3	586.62
	योग	109	15952.15	22	3798.07	136	20769.79	17	5038.17	27	3349.33	117	24249.16

*वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए इन राज्यों से संबंधित आंकड़े उनके संबंधित मूल राज्यों में शामिल हैं।

विवरण-II

20,000 तक की आबादी (1991 जनगणना अनुसार) वाले कस्बों/शहरी समूहों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	श्रेणी IV (जनसंख्या 10,000-19,999)	श्रेणी V (जनसंख्या 5,000-9,999)	श्रेणी VI (जनसंख्या 5,000 से कम)	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	39	14	3	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	5	–	10
3.	असम	32	15	12	59
4.	बिहार	53	29	5	87
5.	गोवा	8	10	4	22
6.	गुजरात	74	44	9	127
7.	हरियाणा	30	20	2	52
8.	हिमाचल प्रदेश	7	9	34	50
9.	जम्मू व कश्मीर	6	17	24	47
10.	कर्नाटक	70	40	24	134
11.	केरल	34	6	–	40
12.	मध्य प्रदेश	177	30	5	312
13.	महाराष्ट्र	83	40	9	132
14.	मणिपुर	5	17	4	26
15.	मेघालय	2	2	–	4
16.	मिजोरम	3	5	11	19
17.	नागालैंड	3	2	–	5
18.	उड़ीसा	51	22	3	76
19.	पंजाब	44	16	7	67
20.	राजस्थान	87	22	1	10
21.	सिक्किम	–	–	7	7
22.	तमिलनाडु	80	35	7	122

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	7	4	2	13
24.	उत्तर प्रदेश	236	210	40	486
25.	पश्चिम बंगाल	33	34	6	73
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	1	–	–	1
29.	दमन व दीव	–	–	–	–
30.	दिल्ली	1	3	2	6
31.	लक्षद्वीप	–	4	–	4
32.	पांडिचेरी	2	2	–	4
	कुल	1173	757	221	2151

1981 की जनगणना अनुसार

विवरण-III

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी)

स्थिति 30.3.02

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कुल अनुमोदित योजना		योग
		संख्या	अनुमानित लागत	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	1494.40	361.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2467.00	303.53
3.	असम@	12	2357.77	857.24
4.	बिहार	12	1360.64	606.72#
5.	छत्तीसगढ़	27	2165.17	311.42
6.	गोवा	4	352.35	100.89
7.	गुजरात	25	3099.46	1453.31

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा@	25	4250.81	1791.04
9.	हिमाचल प्रदेश@	10	2244.25	824.53
10.	जम्मू व कश्मीर@	4	766.83	310.23
11.	झारखंड	9	1490.64	–
12.	कर्नाटक@	29	5437.08	2445.69
13.	केरल	5	1223.52	611.76
14.	मध्य प्रदेश	83	7414.11	4216.4##
15.	महाराष्ट्र	20	4906.52	2453.26
16.	मणिपुर	16	1880.76	905.11
17.	मेघालय	2	581.73	290.87
18.	मिजोरम	7	948.43	474.22
19.	नागालैंड	2	902.81	365.58
20.	उड़ीसा	20	2908.98	1454.49
21.	पंजाब	9	579.22	289.61
22.	राजस्थान@	41	4759.37	2146.49
23.	सिक्किम	1	115.68	57.84
24.	तमिलनाडु	36	5737.66	2548.80
25.	त्रिपुरा@	6	1500.33	658.35
26.	उत्तर प्रदेश@	226	17864.38	9155.44$
27.	उत्तरांचल@	11	2587.58	327.03
28.	पश्चिम बंगाल	9	1536.13	735.85
	योग	660	82933.61	36057.40

#झारखंड अंश शामिल

##छत्तीसगढ अंश शामिल

$उत्तरांचल अंश शामिल

@संशोधित लागत

'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना

***518. श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना के निष्पादन की समीक्षा करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में कमियां पाई गई हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए 25 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा एक अध्ययन किया गया था।

(ख) और (ग) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षण कक्ष, दो शिक्षक और अध्ययन-अध्यापन सामग्री होनी चाहिए। योजना के विषय में किए गए अध्ययन से यह पता चला कि शिक्षक, शिक्षण कक्ष, तथा अध्ययन-अध्यापन उपकरण की दृष्टि से आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में परिकल्पित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तथापि योजना के तहत निर्धारित इन न्यूनतम सुविधाओं के संबंध में कुछ खामियां रह गई हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि देश में शिक्षण कक्षों की औसत संख्या 1993 के 2.3 से बढ़कर 1999 में 3.3 हो गई है। असम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में औसत दो से अधिक शिक्षण कक्ष मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के लिए साझे शौचालयों की उपलब्धता 23.1 प्रतिशत तथा बालिकाओं के पृथक शौचालयों की उपलब्धता 14.6 प्रतिशत थी।

2. जहां तक शिक्षकों का संबंध है, 1999 में लगभग 85% प्राथमिक स्कूलों में दो या इससे अधिक शिक्षक थे जबकि 1986 में 71.5% प्राथमिक स्कूलों में ही ऐसा था। यह प्रतिशत सिक्किम, केरल तथा दिल्ली में शत प्रतिशत था, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 57.7%, बिहार में 74.9%, असम में 76.1%, मेघालय में 79% तथा उत्तर प्रदेश में 79.9% था। शेष सभी राज्यों में 80% से अधिक प्राथमिक स्कूलों में 2 या इससे अधिक शिक्षक थे। नये स्कूलों की संख्या में काफी वृद्धि तथा शिक्षकों के स्थानांतरण के कारण कुछ राज्यों में एकल शिक्षक स्कूल मौजूद थे।

3. यद्यपि अध्ययन अध्यापन उपकरण की स्कूलों को आपूर्ति की गई है, लेकिन शिक्षकों के अपर्याप्त प्रशिक्षण, टूट-फूट संबंधी डर, किटों को बदलने में होने वाली कठिनाई आदि के कारण इनका इष्टतम उपयोग नहीं देखा गया।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य विशिष्ट रिपोर्टें बांटी गई तथा नई दिल्ली में 25-26 फरवरी, 2002 को प्राथमिक शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में खामियों पर चर्चा की गई। सुधारात्मक उपाय करने के लिए सभी राज्यों से कहा गया है। अध्ययन में उजागर हुई कुछेक खामियों पर सर्व शिक्षा अभियान नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहले ही ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक 40 छात्रों के लिए एक शिक्षक की बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक हो। इसमें नियमित शिक्षक प्रशिक्षण, प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक शिक्षक के लिए कमरा और उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए कमरा, प्रति शिक्षक 500 रु. का अध्ययन अध्यापन सामग्री अनुदान तथा शामिल न किए गए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन-अध्यापन उपकरण का भी प्रावधान है।

प्रतिभा-पलायन

***519. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश से बढ़ते हुए प्रतिभा-पलायन की जानकारी है;

(ख) क्या अधिकांश युवा वैज्ञानिक भविष्य की संभावनाओं की कमी के कारण देश छोड़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना प्रारंभ की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश से प्रतिभा-पलायन को रोकने हेतु उठाये जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ युवा वैज्ञानिक उच्च शिक्षा/उन्नत अनुसंधान के लिए अन्य देशों को पलायन कर रहे हैं और उनमें से कुछ रूकना चाहते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा समय-समय पर बहिर्गमन को कम करने तथा विदेशों में बसे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों की भारत वापसी को आकर्षित करने के लिए कदम उठाये गए हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों में और अधिक उत्कृष्ट उन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।
- नए और अग्रिम विज्ञान क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं वाले व्यावसायिकों के कोर ग्रुपों का सृजन।
- उद्यमी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
- आनुक्रमिक पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि।
- नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में वैज्ञानिकों की कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उन्नत प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान करना।
- सह सदस्यता/फैलोशिप/पाठ्यक्रमों द्वारा श्रम शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुन: प्रशिक्षण।
- वैज्ञानिकों और तकनीकी विदों का वैज्ञानिक पूल योजना के अंतर्गत अस्थाई स्थानन का प्रावधान।
- अधिसंख्य पदों का सृजन।
- विदेशों में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित महिला और पुरुषों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रिम और उभरते क्षेत्रों में अल्पकालिक तकनीकी कार्यों के लिए निमंत्रण।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रेक योजना।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों का दौरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर (ब्याजकास्ट) फैलोशिप।
- स्वर्ण जयंती फैलोशिप।
- प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान एवं विकास को अपने कैरियर के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित तथा प्रेरित करने के लिए संपर्क कार्यक्रम।
- वैज्ञानिकों को विदेश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- प्रतिभाशाली विज्ञान छात्रों के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
- भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड आयोजनों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए एकीकृत विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी फैलोशिप।

वर्तमान विश्व व्यवस्था में वैज्ञानिक प्रतिभाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान में समानता और संतुलन लाने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में नए सुझावों का स्वागत करती है।

सभी के लिए शिक्षा

***520. श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी के लिए शिक्षा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की लक्षित तिथि में पुन: संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी योजना के कार्यान्वयन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 45 के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों में संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान की परिकल्पना की गई थी।

शिक्षा आयोग 1964-66 (कोठारी आयोग) ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि देश को 1975-76 तक पांच वर्ष की तथा 1985-86 तक सात वर्ष की अच्छी और कारगर शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध कराने की स्थिति में होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में यह कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 45 के नीतिनिर्देशक सिद्धांत को यथाशीघ्र मूर्तरूप देने का अथक प्रयास किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 यथासंशोधित 1992 में भी यह गया कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को संतोषजनक कोटि की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

यद्यपि इस दिशा में यथेष्ट प्रगति हुई है फिर भी प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य अभी भी अप्राप्य बना हुआ है। कई राज्यों में बढ़ती आबादी, बच्चों की स्कूल में पहुंच, नामांकन का कम होना तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाना आदि समस्याएं अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। यह स्थिति विशेष रूप से बालिकाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों, कामकाजी बच्चों, शहरी सुविधा विहीन बच्चों, विशेष जरूरत वाले बच्चों तथा उन वर्गों के बच्चों, जिन तक पहुंच पाना कठिन है, पर लागू होती है।

मिशन रूप में 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार ने नवम्बर, 2000 में सर्व शिक्षा अभियान नामक योजना शुरू की है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नवत हैं:-

* वर्ष 2003 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चे स्कूल/ शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक स्कूल/'स्कूल वापसी' शिविर में शामिल हों;
* वर्ष 2007 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें;
* वर्ष 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चे आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करें;
* जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा पर बल;
* महिला-पुरुष तथा सामाजिक श्रेणी में व्याप्त अंतर को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना;
* वर्ष 2010 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना ताकि कोई विद्यार्थी बीच में पढ़ाई न छोड़े।

(ग) से (ङ) अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2001-2002 के दौरान शुरू हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की कार्यनीतियों में लचीलापन रखा गया है।

तिहाड़ जेल में विशेष न्यायालय

5367. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जेल के प्राधिकारियों ने तिहाड़ जेल में विशेष न्यायालय आयोजित करने का प्रस्ताव किया है ताकि विचाराधीन कैदियों को जेल से न्यायालय और न्यायालय से जेल लाने के साथ-साथ उन पर होने वाले व्यय और कठिनाइयों में कमी लाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यय में कमी लाने के लिए दंडाधिकारियों एवं विचाराधीन कैदियों के बीच वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) इस संबंध में जेल प्रशासन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को प्रस्तुत एक प्रस्ताव को सिविल रिट याचिका में परिवर्तित कर दिया गया है और मामला निर्णयाधीन है।

(ग) और (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 में संशोधन करने का निदेश दिया है ताकि केन्द्रीय जेल, तिहाड़ विचारणाधीन कैदियों/अभियुक्तों

को उनका रिमांड बढ़ाने के लिए विडियो लिकेज सिस्टम के माध्यम से मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके।

[हिन्दी]

न्यायालयों में सुरक्षा

5368. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तीस हजारी न्यायालय में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था का पूर्णत: अभाव है जो गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का केन्द्र बिन्दु रही है;

(ख) क्या दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों में यही स्थिति है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दिल्ली स्थित न्यायालयों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी न्यायालय की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए हैं तथा न्यायालय परिसर में स्थित पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कार्मिकों की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी की गई है। अन्य निचले न्यायालयों में भी उनकी अपेक्षाओं के अनुसार सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली में न्यायालयों की सुरक्षा की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है तथा जब कभी आवश्यक होता है, अतिरिक्त बल की तैनाती की जाती है।

[अनुवाद]

तहबाजारी संबंधी अधिकार

5369. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 के अपने फैसले में दिल्ली नगर निगम से उन लोगों को तहबाजारी अधिकार को देने के लिए कहा था जो 1970 से 1982 के बीच अवैध कब्जा कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तहबाजारी की अनुमति उन लोगों को दी जानी थी जिन्होंने 1983 के बाद कारोबार करना शुरू किया था बशर्ते की स्थान उपलब्ध हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय के ये निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय के फेरी वालों की बड़ी संख्या से संबंधित सुझावों का विरोध करते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या फेरी वालों की संख्या से संबंधित अस्पष्ट आकलन ने समस्या में वृद्धि की है और लगभग 6 लाख फेरी वाले अनाधिकृत रूप से कारोबार में लगे हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या फेरी वालों की संख्या पर रोक न लगाने से सार्वजनिक भूमि पर भीड़ एवं अतिक्रमण जारी रहेगा और इसमें वृद्धि होती रहेगी; और

(ज) यदि हां, तो इस समस्या पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भीड़-भाड़ एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1970 से 1982 के बीच पटरियों पर फेरी द्वारा सामान बेचने वाले 2284 आवेदक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तहबाजारी समिति/आर.सी. चोपड़ा समिति द्वारा पात्र पाए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली नगर निगम की सूचना के अनुसार 1983 के बाद पटरियों पर फेरी द्वारा सामान बेचने वाले 2626 आवेदक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तहबाजारी समिति/आर.सी. चोपड़ा समिति द्वारा पात्र पाए गए थे।

(ङ) से (ज) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश प्रधान मंत्री कार्यालय के फेरीवालों की पाबंदी रहित संख्या के सुझाव के प्रतिकूल नहीं है। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा दिए गए सुझाव नीतिगत सुधार पर बल देने तथा वैकल्पिक नियामक प्रणाली निश्चित करने के बारे में है। फेरी लायसेंस जारी करने के लिए दिल्ली नगर निगम की वर्तमान नीति में यह तय किया गया है कि फेरी लायसेंस देने के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने खुले आसमान के नीचे 6×4'' के फेरी स्थल के आवंटन हेतु गैंडा राम केस की स्कीम के अंतर्गत आवेदन किया था और जिनके आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं अथवा यदि स्वीकार किए गए हैं तो उसे निर्धारित जोन के भीतर आवंटित स्थल का कब्जा नहीं सौंपा गथा है।

'टूवार्डस् फ्रीडम वाल्यूमस्' पर श्वेत-पत्र

5370. श्री सुबोध मोहिते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने 'टूवार्डस् फ्रीडम वाल्यूमस्' पर श्वेत-पत्र प्रकाशित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रकाशन में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक प्रकाशित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि परिषद् ने 'टूवार्डस् फ्रीडम वाल्यूमस्' पर स्थिति बताने वाला एक पत्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। पाठ निर्माणाधीन है।

[हिन्दी]

वास्तुविदों की सेवा शर्तें

5371. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवा में नियुक्त वास्तुविदों को निजी क्षेत्र के लिए योजना बनाने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे देश में इस मामले के संबंध में एकरूपता है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय वास्तुविद् परिषद् ने इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सरकारी सेवा में वास्तुविदों की सेवा संबंधित नियोक्ता अर्थात् केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रमों/निकायों द्वारा शासित होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

5372. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना वर्तमान सुनिश्चित रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से किस प्रकार भिन्न है; और

(ग) इस नवीन योजना के ग्रामीण विकास में किस प्रकार सहायक होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पूर्ववर्ती सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) से निम्न प्रकार भिन्न हैं:

(1) ई.ए.एस. और जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्नों का प्रावधान नहीं था, जबकि एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्न योजना का मुख्य भाग है।

(2) एस.जी.आर.वाई. का स्वरूप अधिक स्वलक्षित है।

(3) एस.जी.आर.वाई. के द्वितीय चरण में निर्धारित निधियों का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसावटों में ढांचागत सुविधा प्रदान करने के लिए होगा। ई.ए.एस. और जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

(4) पहले जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियों का 22.5 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए निर्धारित था, अब इस घटक को एस.जी.आर.वाई. के प्रथम चरण का हिस्सा बनाया गया है।

(5) एस.जी.आर.वाई. के द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक निश्चित न्यूनतम राशि देने का प्रावधान किया गया है ताकि उपयुक्त परिसंपत्तियां सृजित की जा सकें।

(6) पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों अर्थात् जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को अपनी-अपनी वार्षिक कार्य योजना बनाने और स्वीकृत करने तथा अपनी निधियों में उनके हिस्से का उपयोग करने में स्वतंत्र बनाया गया है।

(7) ई.ए.एस. और जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों की अपेक्षा एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत अधिक संसाधन उपलब्ध हैं।

(ग) यह योजना खाद्य सुरक्षा सहित अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करेगी तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित ढांचागत निर्माण होगा।

इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से भागों का काटा जाना

5373. श्री टी. गोविन्दन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालयों को यह लिखा था कि इतिहास की कई पाठ्य पुस्तकों से कुछ खंडों का काटा जाना सुनिश्चित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने से सम्बद्ध विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को न पढ़ाने अथवा उनके कुछ हिस्सों से प्रश्न न निर्धारित करने के निदेश दिए थे। हटाए गए हिस्सों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

कक्षा 6- प्राचीन भारत-रोमिला थापर

- वस्ताव में .....गायें देनी पड़ती थी-वैदिक युग का जीवन-पेज-38

कक्षा 8- आधुनिक भारत-अर्जुन देव, इंदिरा अर्जुन देव

- उसी दौरान दिल्ली.....में भी भाग लिया-अठारहवीं सदी का भारत-पेज-20

कक्षा 11-प्राचीन भारत-रामशरण शर्मा

- इस द्वितीय कोटि.....पाई गई है-प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, पेज-7
- पुराणों में.....बताया जा चुका है-स्त्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, पेज-22
- दक्षिण पूर्वी राजस्थान.....क्षेत्र में फैले हैं-ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां, पेज-49-50
- परन्तु इसके विपरीत.....क्षीण होता गया-जैन और बौद्ध धर्म, पेज-99
- वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय: जैन धर्मावलम्बियों का.....तक नहीं हुआ था-जैन और बौद्ध धर्म, पेज-101-102
- ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया: अशोक की नीति.....अशोक ने उपेक्षा की थी-मौर्य शासन का महत्व, पेज-150
- वर्ण व्यवस्था: भारत में धर्म के.....जमा दी थी-विज्ञान और सभ्यता की विरासत, पेज-263-264

कक्षा-11-मध्यकालीन भारत-सतीश चंद्र

सिख : हालांकि शाहजहां.....सकता था-मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन-1, पेज-328-330

आदिम जनजातियों का कल्याण

5374. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश की आदिम जनजातियों के कल्याण हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आदिम जनजातियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उनका वर्तमान जीवनस्तर कैसा है; और

(ग) उनके उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिम जनजातीय समूहों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य योजना स्कीमों से पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का

अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को ''आदिम जनजातीय समूहों के विकास'' की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत ऐसी मदों/कार्यकलापों के लिए 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जो यद्यपि आदिम जनजातीय समूहों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथापि, विद्यमान किसी भी योजना से उनके लिए विशिष्टतया सहायता नहीं दी जाती। इस योजना के अंतर्गत, चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट में 20.00 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

अकृषित/अपक्षीण बंजर भूमि का उपयोग

5375. श्री मोहन रावले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिलियन हैक्टेयर में फैली अकृषित एवं अपक्षीण बंजर भूमि के उपयोग हेतु किसी व्यापक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनसे न तो ग्रामीण जनसंख्या को और न ही देश को कोई लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग अकृष्य निजी भूमि सहित बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि को, इसे उत्पादनकारी उपयोग में लाकर और बायोमास विशेषरूप से ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाकर विकसित करने तथा तीन मुख्य कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के जरिये इसे आगे और अवक्रमित होने से रोकने का भी कार्य करता है। इन कार्यक्रमों को 1.4.1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाटरशेड पद्धति के जरिये कार्यान्वित किया जा रहा है। तब से लेकर 37.22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत 423 परियोजनाएं, 68.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के तहत 13,790 परियोजनाएं और 33.56 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विकसित करने के लिए मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के तहत 6712 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

रसायन उद्योग का बचे रहना

5376. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन उद्योग से संबंधित कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इस उद्योग की वृद्धि दर 14 प्रतिशत से गिर कर 3-4 प्रतिशत तक आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के रसायन उद्योग को बचाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय रसायन उद्योग (पेट्रो रसायनों, भेषजों और उर्वरकों को छोड़कर) की लाभदेयता जो 1994-95 में 6.3% थी, वह 1998-99 में घटकर 0.8% रह गई है। इसी अवधि में सकल नियत परिसम्पत्तियों के सृजन की वृद्धि 21.8% से घटकर 9.5% रह गई है। जैसा कि कृतक बल द्वारा नोट किया गया है, रसायन उद्योग की वृद्धि को परिसीमित करने के मुख्य कारण-अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा, संयंत्रों का गैर किफायती आकार, उच्च बिजली लागत, अक्षम प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, मूल फीडस्टाक के उच्च मूल्य, आदि हैं।

(ग) कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को मार्च, 2002 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में की गई अधिकांश सिफारिशों/सुझावों के लिए व्यापक अंतर-मंत्रालयीय परामर्श और राज्य सरकारों तथा उद्योग संघों के साथ विस्तृत परामर्श किया जाना अपेक्षित होगा।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति

5377. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एवं आज तक की तिथि तक आयोजित की गई हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों का ब्यौरा क्या है और इनमें क्या निर्णय लिए गए; और

(ख) उक्त समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की 17.10.2000 को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सदस्यों द्वारा 13 सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

(ख) समिति की अगली बैठक शीघ्र बुलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

औषधि मूल्य-नियंत्रक प्रणाली

5378. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधि मूल्य नियंत्रण प्रणाली के संबंध में नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथारिटी एवं नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में ''भेषज नीति-2002'' घोषित की है। इस नीति को तैयार करते समय रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने मूल्य नियंत्रण हेतु प्रपुंज औषधों की पहचान करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के जरिए राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की मदद से वांछित डेटाबेस विकसित किया है।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन

5379. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) 9 अप्रैल, 2002 में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को शीघ्र और प्रभावी रूप से वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सौंपने के लिए संविधान में उपयुक्त नया संशोधन करने की आवश्यकता पर बहस के प्रस्ताव का स्वागत किया गया और इस संदर्भ में प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

समुद्र के नीचे स्वर्ण खनन

5380. श्री जे.एस. बराड़: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र के नीचे सोना पाए जाने की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समुद्र के नीचे स्वर्ण खनन कार्य शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। खनन विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण का समुद्री विंग अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र संस्तर सर्वेक्षण कर रहा है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सर्वेक्षणों के दौरान उड़ीसा तट से दूर स्वर्णरेखा नदी मुहाने से आगे सोना पाया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। उड़ीसा तट से दूर पाया गया सोना वर्तमान में आर्थिक महत्व का नहीं है और खनन कार्य शुरू करने का विचार नहीं है।

रुग्ण रसायनिक कंपनियां

5381. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक रसायनिक उपक्रम बंद होने के कगार पर हैं जो रूग्ण घोषित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को अपने संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों, विशेषत: महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को भारी धनराशि का भुगतान करना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन बकाया धनराशि की अदायगी हेतु क्या कार्रवाई की गई है और इनकी अदायगी कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) रसायन क्षेत्र में किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल.) तथा हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच.आई.एल.) को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत रूग्ण घोषित नहीं किया गया है। तथापि, एच.आई.एल. ने बी.आई.एफ.आर. को सूचित किया है कि इसके नेट वर्थ में पचास प्रतिशत से अधिक की कमी आयी है। दोनों कंपनियां, राज्य विद्युत बोर्डों को नियमित रूप से बकायों का भुगतान कर रही हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

5382. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री शशि कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान संबंधी परियोजना स्वीकृति बोर्ड (प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड) ने कर्नाटक में लगभग 11 जिलों के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना स्वीकृति बोर्ड ने पूरे देश में लगभग 22 परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को वर्ष 2003 तक प्राप्त किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा योजना को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) बोर्ड द्वारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों में चयन किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने वर्ष 2001-2002 के लिए कर्नाटक के 27 जिलों हेतु जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं को अनुमोदित किया था।

(ख) परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने वर्ष 2001-2002 के लिए 512 जिलों के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं अनुमोदित की थीं।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूलों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक समूहों, स्कूल शिविरों में वापसी आदि के माध्यम से वर्ष 2003 तक सर्वसुलभ नामांकन की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के तहत, जिलों की सभी जरूरतों तथा मूल्यांकन दल की रिपोर्ट के आधार पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने वार्षिक योजनाओं को अनुमोदित किया है।

(ङ) परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के जिन जिलों के लिए वार्षिक योजनाएं अनुमोदित की हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	जिला
1	2
1.	अदिलाबाद
2.	अनन्तपुर
3.	चित्तूर
4.	कुडप्पा
5.	पूर्वी गोदावरी
6.	गुंटूर
7.	हैदराबाद

1	2
8.	करीमनगर
9.	खम्माम
10.	कुरनुल
11.	कृष्णा
12.	मेडक
13.	महबूबनगर
14.	नलगौंडा
15.	नैल्लोर
16.	निजामाबाद
17.	प्रकासम
18.	रंगारेड्डी
19.	श्रीकाकुलम
20.	विशाखापट्टनम
21.	विजयनगरम
22.	वारंगल
23.	पश्चिमी गोदावरी

कर्नाटक

1	2
1.	बागलकोट
2.	बंगलौर (दक्षिणी)
3.	बंगलौर (उत्तरी)
4.	बेलगांव
5.	बेल्लारी
6.	बीदर
7.	बीजापुर
8.	कामराजनगर
9.	चिकमंगलूर
10.	चित्रदुर्गा
11.	दक्षिणी कन्नड़
12.	दावनगेर
13.	धारवाड़
14.	गडग
15.	गुलबर्ग
16.	हसन
17.	हवेरी
18.	कोडागु (कुर्ग)
19.	कोलार
20.	कोपाल
21.	मांडया
22.	मैसूर
23.	रायचूर
24.	शिमोगा
25.	टुमकुर
26.	उडुपी
27.	उत्तर कन्नड़

[हिन्दी]

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से तस्करी संबंधी गतिविधियां

5383. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित अन्य अंतर्राष्ट्रीय आंतकवादी संगठन राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से विस्फोटकों, घातक हथियारों, स्वापक पदार्थों, जाली नोटों की तस्करी कर रहे हैं और आतंकवादियों की घुसपैठ भी करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान घटित हुई हैं;

(ग) ऐसी गतिविधियों में संलिप्त कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे कौन-कौन सी वस्तुएं बरामद हुई हैं;

(घ) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और किन विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने हेतु अपनाए जा रहे सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में नारकोटिक्स, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी की कुछ घटनाएं सूचित की गई हैं।

(ख) से (घ) चूंकि 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं अत: इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) राजस्थान सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का काम शुरू किया है। सीमा सुरक्षा बल की गश्त को सुगम बनाने के लिए राजस्थान सीमा पर 200 कि.मी. सड़क का निर्माण भी किया गया है।

ऐसी अवैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने भी सुसमन्वित बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तन्त्र को चुस्त दुरूस्त बनाना, सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना, पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण करना, सीमा की सुरक्षा की रक्षा करने वाले बलों की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, भूमि और नदी तटीय सीमाओं, दोनों पर गश्त गहन करना, भारत-पाकिस्तान सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आधुनिक उपस्करों को शामिल करना शामिल है।

इसके अलावा, स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं जिसमें आतंकवाद विरोधी एक प्रकोष्ठ स्थापित करना, सीमा पर आसूचना आधारभूत संरचना को सुदढ़ करना और संवेदनशील एवं सामरिक महत्व वाले जिलों में जिला प्राधिकारियों को नियमित रूप से सुग्राही बनाना शामिल है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप पाक समर्थित विभिन्न माड्यूलों का पता लगाया गया और उन्हें निष्क्रिय किया गया है।

[अनुवाद]

"कापार्ट" द्वारा प्राप्त/स्वीकृत परियोजनाएं

5384. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तिथि के अनुसार "कापार्ट" द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): कपार्ट की स्थापना से लेकर अब तक कपार्ट को प्राप्त एवं अनुमोदित परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कपार्ट की स्थापना से लेकर अब तक कपार्ट को प्राप्त और इसके द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे

(1 सितम्बर, 1986 से 23 अप्रैल, 2002)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान निकोबार	8	5
2.	आंध्र प्रदेश	11,074	2,648
3.	अरुणाचल प्रदेश	28	17
4.	असम	810	321
5.	बिहार	5,553	1,895
6.	चण्डीगढ़	31	17
7.	छत्तीसगढ़	163	70
8.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य
9.	दिल्ली	923	450
10.	गोवा	6	4
11.	गुजरात	1,360	755
12.	हरियाणा	1,166	469

1	2	3	4
13.	हिमाचल प्रदेश	685	291
14.	जम्मू व कश्मीर	234	77
15.	झारखण्ड	897	355
16.	कर्नाटक	2,256	740
17.	केरल	1,754	666
18.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
19.	मध्य प्रदेश	1,169	428
20.	महाराष्ट्र	1,990	793
21.	मणिपुर	2,436	588
22.	मेघालय	29	21
23.	मिजोरम	117	58
24.	नागालैण्ड	316	50
25.	उड़ीसा	3,289	1,193
26.	पांडिचेरी	40	13
27.	पंजाब	80	37
28.	राजस्थान	1,275	310
29.	सिक्किम	2	1
30.	तमिलनाडु	5,207	1,585
31.	त्रिपुरा	61	24
32.	उत्तर प्रदेश	9,585	3,542
33.	उत्तरांचल	811	350
34.	पश्चिम बंगाल	8,259	2,754
	कुल	61,614	20,527

राष्ट्रीय खेल नीति

5385. श्री सुनील खां: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) नई राष्ट्रीय खेल नीति की पहले ही घोषणा की जा चुकी है और वह कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

सीमावर्ती क्षेत्रों को पार करने वाले ग्रामीण

5386. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में ''30 विलेजर्स क्रास ओवर पाकिस्तान आक्युपाइड कश्मीर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थानांतरित हो गए हैं और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं तथा स्वयं को पाकिस्तान का दौरा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के समक्ष भारतीय अत्याचारों के पीड़ितों के रूप में प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार को समाचार की जानकारी है। 11/12 अप्रैल, 2002 के बीच की रात को, जिला पुंछ के गांव कन्तारी (सेक्टर सजियान) के चार परिवारों, जिसमें 30 सदस्य थे, न नियंत्रण रेखा पार की। जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है इन परिवारों के पाक अधिकृत कश्मीर में चले जाने का कारण भूमि विवाद बताया जाता है।

(ग) और (घ) पाक अधिकृत कश्मीर में प्राधिकारी, ऐसे परिवारों को मीडिया और अन्य के सामने प्रस्तुत करके इनकी मौजूदगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। इन प्रवासियों को, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा उत्पीड़न और अत्याचारों की झूठी कहानियां कहने के लिए अत्यधिक यातनाएं दी जाती हैं।

(ङ) राज्य सरकार ने बताया है कि इस घटना को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप इस तरफ से लोगों का पलायन कुल मिलाकर बंद हो गया है।

जैव-प्रौद्योगिकी बाजार को प्रोत्साहन

5387. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जैव-प्रौद्योगिकी बाजार को बढ़ावा देने के बारे में गंभीर है क्योंकि देश में इस क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय भूमिका निभाने की भारी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए रचनात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जैव-प्रौद्योगिकीय प्रोटोकाल प्रणाली को विनियमित करने हेतु कोई प्रणाली विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) महोदय, भारत सरकार जैव-प्रौद्योगिकी बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए सतत प्रयास कर रही है। जैवप्रौद्योगिकी बाजार के प्रोत्साहन हेतु उठाये गये कदमों में शामिल हैं- जहां जरूरी हो, आयातित जैवप्रौद्योगिकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाना, जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करना, एफ आई पी बी परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु उपाय शुरू करना, विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ आई आई ए) आदि के तहत फास्ट ट्रैक समितियों (एफ टी सी) का गठन इत्यादि। औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए आसान ऋणों को उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी डी बी) और फार्मेस्युटिकल अनुसंधान एवं विकास सहायता कोष (पी आर डी एस एफ) की स्थापना की है। कतिपय जैवप्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए प्रोत्साहन जैसे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 से छूट, अनुसंधान एवं विकास व्यय आदि पर भारित कटौती के 150% की अनुमति दी गई है। सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु वैज्ञानिकों/अनुसंधानकर्त्ताओं/उद्यमियों/संस्थानों/कंपनियों को मान्यता प्रदान करने के लिए पुरस्कार शुरू किए हैं।

(ग) और (घ) आनुवंशिक तरीके से परिष्कृत जैविकों (जी एम ओ) एवं उत्पादों के विनियमन हेतु सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 1989 में नियमों को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत केन्द्र सरकार स्तर पर सक्षम प्राधिकरण स्थापित किए जाते हैं। सरकार द्वारा अनुसंधान एवं खेत परीक्षण स्तर पर जी एम ओ एवं उत्पादों की देखरेख के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भी प्रकाशित किए गए हैं। विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए जी एम ओ एवं उत्पादों संबंधी सभी आवेदनों के निबटान हेतु एक वरिष्ठ वैज्ञानिक की अध्यक्षता में बायोटेक्नोलाजी विभाग में एक एकल खिड़की आवेदन निबटान कक्ष (एस डब्ल्यू ए पी सी) की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का आधुनिकीकरण

5388. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कारगिल युद्ध के बाद गठित मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी बटालियन बढ़ाये जाने की संभावना है; और

(घ) आधुनिकीकरण प्रक्रिया में कुल कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आधुनिक और अधुनातन हथियार और उपस्कर आदि शामिल करके केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की मारक क्षमता का उन्नयन करने की दृष्टि से एक भावी पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना तैयार की गई है।

(ग) पांच वर्षों की अवधि के भीतर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 64 अतिरिक्त बटालियनें (7 ग्रुप केन्द्रों सहित) और 121 कम्पनियां खड़ी करने की योजना बनाई गई है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) पर होने वाला व्यय निम्न प्रकार है:-

(1) हथियार और उपस्कर आदि का आधुनिकीकरण 542.75 करोड़ रुपए

(2) अतिरिक्त स्थापना के लिए 2351.55 करोड़ रुपए

समेकित बंजर भूमि परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक को दूसरी किस्त का जारी किया जाना

5389. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के जिलों विशेषकर कोप्पल और बीदर हेतु समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना के अंतर्गत दूसरी किस्त को जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत उक्त जिलों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) राज्य के इन जिलों को दूसरी किस्त कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) एक मांग आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) वाले ब्लाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से प्रति वर्ष स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावों के बारे में प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। बीदर जिले में 12,485 हैक्टेयर भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत 499.40 लाख रुपये की कुल लागत पर एक परियोजना वर्ष 1998-99 से 2002-2003 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दूसरी किस्त (कुल परियोजना लागत का 10%) सहित अभी तक 174.79 लाख रुपये की राशि जारी की गयी है। कोप्पल जिले में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत कोई भी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। कर्नाटक के विभिन्न जिलों के लिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी निधियों (वर्ष-वार) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 30.4.2002 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5389 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण कर्नाटक राज्य में आई.डब्ल्यू.डी.पी. के तहत जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल लागत						कुल जारी निधियां
					97-98	98-99	99-00	2000-01	2001-02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मांडया-II	97-98 से 2001-02	12500	500.00	75.00	–	50.00	98.03	–	223.03
2.	गुलबर्गा-I	97-98 से 2001-02	11847	474.00	71.08	142.22	–	93.89	51.29	358.48
3.	चित्रदुर्गा	97-98 से 2001-02	12500	500.00	75.00	–	48.42	97.93	–	221.35
4.	बेल्लारी	97-98 से 2001-02	12140	485.60	72.84	–	48.56	92.76	–	214.16
5.	बेलगांव	98-99 से 2002-03	12481	499.24	–	74.88	–	–	–	74.88
6.	बेल्लारी-II	98-99 से 2002-03	12400	490.00	–	73.50	–	–	46.93	120.43
7.	कोलार	98-99 से 2002-03	12239	489.56	–	73.43	48.36	–	93.41	215.20
8.	टुमकर-III	98-99 से 2002-03	12412	496.48	–	74.47	46.12	–	97.00	217.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	बीदर	98-99 से 2002-03	12485	499.40	–	74.91	99.88	–	–	174.79
10.	बेलगांव-II	99-00 से 03-04	12126	485.04	–	–	72.75	–	48.50	121.25
11.	गुलबर्गा-II	99-00 से 03-04	11999	479.96	–	–	71.99	–	46.30	118.29
12.	बंगलौर, ग्रामीण	99-00 से 03-04	12500	500.00	–	–	75.00	–	50.00	125.00
13.	कोलार-II	99-00 से 03-04	12000	480.00	–	–	72.00	–	–	72.00
14.	रायचुर	99-00 से 03-04	12375	495.00	–	–	74.25	49.50	97.34	221.09
15.	मैसूर	2001-02 से 05-06	7960	477.60	–	–	–	–	65.67	65.67
16.	मांडया-III	2001-02 से 05-06	7000	420.00	–	–	–	–	57.75	57.75
17.	चित्रदुर्गा-II	2001-02 से 05-06	7980	478.80	–	–	–	–	65.84	65.84
18.	हावेरी	2001-02 से 05-06	7000	420.00	–	–	–	–	57.75	57.75
19.	शिमोगा	2001-02 से 05-06	6575	394.50	–	–	–	–	4.00	4.00
20.	रायचुर-II	2001-02 से 05-06	7000	420.00	–	–	–	–	4.00	4.00
21.	कोलार-III	2001-02 से 05-06	4716	282.96	–	–	–	–	4.00	4.00
22.	देवनगिरी	2001-02 से 05-06	6999	419.94	–	–	–	–	4.00	4.00
	उपयोग		227234	10188.08	293.92	513.41	707.33	432.11	793.78	2740.55

दसवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

5390. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दसवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के कुछेक उपक्रमों का विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनावधि के दौरान विनिवेश हेतु सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों का चयन किया गया है;

(ग) इस योजनावधि में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी की बिक्री से संसाधनों को जुटाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दसवीं योजनावधि के दौरान विनिवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और विनिवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की किसी सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, ''दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित दस्तावेज'' में 2002-2007 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा धारित 78,000 करोड़ रुपए की इक्विटी बेचने पर विचार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश में एक सतत प्रक्रिया है। प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार करती रहती है। प्रस्तावों पर अंतर्मंत्रालयी परामर्शों के माध्यम से विचार किया जाता है और अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। वर्ष 2002-2003 के लिए वार्षिक लक्ष्य 12,000 करोड़ रुपए है। चालू वर्ष के दौरान लगभग 32 उद्यमों के विनिवेश पर इस

समय कार्रवाई की रही हैं:- एयर इंडिया लि., बामर लारी एण्ड कंपनी लि., भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि., भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि., ब्रेथवेट एण्ड कंपनी, बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कंपनी, इंजीनियर्स इण्डिया लि., इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि., हिन्दुस्तान साल्टस लि., इंडियन एयरलाइंस लि., मद्रास फर्जिलाइजर्स लि., मेकान लि., भारत खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय उर्वरक लि., नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., नेशनल इंस्ट्रूमैन्टस लि., शिपिंग कार्पो. आफ इण्डिया लि., स्पांज आयरन इण्डिया लि., भारत राज्य व्यापार कंपनी निगम लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., टायर कार्पो. आफ इण्डिया लि., मारूति उद्योग लि., इंडिया पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि., भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लि., नेपा लि., इंस्ट्रूमैंटेशन कंट्रोल वाल्बस लि., भारत पर्यटन विकास निगम (शेष होटल) और होटल कार्पो. आफ इण्डिया (शेष होटल)। चूंकि नीति और क्रियाविधियों को कारगर और सर्व-स्वीकार्य बनाया गया है, विनिवेश मंत्रालय 2002-2003 के वार्षिक लक्ष्य को पूरा कर लेने के प्रति आशावान है।

(घ) और (ङ) जैसा कि पहले बताया गया है कि विनिवेश, एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक सौदे को निर्णय लेने की विस्तृत प्रक्रिया अर्थात् संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और शेयर धारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श से होकर गुजरना पड़ता है। विनिवेश के लक्ष्य की प्राप्ति, बाजार परिस्थितियों, विचाराधीन कम्पनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन, बिक्री के निबंधन और शर्तों, संभावित बोलीदाताओं की अभिरूचि और बोली मूल्य की पर्याप्तता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। तथापि, विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें सलाहकारों तथा अन्य मध्यस्थों (विधिक सलाहकार, परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक आदि) के चयन में क्रियाविधियों को सुगम बनाना/उनका मानकीकरण करना, जहां व्यवहार्य हो गतिविधियां साथ-साथ आरंभ करना, व्यापार संघों के प्रतिनिधियों (जब कभी आवश्यक हो) सहित विभिन्न शेयरधारकों के साथ परामर्श, विनिवेश आयोग का पुनर्गठन, स्वतंत्र तथा व्यवसायिक सलाह के लिए (ओ एन जी सी, गेल और आई ओ सी को छोड़कर) ''गैर-सामरिक'' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आयोग को संदर्भित करने का निर्णय शामिल है ताकि उनकी सलाह पर आधारित विनिवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों की अच्छी-खासी सूची बनाई जा सके। जब कभी आवश्यकता होती है, प्रत्येक सौदे के अनुभव के आधार पर, सौदे को बंद करने/पूरा करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए विनिवेश प्रक्रिया को और परिष्कृत किया जाता है।

पासपोर्ट के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन

5391. श्रीमती प्रभा राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट से संबंधित पुलिस सत्यापन के मौजूदा नियम अवैध नागरिकों की पहचान कर उन्हें अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां विदेशियों की घुसपैठ होती है ऐसे नियमों का प्रारूपण नए सिरे से करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ताकि वे देश के नियमित मतदाता और नागरिक न बन सकें;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टाडा के अंतर्गत कैदी

5392. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टाडा के अंतर्गत निरुद्ध ऐसे कैदियों की संख्या कितनी है, जो अब भी जेल में हैं; और

(ख) उनके मामलों के निपटान में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) चूंकि, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जेलों में बंद कैदियों की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से गृह मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जा रही है। इन मामलों की उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत गठित राज्य पुनरीक्षा समितियों द्वारा राज्य स्तर पर समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही हैं। लंबित टाडा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

आवासीय क्षेत्रों में भवनों का वाणिज्यिक उपयोग

5393. श्री अरुण कुमार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 20 फरवरी, 2002 को केन्द्र सरकार से दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में 12.5 मीटर ऊंचाई वाले घरों की संख्या का ब्यौरा देने वाला शपथपत्र दाखिल करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को यह शपथपत्र भी दाखिल करने के लिये निर्देश दिया है कि वह राजधानी के आवासीय क्षेत्रों में भवनों का वाणिज्यिक उपयोग रोकने के लिए क्या कार्रवाई करना चाहता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और दिल्ली नगर निगम ने जरूरी शपथपत्र दाखिल कर दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वाणिज्यिक गतिविधियों की परिभाषा क्या है;

(छ) क्या आवासीय भवन में कार्यालय चलाना उस परिभाषा के अंतर्गत आता है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार ने सरकारी भवनों में साइकिल/स्कूटर/कार स्टैंडों को वाणिज्यिक प्रयोजनों इत्यादि हेतु बदल दिया है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जी हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.2.2002 को भारत संघ से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में मौजूद 12.5 मी. से अधिक की कुल ऊंचाई वाले रिहायशी भवनों अथवा उन भवनों की संख्या का उल्लेख हो, जिनके नक्शे रिहायशी प्रयोजन के लिए पारित किए गए थे, चाहे उनका वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया हो।

दिल्ली नगर निगम को एक हलफनामा दाखिल करने का भी निदेश दिया गया था, जिसमें रिहायशी क्षेत्रों में भवनों का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने संबंधी दुरूपयोग को रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का उल्लेख हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के जवाब में भारत संघ ने दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए सैम्पल सर्वे पर आधारित अपने निवेदन दाखिल किए थे। दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी सम्पत्तियों के दुरूपयोग, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का ब्यौरा तथा समय-समय पर विशेषकर 1.1.2000 से 28.2.2002 तक अपने क्षेत्र में इन प्रावधानों के अंतर्गत उसके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपना हलफनामा भी दाखिल किया था।

(च) से (ज) व्यापार और व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलाप वाणिज्यिक क्रियाकलाप कहलाते हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान-2001 और जोनल प्लान में मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत रिहायशी क्षेत्र में कुछ दुकानों की अनुमति दी गई है, जो कुछेक अनुबंधों के अध्यधीन है, जिसमें कुछ प्रकार की दुकानों की अनुमति नहीं है/वर्जित हैं। अनुमोदित जोनल प्लानों में मिश्रित भू-उपयोग गलियों की पहचान कर ली गई है, जहां रिहायश के अलावा अन्य क्रियाकलाप की भी अनुमति दी गई है।

सरकार की दिनांक 23.7.1998 की अधिसूचना के तहत रिहायशी प्लाटों तथा फ्लैटों के किसी भी तल पर इस शर्त पर व्यवसायिक क्रियाकलाप की अनुमति दी गई है कि परिसर के हिस्से का अधिकतम 5% फर्शी क्षेत्र अनुपात अथवा 100 वर्ग मी. जो भी कम हो, व्यवसायिक कौशल पर आधारित सेवाओं के देने के लिए गैर-रिहायशी लेकिन शोर रहित, क्रियाकलापों के लिए उपयोग हेतु अनुमति दी जाएगी।

(झ) और (ञ) जी, नहीं। सरकारी वास (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 (एस आर-317-बी-21) के प्रावधानों के तहत कोई कार्मिक, जिसे वास आबंटित किया गया हो, वास अथवा उसके किसी हिस्से का, निर्धारित प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकता।

सरकारी मकानों में लोहे के दरवाजों को पेंट किया जाना

5394. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** दिनांक 28.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5384 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आवंटियों द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों के सरकारी मकानों में 10% भुगतान पर लोहे के दरवाजों को नियमित अंतराल पर पेंट नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 10% राशि के भुगतान के बाद भी पक्की चार दिवारी का निर्माण और उस पर कंटीली तार लगाकर उन्हें इस स्तर तक ऊंची नहीं बना रहा है ताकि कोई घुसपैठिया उन्हें पार न कर सकें और गोपनीयता हेतु लोहे के दरवाजों पर इस्पात की चादरें भी नहीं लगाई जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कालोनियों में कालोनीवार कितनी लाफ्ट टंकियों की सफाई की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) 10% का भुगतान करने पर लगाए गए लोहे के गेटों को, धन उपलब्ध होने पर नियमित रूप से पेंट (रंग रोगन) किया जाता है।

(ग) और (घ) जिन व्यक्तियों को गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा दी गई है उनके मकानों के चारों ओर पक्की चहारदीवारी के साथ-साथ कंटीले तारों की बाड/ग्रिल लगाई गई है। इसी तरह विभिन्न सरकारी कालोनियों में सुरक्षा उपाय के रूप में चहारदीवारी बनाई जा रही है।

घरेलू दूर्वा परिसर (लॉन) पर बाड़ के साथ लोहे के गेट लगाए जाते हैं किन्तु उन पर स्टील चादरें नहीं लगाई जाती। इस प्रकार की चद्दरें लगाने का न तो कोई प्रावधान है और न ऐसा करना किफायत व सौंदर्यपरक दृष्टि से उचित होगा।

(ङ) उपर्युक्त (ग) तथा (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

क्र. सं.	कालोनी नाम	साफ की गई टंकियां			टिप्पणी
		1998-99	1999-2000	2000-2001	
1	2	3	4	5	6
1.	सेक्टर-I, डीआईजेड एरिया (i/सी अल्बर्ट स्क्वायर)	शून्य	52	70	
2.	सेक्टर-II डीआईजेड एरिया (के.बी. मार्ग, पेशवा रोड (जे.के. और एच ब्लाक)	–	305	443	
3.	सेक्टर-III डीआईजेड एरिया (ई पाकेट)	–	10	20	
4.	एम एस फ्लैट पेशवा रोड और के.बी. मार्ग	–	60	107	
5.	हनुमान रोड	–	20	20	
6.	''डी'' सेक्टर डी आई जेड एरिया, बी के एस मार्ग	–	165	252	
7.	बी के एस मार्ग	–	93	141	
8.	तिमारपुर	–	–	11	
9.	मिंटो रोड काम्पलेक्स	–	–	4	
10.	आराम बाग	–	170	190	
11.	मोहम्मद पुर सरकारी कालोनी	–	–	–	
12.	वसंत बिहार सरकारी कालोनी	–	500	–	
13.	आर के पुरम (सेक्टर-1 से 13)	294	1237	1722	

1	2	3	4	5	6
14.	नेताजी नगर	450	272	120	
15.	चाणक्यपुरी	–	–	–	
16.	नार्थ वेस्ट मोती बाग	100	–	79	
17.	मोती बाग-1	380	280	700	
18.	आई.बी. कालोनी, बापूधाम	50	–	50	
19.	नानक पुरा	325	400	400	
20.	लोधी कालोनी	1050	1050	1300	
21.	लोधी रोड काम्पलेक्स	10	25	30	
22.	नौरोजी नगर	–	–	140	
23.	सरोजिनी नगर	–	–	660	
24.	लक्ष्मी बाई नगर	150	220	1080	
25.	किदवई नगर	226	414	598	
26.	श्रीनिवासपुरी	–	–	30	लाफ्ट टैंक वर्ष 2000 में लगाए गए
27.	एशियाड विलेज काम्पलेक्स	4	4	4	

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा

5395. डा. अशोक पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय में व्याख्याता पद के लिये आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अब विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में भी आयोजित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन देशों में उक्त परीक्षा शुरू की गई है; और

(घ) ऐसे अन्य देशों के नाम क्या हैं जहां भविष्य में उक्त परीक्षा शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालयों और कालेजों में लेक्चररों की भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशों में भी इस परीक्षा को आयोजित करने का निर्णय लिया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त परीक्षा आबू धाबी (यू.ए.ई.) में शुरू हो गई है। यू.के., यू.एस.ए., आस्ट्रिया, चीन तथा मिस्र में भी इस परीक्षा को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दिल्ली में संपत्तियों का रेटेबल मूल्य

5396. डा. (श्रीमती) अनीता आर्य: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में एक ही आकार की और एक ही अवधि में खरीदे गये तथा एक स्थान पर स्थित (आवासीय/वाणिज्यिक) संपत्तियों के संबंध में रेटेबल मूल्य तय करने में समानता बनाये रखने के मामले में अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निदेश के उल्लंघन का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन विवादित संपत्तियों के मूल्य में समानता लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

5397. श्री सुरेश चन्देल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है जहां केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन अब तक इनकी स्थापना नहीं की गई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और वहां इन विद्यालयों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिला अध्यापक शिक्षा परिषद

5398. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला अध्यापक शिक्षा परिषदों में शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हैं;

(ख) जिला अध्यापक शिक्षा परिषद में शिक्षक की नियुक्ति के लिये क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में जिला अध्यापक शिक्षा परिषदों में जिला स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) मंत्रालय ने किसी जिला अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आदिवासियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सहायता

5399. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने आदिवासियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव गुजरात राज्य सरकार से मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय बहुकला संस्थान के निर्माण में अनियमितताएं

5400. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय बहुकला संस्थान की स्थापना वर्ष 1992-93 में की गई थी जिसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सरकार की ओर से परामर्शदाता नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और संबंधित प्राधिकारी ने उक्त संस्थान के निर्माण में तकनीकी और वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन तकनीकी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बहुकला संस्थान (आई जी आर बी एस)'' नामक कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन संबंधी उत्तेजक विज्ञापन

5401. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्तमान परिदृश्य में उन उत्तेजक विज्ञापनों के बारे में जानकारी है, जिनमें महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि वर्ष 1986 के अधिनियम में जिस तरह की सजा का प्रावधान है, वह दोषियों को रोकने के लिए अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह के प्रचार को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सरकार ने विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, मुद्रित सामग्री, आकृतियों अथवा किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अशिष्ट निरूपण पर निषेध लगाने के उद्देश्य से स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय होते हैं। इस अधिनियम के अलावा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292, 293 तथा 294 के अंतर्गत मौजूदा प्रावधान अश्लीलता से सम्बन्धित हैं और अश्लील पुस्तकों, अश्लील वस्तुओं आदि की बिक्री इनके अंतर्गत निषिद्ध है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी, जिनमें इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना शामिल है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से उक्त अधिनियम की समीक्षा करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु तैयार की गई विज्ञापन फिल्मों सहित सभी फिल्मों को, चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों और इसके अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। प्रमाणन हेतु फिल्मों की जांच करते समय उक्त बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि अशिष्टता, अश्लीलता, वंचना, यौनाचार और हिंसा द्वारा मानवीय संवेदनाएं आहत न होने पाएं।

प्रेम से संबंधित मामलों में, भारतीय प्रेस परिषद्, जो कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और सभी समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार लाने हेतु गठित एक स्वायत्तशासी सांविधिक स्व-नियामक निकाय है, ने पत्रकारों के लिए पत्रकारिता के मानक निर्धारित किये हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया में अश्लीलता एवं अशिष्टता से बचने के लिए मानक भी शामिल हैं। इन मानकों में इस बात का प्रावधान किया गया है कि समाचार-पत्र किसी भी ऐसे विज्ञापन का प्रदर्शन नहीं करेंगे, जो कि अशिष्ट हो अथवा, जो नग्न अथवा कामुक मुद्रा में महिलाओं का चित्रण करके पुरुषों में कामुकता को उत्तेजित करता हो।

भारत-अमरीका टीका विकास कार्यक्रम

5402. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका अगले पांच वर्षों के लिए भारत-अमरीका टीका विकास कार्यक्रम जारी रखने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया, तपेदिक, एच.आई.वी. और टायफॉयड के टीकों के विकास पर बल दिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह कार्यक्रम वर्ष 1987 से चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो दशक के दौरान विकसित किये गये टीकों का ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रमुख रोगों के नियंत्रण में भारत को किस सीमा तक सफलता मिली है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) भारत-अमरीका टीका विकास योजना (वी.ए.पी.) को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तार देने पर दोनों देशों द्वारा इसके संयुक्त कार्यकारी दल के स्तर पर सिद्धान्ततः सहमति हो गई है।

(ख) और (ग) भारत-अमरीका टीका विकास योजना संयुक्त कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार दोनों देशों के प्रख्यात विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण योजना दल ने एक महत्वपूर्ण योजना दस्तावेज तैयार किया है जो एच.आई.वी./एड्स, तपेदिक एवं मलेरिया के लिए टीकों के विकास पर बल देता है।

(घ) से (च) यह कार्यक्रम 1987 से चल रहा है। रोटावायरल डायरिया के लिए दो संभाव्य कैंडिडेट टीका प्रभेदों का विकास किया गया है। इन कैंडिडेट टीकों के चरण-1 स्वैच्छिक परीक्षण अमरीका में किए जा चुके हैं। चरण-1 क्लिनिकीय परीक्षण शुरू करने के लिए भारतीय औषध महानियंत्रक से आवश्यक अनुमति प्राप्त हो गई है।

प्राप्त विशेषज्ञता, 250 से भी अधिक वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। इससे अन्य टीकों, विशेष रूप से कॉलरा कैन्डीडेट टीकों के विकास हेतु संकेत प्राप्त करने में बल मिला है। वायरल हेपाटाइटिस, टायफॉयड, एक्यूट रेस्पिरेटरी संक्रमण, ट्यूबरकुलोसिस, लेश्मानियासिस इत्यादि जैसे मूलभूत अनुसंधान क्षेत्रों में अनुसंधान संकेतों से टीका विकास की दिशा में मार्ग और अधिक प्रशस्त हो गया है।

क्लिनिकीय परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद वी.ए.पी. के अंतर्गत विकसित टीकों का प्रयोग राष्ट्रीय विनियामक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए देश की स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली में किया जा सकता है।

अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं की शिक्षा के लिये धनराशि का आवंटन

5403. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं की शिक्षा के लिये चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक कितनी प्रगति हुई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सिर्फ एक ही ऐसी शैक्षिक योजना है, जो विशुद्ध रूप से अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं के लिए हैं, अर्थात् जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए 8.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तथापि, विभिन्न अन्य योजनाएं भी हैं, जो अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं और लड़कों, दोनों के लिए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए योजनावार आवंटन निम्नलिखित है:-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आवंटन
1.	अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावास	24.00
2.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	14.00
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक, अनुसूचित जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	68.49
4.	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	300.00
5.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	32.00

(ख) राज्य-वार लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं।

विद्यार्थियों को पके-पकाये भोजन का वितरण

5404. श्री चिन्तामन वनगा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय सं. 196/2001 से अवगत है जिसमें कहा गया है कि 'सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को साधारण राशन के बदले पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराना आरंभ किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किसी राज्य सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभी सूखा राशन प्रदान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय ने उन्हें समयबद्ध रूप से सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में पका-पकाया भोजन देना शुरू करने का निर्देश दिया है, केन्द्र सरकार ने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) जी, हां सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही निर्देश दे दिया है कि इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों को पके-पकाए भोजन के रूप में परिवर्तित करने की लागत राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन की जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह बताया जा चुका है कि पके हुए भोजन को तैयार करने में लगने वाली लागत को वहन करने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि दसवीं योजना के अंतर्गत इस योजना के लिए उपयुक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती।

[हिन्दी]

विदेशी विश्वविद्यालय

5405. श्री रामजी लाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने विदेशी विश्वविद्यालय देश में ऐसे पाठ्यक्रम चला रहे हैं;

(ग) इनके द्वारा कौन-कौन से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(घ) इन पाठ्यक्रमों से वास्तविकत: औसतन कितने भारतीय विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार कुछ विदेशी संस्थाएं भारत में उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम चला रही हैं। तथापि विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन के संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मछुआरों के सुविधार्थ समुद्रतट स्थित रेडियो-स्टेशन

5406. श्री सुंदर लाल तिवारी:
श्री अरुण कुमार:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरों की सुविधा की दृष्टि से समुद्र तट पर 18 रेडियो-स्टेशनों को स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेडियो-स्टेशनों को किस तिथि में स्थापित किया गया और प्रत्येक स्टेशन की स्थापना पर कितनी लागत आई;

(घ) क्या उक्त रेडियो-स्टेशनों ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो ये कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) क्या अब तक मछुआरों को (वॉकी-टॉकी) टेली-सेट उपलब्ध नहीं कराये गये हैं- जैसा कि ''राष्ट्रीय सहारा'' समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

जी हां। "तटीय मछुआरों के लिए तट से जलयान संचार प्रणाली का प्रदर्शन" कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 8 राज्यों और 3 संघशासित प्रदेशों में 18 तट स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था। मछुआरों को कुछ वॉकी-टॉकी वितरित करने का भी प्रस्ताव किया गया था। यह कार्य दो चरणों में किया जाना था। पहले चरण में केरल तथा दूसरे चरण में लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश सहित महाराष्ट्र राज्यों को शामिल किया जाना था लेकिन इन राज्यों ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं। बाद में गोवा में एक स्टेशन जोड़ा गया, इस प्रकार निर्मित किए जाने वाले स्टेशनों की संख्या 14 हो गयी। 8वीं योजना के दौरान 4 राज्यों में 7 तट स्टेशन स्थापित किए गए तथा नवीं योजना में एक तट स्टेशन स्थापित किया गया। सम्बन्धित राज्यों में शेष स्टेशन वित्तीय वर्ष 2002-2003 (दसवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान पूरा किए जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) चरण-1 में तट स्टेशनों की अवस्थिति सहित राज्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्टेशन की अवस्थिति	आरम्भ होने की तिथि	टिप्पणियां
1.	आंध्र प्रदेश	मछलीपत्तनम	31.01.1994	विभाग ने 1997-98
		कलिंगपत्तनम	29.03.1994	के दौरान एक वर्ष
2.	तमिलनाडु	नागपत्तनम	05.06.1994	की अवधि के लिए
		तूतीकोरिन	10.03.1994	इन तट स्टेशनों तथा
3.	कर्नाटक	मालपे	30.11.1993	उपकरणों के निरंतर
		हनोवर	10.06.1994	प्रचालन व रखरखाव
4.	गोवा	बेतूल	17.02.1995	के लिए मुफ्त वार्षिक रखरखाव उपलब्ध करवाया है। बाद में स्थायी प्रचालन और रखरखाव के लिए इन्हें राज्यों को सौंप दिया गया।

इन स्टेशनों की स्थापना पर किए गए व्यय की कुल लागत 1.25 करोड़ रुपए थी।

तट स्टेशनों की अवस्थिति सहित चरण-2 में राज्यों का ब्यौरा तथा उनके प्रकार्य/क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति और पूरा होने की संभावित तिथि इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्टेशन की अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	1. फ्रेजरगंज दक्षिण, जिला-24 परगना 2. शंकरपुर, जिला-मिदनापुर	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त सोसायटी अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी और अनुसंधान सोसायटी द्वारा मात्स्यिकी कार्मिकों और चुनिंदा मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया। आमतौर पर आधार स्टेशन और अन्य उपकरणों का निष्पादन सही पाया गया। राज्य सरकार ने शेष कार्य करने और उसे पूरा करने के लिए एक अनुमान तैयार किया है। अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी और अनुसंधान सोसायटी ने प्रस्ताव की जांच की तथा कार्य के 2002-2003 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।

1	2	3	4
2.	उड़ीसा	1. चांदीपुर, जिला-गंजम 2. पारादीप पत्तन, जिला पारादीप	पिछले महाचक्रवात के दौरान पारादीप का टावर गिर गया। आधार स्टेशन इकाई को कुछ मरम्मत के लिए भेजा गया है। चांदीपुर में आधार स्टेशन सक्रिय हालत में पाया गया। हालांकि तट स्टेशन के पूरे प्रकार्य के लिए कुछ मरम्मत की जानी है। अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी और अनुसंधान सोसायटी ने शेष कार्य की जांच की है और कार्य के 2002-2003 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।
3.	पांडिचेरी	पेरिया-वीरमपत्तीनम	स्टेशन स्थापना के लिए सिविल कार्य तथा टावर की आर.सी.सी. नींव का कार्य पूरा किया गया है। संचार टावर का वैद्युत कार्य और अधिष्ठापन बाकी है। इसके बाद, सभी उपकरणों के परीक्षण के पश्चात् स्टेशन चालू किया जाना है। स्थानीय मछुआरा समुदाय को प्रशिक्षण देना इस कार्यक्रम का भाग है। प्रणाली के 2002-2003 तक चालू होने की उम्मीद है।
4.	गोवा	सालगाव, उत्तरी गोवा	तट स्टेशन का भवन तैयार हो गया है। टावर चालू किया जाना है। वीएचएफ सैटों के अलावा तट स्टेशन उपकरणों का परीक्षण भी किया जाना है। प्रणाली के 2002-2003 तक चालू होने की उम्मीद है।

अनुमानित व्यय 2.13 करोड़ रुपए है।

(घ) से (च) परियोजना के प्रथम चरण का कार्य 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स मैरीन एंड कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम को सौंपा गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दो तथा गोवा में एक तट स्टेशन स्थापित किए गए और 1994-95 से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मछुआरों को वॉकी-टॉकी सैट भी वितरित किए गए।

चूंकि मैसर्स मैरीन एंड कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स को बन्द कर दिया गया है इसलिए परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसर्स पंजाब वायरलेस सिस्टम (पनवायर) लिमिटेड को सौंप दिया गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सात तट स्टेशन स्थापित किए जाने थे। वित्तीय समस्या के कारण पनवायर कार्य पूरा नहीं कर सका इसलिए इसे अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत मैसर्स अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी और अनुसंधान सोसायटी को सौंपा गया है। वॉकी-टॉकी सैट देने के लिए मछुआरों की पहचान के संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श जारी है।

संघ शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पत्तन प्रबंधन बोर्ड ने इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ली है। प्रणाली 08.01.2001 को अण्डमान और निकोबार प्रशासन को सौंप दी गयी है। अण्डमान और निकोबार प्रसासन को मछुआरों को वितरित करने के लिए वॉकी-टॉकी सेट भी सौंपे गए हैं।

कार्यक्रम में शामिल दो सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के बंद हो जाने/वित्तीय समस्याओं के कारण ही इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समय लगा है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सीमेन्ट, इस्पात और बिटूमेन की कमी

5407. श्री विष्णुपद राय: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह लोक निर्माण विभाग के पास सीमेन्ट, इस्पात और बिटूमेन इत्यादि निर्माण-सामग्री की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक वित्त वर्ष में अंडमान लोक निर्माण विभाग को कुल कितनी मात्रा में सीमेन्ट, इस्पात और बिटूमेन की आवश्यकता होती है;

(घ) इस वित्त वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक, अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी मात्रा में सीमेन्ट, इस्पात और बिटूमेन की खरीद की गई है;

(ङ) क्या विकास-कार्यों के बाधित न हो इसके लिए सीमेन्ट, इस्पात और बिटूमेन का अविलम्ब खरीद किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सीमेन्ट, इस्पात और बिटूमेन की कमी की वजह से काम में विलम्ब होने के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने से अंडमान लोक निर्माण विभाग को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) अंडमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) द्वारा सीमेन्ट तथा बिटूमेन की व्यवस्था पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) के जरिए की जाती है। डी.जी.एस.एंड.डी. सीमेंट की आपूर्ति पोर्ट ब्लेयर तक करता है। मांग-पत्र लेने से पोर्ट ब्लेयर में आपूर्ति करने तक किए जाने वाले अनेक कार्यों के कारण कभी-कभी डी.जी.एस. एंड डी. सामग्रियों की समय पर आपूर्ति नहीं कर पाता है, विशेषकर काम के महीनों में जब सभी निर्माण एजेंसियों की मांग अधिक होती है। विलम्ब मुख्यत: सामग्रियों को मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर तक जहाज से ढोने के कारण होता है। कभी-कभी सभी उपलब्ध मालवाहक जहाजों का उपयोग करने के बावजूद मांग पूरी नहीं हो पाती है। फिलहाल कोई कमी नहीं है, हालांकि आपूर्ति में विलम्ब हो जाने से अस्थाई कमी हो सकती है।

स्टील की व्यवस्था पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम (ए.एन.आई.आई.डी.सी.ओ.) द्वारा की जाती है। स्टील की कोई कमी नहीं है।

(ग) वित्त वर्ष की कुल आवश्यकता निम्न प्रकार है:-

वर्ष 2001-2002

(1)	सीमेंट	38,900 मी. टन
(2)	बिटूमेन	3,000 मी. टन
(3)	स्टील	2,892 मी. टन

(घ) इस वित्त वर्ष (अर्थात् 2001-02) के दौरान खरीद की गयी मात्रा निम्न प्रकार है:-

सीमेंट : डीजीएस एंड डी को दिये गये 37,500 मीट्रिक टन के मांग पत्र की तुलना में 36,733 मीट्रिक टन की खरीद की गयी।

बिटूमेन : डी जी एस एंड डी रेट कॉंट्रैक्ट के आधार पर आई.ओ.सी. को 3,000 मीट्रिक टन के आपूर्ति आदेश की तुलना में 2697.966 मीट्रिक टन की खरीद की गयी।

स्टील : 2217 मीट्रिक टन

(ङ) और (च) डी जी एस एंड डी के माध्यम से खरीद जारी है। फिलहाल सीमेंट से बिटूमेन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है तथा विभिन्न निर्माण कार्य करने वाले प्रभागों की मांग को बिना किसी रूकावट के पूरा किया जाता है। अत: ए पी डब्ल्यू डी के विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं है। बिटूमेन की आपूर्ति की भी यही स्थिति है।

(छ) अधिकांश संविदाओं की नियत अवधि 18 महीने या उससे कम होती है जिसमें वृद्धि की कोई धारा नहीं होती है अत: वृद्धि के रूप में कोई वित्तीय नुकसान नहीं होता है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों का विकास

5408. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों और चंडीगढ़ प्रशासन ने केन्द्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास-कार्यों को चालित करने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनजातीय क्षेत्रों में क्या-क्या विकास कार्य किये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीबी-रोधी योजनाओं के लिए नियत धनराशि का दुरूपयोग

5409. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में कार्यान्वयनकारी अभिकरणों द्वारा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए नियत केन्द्रीय धनराशि का भारी दुरूपयोग और जालसाजी किये जाने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित रूप से कितनी धनराशि इसमें संलिप्त थी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राशि का दुरूपयोग किस प्रकार किया गया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें एस.जे.एस.आर.वाई. राशि अपात्र व्यक्तियों को वितरित करने, डी.यू.डी.ए. में भ्रष्टाचार आदि के बारे में हैं। प्राप्त शिकायतों में किसी धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस मंत्रालय से संबंधित शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम पर अपनी प्रारूप पुनरीक्षा रिपोर्ट में 1995-2000 के दौरान 35.83 करोड़ रु. का उपयोग कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकलापों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए किए जाने की सूचना दी है और 0.85 करोड़ रु. के अपयोजन और मरम्मत व रख-रखाव कार्यों पर 5.60 करोड़ रु. के अनियमित और अनधिकृत व्यय का संदेह व्यक्त किया है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को मामले की जांच करने, उपयुक्त कार्रवाई करने तथा उस पर अपनी रिपोर्ट भेजने का निदेश दे दिया गया है।

क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन

5410. श्री आर.एल. जालप्पा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय आधार पर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन की मांग को लेकर कुछ राज्य सरकारों ने विस्तृत प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. तमिलनाडु सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 31-ग के अनुसार "तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (इस समय की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण और सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) विधेयक, 1993" को राष्ट्रपति के विचार हेतु भारत सरकार को भेजा था।

* राज्य सरकार ने तमिलनाडु अधिनियम (1994 की सं. 45) को, इसके कानून बनने के पश्चात् भारत के संविधान की नौवीं अधिसूची में उक्त अधिनियम को सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को भेज दिया था ताकि तमिलनाडु सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिए 69% आरक्षण को जारी रख सकें। माननीय राष्ट्रपति ने 19 जुलाई, 1994 को अपनी अनुमति दे दी थी और वह उसी दिन राज्य सरकार को भेज दी गई थी।

* तमिलनाडु अधिनियम (1994 की सं. 45) को भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय में 27 जुलाई, 1994 की रिट याचिका सं. 454/1994 द्वारा चुनौती दी गई और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

2. आंध्र प्रदेश सरकार ने लोक सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को तर्कसंगतता प्रदान करने, ताकि समाज में उनकी एकीकृत और एकरूप प्रगति और उससे संबंधित और आनुषंगिक मामलों को सुनिश्चित किया जा सके, के लिए ''आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण की तर्कसंगतता) अध्यादेश 1998'' को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के परंतुक के अंतर्गत माननीय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। यह नवम्बर, 1999 में राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

3. कर्नाटक सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार इत्यादि के क्षेत्र में कर्नाटक में क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार को उनके प्रस्ताव पर कतिपय स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। कर्नाटक सरकार ने मार्च, 2002 में सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना और ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं और शीघ्र ही भेज दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाएं

5411. श्री राम सिंह कस्वां:
श्रीमती जस कौर मीणा:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ उक्त योजनावधि में महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दिये जाने की योजना है; और

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि का व्यय होने का अनुमान है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) सरकार वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रोत्साहन की ओर प्रमुख ध्यान दे रही है और बहुत सी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, जैसे महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महिलाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम, महिलाओं के लिए गोल्डन जुबली बायो टैक पार्क, और महिला बायो साइंटिस्ट अवार्ड। 9वीं योजना के दौरान इन योजनाओं पर कुल परिव्यय 1574 लाख रुपये रहा। 10वीं योजना में छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियों तथा पुरस्कारों जैसे विशेष प्रोत्साहनों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कार्य कर रही महिलाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं में सेवा समय का सुविधानुसार निर्धारण, अवकाश विकल्प तथा प्रवेश पर आयु में छूट के माध्यम से विशेष लिंग संवेदी लक्षणों को लाने का प्रस्ताव भी है। सामाजिक कार्यक्रमों में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। नई योजनाओं के लिए निधियों का निर्धारण तभी किया जाएगा जब विशिष्ट योजनाओं को पूरी तरह मूर्त रूप दे दिया जाएगा तथा तैयार कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी योजना

5412. श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बालिगों को काम का अधिकार देना सुनिश्चित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का भी रोजगार गारंटी योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार पिछले 30 वर्षों से ''रोजगार गारंटी योजना'' नामक ग्रामीण रोजगार योजना कार्यान्वित करती रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे किसी भी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना है जो शारीरिक श्रम के लिए इच्छुक है, किन्तु उसे मिल नहीं रहा है। राज्य सरकार करों के जरिए योजना के लिए संसाधन जुटाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और ग्रामीण ढांचा के विकास के लिए 25.9.2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू

की है। योजना के लिए वार्षिक बजट प्रावधान 10,000 करोड़ रु. होगा। योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष 5000 करोड़ रु. (किफायती मूल्य पर) की राशि के 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। शेष निधियों (5000 करोड़ रु.) का इस्तेमाल मजदूरी के नकद घटक और सामग्री लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों का भुगतान सीधे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को किया जाएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष रोजगार के लगभग 100 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5413. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद (उ.प्र.) की प्रताप विहार कालोनी के आस-पास के हिंडन नदी से सटे खाली भूमि क्षेत्र जो लोनी परगना के कैला और मिर्जापुर ग्रामों के अंतर्गत आता है, की उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-योजना के तहत आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सहकारी समूह आवास सोसाइटियों ने जिन्होंने एक दशक से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् में अपना पंजीकरण करा रखा था, ने उस समय उक्त क्षेत्र में भूमि क्रय की थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परिषद् का उक्त सोसाइटियों को उपयुक्त भूखंड के आबंटन का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इन सोसाइटियों के नाम क्या हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन्हें भूखंड कब तक प्रदान कर दिये जायेंगे और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिषद ने गाजियाबाद (उ.प्र.) में हिंडन नदी और प्रताप विहार कालोनी के बीच दिल्ली बुलंदशहर बाई पास रोड भूमि विकास एवम् गृहस्थान योजना "गाजियाबाद" नामक एक रिहायशी स्कीम बनाई है। यह स्कीम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से अनुमोदित है। ग्राम कैला और मिर्जापुर परगना लोनी का कुछ भूभाग भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत है।

(ख)

ग्राम का नाम	बन्दोबस्ती क्षेत्र (ग्राम का कुल क्षेत्र एकड़ में)	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (एकड़)
कैला	394.384	333.487
मिर्जापुर	438.568	283.390

(ग) 13 सहकारी आवास समितियां उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पास एक दशक से अधिक समय से पंजीकृत हैं।

(घ) से (छ) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा होने और अधिगृहीत भूमि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को सौंपे जाने के बाद, परिषद द्वारा विकास कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके बाद परिषद के नियमों और विनियमों के अनुरूप पात्र पंजीकृत सहकारी आवास समितियों को भूखंडों के आबंटन के लिए परिषद द्वारा उपर्युक्त कदम उठाये जायेंगे। एक दशक से अधिक समय से पंजीकृत इन 13 समितियों के नाम संलग्न विवरण में हैं।

इस स्कीम की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी पूरी होनी है। इस बारे में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 31 (2) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार के आवास विभाग का अनुमोदन अभी अपेक्षित है।

विवरण

सहकारी आवास समितियों के नाम

1. उत्तर रेलवे दूर संचार सहकारी आवास समिति लि.
2. कामजो सहकारी आवास समिति लि.
3. आदर्श सहकारी आवास समिति लि.
4. फ्रैंड्स रेलवे सहकारी आवास समिति लि.
5. एम आर कारूचरी सहकारी आवास समिति लि.
6. कंदरयिा जल आयोग सहकारी आवास समिति लि.
7. आदर्श नगर प्रगतिशील सहकारी आवास समिति लि.
8. शताब्दी सहकारी आवास समिति लि.
9. पंचशील सहकारी आवास समिति लि.

10. न्यू जागृति एनक्लेव सहकारी आवास समिति लि.

11. लोक सभा कर्मचारी सहकारी आवास समिति लि.

12. आशियाना सहकारी आवास समिति लि.

13. नवयुग सहकारी आवास समिति लि.

सभी के लिए एक समान शिक्षा

5414. श्रीमती मिनाती सेन:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ग भिन्नता को आमूलत: समाप्त करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार का 'सभी के लिए एक समान शिक्षा' प्रणाली शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है जिसमें यह अंतर्निहित है कि एक निश्चित स्तर तक समतुल्य स्तर की शिक्षा तक सभी छात्रों की पहुंच हो, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, स्थान या लिंग के हों। इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए साझा शैक्षिक ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज के वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए अलग तथा विशेष प्रावधान की बात कही गई है।

प्रमुखत: शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रयास के रूप में अनेक योजनाएं आरंभ की गई। इन योजनाओं में शामिल हैं- आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला समाख्या, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सामुदायिक पालिटेकनिक, लोक जुंबिश, शिक्षाकर्मी परियोजना, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आदि। सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों की शिक्षा पूर्णत: या अंशत: नि:शुल्क है। इसके अलावा उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए भी काफी हद तक सब्सिडी दी जाती है। सरकार ने स्कूल तथा उच्च शिक्षा से संबंधित अपने देश में अध्ययन के लिए अधिकतम 7.50 लाख रु. तथा विदेशी संस्थाओं में अध्ययन के लिए अधिकतम 15.00 लाख रु. तक शैक्षिक ऋण देने की योजना भी हाल ही में शुरू की है।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता एवं समानता से जुड़ी समस्याओं पर भी निरंतर ध्यान दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में स्तरीय शिक्षा का सुनिश्चय करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं जिनमें विज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, संस्कृति एवं मूल्य शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायोन्मुखीकरण आदि पर बल दिया जा रहा है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में मानकों एवं मानदंडों के अनुरक्षण हेतु सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के समावेशन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में पाठ्यचर्या को नवीकृत किया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल देने के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है।

वन्य और कृषि उत्पादों के मूल्य

5415. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि विभिन्न राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वनवासियों को उनके वन्य और कृषि उत्पादों के लिए समुचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें वन्य और कृषि-उत्पादों के लिए कम-से-कम न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद का प्रापण राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों/वन विकास निगमों/राज्य लघु वन उत्पाद संघों द्वारा किया जाता है और मूल्यों का निर्धारण, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। गैर-राष्ट्रीयकृत मदों के मामले में मूल्यों का निर्धारण राज्य के संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा किया जाता है। जहां तक कृषि उत्पादों का संबंध है, इनका प्रापण आमतौर पर संबंधित राज्य के कृषि उत्पाद विपणन समिति की विनियमित मंडियों द्वारा किया जाता है।

(ख) जहां तक राष्ट्रीयकृत कृषि उत्पादों का संबंध है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्योंकि वन केन्द्रीय सूची का विषय नहीं है, अत: वन उत्पादों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है।

[हिन्दी]

वाहनों की चोरी

5416. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री पी.आर. किन्डिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह महीनों की अवधि के दौरान और आज तक दिल्ली में वाहन-चोरी के जिलावार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अवधि में कितने वाहनों को बरामद किया गया;

(ग) वाहन चोरी के अधिकतर मामले न सुलझा पाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली में वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 'लघु-संदेश-सेवा' (एस.एम.एस.) शुरू की है;

(ङ) क्या सरकार देश के अन्य भागों में भी ऐसी ही सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 1 अक्तूबर, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक की अवधि के दौरान, दिल्ली में जिला-वार दर्ज किए गए वाहन चोरी के मामलों और बरामद किए गए वाहनों की संख्या नीचे दी गई है:-

जिले का नाम	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	चोरी गए, बरामद वाहनों की संख्या
1	2	3
उत्तर	198	65
उत्तर-पश्चिमी	597	170
केन्द्रीय	241	54
नई दिल्ली	156	48
उत्तर-पूर्वी	237	46
पूर्वी	423	81
दक्षिणी	882	180
पश्चिमी	470	87
दक्षिण-पश्चिमी	422	73
इंदिरा गांधी हवाई अड्डा	1	–
कुल	3627	784

(ग) वे मुख्य कारण जिनकी वजह से दिल्ली पुलिस, चोरी गए वाहनों को अधिकतर मामलों में बरामद न कर पाने में कठिनाई महसूस करती है, इस प्रकार हैं:- दिल्ली में भीतरी क्षेत्र का अभाव; बड़ी संख्या में निकास प्वाइंट, जिनकी वजह से कार-चोर दिल्ली की क्षेत्रीय सीमाओं से जल्दी से बाहर निकल पाने में समर्थ हो जाते हैं; तथा दिल्ली के बाहर चोरी किए गए वाहनों का पंजीकरण।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई एस.एम. सर्विस मुख्य रूप से जनता को उनके चोरी गए वाहनों की मौजूदा स्थिति का पता लगाने को सुकर बनाती है।

(ङ) से (छ) चूंकि 'पुलिस'' और कानून एवं व्यवस्था राज्य के विषय हैं इसलिए इस मामले में उपयुक्त निर्णय लेना अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का काम है।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता

5417. श्री जी.जे. जावीया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात राज्य सरकार से वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रस्ताव/परियोजनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) सरकार मौलिक अनुसंधान, उद्यमवृत्ति विकास, विज्ञान लोकप्रियकरण, ऊर्जा संरक्षण, रिमोट सेन्सिंग, जैव-प्रौद्योगिकी, गैर-पारम्परिक ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं द्वारा प्रायोजित निधिकरण से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के वर्षों के दौरान ऐसी निधिकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या क्रमश: 186.48 करोड़ रुपये, 218.57 करोड़ रुपये तथा 349.85 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत के साथ 1795, 1780 तथा 2050 है। इन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में सहायता प्रदान की गई परियोजनाएं, 2.4 करोड़ रुपये, 4.93 करोड़ रुपये तथा 5.56 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत के साथ 38, 55 तथा 47 हैं। इन तीन वर्षों के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की राज्यवार संख्या तथा उनकी संस्वीकृत लागत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान, सरकार को गुजरात के इंजीनियरी कालेजों के लिए दूरस्थ शिक्षा, सूचना एवं प्रशिक्षण (डी.ई.आई.टी.) नेटवर्क तथा एक भूकंपीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भूकम्पीय अनुसंधान संस्थान के संबंध में, प्रस्ताव को मूर्त रूप देने तथा ब्यौरा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। गुजरात के इंजीनियरी कालेजों के लिए दूरस्थ शिक्षा, सूचना एवं प्रशिक्षण (डी.ई.आई.टी.) नेटवर्क की स्थापना के प्रस्ताव का विशेषज्ञ दल द्वारा मूल्यांकन किया गया है और इसे सहायता के उपयुक्त नहीं पाया गया।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान तथा निकोबार	1	5.70	4	42.22	5	78.16
आंध्र प्रदेश	182	1952.85	130	1696.13	125	2113.57
अरुणाचल प्रदेश	7	41.71	8	39.93	1	17.84
असम	22	283.34	33	286.56	87	292.21
बिहार	55	463.68	47	1132.47	56	4807.95
चण्डीगढ़	44	416.78	29	272.67	35	499.95
दिल्ली	170	2031.61	187	3119.75	183	2818.30
गोवा	7	67.57	16	201.16	16	319.68
गुजरात	38	240.27	55	492.90	47	555.57
हरियाणा	13	311.17	31	490.37	17	577.25

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	17	127.95	15	126.99	18	282.76
जम्मू और कश्मीर	8	59.30	8	40.33	10	170.78
कर्नाटक	193	1872.54	163	1724.49	188	4065.87
केरल	71	677.28	74	919.72	56	616.78
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	2	16.97	–	–
मध्य प्रदेश	59	571.64	47	800.99	54	514.59
महाराष्ट्र	166	2315.58	172	3710.45	266	7072.90
मणिपुर	6	43.87	16	155.52	24	115.45
मेघालय	4	43.59	10	70.17	10	67.57
मिजोरम	1	4.37	शून्य	शून्य	2	14.66
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	1	8.46	3	8.51
उड़ीसा	24	195.72	22	160.56	53	430.88
पाण्डिचेरी	13	88.50	8	35.02	11	90.18
पंजाब	30	147.71	34	287.52	31	1008.84
राजस्थान	50	329.45	42	503.58	45	731.16
सिक्किम	1	5.00	5	86.34	15	325.06
तमिलनाडु	184	1254.87	189	1334.02	210	2732.93
त्रिपुरा	2	13.72	6	31.99	5	17.75
उत्तर प्रदेश	231	1853.97	249	2294.19	265	2498.35
पश्चिम बंगाल	196	3228.46	177	1766.14	212	2139.04
छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–
झारखण्ड*	–	–	–	–	–	–
उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–
कुल	1795	18648.20	1780	21856.61	2050	34984.54

*इन राज्यों के आंकड़े क्रमश: मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में शामिल हैं।

शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि

5418. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी विकास के अंतर्गत निर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को उनके वास्तविक कार्यकरण पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करने को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने राज्यों को सुधारों से जुड़ी सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय बजट में घोषित शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष के लिए किए गए आबंटन का स्वागत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुराने नगरपालिका नियमों और विनियमों में संशोधन और भू-विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की शर्त पर शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत धन को संवितरण किये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने धन के उपयोग से संबंधित राज्यों को प्रदान की जाने वाली छूट की सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो राशि का संवितरण अनुदान के रूप में किया जायेगा या ऋण के रूप में; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) वर्ष 2002-2003 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने राज्यों को सुधारों से जुड़ी सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रु. के प्रारंभिक परिव्यय के साथ शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यू.आर.आई.एफ.) स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अन्य ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) इस निधि के द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा:-

(1) किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार और शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन।

(2) उच्च स्टाम्प शुल्क व्यवस्था या युक्तिकरण।

(3) भवन निर्माण, स्थलों के विकास आदि की अनुमोदन प्रक्रिया सरल करने के लिए उपनियमों में संशोधन।

(4) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आदर्श विधान के अनुसार नगरपालिका कानूनों में संशोधन।

(5) कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों हेतु परिवर्तित करने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक संरचना का सरलीकरण।

(6) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समुचित प्रयोक्ता प्रभारों को लगाना और संसाधन जुटाना।

(7) नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रारंभ करना।

(च) से (ज) विस्तृत कार्य-योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

नकली दवाएं

5419. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में राजधानी में नकली दवाओं का निर्माण और बिक्री करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह की कार्य प्रणाली क्या है;

(ग) कितने मूल्य की नकली दवाएं पकड़ी गई हैं और ऐसी औषधियों की खरीद में लिप्त खुदरा विक्रेताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) गिरोह, पहले ख्याति प्राप्त दवा कम्पनियों द्वारा निर्मित दवाईयों की बैच संख्या का पता लगाता है और उसके बाद उसी के समान दिखने वाली नकली दवाओं का उत्पादन करके उन्हें स्वचालित संयंत्रों में वैसे ही दिखने वाले पैक में बंद करता

है। बाद में इन नकली दवाओं की बिहार और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में गोकुलपुरी में खुदरा व्यापारियों को आपूर्ति की जाती है। बरामद की गई नकली दवाईयों की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रु. है।

(घ) दिल्ली में नकली दवाओं के उत्पादन और परिचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं: (क) दवा उत्पादक परिसरों और बिक्री केन्द्रों की नियमित जांच; (ख) दवाओं की असलीयत की जांच करने के लिए नकली ग्राहकों के जरिए दवाओं की खरीद; (ग) नकली दवाओं की बिक्री के संबंध में प्राप्त शिकायतों की तत्काल जांच-पड़ताल; (घ) नकली दवाओं के उत्पादन/बिक्री में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी; (ङ) संदिग्ध गुणवत्ता वाली दवाओं, यदि कोई हो, के चलन के बारे में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध उत्पादकों के साथ गहन सम्पर्क और (च) सक्षम प्रवर्तन के लिए जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सलाहकार समिति का गठन करना।

बालिका पालना योजना

5420. श्री एस. मुरूगेसन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में बालिका पालना योजना (गर्ल चाइल्ड क्रैडल स्कीम) के कार्यान्वित होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार मंत्रालय से उचित सहायता के साथ अन्य राज्यों में किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कुछ भागों में प्रचलित बालिका शिशु हत्या की समस्या का मुकाबला करने के लिए 1992 में क्रेडल बेबी स्कीम नामक एक योजना शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से माताओं द्वारा परित्यक्त बालिका शिशुओं को बचाने के लिए अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनाथालयों आदि, जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पालने रखे गए।

इस स्कीम को अब पुन: शुरू और इसका पुनरुद्धार किया गया है, क्योंकि बालिका शिशु हत्या की कुप्रथा राज्य के कुछ भागों में अभी भी विद्यमान बताई जाती है। मदुरै, डिन्डीगुल, धर्मापुरी, थेणी में स्वागत केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जो चौबीसों घण्टे खुले रहते हैं। इन केन्द्रों की देखभाल के लिए वार्डन-सह-पर्यवेक्षक, नर्स, दो आया और एक चौकीदार होता है। शिशुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वागत कक्षों में अपेक्षित दवाइयां, दूध पाउडर, पोषण बोतलें आदि रखी गई हैं। इन स्वागत केन्द्रों में नजदीकी सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों की सेवाएं भी ली जाती हैं।

(ग) और (घ) बालिका शिशु हत्या की कुप्रथा केवल कुछ ही राज्यों में विद्यमान बताई जाती है। बालिकाओं की सुरक्षा, विकास तथा कल्याण के लिए संबंधित राज्य सरकारों ने विशिष्ट स्कीमें और कार्यक्रम चलाए हैं। तथापि, भारत सरकार ने बालिका शिशु हत्या और भ्रूण हत्या की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन तथा दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 बनाना; बालिका के समग्र दर्जे में सुधार लाने के उद्देश्य से **बालिका समृद्धि योजना** का कार्यान्वयन हो रहा है; समेकित बाल विकास सेवा स्कीम की संरचना के माध्यम से किशोरियों के लिए विशेष कार्यक्रमों को संस्थागत बनाना, आदि शामिल हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र

5421. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय हमारी समुद्री सीमा का विस्तार क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इसमें वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लूसिव इकोनोमिक जोन) में भी वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारत की समुद्री सीमा का विस्तार आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। परन्तु संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार सरकार अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे महाद्वीपीय शेल्फ का रेखांकन कर रही है।

संपत्ति विरूपण अधिनियम

5422. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** 19.3.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने चालान जारी किये गये, कितने अभियोजन किये गये तथा क्या कोई परिणाम प्राप्त किया गया और कितना आर्थिक दंड वसूल किया गया;

(ख) क्या सड़क चिन्ह बोर्ड, शोपिंग काम्पलेक्स कारिडोर, टेलीफोन जंक्शन बोक्सिज सहित सरकारी संपत्ति का पोस्टर आदि के माध्यम से विरूपण होना जारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

5423. योगी आदित्यनाथ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कितने गैर-सरकारी संगठनों ने आवेदन दिए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-ब्रिटेन पुलिस सम्मेलन

5424. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एण्ड डी.) की सहायता से हाल ही में भारत-ब्रिटेन पुलिस सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में मुख्यत: कौन-कौन से मुद्दों पर चर्चा की गयी;

(ग) क्या सम्मेलन में अपराधों से निपटने, पुलिस सेवा मामलों, सामुदायिक पुलिस और अन्य समस्याओं के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) 21वीं सदी के लिए पुलिस व्यवस्था पर भारत-ब्रिटेन सम्मेलन, भारत सरकार और यूनाईटेड किंग्डम की सरकार द्वारा 19 मार्च और 20 मार्च, 2002 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। दिल्ली पुलिस तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने सरकार की तरफ से इस सम्मेलन को आयोजित करने में समन्वय का काम किया था। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

मुख्य विषय

(1) सामुदायिक पुलिस व्यवस्था।

(2) समस्यान्मुख पुलिस व्यवस्था।

(3) संगीन अपराधों की जांच पड़ताल।

(4) व्यापार योजनाओं के विषय और निष्पादन से जुड़े लोगों का प्रबंधन।

(5) सुभेद्य ग्रुपों के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था।

(6) अंतर्राष्ट्रीय विवाह।

सिंडिकेट ग्रुप विषय:-

(1) बहु-सांस्कृतिक समुदायों की पुलिस व्यवस्था।

(2) अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के प्रमाणिक लाभ।

(3) भारत में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था।

(4) प्रशिक्षण।

(5) पुलिस के विरुद्ध शिकायतों का प्रभावी रूप से निपटान।

(6) निष्पादन, प्रबन्धन और स्टाफ विकास।

(7) घरेलू हिंसा और बाल शोषण।

(8) संगठित अपराध।

(9) जांच पड़ताल में प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

(10) आर्थिक अपराध

(ग) और (घ) किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। सम्मेलन का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के पुलिस बलों के अनुभवों के आदान-प्रदान को सुकर बनाना था।

कापार्ट का कार्यनिष्पादन

5425. श्री राजो सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कापार्ट के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट ने लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऋण की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है ताकि बदलती हुई जरूरतों, प्राथमिकताओं और कार्यस्थिति के आलोक में कापार्ट के निष्पादन और कामकाज की समीक्षा की जा सके। समिति आगामी वर्षों में कापार्ट की भूमिका और कामकाज, इनके संगठनात्मक ढांचे, प्रशासनिक/वित्तीय प्रक्रियाओं और संबंधित मुद्दे के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(ग) सरकार ने कापार्ट को कोई ऋण नहीं दिया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

दिल्ली में धन ऐंठने वाला गिरोह

5426. श्री नरेश पुगलिया:
श्री सईदुज्जमा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 4 अप्रैल, 2002 और 15 अप्रैल, 2002 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली में धन ऐंठने वाले गिरोह के फलने-फूलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या इस रैकेट में लिप्त पाये गये पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पुलिस की छवि को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) 4 अप्रैल, 2002 के ''द टाइम्स आफ इंडिया'' अंक में छपे समाचार में समाविष्ट आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित एक सतर्कता जांच ने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों की प्रथम दृष्टा सह अपराधिता स्थापित की है। उनके विरुद्ध औपचारिक विभागीय कार्रवाई लंबित होने तक उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। तथापि, 15 अप्रैल, 2002 के ''द टाइम्स आफ इंडिया'' के अंक में छपे समाचार में निहित आरोपों के बारे में ऐसी कोई जांच नहीं कराई जा सकती है क्योंकि इनमें ऐसे कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिए गए जिनकी प्रभावी रूप से जांच कराई जा सके।

(छ) पुलिस बल में भ्रष्टाचार रोकने और इसकी छवि सुधारने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ की नियमित रूप से ब्रिफिंग, सतर्कता शाखा द्वारा आकस्मिक जांच, उन पुलिस कर्मियों पर कड़ी नजर रखना जिन पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का संदेह है, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कर्मियों की गैर-संवेदनशील पदों पर तैनाती, जनता को पुलिस स्टेशनों, जिला मुख्यालयों, पुलिस मुख्यालय में लगाए गए शिकायत बक्सों और हैल्प लाईन सुविधाओं तथा ई-मेल के माध्यम से अपनी शिकायतें बताने के लिए प्रोत्साहित करना, वरिष्ठ अधिकारियों

द्वारा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच, और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वालों को अनुकरणीय सजा देना शामिल है।

शिक्षा के लिए वित्त पोषण में वृद्धि

5427. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दसवीं योजना रिपोर्ट ने यह सिफारिश की है कि शिक्षा के वित्त पोषण को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत कर देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को उद्यम पूंजी प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा विकास वित्त निगम स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग को दसवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए निधियों की आवश्यकता बतायी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान की शिक्षा के लिए सहायता

5428. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य सरकार, विशेषकर महाराष्ट्र को वर्षवार और राज्यवार कुल कितना वित्तीय आबंटन किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें उन विद्यालयों में विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने में विफल रही हैं जिनमें इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या हैं जिनमें विज्ञान शिक्षा का स्तर अपेक्षित स्तर तक नहीं रहा है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी हां।

(ख) "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिए गए वित्तीय आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना में यथापरिकल्पित विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और वैज्ञानिक रूचि को बढ़ावा देने के लिए नौवीं योजना के अंत तक अर्थात् 2001-2002 तक सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को योजना से निधियां प्राप्त हुई हैं। केन्द्र सरकार ने समय-समय पर प्राप्त ऐसे सभी पात्र प्रस्तावों को बिना किसी वित्तीय बाधाओं को अनुमोदित कर दिया है। तथापि, स्कूलों का चयन तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से उपकरणों आदि का वितरण संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों का उत्तरदायित्व है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	संस्वीकृत सहायता की राशि		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	480.00	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	46.98	-

1	2	3	4	5
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	21.90
4.	छत्तीसगढ़	–	–	45.00
5.	गोवा	7.76	–	–
6.	गुजरात	–	–	393.05
7.	हरियाणा	–	–	103.21
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	234.58
9.	जम्मू एवं कश्मीर	–	144.45	–
10.	कर्नाटक	–	–	28.22
11.	केरल	399.92	–	–
12.	महाराष्ट्र	–	170.45	825.54
13.	मिजोरम	129.76	–	–
14.	उड़ीसा	1350.00	810.00	–
15.	पंजाब	–	626.80	–
16.	सिक्किम	1.22	–	–
17.	त्रिपुरा	–	101.15	–
18.	पांडिचेरी	3.54	–	–
19.	लक्षद्वीप	3.60	–	–

अन्नपूर्णा योजना

5429. श्री पी. कुमारासामी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 के दौरान अन्नपूर्णा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो आबंटित/निर्गत किए गए धन का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि शेष है जो खर्च नहीं की जा सकी है;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत धन के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राज्यों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) अन्नपूर्णा योजना के तहत वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए आबंटित, रिलीज की गई और खर्च न की गई शेष धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) योजना के तहत निधियों के दुरूपयोग से संबंधित कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। अन्नपूर्णा योजना को वित्तीय वर्ष 2002-2003 से राज्य योजना को हस्तांतरित कर दिया गया है।

विवरण

अन्नपूर्णा योजना: आवंटन, रिलीज और खर्च नहीं की गई निधियों से संबंधित ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01				2001-02			
		आवंटन	रिलीज	खर्च	1.4.01 को अथशेष	आवंटन	रिलीज	राज्यों/ संघ राज्यों द्वारा सूचित खर्च	खर्च न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	624.43	936.43	734.86	0.00	979.59	979.59	582.21	397.38
2.	बिहार	1116.20	1116.20	0.00	1116.20	1167.65	1167.65	1087.94	1195.92
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	223.51	223.51	0.00	223.51
4.	गोवा	6.03	6.03	0.00	6.03	6.31	0.00	0.51	5.52
5.	गुजरात	296.94	296.94	0.00	296.94	0.00	0.00	0.00	296.94
6.	हरियाणा	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	51.05	51.05	19.35	31.71	53.41	53.41	31.71	53.41
8.	जम्मू और कश्मीर	68.47	68.47	0.00	68.47	71.63	0.00	33.26	35.21
9.	झारखण्ड	368.08	368.08	0.00	368.08	385.05	0.00	0.00	368.08
10.	कर्नाटक	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	301.36	301.36	80.71	247.47	315.25	315.25	214.64	348.08
12.	मध्य प्रदेश	802.64	802.64	0.00	802.64	0.00	0.00	152.48	650.16
13.	महाराष्ट्र	897.51	897.51	0.00	897.51	938.88	0.00	0.50	897.01
14.	उड़ीसा	434.15	434.15	328.69	105.46	454.16	539.59	400.84	244.21
15.	पंजाब	83.48	83.48	0.00	83.48	0.00	0.00	0.00	83.48
16.	राजस्थान	318.24	636.24	589.29	338.69	665.57	665.57	465.40	538.87
17.	तमिलनाडु	576.59	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17	0.00	603.17
18.	उत्तर प्रदेश	1681.93	2199.93	522.71	1677.22	2212.40	2212.40	1159.22	2730.40
19.	उत्तरांचल	0.00	0.00	16.99	0.00	89.03	89.03	42.49	46.54
20.	पश्चिम बंगाल	641.04	641.04	0.00	641.04	670.59	0.00	0.00	641.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3.75	3.75	0.00	3.75	3.92	0.00	0.07	3.68
22.	चण्डीगढ़	2.95	2.95	0.00	2.95	3.08	0.00	0.00	2.95
23.	दादरा व नागर हवेली	2.55	2.55	0.00	2.55	2.66	2.66	0.65	4.56
24.	दमन व दीव	0.54	0.54	0.00	0.54	0.56	0.00	0.00	0.54
25.	एन.सी.टी. दिल्ली	53.87	53.87	0.00	53.87	56.35	0.00	0.00	53.87
26.	लक्षद्वीप	0.40	0.40	0.00	0.40	0.42	0.00	0.00	0.40
27.	पाण्डिचेरी	10.59	10.59	0.00	10.59	11.07	0.00	0.02	10.56
	उप योग	8914.29	8914.20	2292.60	6755.59	8914.29	6851.84	4171.93	9435.50
उत्तर-पूर्वी राज्य									
28.	अरुणाचल प्रदेश	39.90	39.90	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00	39.90
29.	असम	577.63	577.63	0.00	577.63	577.63	0.00	56.45	521.19
30.	मणिपुर	71.99	71.99	0.00	71.99	71.99	71.99	54.43	89.55
31.	मेघालय	77.62	77.62	0.00	77.62	77.62	0.00	0.00	77.62
32.	मिजोरम	21.68	21.68	8.89	12.79	21.68	21.68	19.94	14.53
33.	नागालैण्ड	56.38	56.38	30.84	26.31	56.38	56.38	23.22	59.46
34.	सिक्किम	20.82	20.82	20.81	0.00	20.82	20.82	0.00	20.82
35.	त्रिपुरा	124.46	124.46	54.88	69.58	124.46	124.46	54.88	139.16
	उप योग	990.48	990.48	115.43	875.82	990.48	295.32	208.92	962.22
	कुल	9904.76	9904.68	2408.03	7631.41	9904.76	7147.16	4380.84	10397.72

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

5430. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आबंटित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकारों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत/निर्गत की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत राज्यो को धन के आबंटन में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.) के अंतर्गत मांगी गई अतिरिक्त निधियों और बजट की उपलब्धता और निष्पादन के आधार पर जारी की गई अतिरिक्त निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) वित्तीय वर्ष 2002-03 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना को राज्य योजना को हस्तांतरित कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय अब हस्तांतरित योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को निधियां जारी करेगा।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मांगी गई अतिरिक्त निधियों और जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांगी गई अतिरिक्त निधियां	जारी की गई अतिरिक्त निधियां
1.	राजस्थान	3570.20	139.53
2.	पश्चिम बंगाल	347.49	313.45
3.	मध्य प्रदेश	928.49	316.26
4.	उत्तर प्रदेश	2064.39	743.93
5.	बिहार	721.84	486.83
6.	उड़ीसा	984.63	842.95
7.	आंध्र प्रदेश	444.13	444.13
	कुल	9061.17	3287.08

उर्वरकों के उत्पादन के लिए जर्मनी से वित्तीय सहायता

5431. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी ने उर्वरकों के उत्पादन के लिए भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस सहायता राशि में प्रत्येक राज्य का विशेषकर गुजरात का, हिस्सा कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) हालांकि जर्मनी सरकार म्यूरिएट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) की खरीद के लिए आसान ऋण प्रदान करती रही है जिसका इस्तेमाल सीधे या तो किसानों द्वारा किया जा सकता है अथवा मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा किया जा सकता है। उर्वरकों के उत्पादन के लिए जर्मनी द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

दोहा सम्मेलन

5432. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्मास्युटिकल कंपनियों ने गत वर्ष नवम्बर में आयोजित दोहा सम्मेलन से मिलने वाले लाभ पर आशंका जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दवा विनिर्माता संघ ने भी अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करने में आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने का अनुरोध किया है;

(घ) ड्रग और फार्मा लाबी द्वारा अन्य क्या मुद्दे उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय भेषज कंपनियों ने दोहा सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों समेत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए हैं। इनमें अनिवार्य लाइसेंस, समानान्तर आयात, पेटेंट योग्य खोजों की परिभाषा इत्यादि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

(ग) से (ङ) औषध विनिर्माता संघ ने अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करने में प्रक्रियागत कठिनाइयों को दूर करने समेत भारतीय पेटेंट कानून में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति और औद्योगिक नीति एवं सवर्धन विभाग को अनेक अभ्यावेदन दिए हैं। जनस्वास्थ्य एवं पोषाहार से संबंधित प्रावधानों समेत राष्ट्रीय एवं जनहित की सुरक्षा के लिए पेटेंट द्वितीय (संशोधन) विधेयक, 1999 में समुचित प्रावधान शामिल किए गए हैं।

व्यय सुधार आयोग

5433. श्री अमर राय प्रधान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाले विभाग में इस समय हो रहे अपव्यय में कमी लाने के मामले में सिफारिश करने हेतु एक व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस आयोग की संरचना क्या है;

(ग) 31.12.2001 की तिथि के अनुसार इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिनका क्रियान्वयन उनके मंत्रालय या उसके अंतर्गत आने वाले विभागों द्वारा अब तक नहीं किया गया है और उनका क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) गृह मंत्रालय द्वारा कोई व्यय सुधार आयोग गठित नहीं किया गया है। अत: इसकी संरचना, सिफारिशों, सिफारिशों के कार्यान्वयन इत्यादि के बारे में प्रश्न ही नहीं उठते हैं। तथापि अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्यों, कार्यकलापों और प्रशासनिक ढांचे को कम करने के लिए, तरीके सुझाने के लिए, अमदाद के ढांचे की पुनरीक्षा करने और उसके जारी रखने के लिए आर्थिक मीमांसा पर विचार करने, विभागीय और वाणिज्यिक तत्वों द्वारा प्रयोक्ता प्रभारों के निर्धारण ढांचे की पुनरीक्षा, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, संबद्ध कार्यालयों और संस्थानों के तहत कर्मचारियों की पर्याप्तता की समीक्षा, और सरकार में व्यय के प्रबोधन से संबंधित किसी अन्य मामले की पुनरीक्षा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2000 में भूतपूर्व वित्त सचिव श्री के.पी. गीताकृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग गठित किया गया था। गृह मंत्रालय, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों से विशिष्ट रूप से कवर नहीं होता है। तथापि व्यय सुधार आयोग ने "टास्क अहेड" नामक अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि शेष मंत्रालयों/संगठनों को, वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके और कर्मचारी बल को अनुकूलतम करने के लिए व्यय सुधार आयोग द्वारा सुझाए गए आम दृष्टिकोण के अनुसार, अपनी जनशक्ति आवश्यकता की स्वयं जांच करनी चाहिए। गृह मंत्रालय कर्मचारी बल को अनुकूलनतम करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को समय-समय पर कार्यान्वित करता रहा है।

व्यय सुधार आयोग ने, आम मुद्दों पर अपनी 10वीं रिपोर्ट में, अधिकारियों को मुक्त राशन इत्यादि उपलब्ध कराने और सशस्त्र सेना और पुलिस के अधिकारियों के निवास पर सहायक कर्मचारियों उपलब्ध कराने की परिपाटी पर प्रश्न चिह्न लगाया है। व्यय सुधार आयोग की टिप्पणियों पर गृह मंत्रालय के विचार वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिए गए है।

पेटेंट कानून के अंतर्गत संरक्षण

5434. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पेटेंट विभाग ने ऐसी मदों की एक सूची तैयार की है जो जियोग्रैफिकल इंडिकेशन एक्ट' के अंतर्गत संरक्षण योग्य हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मदों को पेटेंट कानून के अंतर्गत पूरा संरक्षण प्राप्त हो सकेगा; और

(घ) भारत की परम्परागत प्रकृति के मदों और वस्तुओं के संरक्षण हेतु उठाने जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बालिका समृद्धि योजना

5435. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर बिहार को कितना धन आबंटित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कक्षा 1 से कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार और विशेषकर उक्त राज्य की कितनी छात्राएं लाभान्वित हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) बालिका समृद्धि योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए निधियों के राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है। इन वर्षों के दौरान बिहार राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियां निम्नानुसार हैं:-

(रुपए लाखों में)

1999-2000	712.46
2000-2001	212.00
2001-2002	-

(ख) और (ग) देश में बालिका समृद्धि योजना की शुरूआत 2 अक्तूबर, 1997 को की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे किसी भी परिवार में 15 अगस्त, 1997 को अथवा उसके पश्चात् जन्मी दो बालिकाओं तक को शामिल किया जाता है। इस समय इस स्कीम के एकमात्र घटक अर्थात् जन्मोत्तर अनुदान को कार्यान्वित किया जा रहा है। 15 अगस्त, 1997 को जन्मी बालिका 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अगस्त, 2003 से स्कूल जाना प्रारंभ करेगी और इसलिए छात्रवृत्ति का लाभ 15 अगस्त, 2003 के बाद ही देय होगा।

विवरण

बालिका समृद्धि योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए निधियों के राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	146.35	180.00	140.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.21	2.50	-
3.	असम	143.68	105.00	-
4.	बिहार	712.46	212.00	-
5.	चण्डीगढ़	-	-	200.00
6.	गोवा	2.23	5.00	2.50
7.	गुजरात	105.49	140.00	70.00
8.	हरियाणा	57.66	25.00	-
9.	हिमाचल प्रदेश	18.50	22.00	20.00
10.	जम्मू व कश्मीर	35.00	62.50	31.25

1	2	3	4	5
11.	झारखण्ड	–	–	100.00
12.	कर्नाटक	151.35	162.00	160.00
13.	केरल	54.60	60.50	30.25
14.	मध्य प्रदेश	366.90	482.00	100.00
15.	महाराष्ट्र	304.95	60.00	–
16.	मणिपुर	7.65	10.75	5.50
17.	मेघालय	11.90	–	–
18.	मिजोरम	2.06	5.00	5.50
19.	नागालैंड	3.54	1.25	–
20.	उड़ीसा	221.41	325.00	263.00
21.	पंजाब	28.28	45.00	42.50
22.	राजस्थान	217.12	50.00	–
23.	सिक्किम	2.17	1.25	2.00
24.	तमिलनाडु	158.77	29.50	–
25.	त्रिपुरा	11.60	8.50	29.25
26.	उत्तर प्रदेश	935.94	100.00	–
27.	उत्तरांचल	–	–	100.00
28.	पश्चिम बंगाल	275.18	–	–
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.10	0.375	–
30.	चंडीगढ़	1.28	0.875	–
31.	दादर एवं नगर हवेली	–	0.75	2.38
32.	दमन एवं दीव	0.47	0.125	–
33.	दिल्ली	12.54	–	–
34.	लक्षद्वीप	0.26	0.625	0.30
35.	पांडिचेरी	3.35	2.50	–
	कुल	4000.00	2100.00	1304.43

[अनुवाद]

जापान की सहायता से पेयजल परियोजना

5436. श्री रामशकल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जापान की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली पेयजल परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों की ओर से अब तक राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2002-2003 के लिए जापानी सहायता और टेक्नीकल कार्पोरेशन प्रोग्राम के लिए पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव मंगाए हैं।

(ग) जापानी सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं:

(1) तमिलनाडु सरकार के धरमपुरी जिले के लिए होगेनक्कल जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना।

(2) आंध्र प्रदेश सरकार के प्रकाशम जिले के कानीगिरी क्षेत्र में समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता।

(3) रिग्स और अन्य उपस्कर की प्राप्ति-गुजरात सरकार।

सरकारी कालोनियों में अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण

5437. श्री विष्णुदेव साय: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.3.2002 की तिथि के अनुसार दिल्ली की विभिन्न सरकारी कालोनियों में आवंटितियों द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण सम्पदा निदेशालय/सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी के अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इसके लिए दोषी आवंटितियों और अधिकारियों के खिलाफ सम्पदा निदेशालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सरकारी क्वार्टरों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) द्वारा सूचित अवैध निर्माण के मामलों की क्षेत्रवार/टाइपवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) के.लो.नि.वि. से अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त होते ही, संपदा निदेशालय द्वारा "सरकारी वास (दिल्ली में सामान्य पूल) आबंटन नियम "1963" के अंतर्गत आबंटिती के 15 दिन के अंदर ऐसा निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर आबंटन रद्द कर दिया जाता है और संबंधित विभाग को आबंटिती के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की जाती है। आबंटन रद्द होने पर भी क्वार्टर न खाली करने पर ऐसे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ, लोक परिसर अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही की जाती है। संपदा निदेशालय 1432 आबंटियों को अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 42 मामलों में आबंटन रद्द किया गया है। साथ ही, सरकारी कालोनियों से ऐसे अतिक्रमण हटाने को गहन अभियान चलाने की दृष्टि से, विभिन्न कालोनियों में के.लो.नि.वि. संपदा निदेशालय और संबंधित स्थानीय- यथा दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधियों की संयुक्त टीमें बनाई जा रही हैं।

विवरण

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) द्वारा सूचित सरकारी मकानों में अवैध निर्माण के मामलों की क्षेत्रवार/टाइपवार संख्या

क्षेत्र का नाम	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V	टाइप-विशेष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
आर.के. पुरम	96	906	8	16	9	4	1039
पंडारा रोड	–	–	–	32	–	–	32

1	2	3	4	5	6	7	8
लोधी कालोनी	–	–	455	32	–	–	487
सरोजिनी नगर	–	–	148	–	–	–	148
नानक पुरा	–	46	–	–	11	–	57
काका नगर	–	–	–	–	66	–	66
नेताजी नगर	–	85	7	–	9	–	81
विनय मार्ग	–	–	–	–	57	–	57
सी.जी. रोड	–	–	17	–	–	–	17
एंड्रयूज गंज	–	–	20	–	–	–	20
डी.आई.जैड. एरिया	35	96	–	–	–	–	133
नौरोजी नगर	–	106	–	–	–	–	106
सादिक नगर	–	74	–	–	–	–	74
एमबी रोड	–	307	–	–	–	–	307
वसंत विहार	–	1	–	–	–	–	01
मोती बाग	24	396	–	–	–	–	420
लक्ष्मी बाई नगर	–	236	–	–	–	–	236
एल आर काम्प्लेक्स	–	379	–	–	–	–	379
किदवई नगर	–	36	–	–	–	–	36
लान्सर रोड	–	26	–	–	–	–	26
चाणक्य पुरी	–	–	–	–	–	59	59
रविन्द्र नगर	–	–	–	–	–	22	22
तिलक लेन	–	–	–	–	–	01	01
श्रीनिवासपुरी	–	–	45	–	–	–	45

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर खर्च की गई धनराशि

5438. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बीपीएल) के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जरिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चला रहा है। चालू वर्ष में स्कीम के तहत राज्य/संघ

शासित प्रदेशवार अंतिम आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के तहत वर्ष 2002-03 के लिए केन्द्रीय धन का राज्य-वार अंतिम नियतन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अंतिम नियतन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	784.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	58.54
3.	असम	478.04
4.	बिहार	427.02
5.	छत्तीसगढ़	236.41
6.	गोवा	17.52
7.	गुजरात	366.69
8.	हरियाणा	70.62
9.	हिमाचल प्रदेश	55.21
10.	जम्मू तथा कश्मीर	62.98
11.	झारखंड	213.37
12.	कर्नाटक	580.09
13.	केरल	261.98
14.	मध्य प्रदेश	813.93
15.	महाराष्ट्र	1331.80
16.	मणिपुर	133.72
17.	मेघालय	70.10
18.	मिजोरम	91.22
19.	नागालैंड	59.67
20.	उड़ीसा	330.94
21.	पंजाब	58.45
22.	राजस्थान	349.20
23.	सिक्किम	25.59
24.	तमिलनाडु	651.70
25.	त्रिपुरा	99.17
26.	उत्तरांचल	76.18
27.	उत्तर प्रदेश	1450.29
28.	पश्चिम बंगाल	435.20
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	114.30
30.	चंडीगढ़	122.27
31.	दादर एवं नगर हवेली	23.91
32.	दमन एवं दीव	32.52
33.	दिल्ली	125.15
34.	पाण्डिचेरी	65.85
	योग	10074.00

[अनुवाद]

उपग्रह चित्रों का आदान-प्रदान

5439. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने विशेषकर आतंकवादी गतिविधियों के मामले में उपग्रह चित्रों के आदान-प्रदान और आसूचना संपर्कों को मजबूत करने पर सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूस के अलावा ऐसे कौन-कौन से मित्र देश हैं जिनके साथ भारत का ऐसे चित्रों का आदान-प्रदान करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5440. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम धनराशि सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो विकास योजना हेतु इस योजना का विशिष्ट दायरा क्या है;

(ग) क्या सीमावर्ती क्षेत्र का विकास कार्यक्रम के लिए योजनाओं की सिफारिश करने में सीमावर्ती क्षेत्र के सांसदों को भागीदारी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप दूर दराज अगम्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। अत: इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमें, आवश्यक वस्तुओं के प्रावधान के संबंध में कमी, सामाजिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने, सड़कों में भारी खामियों जैसे छोटी पुलिया, पुलों, अश्व मार्ग तथा सम्पर्क सड़कों का न होना, महत्वपूर्ण कर्मचारियों जैसे डाक्टर, नर्सों के लिए आवास निर्माण, सुरक्षा संबंधी योजनाओं आदि की समस्याओं को दूर करने के लिए है।

यह कार्यक्रम 100% केन्द्र द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रीय कार्यक्रम है तथा यह सत्रह राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, के सीमा ब्लाकों में प्रचालन में है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य को समग्र रूप से प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के लिए निदेशक सिद्धांतों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय छानबीन समिति कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं के बारे में निर्णय लेती है। दिशा निर्देशक सिद्धांतों में योजनाओं की पहचान के लिए पंचायती राज निकायों विशेषतौर पर ग्राम सभा जैसी निचले स्तर की संस्थाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राज्य सरकारों के लिए अपेक्षित है कि वे योजनाओं के चयन में सीमा क्षेत्रों के लोगों की व्यापक भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित तौर-तरीके निकालें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी भवनों के रख-रखाव पर खर्च

5441. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न सरकारी भवनों के रख-रखाव पर कितना खर्च आता है;

(ख) इस खर्च का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस राशि के दुरूपयोग पर अकुंश लगाने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न सरकारी भवनों के रख-रखाव पर वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान 279.67 करोड़ रुपया खर्च किया।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र में पर्याप्त व्यवस्था हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1.	मुख्य शीर्ष 2059 सामान्य पूल सरकारी कार्यालय भवन	करोड़ रु. में वर्ष 2000-2001
(क)	**सामान्य पूल कार्यालय भवन**	
1.	नयी आपूर्ति एवं मरम्मत	2.85
2.	रख-रखाव एवं मरम्मत	74.33
3.	गौण कार्य	3.97
4.	पट्टा प्रभार	54.53
(ख)	**अन्य सरकारी कार्यालय भवन**	
1.	रख-रखाव एवं मरम्मत	2.66
2.	गौण कार्य	0.14

2. (क) मुख्य शीर्ष		करोड़ में
	2216 सामान्य पूल सरकारी रिहायशी भवन	वर्ष 2000-2001
1.	गौण कार्य	7.37
2.	साधारण मरम्मत	88.40
3.	विशेष मरम्मत	18.11
4.	पट्टा प्रभार	16.95
5.	राजस्व	6.32
6.	साधारण मरम्मत	1.47
7.	विशेष मरम्मत	0.52
2.(ख) अन्य पूल वास		
1.	गौण कार्य	0.06
2.	साधारण मरम्मत	1.47
3.	विशेष मरम्मत	0.52

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

5442. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए चीनी प्रौद्योगिकी मिशनों की स्थापना की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मिशनों के अंतर्गत अभी तक राज्य-वार लाभान्वित चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक), शर्करा उद्योग के तकनीकी निष्पादन को सुधारने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के शर्करा उत्पादन प्रौद्योगिकियों (एस टी एम) पर मिशन मोड परियोजन का कार्यान्वयन कर रहा है।

मिशन ने ऊर्जा संरक्षण, उच्चतर संयंत्र क्षमताओं, क्षमता अनुकूलन तथा शर्करा गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देते हुए, देश में अब तक 30 शर्करा फैक्ट्रियों के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं तैयार की हैं। योजनाओं का खाद्य विभाग की शर्करा विभाग निधि (एस डी एफ) की स्थायी समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जिसके बाद उनके कार्यान्वयन के लिए एस डी एफ से आवश्यक ऋण जारी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अब तक 20 नई प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है इनमें से 14 पूर्ण की जा चुकी हैं तथा बाकी मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) राज्यवार वे शर्करा मिलें, जिन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रौद्योगिकी परीक्षणों हेतु एस टी एम द्वारा सहायता दी गई है, संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश

1. डी एस एम शुगर- बाराबंकी, राऊजागांव
2. आर.बी.एन.एस. शुगर मिल्स लि., लहकसर
3. अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली
4. एल एच शुगर फैक्टरी, पीलीभीत
5. प्रतापपुर शुगर मिल्स लि., दिओरिया
6. शाकम्बरी शुगर एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज लि., सहारनपुर
7. सिएल लि., मवाना
8. द सिम्बावली शुगर मिल्स लि., सिम्बावली
9. रामगढ़ चीनी मिल्स, रामगढ़
10. धामपुर शगर मिल्स लि., धामपुर

महाराष्ट्र

1. विग्नहार एस एस के लि., विग्नहार
2. अजीनक्याटारा एस एस के लि., सतारा
3. पदमश्री डा. विट्ठलराव विखे पाटिल एस एस के लि., प्रवर नगर
4. तरना एस एस के लि., तरनानगर
5. अशोक एस एस के लि., अशोक नगर
6. राहुरी एस एस के लि., राहुरी

7. संजीवनी एस एस के लि., संजीवनी
8. श्री जगदम्बा एस एस के लि., रशीन
9. विश्वासराव नाइक एस एस के लि., यशवन्तनगर

तमिलनाडु

1. शक्ति शुगर्स लि., शक्ति नगर
2. ई.आई.डी. पैरी (आई) लि., पुगलनगर

गुजरात

1. वलसाड एस एस के लि., वलसाड
2. ताला सहकारी खाण्ड उद्योग मण्डली लि., तलाला
3. बिलेश्वर खाण्ड उद्योग खेद्युत सहकारी मण्डली लि., कोदीनार

बिहार

1. मोतीलाल पदमपत उद्योग मण्डल लि., मझोलिया
2. रिगा शुगर कं. लि., रिगा
3. विष्णु शुगर मिल्स लि., गोपालगंज

हरियाणा

1. जीन्द कोओप शुगर मिल्स, जीन्द
2. पलवल कोओप. शुगर मिल्स, पलवल

पंजाब

1. बुधवल कोओप. शुगर मिल्स लि. बुधेवल

आंध्र प्रदेश

1. वारालक्ष्मी शुगर लि., सांक्ली

कर्नाटक

1. गोदावरी शुगर मिल्स लि., समीरवाड़ी
2. चामुण्डेश्वरी शुगर्स लि.

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों का निर्माण

5443. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्रीमती कैलाशो देवी:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री आदि शंकर:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण हेतु 1.1.1998 से आज तक प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई और खर्च की गई है;

(ख) राज्य-वार प्रतिवर्ष कितने मकानों का निर्माण और आवंटन किया गया और कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसे कोई अन्य योजनाएं भेजी हैं और अधिक निधियों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर केन्द्र सरकार ने राज्य-वार क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान कितने मामलों के निर्माण को प्रस्ताव है और इन पर राज्य-वार कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आवास राज्य का विषय है। विभिन्न आवास कार्यक्रमों को तैयार करना और कार्यान्वित करना प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि आवास तथा नगर विकास निगम लि. (हडको), जो एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, विभिन्न प्रकार के आवास कार्यकलापों तथा अवस्थापना विकास के लिए राज्य सरकारों व अन्य पात्र संगठनों को ऋण सहायता और तकनीकी सहायता देता है।

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 1998-99 से अब तक वर्षवार हडको ऋण नियतन तथा स्वीकृति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) हडको आवास स्कीमों को केवल धन मुहैया करता है और वास्तविक निर्माण कार्य तथा आबंटन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। तथापि देश के शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस के लिए 1998-99 से अब तक वर्ष-वार स्वीकृत रिहायशी यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) और (घ) शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस हेतु 23.52 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए विभिन्न आवास स्कीमें हडकों में लंबित है। ये स्कीमें प्रक्रियाधीन हैं और इन पर हडको दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा। लंबित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

(ङ) वर्ष 2002-2003 के लिए हडको ने प्राथमिकता क्षेत्र आवास के लिए 1300 करोड़ रुपये का नियतन निर्धारित किया है, राज्यवार नियतन राज्य एजेंसियों के साथ परामर्श करके मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

विवरण-I

विगत चार वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस. (शहरी) श्रेणी के लिए राज्यवार नियतन/मंजूरी

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998-1999		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	नियतन	मंजूरी	नियतन	मंजूरी	नियतन	मंजूरी	नियतन	मंजूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.03	0.00	0.03	0.00	1.20	0.00	0.06	0.00
आंध्र प्रदेश	10.82	68.28	29.88	1.17	19.02	0.04	8.44	41.65
अरुणाचल प्रदेश	0.16	0.00	0.18	0.00	0.21	0.00	0.14	0.00
असम	6.01	20.31	8.12	2.55	8.97	0.00	5.90	0.00
बिहार	1.14	0.00	2.00	0.00	4.93	0.00	3.54	0.00
चंडीगढ़	0.10	0.00	0.12	0.00	0.14	0.00	0.18	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	4.45
दादर एवं नगर हवेली	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
दमन और द्वीव	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
दिल्ली	1.30	0.00	1.52	0.00	1.72	0.00	2.26	0.13
गोवा	0.45	0.00	0.36	0.00	0.21	0.00	0.28	0.00
गुजरात	14.00	9.11	10.11	4.30	5.95	0.24	7.82	0.27
हरियाणा	0.00	0.00	3.00	3.00	1.34	0.00	1.76	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.48	0.00
जम्मू तथा कश्मीर	1.01	0.00	0.00	0.26	1.17	0.00	1.54	0.00
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00
कर्नाटक	9.44	15.35	9.28	1.02	20.04	0.81	6.88	0.11
केरल	16.47	1.25	13.39	110.45	10.00	0.00	3.48	2.00
लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
मध्य प्रदेश	10.50	9.59	0.00	3.24	6.93	0.38	6.74	0.00
महाराष्ट्र	16.75	1.95	22.95	24.11	24.39	1.36	12.72	0.00
मणिपुर	1.51	4.45	1.99	0.24	2.00	0.00	1.32	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	0.92	10.12	1.08	0.00	1.21	0.00	0.80	0.00
मिजोरम	2.06	1.19	2.40	0.00	2.72	0.84	1.78	0.00
नागालैण्ड	1.05	1.05	1.00	2.00	1.13	0.00	0.74	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	4.82	4.82	2.72	0.00	3.56	0.00
पाण्डिचेरी	0.11	0.00	0.95	0.00	0.15	0.00	0.20	0.00
पंजाब	1.99	2.03	0.00	0.00	1.96	0.00	2.56	0.00
राजस्थान	9.10	7.77	17.47	6.21	5.60	5.17	7.20	1.00
सिक्किम	0.00	0.06	0.00	0.06	0.07	0.00	0.04	0.00
तमिलनाडु	13.06	6.78	13.21	2.53	13.00	0.36	9.70	3.82
त्रिपुरा	1.49	0.02	1.06	0.30	1.19	0.00	0.78	0.00
उत्तर प्रदेश	14.89	1.54	9.07	7.65	31.35	6.50	10.34	2.62
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00
पश्चिम बंगाल	1.00	0.00	0.50	0.00	5.29	0.00	6.96	0.00
योग	137.45	160.79	155.12	173.83	175.00	15.74	115.00	56.04

विवरण-II

राज्यवार मंजूर ईडब्ल्यूएस शहरी रिहायशी यूनिट

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	33309	33884	24298	24000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1600
3.	असम	25675	514	209	0
4.	बिहार	45	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	10000
6.	दिल्ली	0	0	0	2016
7.	गोवा	0	0	0	0
8.	गुजरात	16366	23045	3119	2357

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10.	हरियाणा	0	634	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0
12.	जम्मू तथा कश्मीर	0	56	0	567
13.	केरल	63210	95825	74800	1330
14.	कर्नाटक	139961	55968	10183	43733
15.	मेघालय	2040	0	0	0
16.	महाराष्ट्र	4356	375	395	4989
17.	मणिपुर	890	72	0	80
18.	मध्य प्रदेश	51162	160	0	2200
19.	मिजोरम	391	0	169	0
20.	नागालैण्ड	350	500	0	40
21.	उड़ीसा	12000	3056	10000	905
22.	पंजाब	1764	0	0	10000
23.	राजस्थान	2713	1510	1249	8780
24.	सिक्किम	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	19711	1992	11747	4154
26.	त्रिपुरा	11	1330	115	462
27.	उत्तरांचल	0	0	0	2167
28.	उत्तर प्रदेश	45168	1999	1139	125925
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	8858
	संघ शासित क्षेत्र				
30.	अंडमान नि. द्वी. समूह	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दादर नगर हवेली	0	0	0	0
33.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0
	योग	419122	220850	137423	254323

विवरण-III

ईडब्ल्यूएस (शहरी) के लिए राज्यवार लम्बित ऋण (31.3.2002 के अनुसार)

राज्य	ईडब्ल्यूएस (शहरी) ऋण (रुपये लाख में)
छत्तीसगढ़	18.05
गुजरात	592.00
हरियाणा	24.8
केरल	240.00
तमिलनाडु	72.00
त्रिपुरा	159.25
उत्तर प्रदेश	1230.99
पश्चिम बंगाल	15.00
कुल	2352.09

[अनुवाद]

भेषजीय मदों का निर्यात

5444. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस को होने वाले भेषजीय मदों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा जारी सांख्यिकी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान रूस को निर्यात किए गए औषधों, भेषजों और फाइन रसायनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(लाख रु. में)

1999-2000	53186
2000-2001	49679
2001-2002 (अप्रैल से जनवरी)	38630

(ग) भारत सरकार, भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से बाजार विकास सहायता योजना और बाजार सुलभ पहल योजना द्वारा सभी भारतीय निर्यातकों (औषधों और भेषजों के निर्यात सहित) को वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त, भेषज से संबंधित भारत-रूसी कार्यदल के माध्यम से रूस को निर्यात बढ़ाने के भी प्रयास किए जाते हैं।

कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया

5445. श्री रामजी मांझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया में नए सिरे से परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कालेज दाखिला प्रक्रिया में नए सिरे से परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में सैलफोन का प्रयोग

5446. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में सैलफोन के प्रयोग की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) इस संबंध में, दूरसंचार विभाग द्वारा आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य के बारे में अपने प्रत्यक्ष ज्ञापन के आधार पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय ने अपनी टिप्पणियां दी हैं। तथापि, सरकार के संबद्ध विभागों के साथ परामर्श करके अन्तिम निर्णय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लिया जाना है।

[हिन्दी]

झारखंड में आई.डी.एस.एम.टी. कार्यक्रम का कार्यान्वयन

5447. श्री राम टहल चौधरी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के छोटे और मध्यम आकार के शहरों में छोटे और मध्यम आकार के नगरों के समेकित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जिला-वार कितने शहरों/नगरों को लाया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। छोटे एवं मझौले कस्बों का समेकित विकास स्कीम (आई.डी.एम.टी.) के तहत अब तक झारखंड राज्य से 12 कस्बों को शामिल किया गया है। शामिल किए गए कस्बों के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं:-

क्र.सं.	कस्बा	जिला
1.	डाल्टेनगंज	पलामू
2.	दुमका	दुमका
3.	चाइबासा	पश्चिमी सिंहभूम
4.	देवघर	देवघर
5.	हजारीबाग	हजारीबाग
6.	गिरिडीह	गिरिडीह
7.	धनबाद	धनबाद
8.	साहिबगंज	साहिबगंज
9.	गढ़वा	गढ़वा
10.	चतरा	चतरा
11.	गोड्डा	गोड्डा
12.	लोहरदगा	लोहरदगा

मास्टर प्लान में परिवर्तन

5448. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली के उद्योगों को बचाने के लिए मास्टर प्लान में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) अगस्त, 1990 में अनुमोदित की गयी मास्टर प्लान, 2001 (एमपीडी, 2001) इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू है। वर्ष 2021 (एमपीडी-2021) तक के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली के लिए तैयार किया जा रहा मास्टर प्लान प्रारंभिक अवस्था में है।

दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) -2021 तैयार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 13 विशेषज्ञ उप-समूह गठित किए गए हैं जिनके सदस्य व्यवसायिक, विशेषज्ञ प्रतिष्ठित व्यक्ति और विभिन्न विभागों के अधिकारी है। इन 13 उप-समूहों में से एक का विषय ''उद्योग'' (विनिर्माण) का कार्यात्मक पहल है।

दिल्ली का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार होने के बाद प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत ड्राफ्ट प्लान विचार हेतु सरकार के सामने रखने से पहले सुझाव/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

[अनुवाद]

साक्षरता कार्यक्रमों संबंधी प्रस्ताव

5449. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से साक्षरता कार्यक्रम को सुचारू बनाने, प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने, गांवों में प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के लिए भवनों की व्यवस्था करने और शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(घ) साक्षरता उपरांत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव अभी लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उर्वरकों के प्रयोग में बढ़ोत्तरी

5450. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों के प्रयोग में कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाने के लिए कोई कदम उठाए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) निम्न सारणी पूर्व वर्ष में प्रतिशतता अन्तर सहित देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल उर्वरक पोषकों का प्रयोग दर्शाती है:-

वर्ष	कुल उर्वरक पोषकों की खपत (लाख मी. टन)	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता अंतर
1999-2000	180-69	7-57
2000-2001	167-02	(-)7-57
2001-2002 (आकलित)	175-39	5-01

(ख) से (ङ) मृदा की पोषक स्थिति एवं फसलों की आवश्यकता के आधार पर उर्वरक के प्रयोग की सिफारिश की जाती है। सरकार पौध पोषकों के अकार्बनिक एवं कार्बनिक स्रोतों के संयुक्त प्रयोग के जरिए मृदा जांच आधारित संतुलित एवं समेकित पोषक व्यवस्था की सिफारिश करती रही है। भारत में वर्ष 1999-2000 के दौरान उर्वरक की औसत खपत 95 किलोग्राम पोषक (एन+पी+के) प्रति हेक्टेयर थी। व्यापक सर्वसम स्थिति में पाकिस्तान में पोषक खपत 113 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बांग्लादेश में 135 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा श्री लंका में 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। विकसित देशों में पोषक खपत कहीं अधिक है जो जापान में 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नीदरलैण्ड में 542 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) में 379 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अत: भारत में उर्वरक खपत को अधिक नहीं कहा जा सकता है इसलिए इसके कु-प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आर्थिक इतिहास की पुस्तकों का प्रकाशन

5451. श्री सुबोध मोहिते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद 'आजादी की ओर' जैसी पुस्तकों की तरह ही आर्थिक इतिहास संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(ग) इन पुस्तकों के प्रकाशन पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) प्रकाशन के लिए कितनी पुस्तकें शेष हैं; और

(ङ) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि परिषद आर्थिक इतिहास परियोजना पर खंड प्रकाशित कर रही है।

(ख) 1832-1900 की अवधि में भारत में रेल पथ निर्माण पर दस्तावेज के तीन खंड पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं।

(ग) इन खंडों की प्रकाशन लागत पर 2,40,000/- रु. खर्च किए गए।

(घ) प्रो. डी.पी. भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित भारत में सिंचाई पर दस्तावेज : 1858-1900 का एक खंड पूरा हो चुका है और अप्रैल, 2002 में प्राप्त हुआ है तथा इसके प्रकाशन की कार्रवाई की जी रही है।

(ङ) भारत में कृषि पर दस्तावेज : 1858-1900 के अन्य खंड के सम्पादन का कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता

5452. श्री अनन्त नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार आदिवासी उप-योजना वाले क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में राज्य-वार, विशेषत: उड़ीसा में आदिवासी उप-योजना वाले क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए वर्ष 2002-03 हेतु कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या ऐसे विभिन्न विकास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषत: उड़ीसा के संबंध में, ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य-वार आवंटन का कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार जनजातीय लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रम तैयार करती हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालय शिक्षा

5453. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में "विश्वविद्यालय रहित जिलों" की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्धारण के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) देश के सभी जिलों में विश्वविद्यालयों तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खेलों का विकास

5454. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 31.3.2002 तक खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सृजन और खेलों के विकास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 285 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी संगठनों/शिक्षण संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिनको ये परियोजनाएं राज्य-वार स्वीकृत की गई हैं; और

(ग) इस कार्य के लिए प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन/शिक्षण संस्था को आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुमोदित 285 प्रस्तावों में से, पिछले 3 वर्षों के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, 47 गैर-सरकारी संगठनों तथा 85 शिक्षण संस्थानों के प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता के लिए अनुमोदित किए जा चुके हैं। उन गैर-सरकारी संगठनों तथा शिक्षण संस्थानों को खेल अवस्थापना के लिए स्वीकृत की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	गैर-सरकारी सगंठनों के अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	शिक्षण संस्थानों के अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	45.00	-	-

1	2	3	4	5	6
2.	असम	1	27.00	–	–
3.	हरियाणा	3	146.90	–	–
4.	हिमाचल प्रदेश	–	–	9	9.55
5.	जम्मू व कश्मीर	–	–	22	21.11
6.	कर्नाटक	1	25.00	–	–
7.	केरल	1	20.00	5	5.99
8.	मध्य प्रदेश	–	–	17	56.5
9.	महाराष्ट्र	12	359.62	–	–
10.	मणिपुर	11	383.76	–	–
11.	नागालैण्ड	11	317.58	–	–
12.	उड़ीसा	–	–	6	9.00
13.	राजस्थान	–	–	2	1.51
14.	तमिलनाडु	2	150.00	24	22.27
15.	उ.प्र.	2	78.00	–	–
16.	पश्चिम बंगाल	2	21.38	–	–
	योग	47	1574.24	85	124.93

राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति

5455. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति बनाने हेतु सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और आवास और शहरी विकास मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो बैठक में उपस्थित मुख्य मंत्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई;

(घ) क्या राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति विषय पर कोई ठोस प्रस्ताव अपनाये जाने के संबंध में विचार किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हुडको ऋण को ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करना

5456. श्री राम मोहन गाइडे: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हुडको के 300 करोड़ रुपए के ऋण को ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत 300 करोड़ रुपए के हडको ऋण पर ब्याज माफी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। चूंकि पुनर्वास स्कीमों के लिए आवास तथा नगर विकास निगम लि. (हडको) को इस प्रकार सब्सिडी मुहैया करने का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसी ही स्थितियों में अन्य राज्यों को भी ऐसी रियायत नहीं दी गई, इसलिए उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

संविधान की छठी अनुसूची में जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए उपबंध करना

5457. श्री रामदास आठवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्रों के लिए संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को उपबंधित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बैठक में उपस्थित मुख्य मंत्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) गृह मंत्रालय संविधान की छठी अनुसूची का कतिपय आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस मामले की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि यह विषय गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

मध्य प्रदेश के लंबित प्रस्ताव

5458. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास, मलिन बस्ती सफाई, सफाई और जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति दिये जाने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ग) इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कूड़ा-करकट उठाने वाले विशिष्ट रिक्शे का विकास

5459. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम ने एशियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रांसपोर्ट के सहयोग से कूड़ा-करकट उठाने वाला विशेष रिक्शा विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं और जैव अनुक्रमणीय और गैर-जैव अनुक्रमणीय कूड़ा-करकट को एकत्र करने के लिए इसकी कीमत और उपयोगिता क्या होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में इसे लागू करने हेतु राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा एशियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रांसपोर्ट के सहयोग से विकसित रिक्शा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:-

(1) इसके दो भाग हैं- पहला मुख्य रिक्शा भाग तथा दूसरे भाग में जैव अनुक्रमणीय और गैर-जैव अनुक्रमणीय घरेलू कचरे को स्रोत पर ही अलग करने के लिए दो ढकी हुई फाइबर पेटियां हैं।

(2) ये रिक्शा चलाने में आसान है तथा इसके लिये कम ऊर्जा की जरूरत होती है।

(3) म्युनिसिपल डलाव पर कचरा उलटने के लिए कन्टेनरों को आसानी से उलटा जा सकता है और उसकी आसानी से सफाई और धुलाई की जा सकती है।

(4) रिक्शा की लागत करीब 9063/-रुपए है।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने दिल्ली में सहकारी समूह आवास सोसाइटियों को जिन्होंने उससे ऋण लिया है, ऐसे 500 रिक्शा मुफ्त दिये हैं।

(ग) और (घ) रिक्शों के निष्पादन के आंकलन के बाद उनकी विस्तृत जानकारी राज्य सरकारों को सूचना और निर्णय लेने हेतु भेजी जा सकेगी।

अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण

5460. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों संबंधी योजना के तहत खाद्यान्न के वितरण हेतु जवाबदेही निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और पंचायतों को क्या शक्तियां दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वितरकों द्वारा की गई अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई तंत्र हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (च) वित्तीय वर्ष 2002-03 से अन्नपूर्णा योजना को राज्य आयोजना में हस्तान्तरित कर दिया गया है। वर्ष 2000-01 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में चयन किए गए लाभार्थियों को पात्रता कार्ड के वितरण के लिए ग्राम पंचायतें जिम्मेदार थी। जिला अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत जिला स्तर पर खाद्यान्नों की उपलब्धता करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.डी.पी.एस.) के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के जरिए खाद्यान्नों के वितरण के लिए जिम्मेदार थे।

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर की कमेटी की परिकल्पना दिशा-निर्देशों में की गई थी।

भारतीय खाद्य निगम, रामागुंडम का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन

5461. श्री वाई.वी. राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, रामागुंडम में सुविधाओं का सदुपयोग करने की संभावनाओं के बारे में तकनीकी-आर्थिक अध्ययन शुरू करने तथा इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के एफ.सी.आई. को बन्द करने के अपने विचार उच्च न्यायालय को भेजने के निर्णय के विरुद्ध की गई एफ.सी.आई. की अपील को हाल ही में खारिज कर दिया है। इस संदर्भ में, इस समय कोई अध्ययन करना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

दिल्ली में भूमि अधिग्रहण

5462. डा. बलिराम: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में कुल कितने भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक और आवासीय भूखंडों के लिए कितनी बार नीलामी की गई और इससे कितनी धनराशि अर्जित की गई; और

(ग) बेचे गए छोटे भूखंडों की प्रति वर्ग गज और कीमत क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत, कब्जा ली गई भूमि, तथा भूमि अधिग्रहण पर किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) डीडीए ने बताया है कि उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक प्लाटों के लिए 32 नीलामी और रिहायशी प्लाटों के लिए 19 नीलामी की तथा वाणिज्यिक प्लाटों से 331.40 करोड़ रु. और रिहायशी प्लाटों से 45.51 करोड़ रु. प्राप्त किए।

(ग) डीडीए ने बताया है कि छोटे प्लाट को 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल का प्लाट मानते हुए बेचे गये छोटे वाणिज्यिक प्लाटों का औसत मूल्य 13,262/- रु. प्रति वर्ग गज और रिहायशी प्लाटों का औसत मूल्य, क्षेत्र और प्लाट की अवस्थिति के आधार पर 12,948/- रु. से 22,725/- रु. प्रति वर्ग गज के बीच था।

विवरण

वर्ष	अधिग्रहीत भूमि धारा 6 तथा 17 (1) के तहत अधिसूचना	कब्जा ली गई भूमि	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
1999-2000	1.25 एकड़	375.97 एकड़	157.58*
2000-2001	1732.09 एकड़	1683.80 एकड़	3.56
2001-2002	1694.21 एकड़	473.25 एकड़	223.96
योग	3427.55 एकड़	2533.02 एकड़	385.20

*157.68 करोड़ रु. के भुगतान में रोहिणी फेस-IV तथा V, जिसके लिए भूमि 2000-2001 में अर्जित की गई थी, के लिए वर्ष 1999-2000 में किया गया 150.00 करोड़ रु. का अग्रिम भुगतान शामिल है।

शिक्षा में असमानता

5463. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 2002 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''शिक्षा में बढ़ती असमानताओं'' के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई असमानताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अनेक समितियां गठित की है;

(ग) यदि हां, तो इन समितियों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या उक्त समितियों द्वारा सुझाए गए उपायों को गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार शिक्षा में असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा में परिवर्तन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) जी, हां। इसमें से व्यक्त विचार सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। सरकार ने समय-समय पर ऐसी अनेक समितियों/आयोगों का गठन किया है जिन्होंने देश में शैक्षिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच की है। 1986 तथा 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्य योजना तैयार करते समय तथा बाद में नई पहलों को शुरू करते समय उनकी सिफारिशों पर विचार किया गया तथा उन्हें यथोचित रूप से समाविष्ट किया गया। सभी योजनाएं तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्य योजना के अनुरूप तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं। योजनाओं और कार्यक्रमों में कारगर कार्यान्वयन तथा आवधिक मूल्यांकन के लिए भी अंतर्निहित तंत्र होते हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्व-सम्मति से तैयार किया गया है, में एक व्यापक संरचना है जो शिक्षा के विकास के लिए समग्रतापूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह आज भी प्रासंगिक है तथा यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है इसलिए फिलहाल इसमें किसी संशोधन/रूपांतर की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि

5464. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षण सत्र, 2002-2003 के लिए ऊंची कक्षाओं की नई पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों के मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि की गई है;

(ग) मूल्यों में ऐसी असामान्य वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस स्थिति में सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को समस्याएं हो रही हैं जो अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं और जहां बड़े पैमाने पर एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें ही अपनाई जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। कक्षा 9 के लिए निम्नलिखित नई पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि की गई है:

क्र.सं.	नई पाठ्य पुस्तकें	मूल्य	विगत पाठ्य पुस्तकें	मूल्य
1.	साइंस इंड टेक्नोलोजी-ए., कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक	75.00 रु.	साइंस-ए., कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक	44.00 रु.
2.	मेथेमेटिक्स-ए., कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक	65.00 रु.	मेथेमेटिक्स-ए., कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक	53.00 रु.
3.	स्टेप्स टू इंगलिश, कक्षा 9 के लिए	30.00 रु.	इंगलिश रीडर, कक्षा 9 के लिए	13.00 रु.

(ग) नई पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि के कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल हैं- बेहतर और बड़े आकार के कागज का उपयोग, साहित्यिक चोरी को रोकने/पता लगाने के उद्देश्य से सभी पाठ्य पुस्तकों पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वाटरमार्क का उपयोग, बहुरंगों का उपयोग, पृष्ठों की संख्या में वृद्धि और लब्ध प्रतिष्ठ लेखों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से रायल्टी की दरों में वृद्धि.

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सत्र 2002-2003 के लिए कक्षा 8 से 9 के लिए अधिकतर पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण संस्करणों के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। तथापि, कागज की कीमतें बढ़ जाने से और अच्छी किस्म के कागज का उपयोग किये जाने से इन कक्षाओं के लिए कुछ पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण संस्करणों के मूल्यों में वृद्धि की गई है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की बंजर भूमि के विकास संबंधी रिपोर्ट

5465. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत कुल स्वीकृत 426 परियोजनाओं में से 38 परियोजनाएं ही पूरी हुई हैं, 32 परियोजनाएं पहले ही बंद हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितनी परियोजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000-2001 की अपनी रिपोर्ट में परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) वर्ष 1992-93 से 2000-2001 तक की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत चार सौ छब्बीस परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इनमें से 128 परियोजनाएं 31.3.1995 तक पुराने मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत और 298 परियोजनाएं 1.4.1995 से 31.3.2001 तक वाटरशेड विकास संबंधी नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत स्वीकृत की गयी थीं। कुल 73 परियोजनाएं पूरी की गई हैं और 57 परियोजनाएं बन्द कर दी गई हैं। शेष 296 परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत परियोजनाएं पांच वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाती हैं और निधियां परियोजना-दर-परियोजना आधार पर सात किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त परियोजना की स्वीकृति के समय पर जारी की जाती है। बाद की प्रत्येक किस्त उपयोग प्रमाण-पत्र, तिमाही प्रगति रिपोर्ट और पिछले वित्तीय वर्ष के लेखों के लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त होने और जारी की गई पिछली किस्त की राशि में से 50% से अधिक निधियों का उपयोग किए जाने पर जारी की जाती है। परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् वाटरशेड संघ/वाटरशेड समितियों, स्व-सहायता समूहों, प्रयोक्ता समूहों आदि की संरचना करने जैसे समुदाय को शामिल करने, परियोजना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक बनाने और विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने जैसे कार्यकलाप आरंभ किए जाते हैं जिनमें पर्याप्त समय लगता है। परियोजना का वास्तविक रूप से कार्यान्वयन उपर्युक्त कार्यकलाप पूरा होने तथा जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा कार्य योजनाओं को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही आरंभ होता है। जिला परिषदों/जिला ग्रामीण एजेन्सियों/परियोजना अधिकारियों का प्राय: स्थानान्तरण और तैनातियां होने के परिणामस्वरूप भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति पर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप कुछेक परियोजनाओं में परियोजना अवधि से अधिक समय लगता है।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत परियोजनाओं के संबंध में मध्यावधिक मूल्यांकन सामान्यतया स्वतंत्र मूल्यांकन कर्त्ताओं/संस्थाओं के द्वारा करवाया जाता है। इन परियोजनाओं के संबंध में अभी तक कुल 148 मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(घ) से (च) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा का कार्यालय, आर्थिक तथा सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली) ने 1.4.1995 से पूर्व समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत स्वीकृत 115 परियोजनाओं की लेखापरीक्षा आरंभ की थी। ये परियोजनाएं पुराने मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी जिनका स्वरूप क्षेत्रीय था और सामुदायिक भागीदारी भी व्यापक रूप से निर्धारित नहीं की गई थी। ये परियोजनाएं अधिकांशतया राज्य सरकारों के समरूप विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई थी। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सामान्यतया इनको पूरा करने में हुए विलम्ब, परियोजना प्राधिकारियों के पास शेष निधियों और इस प्रकार सृजित की गई परिसम्पत्तियों की स्थिति के संबंध में थी। विभाग, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के सम्प्रेक्षणों के संबंध में टिप्पणियां भेजने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से पत्राचार कर रहा है। वास्तव में परियोजना कार्यान्वयन में बेहतर सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता को देखते हुए वाटरशेड विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को 1.4.1995 से लागू किया गया था और इन्हें वर्ष 2001 के दौरान आगे और संशोधित किया गया है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार

5466. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को स्वरोजगार हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में इस योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक ने क्या भूमिका निभाई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी अनुदान के जरिये आय सर्जक परिसंपत्तियां प्रदान कर सहायता प्राप्त परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

(ख) योजना के अंतर्गत शुरू की गई गतिविधियों के ब्यौरों की निगरानी वर्ष 2000-2001 से की जा रही है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार शुरू की गई गतिविधियां संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) एस जी एस वाई ऋण से जुड़ी एक योजना है जिसमें ऋण एक मुख्य घटक है। अनुदान एक लघु और सक्षम बनाने वाला घटक है। ऋण के संवितरण और इसकी वसूली के अतिरिक्त मुख्य गतिविधियों के चयन, परियोजनाओं के निर्माण, स्वरोजगारियों का चयन और योजना की निगरानी (मानिटरिंग) में बैंक शामिल हैं।

विगत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 (फरवरी, 2000 तक) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आंध्र प्रदेश में संवितरण ऋण को दर्शाने वाला विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

2000-2001 के दौरान एस जी एस वाई के अंतर्गत ली गई गतिविधियों के ब्यौरे

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक क्षेत्र					द्वितीयक क्षेत्र					तृतीयक क्षेत्र					
		सिंचाई	भूमि विकास	दुधारू मवेशी	अन्य	उप-योग	ग्रामोद्योग	हस्तशिल्प	हथकरघा	अन्य	उप-योग	दुकान	ग्रामोद्योग	कृषि आधारित उद्योग	अन्य	उप-योग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
2.	अरुणाचल प्रदेश	54	64	258	296	672	101	93	81	228	503	-	-	-	228	228	1403
3.	असम	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
4.	बिहार	1901	315	6623	6169	15008	2272	438	161	3896	6767	1602	-	-	6418	8020	29795
5.	छत्तीसगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
6.	गोवा	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
7.	गुजरात	2172	804	13222	1965	18163	770	238	428	1196	2632	-	1701	10	2064	3775	24570
8.	हरियाणा	4	15983	-	1544	17531	673	103	79	4185	5040	612	675	-	1995	3282	25853
9.	हिमाचल प्रदेश	14	13	2979	455	3461	312	256	193	305	1066	498	-	-	-	498	5025
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1416	-	1547	1133	4096	124	567	44	63	798	535	-	-	122	657	5551
11.	झारखंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
12.	कर्नाटक	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
13.	केरल	258	125	12893	4345	17621	3639	918	237	5320	10114	3059	-	-	7132	10191	37926
14.	मध्य प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
15.	महाराष्ट्र	6652	948	40196	17791	65587	3603	390	70	2415	6478	7096	-	-	8837	15933	87998
16.	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
17.	मेघालय	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
18.	मिजोरम	2	4	2	1296	1304	2	-	10	26	38	-	-	-	10	10	1352
19.	नागालैंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.	उड़ीसा	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
21.	पंजाब	–	–	5352	284	5636	1642	77	782	745	3246	–	–	–	3108	3108	11990
22.	राजस्थान	2598	77	20485	5659	28819	1562	305	176	1822	3865	7479	128	–	4213	11820	44504
23.	सिक्किम	–	–	645	1182	1827	–	–	–	19	19	–	–	–	27	27	1873
24.	तमिलनाडु	968	277	29021	9433	39699	11936	4065	3230	5045	24276	2609	3347	4739	8723	19418	88393
25.	त्रिपुरा	33	0	3590	5416	9039	139	109	70	141	459	1356	–	–	1117	2473	11971
26.	उत्तर प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
27.	उत्तरांचल	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
28.	पश्चिम बंगाल	178	1	571	1027	1777	2048	653	43	496	3240	915	–	–	1803	2718	7735
29.	अ. व नि. द्वीप समूह	–	–	2	20	22	5	1	–	10	16	–	–	–	1	1	39
30.	दा. न. हवेली	–	–	2	1	3	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	3
31.	दमन व दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	लक्षद्वीप	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
33.	पांडिचेरी	–	–	39	–	39	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	39
	जोड़	16250	18611	137427	58016	230304	28828	8213	5604	25912	68557	25761	5851	4749	45798	82159	381020

एन आर - असूचित

2001-2002 के दौरान एस जी एस वाई के अंतर्गत ली गई गतिविधियों के ब्यौरे

(संख्या में)

क्र.	राज्य/संघ	प्राथमिक क्षेत्र					द्वितीयक क्षेत्र					तृतीयक क्षेत्र					
सं.	राज्य क्षेत्र	सिंचाई	भूमि विकास	दुधारू मवेशी	अन्य	उप-योग	ग्रामोद्योग	हस्तशिल्प	हथकरघा	अन्य	उप-योग	दुकान	ग्रामोद्योग	कृषि आधारित उद्योग	अन्य	उप-योग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	20	80	90	205	26	33	25	68	152	–	–	–	79	79	436
3.	असम	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
4.	बिहार	3745	1252	9413	10740	25150	2200	330	250	5656	8436	2265	–	–	12933	15198	48784
5.	छत्तीसगढ़	2949	1039	1373	2951	8312	687	184	56	1227	2154	886	–	–	3249	4135	14601
6.	गोवा	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	गुजरात	1636	592	8640	1533	12401	897	261	224	802	2184	–	2153	58	1026	3237	17822
8.	हरियाणा	22	13	7846	620	8501	329	32	57	1608	2026	299	339	–	1299	1937	12464
9.	हिमाचल प्रदेश	12	21	3518	576	4127	309	108	187	306	910	450	–	–	3096	3546	8583
10.	जम्मू एवं कश्मीर	449	–	996	518	1963	64	724	11	36	835	874	–	–	80	954	3752
11.	झारखंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
12.	कर्नाटक	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
13.	केरल	131	96	3964	1799	5990	1167	84	48	2420	3719	1586	–	–	3654	5240	14949
14.	मध्य प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
15.	महाराष्ट्र	3758	589	20884	9195	34426	1357	273	21	1638	3289	3885	–	–	5965	9850	47565
16.	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
17.	मेघालय	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
18.	मिजोरम	–	–	–	2240	2240	1	–	1	104	106	–	–	–	–	0	2346
19.	नागालैंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
20.	उड़ीसा	5387	3354	1780	7520	18041	7149	253	791	1700	9893	343	–	–	8702	9045	36979
21.	पंजाब	–	–	1675	64	1739	570	27	440	207	1244	989	–	–	279	1268	4251
22.	राजस्थान	1627	206	13948	3327	19108	730	295	130	663	1818	3868	84	–	2899	6851	27777
23.	सिक्किम	–	–	359	717	1076	–	–	–	2	2	–	–	–	26	26	1104
24.	तमिलनाडु	228	42	12942	4365	17577	7044	1559	1301	3609	13513	2479	755	2606	4281	10121	41211
25.	त्रिपुरा	24	10	863	3597	4494	145	66	23	149	383	2093	–	–	750	2843	7720
26.	उत्तर प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
27.	उत्तरांचल	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
28.	पश्चिम बंगाल	230	0	1175	960	2365	4268	291	89	913	5561	821	–	–	1151	1972	9898
29.	अ. व नि. द्वीप समूह	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
30.	दा. न. हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	दमन व दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	लक्षद्वीप	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
33.	पांडिचेरी	–	–	203	56	259	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	259
	जोड़	20213	7234	89659	50868	167974	26943	4520	3654	21108	56225	20838	3331	2664	49469	76302	300501

एन आर - असूचित

विवरण-II

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश में एस जी एस वाई के अंतर्गत बैंकों द्वारा वितरित ऋण

क्र. सं.	वर्ष	इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इंडिया	केनरा बैंक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	कारपोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक
1.	1999-00	11.39	935.81	72.08	54.53	264.00	89.50	89.48	16.18	212.04
2.	2000-01	136.70	838.52	100.65	157.01	196.20	165.70	137.70	69.80	379.10
3.	2001-02	127.40	596.24	133.16	119.30	155.69	158.45	159.79	90.20	299.85

क्र.सं.	वर्ष	इंडियन ओवरसिज बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	स्टेट बैंक आफ इंडिया	सिंडिकेट बैंक	यूको बैंक	यूनियन बैंक आफ इंडिया	विजया बैंक	वैश्य बैंक	बैंक आफ महाराष्ट्र
1.	1999-00	123.73	31.58	1116.23	1201.60	451.38	10.70	211.32	54.16	228.52	–
2.	2000-01	252.95	87.10	592.56	1136.19	249.48	67.90	120.65	120.95	83.88	43.90
3.	2001-02	230.85	113.15	589.70	530.91	214.25	98.30	128.77	127.26	101.65	68.90

(लाख रु. में)

कोआपरेटिव बैंक	रीजनल ग्रामीण बैंक	अन्य	कुल
1182.50	1594.23	1339.19	9380.15
585.54	1398.88	806.01	7727.35
677.81	540.03	332.36	5594.02

सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत ग्रामीण स्कूल सफाई कार्यक्रम

5467. श्री चिंतामन वनगा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान सी.आर.एस.पी. के तहत ग्रामीण स्कूल सफाई कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार अब तक क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान दिनांक 1.4.1999 से शुरू किया गया। 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक 179 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। विद्यालयों के लिए 1,63,768 शौचालय स्वीकृत किए गए। राज्य सरकारों से प्राप्य अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालयों के लिए 11387 शौचालय बनाए गए। स्वीकृत किए गए विद्यालय शौचालय का राज्यवार ब्यौरे और उपलब्धि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वीकृत और बनाए गए विद्यालय शौचालय का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत स्कूल शौचालयों की संख्या	फरवरी, 2002 तक निर्मित स्कूल शौचालयों की सं.
आंध्र प्रदेश	14279	2160
अरुणाचल प्रदेश	533	2
असम	1889	0
बिहार	11224	0
छत्तीसगढ़	590	0
गुजरात	5948	1435
हरियाणा	1222	301
हिमाचल प्रदेश	225	44
जम्मू व कश्मीर	414	0
झारखंड	5413	0
कर्नाटक	4384	0
केरल	1691	0
मध्य प्रदेश	8952	13
महाराष्ट्र	16953	0
मणिपुर	156	0
नागालैंड	383	1
उड़ीसा	10201	0
पंजाब	3009	119
राजस्थान	24089	0
सिक्किम	891	201
तमिलनाडु	8673	2475
त्रिपुरा	1815	0
उत्तर प्रदेश	14186	1534
उत्तरांचल	87	0
पश्चिम बंगाल	26535	3102
पांडिचेरी	26	0
कुल	163768	11387

यूरिया का मूल्य

5468. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय मामले संबंधी मंत्रिमण्डल समिति ने यूरिया की कीमत तय करने का मामला मंत्रियों के समूह के विचारार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या मंत्रियों के समूह ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने यूरिया के लिए नयी मूल्य नीति तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (छ) दिनांक 1.7.1997 से 31.3.2000 और 1.4.2000 से 31.3.2003 तक की अवधि के लिये या नई नीति के लागू होने तक, जो भी पहले हो, प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता योजना के तहत यूरिया इकाईयों के लिये सातवीं तथा आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों हेतु नीति मानदण्ड/मानक तैयार करने और यूरिया इकाईयों के लिये मौजूदा प्रतिधारण मूल्य सह-राजसहायता योजना के स्थान पर नई मूल्यनिर्धारण नीति तैयार करने का मामला आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रीमंडल समिति द्वारा मंत्रीदल को भेजा गया है। उपर्युक्त नीतियों के लिये प्रस्तावों की जांच की जा रही है और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् इनकी घोषणा की जायेगी।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आबंटन में कटौती

5469. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस वित्तीय वर्ष से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय आबंटनों में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके योजनावार कारण क्या हैं; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय शरणार्थी

5470. श्री राजो सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने विदेश से भारत आ रहे भारतीय शरणार्थियों की दयनीय स्थिति के विषय में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक यहां पहुंचे शरणार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबंध किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। इस मंत्रालय को ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है।

(ख) भारत में शरण लेने वाले विदेशी राष्ट्रिकों की कुल संख्या 1,98,163 (31.12.2001 की स्थिति के अनुसार) है। इनमें से केवल तिब्बतियों (83,376) तथा श्रीलंकाइयों (64,254) को शरणार्थी कहा जाता है।

(ग) भारत सरकार के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार भारत में शरण मांगने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को भारत में स्थायी रूप से पुनर्वासित नहीं किया जाएगा वरन् इन्हें स्वदेश प्रत्यावर्तित होने तक राहत प्रदान की जाती है। तिब्बती शरणार्थियों के मामले में भारत सरकार अस्थायी पुनर्वास के लिए सहायता देती रही है। उनकी पृथक जातीय तथा सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए सावधानी बरती गई है। उनमें से अधिकांश या तो स्व-रोजगार के जरिए अथवा सरकारी सहायता से भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि व हस्तकला योजनाओं के अधीन बसा दिए गए हैं।

जहां तक श्रीलंकाई शरणार्थियों का संबंध है उनका देश-प्रवर्त्तन होने तक उन्हें मानवीय आधार पर शिविरों में शरण, नकद दान, कपड़ा, इमदादी दर पर राशन आदि जैसी कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2002-2003 के बजट में राहत उपायों के लिए 25 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों के लिये बुलेट-प्रूफ जैकेट

5471. श्री नरेश पुगलिया:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्द्धसैनिक बलों और सीमा सुरक्षा बल के लिए खरीदे गये बुलेट-प्रूफ जैकेटों का ब्यौरा और उनकी कीमत क्या है;

(ख) क्या जम्मू-कश्मीर में छोटे पैमाने के युद्ध में रत अर्द्धसैनिक बलों और सीमा सुरक्षा बलों के लिये खरीदे गये बुलेट-प्रुफ जैकेट घटिया गुणवत्ता वाले पाए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्तसंबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जैकेटों की गुणवत्ता की प्राथमिक जांच की गयी थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रकार की वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पिछले तीन वर्षों में सीमा सुरक्षा बल सहित केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा नीचे दिए ब्यौरे अनुसार 1200 बुलेट प्रुफ जैकेट खरीदी गई है:-

केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल का नाम	संख्या	दर (रुपए)
केन्द्रीय सुरक्षा गारद	350	26,600 प्रति जैकेट
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	500	26,600 प्रति जैकेट
सीमा सुरक्षा बल	350	26,600 प्रति जैकेट

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) नमूनों का परीक्षण मूल्यांकन, नामित निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार वास्तविक गोलीबारी करके किया जाता है। जिन फर्मों के नमूने परीक्षण की कसौटी पर खरे उतरते हैं और परीक्षण प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य घोषित किए जाते हैं, केवल उन्हीं के प्रस्ताव पर आगे प्रोसस करने और आर्डर देने हेतु, विचार किया जाता है।

(च) प्रापण दो बोली प्रणाली (बिड सिस्टम) में खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है केवल तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त टेंडरदाताओं के मूल्य बोलियों को फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाता है। नमूनों का मूल्यांकन भी फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों को समय से भेजना

5472. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न केन्द्र प्रायोजित जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत राशि जारी करने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्तावों को समय से भेजने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावों को समय से भेजा है;

(ग) राज्यों ने किन तिथियों को राज्यवार प्रस्ताव प्रस्तुत किये; और

(घ) इन राज्यों को किन तिथियों को केन्द्रीय आवंटन जारी किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को विभिन्न मंचों से अनुरोध किया है कि वे निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए अपने प्रस्ताव भेजें:-

(1) अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास

(2) अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास

(3) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना

(4) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(5) कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना

(6) पुस्तक बैंक योजना

(7) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

उन्हें अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावों को भेजते समय गत वर्षों के दौरान निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें और इस आशय की स्पष्ट पुष्टि करें कि राज्य के बजट में बराबर का प्रावधान किया गया है ताकि जनजातीय कार्य मंत्रालय में अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए तत्परता से कार्रवाई की जा सके।

(ख) से (घ) प्रस्तावों का तिथि-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता। तथापि, प्रस्तावों के हर तरह से पूरा होते ही सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है जिसका राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्मुक्त धनराशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लड़कों के छात्रावास	लड़कियों के छात्रावास	आश्रम स्कूल	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	पुस्तक बैंक	कोचिंग तथा सम्बद्ध	अनुसंधान तथा परीक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0	232.52	262.5	1915.099	30.29	0	2.27
2.	असम	0	0	0	0	1.99	0	36.69
3.	गुजरात	21.57	10.292	157.3	0	4.88	0	20
4.	हिमाचल प्रदेश	113.5	126.55	0	20.27	0	0	0.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0
6.	दादर व नगर हवेली	0	50	0	0	0	0	0
7.	केरल	22.05	0.59	0	92	0	0	14.9
8.	मध्य प्रदेश	0	0	0	323.18	0	*9.93	13.14
9.	मणिपुर	0	0	0	737.49	0	0.44	0
10.	मेघालय	0	0	0	732.7	0	0	0
11.	उड़ीसा	30	25	0	0	0	2.49	62.09
12.	राजस्थान	0	0	0	1110.05	6	0	4.53
13.	तमिलनाडु	0	0	0	3.31	2.06	0	0
14.	त्रिपुरा	40	10	50	90.79	2.82	0	25.36
15.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	6.4	0	0	0.44
16.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	73.63	0	0	31.21
17.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	39.03	0	0	0
18.	कर्नाटक	135	40	128	239.75	23.94	2.15	0.76
19.	महाराष्ट्र	217.9	67.72	0	368.61	0	0	16.5
20.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0	509.82	0	0	0
22.	जे.एन.यू./आई.आई.टी. दिल्ली	50	0	0	0	0	**7.14	0
23.	झारखंड	197.4	197.37	0	0	0	0	40.31
24.	अरुणाचल प्रदेश	10	0	0	0	0	0	0.44
25.	छत्तीसगढ़	0	10	400	0	0	0	0
26.	मिजोरम	0	0	0	249	0	0	0
27.	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0.55	0	2.79	0
28.	उत्तरांचल	0	0	0	166.54	0	0	0
	कुल	837.4	770	998	6678.22	72	25	270.0

*मध्य प्रदेश स्थिति विश्वविद्यालय को निर्मुक्ति।

**दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्ति।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों के लिये नियमों में छूट

5473. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित वर्तमान नियमों और विनियमों में और छूट देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित पुराने नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है और बनाए गये नए नियमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिये राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय पुरस्कार

5474. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राज्य-वार और जिला-वार विशेषत: बिहार में कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को पुरस्कृत किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पुरस्कार योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अनुसार, हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर 20 और राज्य स्तर पर 1275 पुरस्कारों का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के लिए 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को चुना गया है।

राज्य-पुरस्कारों का राज्य-वार उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए राज्य-स्तरीय आंगनवाड़ी पुरस्कारों का उपलब्ध ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुरस्कार विजेताओं की संख्या	
		2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	100	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	17
3.	असम	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	60
6.	गोवा	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	60	60
8.	हरियाणा	40	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	12
10.	जम्मू व कश्मीर	33	शून्य
11.	झारखण्ड	एन.ए.	एन.ए.
12.	कर्नाटक	60	60
13.	केरल	60	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	100	60
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	एन.ए.	एन.ए.
17.	मेघालय	11	शून्य
18.	मिजोरम	10	10
19.	नागालैंड	एन.ए.	एन.ए.
20.	उड़ीसा	17	शून्य
21.	पंजाब	एन.ए.	एन.ए.
22.	राजस्थान	60	शून्य
23.	सिक्किम	5	शून्य
24.	तमिलनाडु	100	100
25.	त्रिपुरा	एन.ए.	एन.ए.
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	एन.ए.	एन.ए.
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	एन.ए.	एन.ए.

1	2	3	4
30.	चण्डीगढ़	5	शून्य
31.	दिल्ली	10	शून्य
32.	दादर न नगर हवेली	5	शून्य
33.	दमन व दीव	एन.ए.	एन.ए.
34.	लक्षद्वीप	5	शून्य
35.	पाण्डिचेरी	5	4
	कुल	704	483

एन.ए. - असूचित

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर से पलायन करने वाले पंडित

5475. श्री अनन्त नायक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर घाटी से बड़ी संख्या में पलायन करने वाले पंडित अभी भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) कश्मीर पंडितों के विभिन्न प्रतिनिधि संगठनों ने घाटी में पुनर्वास के बारे में समय-समय पर अपनी इच्छा व्यक्त की हैं। जम्मू और कश्मीर के मंत्रियों को लेकर बनाई गई जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की उप समिति ने कुल 2589.73 करोड़ रु. की राशि से कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना तैयार की है ताकि इस समय जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रह रहे लगभग 1.25 लाख प्रवासी घाटी को लौट सकें। यह कार्य योजना चरणबद्ध रूप से उन क्षेत्रों में लागू की जाती हैं जहां पर प्रवासियों के मकानों में समूह हैं और जहां पर पहले ही सुरक्षा उपलब्ध करायी गई है।

जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है शुरूआत करने के लिए, श्रीनगर और बदगाम जिलों में 15 समूहों में बंटे 166 मकानों की पहचान की गई है, जिन्हें, उन मकानों के स्वामियों को वहां वापस लौटने की दृष्टि से सुरक्षित समझा गया है। इन समूहों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी और इन परिवारों की पहचान करने और अपने घरों को लौटने के प्रति उनकी इच्छा जानने हेतु कदम उठाए गए थे। राज्य सरकार के राहत संगठन, जम्मू के पास पंजीकृत लगभग 50 परिवारों से, सरकार द्वारा घोषित पैकेज के आधार पर घाटी को लौटने के बारे में उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया था। इनमें से कुछ परिवारों के साथ बातचीत भी की गयी लेकिन इनमें से कोई परिवार अभी तक घाटी को लौटने के लिए तैयार नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

महाद्वीपीय शेल्फ का अन्वेषण

5476. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाद्वीपीय शेल्फ के अन्वेषण हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने महाद्वीपीय शेल्फ या समुद्र के किसी भाग के अन्वेषण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ कोई समझौता किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार सरकार महाद्वीपीय शेल्फ संबंधी भारत के दावे प्रस्तुत करने के लिए महाद्वीपीय शेल्फ की बाह्य सीमाओं का रेखांकन कर रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दावे स्वीकृत कर लिए जाने पर संसाधनों के अन्वेषण के लिए विस्तृत कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं। परन्तु महासागर विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्र अनुसंधान केन्द्र, गोवा और यू.के. में रजिस्ट्रीकृत कम्पनी, क्षेत्रीय भूगतिविज्ञान प्रयोगशाला के बीच महाद्वीपीय शेल्फ की बाह्य सीमाओं के रेखांकन के लिए अपेक्षित आंकड़ों के अर्जन और प्रसंस्करण हेतु समुद्री भूभौतिक सर्वेक्षण करने के लिए एक करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

पंचायती राज पर कार्यबल

5477. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिये राशि और शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिये किसी कार्यबल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कौन से सुझाव स्वीकृत किये गये;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय में अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और कार्यों की सुपुर्दगी के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया गया था। इसमें असम, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के पंचायती राज सचिव तथा मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव सदस्य संचिव के रूप में शामिल थे।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा कार्यदल की स्वीकार की गई प्रमुख सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, हां।

(च) हमारे पत्र दिनांक 11.10.2001 के जरिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को कार्यदल की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में मार्च, 2002 के अंत तक पंचायतों को शक्तियां सौंपने के लिए उपाय शुरू करने का आग्रह किया गया है।

विवरण

जुलाई, 2001 में गठित कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

(1) 29 विषयों में से प्रत्येक विषय को गतिविधियों/कार्यों में बांटा जायेगा (जैसा कि कार्यदल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है) जिन्हें पंचायत के प्रत्येक स्तर, जिसके पास ये प्राकृतिक रूप से होने चाहिए, द्वारा चलाए जाने वाले कार्यों के मद्देनजर विभिन्न स्तरों द्वारा चलाया जाना है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सौंपी गयी जिम्मेदारियां तथा प्रशासनिक अधिकार विशिष्ट और स्पष्ट होने चाहिए तथा पंचायतों के लिए व्यापक दृष्टि से सरल होने चाहिए।

(3) पंचायतों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए विद्यमान राज्य कानूनों में संशोधन करके पंचायतों को उपकर लगाने, उपयुक्त कर, ड्यूटी, टोल तथा फीस एकत्र करने हेतु प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

(4) व्यवहार्य सीमा तक राज्य सरकार को पंचायतों को यूनाइटेड अनुदान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उपयोग हेतु पूर्व निर्धारित मापदंडों के संदर्भ में स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार पंचायत इसका इस्तेमाल कर सकें। संयुक्त अनुदान में पंचायतों को 70 प्रतिशत मिलना चाहिए जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि मध्य स्तरीय और जिला पंचायतों को समान रूप से मिल सकती है।

(5) इस उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुसार पंचायती राज संस्थाएं लचीलापन अपनाए, राज्य सरकार को योजनाओं के समेकन हेतु अपेक्षित कदम उठाने चाहिए।

(6) राज्य सरकार को संबंधित स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यापक स्वायत्तता देने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय अधिकार देने चाहिए।

(7) जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक अधिकारी (जिला कलेक्टर के समकक्ष) तैनात किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक अलग संवर्ग हो सकता है जिसमें श्रेणी-I के पद राज्य संवर्ग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर, पंचायत संवर्ग के श्रेणी-II के पद राज्य लोक सेवा आयोग (अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर) के जरिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिए। जहां तक श्रेणी-III तथा निचले स्तर का संबंध है, इनके लिए भर्ती क्षेत्रीय/

जिला स्तरों पर स्वतंत्र भर्ती बोर्ड के जरिए की जा सकती है।

(8) दैनिक कामकाज में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता करने के लिए सुपुर्दगी पैकेज को विभिन्न स्तरों पर योग्य/प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों की उपलब्धता के जरिए पूरा किए जाने की जरूरत है। ब्लाक स्तर पर लगाए गए तकनीकी स्टाफ ग्राम पंचायतों के एक समूह को सौंपे जा सकते हैं ताकि उनकी कार्य योजनाएं बनाई जा सकें और योजनाओं के तकनीकी व्यवहार्यता के संबंध में पंचायतों को सलाह दी जा सके।

(9) स्टेट एकाउंट्स सर्विस के उचित स्तर के अधिकारी को पंचायतों के एकाउंट्स के रख-रखाव और इसकी लेखा परीक्षा के लिए जिला एवं मध्य स्तरों पर (सहायक स्टाफ के साथ) लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के लिए, इस कार्य को पंचायतों के आकार के आधार पर, प्रत्येक पंचायत या पंचायतों के एक समूह के लिए संविदा आधार पर प्रशिक्षित कार्मिक लगाते हुए पूरा किया जा सकता है।

(10) पंचायतों की बैठकों के लिए गए निर्णयों के अनुसार, योजनाओं और कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए विषय संबंधी समितियों का गठन (और प्राधिकृत) किया जा सकता है।

(11) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

(12) जिला आयोजना समितियां गठित की जानी चाहिएं और इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक स्तर पर पंचायतें अपनी जरूरतों के अनुसार वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने में सक्षम हो सकें।

[अनुवाद]

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

5478. श्री अरुण कुमार:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1972-73 में शुरू की गयी त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम से संबंधित 2371 योजनाएं छोड़ दी गयी जिससे 197.52 करोड़ रु. का अपव्यय हुआ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को त्यागने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका परिणाम क्या निकला; और

(ङ) इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय होने की वजह से, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस वी) और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) के पेय जल आपूर्ति घटक के अंतर्गत निधियां मुहैया कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना करने उन्हें मंजूरी देने और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास निहित है।

ए आर डब्ल्यू एस पी के संबंध में आडिट के प्रधान निदेशक के कार्यालय द्वारा अखिल भारत समीक्षा मसौदे में जल स्रोतों की वैज्ञानिक ढंग से चयन तथा पर्याप्त आयोजना के बिना निधियों को लगाए जाने का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप 19 राज्यों में 193.75 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 2413 योजनाओं को बीच में ही छोड़ देना पड़ा। चूंकि ए आर डब्ल्यू एस पी का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ए आर डब्ल्यू एस पी के संबंध में आडिट के प्रधान निदेशक के कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय समीक्षा मसौदे को राज्य सरकारों को भेजा गया है ताकि सभी अनियमितताओं और विसंगतियों की जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

औषध निर्यात में वृद्धि

5479. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार औषध निर्यात को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके संवर्द्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औषध निर्यात के संबंध में दर्ज की गयी वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारत सरकार, भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए सभी भारतीय निर्यातकों को (औषधों एवं भेषजों के निर्यातकों समेत), बाजार विकास सहायता स्कीम और बाजार सुलभ पहल स्कीम के द्वारा निर्यात संवर्धन परिषदों के जरिए वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अलावा, अफ्रीकी देशों को भारतीय भेषजों का निर्यात बढ़ाने के लिए सितम्बर, 2001 में एक भारतीय-अफ्रीकी स्वास्थ्य शिखर बैठक आयोजित की गई थी। हाल ही में घोषित "फोकस अफ्रीका" कार्यक्रम और फोकस: एलएसी कार्यक्रम में उप सहारा प्रदेशीय अफ्रीकी क्षेत्र को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए औषधों एवं भेषजों की एक संकेन्द्रित उत्पाद समूह के रूप में पहचान की गई है।

(ग) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशक (डीजीसीआई एंड एस) के आंकड़ों के अनुसार भारतीय औषधों एवं भेषजों तथा फाइन रसायनों के निर्यात में विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वृद्धि निम्नानुसार दर्ज की गई है:-

(करोड़ रु. में)

1998-99	रु. 6256.07
1999-2000	रु. 7230.16
2000-2001 (अनंतिम)	रु. 8729.89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु धनराशि

5480. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को विशेषत: तमिलनाडु को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) सरकार विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद, विज्ञान संचार प्रौद्योगिकी विकास, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली, विज्ञान और समाज, जैव-प्रौद्योगिकी, गैर-पारम्परिक ऊर्जा आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं द्वारा प्रायोजित निधिकरण से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों द्वारा कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के वर्षों के दौरान ऐसी निधिकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या क्रमश: 186.48 करोड़ रुपये, 218.57 करोड़ रुपये तथा 349.85 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत के साथ 1795, 1780 तथा 2050 है। तमिलनाडु राज्य में वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान 12.55 करोड़ रुपये, 13.34 करोड़ रुपये तथा 27.33 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत के साथ ऐसी निधिकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या क्रमश: 184, 189 तथा 210 है। इन तीन वर्षों के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की राज्यवार संख्या तथा उनकी संस्वीकृत लागत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यवार प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान तथा निकोबार	1	5.70	4	42.22	5	78.16
आंध्र प्रदेश	182	1952.85	130	1696.13	125	2113.57

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	7	41.71	8	39.93	1	17.84
असम	22	283.34	33	286.56	87	292.21
बिहार	55	463.68	47	1132.47	56	4807.95
चण्डीगढ़	44	416.78	29	272.67	35	499.95
दिल्ली	170	2031.61	187	3119.75	183	2818.30
गोवा	7	67.57	16	201.16	16	319.68
गुजरात	38	240.27	55	492.90	47	555.57
हरियाणा	13	311.17	31	490.37	17	577.25
हिमाचल प्रदेश	17	127.95	15	126.99	18	282.76
जम्मू और कश्मीर	8	59.30	8	40.33	10	170.78
कर्नाटक	193	1872.54	163	1724.49	188	4065.87
केरल	71	677.28	74	919.72	56	616.78
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	2	16.97	–	–
मध्य प्रदेश	59	571.64	47	800.99	54	514.59
महाराष्ट्र	166	2315.58	172	3710.45	266	7072.90
मणिपुर	6	43.87	16	155.52	24	115.45
मेघालय	4	43.59	10	70.17	10	67.57
मिजोरम	1	4.37	शून्य	शून्य	2	14.66
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	1	8.46	3	8.51
उड़ीसा	24	195.72	22	160.56	53	430.88
पाण्डिचेरी	13	88.50	8	35.02	11	90.18
पंजाब	30	147.71	34	287.52	31	1008.84
राजस्थान	50	329.45	42	503.58	45	731.16
सिक्किम	1	5.00	5	86.34	15	325.06
तलिमनाडु	184	1254.87	189	1334.02	210	2732.93
त्रिपुरा	2	13.72	6	31.99	5	17.75
उत्तर प्रदेश	231	1853.97	249	2294.19	265	2498.35

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	196	3228.46	177	1766.14	212	2139.04
छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–
झारखण्ड*	–	–	–	–	–	–
उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–
कुल	1795	18648.20	1780	21856.61	2050	34984.54

*इन राज्यों के आंकड़े क्रमश: मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में शामिल हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आवास और पर्यावास मिशन

5481. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आवास और पर्यावास मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आवास हेतु कम लागत वाली परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना में राज्य सरकारों के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठन भी इसमें शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना में राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में उनकी कितनी भागीदारी रही?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण नामक ग्रामीण आवास योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती आवासों के लिए अभिनव और बेहतर प्रौद्योगिकियों, डिजाइन तथा सामग्रियों को बढ़ावा देना तथा प्रचार प्रसार करना है। योजना परियोजना आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) दोनों योजनाओं के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वित करने के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 20 स्वैच्छिक संगठनों को निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यावर ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आरंभ से लेकर 31.3.2002 तक ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के अभिनव चरण के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	1
4.	केरल	3
5.	बंगलौर	1
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	मणिपुर	1
8.	नागालैंड	1
9.	उड़ीसा	1
10.	तमिलनाडु	1
11.	उत्तर प्रदेश	3
12.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	20

ग्रामीण प्रौद्योगिकी निर्देशिका

5482. श्री सुबोध मोहिते: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर निर्देशिका प्रकाशित की है;

(ख) क्या इस निर्देशिका को पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने तीन खंडों में ग्रामीण प्रौद्योगिकियों की एक निर्देशिका प्रकाशित की है, जिनमें से प्रत्येक खंड में 100 ग्रामीण प्रौद्योगिकियां हैं। खंड-I जनवरी, 2001 में, खंड-II अप्रैल, 2001 में तथा खंड-III जनवरी, 2002 में प्रकाशित किया गया था।

(ख) से (घ) निर्देशिका के प्रकाशन के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा निर्देशिका के प्रचार हेतु व्यापक प्रयास किए गए हैं जिसके तहत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों, एस एंड टी प्रयोगशालाओं जैसे सी एस आई आर, आई सी ए आर, कृषि विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के निदेशकों को लिखा गया है जिसमें निर्देशिका की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तकों की समीक्षा/घोषणाओं द्वारा मीडिया के जरिए भी संदेश प्रचारित किया गया है।

अनेक विभागों/संस्थाओं/लोगों ने निर्देशिका में गहरी रुचि दिखाई है तथा कई ने डी.आर.डी खंडों के लिए आर्डर दिए हैं।

जमीन-जायदाद क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5483. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की "सबके लिए आवास" वादे को पूरा करने के लिए आवास उद्योग, को वर्ष 2010 तक प्रतिवर्ष करीब 6.5 मिलियन आवास इकाइयां निर्मित करने पड़ेंगे और आवास उद्योग ने जमीन-जायदाद क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने हेतु केन्द्र सरकार से जोरदार अपील की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने राज्यों से स्टाम्प शुल्क में कमी लाने के लिए भी कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से आवास उद्योग को बढ़ावा मिलेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) आवास जमीन जायदाद क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस में कमी करने के लिए अतीत में कई अवसरों पर कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से आवास निर्माण के लिए अधिक वित्त और नयी प्रौद्योगिकी मिलने की आशा है।

(ङ) और (च) सरकार ने वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 21.5.2001 को जारी अधिसूचना द्वारा आवास, व्यावसायिक परिसर होटल, सैरगाह, नगर और क्षेत्र स्तरीय शहरी बुनियादी सुविधाओं यथा सड़क व पुल तथा त्वरित जल परिवहन प्रणालियों, और भवन सामग्री के उत्पादन सहित बड़े कस्बों के विकास के लिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। भूमि विकास और संगत बुनियादी सुलभ कराना कस्बों के विकास का अभिन्न अंग होगा, जिसके लिए न्यूनतम पूंजी, न्यूनतम भू-क्षेत्र, इत्यादि बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश/मानक भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिनांक 4.1.2002 के प्रेस नोट सं.-3 (सीरीज 2002) द्वारा जारी कर दिये गए हैं। इस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति सरकार के पूर्व अनुमोदन से होगी।

राज्य सरकारों से स्टाम्प शुल्क में 3-5% तक की कटौती कमी करने के लिए पुन: अनुरोध किया गया है, क्योंकि इससे आवास स्टाक में वृद्धि हेतु अनुकूल स्थितियां तैयार की जा सकेंगी। तथापि, चूंकि स्टाम्प शुल्क में कटौती करना राज्य का विषय है, अत: इस बारे में समुचित निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाना है।

नवोदय विद्यालयों के कर्मचारियों को पेंशन

5484. श्री वाई.वी. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों और शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पेंशन योग्य नौकरी बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वांछित सीमाओं के भीतर वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के संदर्भ में नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की पद्धति के अनुरूप पेंशन योजना शुरू करना कठिन है। इस मामले पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय के सुझावों के अनुसार नवोदय विद्यालय समिति को भारत सरकार पर कोई दायित्व डाले बिना कर्मचारियों के स्वैच्छिक अंशदान के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से एक वार्षिक योजना तैयार करनी है।

[हिन्दी]

नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकरण

5485. डा. बलिराम:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में नेहरू युवक केन्द्रों के क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में नेहरू युवक केन्द्रों का कार्यकरण उचित रूप से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में क्रमश: उनको क्या काम दिए गए हैं;

(घ) उन जिलों की संख्या कितनी है जिनमें इन केन्द्रों के कार्यकरण की निगरानी अन्य जिला केन्द्रों के संयोजकों द्वारा की जा रही है;

(ङ) सरकार द्वारा नेहरू युवक केन्द्रों के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या स्थानीय प्रतिनिधियों की नेहरू युवक केन्द्रों की गतिविधियों में कोई भूमिका है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) राज्य-वार एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नेहरू युवा केन्द्रों सहित, प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र (एन.वाई.के.) को निम्नलिखित कार्यक्रम सौंपे गए थे:-

- नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नियमित कार्यक्रमों का आयोजन।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजनाओं का कार्यान्वयन।

(घ) अन्य जिला केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा 121 जिला नेहरू युवा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

(ङ) शून्य।

(च) और (छ) प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र की युवा कार्यक्रम संबंधी एक जिला सलाहकार समिति (डी.ए.सी.वाई.पी.) होती है जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त होते हैं। डी.ए.सी.वाई.पी. एक सलाहकार निकाय है जो किसी जिले में कार्रवाई संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करने में नेहरू युवा केन्द्र को मार्गदर्शन प्रदान करता है। स्थानीय सांसद, विधायक/विधान पार्षद डी.ए.सी.वाई.पी. के विशेष आमंत्रित व्यक्ति होते हैं। जन प्रतिनिधि संस्था (पी.आर.आई.) के दो प्रतिनिधि तथा युवा नेताओं सहित 6 गैर-सरकारी सदस्य भी इस डी.ए.सी.वाई.पी. के सदस्य होते हैं। इसके अलावा, जिला नेहरू युवा केन्द्र अपने कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में स्थानीय प्रतिनिधियों को भी समय-समय पर आमंत्रित करते रहते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	मण्डल कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय
1.	असम	1	5
2.	आंध्र प्रदेश	1	2
3.	बिहार	1	4
4.	दिल्ली	1	2
5.	गुजरात	1	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1
7.	जम्मू व कश्मीर	1	1
8.	कर्नाटक	1	2
9.	केरल	1	1
10.	महाराष्ट्र	1	3
11.	मणिपुर	1	2
12.	मध्य प्रदेश	1	5
13.	पंजाब	1	1
14.	उड़ीसा	1	2
15.	राजस्थान	1	2
16.	तमिलनाडु	1	2
17.	उत्तर प्रदेश	1	6
18.	पश्चिम बंगाल	1	3
	योग	18	46

अन्य देशों के साथ विनिमय कार्यक्रम

5486. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्य देशों के साथ खिलाड़ियों, युवा प्रतिनिधि मंडल, विशेषज्ञों और दलों द्वारा किए गए विनिमय कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितना वार्षिक व्यय किया गया; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नागा क्षेत्रों में रह रहे मुसलमानों को मार्गनिर्देश

5487. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 2002 के 'पायोनियर' में पूर्वोत्तर क्षेत्र के नागा क्षेत्रों में रह रहे मुसलमानों के लिए चार सूत्री मार्गनिर्देशों से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार ने समाचार देखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एन.एस.सी.एन. (के) ने 16.1.2002 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें नागा क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए निम्नलिखित चार सूत्री मार्ग सिद्धान्त दिए गए हैं:-

(1) नागा व मुस्लिमों के बीच विवाह को मान्यता न देना।

(2) मुस्जिदों में लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक।

(3) किसी भी सैक्टर में मुसलमानों की आबादी 2500 से अधिक न हो, तथा

(4) सभी मुस्लिमों के पास एन.एस.सी.एन. (के) द्वारा जारी पहचान पत्र होने चाहिए।

मामले को आगे उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

उत्पाद पेटेंट को क्रियान्वित करने हेतु विश्व व्यापार संगठन की समय-सीमा को बढ़ाया जाना

5488. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भेषज उद्योग की लाबी ने ट्रीप्स समझौतों के अंतर्गत भारत में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु विश्व व्यापार संगठन की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन की दोहा बैठक में अल्प विकसित देशों को समय-सीमा बढ़ाने का विकल्प दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ट्रीप्स समझौतों के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु विश्व व्यापार संगठन की समय-सीमा 2016 तक बढ़ाने पर विचार करेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय भेषज उद्योग ने पेटेंट तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव किए हैं। ये प्रस्ताव औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग से किए गए हैं।

(ग) और (घ) ट्रिप्स समझौता और स्वास्थ्य से संबंधित दोहा मंत्रीस्तरीय घोषणा के पैरा 7 में प्रावधान है कि:

> ".....हम इस बात से भी सहमत हैं कि कम विकसित सदस्य देश भेषज उत्पादों के संबंध में ट्रिप्स समझौते के भाग-II के खंड 5 और 7 को लागू करने अथवा कार्यान्वित करने के लिए अथवा इन खंडों के अंतर्गत प्राविधित अधिकार के प्रवर्तन के लिए 1 जनवरी, 2016 तक बाध्य नहीं होंगे जो कम विकसित सदस्य देश के अधिकार पर प्रभाव डाले बगैर संक्रमण अवधि के विस्तार जैसा कि ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 66.1 में प्रावधान है, के लिए हैं। हम ट्रिप्स परिषद को ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 66.1 के अनुसरण में इसे प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुदेश देते हैं।"

संयुक्त राष्ट्र द्वारा पदनामित उनके मानदंडों के अनुसार कम विकसित देशों में शामिल किए जाने के लिए भारत अर्हक नहीं है।

शिक्षा सहयोग योजना

5489. श्री चिन्तामन वनगा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अभिभावकों के बच्चों को नौवीं से बारहवीं तक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा सहयोग योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिदोष से ग्रस्त व्यक्तियों को आरक्षण

5490. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने शारीरिक और दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्तियों को शिक्षण पदों में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने अशक्त व्यक्तियों को स्नातकोत्तर स्तर पर अंक में 5 प्रतिशत छूट देने का भी निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय ने इन आदेशों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांगों तथा दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षण पदों में उपलब्ध आरक्षण के प्रावधान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दृष्टिकोण से उच्चतम न्यायालय संतुष्ट था इसलिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। तथापि माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित नेट परीक्षा में बैठने के लिए निष्णात स्तर पर प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत छूट का लाभ विकलांग व्यक्तियों को भी दिया जाना चाहिए, जैसा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में लागू है।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

संपर्क अधिकारियों को नामित करना

5491. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एच.ए. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67 स्था. दिनांक 10.4.1968 (डी.ओ.पी.टी. के कार्यालयन ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 27.5.1976) के अंतर्गत जैसा कि अपेक्षित है, उनके मंत्रालय के अधीन कुछ विभागों/अधीनस्थ और संबंद्ध कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी संगठनों/निगमों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देश के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कार्यालयों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके अधीन "प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करने वाले संगठनों/कार्यालयों की कुल संख्या क्या है, जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कितने संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) मंत्रालय के अधीन 20 संगठन/कार्यालय हैं जो प्रशासनिक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं और राजघाट समाधि समिति को छोड़कर सभी यूनिटों में संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं।

राजघाट समाधि समिति ने संपर्क अधिकारी नामित नहीं किया है क्योंकि यह एक छोटा संगठन है जिसमें सीमित संख्या में कर्मचारी हैं।

भू-संसाधन प्रबंधन पर सम्मेलन

5492. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वायत्त कंजर्वेशन सोसायटी आफ इंडिया (एस.सी.एस.आई.) द्वारा भूमि संसाधन प्रबंधन खाद्य संवितरण और पर्यावरण सुरक्षा पर वर्ष 2002 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उनमें से कितनी सिफारिशों पर विचार किया गया और उन्हें क्रियान्वित किया गया;

(ङ) इन सिफारिशों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-प्रबंधन में किस हद तक मदद मिलने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी आफ इंडिया द्वारा खाद्य, रोजगार और पर्यावरण सुरक्षा के लिए भूमि संसाधन प्रबंधन पर 9 से 13 नवम्बर, 2000 तक एक अन्तर-राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और भूमि संसाधन विभाग द्वारा इसका आयोजन नहीं किया गया था। तथापि, अन्यों के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराते हुए इसे सह-प्रायोजित किया गया था। सोसाइटी ने सम्मेलन की कार्यवाही की प्रतियां भेजी हैं जिनमें सम्मेलन की सिफारिशों में भी समाविष्ट हैं।

(ग) से (च) सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों में एकीकृत भूमि और जल प्रबंधन संबंधी व्यापक आयाम और खाद्य, रोजगार और पर्यावरणीय सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु देश में भूमि उपयोग और प्रबंधन नीति के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूमि संसाधन प्रबंधन के संबंध में एक नीति दस्तावेज तैयार करने का कार्य कृषि वित्त निगम, नई दिल्ली को सौंपा गया है। इस दस्तावेज में सम्मेलन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

सी.आर.एस.पी. के लोगों की भागीदारी

5493. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत राज्य-वार कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई और क्रियान्वित की गई;

(ख) इन योजनाओं में मुख्य बल किस बात पर दिया गया है;

(ग) क्या इन योजना को क्रियान्वित करने के कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है;

(घ) यदि हां, तो कितने समुदाय शौचालय बनाए गए हैं और योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत हुई और व्यय की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार सी.आर.एस.पी. पर राज्य ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक बुलाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) 1.4.99 से प्रभावी केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2001 तक 111 परियोजनाएं मंजूर की गई थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए वैयक्तिक परिवार शौचालयों को बनाने (2) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए शौचालयों को बनाने, (3) आंगनबाड़ी/बालवाड़ियों के लिए शौचालयों को बनाने तथा ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/उत्पादन केन्द्रों का गठन करने पर प्रमुख बल दिया जाएगा ताकि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त शौचालयों के विभिन्न रूपों का निर्माण करने, तकनीकी तथा वित्त व्यवस्था तथा अन्य स्वच्छता सुविधाओं के लिए जरूरी सामग्री और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, प्रारंभिक प्रचार-प्रसार प्रेरक अभियान, प्रारंभिक सर्वेक्षण कराने के लिए शुरू की गई गतिविधियों तथा सूचना, शिक्षा तथा संचार के लिए निधियां दी गई हैं ताकि मांग का जायजा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित की जा सकें।

(ग) जी, हां। कार्यक्रम को जन केन्द्रित और समुदाय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) संपूर्ण स्वच्छंता अभियान के अंतर्गत रिलीज तथा खर्च की गई राशि के साथ निर्मित सामुदायिक शौचालयों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

विवरण-I

दिसम्बर, 2001 तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	दिसंबर, 2001 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	10
4.	बिहार	7
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू व कश्मीर	2
10.	झारखंड	2
11.	कर्नाटक	3
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	5
14.	महाराष्ट्र	9
15.	मणिपुर	1
16.	नागालैंड	3
17.	उड़ीसा	5
18.	पंजाब	3
19.	राजस्थान	5
20.	सिक्किम	2
21.	तमिलनाडु	7
22.	त्रिपुरा	3
23.	उत्तर प्रदेश	12
24.	उत्तरांचल	1
25.	पश्चिम बंगाल	9
26.	पांडिचेरी	1
	कुल	111

विवरण-II

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रिलीज की गयी तथा खर्च की गयी निधियों एवं निर्मित सामुदायिक शौचालयों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज की गई राशि	जिलों द्वारा खर्च की गई राशि	निर्मित सामुदायिक शौचालय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3065.72	361.31	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	152.26	0.00	0
3.	असम	543.60	0.00	0
4.	बिहार	2787.39	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	229.33	0.00	0
6.	गुजरात	359.10	180.86	0
7.	हरियाणा	401.97	41.53	0
8.	हिमाचल प्रदेश	53.52	22.38	12
9.	जम्मू व कश्मीर	122.05	0.00	0
10.	झारखंड	1134.40	0.00	0
11.	कर्नाटक	536.05	0.00	0
12.	केरल	1050.07	0.00	0
13.	मध्य प्रदेश	991.72	7.97	1
14.	महाराष्ट्र	2309.58	0.00	0
15.	मणिपुर	48.08	0.00	0
16.	नागालैंड	118.33	16.13	0
17.	उड़ीसा	1781.95	97.77	0
18.	पंजाब	236.42	115.14	39
19.	राजस्थान	1618.68	0.00	0
20.	सिक्किम	142.40	35.61	85
21.	तमिलनाडु	3036.91	1046.38	80
22.	त्रिपुरा	618.29	75.75	0
23.	उत्तर प्रदेश	4170.06	1290.38	251

1	2	3	4	5
24.	उत्तरांचल	34.62	0.00	0
25.	पश्चिम बंगाल	2471.02	990.93	3
26.	पांडिचेरी	47.72	0.00	0
	कुल	28060.94	4282.14	471

कालेजों को स्वायत्तशासी दर्जा दिया जाना

5494. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किए गए कालेजों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कुछ और अधिक कालेजों को स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) स्वायत्त कालेज योजना के अंतर्गत अभी तक आठ राज्यों के 29 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले 130 कालेजों को स्वायत्त कालेज का दर्जा प्रदान किया गया है। इन कालेजों का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) स्वायत्त कालेज योजना एक निरंतर चलने वाली स्कीम है और समय-समय पर कालेजों को उनकी शैक्षिक ख्याति, संकाय, भौतिक सुविधाओं, सांस्थानिक प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक ढांचे की उपयुक्तता तथा संकाय की सहभागिता आदि को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वायत्त कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17
2.	गुजरात	1
3.	हिमाचल प्रदेश	5
4.	मध्य प्रदेश	35
5.	महाराष्ट्र	3
6.	उड़ीसा	17
7.	तमिलनाडु	48
8.	उत्तर प्रदेश	4
	कुल	130

[हिन्दी]

बंद/चालू उर्वरक संयंत्र

5495. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कुल कितने उर्वरक संयंत्र है और उनमें से कितने चालू है एवं कितने बन्द पड़े है;

(ख) क्या सरकार का विचार बन्द पड़े संयंत्रों को पुनर्जीवित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में देश में उर्वरक का कितना वार्षिक उत्पादन होता है और देश में उसकी कितनी वार्षिक खपत है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वर्तमान में देश में 67 बड़े और प्रमुख उर्वरक संयंत्र है जो बड़े पैमाने पर नाइट्रोजनयुक्त, फास्फेटिक एवं मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं। पी पी सी एल के सलादीपुरा एवं अमझौर संयंत्र एवं एच सी एल खेत्री सहित इनमें से 7 यूरिया संयंत्रों (नामत: आर सी एफ के ट्राम्बे-I, एफ सी आई के गोरखपुर, रामागुण्डम एवं तालचर संयंत्र, एच एफ सी के दुर्गापुर एवं बरौनी संयंत्रों) में प्रचालन सुरक्षा, फीडस्टाक सीमाओं,

अव्यवहार्यता या/और वित्तीय कठिनाईयों के कारण स्थगित/बन्द कर दिया गया है। एच एफ सी के हल्दिया संयंत्र ने कभी भी वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया और 1986 से बन्द पड़ा है।

(ख) और (ग) सरकार ने 509.40 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर एच एफ सी की नामरूप इकाईयों के पुनरुद्धार का अनुमोदन किया है जो चल रहा है। आर सी एफ के ट्राम्बे-I यूरिया संयंत्र का पुन: प्रारम्भण प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है और कम्पनी ने इसे प्रचालित नहीं करने का निर्णय लिया है। पी पी सी एल के गोरखपुर, तालचन, दुर्गापुर एवं बरौनी और सलादीपुरा तथा अमझौर के पुनरुद्धार एवं पुन: संरचना के प्रश्न को इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रियों के दल को विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

(घ) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान पोषक के रूप में उर्वरकों का उत्पादन एवं खपत नीचे दिया गया है:-

(रु. लाख/मी. टन)

उर्वरक पोषक	2001-2002		2002-2003 (अनुमानित)	
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
नाइट्रोजन (एन)	107.68	114.16	116.15	*
फास्फेट (पी)	38.60	44.16	48.19	*

*अभी तक आकलन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अनुसंधान एवं विकास के लिए आबंटन

5496. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिए बजट में आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वदेशी अनौपचारिक प्रौद्योगिकी के संवर्धन एवं विपणन हेतु शुरू किए गए विभिन्न कार्यों के क्रियाकलाप और प्रगति क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों से उनके अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य-कलापों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आने वाले बजट में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने पर विचार करने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड, विज्ञान एवं समाज कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के विकास हेतु विशेष घटक योजना तथा जनजाति उप-योजना, जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, अंतरिक्ष, महासागर विकास तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु आबंटन का उपयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा जैसी प्रायोजित अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई परियोजनाओं को सहायता दी जाती है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान निधिकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या, विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में 186.48 करोड़ रुपये, 218.56 करोड़ रुपये तथा 349.84 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत के साथ क्रमश: 1795, 1780 तथा 2050 है। इन वर्षों के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या तथा उनकी संस्वीकृत लागत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एन आई एफ) की स्थापना मार्च, 2000 में अहमदाबाद में निचले स्तर के नवप्रवर्तनों को खोजने, उनका दस्तावेजीकरण करने, मूल्य वृद्धि करने, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा करने तथा पारम्परिक ज्ञान पर आधारित वर्तमान के गैर-सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तनों का वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक आधार पर प्रचार करने के लिए की गई थी। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एन आई एफ) निचले स्तर के नवप्रवर्तनों तथा उत्कृष्ट पारम्परिक ज्ञान की खोज करने और सर्वोत्तम नवप्रवर्तन को पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय कैम्पेन का आयोजन करती है। ऐसी पहली गतिविधि पिछले वर्ष शुरू की गई जिसमें पूरे देश से लगभग 1000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई जिनमें लगभग 1600 नवप्रवर्तन शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड, विज्ञान एवं समाज कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजाति

उप-योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं आमंत्रित की जाती हैं। राज्यों की सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है। इसके फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में विज्ञान लोकप्रियकरण उद्यमवृत्ति विकास, रिमोट सेन्सिंग, ऊर्जा निर्माण तथा ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकास आदि के क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता दी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान तथा निकोबार	1	5.70	4	42.22	5	78.16
आंध्र प्रदेश	182	1952.85	130	1696.13	125	2113.57
अरुणाचल प्रदेश	7	41.71	8	39.93	1	17.84
असम	22	283.34	33	286.56	87	292.21
बिहार	55	463.68	47	1132.47	56	4807.95
चण्डीगढ़	44	416.78	29	272.67	35	499.95
दिल्ली	170	2031.61	187	3119.75	183	2818.30
गोवा	7	67.57	16	201.16	16	319.68
गुजरात	38	240.27	55	492.90	47	555.57
हरियाणा	13	311.17	31	490.37	17	577.25
हिमाचल प्रदेश	17	127.95	15	126.99	18	282.76
जम्मू और कश्मीर	8	59.30	8	40.33	10	170.78
कर्नाटक	193	1872.54	163	1724.49	188	4065.87
केरल	71	677.28	74	919.72	56	616.78
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	2	16.97	–	–
मध्य प्रदेश	59	571.58	47	800.99	54	514.59
महाराष्ट्र	166	2315.58	172	3710.45	266	7072.90
मणिपुर	6	43.87	16	155.52	24	115

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	4	43.59	10	70.17	10	67.57
मिजोरम	1	4.37	शून्य	शून्य	2	14.66
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	1	8.46	3	8.51
उड़ीसा	24	195.72	22	160.56	53	430.88
पाण्डिचेरी	13	88.50	8	35.02	11	90.18
पंजाब	30	147.71	34	287.52	31	1008.84
राजस्थान	50	329.45	42	503.58	45	731.16
सिक्किम	1	5.00	5	86.34	15	325.06
तमिलनाडु	184	1254.87	189	1334.02	210	2732.93
त्रिपुरा	2	13.72	6	31.99	5	17.75
उत्तर प्रदेश	231	1853.97	249	2294.19	265	2498.35
पश्चिम बंगाल	196	3228.46	177	1766.14	212	2139.04
छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–
झारखण्ड*	–	–	–	–	–	–
उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–
कुल	1795	18648.20	1780	21856.61	2050	34984.54

*इन राज्यों के आंकड़े क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में शामिल हैं।

[हिन्दी]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान करना

5497. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक लक्ष्य नहीं दिये जाते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक समेकित स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सामाजिक जागरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) में लगाया जाता है। सामाजिक जागरण और सामुदायिक संगठन, प्रक्रिया उन्मुख होने के कारण किसी लक्ष्यों के द्वारा चालित नहीं होना चाहिए।

तथापि, योजना के तहत विकास की मासिक आवधिक रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों के जरिए निगरानी की जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए राज्यवार वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I, II और III में दर्शाए गए हैं।

विवरण-I

1999-2000 (मार्च, 2000 तक) एस जी एस वाई के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह तक	1.4.99 को अथशेष	केन्द्रीय आबंटन	राज्य आबंटन	कुल आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	उपलब्ध निधियों के उपयोग का प्रतिशत	आबंटन के उपयोग का प्रतिशत	कुल ऋण लक्ष्य	बुटाए गए कुल ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	3	2733.98	6219.55	2073.73	8292.73	6219.57	2061.77	11015.32	10044.08	91.18	121.12	21600.00	9379.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	512.87	136.74	45.58	182.32	92.14	21.23	626.24	240.22	38.36	131.76	880.00	13.20
3.	असम	3	4459.11	3553.09	1184.36	4737.45	3062.36	221.87	7743.34	4509.16	58.23	95.18	7000.00	895.89
4.	बिहार	3	16277.55	20374.56	6791.52	27166.08	11918.05	3617.78	31813.38	10068.16	31.65	37.06	51000.00	10839.06
5.	गोवा	3	67.33	59.78	19.93	79.71	59.78	11.58	138.69	11.22	8.09	14.08	170.00	0.00
6.	गुजरात	3	512.76	2341.15	780.38	3121.53	2340.56	616.51	4469.83	2448.03	54.77	78.42	7500.00	2213.59
7.	हरियाणा	3	274.81	1377.36	459.12	1836.48	1784.18	459.68	2518.67	1963.41	77.95	106.91	4200.00	3000.13
8.	हिमाचल प्रदेश	3	425.74	580.06	193.35	773.41	475.99	96.68	998.41	667.38	66.84	86.29	2000.00	2223.11
9.	जम्मू व कश्मीर	3	466.48	717.90	239.30	957.20	411.69	235.55	1113.72	787.32	70.69	82.25	1800.00	695.44
10.	कर्नाटक	3	4809.40	4696.65	1565.55	6262.20	2348.33	782.78	7940.51	3969.52	49.99	63.39	14000.00	3364.84
11.	केरल	3	1537.63	2107.37	702.46	2809.83	2083.35	694.46	4315.44	2506.81	58.09	89.22	7000.00	5006.72
12.	मध्य प्रदेश	3	4181.78	10327.33	3442.44	13769.77	10013.58	2979.65	17175.01	9918.36	57.75	72.03	31500.00	10859.11
13.	महाराष्ट्र	3	4017.58	9284.11	3094.70	12378.81	9284.11	2517.34	15819.03	10257.28	64.84	82.86	28500.00	15404.06
14.	मणिपुर	4	एनआर	238.19	79.40	317.59	119.097	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
15.	मेघालय	8	एनआर	266.87	88.96	355.83	131.52	58.05	189.57	75.02	39.57	21.08	600.00	69.43
16.	मिजोरम	3	9.98	61.75	20.58	82.33	58.15	20.56	88.69	9.98	11.25	12.12	200.00	0.00
17.	नागालैंड	3	134.58	183.06	61.02	244.08	102.087	0.00	236.67	228.94	96.74	93.80	400.00	94.16
18.	उड़ीसा	3	2780.08	7113.90	2371.30	9485.20	7222.67	3377.06	13379.81	7457.65	55.74	78.62	20700.00	9417.58
19.	पंजाब	3	352.97	669.38	223.13	892.51	664.98	270.17	1288.12	987.57	76.67	110.65	2000.00	227.96
20.	राजस्थान	3	4244.01	3566.34	1188.78	4755.12	3566.34	1188.78	8999.13	6270.68	69.68	131.87	14000.00	6166.18
21.	सिक्किम	3	36.48	68.38	22.79	91.17	68.38	22.80	127.66	81.62	63.84	89.52	230.00	119.07
22.	तमिलनाडु	3	1155.38	5499.44	1833.15	7332.59	6999.46	2002.72	10157.55	10234.93	100.76	139.58	18000.00	7374.61
23.	त्रिपुरा	3	323.30	430.08	143.36	573.44	488.12	119.10	930.52	836.58	89.90	145.89	1100.00	920.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	उत्तर प्रदेश	3	16001.62	22422.38	7474.13	29896.51	13337.96	4197.12	33536.70	6628.31	19.76	22.17	65000.00	10207.32
25.	पश्चिम बंगाल	3	11167.21	7905.68	2635.23	10540.91	3952.84	573.74	15693.79	5652.12	36.01	53.62	20000.00	7166.14
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	3	60.29	59.78	-	59.78	29.90	-	90.19	40.23	44.61	67.30	125.00	6.41
27.	दा. व न. हवेली	8	14.63	59.78	-	59.78	29.89	-	44.52	2.34	5.25	3.91	125.00	0.00
28.	दमन व दीव	12	15.52	59.78	-	59.78	29.89	-	45.41	7.50	16.52	12.55	120.00	1.03
29.	लक्षद्वीप	3	17.52	59.78	-	59.78	29.89	-	47.41	0.25	0.53	0.42	125.00	0.40
30.	पांडिचेरी	3	74.41	59.78	-	59.78	29.89	-	104.30	81.77	78.40	136.78	125.00	31.07
	योग		77665.00	110500.00	36733.70	147233.70	86954.73	26146.98	190766.71	95986.43	50.32	65.19	320500.00	105646.27

एन आर - असूचित

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह तक	संवितरित कुल अनुदान	कुल संवितरित ऋण	कुल निवेश	प्रति परिवार निवेश (रुपए में)	ऋण अनुदान अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3	6332.18	9379.59	15711.77	9511	1.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	216.94	13.20	230.14	7521	0.06
3.	असम	3	496.60	895.89	1392.49	7747	1.80
4.	बिहार	3	5794.22	10839.06	16633.28	15634	1.87
5.	गोवा	3	0.00	0.00	0.00	एनए	एनए
6.	गुजरात	3	1347.90	2213.59	3561.49	18414	1.64
7.	हरियाणा	3	1150.28	3000.13	4150.41	23924	2.61
8.	हिमाचल प्रदेश	3	564.81	2223.11	2787.92	32275	3.94
9.	जम्मू व कश्मीर	3	419.71	695.44	1115.16	19111	1.66
10.	कर्नाटक	3	2214.73	3364.84	5579.57	29084	1.52
11.	केरल	3	2168.70	5006.72	7175.42	24336	2.31
12.	मध्य प्रदेश	3	5889.34	10859.11	16748.45	14938	1.84
13.	महाराष्ट्र	3	6476.65	15404.06	21880.71	24866	2.38

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	4	0.00	0.00	0.00	एनए	एनए
15.	मेघालय	8	35.22	69.43	104.65	14123	1.97
16.	मिजोरम	3	0.00	0.00	0.00	एनए	एनए
17.	नागालैंड	3	197.14	94.16	291.30	6134	0.00
18.	उड़ीसा	3	5038.59	9417.58	14456.17	19370	1.87
19.	पंजाब	3	99.66	227.96	327.62	19340	2.29
20.	राजस्थान	3	2603.50	6116.18	8719.68	25556	2.35
21.	सिक्किम	3	49.21	119.07	168.28	24530	2.42
22.	तमिलनाडु	3	4467.04	7374.61	11841.65	18099	1.65
23.	त्रिपुरा	3	446.66	920.17	1366.83	16176	2.06
24.	उत्तर प्रदेश	3	4659.89	10207.32	14867.21	25414	2.19
25.	पश्चिम बंगाल	3	3466.73	7166.14	10632.87	11970	2.07
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	3	17.86	6.41	24.27	3053	0.36
27.	दा. व न. हवेली	8	0.00	0.00	0.00	एनए	एनए
28.	दमन व दीव	12	0.48	1.03	1.51	25167	2.15
29.	लक्षद्वीप	3	0.20	0.40	0.60	20000	2.00
30.	पांडिचेरी	3	15.19	31.07	46.26	8712	2.05
	योग		54169.43	105646.27	159815.70	17113	1.95

एन ए – असूचित

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह तक	स्व सहायता समूह		स्व सहायता समूह के अंतर्गत कवर किए गए सदस्य	सहायता प्राप्त व्यक्ति कृत स्व-रोजगारी	सहायता प्राप्त कुल स्वरोज-गारी	लाभ नहीं पाए समूह का कवरेज				प्रतिशत				कॉलम 4 का औसत सदस्य
		बनाए गए समूह	शुरू की गई गतिविधियां				अनु. जाति	अनु.ज. जाति	महिला	विकलांग	अनु. जाति	अनु. ज.जा.	महिला	विकलांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. आंध्र प्रदेश	3	167529	10423	135498	29692	165190	63491	15929	114262	3990	38.44	9.64	69.17	2.42	13.00
2. अरुणाचल प्रदेश	3	54	1	5	3055	3060	0	3060	1169	0	0.00	100.00	38.20	0.00	5.00
3. असम	3	4818	1152	12472	5502	17974	2216	3886	5850	129	12.33	21.62	32.55	0.72	10.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4. बिहार	3	9860	3128	35485	70908	106393	29876	16684	35727	331	28.08	15.68	33.58	0.31	11.34
5. गोवा	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. गुजरात	3	4206	287	2731	16610	19341	2616	8054	6618	206	13.53	41.64	34.22	1.07	9.52
7. हरियाणा	3	712	260	2730	14618	17348	8263	0	9527	136	47.63	0.00	54.92	0.78	10.50
8. हिमाचल प्रदेश	3	1222	180	1975	6663	8638	3163	994	3610	14	36.62	11.51	41.79	0.00	10.97
9. जम्मू व कश्मीर	3	एनआर	एनआर	एनआर	5835	5835	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00	0.00	0.00	0.00	एन.ए.
10. कर्नाटक	3	7632	895	10638	8546	19184	5818	2126	10946	235	30.33	11.08	57.06	1.22	11.89
11. केरल	3	6761	440	4689	24796	29485	8133	456	15443	345	27.58	1.55	52.38	0.00	10.66
12. मध्य प्रदेश	3	19195	5562	56554	55564	112118	23573	30695	29435	530	21.03	27.38	26.25	0.47	10.17
13. महाराष्ट्र	3	19470	957	8747	79247	87994	21329	12869	36268	981	24.24	14.62	41.22	1.11	9.14
14. मणिपुर	4	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	–	–	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00	एन.ए.
15. मेघालय	8	एनआर	एनआर	एनआर	741	741	–	741	403	0	0.00	100.00	54.39	0.00	एन.ए.
16. मिजोरम	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	एन.ए.
17. नागालैंड	3	367	184	2648	2101	4749	0	4749	2454	0	0.00	100.00	51.67	0.00	14.39
18. उड़ीसा	3	10334	1011	9913	64720	74633	15017	18402	21713	194	20.12	24.66	29.09	0.26	9.81
19. पंजाब	3	561	72	825	869	1694	1046	0	1040	5	61.75	0.00	61.39	0.30	11.46
20. राजस्थान	3	635	67	573	33547	34120	9804	5507	13847	145	28.73	16.14	40.58	0.42	8.55
21. सिक्किम	3	17	5	5	681	686	61	288	270	–	8.89	41.98	39.36	0.00	1.00
22. तमिलनाडु	3	18661	3198	47264	18163	65427	30203	1309	52139	547	46.16	2.00	79.69	0.84	14.78
23. त्रिपुरा	3	419	17	290	8160	8450	1549	2934	2757	70	0.00	0.00	32.63	0.00	17.06
24. उत्तर प्रदेश	3	17389	173	1213	59434	60647	26130	782	15642	227	43.09	1.29	25.79	0.37	7.01
25. पश्चिम बंगाल	3	2481	1002	12925	75901	88826	26485	5008	36974	444	29.82	5.64	41.63	0.50	12.90
26. अ. व नि. द्वीप समूह	3	74	0	703	92	795	18	78	223	0	0.00	0.00	0.00	0.00	एन.ए.
27. दा. व न. हवेली	8	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	एन.ए.
28. दमन व दीव	12	एनआर	एनआर	एनआर	6	6	0	6	4	0	0.00	100.00	66.67	0.00	एन.ए.
29. लक्षद्वीप	3	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	एन.ए.
30. पांडिचेरी	3	29	3	29	502	531	147	384	369	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
योग		292426	29017	347912	585956	933868	278938	134944	416690	8529	29.87	14.45	44.62	0.91	11.99

एन ए - असूचित

एन.ए. - अनुपलब्ध

विवरण-II

2000-01 (मार्च, 2001 तक) एस जी एस वाई के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति (अनंतिम)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह तक	1.4.2000 को अथशेष	केन्द्रीय आबंटन	राज्य आबंटन	कुल आबंटन	केन्द्रीय रिलीज (31.3.2001 तक)	केन्द्रीय रिलीज का प्रतिशत	राज्य रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	कुल उपलब्ध निधियों के उपयोग का प्रतिशत	कुल आवंटन के उपयोग का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	516.65	5303.03	1767.68	7070.71	5283.98	99.64	569.97	6370.60	7082.46	111.17	110.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	229.45	276.91	92.30	369.21	99.26	35.85	34.19	362.90	179.93	45.58	48.73
3.	असम	3	2209.46	7195.18	2398.39	9593.57	0.00	0.00	0.00	2209.46	2071.74	93.77	21.60
4.	बिहार	3	12814.21	12616.76	4205.59	16822.35	2978.76	23.61	3016.63	18809.60	9984.51	53.08	59.35
5.	छत्तीसगढ़	3	2820.10	2800.88	933.63	3734.51	1138.08	40.63	461.93	4420.11	4815.87	108.95	128.96
6.	गोवा	3	9.44	50.00	16.67	66.67	25.00	50.00	16.67	51.11	2.59	5.07	3.89
7.	गुजरात	3	1858.87	1996.15	665.38	2661.53	1216.65	60.95	405.56	3481.08	3157.56	90.71	118.64
8.	हरियाणा	3	264.84	1174.37	391.46	1565.83	1088.61	92.70	651.48	2004.93	2380.23	118.72	152.01
9.	हिमाचल प्रदेश	3	328.14	494.67	164.89	659.56	245.91	49.71	81.97	656.02	771.02	117.53	116.90
10.	जम्मू व कश्मीर	3	549.60	612.10	204.03	816.13	195.23	31.90	186.76	931.59	599.19	64.32	73.42
11.	झारखण्ड	3	3427.57	4755.33	1585.11	6340.44	808.88	17.01	806.90	5043.35	4003.17	79.38	63.14
12.	कर्नाटक	3	5052.04	4004.53	1334.84	5339.37	1600.56	39.97	533.52	7186.12	4212.40	58.62	78.89
13.	केरल	3	2166.79	1796.82	598.94	2395.76	919.53	51.18	306.50	3392.82	3489.36	102.85	145.65
14.	मध्य प्रदेश	3	3957.15	6004.58	2001.53	8006.11	3420.63	56.97	1441.19	8818.97	9330.72	105.80	116.55
15.	महाराष्ट्र	3	5218.34	7915.58	2638.66	10554.64	5770.72	72.90	2824.36	13813.42	11330.76	82.03	107.35
16.	मणिपुर		एनआर	482.36	160.79	643.15	24.94	5.17	एनआर	24.94	एनआर	मूल्य	मूल्य
17.	मेघालय	3	277.73	540.42	180.14	720.56	23.89	4.42	62.18	363.80	88.94	24.45	12.34
18.	मिजोरम	3	81.51	125.06	41.69	166.75	62.56	50.02	10.43	154.50	110.48	71.51	66.25
19.	नागालैंड	3	48.43	370.70	123.57	494.27	174.94	47.19	125.48	348.85	143.40	41.11	29.01
20.	उड़ीसा	3	4466.71	6065.56	2021.85	8087.41	4353.99	71.78	1564.78	10385.48	9780.81	94.18	120.94
21.	पंजाब	3	226.58	570.73	190.24	760.97	454.49	79.63	252.36	933.43	1232.06	131.99	161.91
22.	राजस्थान	3	2314.70	3040.77	1013.59	4054.36	2594.50	85.32	864.83	5774.03	4460.72	77.25	110.02

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	सिक्किम	3	29.88	138.45	46.15	184.60	136.93	98.83	50.00	216.71	151.69	70.00	82.17
24.	तमिलनाडु	3	785.87	4689.03	1563.01	6252.04	4826.30	98.66	1681.87	7094.05	8430.46	118.84	134.84
25.	त्रिपुरा	3	79.71	870.92	290.31	1161.23	860.44	98.80	360.98	1301.13	1231.26	94.63	106.03
26.	उत्तर प्रदेश	3	24269.43	18163.60	6054.53	24218.13	7737.07	42.60	2732.87	34739.37	19968.23	57.48	82.45
27.	उत्तरांचल	3	1226.47	954.45	318.15	1272.60	344.28	36.07	232.61	1803.36	904.50	50.16	71.07
28.	पश्चिम बंगाल	3	10128.22	6740.66	2246.89	8987.55	0.00	0.00	814.28	10942.50	1668.29	15.25	18.56
29.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	3	35.01	50.00	–	50.00	0.00	0.00	–	35.01	34.40	98.26	68.80
30.	दादर व नगर हवेली	3	35.90	50.00	–	50.00	0.00	0.00	–	35.90	0.26	0.72	0.52
31.	दमन व दीव	10	35.90	50.00	–	50.00	0.00	0.00	–	35.90	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	3	44.31	50.00	–	50.00	0.00	0.00	–	44.31	0.35	0.79	0.70
33.	पांडिचेरी	3	28.60	50.00	–	50.00	25.00	50.00	–	53.60	9.17	17.11	18.34
	योग		85537.61	100000.00	33250.00	133250.00	46211.03	46.21	20090.30	151838.94	11626.53	73.52	83.77

एन ए – असूचित

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		कुल ऋण लक्ष्य	स्वसहायता समूहों को संवितरित ऋण	व्यक्तिगत स्व-रोजगारियों को संवितरित ऋण	कुल संवितरित ऋण	संवितरित ऋण का %	स्व सहायता समूहो को संवितरित अनुदान	व्यक्तिगत स्वरोजगारी को संवितरित अनुदान	कुल संवितरित अनुदान	कुल निवेश कालम 5+9	प्रति परिवार निवेश (रुपए में)	ऋण अनुदान अनुपात
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	21600.00	4119.19	3608.16	7727.35	35.77	2828.36	1801.80	4630.16	12357.51	14874	1.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	880.00	48.59	63.77	112.36	12.77	45.40	74.42	119.82	232.18	16549	0.94
3.	असम	7000.00	299.99	471.03	771.02	11.01	200.98	262.14	463.12	1234.14	10048	1.66
4.	बिहार	37040.00	809.98	12644.08	13453.97	36.32	702.58	6224.72	6927.30	20381.27	16202	1.94
5.	छत्तीसगढ़	10020.00	400.37	3261.25	3661.62	36.54	307.23	1638.78	1946.01	5607.63	22057	1.88
6.	गोवा	170.00	0.00	3.33	3.33	1.96	0.00	0.88	0.88	4.21	18304	3.78
7.	गुजरात	7500.00	784.20	3019.46	3803.66	50.72	510.12	1653.24	2163.36	5967.02	20406	1.76
8.	हरियाणा	4200.00	250.99	5561.12	5812.11	138.38	194.33	1814.34	2008.67	7820.78	30251	2.89
9.	हिमाचल प्रदेश	2000.00	856.30	1353.69	2209.98	110.50	307.97	314.64	622.61	2832.59	24320	3.55

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू व कश्मीर	1800.00	30.28	1361.81	1392.09	77.34	16.23	351.70	367.92	1760.01	18921	3.78
11.	झारखण्ड	13960.00	178.04	5413.13	5591.17	40.05	133.20	3137.19	3270.39	8861.55	16101	1.71
12.	कर्नाटक	14000.00	2827.89	2643.48	5471.37	39.08	1360.02	906.29	2266.31	7737.68	26658	2.41
13.	केरल	7000.00	861.46	5151.27	6012.73	85.90	683.18	2127.58	2810.76	8823.49	23265	2.14
14.	मध्य प्रदेश	21480.00	1895.03	10179.21	12074.24	56.21	947.64	4763.57	5711.21	17785.45	24763	2.11
15.	महाराष्ट्र	28500.00	2849.53	14527.95	17377.48	60.97	1754.06	5942.90	7696.96	25074.44	28494	2.26
16.	मणिपुर	500.00	एन.आर.	एन.आर.	0.00	0.00	एन.आर.	एन.आर.	0.00	0.00	0	0.00
17.	मेघालय	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
18.	मिजोरम	200.00	11.81	0.20	12.01	6.01	106.01	0.30	106.31	118.32	8751	0.11
19.	नागालैंड	400.00	17.67	17.67	35.34	8.84	85.22	85.22	170.44	205.78	15087	0.21
20.	उड़ीसा	20700.00	1655.03	10678.84	12333.87	59.58	1078.42	5549.01	6627.43	18961.30	22004	1.86
21.	पंजाब	2000.00	300.91	2304.17	2605.08	130.25	188.12	855.01	1043.13	3648.21	30427	2.50
22.	राजस्थान	14000.00	73.30	12343.31	12416.61	88.69	33.22	3451.96	3485.18	15901.79	35731	3.56
23.	सिक्किम	230.00	4.71	187.54	192.25	83.59	4.71	117.09	121.80	314.05	14399	1.58
24.	तमिलनाडु	18000.00	6833.75	1402.27	8236.02	45.76	4927.06	752.75	5679.80	13915.82	16687	1.45
25.	त्रिपुरा	1100.00	13.25	1158.23	1171.48	106.50	13.25	691.94	705.19	1876.67	12819	1.66
26.	उत्तर प्रदेश	61755.00	387.04	20899.74	21286.78	34.47	246.48	10012.93	10259.41	31546.19	25427	2.07
27.	उत्तरांचल	3245.00	एनआर	एनआर	0.00	-	एनआर	एनआर	0.00	0.00	0	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	20000.00	90.00	676.66	766.66	3.83	59.24	321.44	380.68	1147.34	5404	2.01
29.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	125.00	3.90	0.00	3.90	3.12	22.40	0.00	22.40	26.30	5871	0.17
30.	दादर व नगर हवेली	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
31.	दमन व दीव	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर
32.	लक्षद्वीप	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	8750	एनआर
33.	पांडिचेरी	125.00	1.20	2.02	3.22	2.58	0.60	0.96	1.56	4.78	12256	एनआर
	योग	320500.00	25604.30	118933.39	144537.68	45.10	16756.37	52852.79	69609.16	214146.85	20781	2.08

एन आर - असूचित

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्व सहायता समूह			स्व.स.स. शुरु की गई आर्थिक गतिविधियों की सं.	स्व.स.स. के अंतर्गत कवर किए गए सदस्य	सहायता प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगार	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी कॉलम (6+7)	लाभ नहीं पाए समूहों का कवरेज (संख्या)				प्रतिशत				कॉलम 5 का औसत सदस्य
		1.4.99 से बनाए गए समूह	ग्रेड-1 पास किए स्व.स.स. की संख्या	ग्रेड-2 पास किए स्व. स. की संख्या					अनु. जाति	अ.ज.जा.	महिला	विकलांग	अनु. जाति	अ.ज.जा.	महिला	विकलांग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	219943	140198	79189	4123	52772	30312	83084	30745	8395	56960	2201	37.00	10.106	68.56	2.65	12.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	113	31	0	56	601	802	1403	0	1403	607	0	0.00	100.00	43.26	0.00	10.70
3.	असम	7489	1513	1221	663	8820	3462	12282	1348	3529	4717	67	10.98	28.73	38.41	0.55	13.30
4.	बिहार	10010	1678	966	3757	43443	82349	125792	39035	1972	34726	338	31.03	1.57	27.61	0.27	11.50
5.	छत्तीसगढ़	16266	4590	328	877	6506	18917	24323	2560	11132	3544	63	10.07	43.79	13.94	0.25	7.40
6.	गोवा	0	0	0	0	0	23	23	2	0	7	0	8.70	0.00	30.43	0.00	एनआर
7.	गुजरात	9219	2331	455	655	5597	23644	29241	4786	9684	8803	305	16.37	33.12	30.10	1.04	8.50
8.	हरियाणा	2105	642	181	171	1697	24156	25853	11746	0	13130	173	45.43	0.00	50.79	0.67	9.90
9.	हिमाचल प्रदेश	2033	810	470	646	7111	4536	11647	4398	1588	6033	69	37.76	13.63	51.80	0.59	11.0
10.	जम्मू व कश्मीर	943	516	12	330	4036	5266	9302	224	484	4700	11	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर
11.	झारखण्ड	4291	967	341	957	12433	42605	55038	9765	20146	12970	190	17.74	36.60	23.57	0.35	12.9
12.	कर्नाटक	13403	1755	1518	1441	18564	10462	29026	9090	2480	17174	290	31.32	8.54	59.17	1.00	12.00
13.	केरल	19633	4790	1342	756	8355	29571	37926	10667	797	20790	394	28.13	2.10	54.82	1.04	11.00
14.	मध्य प्रदेश	33736	7896	1642	2103	21140	50683	71823	18622	19049	19124	377	25.93	26.52	26.63	0.52	10.00
15.	महाराष्ट्र	36029	9708	3909	1477	15545	72453	87998	18460	14725	33897	687	20.98	16.73	38.52	0.78	10.00
16.	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0	एनआर	एनआ	एनआर	एनआर	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर
17.	मेघालय	415	23	63	129	1671	0	1671	0	1671	1339	0	0.00	100.00	80.13	0.00	12.00
18.	मिजोरम	168	117	115	106	1322	30	1352	0	1021	437	10	0.00	75.52	32.32	0.74	12.00
19.	नागालैंड	567	30	30	198	1000	364	1364	0	1364	498	0	0.00	100.00	36.51	0.00	5.00
20.	उड़ीसा	29040	5358	1940	1169	13449	72722	86171	18850	20499	21347	293	21.88	23.79	24.77	0.34	11.00
21.	पंजाब	1223	358	156	176	1970	10020	11990	7028	0	4512	83	58.62	0.00	37.63	0.69	11.00
22.	राजस्थान	3326	228	20	32	271	44233	44504	12677	7921	17888	272	28.49	17.80	40.19	0.61	8.00
23.	सिक्किम	103	27	5	27	308	1873	2181	104	816	637	0	4.77	37.41	29.21	0.00	एनआर
24.	तमिलनाडु	43985	12904	5478	4712	71503	11890	83393	39855	1788	73384	306	47.79	2.14	88.00	0.37	15.00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.	त्रिपुरा	792	50	0	223	2700	11940	14640	2567	5196	5421	11	17.53	35.49	37.03	0.08	12.00
26.	उत्तर प्रदेश	37466	14114	407	227	2649	121415	124064	58390	477	28865	574	47.06	0.38	23.27	0.46	11.00
27.	उत्तरांचल	2598	1014	79	940	24435	7120	31555	10608	518	15203	77	33.62	1.64	48.18	0.24	25.00
28.	पश्चिम बंगाल	7794	2470	407	1235	14507	6723	21230	7615	1061	15317	10	35.87	5.00	72.15	0.05	1.00
29.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	75	32	32	38	448	0	448	0	71	119	0	0.00	15.85	26.56	0.00	एनआर
30.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	3	3	6	4	4	0	0	66.67	66.67	0.00	0.00	एनआर
31.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर
32.	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	4	4	0	4	2	0	0.00	100.00	50.00	0.00	एनआर
33.	पांडिचेरी	285	99	3	1	15	24	39	0	39	24	0	0.00	100.00	61.54	0.00	एनआर
	योग	503052	214249	101309	27225	342871	687602	1030473	319146	137834	422175	6801	30.97	13.38	40.97	0.66	-

एन आर - असूचित

विवरण-III

2001-02 (फरवरी, 2002 तक) के दौरान एस जी एस वाई के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह तक	1.4.2001 को अथशेष	केन्द्रीय आबंटन	राज्य आबंटन	कुल आबंटन	31.3.2002 तक केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज (% में)	राज्य रिलीज	कुल उपलब्ध निधियों (3+7+9)	निधियों का उपयोग	कुल उपलब्ध निधियों के उपयोग का प्रतिशत	आबंटन के उपयोग का प्रतिशत (केन्द्र+ राज्य)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	2	415.85	3068.31	1022.77	4091.08	3068.31	100.00	2197.26	5681.42	5023.74	88.42	122.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	208.40	164.76	54.92	219.68	106.34	64.54	22.56	337.30	53.10	15.74	24.17
3.	असम	2	732.58	4281.13	1427.04	5708.17	3328.48	77.75	332.44	4393.50	2545.12	57.93	44.59
4.	बिहार	2	13603.67	7300.00	2433.33	9733.33	3348.37	45.87	511.17	17463.21	8450.23	48.39	86.82
5.	छत्तीसगढ़	2	1358.22	1620.58	540.19	2160.77	1467.21	90.54	432.98	3258.41	2457.40	75.42	113.73
6.	गोवा	2	61.27	50.00	16.67	66.67	25.00	50.00	-	86.27	42.07	48.77	63.11
7.	गुजरात	2	985.04	1154.96	384.99	1539.95	885.51	76.67	244.69	2115.24	1958.65	92.60	127.19
8.	हरियाणा	2	228.95	679.48	226.49	905.97	679.48	100.00	322.44	1230.87	1227.88	99.76	135.53

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	हिमाचल प्रदेश	2	348.22	286.16	95.39	381.55	286.16	100.00	67.52	701.90	622.33	88.66	163.11
10.	जम्मू व कश्मीर	1	321.75	354.16	118.05	472.21	342.81	96.80	48.13	712.69	497.55	69.81	105.37
11.	झारखण्ड	10	3254.69	2751.41	917.14	3668.55	1196.01	43.47	509.59	4960.19	2154.17	43.43	58.72
12.	कर्नाटक	1	3861.24	2317.00	772.33	3089.33	1659.33	71.62	306.14	5826.71	2997.25	51.44	97.02
13.	केरल	2	343.56	1039.63	346.54	1386.17	1039.64	100.00	243.85	1627.05	1417.77	87.14	102.28
14.	मध्य प्रदेश	2	2227.03	3474.22	1158.07	4632.29	3425.29	98.59	833.88	6486.20	5620.06	86.65	121.32
15.	महाराष्ट्र	2	4812.78	4580.15	1526.72	6106.87	3842.09	83.89	1376.13	10031.00	7321.83	72.99	119.90
16.	मणिपुर	एनआर	–	287.00	95.67	382.67	13.02	4.54	–	13.02	–	0.00	0.00
17.	मेघालय	1	366.48	321.55	107.18	428.73	83.38	25.93	12.51	462.37	146.76	31.74	34.23
18.	मिजोरम	1	25.95	74.41	24.80	99.21	64.17	86.24	12.40	102.52	35.52	34.65	35.81
19.	नागालैंड	12	130.23	220.57	73.52	294.09	69.98	31.73	0.00	200.21	63.20	31.57	21.49
20.	उड़ीसा	2	1499.36	3509.50	1169.83	4679.33	2744.13	78.19	961.34	5204.83	3737.95	71.82	79.88
21.	पंजाब	2	40.82	330.22	110.07	440.29	325.37	98.53	57.00	423.19	508.82	120.23	115.56
22.	राजस्थान	2	1471.06	1759.38	586.46	2345.84	1759.38	100.00	493.60	3724.04	2729.44	73.29	116.35
23.	सिक्किम	1	12.41	82.38	27.46	109.84	82.38	100.00	40.00	134.79	117.92	87.48	107.36
24.	तमिलनाडु	2	456.02	2713.06	904.35	3617.41	2713.06	100.00	1294.12	4463.20	3579.88	80.21	98.96
25.	त्रिपुरा	2	174.65	518.20	172.73	690.93	622.08	120.05	182.14	978.87	839.32	85.74	121.48
26.	उत्तर प्रदेश	2	16178.80	10509.37	3503.12	14012.49	6316.37	60.10	1725.56	24220.73	11913.78	49.19	85.02
27.	उत्तरांचल	1	1129.30	552.30	184.10	736.40	496.90	89.97	96.27	1722.47	949.74	55.14	128.97
28.	पश्चिम बंगाल	2	9863.57	3900.11	1300.04	5200.15	78.26	2.01	0.00	9941.83	1742.09	17.52	33.50
29.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	7	30.28	50.00	–	50.00	12.50	25.00	–	42.78	0.37	0.86	0.73
30.	दादर व नगर हवेली	12	64.61	50.00	–	50.00	0.00	0.00	–	64.61	0.99	1.52	1.97
31.	दमन व दीव	एनआर	–	50.00	–	50.00	0.00	0.00	–	0.00	–	–	0.00
32.	लक्षद्वीप	11	44.68	50.00	–	50.00	0.00	0.00	–	44.68	0.10	0.22	0.20
33.	पांडिचेरी	1	45.61	50.00	–	50.00	28.93	57.86	–	74.54	52.03	69.80	104.06
	योग		64296.98	58150.00	19300.00	77450.00	40109.94	68.98	12323.72	116730.65	68807.05	58.95	88.84

एन आर – असूचित

(लाख रुपए में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ऋण लक्ष्य	स्व.स.स. को संवितरित ऋण	व्यक्तिगत स्वरोजगारी को संवितरित ऋण	कुल संवितरित ऋण	संवितरित ऋण (प्रतिशत में)	स्व.स.स. को संवितरित अनुदान	व्यक्तिगत स्वरोजगारी को संवितरित अनुदान	कुल संवितरित अनुदान	कुल निवेश (5+9)	प्रति परिवार निवेश	अनुदान ऋण अनुपात
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	21600.00	3407.99	2186.33	5594.32	25.90	2394.00	1001.29	3395.29	8989.61	13009	1.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	880.00	2.00	19.20	21.20	2.41	7.47	17.96	25.43	46.63	10695	0.83
3.	असम	7000.00	387.30	597.50	984.80	14.07	251.41	331.85	583.26	1568.06	19877	1.69
4.	बिहार	37040.00	779.60	11632.21	12411.81	33.51	715.70	5909.46	6625.16	19036.97	15696	1.87
5.	छत्तीसगढ़	10020.00	336.46	2634.07	2970.53	29.65	220.73	1305.91	1526.64	4497.17	30800	1.95
6.	गोवा	170.00	11.02	40.49	51.51	30.30	9.46	18.25	27.71	79.22	8108	1.86
7.	गुजरात	7500.00	468.00	1958.67	2426.67	32.36	306.24	1122.45	1428.69	3855.36	21633	1.70
8.	हरियाणा	6000.00	259.31	2498.63	2757.94	45.97	197.13	854.41	1051.54	3809.48	30196	2.62
9.	हिमाचल प्रदेश	2000.00	798.02	739.82	1537.84	76.89	313.53	177.72	491.25	2029.09	29041	3.13
10.	जम्मू व कश्मीर	3113.25	70.25	1255.55	1325.80	42.59	39.00	321.54	360.54	1686.34	16259	3.68
11.	झारखण्ड	13960.00	78.43	2394.60	2473.03	17.72	51.15	1506.90	1558.05	4031.08	14568	1.59
12.	कर्नाटक	14000.00	2528.15	1857.09	4385.24	31.32	1420.83	749.38	2170.21	6555.45	27195	2.02
13.	केरल	7500.00	570.22	1509.86	2080.08	27.73	462.86	643.20	1106.06	3186.14	21296	1.88
14.	मध्य प्रदेश	21480.00	1628.50	7688.57	9317.07	43.38	873.63	3021.28	3894.91	13211.98	31482	2.39
15.	महाराष्ट्र	28500.00	2420.84	6710.88	9131.72	32.04	1811.80	2953.36	4765.16	13896.88	28470	1.92
16.	मणिपुर	500.00	एनआर	एनआर	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	मूल्य	मूल्य
17.	मेघालय	600.00	2.32	20.42	22.74	3.79	2.32	27.12	29.44	52.18	583	0.77
18.	मिजोरम	200.00	4.75	0.31	5.06	2.53	24.55	0.34	24.90	29.95	1257	0.20
19.	नागालैंड	400.00	19.90	16.33	36.23	9.06	15.20	30.70	45.90	82.13	7777	0.79
20.	उड़ीसा	20700.00	645.40	4244.25	4889.65	23.62	448.53	2347.02	2795.55	7685.20	20783	1.75
21.	पंजाब	2600.00	121.20	982.19	1103.39	42.44	85.24	366.33	451.57	1554.96	30981	2.44
22.	राजस्थान	8304.00	217.12	7759.14	7976.26	96.05	77.29	2218.10	2295.39	10271.65	36979	3.47
23.	सिक्किम	300.00	4.71	119.97	124.68	41.56	4.71	76.69	81.40	206.08	16714	1.53
24.	तमिलनाडु	18000.00	2974.46	209.68	3184.14	17.69	2455.54	140.02	2595.56	5779.71	14025	1.23

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	त्रिपुरा	2100.00	6.27	906.16	915.43	43.59	6.27	610.64	616.91	1532.34	13249	1.48
26.	उत्तर प्रदेश	61755.00	2045.05	12711.18	14756.23	23.89	1405.65	5689.59	7085.24	21841.47	20041	2.08
27.	उत्तरांचल	3245.00	एनआर	एनआर	मूल्य	एनआर	एनआर	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल य
28.	पश्चिम बंगाल	20000.00	63.48	1137.17	1200.65	6.00	61.34	538.85	600.19	1800.84	19036	2.00
29.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	125.00	0.00	1.04	1.04	0.83	0.00	0.26	0.26	1.30	16292	3.95
30.	दादर व नगर हवेली	125.00	1.82	1.80	3.62	2.90	0.99	0.99	1.97	5.59	21500	1.84
31.	दमन व दीव	120.00	एनआर	एनआर	मूल्य	मूल्य	–	–	0.00	मूल्य	एनआर	एनआर
32.	लक्षद्वीप	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
33.	पांडिचेरी	125.00	32.52	1.58	35.20	28.16	18.66	0.88	19.54	54.74	21135	1.80
	योग	320087.25	19886.20	71837.68	91723.88	28.66	13681.22	31972.50	45653.72	137377.60	18075	2.01

एन आर – असूचित

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्व सहायता समूह			स्व.स.स. द्वारा	स्व.स.स. के तहत	सहायता प्राप्त	सहायता प्राप्त	लाभ नहीं प्राप्त किए समूह का कवरेज							
								संख्या				प्रतिशत			
	14.99 से बनाए गए समूह की सं.	ग्रेड-I पास किए स्व.स.स. की सं.	ग्रेड-II पास किए स्व.स.स. की सं.	शुरु की गई आर्थिक गतिविधियों की सं.	कवर किए गए सदस्य	प्राप्त व्यक्तिगत स्व-गारियों की सं.	स्वरोज-गारी (6+7)	अनु. जा.	अनु. ज.जा.	महिला	विक-लांग	अनु. जा.	अनु. ज.जा.	महिला	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. आंध्र प्रदेश	252994	19598	13453	3776	53034	16067	69101	27204	7438	56997	1377	39.37	10.76	82.48	1.99
2. अरुणाचल प्रदेश	133	0	0	10	91	345	436	0	436	150	0	0.00	100.00	34.40	0.00
3. असम	14295	1253	950	387	4149	3740	7889	914	1588	3266	70	11.59	20.13	41.40	0.89
4. बिहार	19854	2742	1124	3244	40106	81179	121285	37525	1426	26222	157	30.94	1.18	21.62	0.13
5. छत्तीसगढ़	26010	2256	728	218	1819	12782	14601	1801	6033	1728	113	12.33	41.32	11.83	0.77
6. गोवा	56	39	16	56	588	389	977	149	–	569	0	15.25	0.00	58.24	0.00
7. गुजरात	18214	4881	748	420	3109	14713	17822	2839	5419	4800	173	15.93	30.41	26.93	0.97
8. हरियाणा	1582	733	292	161	1665	10951	12616	5673	0	6556	69	44.97	0.00	51.97	0.55
9. हिमाचल प्रदेश	2576	998	708	444	4304	2683	6987	2801	514	3898	10	40.09	7.36	55.79	0.14
10. जम्मू व कश्मीर	2624	343	245	751	6465	3907	10372	210	684	5974	2	0.00	0.00	0.00	0.00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	झारखण्ड	4781	1079	260	786	8544	19127	27671	4395	12027	8015	94	15.88	43.46	28.97	0.34
12.	कर्नाटक	17524	2206	1912	1338	15995	8110	24105	7697	1949	15066	184	31.93	8.09	62.50	0.76
13.	केरल	30369	9677	2427	543	6109	8852	14961	4889	277	10070	107	32.68	1.85	67.31	0.72
14.	मध्य प्रदेश	83958	15463	4423	1149	10588	31379	41967	10726	10131	11604	271	25.56	24.14	27.65	0.65
15.	महाराष्ट्र	43689	11179	5479	1485	15419	33394	48813	11252	9035	19971	334	23.05	18.51	40.91	0.68
16.	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
17.	मेघालय	763	292	169	6	4196	4754	8950	0	8950	3339	0	0.00	100.00	37.31	0.00
18.	मिजोरम	705	131	65	111	2293	90	2383	0	2383	796	12	0.00	100.00	33.40	0.50
19.	नागालैंड	627	24	24	60	834	222	1056	0	1056	683	2	0.00	100.00	64.68	0.19
20.	उड़ीसा	56373	5673	2063	709	8287	28692	36979	8482	11871	12130	88	22.94	32.10	32.80	0.24
21.	पंजाब	1408	528	287	75	813	4206	5019	2899	-	1745	56	57.76	0.00	34.77	1.12
22.	राजस्थान	16729	2850	291	76	797	26980	27777	8679	3924	12071	244	31.25	14.13	43.46	0.88
23.	सिक्किम	203	77	0	5	57	1176	1233	85	453	234	0	6.89	36.74	18.98	0.00
24.	तमिलनाडु	57104	9127	3075	2513	39521	1690	41211	19065	893	38270	194	46.26	2.17	92.86	0.47
25.	त्रिपुरा	606	270	7	236	2671	8895	11566	1810	4713	5060	41	15.65	40.75	43.75	0.35
26.	उत्तर प्रदेश	110776	28894	4710	1456	16451	92534	108985	40747	216	23300	337	37.39	0.20	21.38	0.31
27.	उत्तरांचल	7444	1685	467	153	82783	2765	85548	17338	2409	29885	62	20.27	2.82	34.93	0.07
28.	पश्चिम बंगाल	31293	5900	560	122	1260	8200	9460	2605	292	2695	9	27.54	3.09	28.49	0.10
29.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	75	2	2	0	0	8	8	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	एनआर	-	-	-	13	13	26	-	26	-	5	0.00	100.00	0.00	19.23
31.	दमन व दीव	एनआर	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.	पांडिचेरी	523	201	31	18	230	29	259	104	155	29	-	40.15	59.85	11.20	0.00
	योग	813290	128081	44516	20308	332191	427872	760063	219889	94298	305123	4011	28.93	12.41	40.14	0.53

एन आर - असूचित

[अनुवाद]

सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कालेजों को आपस में जोड़ना

5498. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार देश के सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों और संबद्ध कालेजों को आपस में जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इरनेट इण्डिया के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है जिसके अनुसार पहले सभी विश्वविद्यालय को परस्पर कनेक्टिविटी सुविधा दी जाएगी और उसके बाद यह सुविधा सम्बद्ध कालेजों को देने का प्रस्ताव है।

(घ) इस परियोजना की लागत का अभी हिसाब लगाया जाना है।

शिक्षा स्तर में उन्नयन

5499. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर के उन्नयन संबंधी कोई विशेष कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश की शिक्षा प्रणाली और संस्थानों में मौजूद असमानता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक स्तर से परास्नातक स्तर तक शिक्षा के विकास पर खर्च किये गए कुल व्यय के संबंध में आंकड़ों को अद्यतन कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) 1992 में अद्यतन बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसके अनुसरण में कई योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जो मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा सहित ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक जरूरतों से जुड़ी हैं। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं- वंचित वर्गों के बच्चों को अधिक संख्या में स्कूल तक पहुंचाने की योजना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ विधि से परिवर्तित अधिगम की योजना, गांधीवादी माडल में ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, कम लागत पर ग्रामीण जनता तक प्रौद्योगिकी का अंतरण करने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निक की योजना आदि।

(ग) अब तक गुणवत्ता वाली शिक्षा से वंचित लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके विषमता निवारण तथा सबको समान रूप से शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया है। शिक्षा में समता और गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं पर निरंतर ध्यान दिया जाता है तथा इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं- बालिकाओं के लिए अलग-अलग स्कूल एवं छात्रावास, शिक्षण तथा अन्य शुल्कों से मुक्ति, निर्धन एवं मेधावी छात्रों के लिए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दी, छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति, दाखिला में आरक्षण आदि जैसे प्रोत्साहन।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1998-1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के शिक्षा पर व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 (वास्तविक)				1999-2000 (संशोधित अनुमान)				2000-2001 (बजट अनुमान)			
		प्रा.शि.	मा.शि.	उ.शि.	त.शि.	प्रा.शि.	मा.शि.	उ.शि.	त.शि.	प्रा.शि.	मा.शि.	उ.शि.	त.शि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1284.79	755.65	504.36	82.14	1703.05	818.83	625.46	71.27	1734.98	998.04	921.36	79.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.46	26.21	9.13	0.00	80.94	23.45	10.00	0.00	84.61	25.11	10.29	0.00
3.	असम	784.79	354.95	117.18	22.77	1331.50	491.34	145.00	23.00	1311.67	557.18	355.35	21.97
4.	बिहार	1656.16	497.27	301.37	33.67	2863.25	792.19	432.23	50.21	2966.88	795.40	463.60	46.42
5.	गोवा	54.97	102.35	18.87	11.69	56.02	117.05	38.17	15.16	59.01	110.30	26.06	12.38
6.	गुजरात	1685.45	1041.27	241.72	82.30	1641.51	1175.09	348.65	102.40	1926.70	1011.52	280.40	105.58
7.	हरियाणा	542.77	497.74	114.32	30.70	514.09	459.80	160.26	75.24	498.07	513.81	218.51	37.14
8.	हिमाचल प्रदेश	388.17	215.89	43.80	14.57	410.37	187.39	55.66	10.21	481.81	217.06	52.29	8.88
9.	जम्मू और कश्मीर	208.59	157.87	54.41	12.37	326.72	256.93	74.57	14.77	347.14	273.58	83.14	15.20
10.	कर्नाटक	1303.79	778.30	306.46	66.42	1464.19	866.63	352.85	58.07	1717.31	988.78	641.84	61.18
11.	केरल	903.57	597.05	307.52	81.43	1234.22	763.87	337.18	110.77	1285.14	868.61	419.80	122.75
12.	मध्य प्रदेश	1580.53	594.87	241.96	78.70	1542.30	426.02	340.28	116.10	1586.65	425.79	315.42	109.31
13.	महाराष्ट्र	2339.07	2008.33	491.39	246.46	4322.56	3870.68	669.78	270.19	2967.28	2437.15	1067.76	233.80
14.	मणिपुर	80.72	60.29	30.10	1.33	209.19	117.11	74.16	2.87	144.92	82.62	42.82	3.25
15.	मेघालय	88.72	39.55	24.87	1.12	114.69	49.96	26.49	1.51	130.16	55.53	29.39	1.67
16.	मिजोरम	58.55	26.56	13.16	1.02	72.97	36.64	19.84	1.35	67.91	29.94	13.06	1.34
17.	नागालैंड	82.59	31.07	7.00	1.79	93.24	34.55	11.84	2.00	107.83	34.67	12.83	2.02
18.	उड़ीसा	804.38	416.43	193.76	28.14	1139.90	370.17	187.52	15.50	1035.17	362.23	260.23	22.25
19.	पंजाब	506.84	940.81	163.45	48.83	566.32	1066.77	217.29	72.71	605.17	1170.70	194.14	58.13
20.	राजस्थान	1487.17	975.29	193.83	31.13	1748.51	979.83	210.48	30.90	1876.46	1055.99	224.05	33.22
21.	सिक्किम	69.10	37.26	1.73	0.01	66.01	33.81	2.26	0.14	66.35	34.14	3.45	0.17
22.	तमिलनाडु	1831.02	1422.11	282.93	116.72	1892.25	1494.89	488.15	145.69	1974.42	1668.06	633.41	151.98
23.	त्रिपुरा	114.81	89.67	12.79	2.61	172.53	122.86	24.11	3.50	196.27	143.81	25.32	5.13
24.	उत्तर प्रदेश	3188.75	1815.85	392.64	116.95	3132.36	1931.30	572.06	124.73	3165.06	1753.77	424.36	121.76
25.	पश्चिम बंगाल	964.63	1484.41	359.40	76.51	1198.81	1602.47	467.47	95.42	1215.10	1648.62	485.52	79.09
26.	अंडमान और नि. द्वी. समूह	38.78	22.69	4.22	2.81	37.15	24.33	4.59	2.83	35.70	25.87	4.59	2.86
27.	चंडीगढ़	26.03	20.53	52.74	12.31	28.29	21.58	72.50	16.13	29.41	23.75	57.14	15.99
28.	दादरा और नगर हवेली	7.93	2.86	0.00	1.03	8.62	3.19	0.00	0.76	8.51	3.48	0.00	0.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	दमन और दीव	5.34	4.78	0.77	1.05	6.40	5.43	0.95	1.03	6.43	5.77	1.11	1.10
30.	दिल्ली	155.38	680.47	16.50	45.38	200.74	749.91	29.69	58.28	221.43	914.01	32.90	64.20
31.	लक्षद्वीप	8.07	5.51	2.40	0.00	9.12	6.72	1.80	0.00	11.23	6.87	2.39	0.00
32.	पांडिचेरी	42.19	34.88	12.03	11.14	45.01	38.51	23.30	16.52	46.49	41.83	20.34	8.22
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	22363.11	15728.77	4516.81	1263.10	28232.83	18939.30	6024.88	1509.26	27911.27	18283.99	7322.87	1437.72
	केन्द्र	2751.57	982.76	1599.96	810.04	2854.24	1056.49	2164.65	1035.26	3610.75	1230.10	2128.78	1105.52

संक्षिप्त सार: प्रा.शि. = प्रारंभिक शिक्षा, मा.शि. = माध्यमिक शिक्षा, उ.शि. = उच्चतर शिक्षा, त.शि. = तकनीकी शिक्षा

एच.एफ.सी. को हानि

5500. श्री वाई.वी. राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को 1991 से 2001 के दौरान कुल 6,132 करोड़ रुपये की संचयी हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान कम्पनी के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन को प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं उपकरण खामियों, बारम्बार उपकरण खराबी, पेट्रोलियम उत्पादों की लागत में वृद्धि, विद्युत की कमी, औद्योगिक संबंध की समस्याओं और जनशक्ति की अधिकता तथा संसाधन कठिनाईयों के कारण हानि हो रही है। दिनांक 31.3.2001 को कम्पनी की संचित हानि 6149.55 करोड़ रुपये थी।

(ग) कम्पनी को वर्ष 2001-2002 के दौरान 803.28 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की हानि हुई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नाइट्रोजन, पोटाश एवं फास्फेट की खपत

5501. डा. बलिराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नाइट्रोजन, पोटाश एवं फास्फेट की प्रति हेक्टेयर खपत कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान, आज तक इन राज्यों को कितनी मात्रा में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की आपूर्ति की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान अविभाजित उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में कुल फसल क्षेत्र के लिये नाइट्रोजन (एन), फास्फेट (पी) और पोटाश (के) की प्रति हेक्टेयर अनुमानित खपत इस प्रकार है:-

(कि.ग्रा./हेक्टेयर)

पोषक	उत्तर प्रदेश	महाराष्ट्र
एन	95.67	46.90
पी	29.96	22.40
के	5.19	10.94
योग	130.82	80.24

(ख) गत 3 वर्षों में वर्तमान वर्ष के दौरान 15.4.2002 तक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को आपूर्ति किये गये यूरिया तथा अन्य प्रमुख विनियंत्रित उर्वरकों नामत: डाई-अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) और म्यूरिऐट आफ पोटाश (एम ओ पी) की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मात्रा 000 मी. टन में

वर्ष		मौसम	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश
1999-00	यूरिया	खरीफ	1285.92	2756.08
		रबी	855.99	2810.46
	डी ए पी	खरीफ	387.07	672.50
		रबी	299.83	1066.54
	एम ओ पी	खरीफ	148.43	109.17
		रबी	118.14	93.54
2000-01	यूरिया	खरीफ	1189.81	2578.75
		रबी	690.22	2644.12
	डी ए पी	खरीफ	299.12	503.00
		रबी	239.58	1059.53
	एम ओ पी	खरीफ	159.94	55.07
		रबी	116.17	89.98
2001-02	यूरिया	खरीफ	1149.20	2753.00
		रबी	717.90	2725.13
	डी ए पी	खरीफ	256.42	573.09
		रबी	235.16	1039.29
	एम ओ पी	खरीफ	149.33	83.65
		रबी	145.59	68.24
2002-03 (15.4.2002 तक)	यूरिया	खरीफ	138.58	322.16
	डी ए पी	खरीफ	75.72	143.02
	एम ओ पी	खरीफ	26.40	17.19

[अनुवाद]

भारत-अमरीका के बीच भावी हाइड्रोजन आधारित प्रौद्योगिकी संबंधी समझौता

5502. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका किसी भावी हाइड्रोजन आधारित प्रौद्योगिकी संबंधी तकनीकी ब्यौरा के आदान-प्रदान हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका ने इस क्षेत्र में भारत को अपने सहभागी के रूप में चुना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके हमारे देश के लिए कितना लाभदायक होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

''कापार्ट'' द्वारा मंजूर की गई परियोजनाएं

5503. श्री रामदास आठवले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''कापार्ट'' द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण प्रौद्योगिकी विपणन, ग्रामीण श्री मेला, मीडिया फिल्म्स और पुस्तकालय योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों/निजी कंपनियों को निधियां प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत इन परियोजनाओं का परियोजना-वार मूल्यांकन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव हुआ है एवं परियोजना-वार कितने लाभग्राहियों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए निधियों की मंजूरी एवं जारी करने के दौरान ''कापार्ट'' अधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.ई.एम. निवेश संबंधी प्रस्ताव

5504. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान भारतीय औषधीय क्षेत्र से "औद्योगिकी उद्यम संबंधी ज्ञापन" (आईईएम) प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों में अगले दो वर्षों के दौरान 922 करोड़ रुपए के निवेश पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों द्वारा कितनी संख्या में रोजगार सृजित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) इस विभाग को अप्रैल से नवंबर, 2001 के दौरान जांच के लिए एसआईए के पास दायर 66 आईईएम प्राप्त हुए थे। संबंधित कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) इन आईईएम में दर्शाए गए लगभग कुल निवेश और रोजगार नीचे दिए गए हैं

निवेश (करोड़ रुपए)	357
रोजगार	4200

विवरण

कंपनियों के नाम
(प्रस्तावों की संख्या कोष्ठक में दी गई है)

1. मै. मेड्रिक फोर्मूलेशंस प्रा. लि.
2. मै. सन फार्मास्यूटिकल्स लि. (15)
3. मै. लुपिन इंडस्ट्रीज लि. (3)
4. मै. एलेंबिक लि. (6)
5. मै. यू एस वी लि.
6. मै. केडिला फार्मास्यूटिकल्स लि. (3)
7. मै. अश्वनी बायोफार्मा लि.
8. मै. एस एस आर्गेनिक्स लि.
9. मै. ड्राइटेक प्रोसेसेज इंडिया प्रा. लि.
10. मै. बायोलोजिकल लि. (2)
11. मै. मालाडी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स
12. मै. एल्बर्ट डेविड लि. (2)
13. मै. नेटको फार्मा लि.
14. डा. रेड्डीज लेब (2)
15. मै. आरपीजी लाइफ साइंसेज लि. (2)
16. मै. रूपा इंडस्ट्रीज लि.
17. मै. एलडर फार्मास्यूटिकल्स लि. (2)
18. मै. श्रीष्मा बल्क ड्रग्स प्रा. लि.
19. मै. स्मृति आर्गेनिक्स लि.
20. मै. हाइड्रो केमिकल्स प्रा. लि. (4)
21. मै. क्रेब्स बायोकेमिकल्स लि.
22. मै. हेक्सट मेरियन रशल लि.
23. मै. आईपीसीए लैब्स लि.
24. मै. आर्टिमिस बायोटेक लि.
25. मै. मेट्रोपोलिटिन ड्रग्स एंड केमिकल्स कं.
26. मै. वीटालाइफ लैब्स लि.
27. मै. ग्रीष्मा केपिटल एंड क्रेडिट प्रा. लि.
28. मै. यूनिकेम लैब्स लि.
29. मै. श्रेया हेल्थकेयर प्रा. लि.
30. मै. बायलेन बायोटेक्नोलोजीज लि.
31. मै. आरती हेल्थकेयर लि.
32. मै. सिपला लि.
33. मै. रापटाकोस ब्रेट एंड कं. लि.
34. मै. रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लि.
35. मै. ई. मर्क (इंडिया लि.)

गरीब व्यक्तियों को शिक्षा

5505. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री शशि कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के प्रत्येक अंचल के कोने-कोने तक शिक्षा के प्रचार-प्रसार की कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की महत्वाकांक्षी योजना, वित्तीय अवरोधों के कारण विगत तीन वर्षों से आरंभ तक नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के गरीब व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के विषय में 1999 में कर्नाटक राज्य सरकार के समक्ष एक विस्तृत कार्यक्रम पेश किये जाने के बावजूद, यह प्रस्ताव अभी तक धूल खा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का कार्यान्वयन न किए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता और वित्तीय मदद उपलब्ध कराने पर केन्द्र सरकार ने कहां तक सहमति व्यक्त की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु व्यय

5506. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री अम्बरीश:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील कुछ उन स्थानों की पहचान की है जो आई.एस.आई. की गतिविधियों के लक्ष्य बन सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार से अपने-अपने राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा की गयी मांगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गयी;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय योगदान की बकाया धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस बकाया धनराशि को कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई., आंतरिक सुरक्षा स्थिति को बिगाड़ने के लिए देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को उकसाती रही है और उसे सहायता और समर्थन देती रही है। हालांकि विभिन्न कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित जिलों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, फिर भी सरकार कड़ी निगाह रखती है ताकि देश के हितों को हानि पहुंचाने वाले तत्वों द्वारा स्थिति का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

(ग) से (छ) आतंकवादी/अतिवादी गतिविधियों से बहुत अधिक प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जबकि जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिपूर्ति, पात्र राशि के 100% तक, यथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यय की 50% प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

इस संबंध में प्राप्त मांगों की दिशानिर्देशों के अनुसार संवीक्षा की जाती है और उन्हें दावों की स्वीकार्यता तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकार किया जाता है। जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के संबंध में जारी की गई/प्रतिपूर्ति की गई धनराशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई/प्रतिपूर्ति की गई धनराशि (करोड़ों में)		
		1999-00	2000-01	2001-02
1.	जम्मू और कश्मीर	337.82	363.30	338.42
2.	हिमाचल प्रदेश	7.41	1.70	1.58
3.	असम	52.19	63.97	92.86
4.	नागालैंड	17.88	7.50	12.71
5.	मणिपुर	3.44	14.17	4.00
6.	त्रिपुरा	17.53	15.00	27.00
7.	अरुणाचल प्रदेश	–	1.00	1.90
8.	मेघालय	–	3.21	0.69
9.	आंध्र प्रदेश	30.46*	6.74	4.74
10.	मध्य प्रदेश	5.00*	1.42	0.62
11.	महाराष्ट्र	1.96*	0.5	0.16
12.	उड़ीसा	3.58*	1.9	0.18
13.	बिहार	28.80*	–	10.05
14.	छत्तीसगढ़	–	–	0.32
15.	झारखंड	–	–	0.18

*चूंकि यह योजना 1.4.1996 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 23.3.1999 को अनुमोदित की गई थी, इसलिए 1.4.1996 से 31.3.1999 तक की अवधि के लिए धनराशियां 1999-2000 में जारी की गई थीं।

आई.सी.एम.आर. परिसर में अत्यधिक सुरक्षा वाली प्रयोगशाला

5507. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे में 23 वर्षों का समय बीत जाने और 12 करोड़ रुपये खर्च हो जाने के बावजूद आई.सी.एम.आर. के विज्ञान परिसर में अत्यधिक सुरक्षा वाली प्रयोगशाला पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के उचित कार्यान्वयन और इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिंदी लेखन को प्रोत्साहन

5508. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी में लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई गई प्रोत्साहन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसकी कार्यचालन प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार मुख्यालय में हिंदी की उपेक्षा की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप हिंदी लेख पुरस्कार योजना बंद हो गई है और हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी अवरुद्ध हो गया है; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) केन्द्र सरकार ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएं प्रारम्भ की है:-

(1) मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभाग हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना चला सकते है। इस योजना के अंतर्गत केवल वे ही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो ''क'' और ''ख'' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20,000 शब्द हिन्दी में लिखते हों और क्षेत्र ''ग'' में कम से कम 10,000 शब्द हिन्दी में लिखते हों। इस योजना के तहत नगद पुरस्कार निम्न प्रकार से हैं:-

(क) केन्द्र सरकार का प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबंद्ध कार्यालय के लिए, स्वतंत्र रूप से:-

प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार)	1000 रु.
द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार)	600 रु.
तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार)	300 रु.

(ग) केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:-

प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार)	800 रु.
द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार)	400 रु.
तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार)	300 रु.

(2) अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेंशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय एक वर्ष में हिन्दी में अधिकतम डिक्टेंशन देने वाले अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू कर सकती है। पुरस्कार राशि 1000 रु. की है। पुरस्कारों की संख्या 2 हो सकती है- एक उन अधिकारियों के लिए जिनका मूल निवास ''क'' और ''ख'' क्षेत्र में हैं और दूसरा उनके लिए जिनका मूल निवास ''ग'' क्षेत्र में हैं। पुरस्कार प्रदान करने के लिए हिदी में डिक्टेंशन की न्यूनतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।

(3) आशुलिपिकों और टंककों को सरकारी काम अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन देना

उन आशुलिपिकों/टंककों को जो अंग्रेजी आशुलिपि/टंकण जानते हैं और अपना काम अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में करते हो, उन्हें क्रमश: 120 रु. और 80 रु. प्रति माह का विशेष भत्ता दिया जाता है। इस भत्ते के लिए केवल वे ही अंग्रेजी आशुलिपिक/टंकक पात्र हैं जो एक दिन में कम से कम पांच नोट/मसौदे/पत्र हिन्दी में टाइप करते हों या तीन महीने में कम से कम तीन सौ नोट/मसौदे/पत्र टाइप करते हों।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है। आयोग के सभी प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्ट, सूचना पत्र, हिन्दी में भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। आयोग के दिन-प्रति-दिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोग द्वारा प्रति वर्ष हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आयोग के अधिकारियों को सरकारी टिप्पण और आलेखन में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिन्दी में ''शब्दावली'' भी तैयार की जा रही है। हिन्दी में पत्रिका के प्रकाशन पर भी आयोग सक्रियता से विचार कर रहा है।

समाज के विभिन्न वर्गों के बीच हिन्दी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोग ने मानवाधिकारों, पर हिन्दी में सृजनात्मक लेख लिखने के लिए एक पुरस्कार योजना प्रारम्भ की है, जिसे आयोग ने सितम्बर, 1999 में अनुमोदित किया था। पुरस्कार के लिए संशोधित योजना वर्ष 2000 से कार्यान्वित की जा रही है। 2002-03 की अवधि के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जा रही है और जल्दी ही इस संबंध में समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होगा। जहां तक हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन का संबंध है, इसके प्रकाशन के तौर तरीकों पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों/ कर्मचारियों का स्थायीकरण

5509. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने नव नियुक्त अध्यापकों/ कर्मचारियों की परिवीक्षाधीन अवधि का निर्धारण करने के लिए निर्धारित किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति पर नवनियुक्त अध्यापकों/कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए निर्धारित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में चार वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने और सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी बहुत से अध्यापकों/कर्मचारियों के स्थायीकरण संबंधी आदेश जारी नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का क्षेत्र-वार, विद्यालय-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन अध्यापकों/कर्मचारियों को स्थायी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे कर्मचारियों को कब तक स्थायी किए जाने की संभावना है, जिन्होंने परिवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और जिनकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) 2001 में यथा संशोधित, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (नियुक्त, पदोन्नति, वरिष्ठता इत्यादि) नियमावली 1971 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये प्रत्येक कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि उसकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष होती है जिसे सक्षम प्राधिकारी लिखित कारणों के आधार पर अगले दो वर्ष के लिए बढ़ा सकता है।

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अनुदेशों का अनुसरण करता है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार

5510. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम का वर्णन "भ्रष्टाचार का अड्डा" में "सांविधानिक मशीनरी" की असफलता के रूप में किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) न्यायालय द्वारा दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध लगाए गए आक्षेपों के संबंध में एवं इसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

महिला कर्मचारियों द्वारा यौन-शोषण के बारे में शिकायतें

5511. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान सरकार को महिला कर्मचारियों की ओर से, अधिकारियों द्वारा उनका यौन-उत्पीड़न किये जाने के आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महिला कर्मचारियों की ओर से विगत दो वर्षों के दौरान प्राप्त इस आशय की शिकायतों कि सरकारी अधिकारियों द्वारा उनका यौन-शोषण किया गया, के दोषी व्यक्तियों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) उप सचिव तथा उसके ऊपर के स्तर के कितने अधिकारियों के विरुद्ध मामले साबित हुए; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सरकार को सीधे शिकायतें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इनका निपटान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में गठित शिकायत समितियों द्वारा किया जाना होता है। तथापि, अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक तथा अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक की अवधि में राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त शिकायतों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 अगस्त, 1997 को दिए गए निर्णय में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यौन-उत्पीड़न की शिकायतों की जांच सम्बन्धित संगठन में गठित शिकायत समिति द्वारा की जानी होती है। इसलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायतों को सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों को भेज दिया है।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'शून्य' सूचना भेजी है।

(ङ) सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु कई उपाय किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कानूनी शक्ति प्राप्त है। किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: सरकार ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुरोध किया है कि वे शिकायत समितियों का गठन करें तथा दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

* राष्ट्रीय महिला आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को सरल रूप प्रदान करते हुए, कार्य स्थल के लिए एक आचार संहिता तैयार की है। आयोग द्वारा इस आचार संहिता को सभी राज्य महिला आयोगों, गैर-सरकारी संगठनों, निगमित क्षेत्र के शीर्षस्थ निकायों, मीडिया, सभी मंत्रालयों और विभागों को परिचालित कर दिया गया है, ताकि इन दिशा-निर्देशों की जानकारी आधारभूत स्तर के कार्यकर्त्ताओं को हो सके और सभी संबंधितों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

* सभी संबंधितों द्वारा शिकायत समितियों के गठन को तथा दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय समिति का गठन किया गया है।

* केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में यौन उत्पीड़न को एक निषिद्ध आचरण के रूप में शामिल करने हेतु उसमें संशोधन किया गया है।

* औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 में संशोधन किए गए हैं, ताकि निजी क्षेत्र में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को एक अपराध बनाया जा सके और उसके लिए दोषी सहकर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

विवरण

कार्य-स्थलों पर यौन-उत्पीड़न के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त शिकायतें

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक प्राप्त शिकायतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	0
2.	असम	0	1
3.	बिहार	4	2
4.	गुजरात	2	0
5.	हरियाणा	2	3
6.	झारखण्ड	1	0
7.	कर्नाटक	0	2
8.	केरल	1	0
9.	मध्य प्रदेश	4	2
10.	महाराष्ट्र	1	2
11.	मणिपुर	1	1
12.	पंजाब	0	3
13.	राजस्थान	8	4
14.	तमिलनाडु	2	0
15.	त्रिपुरा	1	0
16.	उत्तर प्रदेश	16	9
17.	उत्तरांचल	0	1
18.	दिल्ली	4	17
19.	पश्चिम बंगाल	0	3
	कुल	48	50

[अनुवाद]

अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को सुविधाएं

5512. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सैन्य बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को मिलने वाली सुविधाओं को अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों से उन्हें भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा देने तथा सी.एस.डी. कैन्टीन आदि जैसी अन्य संबद्ध सुविधाएं प्रदान करने के बारे में अभ्यावेदन

प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने इस बारे में जांच की है। भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा उन्हें मुख्यतया पुनः रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से दिया जाता है जबकि के.अ.सै. बलों के कार्मिक 57 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं जो सैन्य कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु से अधिक होती है, अतः उनकी बराबरी भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों के साथ नहीं की जा सकती। जहां तक सी.एस.डी. कैंटीन सुविधाओं की मांग का प्रश्न है इस मंत्रालय ने इस मांग की जांच रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श से की है। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण के.अ.सै. बलों के कार्मिकों को उक्त सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है। तथापि, पेट्रोल पम्प/एल.पी.जी. आउटलेट आवंटन के मामले में, कार्रवाई के दौरान विकलांग हो गए/मारे गए के.अ.सै. बलों के निकटतम रिश्तेदारों को पात्र बनाया गया है तथा उन्हें भी रक्षा कार्मिकों के समान प्राथमिकता दी जा रही है।

स्नातकोत्तर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

5513. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान विभिन्न राज्यों में स्नातकोत्तर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना किए जाने के संबंध में, केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए घरों का निर्माण

5514. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्रीमती कैलाशो देवी:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री आदि शंकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के पास कुछ आवासीय योजनाएं अग्रेषित की हैं और इस उद्देश्य के लिए धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

देश भर में एक समान पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

5515. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम एक समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश भर में एक समान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) "शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण राज्य सरकारें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ्यविवरणों को अपनाने अथवा उनमें अपने-अपने संबंधित बोर्डों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे अपने-अपने पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र है।

डीपीसीआरसी द्वारा औषधियों की कीमतों में कमी लाया जाना

5516. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधि मूल्य नियंत्रण समीक्षा सहित (डीपीसीआरसी) ने औषधियों की उच्च कीमतों में कमी किए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में औषधियों की कीमतों में कमी लाने के लिए औषधि निर्माताओं को कोई राज सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डीपीसीआरसी ने यह भी सुझाव दिया है कि कम लागत वाली औषधियों को मूल्यनियंत्रण प्रणाली से अलग रखा जाए;

(च) यदि हां, तो कम लागत वाली औषधियों की श्रेणी में आने वाली औषधियों का ब्यौरा क्या है और इस तरह का सुझाव दिए जाने का आधार क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस सुझाव को स्वीकार करने का है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ज) जहां मूल्य नियंत्रण में निहित श्रम अलाभकर हो गए थे, उन्हें कम करने की दृष्टि से वर्तमान औषध मूल्य नियंत्रण तंत्र का पुनरीक्षण करने और यदि विकल्प रूप में कोई आदर्श हों तो उन्हें सुझाने के लिए सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की अध्यक्षता में औषध मूल्य नियंत्रण समीक्षा समिति (डीपीसीआरसी) नामक एक समिति गठित की गई थी। सरकार द्वारा हाल ही में घोषित "भेषज नीति-2002", जिसकी एक प्रति संसद ग्रंथागार में उपलब्ध है, को तैयार करते समय कम लागत के औषधों को मूल्य नियंत्रण से छूट देने संबंधी सिफारिश समेत समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

प्रतिबंधित कीटनाशकों का आयात

5517. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ रसायन कंपनियां विकसित देशों में प्रतिबंधित कीटनाशकों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कीटनाशक किसानों के उपयोग हेतु बेचे जा रहे है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कीटनाशकों के उपयोग ने भूमि की उर्वरता को दुर्बल कर दिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन रसायन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। सिर्फ उन्हीं कीटनाशकों के आयात की अनुमति दी जाती है जो इस देश में प्रतिबंधित नहीं हैं।

(ग) यदि पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकृत कीटनाशकों का पंजीकरण की शर्तों के अनुसार सही मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो वे भूमि की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

संस्थानों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

5518. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्दू को प्रोत्साहन देने वाले संस्थानों और उर्दू विश्वविद्यालयों को अनुदान/वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन संस्थानों/विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनको कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है और जो इस संबंध में अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी सभी संस्थानों/विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (च) भारत सरकार उर्दू भाषा का संवर्धन करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए विशेष रूप से स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद को 8.77 करोड़ रु. दिए गए हैं। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् उर्दू भाषा के संवर्धन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

केन्द्र सरकार ने उर्दू माध्यम में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए इसका बजट अनुमान 20.52 करोड़ रुपए था। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय दोनों ही कम्प्यूटरों से सुसज्जित हैं जिनका उपयोग वे अपने रोजमर्रा के कार्यों में करते हैं। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् ने अपनी वेबसाईट पहले ही शुरू कर दी है।

इसके अतिरिक्त 2001-02 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम्प्यूटरीकरण के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों को 11.04 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई थी जिसके लाभ उर्दू विभागों को भी मिलेगें जहां वे संचालित हैं।

[हिन्दी]

सती प्रथा को रोकने के लिए कानून

5519. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'सती' प्रथा को दृढ़तापूर्वक रोकने के लिए कोई कठोर कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सरकार सती प्रथा और इसको महिमा-मंडित करने पर अधिक कारगर ढंग से रोक लगाने के लिए सती (निवारण) अधिनियम, 1987 पहले ही बना चुकी है।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सती होने के लिए उकसाता है, वह आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दण्ड और जुर्माने का भागी है। इसके अलावा, सती को महिमा-मंडित करने के कार्य में संलग्न व्यक्ति कम से कम एक वर्ष और अधिक-से-अधिक 7 वर्ष के कारावास और कम-से-कम पांच हजार रुपए और अधिक-से-अधिक 30 हजार रुपए जुर्माने का भागी होगा।

इन कानूनों को कार्यान्वित करने का प्रत्यक्ष दायित्व राज्य सरकारों और उनके नियंत्रणाधीन पुलिस तंत्र का है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्र इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5550/2002]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5551/2002]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5552/2002]

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5553/2002]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5554/2002]

(3) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5555/2002]

(4) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5556/2002]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5557/2002]

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5558/2002]

(5) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5559/2002]

(7) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5560/2002]

(9) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5561/2002]

(11) (एक) विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5562/2002]

(13) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5563/2002]

(15) (एक) कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5564/2002]

(17) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5565/2002]

(19) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5566/2002]

(21) (एक) मौलाना आजाद कालेज ऑफ टेक्नोलाजी, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद कालेज ऑफ टेक्नोलाजी, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5567/2002]

(23) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 26 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 9-3/2001/एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता हेतु आवेदन, उसके प्रस्तुत करने की रीति, संस्थाओं को मान्यता देने हेतु शर्तों का निर्धारण तथा प्रशिक्षण के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति) विनियम, 1995 जो 28 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 9-3/2001/एनसीटीई (प्रशा.) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5568/2002]

(24) अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 9-3/2001/एनसीटीई जो 31 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को मान्यता देने हेतु मानदंड और मानक) विनियम, 2001 का शुद्धि पत्र अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5569/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

नौवां प्रतिवेदन

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, मैं पोत परिवहन मंत्रालय 'मुर्मुगाओ पत्तन न्यास के विशेष सदर्भ में पत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण' के बारे में प्राक्कलन समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दो अध्ययन दौरे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सोलहवां से एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन

श्री बलीराम कश्यप (बस्तर): उपाध्य महोदय, मैं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल कल्याण विभागों तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 116वें, 117वें, 118वें, 119वें, 120वें, 121वें और 122वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02$^{3}/_{4}$ बजे

[हिन्दी]

याचिका का प्रस्तुतीकरण

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ''मुलुंड ईस्ट, मुम्बई में 'कम्पोजिट सिमेटरी' के निर्माण को पूरा

करने में बाधाएं'' के बारे में मुम्बई के सर्वश्री तारा सिंह, विधायक तथा प्रकाश गंगाधर द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5570/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) तम्कुहीराज (उत्तर प्रदेश) और पखनाहा बाजार (बिहार) के बीच गंडक नदी पर पुल बनाए जाने की आवश्यकता

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): उत्तर प्रदेश एवं बिहार को जोड़ने वाले क्षेत्र तम्कुही राज (उत्तर प्रदेश) से पखनाहा (बिहार) बाजार में गंडक नदी पर एक पुल बनाये जाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। यह पुल न तो बिहार बना रहा है और न ही उत्तर प्रदेश, जिनके कारण लोगों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। इससे बैतिया से तम्कुही राज की दूरी 200 किलोमीटर कम होगी, जिससे एक ओर तो लोगों का समय बचेगा एवं दूसरी ओर यातायात के साधन भी सुलभ हो पायेंगे। यह स्थान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर अहिंसा के पुजारी अशोक के स्तम्भ हैं और कुशीनगर से लौरिया नंदवंश के शासकों के अवशेष भी हैं, जो संस्कृति एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एवं यह मार्ग बौद्ध सर्किट एवं बाल्मिकी नगर को भी जोड़ता है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि लोगों की सुविधा एवं इस क्षेत्र की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए तम्कुही राज से पखनाहा बाजार के बीच एक पुल का निर्माण शीघ्र केन्द्र स्तर पर किया जाये।

(दो) गुजरात में भरूच रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त आरक्षण काउन्टर खोले जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो जी.आई.डी.सी. एरिया है वह पूरे एशिया में सबसे बड़ा है और यहां कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। यहां पर कई प्रांतों के लोग रहते हैं, जिनको अपने प्रांतों में आने जाने के लिए रेलवे टिकट के लिए लाइनों में चार-चार घंटों तक लगना पड़ता है। क्योंकि भरूच कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण में दो ही खिड़कियां हैं। इसलिए भरूच शहर में कोई उपयुक्त स्थान का चयन करके अतिरिक्त आरक्षण काउन्टर बनाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि इससे लोगों को आने जाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भरूच शहर में रेलवे कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने की कृपा करें।

(तीन) मध्य प्रदेश में पेंच सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पेंच नदी पर पेंच परियोजना के नाम से सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिये योजना बनायी गयी थी, जिससे सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले की लगभग 65 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी तथा विद्युत उत्पादन भी होना था। इस परियोजना पर लगभग 5करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। वर्ष 1992 में इस परियोजना को पर्यावरण में हानि होना बतलाकर रोक दिया गया, जिससे यह योजना अधूरी पड़ी है। इस योजना के पूर्ण होने से जनजातीय बाहुल्य सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले के छोटे तथा गरीब किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने के साथ-साथ जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे इन जिलों का भूजल स्तर भी बढ़ेगा, जो अभी काफी नीचे है। विद्युत संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश में भी विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन हो सकेगा।

मेरा जल संसाधन मंत्री से विनम्र आग्रह है कि जनहित में इस योजना में आ रही बाधाओं को दूर करवा कर इसे पूरा करवाने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिपरहवा में बुद्ध के जीवन पर एक संग्रहालय बनाने और उसे वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र सिद्धार्थ नगर जनपद, उ.प्र. में कपिलवस्तु पिपरहवा, बुद्धिस्ठ धर्म का बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। यहां पर अभी इसी साल गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा का शिलान्यास भी हुआ है। इस जगह विदेशों से बुद्ध धर्म के अनुयायी हमेशा दर्शनार्थ आया करते हैं। पुरातत्व विभाग ने खुदाई में यहां पर बुद्ध धर्म का अर्थकलश इत्यादि प्राप्त किया है, जो कि संग्रहालय न होने के कारण इस संस्थान पर न रख करके दिल्ली में मंगा लिए गए हैं। मैंने वहां पर एक संग्रहालय निर्मित करने के लिए मानव संसाधन मंत्री जी को अनुरोध किया था, जिस पर यह निर्णय हुआ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिपरहवा में एक स्थानीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रधान सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा सचिव (संस्कृति) उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुई एक बैठक में निर्णय लिया जा चुका

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री रामपाल सिंह]

है। जैसा कि माननीय पर्यटन मंत्री जी ने अपने पत्रांक सं. एफ 27-14/2000 एम. 1 द्वारा मुझे सूचित किया गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि वहां एक संग्रहालय बनाकर खुदाई में पायी गयी चीजों को दर्शाया जाये ताकि वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस स्थान की महत्ता का ज्ञान हो सके तथा इस संस्थान को हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाये।

(पांच) राजस्थान के अलवर जिले में पेयजल की भीषण समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

डा. जसवंत सिंह यादव (अलवर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के अलवर जिले में पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाने से वहां के किसानों तथा आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस जिले में पानी की भारी कमी हो गयी है। अलवर जिले को 'डार्क जोन' घोषित किया जा चुका है। यहां के पानी का जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। कुएं, तालाब इत्यादि सूखते जा रहे हैं। इसका पेड़-पौधों एवं पशुधन पर घातक प्रभाव पड़ा है। अगर अलवर जिले को यमुना के जल से नहीं जोड़ा गया, तो इस क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ही विकराल हो जायेगी और एक दिन ऐसा आयेगा कि अलवर जिले के लोगों को पानी मिलना तो दूर रहा, किसानों को भविष्य में अपनी फसलों को उगाना संभव नहीं हो पायेगा। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि अलवर जिले के किसानों तथा आम लोगों की पानी की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही प्रभावी व आवश्यक कदम उठाये जायें तथा अलवर जिले को तत्काल यमुना के जल से जोड़ने संबंधी कार्यवाही की जाये, जिससे क्षेत्र की पानी की भीषण समस्या का समाधान किया जा सके।

[अनुवाद]

(छह) पूर्वी तट रेल जोन, भुवनेश्वर को अन्य रेल जोनों के समकक्ष लाने और इसे पूर्णत: कार्यशील बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): पूर्वी तट रेल जोन को पूर्णत: कार्यशील बनाने में हो रही अत्यधिक देरी के कारण उड़ीसा के लोग उत्तेजित हैं। चूंकि नये बने इस जोन के महाप्रबंधक के पास पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां नहीं हैं अत: विभिन्न प्रस्तावों से संबंधित छोटे मामले रेल बोर्ड को भेजे जाते हैं, जिसके कारण अत्यधिक देरी होती है। 1986 में इस जोन की आधारशिला रखे जाने के बाद से ही इसके बजटीय आवंटन में तेजी से गिरावट आई है।

मैं केन्द्र सरकार से एफ.ए. और सी.ए.ओ. पूर्वी तट रेल भूवनेश्वर के नाम से स्वतंत्र लेखा इकाई की स्थापना करने और महाप्रबंधक को पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देने का अनुरोध करता हूं जैसा कि दिन प्रतिदिन के और परियोजना संबंधी कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिये अन्य जोनों के महाप्रबंधकों को पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। इस जोन को पूर्णत: कार्यशील बनाने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं।

(सात) महाराष्ट्र में नागपुर में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना को आवश्यक स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): नागपुर की क्षमता पर विचार करते हुये महाराष्ट्र सरकार ने वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 'मल्टी माडल पैसेन्जर एंड कार्गो' केन्द्र को विकसित करने का फैसला किया है, इससे विदर्भ के पिछड़े क्षेत्र में सम्पन्नता आने और विकास होने की आशा है। इस परियोजना के घटक के रूप में आस-पास के क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना का प्रस्ताव है। तथापि वाणिज्य मंत्रालय को परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस जोन की तुरंत स्थापना का कार्य रूका हुआ है।

आधारभूत ढांचागत सुविधायें जैसे फैक्टरी शेडों के निर्माण हेतु 1000 एकड़ की विकसित भूमि, बढ़िया सड़क और रेल संपर्क, विद्युत, जल आपूर्ति आदि पहले से ही उपलब्ध हैं। सरकार को नागपुर में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु वहां मौजूद आधारभूत ढांचागत सुविधाओं, नागपुर की क्षमताओं और भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी केन्द्रीयता का लाभ उठाने हेतु उचित कदम उठाने चाहिये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस चरण में परियोजना रिपोर्ट पर जोर न देकर नागपुर में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिये आवश्यक मंजूरी प्रदान करें। परियोजना रिपोर्ट निकट भविष्य में सौंप दी जायेगी।

(आठ) कर्नाटक में गंभीर विद्युत संकट के समाधान के लिए राज्य को अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान कर्नाटक में बढ़ रहे विद्युत संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। सूखे की वर्तमान स्थिति से हालत और खराब हुई है और मई, 2002 के अंत तक सभी झील, तालाब, जल भंडार और जल इकाईयां सूख जायेंगी।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास खराब स्थिति पर काबू पाने हेतु दक्षिणी ग्रिड के गैर आवंटित हिस्से से 100 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराने पर सहमत होकर सहायता देने हेतु अत्यावश्यक संदेश भेजा है। जबकि हमारे दो पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और केरल के पास एन.टी.पी.सी. द्वारा संचालित विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं और वहां विद्युत आपूर्ति की स्थिति बेहतर है वहीं हमारे पास मंगलौर विद्युत परियोजना के फिलहाल, स्थगित रहने के कारण विद्युत उत्पादन क्षमताएं पर्याप्त नहीं हैं।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

(नौ) खाड़ी में कार्यरत भारतीयों की यात्रा सुगम बनाने के लिए खाड़ी देशों और कोचीन के बीच "फेरी सेवा" शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): लाखों भारतीय कामगार, जिनमें से ज्यादातर केरल से हैं, खाड़ी देशों में काम करते हैं। वे भारत में काफी धनराशि भेजते हैं, जिसका हमारे विदेशी मुद्रा-भण्डार में उल्लेखनीय योगदान है। इसमें से अधिकतर कामगारों को कम वेतन मिलता है। फलतः, यदि वे भारत आना चाहते हैं तो विमान-यात्रा का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। उनकी ओर से समय-समय पर यह मांग की जाती रही है कि खाड़ी क्षेत्र और भारत के बीच जलयान-सेवा आरंभ की जाये। ऐसी सेवा को शुरू करने के लिए एक विदेशी जलपोत कम्पनी से अनुबन्ध किया गया था। तथापि, इसे आरंभ नहीं किया जा सका। कम वेतन पाने वाले ये कामगार भारत यात्रा में काफी परेशानी अनुभव कर रहे हैं। यह देश का कर्त्तव्य है कि उनके सुविधा-समाधान का ध्यान रखे। अतः, मैं सरकार से खाड़ी क्षेत्र से कोचीन के बीच तत्काल जलयान-सेवा आरंभ करने का आग्रह करता हूं जिससे कि कम वेतन पाने वाले कामगार भी, बिना किसी समस्या के अपनी मातृभूमि की यात्रा कर सकें।

(दस) ग्रेनाइट पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): वित्तमंत्री द्वारा हाल ही में जिन प्रस्तावों की घोषणा की गई है उनमें ग्रेनाइट को लघु उद्योगों के मिलने वाले लाभों को वापस ले लिया गया है और 16 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का आधान किया गया है जिससे ग्रेनाइट उद्योग बड़ी मुश्किल में पड़ गया है।

वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 850 लघु इकाइयां हैं तथा राजस्थान और गुजरात में ग्रेनाइट पत्थर की लगभग 150 खाने हैं जिनमें करीबन 2 लाख व्यक्ति काम करते हैं। ये लघु ग्रेनाइट इकाइयां हमारे देश के कुटीर उद्योगों की भांति काम करती हैं। इनमें से अधिकतर इकाइयों में, इनके मालिक और उनके परिवार के सदस्य भी स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की भांति कार्यरत हैं। ग्रेनाइट की उत्पादन-लागत संगमरमर की उत्पादन-लागत से 8 या 10 गुना अधिक है। इसकी कच्ची सामग्री की लागत भी संगमरमर के मुकाबले 4 से 6 गुना अधिक पड़ती है।

संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थर का औसत विक्रय मूल्य 50 रु. प्रति वर्ग फुट है। संगमरमर पर उत्पाद-शुल्क लगभग 2.80 रु. प्रति वर्ग फुट है, जबकि ग्रेनाइट पर इसे बढ़ाकर 8 रु. प्रति वर्ग फुट कर दिया गया है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्रेनाइट पर लगाये गये केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को कृपया हटा दिया जाये।

(ग्यारह) पश्चिमी बंगाल में न्यू मैनागुडी और जोगीघोपा बरास्ता बसीरहाट-बेलासिरपाड़ा के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): न्यू मैनागुडी से बसीरहाट, गोलोकगंज, गौरीपुर, धूपगुडी, बेलासिरपारा होकर जोगीघोपा तक के वैकल्पिक बड़ी लाइन रेलमार्ग का प्रस्तावित निर्माण-कार्य यहां के क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा की भांति बन गया है। इसके बन जाने से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव आयेगा और उग्रवादियों का अलगाववादी आंदोलन भी स्वतः ही मंथर हो जायेगा। लगभग 261 किमी. रेलमार्ग बनाने के लिए लगभग 733 करोड़ रु. से अधिक की अनुमानित परियोजना-लागत की तुलना में अत्यल्प धनराशि मंजूर की गई है। समझा जाता है कि जल क्षेत्र (नदी क्षेत्र) के अलावा भूमि सतह क्षेत्र का एफ.एल.एस. कार्य प्रायः पूरा हो गया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस रेलमार्ग, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(बारह) बागान उद्योगों में कार्यरत कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): बागान उद्योग गहरे संकट का सामना कर रहा है। चाय, इलायची और अन्य पर्वतीय उत्पाद बाजारों में बिक नहीं रहे हैं। कई बागान इकाइयों को ताला लग गया है और कामगार रोजगार खो बैठे हैं। मैं उद्योग मंत्री से इस विषय में हस्तक्षेप करके लाखों लोगों को भुखमरी से बचाने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) मुम्बई राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस का बोरीवली रेलवे स्टेशन, मुम्बई में ठरहाव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना): सरकार की जानकारी में मुम्बई के बोरीवली स्टेशन के आसपास के क्षेत्र के निवासियों की इस मांग को रखता हूं कि मुम्बई के उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों, जो रेल से यात्रा करते हैं, के सुविधार्थ मुम्बई राजधानी एक्सप्रैस और अगस्त क्रांति एक्सप्रैस को बोरीवली स्टेशन पर रोका जाए। बोरीवली मुम्बई का एक महत्वपूर्ण उपनगरीय रेल-स्टेशन है और मुम्बई शहर के बीच में पड़ता है। इस क्षेत्र में प्रमुखतया व्यवसायी वर्ग के लोग तथा सरकारी कर्मचारी रहते हैं और वे अपने-अपने काम से उक्त दोनों गाड़ियों से अक्सर यात्रा करते हैं। इन रेलगाड़ियों को बोरीवली में रोके जाने से आसपास रहने वाले लोगों को मदद होगी। यह सार्वजनिक महत्व का मामला है और इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अतएव, अनुरोध है कि इस मामले पर तत्काल विचार किया जाए।

[हिन्दी]

(चौदह) बिहार में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए राज्य में कृषि उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): महोदय, बिहार राज्य का निवासी देश का वह नागरिक है जिसकी आय देश में सबसे कम है, किंतु निरक्षरता के क्षेत्र में वह सबसे आगे खड़ा है। रोजगार पाने वाले लोगों में वह पीछे है पर गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या में वह आगे है। विकास के लिए आवश्यक बिजली, पानी, सड़क, संचार साधन इस प्रदेश में अत्यंत ही सीमित हैं। इसी कारण विकास की दौड़ में यह राज्य देश के अन्य राज्यों के साथ पीछे खिसक जाता है।

मेरा सुझाव है कि इस प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और वह रोजगार बिहार राज्य के नागरिक की योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार ही होने चाहिए। अत: पारम्परिक उद्योग जैसे हथकरघा उद्योग और कृषि से जुड़े उद्योग, पशुपालन सहित अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना होगा।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि इस राज्य को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करें तथा यहां उपरोक्त उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए योजना घोषित करें।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) पश्चिमी बंगाल में कैनिंग रेलवे स्टेशन के निकट पड़ी अप्रयुक्त भूमि को गरीब लोगों को जीविकोपार्जन के लिए पट्टे पर दिए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जायनगर): पश्चिम बंगाल में कैनिंग रेलवे स्टेशन के आसपास काफी भूमि का उपयोग नहीं हुआ है। यह जगह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। यदि सरकार इस भूमि का समुचित उपयोग करे तो उसे इससे राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।

स्थानीय गरीब और पददलित तबके के लोगों की ओर से मांग की जाती रही है कि उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ छोटा-मोटा धंधा करने की सुविधा दी जाए। वे छोटी-मोटी दुकानें खोल सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कैनिंग रेल स्टेशन के आसपास अवस्थित इस भूमि को स्थानीय लोगों को कुछ व्यवसाय शुरू करने के प्रयोजन से पट्टे पर दे। इससे उन लोगों की रोजी-रोटी की सुविधा तो होगी ही, साथ ही असामाजिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

नियम 184 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करने के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सभासद, मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री रामजीलाल सुमन ने जिनके नाम में यह मद सूचीबद्ध थी, ने मुझसे अनुरोध किया था कि श्री मुलायम सिंह यादव को उनकी ओर से चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दी जाए। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी है।

श्री मुलायम सिंह यादव

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा देश के विभिन्न भागों, विशेषरूप से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिये प्रभावी कदम उठाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गुजरात ही नहीं, देश की गम्भीर और महत्वपूर्ण स्थिति पर बोलने का मौका दिया।

हम आपको बधाई देते हैं कि आपने नियम 184 के तहत माननीय सदन को इस मामले पर बहस करने का मौका देकर देश के सामने सही स्थिति रखने का अवसर दिया। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं कि सरकार तथा मल्होत्रा जी की जिद के कारण लोक सभा छः दिनं से नहीं चल रही थी...*(व्यवधान)* हमारे कारण तो चेयर ने फैसला कर दिया कि हम सही थे और आप गलत थे। आप इसलिए भी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि पूरा देश देख रहा था कि आखिल लोक सभा क्यों नहीं चल रही है। आखिर सरकार बहस कराने से क्यों कतरा रही है, बहस स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। ऐसे वक्त पर पूरा देश ही नहीं, दुनिया इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी इस पर आपका क्या निर्णय होगा। आपने नियमानुसार हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और पूरे विपक्ष की भावनाओं और देश की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए यह बहस स्वीकार की। वहीं हमें इस बात का अफसोस है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधान मंत्री जी और सत्ता पक्ष में बैठे कई साथियों ने आपके इस निर्णय पर जो प्रतिक्रिया जाहिर की, वह अशोभनीय है और वह इसलिए भी अशोभनीय है कि समय-समय पर कई अवसरों पर आदरणीय प्रधान मंत्री जी हर जगह कहते हैं कि संसद और लोक सभा में मर्यादा भंग हो गई है। लेकिन अपने को कभी नहीं देखते हैं कि कहां-कहां मर्यादा भंग कर रहे हैं। चेयर के फैसले पर टिप्पणी करना लोकतंत्रीय इतिहास में उच्च पद पर नहीं, बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन के नेता की टिप्पणी अशोभनीय है और मर्यादा को भंग करने वाली है। आप इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप मर्यादा को कायम रखने का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आप पर आती है तो पता नहीं कहां भंग हो जाती है। क्या वजह है, यह भी बता दें कि आखिर क्या कारण था।

उपाध्यक्ष महोदयः मुलायम सिंह जी, प्लीज।

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बहुत बड़ी बात है...*(व्यवधान)* इसका जिक्र यहां नहीं होगा तो कहां होगा। यह हमारे साथियों के लिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह मुद्दा पहले ही निपट चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः वहीं मैं खुद उन्हें बोलने वाला था।

श्री मुलायम सिंह यादवः हम प्रधान मंत्री जी को गुस्सा करना नहीं चाहते। अगर प्रधान मंत्री जी गुस्सा हो जायेंगे तो हम उन्हें मना लेंगे। लेकिन अभी हमें कहने दीजिए।

श्री किरीट सोमैयाः उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड से निकाल देना चाहिए।

[अनुवाद]

यह बात पहले ही खत्म हो चुकी है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मुलायम सिंह जी, आपको चेयर की इज्जत करनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादवः हम चेयर को ही देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप हमें देखो।

उपाध्यक्ष महोदयः मुलायम सिंह जी, मैं आपसे तथा सबसे विनती करता हूं कि यह बहुत ही सैन्सिटिव इश्यु है, यदि इसमें टोका-टोकी होगी तो हमारा पांच घंटे का आधा टाइम टोका-टोकी में ही चला जायेगा। इसलिए मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक विनती करता हूं कि इसे आप सीरियसली सुनें। यदि आप कुछ आपत्तिजनक समझते हैं तो जब आपकी बारी आयेगी, आप उसका जवाब दीजिए। अब आप शुरू कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, 27 फरवरी को गोधरा में जो दंगे की घटना हुई, पता नहीं बार-बार कहा जाता है कि हमने उसकी निन्दा नहीं की। 27 फरवरी को हम राजनीतिक कारणों से लखनऊ में बहुत व्यस्त थे और राज्यपाल को हमने अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। सुबह जब मीडिया के माध्यम से अखबारों में पढ़ा, सुना और टी.वी. पर देखा तो उसी दिन हमारी पार्टी की बैठक हुई और बैठक में इस घटना

[श्री मुलायम सिंह यादव]

की निन्दा का प्रस्ताव पास किया। लेकिन उसके बावजूद भी बार-बार यह कहना कि विपक्ष और विशेषकर समाजवादी पार्टी ने निन्दा नहीं की, वह गलत है और भी कई अवसरों पर निन्दा की गई। लेकिन उसकी निन्दा आज फिर कर रहे हैं कि वह जघन्य अपराध था, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं था, न है। उनको सजा मिले जिन्होंने यह जघन्य अपराध किया गोधरा में, लेकिन यह कहना कि वह निर्दोष थे और बाकी गुजरात में जो अहमदाबाद में हुआ, क्या वह दोषी थे? इसलिए आज यह पूरे देश और दुनिया के सामने आ जाना चाहिए कि कौन दोषी है और कौनी निर्दोषी है। हम गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि साबरमती एक्सप्रेस में पूरे फरवरी माह में जब सवारियां भर-भरकर के अयोध्या जा रही थीं तो उसमें रिजर्वेशन क्या सांसदों के पास के माध्यम से था, भूतपूर्व विधायकों या पूर्व सांसदों के माध्यम से था, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि यह बात मीडिया में उठी है। फिर जब भर-भरकर गाड़ियां जाती थीं तो यात्रियों के साथ भेदभाव किया जाता था और उनको आरक्षण से भी अलग कर दिया जाता था। यहां तक कि जो हिन्दू लोग थे, उनके पूरे परिवार को एक बर्थ पर इकट्ठा जाने के लिए मजबूर किया जाता था और मुसलमान जितने थे, उनको निकालकर बाहर किया जाता था। इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद कई स्टेशनों पर खोमचे वाले दुकानदार लोगों से यात्रियों को कुछ खाने को मिल गया तो खा लेते थे लेकिन पैसा नहीं देते थे। ये घटनाएं क्या सही हैं जो छपी हैं और उसके बाद गोधरा में पहुंचे तो वही हालत फिर हुई, लेकिन एक घंटे संघर्ष अगर हुआ है तो उस वक्त गोधरा का जिला प्रशासन या रेलवे पुलिस क्यों मौन थी? क्यों नहीं उनको रोका गया? जब उन छोटे दुकानदारों, खोमचे वालों की लूट मचाई तो उसको रोका क्यों नहीं गया? उसके बाद एक घंटा तनाव और संघर्ष रहा तो सरकार की जो भी एजेन्सी हो, उसने क्या किया, वहां के जिला प्रशासन ने क्या किया? क्या उनकी दुकानें बचाने का काम किया? क्या जिन्होंने दुकानदारों पर हमला किया, उनको पकड़ने का काम किया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप पहले मोशन को औपचारिक रूप से मूव कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): मैंने शुरू में ही बोल दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे ख्याल से नहीं बोला।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) अगर कहीं कोई नुक्ता कमी होगी तो आप चेयर की तरफ से उसको पूरा कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे ख्याल से आप बोले होंगे मगर रेकार्ड पर नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप एक बार मोशन को पढ़ दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से गुजरात में, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि वह निर्दोष थे तो उसकी प्रतिक्रिया गोधरा में क्यों नहीं हुई, उसकी प्रतिक्रिया अहमदाबाद में क्यों हुई? क्या यह सही नहीं है कि प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में गोधरा में जो घायल थे, या जिनकी हत्याएं हुईं, या जले हुए लोग थे, उनकी लाशों को लेकर पुलिस के संरक्षण में रास्ते में जाकर नारे लगाकर तीन-चार घंटे बाद क्या अहमदाबाद नहीं ले जाया गया? क्या वहां उत्तेजना नहीं फैलाई गई? यह करने का मौका क्यों दिया गया। ऐसे मौकों पर तो रोका जाता है। हमारे तो कार्यकर्त्ता की हत्या भी कर दी जाती है और रातोंरात दाह-संस्कार भी कर दिया जाता है। उसके घर वालों को भी नहीं बुलाया जाता है। वहां लाशों को, घायलों को अहमदाबाद तक ले जाने की मंशा क्या थी?...*(व्यवधान)* पूरे रास्ते व शहर में लाशों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता क्या थी?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): वहां उनके रिश्तेदार थे। किसी का भाई था किसी का पुत्र था।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आपके इस प्रकार से बीच-बीच में बोलने से पता चलता है कि गृह मंत्री जी क्या उत्तर देंगे। यह सही है कि सब जगह बाद में गए। ढाई-तीन घंटे के अंदर अहमदाबाद को रवाना हो गए, यह अन्तर है। उसके बाद कोई भी रोकथाम नहीं की गई और न कोई सावधानी अहमदाबाद की पुलिस, गुजरात की सरकार की तरफ से, गुजरात के मुख्य मंत्री की तरफ से बरती गई, क्यों? जब वहां यह साबित हो गया कि सरकार के पांच मंत्री शामिल हैं, मुख्य मंत्री दोषी पाए जा रहे हैं और इस बात को हम अकेले नहीं कर रहे हैं, बल्कि मानवाधिकार आयोग जिसके अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वे कह रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, विभिन्न संगठन, मीडिया और वहां के विपक्षी दल के लोग सब लोग वहां की सरकार को, वहां के मुख्य मंत्री को दोषी पा रही है और आपके सहयोगी दल के राम विलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं तथा कुछ और लोगों को धन्यवाद देने के इंतजार में हैं। वह तो हमें देना ही है। आप चाहे कितने ही लोगों को बटोरिए, सिद्धान्तहीन लोगों के साथ गठबंधन चलने

वाला नहीं है। आपने जो गठबंधन बनाया है वह मुलायम सिंह के खिलाफ सिद्धांतहीन और अवसरवादी लोगों का गठबंधन बनाया है। समाजवादियों के खिलाफ आपका यह काम चलने वाला नहीं है। यह महल तो टूटेगा। अवसरवादी, सिद्धान्तहीन लोगों के साथ बनाया महल तो टूटेगा। इसको टूटने से रोका नहीं जा सकता। अब तो इसकी शुरूआत हो चुकी है। राम विलास जी ने अच्छा किया। आपके इस महल की ईंट उखड़नी शुरू हो गई हैं। दिग्विजय सिंह जी का भी इंतजार है। हालांकि जार्ज साहब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं, शायद आत्मा की आवाज सुन लें। सबने गुजरात के मुख्य मंत्री और वहां की सरकार का विरोध किया और आपको इस भावना का आदर करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या जिद है कि आप वहां के मुख्य मंत्री को नहीं हटाएंगे।

प्रधान मंत्री जी, आपको अपने कार्यों को नहीं भूलना चाहिए। आपने इसी सदन में 1974 में जो आचरण किया, उसे आपको नहीं भूलना चाहिए। 1974 में नवनिर्माण समिति ने, गुजरात में जब आंदोलन चला और बहुत व्यापक रूप से आन्दोलन चला, उस समय पूरा का पूरा, हरा-भरा गुजरात उस समय की गुजरात सरकार के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो गया, तब यहां इसी सदन में मोरारजी भाई देसाई के इस सदन में आसन के पास जाकर बैठ गए और उस समय उनके आगे-आगे कौन चल रहा था, वर्तमान प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके आगे-आगे चल रहे थे और सदन के वैल में चले गए। क्या प्रधान मंत्री जी उस समय आप सदन के वैल में नहीं गए? उस समय की गुजरात की सरकार, उस समय के गुजरात के मुख्य मंत्री को लेकर क्या आप वैल में नहीं गए? उस समय की केन्द्र की सरकार ने गुजरात के उस समय के मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया और उन्हें बर्खास्त ही नहीं किया, बल्कि जब गुजरात में शांति व्यवस्था ठीक प्रकार से स्थापित हो गई, तो वहां नए चुनाव भी कराए। यह बात आप क्यों भूल जाते हैं और केन्द्र की वर्तमान सरकार क्यों भूल जाती है और जब हम विरोध करते हैं, तो हमें ठीक नहीं बताया जाता है। आप तो देश के नेता हैं, उस समय भी देश के नेता थे, उस समय आप वैल में क्यों गए? हम तो वैल में नहीं गए, हमारा तो कोई नेता वैल में नहीं गया, तो फिर आप अपने किए हुए को क्यों भूल जाते हैं। उस समय के गुजरात के मुख्य मंत्री चिमनभाई पटेल को बर्खास्त किया जाता है। आज सबसे ज्यादा वहां मानव हत्या के दोषी वहां के वर्तमान मुख्य और उसमें शामिल आपकी सरकार रही है। आप कह देंगे कि वह राज्य का मामला है। यह राज्य का मामला कैसे है? हमारे संविधान में स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक, महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और जुल्म होगा, तो उसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी है। आज वहां इन वर्गों पर जो जुल्म हुआ है, उसके लिए आपकी सरकार दोषी है। वहां हम यह नहीं कहते कि किसी एक ही वर्ग का नुकसान हुआ है। यह ठीक है कि 10-15 प्रतिशत हिन्दुओं का भी नुकसान हुआ है, लेकिन 80-85 प्रतिशत मुसलमानों की हत्या किया जाना, उनकी दुकानें जला देना, कारखाने जला देना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, बेटियों के साथ सड़कों पर बलात्कार करना, गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़कर बच्चों को मारना, कहां तक न्यायोचित कहा जा सकता है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): उपाध्यक्ष महोदय, महिला आयोग की रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है। यह गलत बता रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने अपने वेदों को पढ़ा है। भारतीय संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। हमारे वेदों में भी राक्षसों ने इस प्रकार के कारनामे नहीं किये जिस तरह से गुजरात में हुए हैं या हो रहे हैं। हम मौके पर गये।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): आप हिन्दुओं की बात नहीं सुनते, मुसलमानों की बात सुनते हैं।...*(व्यवधान)* काश्मीर में 40 हजार लोग मारे गये, उस समय क्या आप सो रहे थे?...*(व्यवधान)* काश्मीर में हिन्दू महिलाओं पर बलात्कार होता है तब आप कहां होते हैं?...*(व्यवधान)* उस समय क्या आप सो रहे होते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया साथ-साथ मत बोलिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश परांजपे, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश परांजपे, यह क्या है? आपको इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते रहे तो, मुझे आपको बाहर भेजना पड़ेगा। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। यदि उनकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो आप अपनी बात कहते समय उसका खण्डन करें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। गुजरात में 28 फरवरी को समाजवादी पार्टी के महामंत्री, मार्क्सवादी पार्टी के नेता श्री सीताराम येचुरी, सांसद श्री राजबब्बर और शबाना आजमी वहां गये। उन्होंने वहां कहा कि हमें अस्पताल तो देख लेने दीजिए। दंगा क्षेत्र में हमारे जाने से वहां सद्भावना पैदा होगी, तो उन्हें कहा गया कि आपकी भावनायें, आपके विचार और आपकी तस्वीर यहां की जनता जानती है। हम आपकी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। यह वहां के मुख्यमंत्री का जवाब है। उसके बाद हम अभी 24 अप्रैल को वहां गये। मैं अकेला नहीं गया था। मेरे साथ भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री हरकिशन सिंह सुरजीत, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया के श्री ए.बी. वर्धन, आर.एस.पी. के श्री अबनी राय और फारवर्ड ब्लाक के श्री देवव्रत विश्वास भी गये थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां के कमिश्नर और डी.एम. साहब कहते हैं कि आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां तनाव है। जब आपके अधिकारी, डी.एम. और कमिश्नर खुद कहते हैं कि वहां तनाव है और श्री मुलायम सिंह, हरकिशन सिंह सुरजीत और देवेगौड़ा जैसे नेता गुजरात में जाने के लायक नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे थे? वहां आग हुई है और वह अभी तक जारी है। आधी रात में गृह मंत्री के क्षेत्र में फिर से फायरिंग होती है। यह बात सच है या नहीं लेकिन वहां एक की हत्या हो गई है और एक घायल है। कानूनी मंत्री जी भी वहां के हैं गृह मंत्री जी भी वहां हैं। इसके अलावा और भी कई मंत्री वहां के हैं। रक्षा मंत्री जी जब-जब वहां जाते हैं तब-तब वहां और ज्यादा दंगे, हत्यायें, आगजनी और फायरिंग होती है। इसकी क्या वजह है? क्या इस मामले में केन्द्र सरकार अक्षम नहीं है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? गृह मंत्री जी आप इसके लिए, जिम्मेदार नहीं हैं? प्रधान मंत्री जी क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? आप देश के नेता हैं और इस वक्त देश का नेतृत्व करने वाले हैं। आपको तत्काल वहां जाना चाहिए था। लेकिन एक महीने चार दिन बाद गए और जाकर जब पहले दिन बोले तो हमें भी अच्छा लगा कि भारत के संघीय लोकतांत्रिक देश के प्रधान मंत्री बोले कि यह राष्ट्रीय शर्म की बात है, यहां के मुख्य मंत्री राजधर्म का पालन करें। हमने सोचा अच्छा बयान दे दिया, अब वे वापिस आते ही मुख्य मंत्री को बरखास्त कर देंगे। पूरे देश की निगाहें थीं कि अब प्रधान मंत्री जी बयान के बाद भावुक हो गए, वहां की हिंसा, आगजनी, जिस तरह चैम्बर में लोग जलाए गए, एक-एक मकान के घेरे में 158 लोग जलाए गए। 6-7 हजार घरों को पूरा जला दिया। हमने सोचा कि इसे देख कर शायद भावुक हुए हैं। उसके बाद कहा कि हम विदेश में क्या मुंह लेकर जाएंगे। सिंगापुर गए और अपना चेहरा बचा कर आ गए। गुजरात के मुख्य मंत्री को वहां खलनायक ठहरा कर चले आए और गोवा में, जहां राष्ट्रीय शर्म की बात थी, वहां ऐसा भाषण दिया कि सच्चा स्वयंसेवक संघ का मैम्बर, नेता कोई बोल रहा है तो वह प्रधान मंत्री है। वहां राष्ट्रीय शर्म की बात और राष्ट्रीय गौरव कैसे बन गया। अहमदाबाद, गुजरात गए तो राष्ट्रीय शर्म की बात और गोवा में जाकर राष्ट्रीय गौरव की बात हो गई। वहां मुख्य मंत्री को डांट कर आए और दूसरी जगह मुख्य मंत्री को शाबाशी दी। इस्तीफा वापिस। आखिर क्यों, क्या है मंशा, क्या चाहते हैं? आज दिल्ली की सरकार के रहते देश की एकता को खतरा है। अब देश के सामने यह सवाल है।

यह गंभीर बहस है, कोई राजनीतिक बहस नहीं है। गुजरात में जो हो रहा है, वह हमारी जिम्मेदारी है। जब हम लोग वहां गए, माननीय उपाध्यक्ष जी, जो यहां कह रहे हैं कि हिन्दुओं की बात नहीं की, पहले ही कह दिया, 10-15 प्रतिशत हिन्दुओं का भी नुकसान हुआ है। यह मत समझिए कि आपकी नीयत खराब होनी की वजह से मुसलमानों को बर्बाद किया है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का सत्यानाश किया है। मुसलमानों का ज्यादा नुकसान हुआ है हिन्दुओं का कम नुकसान हुआ है। वहां किसका नुकसान नहीं हुआ। जब हम वहां जाकर महिलाओं से मिलते हैं तो भारतीय मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि शर्म करने की क्या जरूरत है। अपने कपड़े अलग करके दिखा देती हैं कि चोट कहां है। यहां भाषण देने से, दूरदर्शन, टी.वी. या मीडिया से अंदाज नहीं लगाया जा सकता। वे अपनी पेटीकोट, धोती खोल कर दिखा देती हैं कि चोट कहां है। हम शर्मिंदगी से भागते हैं और कहते हैं कि ढको। कहां चोट है, जांघ के नीचे चोट है, यहां चोट है, यहां चोट है। दस-दस दिन बाद भी चोट ज्यों का त्यों है। किस तरह उनके हाथ, पैर काटे गए। क्या वे दोषी थे? क्या वे निर्दोष नहीं थीं? गोधरा के लोग दोषी थे तो क्या उनको दोषी नहीं कह सकते जिन्होंने ऐसा किया। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? अभी तक कितने गिरफ्तार हुए? बच्चों, महिलाओं, दुकानदारों, यहां तक हो गया, दो घटनाएं ऐसी बताई गई कि जिन आदमियों की दाढ़ी थी, हिन्दू थे, उनको मार दिया गया। पत्रकार जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, उनको प्रमाण देना पड़ा कि मैं पत्रकार हूं। गुजरात में यह हालत कर दी है।...*(व्यवधान)* आज हालत यह हो गई है कि वहां के पत्रकारों को भी अपनी दाढ़ी मुंडाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हालत वहां हो गई है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आठवले जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद को सावधान किया है, तो अलग बात है। रामदास जी आपको भी पांच-छः महीने तक सावधान रहना होगा और बताना होगा कि हम सांसद हैं और हिन्दू हैं। इसलिए वहां आज यह हालत हो गई है कि अब दाढ़ी रखना भी अपराध हो गया है। जैसे तालिबान के समय में दाढ़ी न रखना अपराध था, वैसे ही गुजरात में दाढ़ी रखना अपराध हो गया है। एक अखबार ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि अगर वहां कोई एक दाढ़ी वाला सुरक्षित है तो वह है वहां का मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी। दाढ़ी वाला हिन्दू केवल वही वहां सुरक्षित है। यह एक अखबार के सम्पादकीय में लिखा है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): आप गम्भीर चर्चा का मजाक बना रहे हैं। वहां सारे साधु-संत दाढ़ी वाले हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष जी, यह तो मामूली चित्रण है, जो मैं आपके सामने नमूने के तौर पर पेश कर रहा हूं। गुजरात की यह हालत हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि देश की एकता खतरे में है। गुजरात में कच्छ इलाके में जहां सैंकड़ों सालों से हिन्दू-मुसलमान भाईचारे के साथ रहते थे, कभी उनमें भेदभाव नहीं था, वह अब खत्म हो गया है।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): यह ठीक बात नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): वहां से एक स्वयं सेवी संगठन ने गुजरात के होमगार्ड के बारे में कहा है कि उनमें से कई लोग संघ परिवार से जुड़े हुए निष्ठावान लोग हैं और मुस्लिम विरोधी हैं। उनकी संख्या छः हजार के करीब है। उनके कमांडर ने गुजरात में आगजनी और हत्या करने में विशेष भूमिका निभाई है, ऐसा उस स्वयं सेवी संगठन ने लिखा है। कमांडर ने पुलिस अधीक्षक की उपेक्षा करके मनमानी की है और आगजनी तथा हिंसा में हिस्सा लिया है। वह पुलिस अधीक्षक उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन उसका ट्रांसफर कर दिया गया। इसीलिए हमने कहा कि देश की एकता को खतरा है। इसलिए संसद पर एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने यहां नियम 184 के तहत इस सवाल पर चर्चा करने की मांग की थी। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश में एकता बनाए रखे। अगर वह यह काम करती है तो हम उसका इस काम में समर्थन करने को तैयार हैं। देश की रक्षा और एकता के लिए जब-जब सरकार ने कोशिश की है, हमने तब-तब उसका साथ दिया है, हम उसमें पीछे नहीं रहे हैं। इसलिए भविष्य में भी जब कभी देश की सुरक्षा और एकता का सवाल आएगा, हम लोग, हमारे गांव के लड़के कभी भी अपनी जान देने में भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे। कारगिल में हमने यह बता दिया है। हमारे क्षेत्र के लड़के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान देने में आपसे पीछे नहीं हैं। लेकिन देश की जिम्मेदारी यह सरकार नहीं निभा रही है। यह देश को तोड़ने का काम कर रही है और इस मानसिकता से सरकार चलाई जा रही है। चाहे दिल्ली में हो या गुजरात में, यह बात सामने आ चुकी है। इसी बात पर हमारी आपत्ति है। इसलिए हम लोग यह निंदा का प्रस्ताव लेकर यहां आए हैं। हमने वहां के मुख्य मंत्री का इस्तीफा मांगा था और अब भी यही मांग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार देश हित में आगे आ जाए और यहीं पर गुजरात के मुख्य मंत्री को बर्खास्त करने की घोषणा कर दे। हमें अब भी उम्मीद है कि सरकार इस पर फैसला करेगी। लोकतंत्र में दिल्ली की सरकार को, प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को जो कदम उठाना चाहिए था, जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वह नहीं निभाई गई। उसका नतीजा है कि सरकार के संरक्षण में यह हो रहा है। आप इसको छिपाकर कहां ले जाएंगे।

एक भूतपूर्व सांसद, जो इसी सदन के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर किसको फोन नहीं किया। हमने भी आपको टेलीफोन किया और यह सही है कि हमारी पार्टी के नेता बचा लिए गए। हमने आपको साढ़े दस बजे या ग्यारह बजे के करीब टेलीफोन कर हमने जगह बता दी, आपने कोशिश की और वे बच गए तथा अज्ञात स्थान पर भाग गए। सबेरे 6 बजे टेलीफोन किया तो वह मोबाइल पर मिल गये कि हम जिंदा हैं लेकिन लोक सभा के भूतपूर्व सांसद को और पूरे मोहल्ले को जलाकर और फिर उस भूतपूर्व सांसद को काट-काटकर टुकड़े-टुकड़े करके जला दिया।...*(व्यवधान)* यह भी आरोप है कि गुजरात के गृह मंत्री के घर में आतातायी लोग, दंगा करने वाले लोग हथियारों से लैस होकर वहां संरक्षण ले रहे थे और उनके आदेश का पालन कर रहे थे। यह बात पूरी गुजरात की जनता के अंदर है और जब हम वहां गये थे तब हमें पता लगा है। अब आपसे बात भी हुई। पुलिस कमिश्नर से बात हुई। पुलिस कमिश्नर भूतपूर्व सांसद के घर में गये थे और उसके बाद क्या वजह हुई कि फिर भी उनकी जान क्यों नहीं बच पायी? वे कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं? क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं? देश को क्या संदेश दे रहे हैं और देश की क्या छवि पूरी दुनिया के सामने बना रहे हैं? दुनिया के सामने लोकतंत्र की क्या तस्वीर पेश करना चाहते हैं? आज तालीबान से लेकर चाहे 11 सितम्बर की अमरीका की घटना हो या 13 दिसम्बर को भारत की संसद पर हमले की घटना हो या 1 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर की असैम्बली पर आतंकवादियों के हमले की घटना हो, सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा बनाया है और वही लोग क्या बोल रहे हैं, अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी और कनाडा क्या बोल रहे हैं, यूरोपीय संघ क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है, ठीक नहीं है। अभी 19 मार्च को इंग्लैंड के प्रधान मंत्री ने गुजरात में हो रही घटनाओं की निंदा की है और आपसे उम्मीद

[श्री मुलायम सिंह यादव]

और अपेक्षा की जाती है कि वहां के मुसलमानों की सुरक्षा की जाये, वहां शांति और व्यवस्था का वातावरण बनाया जाये। सबसे ज्यादा विनिवेश गुजरात में हुआ है और आज अमरीका ने विनिवेश करने वाले कंपनियों को मना कर दिया है कि आप गुजरात में मत जाइए। क्या इंग्लैंड के एक नागरिक की हत्या नहीं की गई और आप कहते हैं कि हमारा आन्तरिक मामला है। क्या यह आन्तरिक मामला है? क्या सन् 1949 में भारत ने जेनेवा में मानवाधिकारों के लिए दस्तखत नहीं किये थे और आप देश को धक्का मारकर कहां पीछे ले जा रहे हैं? क्या जैसे अभी फिजी में जो हिंदुओं के साथ हुआ, युगांडा में जो हो रहा है, बांगलादेश में जो हिन्दुओं को निकाला जा रहा है, क्या आप सभी अंतर्राष्ट्रीय समूहों के सामने मानवाधिकारों के बारे में यह बात नहीं रख रहे हैं? यह आन्तरिक मामला नहीं है। क्या दक्षिण अफ्रीका में भारत लगातार मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ नहीं लड़ा है? यह मानवाधिकार का हनन चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में होगा, हमारे देश की विदेश नीति रही है, आपने बदल दी हो तो अलग बात है, अन्यथा हमारे देश की विदेश नीति रही है कि सारी दुनिया में जहां भी मानवाधिकारों का हनन होगा, भारत उनके साथ खड़ा होगा और आप कह रहे हैं कि यह हमारा आन्तरिक मामला है। इसे आप आन्तरिक मामला नहीं कह सकते। आपने दुनिया में हमारे लोकतंत्र की, संघीय ढांचे की तस्वीर को धब्बा लगाया है और आपने सुबह कहा है वह राष्ट्रीय संघ है और वह केन्द्र सरकार और गुजरात की सरकार पर कलंक है, हजारों लोगों की मौत का कलंक है, हत्याओं का कलंक है चाहे हत्या हिन्दू की हो या मुसलमान की हो। व्यापार और उद्योग की दृष्टि से हिन्दुस्तान में गुजरात शांति और व्यवस्था के नाम पर गर्व करता था और आज वहीं क्या कर दिया है? साबरमती आश्रम पर क्या हुआ? एक महिला लीडर के विचारों के साथ आपका मतभेद हो सकता है, मेघा पाटकर के विचारों के साथ बजरंग दल का मतभेद हो सकता है, सबका मतभेद हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है अगर शांति के लिए कोई जूलूस निकालेंगे तो आप उन पर हमला करेंगे? क्या आप धक्का मारकर पटक देंगे? बाल खीचेंगे और जब कैमरा वाले चित्र लेने के लिए आएंगे, उस बारे में लिखेंगे तो उन पत्रकारों और कैमरामैन को पुलिस मारेगी, घायल कर देगी? आज वहां क्या नहीं हो रहा है? घायल कर देंगे। क्या यह वहां नहीं हो रहा है? क्या इस तरह का आतंकवाद जर्मनी का नाजीवाद, हिटलरशाही नहीं हो रही है? ये बातें हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं। यह कह कर कि यह गोधरा की प्रतिक्रिया है, इस घटना को टाला नहीं जा सकता है, अत्याचारों को छिपाया नहीं जा सकता है और इस कलंक को नहीं छिपाया जा सकता है।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह प्रतिक्रिया गोधरा की अहमदाबाद में क्यों हुई। वहां बताया जाता है कि अगस्त से बाकायदा तैयारियां थी। आप भी कह रहे हैं कि कुछ आतंकवादी इंतजार कर रहे थे। गोधरा के बाद आप खुद कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार करने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? कितने गिरफ्तार हुए और किस-किस समूह के गिरफ्तार हुए? आपने कहा है कि 900 से 1000 तक हत्यायें हुई हैं, लेकिन गैर सरकारी सूत्रों का कहना है कि तीन हजार से ज्यादा हत्यायें हो चुकी हैं और 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हत्यायें अभी तक जारी हैं। यहां बहस हो रही है, वहां आगजनी और हत्यायें तथा फायरिंग निर्दोष लोगों पर हो रही हैं, बेगुनाह लोगों पर हो रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी एक मुख्य मंत्री को बचाने के लिए देश को तोड़ने की साजिश उचित नहीं है। अगर मुख्य मंत्री को उसी दिन हटा दिया होता और आप वहां गए होते, तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी आपकी छवि अच्छी होती लेकिन आप गुस्सा हो जायेंगे कि कोई दबाव नहीं रहता है। कहीं-न-कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव नहीं है। कहीं-न-कहीं लाचारी हो जाती है, वरना बयान देकर बदला जाता है, नहीं तो सिंगापुर में क्या बोलते। क्या वजह थी, कहीं-न-कहीं दबाव है और कहीं-न-कहीं लाचारी है। आप कहेंगे कि मैं दबाव में नहीं चल सकता। आप मुलायम सिंह पर नाराज हो सकते हैं। हम जानते हैं कि आप नाराज हो सकते हैं। लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप देश के प्रधान मंत्री हो, केवल भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के नहीं हो। बजरंग दल के प्रधान मंत्री नहीं हो और न प्रधान मंत्री आप विश्व हिन्दू परिषद के हो। आप देश के प्रधान मंत्री हो। देश को एक बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी पहले है, फिर हमारी है और बाद में सबकी है और इसलिए यह संसद इस जिम्मेदारी को निभाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है, तो साफ-साफ कहिए। तीन-चार दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं। संघ परिवार के लोग आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी की लगातार मुलाकात होगी। गठबंधन की बैठकें करते रहिए, लेकिन एजेंडा हमारा चलेगा। हम मिलकर बहुत-बहुत जल्दी-जल्दी बात किया करेंगे। आपने यहां तक कह दिया है, यह अखबारों में आया है, खबरें हैं, पूरे देश के अन्दर कह दिया है कि सहयोगी दल आपकी कृपा पर हैं। ये सहयोगी दल क्या कर सकते हैं। आप संघ परिवार का एजेंडा, कार्यक्रम लागू कीजिए। सहयोगी दल के लोग कुछ भी नहीं हैं, ये आपकी कृपा पर निर्भर हैं।...*(व्यवधान)* अजित सिंह जी, यह संघ परिवार का विचार है। आप इनकी कृपा पर हैं। आप थोड़ा सा रास्ता दिखाते, तो आप किसी की भी कृपा पर नहीं होते।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): चर्चा को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हां, आप राजनीति जरूर कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, हम आह्वान करते रहेंगे और यह कहते रहेंगे कि संसद के अन्दर जिनको चिन्ता है, जिनके अन्दर देश भक्ति है, वे हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, यह हमारी अपील है। आज सवाल सरकार का नहीं है, देश का है, देशभक्ति का सवाल है। गांधी जी ने जिस देशभक्ति को जन-जन में पैदा किया था, पूरे देश को खड़ा किया था, उस देशभक्ति का सवाल है, देश का सवाल है। मुख्य मंत्री आएगा, जाएगा, कितनी कोशिश करो तब भी वह नहीं रह सकता। एक मुख्य मंत्री के पीछे देश की एकता को खतरे में मत डालिए। देश की भक्ति और जो आप पर आरोप लग रहे हैं, वे नहीं लगते, आपकी तारीफ होती। इसलिए हमने कहा कि आज संसद में जितने लोग हैं, उन्हें समर्थन करना चाहिए। हम आज आपसे इसलिए यह कहना चाहते हैं कि क्योंकि गुजरात में जो हो रहा है, उसका प्रभाव केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी छोटा-मोटा तनाव पैदा हुआ है। 500 स्थान ऐसे बताए जाते हैं जो हमने मीडिया के माध्यम से पढ़े हैं कि गृह मंत्रालय ने, 500 ऐसे संवेदनशील स्थान हैं कि जरा भी चिंगारी लगी तो पूरे देश में आग लगा देंगे, यह हालत देश की है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आप आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, आप अपने ही लोगों को विश्वास में नहीं ले सकते हैं। आज जो इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है, हिन्दू कहता है कि हम मुसलमान मोहल्ले में नहीं रहेंगे और मुसलमान कहता है कि हम हिन्दू मोहल्ले में नहीं रहेंगे। ये दूरियां किस ने बढ़ाईं, इन दूरियों का परिणाम क्या होगा।...*(व्यवधान)* उनसे कुछ कहा नहीं जाता।...*(व्यवधान)* उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)* इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि मोरारजी भाई ने जब धरना दिया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी आगे-आगे चले थे, उस समय से कई गुना भयावह स्थिति इस समय गुजरात की है। आंदोलन था, लेकिन ठीक है, अगर नहीं, फिर तो यह बच जाता कि विपक्ष के लोग जाएं और अपनी जान देकर वहां जो कुछ कर सकते हैं, करें, ये बच जाता है और कुछ बचा नहीं।

आपसे विश्वास हट रहा है, अब तो यह बचता है कि हम लोग तय करें कि हम अपनी जान देकर देश को बचा सकें या कुछ कर सकें। आपने देखा होगा कि शांति यात्रा के नाम पर एक महिला के बाल पकड़ कर उसे पटक दिया जाता है। उसका चित्र लिया जाता है तो अखबार वालों को मारा जाता है। यह हो सकता है कि हम लोग भी जान दे सकते हैं। हम लोग जान देकर भी वहां बचाने की कोशिश करेंगे, अभी हम आपका थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, हम सब को चलना पड़ेगा। इसलिए हम इस सवाल को, ये राजनीतिक सवाल नहीं, सच्चाई हैं, राजनीतिक जोड़-तोड़ का काम आप कर रहे हैं, आप चुनाव में हार चुके हैं। आप गठजोड़ करके उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, क्या गठबंधन कर रहे हैं, क्या-क्या सौदेबाजी कर रहे हैं। आगे का चुनाव, आगे के वोट, क्या ये राजनीति नहीं है। तेलुगूदेशम पार्टी ने थोड़ी सी आखें दिखाई हैं, अब कितनी दिखाई हैं, यह पता नहीं है। बहुत से साथी कितने दिनों तक हमारे साथ रहे, साथ-साथ काम किया। हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध भी हैं। येरननायडू कब तक आंखें दिखाएंगे। यहां क्या है, वहां क्या है, अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन यह क्या राजनीति नहीं है, बंदोबस्त नहीं किया गया कि 13 एमपीज आ जाएं, सरकार ले जाएं। मुख्य मंत्री में बांट रहे हैं। क्या-क्या बांटोगे- देश को बांटोगे। क्या उत्तर प्रदेश को 50 साल राजनीति करके बर्बाद एवं तबाह नहीं कर दिया, 50 साल पीछे नहीं कर दिया और अब तो सौ साल पीछे चला जाएगा। हम जानते हैं वहां क्या होने वाला है, इसलिए हमें कोई दर्द नहीं है, किसी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम अपने सिद्धांतों पर कायम हैं और देश की खातिर काम करते रहेंगे। देश की एकता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी प्राथमिकता देश है और राजनीति द्वितीय प्राथमिकता है। सरकार द्वितीय प्राथमिकता है, देश हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। इसलिए देश की खातिर हम इन बातों को रख रहे हैं। पश्चिमी देशों से हमारे रिश्ते ठीक हुए थे लेकिन उन्हीं को आपने अब नाराज कर लिया। वे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। हमने जिस तरह से होम-गार्ड के बारे में कहा और जहां तक गुजरात की बात है तो गुजरात में ये ताकतें पहले से ही लगी हुई थीं, शुरूआत तो पहले से हो चुकी थी। सन् 1980-81 में जब माननीय माधवसिंह सोलंकी ने गरीबों, दलितों और पिछड़े लोगों का एक गठबंधन तैयार किया था और 184 सीटों में से 140 सीटें उनके नेतृत्व में लोग जीत कर आये थे। वहां के जितने गरीब, अल्पसंख्यक और दलित लोग थे उनमें उन्होंने जागृति पैदा कर दी थी और उसी समय एक षडयंत्र के तहत गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया गया था और उस समय माननीय सोलंकी जी की हमारे मित्रों ने भी मदद नहीं की थी वरना यह स्थिति आज गुजरात में नहीं आती। आज भी वही ताकतें गुजरात में आग लगा रही हैं और देश को तोड़ने पर आमदा हैं और दिल्ली की सरकार यहां हाथ-पर-हाथ रखकर बैठी है। यह तो वही बात हुई कि रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा। आज भी हमको नहीं लगता है कि सरकार की गुजरात में शांति लाने के लिए कोई सक्रियता है। सरकार गुजरात में और कितनी लाशें गिराना चाहती है और क्या

[श्री मुलायम सिंह यादव]

सरकार पूरे हिन्दुस्तान में आग लगाना चाहती है। लेकिन जब क्रिश्चियन्स पर हमले हो रहे थे और आपको प्रधान मंत्री जी इटली जाना था, पोप का सामना करना था, उनका विश्वास पाना था तब कैसे क्रिश्चियन्स पर हमले रूक गये थे। वह इसलिए रूक गये थे क्योंकि आपको इटली जाना था और वहां पर आपको सफाई देनी पड़ सकती थी लेकिन आज आप गुजरात में इन्हें नहीं रोक रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, सरकार से बड़ा आतंक किसी का नहीं होता है। हम भी सरकार में रहे हैं। इस तरह के दंगों को हमने भी भोगा है और हमने आपके आतंक को देखा है।...*(व्यवधान)* अगर दंगे न रूके तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मुलायम सिंह मुख्य मंत्री नहीं बने, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन मस्जिद की हिफाजत करके हमने दिखा दिया था कि देश की एकता सर्वोपरि है। हमने दिखा दिया था कि लाखों लोग एक तरफ थे और पुलिस के मामूली से लोग आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं। प्रधान मंत्री जी, सरकार का आतंक बड़ा होता है और आज भी अगर सरकार का आतंक खड़ा हो जाएगा तो एक भी जान नहीं जा सकती है, एक भी दुकान नहीं चल सकती है और एक भी मौत नहीं हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर की बात करने वाले कोर्ट की अवमानना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में लिख दिया है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोकतंत्र और न्यायालयों पर भरोसा नहीं है। मुजफ्फरनगर की घटना पर उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में, जिला प्रशासन के पक्ष में स्ट्रक्चर पास किया है और कहा है कि बलात्कार का मामला झूठा था। जितना रुपया मिल गया तो मिल गया लेकिन अब रुपया नहीं दिया जाएगा।...*(व्यवधान)* क्या आप सच पर पर्दा डालेंगे। हम तो हमेशा इनकी बातें चुपचाप सुनते रहते हैं। हम सुप्रीम-कोर्ट को बधाई देना चाहते हैं कि उसने सच को बेनकाब कर दिया। हमारी सरकार को बेनकाब कर दिया और बता दिया कि दोषी कौन लोग थे जिन्होंने षडयंत्र किया था। क्या आपने नहीं पढ़ा। मैंने पहले कभी इस बारे में जवाब नहीं दिया लेकिन आप न्यायपालिका के निर्णय की धज्जियां उड़ा रहे हो।...*(व्यवधान)* हम हर बात को जानते हैं...*(व्यवधान)* अधिकारी तो बदलते रहते हैं, अधिकारियों की बात आप छोड़िये। हम भी बना सकते हैं। सवाल यह है कि जो अधिकारी रहेगा, वह तो बनेगा ही। यह महत्व की बात नहीं, महत्व की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है:

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप और कितना टाइम लेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष जी, ये लोग बोल रहे हैं, जब सोमनाथ बाबू और चन्द्रशेखर जी बोलेंगे, तब क्या होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मकान बनाने के लिये 40-50 हजार रुपया देंगे, ऐसा मैंने सुना और अखबारों में पढ़ा भी है। अब आप देखिये कि छोटे या बड़े मकान वालों को, दुकानदारों, फैक्ट्रियों वालों को क्या दे रहे हैं। यह पहला चैक 800 रुपये का है, दूसरा 1000 रुपये का है, और तीसरा चैक 1350 रुपये का है। ये कितना क्रूर मजाक कर रहे हैं? ये सहायता दे रहे हैं या जले पर नमक डाल रहे हैं? मैं इन चैकों की फोटो कापी दिखा रहा हूं। इनमें रुपये 700 का अगला चैक है, यह 850 रुपये का है, फिर 1000 रुपये का है और फिर 800 रुपये का चैक है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं कि 651 लोगों को 15 लाख 82 हजार का पैमेंट हो गया है। मुलायम सिंह जी गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं। आप देखिये, क्या हो रहा है? मैंने अभी एक-दो नमूने दिये हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इसकी जांच कराइये। गृह मंत्री जी आप भी इसे देखिये। वी.एच.पी. के श्री प्रवीन टोगाड़िया 'संदेश' अखबार में कह रहे हैं कि अगर गोधरा जैसी घटना घटेगी तो पूरे गुजरात में इस जैसा दंगा प्रभावी रूप से रहेगा। वह यह क्या कह रहे हैं? उन्होंने यह भी बतलाया कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है उससे देश की तस्वीर खराब हो रही है यह गलत है। उनका आगे कहना है कि पीरों की कभी बदनामी नहीं होती है। मैं आपको बतलाता हूं कि वहां क्या हो रहा है-आगज़नी, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और उन्हें जलती हुई आग में फेंक देना। 10 दिन का बच्चा हो या 20 महीने का हो, उसे काटकर फेंक देते हैं। तभी मैं कहता हूं कि ऐसा तो वेदों में भी नहीं बताया गया कि राक्षसों का कभी इतना आतंक रहा था, ये लोग जो काम कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है, उससे मानवता कराह रही है। आज गुजरात सरकार मानवता को समाप्त करने की अपराधी है, वहां के मुख्यमंत्री अपराधी हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): मुलायम सिंह जी, आप सीनियर लीडर हैं। जो चैक्स हमने दिये हैं वे कैशडोल्स के हैं। यह पहले पांच रुपये मिलता था, अब यह 15 रुपये दिया गया है। पूरे देश के मुकाबले गुजरात में सबसे ज्यादा दिया है। परसों तक 38123 लोगों को 60.57 लाख रुपये बांटे गये हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): आप जो चैक्स दिखा रहे हैं वे कैशडोल्स के हैं ये आवास के नहीं हैं। गुजरात में कैशडोल्स पहले के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा दिया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): बहन जी, आप समय ले लीजिए उसके बाद मेरे बारे में खूब बोलिये। महोदय, मैं यह बात बड़ी गंभीरता से रखना चाहता हूं कि आर.एस.एस. के सुप्रीमो क्या कहते हैं- हमलावरों के समान खून-खराबा करो, प्रत्येक मोर्चे पर विजयी बनाने की जिम्मेदारी हम आर.एस.एस. वालों की है। ...*(व्यवधान)* यह क्या बोल रहे हैं, यह आपके आर.एस.एस. के सुप्रीमो बोल रहे हैं। यह मेरे पास अखबार है, आप इसे देख लें, अखबार का नाम भी है। वी.एच.पी. के एक अग्रणी नेता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंहजी, अब आप समाप्त कीजिए। मुझे लंच आवर के लिए ब्रेक करने के बारे में हाउस का सुझाव लेना है।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं पांच मिनट में खत्म कर रहा हूं। हम बाधा नहीं डालेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हमारे भाषण के बाद आप लंच कर दीजिए। मैं पांच मिनट से पहले समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे अमैन्डमैन्ट्स भी मूव करने हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, कार्यमंत्रणा समिति में हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि आज मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। जैसा कि कार्यमंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है कि आज मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। भोजनावकाश तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग एक-एक करके भोजन के लिए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। वी.एच.पी. के और तमाम इस तरह के नेता हैं, हम कहां तक पढ़ें। ये बाकायदा वी.एच.पी. और आर.एस.एस. के नेताओं के बयान हैं। जो बाकायदा हत्या, आगजनी, महिलाओं के साथ बलात्कार, पुलिस संरक्षण में पिटाई यह सब दिल्ली में बैठी केन्द्र सरकार की जानकारी में हुआ और गुजरात की सरकार को खुलकर संरक्षण और समर्थन दिया गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि गुजरात की सरकार इन मानव हत्याओं की अपराधी है। वहां के मुख्य मंत्री इसके लिए दोषी हैं। इसलिए वहां के मुख्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और वहां लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, उनमें ऐसी भावना पैदा की जाए कि उनमें अलग-अलग रहने की भावना खत्म हो। आपसी सद्भाव वहां मजबूत हो। वहां साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने की जिम्मेदारी दिल्ली में बैठी केन्द्र सरकार की है। गुजरात सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए प्रधान मंत्री जी जब आप भाषण दें तो उसी वक्त वहां के मुख्य मंत्री का इस्तीफा लें। अगर वह इस्तीफा न दें तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। सच्चाई यह है कि वहां के मुख्य मंत्री दोषी और अपराधी साबित हो रहे हैं। इसलिए हम केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि दिल्ली में बैठी केन्द्र सरकार भी इसमें अक्षम और दोषी है। संविधान में कहा गया है कि इन वर्गों की सुरक्षा करने का दायित्व इस सरकार का था, जिसे वह निभा नहीं पाई है। इसलिए हम केन्द्र सरकार तथा गुजरात सरकार की इस सदन के माध्यम से घोर निन्दा करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> ''कि यह सभा देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से गुजरात में, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।''

माननीय सदस्यो, मुझे श्री जी.एम. बनातवाला, श्री रूपचन्द पाल, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री बसुदेव आचार्य, श्री प्रबोध पण्डा, श्री अजय चक्रवर्ती और श्री प्रियरंजन दासमुंशी की ओर से संशोधन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संशोधन की प्रतियां पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं।

श्री रूपचन्द पाल, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री बसुदेव आचार्य, श्री प्रबोध पण्डा और श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा दिए गए संशोधन एक जैसे ही हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला ने सूचना दी है कि वे अपना संशोधन संख्या-2 प्रस्तुत करेंगे। यदि उनकी ऐसी इच्छा है तो वे अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

[श्री जी.एम. बनातवाला]

कि प्रस्ताव में

"प्रभावी कदम उठाए" **के पश्चात्** "तथा गुजरात के मामले में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए सलाह दे दी जाए"। **जोड़ा जाए।** (2)

महोदय, क्या मैं भाषण भी दूं?

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आपको केवल संशोधन प्रस्तुत करना है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि प्रस्ताव में

"देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता" **शब्दों के स्थान पर** गुजरात राज्य में निर्दोष नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बड़ी पैमाने पर हो रही हत्याओं, लूट और आगजनी, जो अभी भी निरंतर जारी है, को रोकने में प्रशासन की असफलता तथा पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा, राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने में सरकार की पूर्ण असफलता" शब्द **प्रतिस्थापित किए जाएं।**"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि प्रस्ताव में

"देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता" **शब्दों के स्थान पर** "गुजरात राज्य में निर्दोष नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बड़े पैमाने पर हो रही हत्याओं, लूट और आगजनी, जो अभी भी निरंतर जारी है, को रोकने में प्रशासन की असफलता तथा पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा, राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने में संघ और राज्य सरकारों की पूर्ण असफलता" शब्द **प्रतिस्थापित किए जाएं।**

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (भोपाल): उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम 184 के अंतर्गत जिस प्रस्ताव को आपने स्वीकार करके चर्चा की अनुमति दी है, मैं कहना चाहती हूं कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में चर्चा हो रही है। इस चर्चा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें किसी को खुशी हो। इस चर्चा का जो मूल प्रसंग है गुजरात और देश के अन्य हिस्से, जहां पर अत्याचार होते हैं, वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। यह किसी के लिए भी आनन्द का विषय नहीं है। जब हमारे प्रधान मंत्री जी गुजरात विजिट पर गए थे, संयोग से मैं भी उनके साथ थी। जिस तरह से वह गुजरात की स्थिति को देखकर विचलित हुए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि गुजरात की घटनाओं के कारण मेरा माथा शर्म से झुक गया है और जिस तरह से उन्होंने व्यथित होकर कहा कि हम दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, जब प्रधान मंत्री जी ने ये उद्गार कहे, उस समय मैं उनके पीछे खड़ी थी। जिस तरह से वह व्यथित थे, जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, क्योंकि गुजरात की घटना ऐसे समय पर घटी है जबकि पूरे संसार में भारत के बारे में एक ऐसी राय बन रही थी, भारत तरक्की कर रहा था, भारत का सम्मान बढ़ रहा था और हमारे पड़ोसी देश आतंकवादियों को शह देने वाला देश प्रमाणित होने की स्थिति में आता जा रहा था, पूरी दुनिया उसको कार्नर करती जा रही थी, उस समय गुजरात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।

सबसे पहले मैं यह बता दूं कि गुजरात की घटना, गोधरा से लेकर आज इस घड़ी तक जो कुछ भी वहां घट रहा है, वह किसी के लिए भी प्रसन्नता या गर्व की बात नहीं है। लेकिन नियम 184 के अंतर्गत आपने जब इस चर्चा के लिए स्वीकृति दी और उसके लिए स्वीकृति देते समय आपने अपनी तरफ से जो आदेश दिया, उसको मैं यहां पर थोड़ा सा सदन को याद दिलाने के लिए पढ़ रही हूं, यद्यपि उसमें कुछ अमेन्डमेंट भी आ गए हैं।

[अनुवाद]

"कि यह सभा देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।"

[हिन्दी]

अपराह्न 1.10 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* **हुए)**

सर, इसका मतलब यह है कि इस चर्चा को स्वीकार करते हुए आपने जो चिन्ता व्यक्त की है वह गुजरात की घटनाओं पर विशेष रूप से और इन जनरल देश भर में और अन्य राज्यों में भी जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनके बारे में भी हम यहां पर चर्चा कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं सदन से क्योंकि आज मेरी पार्टी ने और आपने मुझे इस विषय पर

बोलने का अवसर दिया है। इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्त्ता की तरह नहीं बोलना चाहती हूं। जिनसे मैंने सन्यास की दीक्षा ली है, वे मेरे गुरु कर्नाटक के हैं, उडीपी के। उनको सभी लोग गुरु-तुल्य मानते हैं। जाफर शरीफ जी, आस्कर फर्नान्डीज जी, माननीय अटल बिहारी जी, सब उन्हें गुरु-तुल्य मानते हैं और उस मठ की परम्परा में, दलितों और पिछड़ों को सैकड़ों वर्ष पहले ही मंदिरों में पूजा करने का अधिकार हमारी गुरु परम्परा में दिया गया है। इसलिए मैं आज इस अवसर को बहुत अच्छा मौका मानती हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, दलितों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए और यदि आप यह कहती हैं तो हम आपका अभिनन्दन करते हैं।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

कुमारी उमा भारती: सर, मैं इसको एक बहुत अच्छा अवसर मानती हूं इस बात के लिए कि हम समस्या की जड़ में जाएं। और यह इसलिए कि यह सदन सर्वोच्च सदन है और सभी दलों के लोग इस घटना को लेकर चिन्तित हैं और जब सभी लोग इन घटनाओं को लेकर चिन्तित हैं, तो हो सकता है कि आज शाम होते-होते हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि हम इन समस्याओं को हमारे देश से जड़ से उखाड़कर कैसे फेंका जा सकता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सदन से पूरे सदन से निवेदन है कि आज की चर्चा में किसने कितने मारे, तब किस की सरकार थी, इसमें हम न जाएं, तो बहुत अच्छा होगा बल्कि इन हत्याओं और अत्याचारों को रोका कैसे जाए, तो अच्छा होगा और इसकी जड़ में जाएं कि यह कैसे रोकी जा सके, तो बेहतर होगा।

सर, सबसे पहले तो जिस तरह से 184 की डिबेट के लिए हमारे सामने बैठे प्रतिपक्ष के लोगों ने संसद में गतिरोध पैदा किया, यह तो इनके चरित्र का हिस्सा है। जब-जब ये सरकार में नहीं होते हैं, ये दूसरों को सदन में सुख से बैठने नहीं देते। बिना पावर के इनकी आत्मा इतनी बेचैन हो जाती है कि पावर प्राप्त करने के लिए तिलमिला उठते हैं। आप शुरू से स्मरण कीजिए। ये बिना कुर्सी के रह नहीं सकते। महोदय, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, चौ. चरण सिंह को समर्थन देकर आपने थोड़े समय के लिए प्रधान मंत्री बनाया। फिर ये ऐसे छटपटाए, ऐसे भूखे मरे, बिना कुर्सी के। अन्त में जोड़-तोड़ कर के, तिकड़म कर के, ये वापस लौट आए। इसके बाद में, जब चन्द्र शेखर जी प्रधान मंत्री बने और देश की समस्याओं के निदान के लिए वे जब बहुत अच्छे निर्णय कर रहे थे, उसी समय अचानक इनमें बेचैनी फैली। वी.पी. सिंह जी के बाद जब चन्द्र शेखर जी प्रधान मंत्री बने तब भी इन्होंने अस्थिरता पैदा की और गतिरोध पैदा किया।

इसलिए सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर यह गुजरात की घटना नहीं हुई होती, तब भी कांग्रेस को अपने चरित्र के मुताबिक, कुछ न कुछ गतिरोध, कुछ न कुछ अस्थिरता सदन में पैदा करनी ही थी क्योंकि ये तो बिना सरकार के, बिना कुर्सी के भूखों मरने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए इनकी ऐसी बेचैन आत्मा हो जाती है और तब तक इनको शांति नहीं मिलती जब तक कि ये कुर्सी पर वापस न बैठ जाएं। आप देख लीजिए, जब से एन.डी.ए. की सरकार बनी है, तब से इनकी तो पात्रता भी नहीं है कि ये 184 के अंतर्गत रखने के लिए कोई बात कह सकें। जब से एन.डी.ए. की सरकार बनी है, तब से आप याद करिए, कुछ न कुछ, हर महीने, हर हफ्ते, जब भी सदन चला, ये करते रहे। अन्त में तो ऐसी स्थिति आ गई 1999 में कि देश का प्यार है हमारे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति, नहीं, तो हमारी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, एक उल्टा-सीधा कागज, झूठे-सच्चे आंकड़ों का लेकर, राष्ट्रपति जी के पास पहुंच गई थीं कि मैं तो प्रधान मंत्री बनना चाहती हूं। मैया मैं तो चान्द खिलौना लेहूं। उस समय तो ये पहुंच गई थीं की मुझे चान्द चाहिए। उसके बाद, इनकी बेचैनी के कारण देश को जबर्दस्ती इलैक्शन फेस करना पड़ा। इसलिए जब 184 के अंतर्गत डिबेट हो रही है, तो जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि हम इस डिबेट में कोई राजनीति न करें, लेकिन कांग्रेस की इस डिबेट में पार्टीसिपेशन की जो पात्रता है, उसको जरूर चुनौती देना चाहूंगी कि इनकी क्या पात्रता है। उसके बाद मैं गुजरात की तरफ लौटूंगी।

सबसे पहले, तो मैं बड़े भाई साहब, मुलायम सिंह जी के भाषण से बहुत आश्चर्यचकित हूं। रेस्ट हाउस में मायावती के बाल खिंचवाकर अपमानित करने वाला मुलायम सिंह...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह सब गलत है। आप गलत मत बोलिये। कोर्ट में यह मुद्दा चला गया है। उसमें हम बरी हुए हैं। दूसरे कोर्ट में उस पर स्टे है।...*(व्यवधान)* यह षडयंत्र है, गलत है।...*(व्यवधान)* न्यायाधीश ने पूछा कि कहां चोट लगी है, कहां फटे कपड़े हैं।...*(व्यवधान)* हमें पूरा का पूरा बरी कर दिया है। दूसरे कोर्ट में उस पर स्टे है।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: अगर आप कोर्ट का इतना सम्मान करते हैं तो गोधरा और गुजरात की घटना के बारे में, अगर मैं गलत कोट नहीं कर रही हूं तो कर्नाटक के चीफ जस्टिस...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से इनको बोल रही हूं कि कर्नाटक के चीफ जस्टिस श्री त्रिवातिया और उनके नेतृत्व में श्री जे.सी. बत्रा, श्री किशन सिंह अरिया, श्री जवाहर लाल पाल और प्रो. बी. के कोठारिया गुजरात गये थे। यह हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस की गुजरात और गोधरा पर रिपोर्ट है। वैसे तो यह रिपोर्ट बहुत लम्बी है लेकिन उन्होंने जो कन्कलूजन निकाले हैं, उसकी दो-तीन

[कुमारी उमा भारती]

लाइनें मैं आपकी अनुमति से यहां पढ़कर सुना रही हूं। मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूं कि अगर श्री मुलायम सिंह जी, कांग्रेस के नेतागण और अन्य सभी लोग कोर्ट का आदर करते हैं तो इन लाइनों को अपने सिर-माथे पर रखकर स्वीकार करें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रपोर्ट है जिसके नेतृत्व में वे लोग गये थे जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं।...*(व्यवधान)* मैंने पहले स्वीकार किया है।...*(व्यवधान)* मैंने पहले ही कहा है कि इस रिपोर्ट में क्लीयर नहीं है कि वे कहां के चीफ जस्टिस हैं। मैंने पहले ही कहा था, मैं इस गलती को स्वीकार करती हूं क्योंकि इस रिपोर्ट में कोई मैंशन नहीं है कि वे कहां के हैं।...*(व्यवधान)* राज्य की गलती हो सकती है।...*(व्यवधान)* इस करेक्शन को मैं स्वीकार करती हूं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि

[अनुवाद]

'गोधरा एण्ड आफ्टर: ए फील्ड स्टडी'

अध्ययन दल के निष्कर्ष में कहा गया है:-

"27.2.2002 को गोधरा में 58 हिन्दू तीर्थयात्रियों को जलाया जाना एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कार्रवाई थी जो देश में साम्प्रदायिकता के जहर को फैलाने के नापाक इरादे से की गई थी। 27.2.2002 को प्रात: 2000 से अधिक यात्रियों के साथ-साथ पूरी रेलगाड़ी को जलाए जाने की योजना थी।"

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह जी आप क्या बात करते हैं? आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने दंगों को इन्वाइट किया। आप कह रहे हैं कि ट्रेन के अंदर जो बेकसूर महिलाएं और बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने उपद्रव किया इसलिए दंगे हो गये। आप कह रहे हैं कि खोमचे वालों को लूटा गया।...*(व्यवधान)* आप कह रहे हैं कि हिन्दुओं ने दंगे किये इसलिए ये दंगे हुए।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, यह कभी नहीं कहा।...*(व्यवधान)* आप गलत बयानी कर रही हैं। ...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: यह रिपोर्ट क्या कह रही है?...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय जिस दिन गोधरा की घटना हुई थी, उसी दिन हमने और श्री रामजी लाल सुमन ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था और उस घटना की निंदा की थी।

कुमारी उमा भारती: मैं निंदा और प्रशंसा की बात नहीं कर रही हूं। मैं मानती हूं कि आपने निंदा की। अभी-अभी श्री मुलायम सिंह जी ने भी निंदा की। किन्तु, परन्तु और लेकिन लगाकर निंदा की। मैं उसे स्वीकार करती हूं। मैं आपकी अनुमति से रिपोर्ट की कुछ और लाइनें पढ़ रही हूं। उसमें आगे लिखा है:

[अनुवाद]

"27.2.2002 को प्रात: 2000 से अधिक यात्रियों के साथ-साथ पूरी रेलगाड़ी को जलाए जाने की योजना थी। वह एक आतंकवादी कार्रवाई की योजना थी।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, हम जानना चाहते हैं कि वह किस रिपोर्ट को उद्धृत कर रही हैं...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: महोदय, मैं उनकी बात नहीं मान रही हूं...*(व्यवधान)* मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं...*(व्यवधान)*

महोदय, रिपोर्ट में आगे कहा गया है:-

"वह आतंकवादी कार्रवाई की एक योजना थी जिसमें आंशिक रूप से यह भी कहा गया है कि आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले अपराधियों को गोधरा से संचालित होने वाले जेहादी तत्वों का समर्थन प्राप्त था। उनमें नगरपालिका के कुछ कांग्रेसी सदस्य भी शामिल थे।"...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट मैं सदन के पटल पर रखती हूं। *...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, जिस रिपोर्ट को वे उद्धृत कर रही हैं वह सभापटल पर रखी जानी चाहिए...*(व्यवधान)* इस घटना में आतंकवादी हाथ होने के बारे में गृह मंत्री को उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)* किन्तु, रिपोर्ट भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा उद्धृत की जा रही है। यह प्रामाणिक होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

मंत्रिपरिषद की एक जिम्मेवार सदस्या के रूप में कैबिनेट मंत्री द्वारा उद्धृत की गई रिपोर्ट प्रामाणिक होनी चाहिए और इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, और माननीय गृह मंत्री को मंत्रिपरिषद् की सदस्या द्वारा उद्धृत की गई रिपोर्ट के प्रकाश में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संबंध पर प्रकाश डालना चाहिए।...*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखी गई।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: मैं सदन के पटल पर सी.डी. कैसेट रख रही हूं* जो साबित कर रही है कि यह रिपोर्ट और सी.डी. कैसेट...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, आप इनसे पूछिए कि ये किस रूल के अंतर्गत खड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)* जब मुलायम सिंह जी बोल रहे थे तो हमारे किसी भी सदस्य ने गतिरोध पैदा नहीं किया।...*(व्यवधान)* जब भी कोई माननीय सदस्य खड़े हों तो आप यह पूछिए कि वे किस रूल के तहत खड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उमा जी, तारीख बताइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। वे एक मंत्री हैं और वे सरकार की ओर से बोल रही हैं। रिपोर्ट अवश्य ही प्रामाणिक होनी चाहिए और इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया माननीय गृह मंत्री की ओर से ही आनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: किस प्रकार गुजरात के कांग्रेस के नेता नगरपालिका, गोधरा के काउंसलर का अभिनन्दन कर रहे हैं, जो लोग ट्रेन को जलाने के लिए अगुवाई कर रहे थे।...*(व्यवधान)* यह सी.डी. कैसेट...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या रिपोर्ट है, उसे सदन के पटल पर रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मेरी मांग है कि इसे सभा पटल पर रखा जाए और कैबिनेट मंत्री इसकी पूरी जिम्मेदारी ले...*(व्यवधान)* कैबिनेट मंत्री द्वारा उद्धृत किए गए दस्तावेज जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कथनों का उल्लेख किया गया है, प्रामाणिक होनी चाहिए और इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, साथ ही उसमें यह भी उल्लेख होना चाहिए कि उन्होंने यह बात कब कही थी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अगर हम भी ऐसा करेंगे तो ये लोग बोल नहीं पाएंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह ठीक नहीं है। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे: क्या ये सुनने के लिए तैयार हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चौबे, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। शान्ति रखिए।

...(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती: सभापति महोदय, मैं सदन के पटल पर यह रिपोर्ट और सी.डी. कैसेट रख रही हूं। यदि मैं गलत साबित होऊं तो सदन जो दंड देगा, मैं उसे स्वीकार करूंगी। अगर इस कैसेट को अभी देखना है तो मैं आपके सामने इसे रख रही हूं। आप दासमुंशी जी को अपने कमरे में बिठा दीजिए और वहां सी.डी. कैसेट लगवा दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस जोश में ऐसी परम्परा नहीं डालनी चाहिए जो परम्परा सदन की मर्यादा के अनुरूप हो।...*(व्यवधान)* यहां अखबारों को उद्धृत करने की परम्परा है, वह होता है लेकिन अखबार सदन के पटल पर नहीं रखे जाते। अगर कोई रिपोर्ट है, जो सरकारी नहीं है, कोई अधिकृत पार्लियामैंट से पेश रिपोर्ट नहीं है, तो उमा भारती जी यदि उसे कोट करती हैं, कोट करने दीजिए लेकिन सदन के पटल पर उसे रखने और अधिकृत...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी ने किया हो चाहे आपने किया हो। आप कृपा करके इसे सदन के पटल पर रखने की अनुमति मत दीजिए। वे जो भाषण करती हैं, उसे आप सुनिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: मैंने अधिकारी और अखबार को कोट किया है।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: जैसे को तैसे का आचरण तो करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने सदन के पटल पर रखने की बात कही।

सभापति महोदय: लेकिन शीलम् परम भूषणम्।

कुमारी उमा भारती: महोदय, आप भी सम्भलकर बोलिएगा, क्योंकि आपके भी दाढ़ी है। मुलायम सिंहजी ने अभी दाढ़ी की

---

*चूंकि उपाध्यक्ष महोदय ने बाद में आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की अत: पत्र/दस्तावेज सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

[कुमारी उमा भारती]

बात कही थी। पता नहीं वहां दाढ़ी को लेकर कोई प्राब्लम है या नहीं, लेकिन यहां आ सकती है।

मैं मुलायम सिंह जी को बताना चाहती हूं कि मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। मैं यहां रख रही हूं। मुझे पढ़कर नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लम्बी रिपोर्ट है।

जिस प्रकार से वहां पर घायलों को, विकलांगों को और मृतकों को सम्भाला गया, यह गुजरात के इतिहास में पहली बार हुआ है। गुजरात के इतिहास में तो 1410 से दंगे हो रहे हैं। जो रिकार्ड मौजूद है, उसके मुताबिक गुजरात में पहला दंगा 1410 में हुआ था। उसके बाद लगातार दंगों का इतिहास गुजरात में रहा है। सबसे भयानक दंगा 1969 में वहां हुआ था। उस समय वहां हितेन्द्र देसाई की सरकार थी। उस समय एक हजार लोग उस दंगे में मरे थे। दो महीने तक आर्मी नहीं बुलाई गई थी। छः महीने तक दंगा चला था। उन दंगों की रिपोर्ट यह बताती है कि कांग्रेस के आपसी झगड़े के कारण वे दंगे भी इस दंगे की तरह कांग्रेस के लोगों ने ही शुरू कराए थे।...*(व्यवधान)* उसके बाद 1985 में दंगा हुआ, जिसमें सैंकड़ों लोग मरे। उसके बाद 1989 में जो दंगा हुआ, उसमें भी सैंकड़ों लोग मरे। उसके बाद 1992 में और 1993 में गुजरात में दंगे हुए और सैंकड़ों लोग मरे।

अभी जब गोधरा में घटना घटी। जब वह घटना याद आती है, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि इस देश का हिन्दू क्या सोचता होगा कि उसकी हत्या की भर्त्सना भी कोई करता है तो किंतु और परंतु लगाकर करता है। जिससे इस देश का हिन्दू यह सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि चूंकि मैं हिन्दू हूं, अगर मैं जिंदा जला दिया जाऊं तो उसमें किंतु या परंतु लगेगा, सीधे-सीधे उसकी निंदा नहीं होगी।...*(व्यवधान)* 16 घंटे के अंदर गुजरात में आर्मी बुला ली गई। आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा दंगा हुआ, जिसमें तीन दिन के अंदर 100 लोग पुलिस फायरिंग से मारे गए। कल रात तक के जो मुझे आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, उसके अनुसार 846 लोगों में से 179 लोग अकेले पुलिस फायरिंग से मरे। जिस प्रकार से तत्काल आर्मी बुलाई गई पूरे गुजरात के 18,000 गांवों में से केवल 40 जगह दंगा प्रभावित हुई। जिस प्रकार से तुरंत रिलीफ आपरेशन शुरू हुआ सिक्योरिटी अलर्ट की गई, पुलिस को लगाया गया, रैपिड एक्शन फोर्सेज को लगाया गया, उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। मैं यह जरूर मानती हूं कि दंगे की विभीषिका भयंकर थी। गुजरात की घटना का जो प्रभाव लोगों के मन में था, वह भीषण था। उसका एक और विशेष कारण था, जिसने दिलों को चीरकर रख दिया। वह विशेष कारण यह था कि जब माननीय प्रधान मंत्री गोधरा में गए, मैं भी उनके साथ थी। वहां जो जांच चल रही है, उस जांच से सम्बन्धित एक अधिकारी वहां मौजूद था। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य बात है कि फायर ब्रिगेड जब बोगी में लगी हुई आग बुझाने के लिए गई, तो उसका रास्ता रोका गया। इस पर उन्होंने कहा कि करीब सात-आठ मिनट तक फायर ब्रिगेड का रास्ता रोका गया। मैं निवेदन करना चाहती हूं, जैसा मैंने पहले कहा था कि हम कोई कम्पैरिजन नहीं करना चाहते। यहां पर कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हम रक्षक हैं और तुम भक्षक हो या तुम भक्षक हो और हम रक्षक हैं। ऐसा दावा आज यहां होना भी नहीं चाहिए। आज इस डिबेट को एक अवसर के रूप में मानना चाहिए कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि इस समस्या का जड़ से निदान हो।

अपराह्न 1.29 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब उड़ीसा में घटना घटी थी और ग्राहम स्टेंस और उसके दो बच्चों को दरिंदगी से जिस प्रकार से जलती हुई जीप में जिंदा जला दिया गया, महीनों तक उसकी चर्चा हुई। लेकिन जिस तरह से गोधरा में उस बोगी में एक मां अपने बच्चे को सीने से चिपकाए थी, जब आग लगातार उस बोगी में फैल रही थी तो उस मां को लगा कि शायद आग बुझाने के लिए कोई आ जाएगा, तब तक मैं अपने बच्चे को बचा लूं। इस पर मां ने बच्चे को नीचे रखा और खुद उस पर लेट गई। यह देखिए उस जली हुई अवस्था में भी मां उस बच्चे के साथ चिपके हुई है। बच्चा नीचे पड़ा हुआ है और वह उसके ऊपर लेटी हुई है। इस आशा से लेटी है कि शायद कोई इस आग को बुझाने के लिए आ जाएगा। आग को बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड आ रही थी, कुछ पिशाच, कुछ राक्षस उस फायर ब्रिगेड का रास्ता रोक रहे थे। उस फायर ब्रिगेड का रास्ता रोकने वालों में कांग्रेस के काउंसिलर भी थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में न जाने लायक यदि कोई असंसदीय या अशोभनीय अभिव्यक्ति हो तो उसका ध्यान रखा जाएगा। पर उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): महोदय, जब कभी भी कोई आरोप लगाया जाए तो वह निश्चित रूप से प्रमाणित होना चाहिए। वे ऐसे नहीं बोल सकती हैं। हमने भी अखबार पढ़े हैं...*(व्यवधान)* वे आरोप लगा रही हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आरोप है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: मेरे पास सी.डी. है। जो मैं कह रही हूं अगर वह इस सी.डी. में न निकले तो पूरा सदन जो दंड देगा, वह मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, जब आप अपने दल की ओर से बोलेंगे तो आप इसका खंडन कर सकते हैं। आप अपने भाषण में इसका खंडन कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, गोधरा प्रकरण की जांच करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक जांच आयोग गठित करने की घोषणा की गई है। स्वयं गृह मंत्री ने कहा है कि गुजरात सरकार ने एक जांच दल नियुक्त किया है इसलिए हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर कैसे सरकार की महिला सदस्य यह आरोप लगा सकती हैं कि इसमें कांग्रेसी पार्षद का सीधा हाथ है। *...(व्यवधान)* महोदय, आरोप की रिपोर्ट अभी आयी है। यदि वे इस तरह का आरोप लगाती हैं, वे सभा के विशेषाधिकार के हनन की दोषी होंगी और न कि मैं स्वयं के...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके पास इसका उपाय है। आप इस पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि कोई आरोप लगा रहा है या गुमराह कर रहा है, तो इसके लिए उपाय है। हम नियमानुसार चले, चाहे मामला सत्तारूढ़ दल का हो या विपक्ष का। मैं केवल आप से यही अपील कर रहा हूं कि यदि वह कोई बात कहती हैं तो आप अपने भाषण में उसका खंडन भी कर सकते हैं। पर हम लोगों को शांतिपूर्वक उनकी बात को सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: हिन्दू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे को बचाया है।...*(व्यवधान)* सत्य सुनने को ही नहीं देखने को भी मिलेगा और बेकार में प्रियरंजन दासमुंशी जी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: फिर आप खड़े हो रहे हैं। हम लोग गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: जिस तरह से वहां की दोनों कम्युनिटीज के लोग एक-दूसरे के बचाव के लिए आगे आये हैं, उसने एक अलग ही उदाहरण दिया है।...*(व्यवधान)* वहां की मुस्लिम कम्युनिटी के जो अपने स्टेटमेंट्स थे कि

[अनुवाद]

''आज हम लोग हिन्दू पड़ोसियों की वजह से जीवित हैं''

[हिन्दी]

जिस तरह से मुस्लिम समाज अपने हिन्दू पड़ौसी को बचाने के लिए आगे आया क्योंकि मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मैं दंगों पर कोई फिगर्स कोट नहीं करना चाहती हूं क्योंकि जो मरे हैं, वे इंसान हैं और जिन्होंने मारे हैं, वे हैवान हैं, राक्षस हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। मरने वालों का धर्म है कि वह मनुष्य हैं लेकिन मारने वालों का एक ही नाम है कि वे राक्षस हैं। इसलिए मैं कोट नहीं कर रही हूं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वहां दलित समाज मारा गया है और उनके बचाव के लिए अगर कोई आगे आया तो वह मुस्लिम समाज आगे आया और मुस्लिम समाज के बचाव लिए अगर कोई आगे आया तो वह हिन्दू समाज आगे आया। लेकिन जब दिल्ली की हवाओं में तैरती हुई मैंने एक घटना सुनी और आज तक जिसका कोई सबूत नहीं मिला है कि एक गर्भवती महिला का पेट फाड़ा गया, उसमें से बच्चा निकाला और उसे भाले पर लटकाया और उसका जूलूस निकाला गया। दिल्ली में इस घटना का बड़ा हल्ला था और जब मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ वहां गुजरात में गई तो वहां पर भी एक-दो जगह पर इसका जिक्र हुआ था। मैंने रात को मुख्य मंत्री जी से पूछा, मैंने वहां के अधिकारियों से पूछा और कहा कि पता लगाओ कि वह महिला कौन थी? वह बच्चा कौन था वह क्या घटना थी लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं है।...*(व्यवधान)* शुरूआत में ही प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर जो 36000 लोग गिरफ्तार किये गये थे, उनमें से 29000 हिन्दू समुदाय के लोग थे। मैं यहां इसलिए बोल रही हूं ताकि यह गलतफहमी पैदा न की जाये जो की गई कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। गुजरात में जैसा पुलिस ने एक्शन लिया है, वैसा शायद आजादी से लेकर आज तक किसी भी दंगा प्रभावित राज्य में नहीं लिया गया है।...*(व्यवधान)* महोदय, अभी तक दो रेप केसेज दर्ज हुए हैं। इसके अलावा कई समाज सेवी संगठनों के लोग यह कहते हैं कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ। एक भी समाज सेवी संगठन के महिला या पुरुष, इन दो केसेज के अलावा, पुलिस के पास यह कहने के लिए नहीं गए कि उनके साथ इस प्रकार की घटना घटी है और यह आरोप दर्ज किया जाए। महिला का पेट फाड़कर बच्चे को निकाल कर भाले पर घुमाने की घटना का आज तक कोई सबूत नहीं दे पाये हैं कि कहां की महिला थी, कौन महिला थी, कहां घटना घटी- आज तक कोई नहीं बता पाया है। यहां एक संगठन का मैं नाम नहीं

[कुमारी उमा भारती]

लूंगी, क्योंकि उसके सदस्य यहां पर मौजूद नहीं हैं। उस संगठन ने एक रिपोर्ट बनाई है। मैं आज इस सदन से यह निवेदन करती हूं, इस तरह की रिपोर्ट बनाकर उसका इन्टरनेशनल स्तर पर प्रचार करवाया गया। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, गुजरात की सरकार से भी मैं निवेदन करूंगी, इस डिबेट में यह बात शामिल हो जाए, इसलिए मैं कह रही हूं, उस संस्था का नाम 'सहमत' है। उस रिपोर्ट में आए फैक्ट की जांच कराई जाए। अगर वह फैक्ट सही है, तो दोषियों को न छोड़ा जाए। अगर वह फैक्ट सही है तो दोषियों का बचाव करने वालों को न छोड़ा जाए। अगर वह फैक्ट सही है, तो उन फैक्ट छुपाने वालों को न छोड़ा जाए, लेकिन अगर वह फैक्ट गलत है, तो इस संस्था के लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार से भारत को बदनाम किया है, इन्टरनेशनल स्तर पर बदनाम किया है। इंटरनेशनल लैवल पर हमारी छवि खराब हुई है। हिन्दू और मुसलमानों के संबंध जो खराब किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की बदनामी हुई है, उसमें उनका बड़ा भारी योगदान है।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: इसकी जांच हो जाए।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: महोदय, गुजरात में नार्मेल्सी आ रही है। 18 हजार गांवों में से 40 जगहें, जो दंगा प्रभावित रहे हैं, इसके बाद गुजरात में पंचायत के चुनाव हो गए। छ: हजार के करीब हाजी हज करके लौट आए, जिनका गांवों में हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर स्वागत किया। टाकोरजी का दर्शन करने के लिए डेढ़ लाख लोग गए। 96 से 98 प्रतिशत, दो फेसिज में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के एग्जाम हुए, जिनमें बच्चे परीक्षाओं में भाग लेने के लिए गए। कांग्रेस के दो पदाधिकारियों ने एग्जामिनेशन्स का विरोध किया लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां मेरे बड़े भाई कमल नाथ जी उपस्थित थे, उन्होंने इस बात की निन्दा की और उन लोगों को डांटा। मेरा आपके माध्यम से सोनिया जी से निवेदन है कि गुजरात में नार्मेल्सी लाने की लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार प्रयत्नशील है। आप थोड़ा अपनी पार्टी के लोगों को समझाइए कि इस प्रकार की हरकतें करके, जिस प्रकार का व्यवधान वे वहां खड़ा कर रहे हैं, वह व्यवधान न खड़ा करें।

गुजरात में नार्मेल्सी आती जा रही है, आ चुकी है। जो छुट-पुट घटनायें हैं, उनके कुछ कारण हैं और उन घटनाओं के पीछे कुछ निहित स्वार्थ हैं, उन निहित स्वार्थों के प्रति सबको सावधान रहना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सावधान रहना चाहिए। निहित स्वार्थ यह चाहते हैं कि दुनिया के स्तर पर देश की छवि खराब हो। कई जगह मैंने एडिटोरियल पढ़े हैं कि युगोस्लाविया के मिलोचविच, सज्जन हैं या दुर्जन हैं या कौन हैं, उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव हुआ है, वैसा हो। ऐसा कभी हुआ है, जिसको जैनोसाइड कह रहे हैं, तीन दिन के अन्दर दंगों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग से 100 लोग मार डाले गए हों। फिर भी उसको जैनोसाइड कहा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: हम लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: सभी दलों से निवेदन है कि गुजरात में शांति कायम हो, अमन-चैन कायम हो, उसका रास्ता यह नहीं है कि नरेन्द्र मोदी को हटा दिया जाए और गुजरात की सरकार को भंग कर दिया जाए। उसका रास्ता यह है कि समस्या की जड़ में जाया जाए। यह देश जिसमें बहुसंख्यक हिन्दू हैं, मैं तो कहूंगी कि हिन्दू जैसा पड़ोसी किसी को नहीं मिल सकता है। हिन्दुस्तान जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। हिन्दू पड़ोसी जैसा कोई हो नहीं सकता है। भारत का जब बंटवारा हुआ, उस समय जो लोग भारत छोड़कर गए, उनका विश्वास जीतने की बहुत कोशिश हुई। मैं आपसे निवेदन करूंगी, जिनको विश्वास नहीं करना है, वे नहीं करेंगे। आप नरेन्द्र मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, जिनको विश्वास नहीं करना है, उन्होंने तो गांधी जी का भी विश्वास नहीं किया, उन्होंने तो नेहरू जी का भी नहीं किया, उन्होंने तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी नहीं किया, केवल जिन्ना का भरोसा किया। जिन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारत को छोड़कर जाना चाहते हैं, 1947 में जब बंटवारे की विभीषिका हुई, उस समय बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हिन्दू पड़ोसी के भरोसे रह गए। उसने एक बात साबित कर दी कि पाकिस्तान के मुसलमानों की जगह वह भारत के हिन्दू का ज्यादा भरोसा कर सकता है। भारत के अपने हिन्दू पड़ौसी की गारंटी पर वह यहां रह गया, जिसे अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म कहते हैं। अभी डिबेट सेक्युलरिज्म के लिए नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि हम सब इससे सहमत हैं। इसका सबूत है कि 1976 में जब संविधान में संशोधन किया गया था, संशोधन करते समय यह बिन्दु जोड़ा गया था, संविधान में इसीलिए संशोधन किया गया था। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगी कि देश को बचाने के लिए जब पोटा आया तो आप बिलकुल ठन गई थी कि हम इसे नहीं आने देंगे- चाहे कुछ भी हो जाए। कुर्सी को बचाने के लिए जब मीसा आया तो आप सब ने उसका साथ दिया और देश को बचाने के लिए पोटा आया तो उस समय जो गतिरोध पैदा हुआ, उसे भूलाया नहीं जा सकता। मैं आपको उस समय की याद दिलाती हूं, 1976 में जब संविधान में संशोधन किया गया।

[अनुवाद]

"प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य" शब्दों के स्थान पर, "प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रतिस्थापित किए जाएं।"

[हिन्दी]

इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए, कोई इस मुगालते में न रहे कि 1976 के बाद भारत सेक्युलर हुआ है, जब से इस देश में हिन्दू था और जब तक वह रहेगा तब तक भारत सेक्युलर रहेगा, क्योंकि हिन्दू का चरित्र सर्व-धर्म-समभाव को मानता है। सभी धर्मों का वह आदर करता है। हिन्दू का चरित्र ऐसा है कि वह प्रार्थना करता है - सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। हिन्दू का चरित्र है कि वह धरती से लेकर आकाश तक सब की पूजा करता है। वह नदी को, गाय को मां कहता है। धरती से लेकर आकाश तब सब की वह पूजा करता है। मैं तो उल्टा कहूंगी कि जब हमें अपने कांस्टीट्यूशन में यह जोड़ना पड़ा, जब मैं यह कह रही हूं कि हिन्दू का चरित्र ऐसा है तो मेरा कांग्रेस सज्जनों से निवेदन है कि आप हमारे एलायंस की तरफ देख कर अपना मंथरा वाला चरित्र यहां मत दिखाएं। आपका जो फूट डालो और राज करो वाला मामला है, उसे यहां मत दिखाएं। जैसे आप वहां आंखों से इशारेबाजी कर रहे हैं, हम मानते हैं कि इस्लामी ब्रदरहुड का एक सिद्धांत है, हम उसे मान्यता देते हैं। बहुत सारे क्रिश्चयन लोगों ने सामंजस्य बनाने की कोशिश की, हम उन्हें भी मान्यता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने झगड़े डालने की कोशिश की।

महोदय, पहले हमारे देश में डालडा नहीं था, शुद्ध घी होता था, इसलिए शुद्ध घी का प्रयोग होता था, क्योंकि बनावटी घी नहीं होता था। जब बनावटी घी आने लगा। तब घी के साथ एडजेक्टिव लगाना पड़ा- शुद्ध घी। हमारे यहां पहले सेक्युलरिज्म प्योर था, इसलिए हमें उसके लिए कांस्टीट्यूशन में कुछ जोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि करेक्टर में सेक्युलरिज्म था। जब करेक्टर में सेक्युलरिज्म था तो हमें कांस्टीट्यूशन में सेक्युलरिज्म नहीं जोड़ना पड़ा, लेकिन जब कुछ सूडो सेक्युलरिस्ट पैदा हो गए तब हमें मजबूरी में इसे जोड़ना पड़ा। जब मार्केट में डालडा घी आ गया तब शुद्ध घी, ऐसा बोलना पड़ा। जब शुद्ध घी हुआ करता था तब नहीं जोड़ना पड़ा।

इस देश की अपनी संस्कृति और परम्परा है। महोदय, आप कभी मेरे गुरु जी के स्थान पर जाएं, वहां हिन्दू, मुसलमान, पिछड़े, दलित, सब मंदिर में जाते हैं। आप कभी अजमेर की दरगाह शरीफ में जाएं, वहां बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू भी जाते हैं। मजारों पर बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू जाते हैं। मैं आपको अपनी हकीकत बताती हूं। मुझे भोपाल में एक बंगला अलाट हुआ, क्योंकि मैं वहां से मेम्बर आफ पार्लियामेंट हूं, मुझे वहां घर दिया गया। आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे घर के पीछे मजार है। जब मुझे घर अलाट हुआ तो वहां अलाट करने वाली एजेंसी ने मुझसे कहा कि वहां मजार है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दू हूं, मेरे दिल में 33 करोड़ देवी-देवता बसते हैं, ये वहां एडजस्ट हो जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहां जिन पीर बाबा की मजार है, उनसे कोई पूछने का यदि तरीका हो तो उनसे पूछ ले कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उन्हें सरमाथे पर बिठाऊंगी। महोदय, आप विश्वास करें, मुझे इतनी खुशी हुई, जब मैं उस घर में गई, मैंने माना कि यह भव्य विभूति इस घर में है, जो यह हमारी रक्षा करेगी, अच्छी बात है, हमें इसमें कोई कष्ट नहीं है। हिन्दू का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे कैसे हो जाता है - जैसे कि श्रीलंका में घटा। जब हम महात्मा बुद्ध का नाम याद करते हैं तो हमें अहिंसा और करुणा की याद आती है। अहिंसा और करुणा के प्रतीक महात्मा बुद्ध, अहिंसा और करुणा पर चलने वाले बौद्ध भिक्षु, जब एक प्रधान मंत्री की तरफ हाथ में घातक हथियार लेकर उनकी हत्या करने के लिए दौड़ पड़े तो ऐसा क्या हो गया कि जिस हिन्दू के दिल में 33 करोड़ देवी-देवता बसते हों, धरती से लेकर आकाश तक, जो सब को पूजता हो, उसकी यह स्थिति क्यों बनी, हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। जिसने पारसियों को अपने देश में स्थान दिया, उनका आदर किया, उनकी मान्यताओं की रक्षा की, जिसने ईरान से आए हुए लोगों की मान्यताओं का सम्मान किया, उनकी रक्षा की। जिसने एकम सद विप्रा बहुधा वदंति को माना कि सत्य एक और अनेक प्रकार से बोला जाता है और उसका आदर किया। आज ऐसे कैसे इस स्थिति का निर्माण हो गया कि हमारे देश के बारे में पूरी दुनिया में यह जिक्र हुआ है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। हमारे देश के एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको किसी विदेशी कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए क्योंकि इस देश में अल्पसंख्यक खतरे में पड़ गये हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी जो परम्परा, संस्कृति और चरित्र रहा है वह किसी एक नेता या किन्हीं नेताओं की बदौलत नहीं रहा है बल्कि वह भारत की संस्कृति का अंश रहा है। अगर हम कुछ असामाजिक तत्वों को छोड़ दें तो उस संस्कृति की मर्यादा का सभी ने पालन किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें उस जड़ में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई कि 33 करोड़ दैवी-देवताओं को अपने दिल में बिठाने वालों के बारे में यह शंका क्यों खड़ी हो गयी कि तुम्हारे देश में रहने वाले अल्पसंख्यक, तुम्हारे पड़ौस में रहने वाले अल्पसंख्यक असुरक्षा की भावना के बोध से पीड़ित हैं। यह प्रश्न कैसे उसके ऊपर खड़ा कर दिया गया। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि सन् 1857 में जब भारत की आजादी की शपथ ली गयी थी तो आप सब जो पढ़े-लिखे लोग यहां मौजूद हैं आपको याद आ जाएगा कि उस समय रोटी और कमल दो प्रतीक चिन्ह बनाये गये थे और बहादुर शाह जफर का नेतृत्व

[कुमारी उमा भारती]

तात्या टोपे, नाना साहब और महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वीकार किया था। उस समय किसी के ध्यान में नहीं आया था कि बहादुर शाह जफर मुसलमान हैं और उनका नेतृत्व स्वीकार किया था। रोटी और कमल को लड़ाई का प्रतीक माना गया था और जब आजादी की लड़ाई की शपथ लेते थे तो रोटी के टुकड़े किये जाते थे और कमल सामने रखा जाता था और कसम ली जाती थी कि आजादी को पाने के लिए अपने प्राण तक दे देंगे। लेकिन उसी समय ब्रिटिश लोगों ने फूट डालो और राज करो की नीति शुरू की। यद्यपि पहले भी कई दंगे हुए लेकिन मैं 1890 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश लोगों द्वारा भड़काए गये दंगे का उल्लेख करूंगी। लेकनि उसके बाद भी आजादी की लड़ाई के लिए हिंदू-मुसलमान एकजुट रहे और आजादी की लड़ाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता बनी रही। सन् 1920 में जब तुर्की के लोगों ने खलीफा के खिलाफ मूवमेंट चलाया, वही समय था जब इस देश में एक टर्निंग प्वाइंट आया। जब कांग्रेस के नेता यह सोचने लगे कि अगर हमें कुछ लोगों को साथ लेकर चलना है तो हमारा निर्णय क्या होना चाहिए। मैं मानती हूं कि उसी समय वह टर्निंग प्वाइंट आया जब कट्टरपंथियों का साथ दिया गया। तुर्की के लोग खलीफा के खिलाफत मूवमेंट में थे और भारत के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उल्टी चाल एडोप्ट की। सर, वहां से यह शुरूआत हुई। वह स्थिति बन गयी जब इस देश के मुस्लिम समुदाय के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप हमें इतिहास सिखाना चाहती हैं।...*(व्यवधान)* खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के लिए एक घंटा चालीस मिनट का समय है और आपकी पार्टी के सात स्पीकर्स हैं।

कुमारी उमा भारती: सर, आप जो टाइम-लिमिट बता रहे हैं वह मुझे पता है। सन् 1937 के आते-आते वह स्थिति बनी कि इस देश के अल्पसंख्यकों के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद जोकि उनके स्वाभाविक उदारवादी नेता होने चाहिए थे, उनकी जगह पर मौहम्मद अली जिन्ना, इस देश के कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने नेता लगने लगे। तब विभाजन की स्थिति आई। विभाजन की स्थिति आते-आते बंदे-मातरम पर समझौता होने की स्थिति आ गयी तथा और भी कई बातों पर समझौता होने की स्थिति आती गयी। लेकिन जब देश आजाद हुआ और जो मुसलमान इस देश में रह गये, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भारत-माता को अपनी माता मानते हैं और हमें पाकिस्तान की बजाए अपनी भारत-माता की गोदी ज्यादा प्यारी है। इसलिए 1947 के बाद जो मुस्लिम समुदाय यहां पर रह गया, अपनी माता की गोदी का भरोसा करके यहां पर रह गया, उसकी देशभक्ति पर किसी को शंका करने का अधिकार नहीं है। जितना भारत माता की गोदी का अधिकार मेरा है, उतना ही अधिकार उस मुस्लिम का है जो 1947 के बाद मुसलमानों का भरोसा करने की बजाय अपने हिन्दू पड़ोसी पर भरोसा करके भारतमाता की गोदी में रह गया। उसकी देशभक्ति पर शंका करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद जो घटनाचक्र बना और ब्रिटिश लोगों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाई, वह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में बदल गई। जिस तरह मुस्लिम समुदाय को डरा-धमकाकर वोट बैंक की पालिसी कांग्रेस ने बनाई...*(व्यवधान)* कांग्रेस का चरित्र समय-समय पर इस तुष्टीकरण की नीति को रिफ्लैक्ट करता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगी कि 1987-88 में जब शाह बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उस समय मुस्लिम महिला विधेयक लाने का काम किस ने किया। उस समय एक कांग्रेस के नेता, जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने इस बिल का विरोध किया। परिणामस्वरूप उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद एक और नेता जो बाद में प्रधानमंत्री हुये, ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। उस समय उदारवादी मुसलमान नेताओं ने इसका विरोध किया। उसे खुले आम कहा गया कि तुम होटल के अंदर रहो, बाहर न निकलो, नहीं तो अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिलेंगे। इसके बाद अन्य नेताओं को बुलाकर कहा गया कि मान जाओ। इस प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहा। अभी मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि हमारे अलाइज हमारी कृपा पर निर्भर हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि 1989 में वे हमारी कृपा पर थे और जो चुनाव हुये, उसमें हमारे समर्थन से जीते। हमारे सामने जो लाल कलर वाले लोग बैठे हुये हैं, उन्हें भी याद होगा कि तब लाल कलर और भगवा कलर एक साथ चुनाव लड़े थे, सब ने मिलकर 1989 में चुनाव में पार्टिसिपेट किया था।

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने उस समय विधान सभा में कहा था कि यह समझौता नहीं हुआ है। ऐसी गलत बात न करें।

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग यहां बड़े-बड़े भाषण कर रहे हैं, ये वही लोग थे जो 1989 में हमारे साथ चुनाव लड़े थे और हमारी कृपा श्री मुलायम सिंह पर थी। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके हमारे एलाइज का अपमान मत करें। मैं निवेदन करूंगी कि हम इस सब की तह में जायें, जड़ में जायें। इस वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति पाने का संकल्प सभी राजनैतिक दलों को करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने यह पाप किया है, यह उसी का परिणाम निकला है। इसलिये दंगों को इस प्रकार से इंटरनैशनल लैवल पर हाईलाइट करना कि

संघ इसके लिये दोषी है, बी.जे.पी. दोषी है या नरेन्द्र मोदी दोषी है, ठीक नहीं। यहां निन्दा तो इस बात की होनी चाहिये कि वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिये। इस बात की निन्दा होनी चाहिये कि जो वोट की राजनीति करते आये हैं, वे इस स्थिति को यहां तक ले आये हैं। जबकि सारा संसार जानता है कि भारत में सर्व धर्म समभाव की नीति चलती आयी है। भारत ही ऐसा देश है जो इस सिद्धान्त में आस्था रखता है। सवेरे और शाम तक हम सुख-शान्ति की कामना करते हैं। आज वोट बैंक की राजनीति निर्मित की गई है। मैं निवेदन करती हूं कि जब हम हत्याओं को गिनते हैं, तो इस बात को तय कर लें कि इसकी जड़ में कौन पार्टी है और तत्काल समस्या का निराकरण हो। आरोप-प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राहम स्टेन की हत्या हुई और दारा सिंह को उसका दोषी पाया गया। उसे आर.एस.एस., बजरंग दल और बी.जे.पी. का आदमी कहा गया लेकिन वह उसमें से किसी एक पार्टी का नहीं निकला। झाबुआ में इसाइयों पर दुराचार किया गया, उनकी हत्या की गई। उसमें आधे लोग क्रिश्चियन और आधे लोग कांग्रेसी निकले जो दोषी थे। जब गुजरात में डांग जिले में घटना हुई तो सारे देश में हंगामा किया गया। केरल और कर्नाटक के एक इस्लामी संगठन के लोग इस घटना के लिये पकड़े गये। उनके पम्फलैट पकड़े गये और यह साबित हो गया कि यह सब आई.एस.आई. के इशारे पर हो रहा था।

उपाध्यक्ष जी, जब इस प्रकार की कोई घटना घटती है बजाय इसका राजनैतिक लाभ उठाने के हम उस बात की तह में जाना चाहिये और आज गुजरात में हुई घटना पर चर्चा करते हुये यह संकल्प लेना चाहिये। उसका निराकरण किया जाए और उसके लिए जो भी दोषी हों, सब मिलकर उसकी निन्दा करें। मैं एक निवेदन और करके अपनी बात खत्म करूंगी।

महोदय, आपने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया है, उस प्रस्ताव में देश के अन्य राज्यों और जगहों की स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाए। मेरा निवेदन है कि हम लोग थोड़ा पीछे जाकर देखें। 1984 में जिस प्रकार से बेकसूर हजारों सिखों की कांग्रेस के अनसोशल एलीमैन्ट्स ने घरों से निकलकर हत्याएं की थी, उनकी भी निन्दा यहां होनी चाहिए। उस जैनोसाइड को भी स्वीकर करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उस समय प्रधान मंत्री जी के घर में बैठी हुई थीं, अगर वह चाहती तो इसे रोक सकती थीं। उस मामले में अगर देश से बाहर किसी कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात हो तो उसके लिए कौन लोग दोषी थे, यह पूरी तरह से सामने आना चाहिए। उस समय कितने घंटे के अंदर मिलिट्री बुलाई गई थी, उस समय पुलिस फायरिंग में कितने लोग मरे थे, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुखातिब करके एक शेर कहूंगी;

इनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी,

अब पारसा बन रहे हैं ऐसे, जैसे गंगा नहाये हुए हों।

आज यहां वोट बैंक की राजनीति की निन्दा होनी चाहिए। नरेन्द्र मोदी को हटाना इसका समाधान नहीं है, गुजरात की सरकार की निन्दा करना इसका समाधान नहीं है, इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना इसका समाधान नहीं है, बल्कि वोट बैंक की राजनीति, सत्तालोलुपता से कैसे बचा जाए, कुर्सी के लालच में, जो डिवीजन हिन्दू और मुसलमान के बीच में किया जाता है, हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस के नेता जिसकी अगुवाई करते हैं, उससे कैसे बचा जाए। उसके लिए हर राजनीतिक दल यह संकल्प ले कि जो उदारवादी मुस्लिम नेता हैं, जो उदारवादी मुस्लिम हैं, उनके हाथ में मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व दिया जाए। उनकी अगुवाई उन लोगों के हाथ में दी जाए, न कि कट्टरपंथियों को दी जाए। जो भूल सौ साल से होती रही है, जो भूल 1920 से होती रही है, मैं आज इस सदन में भाजपा की एक कार्यकर्त्ता की हैसियत से नहीं बल्कि एक संत की हैसियत से प्रस्ताव करती हूं कि जो भूल 1920 से लेकर आज तक हुई है, उस भूल का निराकरण यही है कि वोट बैंक की राजनीति की निन्दा करते हुए उदारवादी नेतृत्व को अल्पसंख्यक समुदाय की अगुवाई करने के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन और हर प्रकार का संरक्षण दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ धर्मान्तरण के लिए जिस प्रकार के छल-कपट के आयोजन किये जाते हैं, यहां उनकी घोर निन्दा की जाए, क्योंकि वे भी साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का एक कारण बनते हैं। मैं यहां एक बात कहूंगी कि पश्चिम बंगाल के लोग गांधी जी को मानते हैं, स्वामी विवेकानन्द जी को मानते हैं, लेकिन अगर मैं स्वामी विवेकानन्द जी की एक उक्ति कहूंगी तो ये लोग एकदम हल्ला कर देंगे। स्वामी विवेकानन्द ने अपने हाथ से रामकृष्ण मिशन का संविधान लिखा है। चूंकि वह संविधान यहां मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन देती हूं कि तीन दिन के अंदर मैं वह संविधान सदन के पटल पर रखूंगी और अगर वह गलत निकला तो जो सजा आप मुझे देंगे वह मैं स्वीकार करूंगी। स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन के संविधान को अपने हाथ से लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिन्दुस्तान में जब एक व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो वह धर्म नहीं बदलता है, बल्कि देश का एक दुश्मन तैयार हो जाता है। इसलिए छल-कपट के द्वारा किये जाने वाले धर्मान्तरण के ऊपर रोक लगे। वोट बैंक की राजनीति की यहां निन्दा हो। उदारवादी मुस्लिम नेतृत्व को राजनीतिक दल हर तरह से प्रोत्साहन दें। इसी तरह से यदि कोई

[कुमारी उमा भारती]

स्वेच्छा से धर्म बदले तो बदल ले, लेकिन छल-कपट के द्वारा रोटी और नौकरी के लालच में जो धर्मान्तरण होते हैं, उनकी यहां निन्दा हो और उनकी रोकथाम हो। आप लोगों ने मुस्लिम नेतृत्व को ऐसा बनाकर रखा है, जैसे सर्कस में जो शेर रखते हैं, उसे इतना खिलाते हैं कि वह मर ना जाए। लेकिन इतना नहीं खिलाते कि वह झपट पड़े। उसे चाबुक के इशारे पर उठाते-बैठाते रहते हैं। आपने इनकी यही हालत कर दी। यहां बैठा है 32 साल की उम्र का हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं और कहना चाहती हूं कि असली समस्या की जड़ में जाया जाए और उसका निदान करने का संकल्प हम सभी लें। गुजरात की सरकार अर्थक्वेक को फेस कर रही थी, अब वह दंगे को फेस कर रही है। गुजरात सरकार ने बहुत एक्सीलैन्ट काम किया है। जिस प्रकार से तमाम जगहों पर उन्होंने कार्रवाई की उसकी यहां प्रशंसा करनी चाहिए और इस अवसर का लाभ उठाकर समस्या की जड़ का निदान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संस्कृत की दो पंक्तियों की प्रार्थना बोलते हुए अपनी बात खत्म करती हूं।

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भाग्भवेत,

सभी को सुख मिले, सभी आनन्दमय रहें, सभी को शांति मिले, सभी को संरक्षण मिले, सभी को न्याय मिले।

अपराह्न 2.00 बजे

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 184 के अधीन इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

गुजरात की यह त्रासदी एक राष्ट्रीय त्रासदी है। यह हमारे सामूहिक विवेक के लिए चुनौती है। इन सब घटनाओं से दिल्ली और गांधीनगर में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की संविधान की मूल भावना के प्रति प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान लगता है। इससे हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। हम इस पर चर्चा करना चाहते थे क्योंकि नैतिक महत्व का यह मुद्दा हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का है।...*(व्यवधान)* धर्मनिरपेक्षता, जो भारतीय राष्ट्रवाद का आधार स्तम्भ है, खतरे में है? भारत की साझी परंम्परा खतरे में है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हम सभी के लिए यह एक निर्णायक घड़ी है।

महोदय, गुजरात जल रहा है और वहां रक्तपात अब भी जारी है। किए जा रहे दावों के बावजूद वहां अभी भी हिंसा का तांडव बेरोकटोक जारी है। राज्य में शासन पूरी तरह असफल सिद्ध हुआ है। अनेक नागरिक समूहों, नागरिक संगठनों और सच्चाई का पता लगाने वाली टीमों के साथ-साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे सांविधिक निकायों ने राज्य सरकार के कार्यकरण की तीखी आलोचना की है। दोनों आयोगों का यह निष्कर्ष है कि राज्य सरकार न सिर्फ अक्षम थी बल्कि इस सब के पीछे इसकी सोची-समझी मौन सहमति थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सी बी आई से छानबीन की सिफारिश की है। अल्पसंख्यक आयोग ने उच्चतम न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश से जांच कराने की सिफारिश की है। इन दोनों सिफारिशों को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा एकदम खारिज कर दिया गया है इसकी बजाय मुख्य मंत्री एक पंसदीदा रिटायर्ड न्यायाधीश से जांच कराकर राज्य में हुए मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की जांच में रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी संवैधानिक मानदंडों के खुले उल्लंघन ने ही हमें मुख्य मंत्री को हटाने की मांग की सिफारिश के लिए प्रेरित किया और इस मांग का न सिर्फ यहां प्रतिपक्ष में हम सभी द्वारा समर्थन किया गया बल्कि स्वयं राजग के कुछ सहयोगी दलों के साथ-साथ उनका समर्थन करने वाले बड़े तबके ने भी इसका समर्थन किया है। शायद उनमें से कुछ को अब तक भाजपा नेतृत्व द्वारा पहने गए मुखौटे ने गुमराह किया हुआ था। ऐसा लगता है कि उनमें कुछ को अचानक सच्चाई का पता लगा है।

महोदय, सभी समुदायों के आम नागरिक भय, आतंक और असुरक्षा में जी रहे हैं। व्यवसाय और व्यापार रुक सा गया है। असंगठित क्षेत्र जो भारी संख्या में रोजगार मुहैया कराता है, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नागरिक और पुलिस प्रशासन से विश्वास पूर्णतः उठ चुका है। अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा में लगे शिविरों का महिला प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मुझसे मिला था मुझे विश्वास है कि वे राष्ट्रपति के साथ-साथ प्रतिपक्ष के हमारे सहयोगियों से भी मिले होंगे।

उन्होंने मुझे शिविरों की शोचनीय स्थिति, लगातार उपेक्षा और सभी प्रकार के भय के साथ-साथ शिविर में अपने कड़वे अनुभव जिससे वे गुजरे, से भी अवगत कराया। सच्चाई का पता लगाने वाली छह सदस्यीय महिला टीम जो गुजरात गई थी, ने हम में से कई लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बड़े पैमाने पर बलात्कार और छेड़छाड़ के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गई। बलात्कार के बाद अनेक भुक्तभोगियों को या तो मार दिया गया या जला दिया गया। एक भुक्तभोगी माता मेदिना मुस्तफा के शब्दों से ज्यादा हृदयविदारक कुछ भी नहीं हो सकता जिसके सामने उसकी पुत्री का बलात्कार करके उसके अंग काट दिये गये

हों, मैं 18 अप्रैल के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' को उद्धृत करती हूं जिसमें उस मां ने अपने अनुभव को दोहराया है:-

''3 मार्च, रविवार की दोपहर बाद हम जिस झोपड़ी में रह रहे थे उस पर हमला हुआ। हम विभिन्न दिशाओं में भागे और खेत में छिप गए। लेकिन भीड़ ने हम में से कुछ लोगों को देख लिया।''

यहां मां कहती है:

''जब उन पर हमला हुआ तो मैंने दया के लिए अपने परिवार को चिल्लाते हुए सुना। मैंने अपने गांव के दो लोगों गानो बरिया और सुनील को पहचाना जो मेरी पुत्री शबाना को खींच रहे थे। वह लोगों से छुटकारा पाने के लिए चिल्लाई अपनी इज्जत की भीख के लिए रूकैया, सुहाना और शबाना की चीख और चिल्लाहट को आसानी से सुना जा सकता था। मेरा दिमाग भय और उत्तेजना से थरथरा रहा था। मैंने अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न होते देखा और उसकी कुछ भी सहायता न कर सकी और उसकी उत्पीड़न से मौत हो गई।

मेरी बेटी फूल जैसी थी जिसे जीवन के अनुभव सीखने थे, उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? यह कैसे लोग हैं? राक्षसों ने मेरी प्रिय बेटी के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। कुछ समय बाद भीड़ कह रही थी ''इनके टुकड़े-टुकड़े कर दो सबूत नहीं छोड़ो। मैंने आग लगाते देखा।''...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन में अखबार नहीं पढ़ सकती हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वे एक समाचार पत्र से उद्धृत कर रही हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी: आज के दिन तक मुझे यह बताया गया कि बलात्कार की एक शिकायत पर गुजरात में मात्र एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है...*(व्यवधान)* यहां हमारे पास एक सुविख्यात दैनिक 19 अप्रैल, के ''दी टाइम्स आफ इंडिया'' में प्रकाशित दूसरी खबर है। इस समाचार पत्र में हमारे पास एक ऐसी बहादुर और साहसी महिला की कहानी है जिसके कार्यों ने सभी आदर्श मूल्यों को चरितार्थ किया है, कम से कम वे उन मूल्यों को याद तो रखते हैं। यह गीताबेन की कहानी है जिन्हें उनके मुस्लिम मित्र की जान बचाने के लिए 25 मार्च को अहमदाबाद में संघ परिवार द्वारा उत्तेजित भीड़ द्वारा बेदर्दी से मार डाला गया। उनकी मौत विभाजन और पृथकतावाद को एक संदेश दे गई।

गुजरात का दर्द कब तक चलेगा? गुजरात के लोग शांति की वापसी चाहते हैं। वे सौहार्द और मेल-मिलाप की वापसी चाहते हैं जैसाकि हम सभी जानते हैं कि गुजरात विभिन्न धर्मों के मेलमिलाप से बना समाज है। गुजरात ने महान समाज सुधारकों और राजनेताओं को जन्म दिया है, हम यह कैसे भूल सकते हैं कि गुजरात महात्मा गांधी की भूमि है। गुजरात भारत के सर्वाधिक प्रगतिशील और उन्नत विचार वाले सामाजिक तबकों को सामने लाया है। गुजरात में लम्बे समय तक भारत के विभिन्न प्रदेशों को रास्ता दिखाया है हम चाहते हैं कि उस शानदार सामंजस्य, गरिमामय गुजरात की वापसी हो। हम गुजरात को पुन: गरिमा-गौरव के साथ और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। लेकिन गत दो महीनों की दु:खद घटनाओं ने इस पर एक काली लम्बी छाया डाल दी है।

दिल्ली में बैठी केन्द्र सरकार मूकदर्शक बनी रही जबकि एक खुले रूप से पक्षपात करने वाले मुख्य मंत्री ने गुजरात के धवल नाम पर धब्बा लगा दिया। यहां तक कि साबरमती आश्रम की पवित्र धरती को भी नहीं छोड़ा गया। एक शांतिपूर्ण बैठक में संघ परिवार के कार्यकर्त्ताओं और कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा विघ्न डाला गया। संवददाताओं पर भी घातक हमले किये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, साबरमती आश्रम में इस घटना पर पूरे सभा की ओर से दुख और क्षोभ व्यक्त करते हुए आपने जो टिप्पणी की है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। राज्य सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों का ठोस प्रमाण ऐसे पुलिस और सिविल एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण के रूप में सामने आये है जिन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन विशिष्ट और निष्पक्ष रूप से करने का प्रयास किया।

ऐसे समय में जब सरकार को कानून और व्यवस्था तथा राहत और पुनर्वास पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए था तो हमने सुना कि केन्द्र और राज्य सरकार ने विधान सभा भंग करने और चुनाव कराने की धमकी दी है। यह धमकी हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान का अपमान है जब लोग मारे जा रहे हैं तो ऐसे समय में यह एक सनक भरा कदम है। भाजपा क्षण भर के लिए यह नहीं समझ ले कि हम चुनाव से भयभीत हैं। हम भयभीत नहीं हैं? जब भी चुनाव होगा हम उसका मुकाबला ईमानदारी और विश्वास से करेंगे। और हमें विश्वास है कि गुजरात के लोग ऐसे लोगों को करारा जवाब देंगे जो हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

[श्रीमती सोनिया गांधी]

महोदय, प्रधान मंत्री के बदलते वक्तव्यों ने हम सभी को अचंभित कर दिया है। एक दिन वह सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अगले दिन वे पूरे समुदाय की निन्दा करते हैं। एक दिन यह सहिष्णुता की वकालत करते हैं, अगले दिन वे फूट डालने वाली प्रतिकूल बात करते हैं। जब प्रधान मंत्री स्वयं ऐसे दोहरे वक्तव्य दे रहे हों तो राष्ट्र इस सरकार से क्या उम्मीद रख सकता है। गुजरात के शाह-ए-आलम शिविर में प्रधानमंत्री ने कहा कि "मेरा मुख्य मंत्री के लिए एक मात्र संदेश यह है कि वह राजधर्म का पालन करे।" इस शब्द का बहुत गम्भीर अर्थ है। किसी शासक को धर्म अथवा समुदाय के आधार पर अपने लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया शब्द हैं। प्रधान मंत्री के इन शब्दों से शायद हिंसा के भुक्तभोगी पुनः आश्वस्त महसूस कर सकते हैं।

लेकिन मात्र कुछ दिन के बाद गोवा में प्रधानमंत्री ने कहा कि-

[हिन्दी]

> "जहां-जहां मुसलमान हैं, वे मिलकर नहीं रहना चाहते, उनके साथ घुलना-मिलना नहीं चाहते और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रचार करने के बजाय आतंक से, भय से और डरा-धमका कर अपने मत का प्रचार करना चाहते हैं"

[अनुवाद]

इन शब्दों के साथ कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है?

महोदय, हमें अपने आपको भाग्यशाली समझना चाहिए कि हाल के सप्ताह में दंगे सिर्फ गुजरात तक सीमित रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारी संख्या में लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और यह इसलिए है कि अधिकांश लोग घृणा और साम्प्रदायिक विभाजन की राजनीति को अस्वीकार करते हैं।

महोदय, मैं समझती हूं कि अब आगे की ओर देखने का समय है। अब गुजरात के पुनर्निर्माण, इसकी सहिष्णुता और सामंजस्य को पुनः कायम करने का समय है।

गुजरात में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाल के सप्ताहों में मानवीय मूल्यों को बनाए रखा है। जब वास्तव में सरकार नाम की चीज नहीं रही तो इन लोगों ने राहत की व्यवस्था की और भुक्तभोगियों को सहायता दी। इससे हमें आशा की एक बड़ी किरण दिखाई दी। गुजरात में नागरिक समाज को बढ़ावा मिलना चहिए और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपने प्रयास में उन्हें सहायता दी जानी चाहिए।

गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक तथा सामाजिक कार्य दल, नारी संगठनों और गांधीवादी संगठनों को गुजरात में सौहार्द कायम करने के कार्य में व्यवस्थित ढंग से लगाया जाना चाहिए। बेशक इसके लिए सरकार की सहायता की भी आवश्यकता है।

पिछले वर्ष जब गुजरात में एक दूसरे तरह की त्रासदी हुई थी तो पूरे राष्ट्र ने इसमें उदारता से सहयोग दिया। सचमुच यह सहायता न सिर्फ पूरे राष्ट्र से आई बल्कि पूरे विश्व से आई। इस समय भी मुझे विश्वास है कि हम सभी के लिए अभी इस कार्य में देर नहीं हुई है। हम सब पीड़ितों के लिए राहत जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय प्रयास कर सकते हैं।

गुजरात में जो कुछ घटित हुआ, कराया गया उसे राष्ट्र भूल नहीं सकता। अब हम कम से कम यह सुनिश्चित करें कि जो विध्वंस हमें लील गया वह न तो गुजरात में न ही पूरे देश में कहीं भी घटित हो।

हमें गुजरात की इस समुदाय अथवा उस समुदाय, उस धर्म अथवा इस धर्म के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमें गोधरा में हुए नरसंहार, अहमदाबाद, वडोदरा, साबरकांठा, मेहसाणा, राजकोट एवं राज्य के अन्य हिस्सों में हुए नरसंहार को मानव स्वतंत्रता पर हुए हमले, मौलिक मानवीय मूल्यों पर हुए हमले, हमारी संस्कृति के सत्व के विनाश और हमारी सभ्यता के चरित्र की अस्वीकृति के रूप में देखना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस प्रचार को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करें कि गोधरा की बर्बर घटना की भर्त्सना समय पर नहीं की गई थी। श्री मुलायम सिंह यादव ने भी इसी मुद्दे का संदर्भ दिया था। मैं भयावह गोधरा कांड की भर्त्सना करने वाली पहली व्यक्ति थी वह भी उसी दिन 27 की शाम को जिस दिन यह घटित हुआ था। झूठ को दोहराने की यह तकनीक एक सोची-समझी तकनीक है ताकि यह आर.एस.एस. की प्रिय रणनीति के रूप में सच्चाई बन कर चल जाए जो जर्मनी के निंदनीय समय की याद दिलाता है। मुझे यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में टिप्पणी की है कि:

> "यदि संसद ने गोधरा नरसंहार की भर्त्सना की होती तो गुजरात की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता था।"

अब मुझे आश्चर्य होता है कि देश के नेता के रूप में सदन के नेता के रूप में इस मामले पर पहल करने से प्रधानमंत्री को किसने रोका। यह खेदजनक है कि प्रधानमंत्री अपनी इस असफलता को संसद की लापरवाही के रूप में प्रस्तुत करें।

पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल हुई है। हमें कभी भी ऐसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था। परन्तु हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ एवं लचीला है। हमारी संस्थाएं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारा मीडिया सतर्क है। मुझे विश्वास है कि सभी व्यक्तियों एवं समुदायों के मूलभूत मानवाधिकारों को उन सभी प्रकार के प्रहारों से बचाव किया जाएगा जैसाकि हमने गुजरात में देखा। हमें ध्रुवीकरण से सामंजस्यीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। हमें असहमति से वार्ता की ओर बढ़ना होगा। हमें अपने विगत काल के कट्टरपन वाली सरकार से अलग होकर अपने संयुक्त भविष्य को महसूस करना होगा।

महोदय, राज्य सरकार ने गुजरात के लोगों के साथ धोखा किया है। केन्द्र सरकार ने भारत की जनता को असफल बनाया है। राज्य सरकार ने दिल्ली में बैठे हुए अपने संरक्षकों के उकसावे एवं उनकी सहायता से गुजरात की सामाजिक संरचना को नष्ट किया है। इसने गुजरात की आत्मा को गंभीर रूप से घायल किया है।

आज, हम उनकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा करके, हम अपने संस्थापक राष्ट्र पिताओं के आदर्शों को बनाए रख सकते हैं। ऐसा करते हुए, हम अपनी धर्मनिरपेक्ष विरासत को अक्षुण्णता रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ऐसा करते हुए हम संविधान का उपहास करने वालों एवं हमारे उद्धृत मूल्यों जो हमें प्रिय हैं को अपमानित करने वाले लोगों का मुकाबला और उनका सामना करने के हमारे निश्चय को अभिव्यक्त करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं उदात्त गुणों वाले प्रधान मंत्री से अपील करती हूं। मैं उनसे दलगत भावना से ऊपर उठने और धर्म और विश्वास से परे भारत की जनता के प्रति उनके उत्तरदायित्वों एवं दायित्वों के प्रति संपन्न होने की अपील करती हूं। अभी भी बहुत विलंब नहीं हुआ है। इस स्थिति से अभी भी मुक्ति पाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत गुजरात सरकार को, आंतरिक गड़बड़ी को नियंत्रित करने में असफल रहने और यह सुनिश्चित करने में असफल रहने पर कि सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है, नोटिस जारी करे दोषी को तत्काल गिरफ्तार करे, कानून-व्यवस्था को दृढ़ता से बहाल करे, यह सुनिश्चित करे कि राहत एवं पुनर्वास उपाय बिना किसी विलंब के सभी पीड़ित परिवारों तक पहुंचे। अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों को पूरा करने में असफल रहने वाले मुख्य मंत्री को हटाएं, अगले तीन माह के अन्दर समस्त सच्चाई का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करें और राष्ट्रीय मानवाधकार आयोग की सभी सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित करें। जब तक ये कदम उठाए नहीं जाते, हम संसद के माध्यम से और जो कुछ हमारे वश में है उसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भी भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकारों के कपटपूर्ण एजेन्डे को मजबूती से सामने लाते रहेंगे और यह भी प्रकट करते रहेंगे कि ऐसे एजेन्डे से देश के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

आज, इस सदन में, हम गुजरात की जनता को संदेश भेजते हैं। राष्ट्र ने, गुजरात की जनता ने विगत में नेतृत्व के लिए आपकी ओर नजरें लगाई हुई हैं। एक बार पुन: हमें रास्ता दिखाइए ताकि एक बार फिर हम अपने मस्तक को ऊंचा रख सकें तथा अनेकता का सम्मान करने वाले और उसका उत्सव मनाने वाले प्रकाश-स्तम्भ होने के अपने स्वाभाविक दावे को पुन:स्थापित कर सकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं माननीय सदस्या का भाषण सुन रहा था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले बोला, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं भारत की संसद में बैठा हूं कि इस प्रकार का विष यहां उड़ेला गया।

स्वाभाविक रूप से कोई भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का पाखंड अंतिम रूप से त्याग दिया है। मैं इस महान सभा के दुरूपयोग का अवश्वय विरोध करूंगा जहां भारत की संसद बैठती है और हिन्दुत्व ब्रिगेड की सच्ची मंशाओं के घृणित रहस्योद्घाटन, जिसे हमने पाया है, स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि इस सरकार की वास्तविक कार्यसूची क्या है। मैं इस सभा के सभी पक्षों से अपील करता हूं। क्या इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना चाहिए? हो सकता है, सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में अस्थायी बहुमत हो। मुझे उम्मीद है कि कुछ सहयोगी अब इस बारे में सोचेंगे। आप चाहें या ना चाहें, आपको इतिहास को जवाब देना होगा।

मैं अपनी बात श्री राम विलास पासवान जी को अवसरवादी तत्वों के इस अनूठे गठजोड़ के साथ अपने संबंध तोड़ने के लिए शुभकामना देते हुए आरंभ करना चाहता था। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मौलिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। मैं हमारे संविधान की सच्ची भावना के अनुरूप देश की सेवा में उनकी लंबी पारी की कामना करता हूं।

महोदय, कल हमने सुना और दूरदर्शन पर भी देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने आज के प्रस्ताव को गिराने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता की थी। निश्चित रूप से वे अपने उन सभी अनुयायियों एवं साथियों के साथ पूरी दृढ़ता से वहां मौजूद थे, जो सभा में बने रहना चाहते हैं क्योंकि यही उनका एकमात्र संयोजक बल है। विचारधारा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है जैसा कि हमारे सम्मानित गृह मंत्री

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

ने खुले रूप से अस्वीकार कर दिया है। किसी उचित कार्यक्रम और जवाबदेही का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु जैसा कि विपक्ष की माननीय नेता ने उल्लेख किया है, हमारे प्रधानमंत्री को यह रणनीति तैयार करने का कभी भी समय नहीं मिला कि गुजरात के लोगों को कैसे बचाया जाए। उन्हें इस सभा में आने के लिए एक मिनट भी नहीं मिला अथवा सभी दलों को इस बात पर विचार करने के लिए नहीं बुलाया कि नरसंहार को कैसे रोका जाए, इन असहाय पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास कैसे किया जाए, जो कि सर्वाधिक घृणित अपराध के शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री जी तब कहां थे? वह छह दिन तक मौज कर रहे थे जब यह सभा कार्य नहीं कर सकी थी कि इस पर चर्चा नियम 184 के अंतर्गत की जाए अथा 193 के अंतर्गत। सदन के नेता तब वहां थे? क्या कभी उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वसम्मति तैयार करने का प्रयास किया? माननीय कैबिनेट मंत्री-जिनका चयन किया गया है-उनका चयन कैसे किया गया है, इसे हम उस भाषण से समझ सकते हैं- जो उन्होंने दिया है, हम जानते हैं कि वक्ता के इस चयन के वास्तविक कारण क्या हैं। अब युद्ध छिड़ गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एवं भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी पाखंड का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को लगभग द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में वर्णन किया है। वे यह आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका नेता किसे होना चाहिए। यह एक विचित्र धृष्टता है। वह इसलिए कि आपने एक बहुरंगी संयोजन तैयार किया है, आप सत्ता में हैं, और जब कभी इस देश की जनता ने पूरे देश में नगर पालिकाओं से लेकर विधानसभाओं तक और संसद तक कोई अवसर पाया है, आप बुरी तरह पिटे हैं। लोगों ने आपके सिद्धांतों, आपकी नीतियों और कार्यक्रमों को अस्वीकार कर दिया है।

महोदय, आर्थिक मामलों में इस देश को कंगाल बना दिया गया है और इस सरकार ने इस देश के कुछ लोगों को अमानुष बना दिया है। जब हम यह पाते हैं कि भारत के प्रधान मंत्री के द्वारा ऐसे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को महत्वहीन बनाया जा रहा है तो हमें इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए और यह चेतावनी देनी चाहिए कि भारत की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आप उन्हें नरसंहार की भयावहता का शिकार बना रहे हैं, परन्तु अंतत: सच्चाई बहाल होगी और धर्मनिरपेक्षता बहाल होगी, इस देश में लोकतंत्र की भावना एवं लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता बहाल होगी।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। आज जो कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, इसका सीधा असर भारत की एकता और अखंडता के भविष्य पर और लोगों की प्रतिबद्धता कम से कम राजनीतिक दलों एवं उनके सदस्यों की प्रतिबद्धता पर सीधा असर पड़ेगा, कि भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की इन प्रमुख मौलिक विशेषताओं के प्रति उनका क्या रवैया है। इन दिनों, हमने काफी चर्चाएं की कि कितने संसद सदस्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन करेंगे। उनकी संख्या दी गई है। कोई आया है और कोई चला गया है। ऐसा हम देखते रहे हैं। रेलवे प्लेटफार्म की तरह लोग आ-जा रहे हैं। कुमारी उमा भारती ने 1999 के चुनावों का संदर्भ दिया जो कि कुमारी मायावती द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध दिए गए एक मत के कारण हुआ था, और अब आपने उनका चयन अपने सहयोगी के रूप में किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में। यह आपकी राजनीति है और यही उनकी राजनीति भी है। इसे मात्र संख्याओं का खेल नहीं समझा जाना चाहिए, इसमें और भी अधिक महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं।

अपराह्न 2.31 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए)

प्रश्न यह है कि क्या इस देश की निर्दोष जनता का नरसंहार सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि वे किसी धर्म विशेष के अनुयायी हैं, और क्या किसी धर्म विशेष का व्यक्ति साम्प्रदायिक दंगों के कारण मारा जाएगा। माननीय उमा भारती यह कहती रही हैं कि गुजरात का महान इतिहास दंगों का इतिहास है। 1410 ई. से ही वहां दंगे होते रहे हैं। वह दंगों की संख्या को इस तरह दोहरा रही थी मानों उसकी खुशी मनाई जानी चाहिए, जिसका पोषण किया जाना चाहिए और इससे बातों को समझ लिया जाएगा। जो भी असफलता रही हो, जो भी गुप्त समझौता रहा हो, जैसा भी षडयंत्र रहा हो, इसे गुजरात के पहले हुए दंगों से समझाया जा सकता है। यह सत्तारूढ़ गुट का रवैया है। प्रश्न संख्याओं का नहीं है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो सकता है, परन्तु राज्य-प्रायोजित नरसंहार के प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या अपराध करने वाले खुले आम घूमते रहेंगे, यह वह प्रश्न है जिस पर आज निर्णय लिया जाना है, क्या अल्पसंख्यक गरिमा, सुरक्षा के साथ रह सकते हैं, अथवा, उन्हें देश की बहुसंख्यक जनता की शुभकामनाओं पर निर्भर रहना होगा, जिस प्रकार की यहां रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अल्पसंख्यकों के कर्त्तव्यों के बारे में जिस तरह से व्याख्यान दिए जा रहे हैं वे आश्चर्यजनक हैं। किसने उन्हें यह अधिकार दिया है और किसने उन्हें हिन्दुओं की ओर से बोलने का अधिकार दिया है? किसने उन्हें मत दिया है? विश्व हिन्दू परिषद को हिन्दुओं की ओर से बोलने का अधिकार कहां से प्राप्त होता है? यह अधिकार आपके पास नहीं है। और इस तरह के व्याख्यान दिए जा रहे हैं।

अत: चर्चा पंथनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति राजनैतिक दलों और संसद सदस्यों की वचनबद्धता और समय आने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन शक्तियों के प्रयोग के

संबंध में केन्द्र सरकार की भूमिका के बारे में है। क्या हम अपने लोकतांत्रिक ढांचे और अपनी धर्मनिरपेक्षता को लूटमार करने वालों के हाथों में जाने दे सकते हैं। मैं पूरी विनम्रता से प्रत्येक राजनैतिक दल और प्रत्येक माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि कृपया भारत के भविष्य पर विचार करें, कृपया उन सभी निसहाय लोगों पर विचार करें, कृपया उन माताओं के बारे में विचार करें जिनके बच्चे उनके सामने ही मारे गए, कृपया उन छोटे बच्चों के बारे में सोचें जिन्होंने बिना किसी गलती के ही अपने माता-पिता खो दिए। लोग जिंदा जलाए गए और सत्ताधारी दल के अध्यक्ष की ओर से जिंदा शब्द की निंदा का एक शब्द भी नहीं आया। मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि हमारे देश की इस संकट की घड़ी में जब हम अपनी राय तथा मत देने का निर्णय करते हैं तो आओ हम स्वयं प्रायश्चित करें, आओ हम अपने अंत:करण से पूछें, कि क्या यह मानवता के लिए है अथवा मानवता के खिलाफ है। क्या यह देश को एक रखने के लिए है अथवा नहीं और क्या यह अल्पसंख्यकों, जिनके लिए भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है, की सुरक्षा के लिए है अथवा नहीं और इस सबके पश्चात् अपना निर्णय दें।

गुजरात राज्य दो माह से अधिक समय से जल रहा है।

जब मैंने नरसंहार शब्द का प्रयोग किया तो इस पर कुछ आपत्ति की गई। श्री नानाजी देशमुख ने कहा है गुजरात में यह सुनियोजित नरसंहार है। आप उनके पास जाएं और पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं वह भी बताऊंगा जो श्री शान्ता कुमार ने इसके बारे में कहा है, जो श्री मदन लाल खुराना ने इसके बारे में कहा है और जो श्री मुख्तार नकवी ने इसके बारे में कहा है। मैं उस पर आऊंगा।

अत: जब हम देखते हैं कि राज्य जल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है-भले ही उनका दोष हो या न हो, और उनकी निर्दोषता को पूरी तरह दोषी ठहराया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि सभा की परीक्षा ली जा रही है।

अपराह्न 2.36 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां गया था। मुझे उस प्रतिनिधिमंडल में गुजरात जाने का अवसर मिला था। जब हम इन घटनाओं के बारे में सुन रहे थे और जो मैंने अस्पतालों और कैंपों में देखा और जब पत्रकारों ने पूछा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि क्या हम एक सभ्य राष्ट्र हैं, क्या हम सभ्य राष्ट्र की भांति व्यवहार कर रहे हैं और क्या-क्या हुआ है। हम प्राचीन सभ्यता की शेखी बघारते हैं। वह ऐसा कर रही थी। हम धरोहर के बारे में बात करते हैं। हम वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष वाद को एक प्रमुख विशेषता के रूप में स्थापित किया गया है। सभी लोगों में समानता का अधिकार है भले ही उनका धर्म जाति और सम्प्रदाय कुछ भी हो। ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित हैं।

परन्तु आज हम क्या देखते हैं कि राजकाज चलाने वाले जो नाजीवाद तथा फासीवाद का गुणगान करते हैं, उसे एक आदर्श अवधारणा मानते हैं। आज बड़ी संख्या में लोग निसहाय होकर लोकतंत्र के कातिलों तथा हत्यारों के विधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान राम का नाम लेकर और धर्म के नाम पर जिस प्रकार अंगभंग, जिस प्रकार की क्रूरता बरती गई उससे हमारा एक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा कम हुई।

जब कुछ विदेशी राष्ट्रों, जो सभी मित्र देश हैं, ने अपने विचार रखे थे तो आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने अमानवीय कृत्यों का विरोध किया है। सरकार का कहना है- "उन्हें हमारे आंतरिक मामलों के बारे में चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है।" वास्तव में राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडली के रूप में किसी भी राष्ट्र को अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार है।

परन्तु निर्दोष लोगों की हत्याओं, महिलाओं के साथ बलात्कार लोगों को जिंदा जलाना, गर्भवती माताओं का पेट फाड़ना और अजन्मे शिशु की हत्या करना कब से किसी देश के आंतरिक मामले माने जाने लगे हैं। क्या इसको इस तरह माना जा सकता है। क्या हमने तालिबान की आलोचना नहीं की है और कि वे अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे? क्या हमने रंगभेद की आलोचना नहीं की थी? क्या हमने हिटलर और मुसोलिनी की आलोचना नहीं की? क्या हमने हाल ही में पूर्वी यूरोप में निर्दोषों की नृशंस हत्याओं पर टिप्पणी नहीं की थी? क्या हम फिलिस्तीन में जो कुछ किया जा रहा है, उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं?

जब विश्वमत इस पर टिप्पणी कर रहा है तो हमारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि यह इस देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। विश्व में हमारी आज यह छवि है। यूरोपीय संघ ने भारत सरकार के विरोध के बाद यह दोहराया है। उन्होंने अपनी राय तथा आपत्तियों को दोहराया है। एक डेमार्श जारी किया गया है। परन्तु न तो उनमें सदविवेक है और न ही उनके मस्तिष्क में देश की छवि ही है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय, सबसे अमानवीय और जघन्य अपराध किए गए हैं। क्या प्रधांन मंत्री द्वारा अथवा विपक्षी दलों में से किसी के द्वारा कोई उदाहरण दिखाया जा सकता है कि हमने गोधरा घटना की गम्भीरता कम करने का प्रयास किया है? हम बार-बार कह रहे हैं कि जानबूझकर झूठ- मैं झूठ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं को विपक्षी दलों की छवि बिगाड़ने के लिए दोहराया जाता है।

महोदय, 27 तारीख को मध्याह्न 12 बजे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो ने एक निंदात्मक वक्तव्य जारी किया था। विपक्ष के नेता ने सभा में यह बात कही थी। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए एक वक्तव्य जारी किया था। जब भी हमें पहला अवसर मिला है हमने इस सभा में भी ऐसा किया है। अट्ठाईस तारीख को बजट प्रस्तुत करने का दिन था और बजट प्रस्तुत करने के समय व्यवधान उत्पन्न न करने का अनुरोध किया गया था। अब, प्रतिदिन इसे घृणात्मक होने तक दोहराया जा रहा है। यह जानबूझकर दोहराया जा रहा है क्योंकि गोधरा की निंदा नहीं की गई इसलिए यह सब हुआ।

महोदय, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि एक चीज को दोहराते चले जाओ और अंततोगत्वा लोग इसे स्वीकार कर लेंगे। यही किया गया और यही किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सर, अभी सुना है कि नेशनल कांफ्रेंस के नेता माननीय उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया है।

कुमारी उमा भारती: आपकी नजर तो इन्हीं बातों पर रहती है। इसी के लिए आप यह चर्चा यहां पर लाए हैं ना।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: संभवत: इस पर मतदान होने तक वहां कोई नहीं होगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसका उल्लेख किया है क्योंकि यह वास्तव में गलत है कि हमने इसकी निंदा नहीं की थी। उन्होंने किस प्रकार की निंदा के बारे में सोचा था। हम क्या करेंगे। हम अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए अन्य लोगों को मारें क्या जैसा इन्होंने गुजरात के अन्य भागों में करने का प्रयास किया है। आर.एस.एस. के प्रचारक का दम भरने वाले मुख्य मंत्री द्वारा अंजाम दिये गये तथा राज्य-प्रायोजित नरसंहार के तथाकथित औचित्य का पता लगाने का प्रयास करना ही उनका उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह मानसिकता है कि इसे इसी प्रकार दोहराते रहो क्योंकि यह उनके एक बहुत पसंदीदा नेता का तरीका था।

महोदय, हम कहते हैं कि गोधरा की घटना निन्दनीय है। हमने बार-बार पूछा है वे उचित कदम क्यों नहीं उठाते और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले की जांच क्यों नहीं करता। गोधरा की घटना के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को दंडित किया जाए और उन्हें समुचित दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा है? किसने कहा है कि गोधरा की घटना की जांच नहीं होनी चाहिए? हमें एक नाम बताइये जिसने कहा है कि गोधरा पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्न उठे हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के बयान दिए गए थे। श्री मुलायम सिंह यादव ने कुछ बयानों का उल्लेख किया था परन्तु किसी ने भी निर्दोष नहीं ठहराया। यह पता लगाने के लिए कि वह सही हैं अथवा नहीं, वे उचित जांच, जो मुट्ठी भर व्यक्तियों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, के द्वारा इसका पता क्यों नहीं लगाते? उन्होंने 27 फरवरी से अब तक क्या किया है? कुमारी उमा भारती मंत्रिमंडल में हैं? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया।

महोदय, इसलिए गोधरा की घटना की दलील देकर, वे एक समुदाय के विनाश में लिप्त हो गए क्योंकि ये एक विशिष्ट धर्म को मानते हैं। हमने टेलीविजन पर देखा है, और यहां इस अवसर पर मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रानिक मीडिया दोनों को बधाई देता हूं।

उनके द्वारा सामना की जा रही इतनी बड़ी उत्तेजना और खतरे के बावजूद इन्होंने इस देश के लोगों को बताया कि वास्तविक स्थिति क्या थी। अन्यथा, हमें पता ही नहीं चल पाता। हमन देखा है कि कैसे उन्मत भीड़ अपने सिर पर पट्टियां बांधे हुए त्रिशूल और हथियार लेकर, उत्पात मचा रही थी। हमने टेलीविजन पर उनके द्वारा दिखाये जाने वाले भारी उल्लास, भारी संतोष और बड़ी खुशी को देखा है। वे क्रोधावेश में थे। जब पूरे राष्ट्र ने गोधरा घटना की निंदा की तो वह औचित्यूर्ण कैसे हो सकती हैं।

महोदय, मुख्य मंत्री ने सरकारी नीति के एक भाग के रूप में मुस्लिमों का विनाश करने के लिए प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति बनने की कुख्याति अर्जित की है। उन्हें शर्म महसूस नहीं होती कि उनके राज्य में आज भी एक लाख से अधिक लोग- कुछ दिन पहले तक 1,40,000 लोक राहत शिविरों में थे- दयनीय अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री दिलीप संघाणी: जम्मू और कश्मीर में उस तरह कितने लोग रह रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि आप पहले से मंत्री नहीं हैं तो आप जल्दी ही महा मंत्री बन जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वे पहले से मंत्री हैं या नहीं...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं पूछता हूं कि क्या उस राज्य के मुख्य मंत्री को शर्म नहीं आती कि उनके राज्य के 1,40,000 लोग शिविरों में दयनीय अवस्था में रह रहे हैं? वहां खाने, उपचार और न्यूनतम सफाई सुविधाएं भी नहीं हैं। ये कहते हैं कि शाह आलम शिविर में 600 लोगों को एक शौचालय का उपयोग करना होगा।

महोदय, यह दंगे दो माह से अधिक समय से चल रहे हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुहरावर्दी के शासन में 1946 में कलकत्ता की हत्याएं, जो भारतीय इतिहास में सबसे खराब दंगे बताये जाते थे, अधिकतम एक सप्ताह अथवा दस दिनों तक चले थे। अब, यह दो माह से अधिक समय से चल रहे हैं। संभवत: यदि इनका इस तरह वर्णन करूं तो यह बंटवारे के दंगों के बाद दूसरे नम्बर पर आते हैं। संभवत: इनके पश्चात् ये देश में सबसे बड़े दंगे हुए हैं। किसी को भी सदविवेक की आशंका नहीं है और कोई भी परेशान महसूस नहीं कर रहा है।

प्रधानमंत्री वहां पांच हफ्ते की प्रतीक्षा के बाद जाते हैं, एक-दो कैंपों में जाते हैं, मुख्यमंत्री के विरुद्ध कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की शिक्षा देते हैं, साथ ही उन्हें प्रमाणपत्र भी दे देते हैं कि वे राजधर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने केवल यही किया। उन्होंने कहा कि ''हां मैं राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी कर रहा हूं'' ढाई महीने क्या हुआ? इन कैंपों में वे कितनी बार गये? किसी अन्य दिन, श्री मुलायम सिंह और लोकमोर्चा के अन्य नेता वहां गये, कई अन्य पार्टियों के नेता वहां गये। इस देश की हालत क्या है?

क्या किया गया? विद्यार्थियों पर परीक्षाएं थोप दी गई। मुझे विभिन्न कैंपों से कुछ पत्र मिले, जिनमें लिखा था हम परीक्षा में कैसे बैठें? कृपया कुछ कीजिये, प्रधानमंत्री या गृहमंत्री से बात कीजिए। मैंने उन्हें पत्र लिखे। अनुरोध किया कि उनके पास किताबे नहीं हैं, वे पढ़ाई नहीं कर पाये। कृपया उन्हें कुछ समय दीजिए। वे भारत के नागरिक हैं उनके भी सपने हैं। इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री या गृहमंत्री से कोई जवाब नहीं मिला। अंतत: परीक्षायें आयोजित की गई, उनका बहिष्कार हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी उनमें शामिल नहीं हो पाये। क्या इसमें उनकी गलती है? एक या दो बच्चे जिन्होंने साहस दिखाया और हिन्दु बहुल या अन्य समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में गये, उनकी पिटाई की गई।

महोदय, इसीलिये हम सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं कि उसने अब हस्तक्षेप किया है। यदि परीक्षायें ठीक से हुई होती, तो आप उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं समझा पाये कि परीक्षायें ठीक से हुई हैं?

क्या हुआ? प्रधानमंत्री आज असली रूप में आ गये हैं। अब वह देश के नेता नहीं हैं। वे हिन्दू ब्रिगेड के नेता हैं और उस गुट के नेता हैं, जो देश में तबाही मचा रहा है।

मैं कुछ घटनाओं को पढ़ रहा हूं। मैं कई घटनाओं को इसलिये नहीं पढ़ रहा हूं कि क्योंकि वे इतनी हृदयविदारक हैं कि उन्हें पढ़ना कठिन है। गर्भवती महिला का पेट चीरने की एक कहानी है। इस जघन्य कार्य को करने वाले व्यक्ति का नाम और पता मेरे पास है। मुझे सिटिजनस इनिसिएटिव ग्रुप को बधाई देनी चाहिये। कई प्रतिष्ठित महिला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्त्ता वहां गये थे। उन्होंने इन साक्ष्यों को एकत्रित किया है। उन्होंने विशेष रूप से घटनाओं की तिथि उपलब्ध कराई है, समय उपलब्ध कराया है और इन लोगों के पते दिये हैं। इसमें कहा गया है:

> ''आप उस महिला के बारे में क्या कहेंगे जो आठ महीने की गर्भवती थी और अपने जीवन की भीख मांग रही थी। उसके हलमावरों ने उस पर दया दिखाने की बजाय उसका पेट फाड़ दिया, बच्चे को बाहर निकाला और उसकी आंखों के सामने ही बच्चे की हत्या कर दी। आप 19 लोगों के उस परिवार के बारे में क्या कहेंगे जिन्हें उनके घर में पानी भर कर और फिर पानी में उच्च क्षमता की बिजली छोड़कर मार डाला गया.....अहमदाबाद की सबसे अधिक प्रभावित बस्तियों में से एक नरोदा-पाटिया से बचकर भागते एक परिवार ने बताया कि उन्होंने परिवार की एक युवती और तीन महीने के बच्चे को इसलिये खो दिया क्योंकि पुलिस के एक सिपाही ने उसे 'सुरक्षित' इलाके की ओर जाने के लिये कहा जहां उसने स्वयं को भीड़ से घिरा पाया। भीड़ ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे और उसके बच्चे को जला दिया.....गुजरात में जो हुआ वह दंगा नहीं था, बल्कि आतंकवादी हमला था, व्यवस्थित और नियोजित तरीके से नरसंहार को अंजाम दिया गया''

महोदय, हर व्यक्ति ने गीताबेन की कहानी डर के साये में पढ़ी। मैं पढ़ कर सुनाता हूं:

> ''एस्फाल्ट की गरम और धूलभरी पट्टी पर गीताबेन नाम की औरत का नग्न शरीर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े बदन से उतार लिये गये थे और बगल में ही फेंके हुये थे। उसके अंतर्वस्त्र का एक भाग उसके शरीर से एक फुट दूर पड़ा हुआ था और दूसरा उसके बाये हाथ में मजबूती से जकड़ा

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

हुआ था। उसकी बायीं बाजू जख्मी थी। उसके धड़ पर गहरे घाव प्रतीत हो रहे थे और बायीं जांघ खून से सनी थी। वह एक छोटी पायल पहने थी। उसके निर्जीव शरीर के पास रखी उसकी प्लास्टिक की चप्पलें उदासी का आवाज दे रही थी तस्वीर के बीचोबीच नुकीला, लाल और घृणा का प्रतीक एक ईंट का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था, जिसका इस्तेमाल, शायद उसके एक हत्यारे ने अंतिम वार करने के लिए किया हो। गीताबेन को 25 मार्च के दिन अहमदाबाद में उसके घर के समीप वाले बस स्टाप पर दिन-दहाड़े मार डाला गया था। वह एक हिंदू थी, जिसने वर्तमान समय में गुजरात में शासन करने वाले हिन्दू अलगाववादियों की निगाह में एक मुस्लिम व्यक्ति से प्रेम करने का जघन्य अपराध किया था''

कोई इन बातों से इन्कार नहीं कर रहा है। महोदय, किस तरह जहर फैलाया गया? विश्व हिन्दू परिषद द्वारा जारी किया गया एक परिपत्र है, जिसमें कहा गया है:

''उठो! जागो! विचारो! कुछ करो!
देश बचाओ! धर्म बचाओ!

आर्थिक बहिष्कार एकमात्र हल है! राष्ट्रविरोधी तत्व हिन्दुओं से अर्जित धनराशि का उपयोग हमें तबाह करने के लिये करते हैं।

वे हथियार खरीदते हैं! हमारी बहुओं और बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। इन तत्वों की कमर तोड़ने का एक ही उपाय है: आर्थिक असहयोग आंदोलन।

आइये संकल्प करें:

1. अब से मैं मुस्लिम दुकानदार से कोई चीज नहीं खरीदूंगा।
2. ऐसे तत्वों को अपनी दुकान से मैं कोई चीज नहीं बेचूंगा।
3. इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के न तो होटलों में जाऊंगा और न ही उनके गैराज का प्रयोग करूंगा।
4. मैं अपना वाहन केवल हिन्दूओं की गैराज में ही दूंगा सुई से लेकर सोना तक मुस्लिमों द्वारा बनाई गई कोई चीज नहीं खरीदूंगा और न ही अपनी बनाई कोई चीज उन्हें बेचूंगा।''

''ऐसी फिल्मों का पूरी तरह बहिष्कार करो जिनमें मुस्लिम अभिनेता या अभिनेत्रियों ने अभिनय किया हो। ऐसे राष्ट्र द्रोहियों द्वारा बनाई फिल्में न देखिये। मुसलमानों के आफिसों में कभी काम मत करो। उन्हें काम मत दो। हमारे व्यापारिक परिसरों में उन्हें आफिस किराये पर मत दो और न अपनी आवास समितियों या कालोनियों में उन्हें घर बेचों या किराये पर दो। मैं केवल उसी को वोट दूंगा जो हिन्दूराष्ट्र की सुरक्षा करेगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारी बहनें या बेटियां स्कूलों, कालेजों या कार्यस्थलों में मुस्लिम लड़कों के साथ प्रेम में न पड़ें। मैं किसी मुस्लिम शिक्षक से शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं लूंगा।''

हिन्दूओं को ऐसे संकल्प लेने को कहा गया है ''ऐसे कठोर आर्थिक बहिष्कार से इन तत्वों की कमर टूट जायेगी। इससे उनकी जड़ों पर प्रहार होगा। तब उनका इस देश के किसी कोने में रहना मुश्किल हो जायेगा। मित्रो आज से ही आर्थिक बहिष्कार शुरू कीजिए। तब कोई मुस्लिम हमारे सामने सिर नहीं उठा पायेगा। क्या आपने हनुमानजी के बारे मे पढ़ा है। क्या आपने इस पर्चे को पढ़ा है? इसकी 10 फोटोप्रति कराइये और अपने भाइयों के बीच वितरित कीजिये। जो इसका पालन नहीं करते और फोटोप्रति वितरित नहीं करते, उन पर हनुमानजी का शाप लगेगा। श्री रामचन्द्र जी का शाप उन पर लगेगा। जय श्रीराम।''

इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। इस तरह के पर्चे बांटे जा रहे हैं। एक सभ्य देश को आप इस तरह चलाना चाहते हैं?

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): वे सभ्यता नहीं सैनिकीकरण चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह अमानवीय है। यह उकसाने का सबसे खराब तरीका है। बहुत से मामले हैं। मैं ऐसे हृदयविदारक ब्यौरों से बचना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा मैं कई संगठनों के सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने काफी खतरे लेकर राज्य और कैम्पों का दौरा किया और साक्ष्य एकत्र किये। केवल राजनीतिक नेताओं या कार्यकर्त्ताओं ने ही दौरा नहीं किया। वे कहेंगे कि 'यह राजनीति से प्रेरित है'। एच.डी.एफ.सी. के अध्यक्ष श्री दीपक पारेख ने क्या कहा? उन्होंने कहा ''सरकार किस लिये चुनी जाती है? यदि वे निर्दोष लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें सत्ता से चले जाना चाहिये। श्री राम नाइक। कम से कम वह तो साम्यवादी नहीं है। उन्हें कोई दोष नहीं देगा।

मुख्य प्रश्न यह उठता है कि मुख्यतया दोषी कौन है? आप जैसे भी देखें। इतने लंबे समय से चल रही घटनाओं के पीछे वास्तविक कर्त्ता धर्त्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक हैं, जो आज गद्दी पर हैं। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुये सबसे बड़े ध्रुवीकरण में उन्हें सफलता मिली। इसी कारण वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं। शिवसेना के

सांसद श्री प्रीतिश नंदी ने कहा: "नरेन्द्र मोदी अपराधी हैं।" श्री शांता कुमार ने कहा: 'शांति कायम करना और गुजरात के लोगों का विश्वास जीतना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये। इसके लिये लोगों को निजी बंधनों से उपर उठना होगा" और उन्होंने श्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा "यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो इस्तीफा दे देता।" पूर्व मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा: "जब गुजरात का एक महत्वपूर्ण तबके का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है तो उस विश्वास की पुनर्बहाली हेतु सभी संभव कदम उठाये जाने चाहिये" सुझाव नरेन्द्र मोदी का हटाया जाना है। नरेन्द्र मोदी के शपथ लेने के बाद राज्य के प्रभारी उपाध्यक्ष श्री मदन लाला खुराना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वे तब से गुजरात नहीं गये हैं। यहां तक कि मोदी विरोधी बिहार ब्रिगेड के केन्द्रीय मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन और राज्य सभा सांसद श्री शत्रुघन सिन्हा जो मोदी समर्थकों की निगरानी में थे यही भी कह रहे हैं।

मैंने पहले ही जिक्र किया है, नानाजी देशमुख ने कहा; "यह एक सुनियोजित नरसंहार है।" यहां तक श्री स्वपनदास गुप्ता, जिनकी सहानुभूति सर्वज्ञात है, ने इंडिया टुडे के हाल के अंक में लिखा हैं: अब भी मोदी अपनी स्थिति, रवैये को लेकर अड़े हुये हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उन्हें समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी राजग में वे गुजरात भाजपा के अविवादित नेता बनकर उभरे हैं" उन्होंने एक नया स्तर हासिल किया है। वह खुद को या उनके समर्थक उन्हें छोटे सरदार कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाग्य देखिये। प्रमुख हिन्दू नेताओं ने उनके कल्याण के लिये पूजा करवाई। उनके समर्थक हिन्दू एकजुटता के लिये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।

महोदय जिस तरह घटनाएं घटित हुई हैं, उससे हममें से कुछ लोगों को बहुत दुख होता है। कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य हो गई है। अभी-अभी कुमारी उमा भारती ने यह कहा है। हालांकि कुछ ही दिन पहले जब शांति मार्च हो रही थी तमाशा चल रहा था...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): क्या वह तमाशा था?

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन लोगों ने यह तमाशा ही किया था जिसमें आम जनता की कोई सहभागिता नहीं थी। सबने यह देखा है। समाचार पत्रों में खबर थी कि उस जुलूस में नागरिकों से अधिक पुलिस वाले थे...*(व्यवधान)* यह कहना कि हालात सामान्य हो गये हैं, कुछ और नहीं बल्कि लोगों को गलत जानकारी देना है।

गोधरा की निन्दनीय, आलोच्य घटना में मारे गये 58 लोगों समेत करीब तीन हजार लोग मारे गये, यदि यह आंकड़ा गलत हो तो, आप ठीक कीजिये। एक लाख तीस हजार लोग अब भी अस्थाई शिविरों में रह रहे हैं। गुजरात वाणिज्य मंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की क्षति का आकलन किया है। 15 हजार लोग घायल हुये, 5326 घर बर्बाद हुये; 1448 वाहन जला दिये गये...*(व्यवधान)*

यह उल्लेख किया गया है कि श्रीमती मेघा पाटकर के साथ कैसा व्यवहार किया गया, किस प्रकार उन पर आक्रमण किया गया और किस प्रकार श्रीमती मल्लिका साराभाई को धमकी दी गयी। वह इतनी असुरक्षित थीं कि उन्होंने यहां फोन किया। श्रीमती निर्मला देश पाण्डे ने मुझे बताया। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया। देर रात में उन्होंने इसका जवाब दिया, इसके लिए मैं उनको अवश्य धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भावनगर के मामले में भी ऐसा ही किया था। हमारे अनुरोध पर उन्होंने हस्तक्षेप किया और भावनगर को बचा लिया गया। मैंने उन्हें बताया कि श्रीमती निर्मला देशपाण्डे हमें अनुरोध कर रही हैं कि श्रीमती मल्लिका साराभाई को बचाने के लिए कुछ कीजिए क्योंकि वह असुरक्षित महसूस कर रही हैं उनकी कार क्षतिग्रस्त कर दी गई है।

यह कहा जाता है कि हम राजनीति से प्रेरित हैं। हमें वोट बैंक का स्मरण कराया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वोट बैंक क्या है? अन्य शिक्षाविद भी वहां गए हैं और इसमें गैर दलीय लोग भी शामिल हैं। विभिन्न व्यापार और व्यवसाओं के लोग जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है वे भी इसमें हैं। उन्होंने आकर क्या बताया है? हमें कम-से-कम एक बार शर्म महसूस होनी चाहिए। महिला रिपोर्टरों के दल का मामला भी वहां है, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता।

चूंकि श्री आडवानी यहां हैं, सबसे ज्यादा व्यथित करने वाली बात यह है, कि मुझे कल यह रिपोर्ट मिली है कि दाहोद के पांच कैम्पों में सरकार ने किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री की आपूर्ति न करने का निर्णय लिया है। यह एक गंभीर मामला है। दाहोद के पांच कैम्पों में सरकार ने खाद्य सामग्री की आपूर्ति को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके बिना वे कैसे जिंदा बचेंगे? बारह रुपये की अल्पराशि से वे क्या कर पायेंगे? वे वापस नहीं जा सकते। श्री मुलायम सिंह यादव जी का कहना यह है कि उन्हें दिये गये पैसे की कोई उपयोगिता नहीं है। उनके पास घर नहीं बचे हैं जहां वे पास जायें। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। यह 800 से 1000 रुपये की राशि क्या मायने रखती है? उन्हें क्या मुआवजा दिया जा रहा है? आरंभ में, आप जानते हैं कि मुआवजे में भेदभाव और विसंगतियां बरती जा रही थी। इन

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

विसंगतियों को सरकार की ओर से दूर नहीं किया गया बल्कि जब कैम्प के लोगों ने कहा तब ये विसंगतियों दूर की गयी।

महोदय, ऐसा क्यों हो रहा है? हम प्रधानमंत्री जी के बयानों से अवगत हैं। गोआ में उनके भाषण ने सभी के सर को शर्म से झुका दिया। प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसी भाषा बोली थी। उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों की बात की। आजकल प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक कथन का स्पष्टीकरण दिया जाता है। तीन अथवा चार बार स्पष्टीकरण दिया जाता है। इसके बाद भी, उनके प्रत्येक कथन को सारा देश गलत समझ बैठता है सिवाय उनके....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हर क्लेरीफिकेशन के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना दीजिए तब ठीक होगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा: ''नहीं, नहीं। मैं तो मुस्लिम कट्टरपंथियों, जेहादियों की आलोचना कर रहा था।''

लेकिन वह हिन्दू कट्टरपंथियों की भर्त्सना क्यों नहीं करते? यद्यपि 6 दिसम्बर की घटना में, गृह मंत्री जी भी एक आरोपी हैं...*(व्यवधान)*... वह भी एक आरोपी हैं।

अयोध्या में क्या होने जा रहा था? हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। लेकिन धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े करने का प्रयास करने वाले हिन्दू कट्टरपंथियों के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और इससे अधिक समय नहीं लेना चाहता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम श्री राजदीप सरदेसाई के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वर्ष 1970 के भाषण को ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा था:

> ''कोई भी कारण हो, हमारे मुस्लिम भाई अधिकाधिक साम्प्रदायिक होते जा रहे हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू लोग पहले से अधिक आक्रामक हो गये हैं। हिन्दुओं को किसी ने भी आक्रामक नहीं बनाया। यदि इसका श्रेय आप हमें (हम अर्थात् हिन्दू लोग) को देना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। इस देश में हिन्दू लोग अब और मार नहीं खायेंगे। हिन्दू आरंभ नहीं करेंगे, हिन्दू लोग पहला कदम नहीं उठायेंगे। यदि आप मुस्लिम साम्प्रदायिकता फैलाओगे तो दूसरी भावना घर कर जायेगी। साम्प्रदायिकता दुधारी तलवार है जो दोनों ओर से काटती है।''

वर्ष 1970 में उन्होंने यह भाषण दिया था। आगे उन्होंने कहा था:

> ''मैं इस बात से सहमत हूं कि बदले की भावना ठीक नहीं है। हम किसी को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दे सकते। क्या यह कानून केवल हिन्दुओं पर लागू होगा? क्या यह कानून मुसलमानों पर लागू नहीं होगा?''

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, क्या वह जानते हैं कि उन्हीं श्री राजदीप सरदेसाई ने यह लिखा था कि दाऊद एक महान देशभक्त है?...*(व्यवधान)*... इस समाचार को वर्ष 1993 में प्रकाशित किया गया था...*(व्यवधान)*... क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़कर सुनाऊं...*(व्यवधान)*... महोदय, दिनांक 2 अप्रैल, 1993 को श्री राजदीप सरदेसाई ने लिखा था कि दाऊद एक महान् देशभक्त है...*(व्यवधान)*... यह है वह समाचार शीर्षक। मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं जी, जब आपको अवसर मिले तब आप इसका उल्लेख करें। कृपया उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको जी, जब उन्हें अवसर मिलेगा वह अपने भाषण में इसका उल्लेख कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं श्री राजदीप सरदेसाई को उद्घृत नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: मैं उन्हीं को उद्धृत कर रहा हूं जिसे आप उद्धृत कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं, जब आपको अवसर मिले, आप जो भी कहना चाहें, कहें। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि श्री राजदीप सरदेसाई ने हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी के वर्ष 1970 में दिया गया भाषण स्मरण कराया।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाइं: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मारा गया, पीटा गया। कम्यूनिस्ट लोगों ने मेरे बाल खींचकर मुझे पीटा। अभी यह बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया।...*(व्यवधान)* छः महीने तक उन लोगों को निकाल दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं श्री राजदीप सरदेसाई को उद्धृत नहीं कर रहा हूं। यद्यपि मैं और कई मामलों को उद्धृत करना चाहता हूं तो भी मैं उन्हें आज उद्धृत नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाइं: अब बोल रहे हैं कि उन्होंने किया। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): उपाध्यक्ष महोदय, देखिए ये क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाइं जी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाइं जी, क्या आप अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार जी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप उन्हें भड़का रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस सभा में दिये गये भाषण को पढ़ रहा था। उन्होंने यह कहा था:

> ''प्रश्न यह है, दंगे क्यों भड़कते हैं? मैं इस सभा से इस संबंध में विचार करने का आह्वान करता हूं। मैं तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। कुछ मुसलमान दंगे आरंभ करते हैं- यह जानते हुए भी कि वे जान-माल गंवा सकते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारे मुसलमान भाईयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में उनके रहने के लिए अब स्थान नहीं है, उनका कोई अभिभावक नहीं है, इसीलिए जीने से अच्छा लड़ते-लड़ते मर जाना है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कुछ मुसलमान पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के इशारे पर दंगों में लिप्त हैं। पाकिस्तान हमारी छवि खराब करना चाहता है। पाकिस्तान से हिन्दुओं को बाहर खदेड़ा जा रहा है...
>
> कुछ मुसलमान नेता नहीं चाहते कि मुसलमान राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हों।''

महोदय, वे इससे शासित हैं। यहां तक कि वर्ष 2002 में भारतीय प्रधान मंत्री जी अपनी पार्टी के नेता के रूप में वर्ष 1970 में अपनी कही बात दोहरा रहे हैं। यही दुःख और चिंता का विषय है। आज हमारे बीच ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को चुन लिया है। उनकी कार्यसूची अब कोई छुपी हुई कार्य सूची नहीं है। वह खुलकर सामने आये हैं और उन्होंने यह कहा है कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता उनका कहना कि वे अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्वक नहीं रह सकते। यह प्रधानमंत्री जी का कहना है और दो दिन के भीतर ही उनका स्पष्टीकरण आता है जिससे मामला और गंभीर बन जाता है।

ऐसा क्यों हो रहा है? यह तथाकथित राष्ट्रवाद का आर.एस.एस. स्वरूप है...*(व्यवधान)* गुजरात सरकार के पास वाजपेयी-आडवाणी और आर.एस.एस. के हिन्दुत्व की प्रयोगशाला थी। वे अपने निर्धारित पाठ्यक्रम का उपयोग कर रहे हैं जिसके अनुसार:

> ''हिटलर ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करके अल्प समय में जर्मन सरकार को गौरव प्रदान किया। फिर, यह अनेक उपलब्धियों के लिए हिटलर को श्रेय देती है।
>
> हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध विरोध की नीति अपनायी और जर्मन जाति की सर्वोच्चता का समर्थन किया। हिटलर ने एक नयी आर्थिक नीति अपनायी और जर्मनी को समृद्ध बनाया। उसने बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। उसने आम आदमी में साहस की भावना का संचार किया। लेकिन ऐसा करते हुए वह उग्र राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना''

विद्यार्थियों को यह सब पढ़ाया जा रहा है। इसी कारण से प्रश्न किये गये थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): यह कहां लिखा है? यह कौन सी किताब में है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हिटलर और मुसोलिनी उनके आदर्श हैं न कि महात्मा गांधी अथवा डा. अम्बेडकर अथवा भारतीय संविधान।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: सोमनाथ बाबू, उस किताब का नाम तो बता दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आज हिटलर और मुसोलिनी की पूजा हो रही है। इस देश में बस यही सब हो रहा है।

अत: मैं इस सभा में प्रत्येक पार्टी के लोगों से अपील करता हूं कि कम-से-कम इस संसद को प्रदूषित नहीं किया जाए। इस देश की जनता की निगाहें हमारी ओर हैं। सरकार लोगों को काम देने में सक्षम नहीं है और लोग भूखों मर रहे हैं। किसान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं घट रही हैं। यह देश पत्तन की ओर जा रहा है। इस देश में अधिक से अधिक लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। फिर भी हमें इस बात से संतोष है कि हमारा देश एकजुट है। हम सभी एक जुट होकर इस देश के विकास के लिए लड़ेंगे और कोई किसी से बड़ा नहीं है। यह भारतीय संविधान का संदेश है और इसलिए अब मैं प्रत्येक से अपील करता हूं। सरकार चलती रहेगी, चाहे यह नियम 184 के अंतर्गत होने वाली इस चर्चा पर अपना विश्वास मत खो दे।

कम-से-कम भारत की आत्मा को प्रदूषित नहीं किया जाए। हमें इस देश के लोगों और इसके संविधान की आत्मा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं इस संशोधन के साथ इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: सोमनाथ जी ने मेरा नाम लिया इसलिए मैं इनको कहना चाहती हूं कि एक तो मैं तीन लाख से अधिक वोटों से जीतकर आई हूं। दूसरे यह कि मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही गुजरात में हुई हिंसा की निंदा की है और तीसरी बात यह है कि आपने जो अभी कोट किया है, वह कौन सी किताब से किया है, उसका नाम तो बता दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सूचना का स्रोत क्या है?

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): आपने भी किसी रिपोर्ट को उद्धृत किया था। आपने भी नाम नहीं बताया था।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को शुरू करने के लिए मैं आपका आभारी हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, मैंने श्री येरननायडू को बुलाया है। हमारे पास समय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात की गंभीर त्रासदी पर यह चर्चा शुरू करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज मैं एक ऐसे मसले पर बड़े भारी मन से बोलने के लिए खड़ा हूं जो एक मानवीय त्रासदी - के अलावा हमारी समग्र चेतना पर एक धब्बा है।

गुजरात महात्मा गांधी की भूमि है। वे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने अहिंसा और धर्म का पाठ पढ़ाया था। लेकिन, गुजरात में क्या हुआ है? गुजरात हिंसा, कटुता और घृणा से बर्बाद हो गया है। मेरी संवेदना उन निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों के प्रति है जो धर्म के नाम पर अकल्पनीय अपराध के शिकार बने हैं और नि:सहाय हो गए हैं। हम लोगों के लिए राष्ट्र का सामूहिकरूप से आत्मविश्लेषण करने का यदि कोई समय था, तो वह अब आ गया है।

अपराह्न 3.17 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

आज मैं उस तेलुगु देशम पार्टी की ओर से बोल रहा हूं जो हमेशा सिद्धांतों के लिए खड़ी हुई है। मेरी पार्टी राज्य और राष्ट्र के बेहतर हित के प्रति वचनबद्ध है। तेलुगू देशम पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने हमेशा ही राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक भूमिका निभाई है। श्री चन्द्रबाबू नायडू के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी पार्टी जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और अच्छे शासन के उत्कृष्ट आदर्शों के प्रति वचनबद्ध है। तेलुगू देशम पार्टी ने सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध किया है। तेलुगू देशम पार्टी का रिकार्ड निरंतर आधुनिक, दूरदर्शी और धर्मनिरपेक्ष पार्टी कर रहा है। सभापति महोदय, गुजरात में जो कुछ भी हुआ है, उसके विपरीत आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी की सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने को पहली प्राथमिकता दी है और उसने सांप्रदायिकता का हर तरह से कारगर ढंग से मुकाबला किया है। तेलुगू देशम पार्टी की

सरकार किसी भी सांप्रदायिक हिंसा के शीघ्र और सख्ती से निपटती रही है। गत सात वर्षों से, हमारे मुख्यमंत्री के नियंत्रणाधीन आंध्र प्रदेश में हिंसा की कोई घटना नहीं घटी है। इसके विपरीत कांग्रेस के पिछले 35 वर्षों के दौरान तकरीबन हर वर्ष हमें सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है। यदि सरकार में इच्छा शक्ति है, तो वह देश में सांप्रदायिक हिंसा पर काबू पा सकती है। हमारे संविधान में निहित मौलिक कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी नागरिकों में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करती रही है।

मैं राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा की सरकारों के बारे में कुछ तथ्यों को दोहराना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एन.टी. रामाराव, जो तेलुगू देशम पार्टी के थे, राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस के कुशासन, भाई-भतीजावाद, पक्षपात और यहां तक कि भ्रष्टाचार व घोटालों के खिलाफ राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था। श्री एन.टी. रामाराव ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को एक जुट कर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन किया। तेलुगू देशम पार्टी शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष संरचना का मोर्चा रही है। श्री चन्द्रबाबू नायडू संयुक्त मोर्चा सरकार के संयोजक थे। संयुक्त मोर्चा का भी गठन इस देश के धर्म निरपेक्षता के आधार पर हुआ था।

आज भी तेलुगू देशम पार्टी एन.डी.ए. सरकार को कॉमन मीनिमम एजेण्डा (साझा न्यूनतम कार्यक्रम) के आधार पर समर्थन कर रही है। हमारी पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन कर रही है। तेलुगूदेशम पार्टी को सत्ता का कोई लोभ नहीं है। सरकार में शामिल हुए बिना ही हम इस देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना पर नजर रख रहे हैं। हम यह कोई पहली बार नहीं कर रहे थे। हम गुजरात हिंसा पर बहस कर रहे हैं। विगत में भी, हमने इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर नियंत्रण रखा है। यहां तक कि जब गुजरात सरकार ने यह कहते हुए परिपत्र जारी किया था कि सरकारी कर्मचारी आर.एस.एस. की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, तो हमने सरकार से कहा था कि विपक्ष द्वारा इस मसले पर नियम 184 के तहत कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो हम उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तब एनडीए सरकार ने राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार से उस परिपत्र को वापस लेने को कहा। उस समय श्री केशुभाई पटेल मुख्य मंत्री थे।

महोदय, हमारे देश में शिक्षा के भगवाकरण के मसले पर हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती प्रतिभा भारती विरोध स्वरूप बैठक से बाहर आ गई थी। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो तेलुगूदेशम पार्टी के हमारे नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामाराव ने उसकी निन्दा की थी और उन्होंने कहा था कि यह हमारे देश के लिए काला दिन है। जब कभी भी हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर किसी तरह का कोई खतरा उत्पन्न हुआ है, तेलुगू देशम पार्टी ने इसकी रक्षा करने की कोशिश की है। जहां तक राम मंदिर के निर्माण का सवाल है, तो आप सभी को पता होगा कि हमने शुरू से ही सरकार से कहा है कि यदि यह मसला आपसी बातचीत से सुलझता है तो सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुकूल चले। सरकार इस बात पर राजी हो गई और हमने इस बारे में सरकार की सराहना की और हमने सरकार का समर्थन भी किया।

अब, उदाहरण के लिए, गुजरात हिंसा को ही लिया जाए। मैंने इस तरह की हिंसा पहले कभी नहीं देखी है। मैं पिछले 20 साल से राजनीति में हूं। यह बिहार में हरिजनों के नरसंहार और हिंसा से भी बदतर है। उस समय बिहार में अनुच्छेद 356 लगाया गया था। बिहार हिंसा के बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, किन्तु यह हिंसा बिहार हिंसा से कहीं ज्यादा है। यह तेलुगूदेशम पार्टी का सिद्धांत है। गुजरात में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। गुजरात के मुख्य मंत्री गुजरात में कानून और व्यवस्था की समस्या पर काबू पाने में असफल रहे हैं। हिंसा अभी भी जारी है। भारत सरकार ने राज्य प्रशासन की सहायता के लिए सेना भी भेजी है। इसके बावजूद राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में सक्षम नहीं रही है और आज भी हिंसा जारी है। यही कारण है कि गुजरात हिंसा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है और इसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ेगा। संविधान ने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं। गुजरात सरकार को और यहां तक कि भारत सरकार को भी चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के जान-माल की रक्षा करें। यह निर्वाचित सरकार का अनिवार्य कर्त्तव्य है चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। गुजरात में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अभी भी, 1,40,000 लोग कैम्पों में रह रहे हैं। सैकड़ों लोग अस्पतालों में हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यहां तक कि देश विभाजन के समय भी नहीं हुआ। यही कारण है कि यह केवल राज्य का मसला नहीं है। यह एक राष्ट्रव्यापी मसला बन गया है। यदि किसी राज्य में कुछ होता है, तो तेलुगूदेशम पार्टी उसमें कभी दखल नहीं देगी। किन्तु, यह एक सांप्रदायिक समस्या है और यह देश के अन्य भागों में भी फैल सकती है। गोधरा घटना 27 तारीख को हुई थी और ठीक उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री श्री नारा चन्द्रबाबू नायडू ने उस घटना की निन्दा की थी। यहां तक कि गुजरात में उत्तरोत्तर घटने वाली हिंसा की भी तेलुगूदेशम पार्टी द्वारा निन्दा की गई। शुरू से ही हम कह रहे हैं कि गुजरात सरकार को जो भी सहायता की जरूरत हो भारत सरकार को उसे उपलब्ध कराना चाहिए। उसे हर प्रकार सहयोग करना चाहिए और वहां सेना भेजी जानी चाहिए। किन्तु, फिर भी गुजरात सरकार हिंसा को रोक पाने में सक्षम नहीं है। यहां तक कि एक सप्ताह पहले भी कर्फ्यू लगाया गया था। यहां तक कि आज भी मैं नहीं जानता, किन्तु आज भी गुजरात में कुछ न कुछ हुआ होगा। मेरे पास सूचना नहीं है।

[श्री के. येरननायडू]

यही कारण है कि लोगों का इस निर्वाचित सरकार में विश्वास नहीं है। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन किया जाना समय का तकाजा है और तेलुगू देशम पार्टी भी यही चाहती है। क्यों हमने गुजरात घटना को एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में स्वीकार किया है? इसका कारण है कि यह हिंसा पूरे देश में फैल गई है, जैसाकि हैदराबाद में, उड़ीसा, राजस्थान के कुछ भागों में और अन्य जगहों में भी कुछ घटनाएं घटी हैं। यदि यह राज्य का मुद्दा होती, एक सामान्य मसला होती और राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होती, तो क्यों यह देश के अन्य भागों में फैल गई?

हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें अपने देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा करनी है। हमें शांतिपूर्वक और एक दूसरे के साथ मिल जुलकर रहना है। हमें सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच भाई चारे को बनाए रखना है। यह हमारे संविधान में भी अधिष्ठापित है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहिए।

अब, भारत सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों हम उन्हें कतिपय उपाय करने की बात कर रहे हैं। तेलुगू देशम पार्टी एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। यह भाजपा की सरकार नहीं है, बल्कि एक गठबंधन सरकार है जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर काम कर रही है। भाजपा एनडीए का मुख्य सहयोगी दल है। यदि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक के जान-माल की पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य और दायित्व बनता है कि वे संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत समुचित दिशा-निर्देश जारी करें।

तेलुगू देशम पार्टी अन्य राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। किसी राज्य विशेष का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए इस बात का निर्णय उस राज्य की विधान सभा के सदस्य करते हैं। लेकिन, जैसाकि मैंने कहा, तेलुगू देशम पार्टी केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन कर रही है और भाजपा इसका प्रमुख घटक दल है। चूंकि, तेलुगू देशम पार्टी गुजरात की स्थिति को एक राष्ट्रीय मुद्दा मानती है, इसलिए हमने पार्टी स्तर पर यह मांग की है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए।

समय से पूर्व चुनाव कराने के बारे में हाल ही में गोवा में आयोजित भाजपा कार्य समिति की बैठक में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। लेकिन हमने महसूस किया कि यह समय राज्य में चुनाव कराने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं और दंगों में घायल सैकड़ों लोग अस्पतालों में हैं। अनेक लोग बेघर हो गए हैं और अब भी शिविरों में रह रहे हैं। क्या चुनाव कराने के लिए यह समय उपयुक्त है? क्या लोकतंत्र का यही अर्थ है? क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनावों का यही अर्थ है? इसीलिए तेलुगूदेशम पार्टी ने भारत सरकार को गुजरात में चुनाव नहीं कराने का अनुरोध किया है। जब राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाए तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराए जा सकते हैं। हमने सरकार को चुनाव न कराने के लिए कभी नहीं कहा। हमने केवल यही कहा है कि स्थिति अभी चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है।

अब मैं राहत और पुनर्वास के प्रश्न पर आता हूं। हम यह मांग करते रहे हैं कि ऐसे समय में उदारता से राहत दी जानी चाहिए। बजट सत्र के पहले चरण में इस मुद्दे पर बहस में भाग लेते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी से प्रभावित लोगों को उदारता से राहत प्रदान करने का अनुरोध किया था। पीड़ित लोगों तक यह राहत अविलम्ब पहुंचनी चाहिए।

कानून और व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें किसी भी कीमत पर राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है। गोधरा की घटना 27 फरवरी को हुई थी तब से 62 दिन बीत चुके हैं। किन्तु हिंसा अब भी जारी है। स्वाभाविक ही है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस हिंसा की आलोचना कर रहा है। वे यह भी महसूस कर रहे हैं कि भारत में क्या हुआ और क्यों हुआ।

प्रधानमंत्री जी ने स्वयं गुजरात का दौरा किया। यदि यह राज्य का ही मुद्दा था तो प्रधानमंत्री जी ने इसे राष्ट्रीय शर्म का नाम क्यों दिया है? यह प्रधानमंत्री महोदय का वक्तव्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री को राजधर्म का अनुसरण करने का भी अनुरोध किया है। इसका अर्थ यही है कि सबको समान अवसर मिले और भेदभाव न हो। तेलुगू देशम पार्टी ने इन वक्तव्यों का स्वागत किया और हमारे मुख्यमंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू ने उसी दिन प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत किया। लेकिन, कुछ समय पश्चात् वक्तव्य ही बदल गया। एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने का आग्रह किया फिर उनको राजधर्म निभाना था। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी शोक व्यक्त किया कि वह किस मुंह से विदेश जाएंगे। इस प्रकार इससे गुजरात में प्रशासन की विफलता का पता चलता है। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। पहले उन्होंने राजधर्म निभाने को कहा फिर इसे राष्ट्रीय शर्म बताते हुए कहा: "विदेशों में जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा?" प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का क्या अर्थ है? गुजरात में जो स्थिति बनी हुई है यह उसमें संबंधित ये मुद्दे हैं। चूंकि यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, तेलुगू देशम पार्टी गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करती है।

अब संघवाद की बात करें। भारत के संविधान की संघीय प्रकृति और राज्यों की स्वायत्तता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तेलुगू देशम पार्टी का हमेशा यह विचार रहा है कि राज्यों को

और अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का विश्वास है और पूर्व मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामाराव का भी यही विश्वास था कि मजबूत राज्य ही मजबूत केन्द्र का गठन करते हैं। यदि राज्य मजबूत होंगे तो केन्द्र भी मजबूत होगा। तेलुगू देशम पार्टी की यही विचारधारा है। गुजरात की घटनाओं को राज्य के विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता। गुजरात में जो कुछ हुआ है, वह देश के भविष्य के लिए एक खतरा है। मैं पुन: उद्धरित करता हूं कि गुजरात की हिंसा बिहार से भी अधिक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहा है। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अंग हैं और सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं और इसीलिए, हम भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का सुझाव दे रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी आज अपने आप को धर्मनिरपेक्षता के महान समर्थक के रूप में पेश कर रही है। धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कांग्रेस की दोहरी विचारधारा का इतिहास गवाह है। इस देश में ऐसा क्यों हुआ है? यह कांग्रेस की भूमिका की वजह से हैं, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। 1984 के दंगे हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था पर एक न मिटने वाला कलंक है। कांग्रेस साम्प्रदायिकता के साथ किया गया समझौता शिलान्यास से स्पष्ट है जिसे स्वयं श्री राजीव गांधी ने प्रोत्साहित किया था। श्री राजीव गांधी ने स्वयं अयोध्या से अभियान का श्रीगणेश किया था। यह कांग्रेस सरकार ही थी, जिसने श्री पी.वी. नरसिंहा राव के प्रधानमंत्री काल में मौन रहकर बाबरी मस्जिद ढहते हुए देखा। मैं उनके संकल्प से उद्धरण देता हूं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है। सत्ता में आने की अपनी अंधी दौड़ में यह सबके लिए कुछ होना चाहती है। जनवरी, 1999 में कांग्रेस कार्य समिति ने एक संकल्प पारित किया जिसमें कहा गया: ''हिन्दुत्व धर्मनिरपेक्षता का सबसे प्रभावी गारंटीदाता है।'' इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के साथ जुबानी जमा खर्च के अलावा कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना आदर्शवाद खो दिया है और नैतिक विचारों और सिद्धान्तों की कीमत पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: दोहरी बात मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री के. येरननायडू: मेरी पार्टी की रूचि बड़े मुद्दों में है। यह सच है, मैंने कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए संकल्प को ही उद्धृत किया है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मूक दर्शक बनकर देखा था, यह सच है। यही कारण है कि मेरी पार्टी देशहित में गुजरात के अन्दर नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रही है। चीन का उदाहरण लें। वे अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने विकास के लिए कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री के. येरननायडू: मेरी पार्टी की रूचि देश के बड़े मुद्दों में है। अभी-अभी श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि देश के विकास के मसले पर हम सब एक हैं। चीन में लोगों की समूची ऊर्जा और सेवाएं उनके देश के विकास में उपयोग में लाई जाती है। चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 40 बिलियन डालर तक पहुंच गया है। लेकिन, भारत में बड़ी मुश्किल से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चार बिलियन डालर पर पहुंचा है। इसीलिए हमें विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है। हम निरक्षरता, कुपोषण, पेयजल और अन्य ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस परिदृश्य में हमें देश के विकास पर अधिक ध्यान देना होगा।

इसीलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित मांगें उठाई हैं। पहली मांग यह है कि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए क्योंकि इससे गुजारत के लोगों के मन में विश्वास पैदा होगा। सरकार पर सभी धर्मों के लोगों का विश्वास बनेगा। हम इस समय इस मसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए।

नेतृत्व परिवर्तन समय की मांग है। दूसरी मांग यह है कि प्रभावित और पीड़ित लोगों को राहत और पुनर्वास सहायता उदारतापूर्वक मिलनी चाहिए। तीसरी मांग है कि हमें किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है, हमें सामान्य स्थिति बनाए रखनी है, और गुजरात में शांति और सद्भाव बनाए रखना है। यह चुनाव का समय नहीं है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी से हम ये चार मांगें कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: सभापति जी, सदन में जब बहस शुरू हुई तो मुलायम सिंह जी ने कुछ सवाल उठाए। उसके बाद सरकारी पक्ष की ओर से जो पहली वक्ता थीं वह उमा भारती जी थीं। कुमारी उमा भारती जी के भाषण को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हम लोग संसदीय जनतंत्र के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत राजनीति की जानकारी मुझे भी है। मैंने राजनीति-शास्त्र का अध्ययन किया है और 50 वर्षों से देश की राजनीति में हूं। एक जमाने में नाजी लोगों ने इसी तरह से संसद का उपयोग किया था। वही भाषा, वही भावना,

[श्री चन्द्रशेखर]

वही अभिव्यक्ति आज हमें देखने को मिली। जिस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया, शुरू तो उन्होंने इससे किया कि हम किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहते, देस में सहमति की राजनीति चाहते हैं और सब मिलकर समस्या की जड़ में जाएं और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गड़बड़ी की। कांग्रेस पार्टी ने 1984 में गड़बड़ी की - यह उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सन 1920 में गड़बड़ी की जब खिलाफत आंदोलन का उन्होंने विरोध किया और कम्युनलिज्म वहां से शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी जी थे, शायद उमा जी को मालूम है या नहीं है।

कुमारी उमा भारती: मुझे मालूम है।

श्री चन्द्रशेखर: ठीक है, आपको मालूम है तो हमको भी यह मालूम है कि गांधी जी को मारने वाले कौन थे लेकिन हम उन बातों में पड़ना नहीं चाहते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे गांधी जी को यह देश भुला दे लेकिन उन्हें आज सारी दुनिया याद कर रही है। जहां जनतंत्र है वहां के लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं और जहां जनतंत्र नहीं है वहां जनतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग याद कर रहे हैं। लूई-फिशर ने महात्मा गांधीजी पर जो किताब लिखी है, उमा जी, मेरा निवेदन है कि कभी उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि महात्मा गांधी जी मरे थे तो किस तरह से दुनिया के विभिन्न देशों में प्रतिक्रिया हुई थी, किस तरह से गरीब आदमी रोया था, किस तरह से राजनेता रोये थे। माननीय सोमनाथ जी मुझे माफ करेंगे सिवाय सोवियत यूनियन को छोड़कर दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहां का झंडा झुका नहीं था।

श्री प्रकाश परांजपे: पाकिस्तान ने क्या किया था?...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: पाकिस्तान का आपको ज्यादा मालूम होगा लेकिन मौहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के निर्माता थे उन्होंने भी महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर शोक-संवेदना प्रकट की थी और उन्हें दुनिया का महान व्यक्तित्व बताया था। आप उससे ज्यादा जानते हो तो वह इतिहास मुझे मालूम नहीं है। सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि कहां हम लोग पहुंच गये हैं।

कुमारी उमा भारती: माननीय चन्द्रशेखर जी, क्या आप जिन्ना के शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं जो उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में कहे थे।

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिन्ना के शब्दों को याद नहीं करता हूं। जिन्ना और नाथू राम गौडसे के शब्दों को आप ही याद करिए...*(व्यवधान)*... सभापति जी, अगर इस तरह होगा तो मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय: इस तरह के आपत्तिजनक शब्द प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बनेंगे।

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष जी, हमें उमा जी से यह उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि जिस प्रकार का भाषण उन्होंने शुरू किया, वैसा ही उनका अंत करेंगी लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो फासीवाद की जड़ में हैं। वे सिद्धान्त, जिन्होंने जर्मनी को वहां तक पहुंचाया था। हम लोग इतिहास को भूल जाते हैं। हिटलर संसद के जरिये पावर में आया था। उन्होंने इसी प्रकार से संसद का प्रयोग किया था। आज उमा जी भाषण नहीं दे रही थी बल्कि उनके दिमाग में जो हिन्दुत्व बैठा हुआ था, उसका भाषण कर रही थी। मुझे क्षमा कीजिये, मैं बड़े आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं उन्हें 40 सालों से जानता हूं और पहली बार जब मैं 1962 में संसद में आया था, तब से उनके नजदीक रहा हूं। श्री अटल में और जो कमी हो लेकिन कभी उन्हें अपनी भाषा को बदलते हुये नहीं देखा। उमा जी ने 1970 का जिक्र किया लेकिन 1977 में भी मैं अटली जी के नजदीक रहा हूं। मुझे यह बहुत अजीब लगता है कि अटल जी जैसे व्यक्ति ने गोआ में किस प्रकार का भाषण दिया। उनके और उमा जी के भाषण को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जनतंत्र के जरिये इस देश के चलाने में अब हमारा कोई स्थान नहीं है। आर.एस.एस. के प्रवक्ता श्री वैद्य हैं। कल रात टी.वी. पर उनका भाषण सुना। उन्होंने कहा कि एन.डी.ए. का अपना एजेंडा है, डी.एम.के. का अपना एजेंडा है, टी.डी.पी. का अपना एजेंडा है। सब लोग अपना एजेंडा चलाकर कुछ पाना चाहते हैं। सब लोग अपनी बातों को दोहराना चाहते हैं। इसी प्रकार हमारा भी एजेंडा है। उस एजेंडा को चलाने के लिये हम मजबूर हैं। जब यह बात बार-बार सदन के अंदर और बाहर कही जाती है कि सरकार भाजपा की नहीं, एन.डी.ए. की है तो मैं नहीं जानता कि यह सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की है या श्री वैद्य की है? इस बात का खुलासा हो जाना चाहिये, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं। अब बहुत खून बह चुका है। हमारे एक मित्र हमारे साथ काफी समय रहे हैं और आज रक्षा मंत्री हैं। मैंने कल उनका एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि जननायक जयप्रकाश ने कहा था कि वे नरेन्द्र मोदी में एक रोशनी देखते हैं। मुझे नहीं पता कि जयप्रकाश जी ने ऐसा कहा या नहीं लेकिन जार्ज साहब को रोशनी दिखाई पड़ रही है।...*(व्यवधान)**... वैसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, यह असंसदीय भाषा है।

श्री चन्द्रशेखर: सभापति जी, अगर यह असंसदीय भाषा है तो मैं इसे वापस ले लेता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति जी, श्री चन्द्रशेखर जी के सहयोगी ने देश चलाया है, ये ऐसा कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप क्यों उठकर खड़े हैं? आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिये। टोका-टाकी आसन की अनुमति के बिना प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह आपत्तिजनक बात है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कोई भी आपत्तिजनक बात कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं आयेगी, उसे देखा जायेगा।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: सभापति जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो कुछ आज इस सदन में हो रहा है, वह इस बात का संकेत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे जैसे लोगों का इस सदन में कोई स्थान नहीं है। यह बात मैं पहले से ही मानता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप आसन की अनुमति के बिना ही खड़ो हो जाते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सर, यह कोई तरीका है? यह एक सीनियर मैम्बर को बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): सर, एक सीनियर मैम्बर बोंल रहे हैं और यह बीच में टोका-टोकी कर रहे हैं, यह क्या तरीका है।...*(व्यवधान)* क्या यह व्यवहार का कोई तरीका है?

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। अगर इतना गुस्सा आता है तो उस गुस्से को समझते हुए मैं चुप भी हो सकता हूं।

कुमारी उमा भारती: सभापति महोदय, मैं चन्द्रशेखर जी को गुरुतुल्य मानती हूं। जितना मैं अटल जी को मानती हूं उतना ही मैं इन्हें मानती हूं। न तो इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में एक शब्द बोला। लेकिन आपने जॉर्ज साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, माननीय चंद्रशेखर जी अगर आप उन्हें वापस ले लें, यह बहुत अच्छा नहीं हुआ। चंद्रशेखर जी आपके मुंह से ऐसे शब्द हम सोच भी नहीं सकते थे।

सभापति महोदय: आसन से कह दिया गया है, उमा जी आप क्यों चिंतित हैं।

कुमारी उमा भारती: महात्मा गांधी को हम भगवान जैसा मानते हैं।

श्री चन्द्रशेखर: मैंने कहा कि उमा जी ने खिलाफत मूवमैन्ट का विरोध किया...*(व्यवधान)* अब आप सुन लीजिए, आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे हैं। खिलाफत मूवमैन्ट से मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय हुआ। इसका मतलब यह था कि गांधी जी ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अगर ऐसी बात है तो देश के इतिहास को फिर से बदलना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* अब आप चुप रहें, उमा जी से क्यों कम्पीटीशन कर रही हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब किसी देश से जनतंत्र मिटाना हो, उसकी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करना हो तो उसके प्रतीकों को सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए। गांधी जी इस देश के प्रतीक हैं। गांधी जी इस देश की सभ्यता, संस्कृति और परम्परा के आदर्शों के उदाहरण हैं। उन्हें समाप्त करना देश की परम्परा को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म तभी रहेगा, जब हिन्दू धर्म रहेगा। हिन्दू धर्म क्या है, उसकी व्याख्या अलग-अलग हो सकती है। हिन्दू धर्म की व्याख्या चार सौ, छः सौ या आठ सौ वर्षों की नहीं हैं। हिन्दू धर्म की व्याख्या पांज हजार वर्षों की है। यह वेदों और उपनिषदों से निकली है। मैं आपके जरिये इस सदन को कहना चाहता हूं कि वेदों और उपनिषदों के जमाने में कोई मंदिर नहीं थे। उस समय कोई राम और शिव की पूजा नहीं होती थी। यज्ञों के जरिये मंत्रों के जरिये और एक परम्परा के जरिये यह धर्म सारी दुनिया में अपना प्रभाव रखता था। वहां जो उन्होंने श्लोक दोहराया कि भगवान एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग-अलग हैं। कौन राही किस रास्ते से उस मंजिल पर पहुंचेगा, इसके लिए झगड़ा क्यों होना चाहिए। अगर यही हिन्दू धर्म है तो उसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में कोई अन्तर नहीं है। आज जो कहा जाए, जो पढ़ रहे हैं, अभी सोमनाथ दादा ने पढ़ा, क्या वही हिन्दू धर्म है। क्या यही हिन्दू धर्म है जो आज गुजरात में हो रहा है।

आपने एक दूसरी बात कही कि आजादी के बाद किसी जगह इस तरह से दंगा नहीं रूका, जिस तरह से तीन-चार दिन के अंदर गुजरात में रूक गया। आज दो महीने हो गये हैं, दंगा आज भी

[श्री चन्द्रशेखर]

चल रहा है गुजरात की सरकार ने सौ लोगों को गोली से मार दिया तो कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है। एक तरफ गरीबों को बढ़ावा दो कि दंगा करो और दूसरी तरफ कामयाबी दिखाने के लिए गरीबों को मार दो, यह बात देश चलाने की नहीं है। सरकार दंगे को रोकने की जिम्मेदार है। आपने कहा कि कोई किसी की रक्षा नहीं करता। व्यक्ति रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की रक्षा करें। जो सरकार नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाती, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जो सरकार इस काम में निकम्मी साबित हो गई है, उसको बर्दाश्त करना सबसे अधिक राजधर्म के विपरीत है। प्रधानमंत्री दूसरे को राजधर्म की शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले अपने राजधर्म का पालन करना सीखें और राजधर्म यह है कि केन्द्र सरकार अगर कहीं निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, कहीं धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है तो उसको रोकने के काम करे।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह देश एक ऐसे अंधेरे में जा रहा है जहां से निकल पाना इसके लिए कठिन होगा। मैं जानता हूं भाषणों का असर नहीं होने वाला है। चुनावों में जीतना आसान है, सरकार चलाना आसान है लेकिन देश ऐसे नहीं चलेगा। और आज हम ही नहीं, केवल विरोधी पक्ष के लोग नहीं, गुजरात की जनता नहीं, पूरी दुनिया के लोग भारत के बारे में क्या दृष्टि रखते हैं यह हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। अभी दो-तीन महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के गृह मंत्री कहते थे कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ती जा रही है, ऊंची होती जा रही है। जिस अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देशों पर हम अपनी वैदेशिक नीति की प्रखरता का बखान कर रहे थे, आज उनसे क्या ध्वनियां आ रही हैं, क्या टिप्पणियां आ रही हैं? हमें इस सदन में आप चुप करा सकते हैं, लेकिन अभी इतना शक्तिमान देश नहीं हुआ कि बाहर से आने वाली बातों को रोक सकें। यहां किसी को चुप करा देना आपके बस में है लेकिन चुप कराने वाले किसी इंसानियत को चुप नहीं करा सकते हैं। देश में नहीं, दुनिया के इतिहास ने बताया है कि जब कोई आदमी तलवार के बल पर केवल सत्ता को बचाना चाहता है, तिकड़म के बल पर, झूठे व्यवहार पर, एक दूसरे को धोखा देकर, जनता के साथ छल कपट करके अगर कोई सरकार चलाए तो वह कुछ दिन सरकार चला सकता है लेकिन देश नहीं चला सकता। आज वैसी स्थिति में देश पहुंच गया है और वैसी स्थिति में पहुंचने का आधार यह है कि पहली बार मुझे भी यह अनुभव हो रहा है कि अब मेरे जैसे लोगों को संभलकर बोलना चाहिए कि जो गोधरा में हुआ, जो गुजरात में हुआ, वह कहीं यहां भी न होने लगे, इसका भी डर लगने लगा है। गोधरा में जिस दिन हत्याकांड हुआ, उस दिन मैं हमारे अध्यक्ष जी के पास गया जो अब हमारे बीच नहीं हैं। मैंने उनको कहा कि कम से कम आज तो गोधरा पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया जाए। कुंवर अखिलेश और रामजी लाल सुमन ने कामरोको प्रस्ताव रखा था। हमने कहा कि उसी को आधार बनाकर कुछ कहा जाए, लेकिन उस दिन उधर से कम शोर हुआ था, ज्यादा शोर सरकार की तरफ से हुआ था। उस दिन हिन्दुत्व की रक्षा करने के लिए आप लोग ज्यादा प्रखर थे। अगर गोधरा पर उस दिन यह सदन एकमत से राय देता...*(व्यवधान)* अगर गोधरा पर उस दिन प्रस्ताव जाता तो शायद कम से कम यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि गोधरा के कारण यह सारा हत्याकांड हो रहा है। लेकिन वह नहीं हुआ।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हमने कहा था कि इस प्रस्ताव को रखिये। उनकी तरफ से मना किया गया और यह कहा गया कि...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह बिल्कुल गलत है। ये ठीक नहीं बोल रहे हैं।

सभापति महोदय: अभी चन्द्रशेखर जी बोल रहे हैं। आप लोग प्लीज बैठिये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं, यह सही नहीं। वह सच नहीं बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा था, इसकी जांच करने के लिए रिकार्ड देखना होगा। रिकार्ड से हम पता करें। कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। कुछ भी उद्धृत करके सभा को गुमराह नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)* सभा को अर्धसत्य और असत्य बातों से गुमराह नहीं किया जा सकता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप स्थान ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से सदन कैसे चलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): ...*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): बात करने का क्या यही तरीका है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): गुजरात में दंगा कराने वाले ये ही लोग हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्हें असंसदीय शब्द वापस लेने चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): गुजरात में जो भी काम कराया है वह आप लोगों ने कराया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप बैठिए। सदन में शांति बनाए रखिए। जो भी असंसदीय शब्द हैं वे रिकार्ड पर नहीं जाएंगे।

श्री चन्द्रशेखर: सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि भूल हुई। उस भूल को सुधारने का यदि काम नहीं हुआ और हमने एक-दूसरे पर आक्षेप लगाए, तो ठीक नहीं है। जैसा उमा जी ने शुरू में कहा, अच्छा होता, अगर वे इन दंगों के कारण बतातीं कि क्यों ये दंगे हुए।...*(व्यवधान)*

मैं बताता हूं- दंगे इसलिए हुए कि लोगों के दिलों में अविश्वास है, दिल टूटे हुए हैं। लोग समझते हैं कि उनका जनजीवन सुरक्षित नहीं है। इसका कारण चाहे गोधरा हो या अहमदाबाद। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जगह चाहे कोई भी हो, इस देश में जहां हत्या होती है, जहां हिंसा होती है, उसमें यदि एक मर्द या औरत भी मरती है, तो भारत मां का एक बेटा या बेटी मरती है। कुछ लोग समझते हैं कि वे ही भारत माता के लाडले और अकेले बेटे हैं। अगर वे यह समझें कि भारत मां के दूसरे भी बेटे और बेटियां हैं, तो शायद उनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है।

महोदय, 1984 के कदम से गुजरात सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1984 में कितने लोग गए थे, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन दंगा हो रहा था, मैं 15-20 व्यक्तियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर अकेला घूम रहा था।...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): हम भी उन्हीं में से हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री चन्द्रशेखर: आप भी होंगे।...*(व्यवधान)*

मैं तो देख रहा हूं। कुछ बोल नहीं रहा हूं। अगर देखना भी मना है, तो मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा।...*(व्यवधान)*

मेरा भाषण अच्छा कभी नहीं होता। इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि मैं आपकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि वह भाषा इस्तेमाल करूंगा, तो देश के लिए घातक होगा और जो देश के लिए घातक है वह मेरे लिए वर्जित है। जिस तरह की भाषा का यहां इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार के भाषण दिए गए हैं, उनसे गुजरात के दंगे और भड़केंगे।

यह मत समझिए कि आपके डराने से लोग डर जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री भले ही कह दें कि मुसलमान जहां रहता है, शांति से नहीं रहता, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब इस देश में 10,000 मुसलमान आए थे, उनको हम उस समय अरब सागर में नहीं डुबो सके, तो अब 14 करोड़ मुसलमानों को अरब सागर में डुबोने वाले हम नहीं हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

इतिहास को अपने परिवेश में देखना चाहिए। दुनिया को चुनौती मत दीजिए। दुनिया के लोग आज हमारी ओर कुपित दृष्टि से देख रहे हैं। वे पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। हमारे मित्र श्री येरननायाडू जी चले गये हैं। आर्थिक क्षेत्र में हमको दबाने की कोशिश की जा रही है, पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। आज सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अगर उनको दखलअंदाजी करने का मौका दिया गया तो यह देश टूटने से नहीं बचेगा। इसको आप याद रखिये कि जो काम अंग्रेजों ने देश को बांटने का किया था, वही काम आज देश की बड़ी ताकतें इस देश में कर रही हैं। इस देश में ही नहीं बल्कि सारे भूखंड में, भारत का, पाकिस्तान का, बंगला देश का, नेपाल का जो भूखंड है, सब जगह अराजकता धीरे-धीरे पनप रही है। वही ताकतें उनको बढ़ावा दे रही हैं। अनजाने में आप उनके हाथों में खेल रहे हैं। यह खेलना बंद कर दीजिए ताकि यह देश बर्बादी की ओर न जाये।

उमा जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं क्योमकि आप संन्यासिनी हैं। हमें समझाया गया है कि गेरूआ वस्त्र धारण करने वालों की इज्जत करनी चाहिए इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप जानती हैं कि मैं यह कहने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन जो भाषण आपने दिया, एक हिन्दू सन्यासिनी का भाषण नहीं है। उसे सुनकर लगा कि किसी नाजी रिजीम के एक वालंटियर का भाषण है। उस भाषण से देश को बचाइये। मैं यह भी कहूंगा कि आप भी जरा यह सोचें और इस तरफ के लोग भी सोचें।

[श्री चन्द्रशेखर]

इनको और उकसाते रहेंगे और अपने एक नहीं होंगे तो देश को बर्बादी की ओर ले जाने में हमारा भी हाथ होगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, नियम 184 के तहत श्री मुलायम सिंह जी ने सदन में गुजरात इश्यू पर जो चर्चा आरंभ की है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। गुजरात की बीती घटनाओं पर जो चर्चा हो रही है, उसकी जड़ गोधरा है। 27 फरवरी से लेकर आज तक इन सारी घटनाओं की जड़ गोधरा है। हमें इस गोधरा की जड़ तक जाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी, वही मैं बताने जा रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने भी कुछ बताया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: आपने भी कुछ बताया है, उसे हमने सुना है लेकिन गोधरा की जड़ तक जाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गीते जी, आप चेयर की ओर मुखाबित होकर अपना भाषण जारी रखिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते: पिछले कई वर्षों से इस देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। जब तक ये आतंकवादी गतिविधियां जम्मू और कश्मीर तक सीमित थीं, उसके परिणाम सारे देश को नहीं भुगतने पड़ रहे थे लेकिन अब ये आतंकवादी गतिविधियां जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं रहीं। खासतौर पर वे आतंकवादी गतिविधियां जो पाकिस्तान की ओर से चलाई जा रही हैं, मैं कुछ आतंकवादी कार्यवाहियों का स्मरण यहां इस सदन में करूंगा। पहले अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ। अमरनाथ यात्रा के बाद आतंकवादियों के जरिये लाल किले पर हमला हुआ। लाल किले के बाद आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर की श्रीनगर विधान सभा पर हमला किया। जम्मू कश्मीर की विधान सभा के बाद आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया। संसद पर हमला होने के बाद आतंकवादियों ने, गोधरा में रेल के डिब्बे में जिन 57 लोगों को जिंदा जलाया गया जिनमें से 14 महिलाएं और 12 बालक थे, वह घटना भी आतंकवादियों के जरिये की गई थी।

सभापति जी, आज देश में यह घटना केवल आतंकवाद तक सीमित नहीं रही। आतंकवादियों के जरिए एक तरह से पास्तिान की ओर से चलाया हुआ यह अघोषित युद्ध है और यही देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है। गोधरा की घटना की साजिश चंद आतंकवादियों ने की, लेकिन दुर्भाग्य है कि चंद आतंकवादियों की साजिश को डेढ़ से दो हजार के समुदाय का समर्थन मिला। इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि साजिश चार-पांच आतंकवादियों ने की होगी लेकिन समर्थन डेढ़ से दो हजार के जन-समुदाय का मिला। जो राम सेवक अयोध्या से वापिस अपने घर लौट रहे थे, उनको लक्ष्य बनाया गया। गोधरा में वैल-प्लान्ड तरीके से रेल को रोक कर मिट्टी का तेल और पैट्रोल छिड़कर कर आग लगा दी गई। जैसे यहां उमा भारती जी ने बताया, कुछ समय के लिए वहां फायर ब्रिगेड को भी रोका गया। डेढ़-दो हजार का जन-समुदाय सुबह के सात बजे पैट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर यकायक उपस्थित नहीं हो सकता। देश के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है। इसलिए हमारे शिवेसना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने कई बार देश को आम सभा में चेतावनी दी है कि देश के सामने खतरा है, सिविल वार होने की संभावना है। गुजरात की घटना सिविल वार का ही एक नमूना है।...*(व्यवधान)*

आज सदन में जिस प्रकार नियम 184 के तहत चर्चा का आरंभ किया गया है, मुलायम सिंह जी, कल तक तो हम सिर्फ कांग्रेस को दोषी ठहराते थे, सब मिल कर उनके ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते थे लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति की भी होड़ लगी है। अब कई पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी हैं। जब गोधरा की घटना हुई, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया हुई। 27 फरवरी को यह घटना हुई और 28 फरवरी को सदन में जनरल बजट प्रस्तुत किया गया। हमारे वित्त मंत्री जी यहां बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़े हो गए। हमने दस मिनट तक इस सदन के अंदर सरकार और सदन का ध्यान खींचने का प्रयास किया। हम यह मांग करते रहे कि बजट जरूर महत्वपूर्ण है, हम बजट का महत्व जानते हैं लेकिन गोधरा की घटना का भी उतना ही महत्व है। यदि समय पर उसमें रोक नहीं लगाई जाएगी तो गोधरा में लगी हुई आग एक दिन सारे देश को फूंक देगी। इसलिए हम मांग कर रहे थे, हमें आसन से समझाया जा रहा था कि बजट महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम मांग कर रहे थे तो उस तरफ से सारे शांत और खामोश बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): क्या हम लोग भी आपकी तरह वैल में आ जाते?

सभापति महोदय: गीते जी, आप भाषण करें, किसी को प्रवोक मत करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं 27 तारीख को भी बार-बार यही दोहरा रहा था कि उस तरह के सारे लोग खामोश क्यों हैं...*(व्यवधान)*

श्री सलीम आई. शेरवानी (बदायूं): यह सही नहीं कह रहे हैं।

सभापति महोदय: इन्होंने ईल्ड नहीं किया है इसलिए आप बीच में न बोलें।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, मैंने शांति से सबको सुना है, मैंने किसी को टोका नहीं है।

श्री सलीम आई. शेरवानी: गीते जी मैं एक मिनट लेना चाहूंगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते: बिल्कुल नहीं। सभापति जी, उस दिन इसी जगह से मैं बार-बार यहीं कह रहा था, ये सारे खामोश थे। गोधरा की दुर्घटना के बाद शाम को उसकी प्रतिक्रिया हुई। 28 तारीख को शाम को विपक्ष की नेता प्रधान मंत्री जी से मिलीं। क्या मांग करने के लिए गई थी, प्रधान मंत्री जी से मिलकर उन्होंने कहा कि गुजरात में जो अल्पसंख्यक हैं, उनका जीवन खतरे में है, आप उनको सुरक्षा दें।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, यह सच नहीं है। मैं उस बैठक में मौजूद था। यह बिल्कुल सच नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह सच है...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो उसे उद्धृत मत कीजिए।...*(व्यवधान)* मैं उस बैठक में था। ...*(व्यवधान)* हमने हिंसा को रोकने के लिए कहा था। हमने सेना को तैयार रखने की बजाय उसकी तैनाती की मांग की थी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपको जब बोलने का अवसर मिलेगा, तब अपनी बात कहें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके नेता बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, विपक्ष की नेता के आज के 20 मिनट के भाषण को हमने सुना है। उन्होंने अपने भाषण में गोधरा का जिक्र एक ही बार एक ही संदर्भ में किया है। यह बताया गया कि उस दिन हमने गोधरा दुर्घटना की निंदा की थी। आज के उनके 20 मिनट के भाषण में गोधरा का और कोई जिक्र नहीं हुआ। गोधरा के संदर्भ में एक भी वाक्य आज नहीं था।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी ने तो शुरू में ही अपने भाषण में इसका जिक्र किया था, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन उनके 20 मिनट के भाषण में एक भी वाक्य गोधरा पर नहीं था।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): गीते जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये सही नहीं कह रहे हैं। विपक्ष की नेता ने गोधरा की निंदा की है।

सभापति महोदय: आपको जब मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहें।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, छः दिन तक सदन को नहीं चलने दिया गया। इस 13वीं लोक सभा के नौवें सत्र में लगभग नौ बार अलग-अलग नियमों के तहत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर इस सदन में चर्चा हुई है। कभी शिक्षा का भगवाकरण को लेकर हुई। इतना ही नहीं, जब गुजरात में भूकम्प आया तो उसमें भी राजनीति की गई। यहां पर आरोप लगाया गया कि वहां के अल्पसंख्यकों को राहत नहीं दी जा रही है और उनको जानबूझकर परेशान किया जाता है। बार-बार मांग की जा रही है कि गुजरात के मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसका फैसला गुजरात की जनता करेगी। यह चुनी हुई सरकार है, इसका फैसला गुजरात की जनता करेगी कि चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, सरकार किसकी रहेगी? आज गुजरात में दंगे हो रहे हैं। कानून और व्यवस्था को लेकर मुख्य मंत्री की इस्तीफे की मांग की जा रही है। दंगे सिर्फ गुजरात में नहीं हुए हैं। आजादी से लेकब अब तक देश के हर राज्य में दंगे हुए हैं। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां दंगे नहीं हुए हैं बल्कि इससे भी ज्यादा दिनों तक चलते रहे हैं जिसका जिक्र उमा भारती जी ने किया तब हितेन्द्र देसाई गुजरात के मुख्य मंत्री थे। उस समय लगातार 6 महीने तक दंगे रहे और आज यहां पर कानून और व्यवस्था की बात की जा रही है। जब बिहार में दलितों की हत्याएं हो गई और आज भी बिहार में रोज हत्याएं हो रही हैं। जब इसी सदन के अंदर हमने 356 के तहत बिहार की सरकार भंग करने का प्रस्ताव पारित किया तब राज्य सभा में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। यदि आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, जब कोई अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाती है तो अल्पसंख्यक से मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। इस देश में कई अल्पसंख्यक समाज हैं लेकिन सिफ मुस्लिमों के संदर्भ में ही अल्पसंख्यक को लिया जाता है और जब घटना होती है तो सारा सदन खड़ा हो जाता है। जब दलित मारे गये, इस सदन ने प्रस्ताव पास किया तो आपने उस प्रस्ताव को राज्य सभा में पास नहीं होने दिया। बिहार की सरकार की आपने रक्षा की। दलितों की हत्याओं का समर्थन आपने किया।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: बिहार में राबड़ी देवी की सरकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: लेकिन कांग्रेस के समर्थन में है। सरकार भले ही राबड़ी देवी की है लेकिन कांग्रेस के समर्थन में है। कल राम विलास पासवान जी ने इस्तीफा दिया, सदन में काफी चर्चा हो गई। अब उमर अबदुल्ला जी के इस्तीफे के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब बिहार में दलितों की हत्या हो गई थी तो उसी समय राम विलास पासवान जी इस्तीफे देते तो शायद इस देश के दलितों को लगता कि कोई हमारा भी है।

महाराष्ट्र में जब से कांग्रेस की सरकार है, मुख्य मंत्री कांग्रेस के हैं, पिछले ढ़ाई साल में लगभग 50 से ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे हो गये हैं। आखिरी दंगा कल्याण में पिछले हफ्ते में हो गया। जब तक शिव सेना और भाजपा की सरकार थी, साढ़े चार साल में एक भी दंगा नहीं हुआ था लेकिन पिछले ढाई साल में पचास से ज्यादा दंगे हो गये हैं, दलितों की बस्ती जलाई गई। लेकिन किसी ने विलासराव देशमुख का इस्तीफा नहीं मांगा और न गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। चंद्रशेखर जी यहां पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 1984 का कितनी बार जिक्र करोगे? यदि एक राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार कानून-व्यवस्था नहीं बना पा रही है, इसको लेकर यदि एक सरकार के इस्तीफे की मांग हो सकती है, तो क्या 1984 में तीन हजार से ज्यादा सिक्खों की हत्या हो गई, कानून-व्यवस्था पूरी खत्म हो गई, तो क्या उसकी हम याद नहीं दिला सकते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, क्या वह सभा में गुजरात में हुई हिंसा को न्यायोचित ठहरा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या हम सदन को उसकी याद नहीं दिला सकते हैं कि उस समय क्यों इस्तीफा नहीं मांगा गया...*(व्यवधान)* सभापति जी, मोरारजी देसाई जी का यहां जिक्र किया गया। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र और गुजरात मिलकर मुम्बई राज्य था। संयुक्त महाराष्ट्र का आन्दोलन चल रहा था। मुम्बई के लिए संघर्ष हो रहा था। उस आन्दोलन को खत्म करने के लिए पुलिस के जरिए 105 लोगों की हत्या हो गई और 65 लोग गुजरात में मारे गए। उसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने सारे आफिसरों की बैठक बुलाई और पुलिस आफिसरों को भी बुलाया गया। अखबारों में भी छपा था। उन्होंने पूछा-पुलिस के लोगों ने कितनी गोलियां चलाईं? जब गोलिया इतनी चली हैं, तो सिर्फ 105 लोग क्यों मारे गए। क्या आपने इस्तीफा मांगा था? क्या कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा था?

सभापति जी, गोधरा की घटना और बाबरी मस्जिद का यहां पर बार-बार जिक्र होता है। बाबरी मस्जिद मिट्टी और पत्थर का ढांचा था।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: वहां मंदिर था?

श्री अनंत गंगाराम गीते: मंदिर तो बना दिया था, राजीव गांधी जी ने शिलान्यास करके और पूजा भी शुरू हो गई थी।

एक माननीय सदस्य: मंदिर को क्यों गिराया गया?

श्री अनंत गंगाराम गीते: मंदिर को नहीं गिराया गया, ढांचे को गिराया गया।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, बाबरी मस्जिद मिट्टी और पत्थर का ढांचा था। मिट्टी और पत्थर का ढांचा गिरने पर रियैक्शन हो गया और मुम्बई में 12 बम विस्फोट हो गए।...*(व्यवधान)* फिर इस ओर से कहा गया कि ढांचा क्यों गिराया गया, यदि ढांचा न गिराते, तो दंगे नहीं होते। जब गोधरा में जिन्दा 57 लोगों को जलाया गया, तो यहां किसी ने नहीं कहा कि जिन्दा क्यों जलाया गया। यदि नहीं जलाए जाते, तो दंगे नहीं होते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मुझे बोलने के लिए समय देना चाहिए, सब को समय मिला है। महत्वपूर्ण विषय है। आप समय दीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

सभापति जी, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मिट्टी और पथ्तर के ढांचे गिरने पर रियैक्शन को इम्पोर्टेंस और जिन्दा जलाए जाने पर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है।

महोदय, बार-बार कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों ने ब्रिटेन ने, जर्मनी ने निन्दा की। जिन अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल तक इस देश पर अत्याचार किए, इंसान का जीवन जानवर से बदतर किया, जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार किया, उस ब्रिटेन को हमारे देश पर निन्दा करने का कोई अधिकार नहीं है। चन्द्रशेखर जी ने यहां पर नाजी का जिक्र किया। आज वहां पर भले ही हिटलर की निन्दा होती हो, लेकिन जब लाखों की संख्या में ज्यूस मार दिए गए तब सारी जर्मनी हिटलर के साथ थी। आज उस जर्मनी

को हमें शिक्षा देने की या हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। *...(व्यवधान)*

महोदय, पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा पार से आतंकवाद एवं युद्ध चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ दुर्भाग्य से हम एक नहीं हैं। हम एक होकर लड़ नहीं पा रहे हैं। इसमें भी डिवीजन एवं बंटवारा है। हम एक कानून नहीं बना सके - आतंकवाद से लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए हम एक कानून नहीं बना पाए। हमने इस सदन में पोटा पारित किया, लेकिन राज्य सभा से पारित नहीं हो पाया। हमें ज्वाइंट सत्र बुलाना पड़ा, इससे बढ़ कर देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यह किस के लिए है, आप किन लोगों की चिन्ता कर रहे हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। शिवसेना कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है।*...(व्यवधान)*

महोदय, जिन आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया, उन्हीं आतंकवादियों को संसद तक पहुंचने में जिन लोगों ने सहायता दी, क्या आप उनका समर्थन करेंगे। हम उन्हीं के खिलाफ हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, माननीय सदस्य को न्यायसंगत साबित करना होगा।*...(व्यवधान)* वह जो कुछ कह रहे हैं वह सही नहीं है।*...(व्यवधान)* क्या वह इसे न्यायसंगत साबित कर रहे हैं?*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह एक तरह से समर्थन ही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य की बात अभी समाप्त नहीं हुई है। आप कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं।*...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैंने सब की बात शांति से सुनी है, आप मेरी बात भी सुनिए।*...(व्यवधान)* मैंने कोई गैर जिम्मेदाराना बाता नहीं कही है, हम जो भी कह रहे हैं, राष्ट्र के हित में कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह विपक्ष पर तुच्छ और झूठा आरोप है।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, हम जानकारी चाहते हैं, आपने कहा कि हम सब लोग आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं तो आप यह भी बता दें कि हुर्रियत के, बिना हम लोगों को विश्वास में लिए और बिना किसी शर्त के आतंकवादियों को रिहा किस ने किया। उन आतंकवादियों को बस में बैठा कर कंधार कौन ले गया, ये आप बताएं*...(व्यवधान)* हवाई-जहाज में मेहमान बना कर कौन ले गया? आतंकवादियों का समर्थन, उनसे गुप्त बात, क्या गृह मंत्री जी के लोगों ने नहीं की, क्या विदेशों में आतंकवादियों से बात नहीं हो रही, नार्थ-ईस्ट के आतंकवादियों से विदेशों में बात नहीं कर रहे? उनसे बात कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं।*...(व्यवधान)* आप उनसे मिले हुए हैं, उनके समर्थक हैं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अनंत गीते जी के सिवा कोई बात कार्यवाही में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: लालमुनि चौबे जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: जिस हवाई-जहाज का अपहरण आतंकवादियों ने किया था उस जहाज में यात्रा करने वाले हमारे नागरिक थे, जनता थी और जो यात्रा करने वाले यात्री थे*...(व्यवधान)* उन यात्रियों के जीवन की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी थी। उस समय न केवल सरकार ने बल्कि इस देश की हर पार्टी के नेता ने यह मांग की थी कि किसी भी कीमत पर उनकी जान की रक्षा होनी चाहिए। क्या आपने यह मांग नहीं की थी? क्या आपने यह कहा कि यात्रियों को मरने दो*...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, गृह मंत्री जी ने हमसे पूछा, यहां पर मैं वे सब बातें बताऊंगा नहीं। आपसी बातें थीं, उनको यहां पर जाहिर नहीं करुंगा*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अनंत गीते जी, आप अपनी बात कहिये। आप स्वयं दूसरों को मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात कह कर अपना भाषण समाप्त कीजिए।

***कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।**

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, आज सारा देश एक खतरे के मोड़ पर है। हमारी सीमाएं सुरिक्षत नहीं हैं। आतंकवाद देश के हर कोने में पहुंच गया है और उसका स्वरूप धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

श्री रामजीलाल सुमन: क्या करना है वह बताइये?

श्री अनंत गंगाराम गीते: वही बता रहा हूं। सभापति जी, गुजरात की घटनाओं की निंदा यहां हो रही है और किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया है और न कोई उनका समर्थन करेगा ही। लेकिन इन सारी घटनाओं की जड़ में हमें जाना होगा। यह जो आंतकवाद चलाया जा रहा है इससे अगर निपटना है तो आतंकवाद का जो समर्थन करने वाले हैं उनको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यही लगती इस सदन के माध्यम से आप आज कर रहे हैं और यह गलती इस देश के लिए महंगी साबित होगी। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि राजनीति की चर्चा यहां पर हो रही है और विपक्षी नेता ने भी अपनी बात यहां पर रखी है। एक हिन्दी फिल्म का डायलाग है, उस फिल्म के हीरो का नाम मैं नहीं लूंगा। वह विलैन से कह रहा है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, मैं उस स्कूल का हैड-मास्टर हूं। मैं अटल जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आप भी यहां बता दें कि सोनिया जी जिस स्कूल में पढ़ रही हैं उस स्कूल के हैड-मास्टर आप हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, आल इंडिया अन्ना डी एम के पार्टी की ओर से मैं इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। 27 फरवरी से यह देश पिछले दो माह से गुजरात में हत्याकांड को देख रहा है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात एक बड़ा दंगा संभावित राज्य है। इन दंगों से पूरे देश को धक्का लगा है। इन हत्याओं से पूरे देश को धक्का लगा है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रत्येक सही सोच रखने वाले व्यक्ति को धक्का लगा है।

महोदय, पत्रकारों को इस स्थिति का जायजा लेने के लिए गुजरात पहुंचने में जितनी कठिनाई हुई और जिस ढंग से उन्होंने समूचे राष्ट्र से इस पर वाद-विवाद कराया, उसकी प्रशंसा करनी होगी। भारत के संचार माध्यमों के साथ-साथ बी.बी.सी. फिनलैंड मीडिया, और यूरोपीय यूनियन ने इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। अब यह मुद्दा गुजरात तक ही सीमित नहीं है, यह भारत तक ही सीमित नहीं है, इसे विश्व भर में वृहत रूप से दर्शाया गया है कि यह मानवता के विरुद्ध अपराध है, यह सभ्यता के विरुद्ध अपराध है। इन हत्याओं ने दुनिया में सही सोच वाले लोगों को झकझोर दिया है। इसके अतिरिक्त, 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उद्योग, कारोबार और सामान्य रूप से जनता को लगभग 5000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ।

महोदय, इन सब घटनाओं को समाप्त करने और साथ में सामान्य स्थिति लाने हेतु कदम उठाना केन्द्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है। उन्हें गुजरात राज्य में रहने वाले लोगों में विश्वास पैदा करने वाले उपाय शुरू करने चाहिएं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): इसके लिए कितना समय आवंटित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना समय दिया गया है? हम यह जानना चाहते हैं क्योंकि सदस्य बोलते जा रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं कहूंगा कि भारत में कुछ राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित और कुछ गैर भाजपा शासित राज्य हैं। यहां कानून और व्यवस्था की समस्या है। यहां हत्याएं अधिक हुई। यद्यपि इस राज्य के मुख्य राजनीतिक कार्यकारी ने त्याग पत्र दिया था फिर भी केन्द्र सरकार ने उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया है। यदि यह त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता तो प्रस्ताव कदापि नहीं आता। मैं कहूंगा कि कम से कम केन्द्र सरकार को चेत जाना चाहिए और गुजरात राज्य में हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। कभी कभी केन्द्र सरकार तेजी से काम करती है। मैं एक उदाहरण दूंगा।

जब तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री आपराधिक शिकायत पर गिरफ्तार किए गए तो केन्द्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिए उसी दिन अधिकारियों का एक दल भेजा। वहां पर कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं थी, कोई आगजनी नहीं थी, कोई लूट नहीं हुई थी और कोई हत्या नहीं हुई थी। आप यह पैमाना अथवा सिद्धांत इस राज्य पर क्यों लागू नहीं करते?...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): ऐसा आपकी सरकार के अलोकतांत्रिक कार्य के कारण हुआ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: वहां कोई आगजनी नहीं हुई थी। कोई हत्या नहीं हुई थी और कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं थी। यह एक व्यक्तिगत मामला था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वैको, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप क्यों दखल दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: मैं सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय: वह आपकी बात से सहमत नहीं हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री पी.एच. पांडियन: यह एक व्यक्तिगत मामला है। *...(व्यवधान)*

श्री वैको: यह और कुछ नहीं था बल्कि सरकार द्वारा दमन था।

श्री पी.एच. पांडियन: श्री वैको, आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। क्या वहां पर कानून और व्यवस्था की कोई समस्या थी अथवा क्या कोई हत्या हुई थी।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वैको, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप सभापति की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते।

श्री पी.एच. पांडियन: किसी ने कोई हत्या नहीं की।

श्री वैको: यह अप्रासंगिक है*...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: केन्द्र सरकार को गुजरात में अधिकारियों का एक दल भेजना चाहिए था*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वैको, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री पी.एच. पांडियन: केन्द्र सरकार को गुजरात में अधिकारियों का एक दल भेजना चाहिए था।

इस मामले में स्थिति का आकलन करने के लिए अधिकारियों का कोई दल नहीं भेजा गया*...(व्यवधान)* तमिलनाडु के मामले में अधिकारियों का दल भेजा गया क्योंकि उसके परिवार का एक सदस्य केन्द्र में इस मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। गुजरात के मामले में भी यह पैमाना क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? यही संवैधानिक शक्ति का प्रयोग गुजरात में क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि वही सिद्धांत लागू किया जाता तो नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति को बचाया जा सकता था। जब सरकार एक नागरिक को बचाना चाहती है तो वे क्यों एक राज्य को नहीं बचाना चाहते? केन्द्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और दंगे भड़कने के बाद चौबीस घंटे के भीतर नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों का कोई दल नहीं भेजा था। किन्तु तमिलनाडु के मामले में वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों का दल भेजने के बाद मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई थी उसने राज्यपाल से वांछित रिपोर्ट मांगी। उन्हें राज्यपाल की ओर से वांछित रिपोर्ट नहीं मिली इसलिए उन्होंने राज्य में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण राज्यपाल से त्यागपत्र देने के लिए कहा। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से त्यागपत्र देने के लिए कहने का निर्णय लिया गया। इसलिए उसी संवैधानिक शक्ति का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है- मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोगों की जान बचाना—गुजरात के मामले में लोगों की जान बचाना असंवैधानिक है सरकार को वहां स्थिति का आकलन करने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजना चाहिए था।

महोदय, गुजरात में अब लगभग 104 राहत शिविर हैं और लगभग 1.5 लाख लोग इन राहत शिविरों में दुख में दिन काट रहे हैं। इसके बारे में हमारा उत्तर क्या है? हम कैसे इस समस्या को हल करने जा रहे हैं? यह एक संकट है जो विशाल रूप धारण कर चुका है। माननीय गृहमंत्री यहां हैं और वह इस बात की प्रशंसा करेंगे। पिछले दो दशकों में गुजरात राज्य में यह तेरहवां दंगा है।

श्री दलित इजिलमलाई: यह मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध है*...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं किसी समुदाय को बांटना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने भी कानून के विरुद्ध कुछ किया है, उनके साथ कानून के तहत ही निपटा जाएगा। 27 फरवरी के नरसंहार के तत्काल बाद मेरे नेता और तमिलनाडु की मुख्य मंत्री, डा. पुरतची थलैवी ने इस घटना की निन्दा करते हुए वक्तव्य जारी किया। मैं यहां यह बात दोहराऊंगा कि यदि उनके इस वक्तव्य पर ध्यान जाता तो हिंसा की ऐसी बार-बार होने वाली घटनाएं नहीं होती। कानून और व्यवस्था की इस समस्या से सख्ती से निपटा जाना चाहिए था*...(व्यवधान)* अत: मैं सरकार से अपील करूंगा*...(व्यवधान)*

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): आप इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं अथवा विरोध?*...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: हमने पोटो पर अपना समर्थन दिया है। हम मुद्दों के आधार पर सरकार को समर्थन दे रहे हैं। किसी मुद्दे पर हम सरकार का समर्थन करेंगे। हमने पोटो को अपना पूरा समर्थन दिया क्योंकि मेरी नेता स्वयं तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने टाडा कार्यान्वित किया था। आज सुबह मैंने एक समाचार पढ़ा कि मेरे नेता के विरुद्ध एल.टी.टी.ई. के समर्थकों द्वारा कोलम्बो में प्रदर्शन हुआ*...(व्यवधान)* महोदय क्या यही तरीका है?

मौजूदा मामले के यह इंसानियत पर हमला था। यह सभ्यता पर हमला था। आप लोगों को मारना जारी नहीं रख सकते। पार्टी

[श्री पी.एच. पांडियन]

के राजनीतिक कार्यकारी को निर्णय लेना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते: "आप यह या वह निर्णय लें।" जहां तक मैं जानता हूं, यहां राज्य के राजनीतिक कार्यकारी पर महाभियोग चलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। मैं यह बात जानता हूं। फिर भी, क्योंकि विचार विमर्श हो रहा था तो मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विषय पर बोल रहा हूं। मेरे नेता ने कहा था कि मुख्य मंत्री को हटाने की मांग नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा यदि वह त्यागपत्र देते हैं तो अच्छा। यदि यह त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता तो कोई समस्या नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा कि यह त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया। अब कम से कम राज्य को चलाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाना भारत सरकार का काम है...*(व्यवधान)* इसीलिए मैंने कहा है कि हमने मुद्दों पर आधारित समर्थन दिया है। इस मुद्दे पर हम सदन से अनुपस्थित रहेंगे। यदि कार्रवाई हो जाती...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पांडियन, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री पी.एच. पांडियन: आल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी और मेरी नेता को विश्वास है कि सरकार कार्रवाई करेगी। हमारा सरकार में विश्वास है। हमें इसमें विश्वास करना है। हमें उच्चतम न्यायालय में विश्वास करना होगा। हमें सरकार में विश्वास करना होगा। कोई दूसरी सरकार नहीं है, एक ही सरकार है। यह सरकार भारत सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हैं, यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार नहीं है, यह भारत सरकार है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: फिर आपको डा. करूणानिधि पर भी विश्वास करना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: जब वह मुख्यमंत्री थे वह एक संवैधानिक प्रमुख थे और हमें उन पर विश्वास करना पड़ा। हमें विश्वास करना होगा। यह संवैधानिक सिद्धांत है। हमारा इस संसद में विश्वास है।

श्री वैको: फिर आपको श्री नरेन्द्र मोदी पर भी विश्वास करना होगा।

श्री पी.एच. पांडियन: इसलिए, यहां वाद-विवाद की अनुमति दी जा रही है। इसीलिए, हम चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां कहा कि संविधान में राज्य कार्यपालिका को महाभियोग द्वारा हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह अत्यंत विरल मामलों में से एक है।

मैं, पुन: सरकार से, राज्य में हिंसा को समाप्त करने हेतु लोगों को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निवेदन करता हूं। अपने नेता की तरफ से मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसा करेगी। सरकार को सभी सरकारों के लिए एक ही पैमाने का उपयोग करना चाहिए. "आप अपनी सरकार को सहन कर सकते हैं लेकिन दूसरी सरकारों को सहन नहीं कर सकते," ऐसा सिद्धांत नहीं होना चाहिए। आपको सभी सरकारों के साथ संवैधानिक रूप से एक समान व्यवहार करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपकी परेशानी समझता हूं। कृपया यह बताएं कि आप इसका समर्थन कर रहे है या विरोध।

श्री वैको: आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं?

श्री पी.एच. पांडियन: सभापति महोदय, यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गुजरात के लोगों को बचाने के लिए वह राष्ट्र को जवाब दे। यह उन पर है कि वे अपने सहयोगी के विरुद्ध कार्रवाई करें। मेरे नेता ने कहा है कि किसी अन्य मुख्य मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहने का रिवाज नहीं है।

श्रीमती मर्ग्रेट आल्वा (कनारा): वह भी मुख्यमंत्री थीं लेकिन उन्होंने उन्हें हटा दिया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्होंने आपके राज्यपाल को भी हटा दिया। मुख्यमंत्री के रूप में कुमारी जयललिता के शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को हटा दिया था।

श्री पी.एच. पांडियन: उनके पास सत्ता थी। सत्ता की यह संवैधानिक प्रक्रिया है। आपको संविधान के रक्षक, संविधान के पाठक के रूप में संविधान में विश्वास रखना होगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप अपने भाषण को सुश्री फातिमा बीबी के पास बधाई के रूप में भेज सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, वे मुझे विचलित कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, हमारी नेता एक योग्य मुख्यमंत्री हैं। वह शक्तिशाली मुख्य मंत्री हैं। यदि उन्हें गुजरात पर शासन करने के लिए कहा जाए, वह उसे बेहतर तरीके से

करेंगी...*(व्यवधान)* उनमें साहस है। उनमें इतना साहस है कि वह आतंकवादियों का सामना कर सकती हैं...*(व्यवधान)* क्या आप आतंकवादियों का सामना कर सकेंगे?...*(व्यवधान)*... हां, वह देश के लिए, लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह का वक्तव्य जारी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने इस तरह का वक्तव्य जारी करने का साहस किया है क्योंकि वह स्वार्थी नहीं हैं।

महोदय, आपको इस चर्चा पर मत विभाजन के दौरान अनुपस्थित रहने के अन्ना डी.एम.के. द्वारा लिए गए रवैए की प्रशंसा करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वैको: सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): सभापति महोदय, अभी 5 बज रहे हैं। हमारे पास चर्चा के लिए मुश्किल से एक घंटा बचा है। जब तक हम समय नहीं बढ़ाते और सभा में सदस्यों की संख्या के अनुपात में समय नहीं देते, तो सभी वक्ताओं को जो यहां उपस्थित हैं समय देना कठिन हो जाएगा। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि समय बढ़ाया जाए इसका आवंटन इस तरह से किया जाए सब लोगों को बोलने का मौका मिले। सरकारी पक्ष की भी राय ले ली जाए। तब, निर्णय लिया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: छः बजे तक समय है। इसके बाद हाउस की कंसेंसस ले ली जाएगी और उसके अनुसार हाउस का समय बढ़ा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, आप सभा की राय ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा इसलिए हुआ कि सदस्यों ने अपने आवंटित समय से ज्यादा समय लिया। यदि हम इसे व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो यह बहुत कठिन होगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, समय का ख्याल रखें, तो ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं समय के बारे में नहीं कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आधा घंटे के बाद हाउस की सहमति ले ली जाएगी।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सभापति जी, यह नहीं होना चाहिए कि आखिर के जितने भी स्पीकर हैं आप उनको गिलोटिन करें क्योंकि आज मैं देख रहा हूं आप किसी पर रोक नहीं लगा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब उनको बोलने दें।

श्री वैको: सभापति महोदय, बिलखती माताओं और विलाप करती विधवाओं के क्रंदन से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दुःख पहुंचा है।

गोधरा, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों में भयंकर हत्याएं एवं पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाना देश के चेहरे पर एक कलंक है।

अपराह्न 4.54 बजे

(श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए)

महोदय, बर्बर लोगों का खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत वाला रवैया था। गुजरात के गोधरा और अन्य स्थानों पर हुए हत्याकांड के लिए जो भी जिम्मेदार है, उन्हें सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

महोदय, हमारे प्रधानमंत्री ने जब अहमदाबाद का दौरा किया, अनियंत्रित वेदना और कष्ट के साथ आंसुओं में अपने दुःख को व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि पागलपन का सामना पागलपन से और नहीं किया जा सकता और आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। आग को पानी से ही बुझाना पड़ेगा। अब, समय की मांग है कि भाइचारे की भावना कायम की जाए।

मैंने भी विपक्ष की नेता और हमारी सभा और अन्य सभा के नेताओं के साथ गोधरा का दौरा किया, महोदय, आप भी वहां थे।

[श्री वैको]

जब हमने साबरमती एक्सप्रेस के पूरी तरह से जले डिब्बे में प्रवेश किया, वह स्थान जहां महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, हमने बच्चों की अधजली चप्पल को देखा। यह कल्पना करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उन माताओं को कितना दु:ख हुआ होगा जो मौत की लपटों का सामना कर रही थीं। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ इसकी निन्दा करता हूं; जिन्होंने भी यह अपराध किया है- चाहे यह गोधरा में हुआ हो या अहमदाबाद में या गुजरात के अन्य किसी स्थान पर- सरकार को उन अपराधियों के साथ कड़ाई से निपटना चाहिए।

मैं श्री रामजीलाल सुमन के प्रस्ताव जिसे श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया है, के विरोध के लिए वाद-विवाद में बोलने के लिए भाग लिया है। मैं इसे पूरी तरह से नकारता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की है।

चार वर्ष बीत गए; वे दंगा-युक्त साल थे, और घोटाला रहित वर्ष थे...*(व्यवधान)* ये चारों साल उस तरह से थे कि...*(व्यवधान)* हां, वे दंगा-युक्त वर्ष थे...*(व्यवधान)* वे दंगायुक्त वर्ष थे- 1998, 1999, 2000 और पुन: 2001 ये साल पूरी तरह से दंगा-युक्त थे। कुछ लोगों के नीहित स्वार्थ थे। वे देश के कुछ भागों में दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन चारों वर्षों में देश में पूर्ण सौहार्द बनाए रखा गया।

इसलिए, अपनी पार्टी एम.डी.एम.के. की तरफ से जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक घटक दल है, मैं कहता हूं कि हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अटल विश्वास है और यह सरकार धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारा निवेदन है। हम अल्पसंख्यक समुदाय के अपने भाईयों एवं बहनों से अपील करते हैं कि इस मातृत्व सदृश संसार में हम सहायता के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर उदीयमान और आधुनिक भारत का निर्माण करें; हम अपने पुराने पुर्वाग्रहों का त्याग करें; हम विभाजनकारी ताकतों का सफाया करें; विवादित मुद्दों पर रोक लगाएं एवं हम अपने आपको विश्वास एवं मित्रता के सूत में बांध लें, दुहराव के बावजूद भी हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के पास जाएं और यह बताएं कि अपने संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किसी अन्य का नहीं बल्कि भारत के सब लोगों का राजनीतिक मंच है। किसी को भी अलग नहीं रखा जाएगा, सबके साथ स्पष्ट एवं उचित न्याय किया जाएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी के साथ भेद-भाव नहीं किया जाएगा। हम धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभ्य, मानवीय जनव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां जाति, धर्म, वर्ण, प्रजाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता।

अपराह्न 5.00 बजे

> ".....हम सभी के प्रति "सर्वधर्म समभाव" की भारतीय परंपराओं से जुड़े धर्मनिरपेक्ष की संकल्पना की परिपाटी को सच्चे और वास्तविक रूप में बनाए रखेंगे। हम अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इस संबंध में प्रभावी कदम उठाएंगे।"

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का यही एजेंडा है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध है।

गुजरात में जो कुछ हुआ? मैं गोधरा में हुए हत्याकांड की निन्दा करता हूं और साथ ही उस अपराध की भी निन्दा करता हूं जहां पूर्व संसद सदस्य श्री एहसान जाफरी को उनके परिवार के लोगों के साथ उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी।

महोदय, इस प्रस्ताव को तथा वह भी बाद के विचार के रूप में लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, मार्क्सवादी कामरेड एवं सभा की मुख्य विपक्षी पार्टी ने मिलकर ये संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

27 फरवरी को गोधरा में नरसंहार हुआ। कुछ घंटों के अंदर ही त्वरित कार्रवाई बल को गोधरा एवं अहमदाबाद में तैनात कर दिया गया था। साथ ही तत्काल रेड एलर्ट भी घोषित किया गया था। 28 फरवरी को प्रात: 8 बजे तक बड़ौदा में और दोपहर 12 बजे तक अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 28 फरवरी को 2.30 बजे तक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सेना भेजने के लिए अनुरोध किया। मध्यरात्रि अथवा 1 मार्च की सुबह 40 हवाई जहाजों में लद कर आए सैन्य कार्मिकों को अहमदाबाद में, 12 हवाई जहाजों में लद कर आए सैन्य कार्मिकों को राजकोट में और 6 हवाई जहाजों में आए सैन्य कार्मिकों को बड़ौदा में तैनात किया गया था। पहले तीन दिन तबाही भरे दिन थे।

पुलिस ने लगभग 37,045 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 9,436 राऊंड गोलियां चली और पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 176 लोग मारे गए थे। मैं इसे पृथक रूप से नहीं बताना चाहता कि कौन सा समुदाय प्रभावित हुआ था परन्तु मुख्य विपक्षी दल और इस ओर के मेरे विद्वान मित्रों के द्वारा यहां यह तर्क दिया गया कि गुजरात की राज्य सरकार के रवैये में पक्षपात था। गिरफ्तार किए गए 37,000 लोगों में से 29,000 लोग बहुसंख्यक समुदाय के थे और 8000 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे। पांच

बड़े मामले दर्ज किए गए हैं और 3,600 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। पांच बड़े मामलों में से एक गौधरा का मामला है। गोधरा में, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य चार बड़े मामलों में बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 14,144 लोगों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया है जिनमें से 12,054 लोग बहुसंख्यक समुदाय के और 4,090 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार का रवैया भेदभाव या पक्षपातपूर्ण कैसे है।

क्या यह सच नहीं है कि मुहर्रम बिना किसी अप्रिय घटना के मनायी गयी थी? क्या यह सच नहीं है कि बिना किसी अप्रिय घटना के होली मनाई गयी थी। क्या यह सच नहीं है कि गुजरात राज्य में बिना किसी छिट-पुट घटना के हजारों ताजिये निकाले गए? क्या यह सच नहीं है कि 7000 से ज्यादा हजयात्रियों का अभिनंदन गुजरात के अधिकतर गांवों में किया गया था? क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के लिए उकसाने के बावजूद 1,20,00,000 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए जो कि 96 से 97% बनता है?

महोदय, जब इसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया गया था, तो श्री कमलनाथ को इसे वापस लेना पड़ा था और एक वक्तव्य जारी करना पड़ा था। महोदय, क्या यह सच नहीं है कि 1969 में गुजरात राज्य में हुए दंगों में 600 लोग मारे गए थे? तब कौन शासन कर रहा था? वह कांग्रेस थी। क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1970 में साम्प्रदायिक दंगों में एक बार फिर 400 लोग मारे गए थे। तब भी कांग्रेस ही शासन कर रही थी- 1985 में हुए दंगों में 280 लोग मारे गए थे, उस समय भी वहां कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 1990 में हुए दंगों में फिर 400 लोग मारे गए थे, तब भी वहां कांग्रेस का शासन था। क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1992 में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 441 लोग मारे गए थे? तब कौन शासन कर रहा था-वह कांग्रेस ही थी।

अपराह्न 5.06 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन* हुईं)

क्या उन्होंने सत्ता छोड़ दी थी? क्या वे त्यागपत्र देने के लिए आगे आए थे? यहां वे राहत एवं पुनर्वास के बारे में बात करते हैं। वहां जो कुछ हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। कोई भी खुश नहीं है। प्रधानमंत्री खुश नहीं है। गृह मंत्री प्रसन्न नहीं हैं। कोई भी खुश नहीं है। जब 1,40,000 लोगों को राहत शिविरों में आश्रय लेना पड़ रहा है और जब अपने ही देश में वे शरणार्थी बन गए हैं, तो कोई भी खुश नहीं होगा। महोदया, स्वच्छता, बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं, जल, भोजन, दवाईयां, सभी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि कोई कमी है तो उसे ध्यान में लाया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार, राहत उपाय चल रहे हैं।...*(व्यवधान)* जी हां, कोई भी व्यक्ति लोगों की हत्या एवं उन्हें जीवित जलाने से खुश नहीं है। केवल मृत्यु के बाद ही शवों को चिता पर रखा जाता है। यह सोच से परे और कल्पना से परे की बात हो जाती है जब किसी व्यक्ति को जिन्दा जलाया जाए। इसीलिए, प्रधानमंत्री ने अपने दु:ख को अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कल्पना से परे है। उन्होंने यह भी कहा कि वह क्या मुंह लेकर देश से बाहर जाएंगे और वहां क्या कहेंगे। यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी भावना एवं दु:ख की अभिव्यक्ति की गई।

सभापति महोदया, विपक्ष की हमारी माननीय नेता ने सरकार पर जबर्दस्त हमला करते हुए और बड़े ही गुस्से में यह कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि गुजरात राज्य में चुनाव करवाने का एक मर्मभेदी प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस कदम का सुझाव दिया। जब इस पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में चर्चा हुई, तब हमने उस सुझाव को टाल दिया क्योंकि हम मुद्दों पर असहमत होने के लिए सहमत थे। हमारे देश के इतिहास में यह सर्वश्रेष्ठ गठबंधन है। कुछ लोग हवाई किले बना रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि उस जैसा ही कुछ हो जैसा 1999 में हुआ और वे सरकार को गिरते हुए देख सकें। मैं ऐसे लोगों एवं उनके सपनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हम फिर वापस आएंगे।

महोदया, विपक्ष की नेता ने यह कहा कि यह चुनाव करवाने के लिए किया गया मर्मभेदी प्रयास है। यदि मैं कुछ कहता हूं तो मेरे मित्रों के लिए मेरी बातें दु:खदायक बन सकती हैं। गोधरा कांड 27 फरवरी को हुआ। परन्तु वर्ष 1983 में 18 फरवरी को एक अन्य कांड हुआ था, जब असम के नेल्ली में भयावह नरसंहार हुआ था। उस समय, असम में 1383 पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे मारे गए थे।

यह इंडिया टुडे की आवरण कथा है जिसमें मृत लोगों के शवों को दिखाया गया है। विपक्ष की माननीया नेता ने कहा है कि गुजरात की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हमारे देश का सिर नीचे कर दिया है। जब 18 फरवरी 1983 को असम की घटना हुई थी, तो 1 मार्च को आने वाले इंडिया टुडे के अगले ही अंक में ये तस्वीरें छपी थीं। परन्तु हुआ ये था कि इंडिया टुडे

[श्री वैको]

के उस अंक विशेष की सभी प्रतियों को इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था।

श्री अधीर चौधरी: दोनों दंगों में मूल रूप से अंतर है। आप सभा को भ्रम में डाल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री वैको: परन्तु जब असम में नरसंहार हो रहा था, तब चुनाव कराए जा रहे थे। क्या उस समय कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया कदम सनक भरा नहीं था? उन्होंने सेना की बंदूक की नोक पर चुनाव कराए थे। केवल दस प्रतिशत लोगों ने ही मतदान में भाग लिया था। अब रही लोग लोकतंत्र एवं नागरिक स्वतंत्रता के मानदण्डों की बात कर रहे हैं। क्या सरकार का यह कदम सनक भरा नहीं था जब उन्होंने चुनावों में सहानुभूति के वोट बटोरे थे? कितना बढ़िया सिद्धांत उन्होंने यहां रखा है।

जब राजधानी दिल्ली की गलियों में दिन दहाड़े केन्द्र सरकार की नाक के नीचे लोग मारे जा रहे थे, अल्पसंख्यक सिक्ख समुदाय के लोगों पर हमला किया जा रहा था-जिनका कि श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या से कोई लेना-देना नहीं था- हम इस घटना की तीव्र भर्त्सना करते हैं, परन्तु साथ ही लोगों ने केवल यही अपराध किया था कि उन्होंने सिक्ख परिवारों में जन्म लिया था। जब दिल्ली की गलियों में तीन दिनों तक लगातार खून बहता रहा था, तो तब क्या गृहमंत्री ने अपना त्यागपत्र दिया था? इसके विपरीत, उनके नेता, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इस टिप्पणी के साथ इसे औचित्य पूर्ण ठहराया कि 'जब बड़े वृक्ष गिरते हैं, तो धरती हिलती ही है।' ये वे लोग हैं जो आज यह उपदेश देते हैं कि लोगों की सहानुभूति का लाभ नहीं उठाना चाहिए और वे चुनाव नहीं कराने का सुझाव दे रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य काफी क्रुद्ध थे जब मेरी प्रिय बहन कुमारी उमा भारती ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी. एस. तिवातिया द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का संदर्भ दिया। मैं 27 अप्रैल, 2002 के 'दी इंडियन एक्सप्रेस' को उद्घृत करता हूं। इसमें कहा गया है:

> "कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तिवातिया के नेतृत्व वाले पांच सदस्यीय दल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामले एवं मानवाधिकार परिषद के लिए किए गए अध्ययन को आज जारी किया गया है जिसमें कांड को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कार्रवाई के रूप में बताया गया है जो कि दंगे भड़काने के लिए जिहादी तत्वों की मिली-भगत से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। साबरमती रेल दुर्घटना पूर्व नियोजित थी एवं हमारे पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि यह अनायास होने वाली घटना नहीं थी। रेल के वैक्यूम पाइप को भी काट दिया गया था जिसका उपयोग चालक द्वारा किसी खतरे को महसूस करने की स्थिति में किया जा सकता था। इसके अलावा, ज्वलनशील घोल, अग्निबम एवं एजिड बमों का उपयोग रेलगाड़ी को जलाने के लिए किया गया था। यह घटना पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिए पाकिस्तान के आदेश पर की गई थी ताकि सैन्य बलों को सीमा क्षेत्रों से हटाकर दंगा-प्रभावित क्षेत्रों में लगाया जाए। पाकिस्तान का लक्ष्य सीमा पर भारतीय चौकियों को कमजोर बनाना और उस क्षेत्र को निगरानी विहीन बनाना था जिससे कि इस देश में जेहादी घुसपैठिए, मादक द्रव्य एवं हथियार आ सकें।"

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री वैको: किस नियम के तहत?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि किसी दस्तावेज का संदर्भ दिया जाता है तो यह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा बन जाता है और यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न है और आपको एक मिनट के लिए व्यवस्था के प्रश्न को सुनना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं तब तक नहीं जान सकता जब तक मैं उनकी बात नहीं सुनता। मैं नहीं कह सकता कि यह क्या है। उनको सुनने से पहले मैं यह कैसे कह सकता हूं कि यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए भाषणों में कई दस्तावेजों का संदर्भ दिया गया है। हमने इन दस्तावेजों में दिए गए संदर्भों पर कोई आपत्ति नहीं की थी। परन्तु ये दस्तावेज सरकार द्वारा जारी दस्तावेज नहीं हैं। ये दस्तावेज निजी पार्टियों द्वारा जारी किए गए हैं।

श्री वैको: विपक्ष की नेता द्वारा किस अधिकार से समाचार पक्षों का संदर्भ दिया गया है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने अभी-अभी समाचारपत्र को उद्धृत किया है। क्या ऐसा अध्यक्षपीठ की पूर्वानुमति से किया गया था?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि कोई कहता है कि यह दस्तावेज कांग्रेस पार्टी अथवा एक कांग्रेस सदस्य पर अभियोग

लगाता है तो यह कार्यवाही का हिस्सा बन जाता है और यदि आप हम पर आपत्ति नहीं करते तो कल वे खड़े होकर कहेंगे कि हमने इस पर आपत्ति भी नहीं की है। इसीलिए नियम है कि यदि किसी दस्तावेज का उल्लेख किया जाता है तो उन्हें इसे प्रमाणित करना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि जो दस्तावेज में उल्लेख किया गया है वह विश्वसनीय है। उन्हें वह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि ये वह जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और दस्तावेज का उल्लेख कर रहे हैं और यदि हम इस पर आपत्ति नहीं करते तो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पाटील क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस नियम के अंतर्गत प्रमाणीकरण आता है?

श्री शिवराज वि. पाटील: यह नियम 368 के अंतर्गत है। मैं निर्णयों और नियमों को उद्धृत कर सकता हूं। महोदया, आप बहुत लम्बे समय से इस सभा में हैं। यदि किसी दस्तावेज का उल्लेख किया जाता है और यदि यह एक अहानिकर दस्तावेज है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, यदि ये कहते हैं कि कांग्रेस का सदस्य किसी की हत्या में शामिल है और कांग्रेस पार्टी गोधरा की घटना में शामिल है तो इन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* यह उत्तर नहीं है।

श्री वैको: महोदया, मैंने ऐसा नहीं कहा था...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदया, जो यह कह रहे हैं वह इस नियम के अंतर्गत नहीं आता...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यह किसी तर्क का उत्तर देने का तरीका नहीं है। यदि वह तर्क का उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे उनके उत्तर देने पर कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यह नियम 369 के अंतर्गत है।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें और मुझे तर्क भी देने दें।

सभापति महोदय: मैं आपको नियम बताऊंगी। नियम 369 में कहा गया है:

> "पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा।"

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं कह रहा हूं कि जब भी किसी दस्तावेज का उल्लेख किया जाए तो इसे संवैधानिक प्रावधानों, नियमों और परिपाटियों के अनुसार प्रमाणित करना पड़ेगा। यदि किसी दस्तावेज का उल्लेख किया जाता है तो यह कार्यवाही का हिस्सा बन जाता है और यह कार्यवाही एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाती है। यदि किसी व्यक्ति, जो वर्तमान सदस्य है, के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है और यदि किसी पार्टी और यहां बैठे हुए किसी सदस्य के विरुद्ध काई आरोप लगाया जाता है और हम इस पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं तो ये कहेंगे कि हमारे पास आपत्ति करने का अवसर था।

सभापति महोदय: अब आप क्या चाहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए?

श्री शिवराज वि. पाटील: इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि उन्हें इसे प्रमाणित करने दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाइं, कृपया आप बैठ जाएं।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप इन्हें तर्क देने का समय दे सकते हैं। उन्हें अपनी बात सिद्ध करने के लिए अपनी समझदारी का प्रयोग करने दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं मान लीजिए कोई मुझ पर कुछ आरोप लगाता है तो क्या मुझे इस पर आपत्ति करनी चाहिए अथवा नहीं?...*(व्यवधान)* क्या मुझे उस आदमी से अपनी बात प्रमाणित करने के लिए नहीं कहना चाहिए। यही आपत्ति मैं कर रहा हूं...*(व्यवधान)* और यदि यह अपनी बात सिद्ध करने के लिए अपनी समझ का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन्हें ऐसा करने दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सुनिए। सदस्य ने जो बताया है, वह यह है कि नियम 369, जो पृष्ठ 138 पर है, के अंतर्गत पत्र अथवा दस्तावेज को पटल पर रखा जाएगा....

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: मैडम, इन्होंने रूल 368 को मेंशन किया है। 369 को नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसीलिए, मैंने ठीक किया है। मैंने कहा कि आप गलत नियम उद्धृत कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नियम 369 है, न कि 368

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आपकी ओर से निर्णय के लिए कह रहा हूं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि मैं सही नियम उद्धृत

[श्री शिवराज वी. पाटील]
कर रहा हूं अथवा गलत। मैं आपसे निर्णय के लिए कह रहा हूं। मैं आपके ऊपर अपने विचार नहीं थोपूंगा। यदि माननीय मंत्री अथवा कोई अन्य सदस्य तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कृपया उन्हें तर्क प्रस्तुत करने का समय दें...*(व्यवधान)*

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): मैं दस्तावेज के प्रमाणीकरण के लिए श्री पाटील की चिंता की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं केवल यह कामना करता हूं कि उस प्रकार की चिंता एक समान रूप से की जाए। जब इसी सभा में एक दस्तावेज पूरी तरह पढ़ा गया था, मैं समझता हूं कि यह केबिनेट सचिव का पत्र था, जो जाली दस्तावेज था, तो कोई आपत्ति नहीं की गई थी और किसी प्रमाणीकरण की मांग नहीं की गई थी...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करें। यदि हम चाहते हैं तो हम भी विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: आपने मेरे खिलाफ दर्ज किया था...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि आप चाहें तो आप विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सब क्यों कूद रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, जब विपक्ष की नेता ने समाचार पत्र से उद्धृत किया था तो उन्होंने उपाध्यक्ष को सूचना भेजी थी कि क्या उन्हें समाचार पत्र से उद्धृत करने की अनुमति मिलेगी...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष ने अनुमति दी कि वह उद्धृत कर सकती हैं...*(व्यवधान)* यह श्री वैको की जानकारी के लिए है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: विपक्ष की नेता द्वारा प्रात: समाचार पत्र से उद्धृत करने के मामले में उन्होंने उपाध्यक्ष को अग्रिम नोटिस भेजा था और कहा था कि वह उद्धृत करना चाहती हैं और उस पत्र पर उपाध्यक्ष द्वारा अग्रिम अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए, यह किया गया। यदि आप कोई दस्तावेज उद्धृत कर रहे हैं तो आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इसे पटल पर रख सकते हैं। इतना ही कहना था।

...(व्यवधान)

श्री वैको: श्री सोमनाथ चटर्जी ने बहुत सारे समाचार पत्रों से बहुत अधिक मात्रा में उद्धृत किया है...*(व्यवधान)* क्या यही सभा की परम्परा है...*(व्यवधान)* विपक्ष की नेता को उपाध्यक्ष से अनुमति मिल गई होगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं क्या कर रही हूं? अध्यक्षपीठ पर लांछन न लगाएं। कृपया बैठ जाइए। मैं आपके भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करूंगी। कृपया बैठ जाइए। आप कृपया मेरी अनुमति से बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदया, मैं आपकी बात मानता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं सिर्फ यह कह रही हूं कि यदि आपके पास वह दस्तावेज है जिसे आप उद्धृत कर रहे हैं तो इसे सभा पटल पर रखने में आपको क्या आपत्ति है। तब कोई समस्या नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वैको: मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मेरे उद्धरण पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं केवल एक मिनट लूंगी। मैं इनसे बात कर रही हूं।

...(व्यवधान)

श्री वैको: कृपया मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: मैं केवल एक मिनट लूंगी। श्री वैको, यदि आप केवल समाचार पत्र से ही पढ़ रहे हैं और यदि आप केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट को ही उद्धृत कर रहे हैं तो आप अध्यक्षपीठ की अनुमति मांगें। मैं आपको अनुमति दूंगी।

श्री वैको: मैं आपसे अनुमति के लिए कहता हूं। मैं आपकी अनुमति मांगता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री वैको: इसलिए, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: प्रत्येक सदस्य समाचार पत्र की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा है। श्री वैको, कृपया अपना समय नष्ट न करें।

श्री वैको: महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी अनुमति से मैं यह कहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि किस कारण श्री शिवराज पाटील ने इस पर आपत्ति की है।

सभापति महोदय: श्री वैको, आपने पहले ही अधिक समय ले लिया है।

श्री वैको: उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया।

सभापति महोदय: आपने पहले ही अधिक समय ले लिया है। कृपया जल्दी करें।

श्री वैको: मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से उन्होंने इस पर आपत्ति की है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जिस पत्र से उद्धृत कर रहे हैं आपको उसे प्रमाणित करना पड़ेगा।

श्री वैको: वह मेरे द्वारा गोधरा हत्याकांड में पाकिस्तान का हाथ बताये जाने पर आपत्ति कर रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि गोधरा हत्याकांड में कांग्रेस का हाथ होने की शंका है...*(व्यवधान)* मैंने यह नहीं कहा। बल्कि मैं यह कहने जा रहा हूं...*(व्यवधान)* हां, मैं कहने जा रहा हूं। पहले मैंने नहीं कहा था कि गोधरा हत्याकांड में कांग्रेस का हाथ होने की शंका है। परन्तु अब मैं कहना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)* मेरी प्रिय बहन कुमारी उमा भारती ने यह बात रखी थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: सभापति जी, ये गलत तरीके से अपनी बातों को पेश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं कि श्री शिवराज पाटील द्वारा उद्धृत नियम के अतिरिक्त कृपया नियम 353 भी देखें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: सारी बातें बीजेपी द्वारा की गई हैं और ये कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वैको: सी डी कैसेटों का मामला उठाया गया था। मैं इस सम्बन्ध में चुनौती देता हूं। क्या आप केन्द्रीय कक्ष में आने के लिए तैयार हैं? आओ हम सी डी कैसेट चलाएं। हम देखें कि वे कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे जिन पर गोधरा हत्याकांड में शामिल होने का संदेह था, क्या वे कांग्रेस पार्टी के थे अथवा नहीं, क्या वे इसमें मदद कर रहे थे या नहीं...*(व्यवधान)* कृपया केन्द्रीय कक्ष में आओ। हम सी डी कैसेट चलाते हैं। आओं हम देखें की गोधरा हत्याकांड के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं...*(व्यवधान)* जो लोग इस तबाही, हत्याकांड और नरसंहार, गोधरा में हुये हत्याकांड के दोषी हैं* सीडी कैसेट के अनुसार...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वैको, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये क्योंकि आप अपनी समय सीमा से अधिक बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: सभापति जी, ये जबरदस्ती कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)* ये हत्यारों की वकालत कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वैको: मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। अपनी बात पर आते हुये मैं कहूंगा कि जो लोग हत्याकांड के दोषी हैं*

अपराह्न 5.28 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

जब वर्ष 1984 में राजधानी दिल्ली में लोग मारे गये, तो उन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार था?

श्री वैको: उस समय कोई गोलीबारी नहीं हुई थी।...* से संबंधित गुण्डों द्वारा उनकी नृशंस हत्या की गई थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो क्या आप लोग अपनी सीटों पर बैठेंगे। मैं बोल रहा हूं। डा. तोमर यह आप क्या कर रहे हैं? आप अध्यक्षपीठ को चुनौती दे रहे हैं।

उसी बात पर आते हुये, जैसा कि मैं समझता हूं, पीठासीन अधिकारी ने कहा कि जब वे कुछ उद्धृत करें तो वह प्रमाणित किया जाना चाहिये। श्री वैको क्या आपने इसे प्रमाणित किया है?

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री वैको: जी हां।

श्री शिवराज वि. पाटील: उन्हें इसे प्रमाणित करने दें और सभापटल पर रखने दें। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह बात समाप्त हुई। श्री वैको आगे अपनी बात कहिये।

...(व्यवधान)

श्री वैको: उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984 में एक भयानक रक्त-पात हुआ था। अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष लोग मारे गये थे। इसके लिये कौन जिम्मेदार था? वह दुर्घटना पुलिस गोलीबारी के कारण नहीं हुई थी। उन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार था? यह पता चला कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, वे.....*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, आप आरोप लगा रहे हैं। आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, जब आप आरोप लगायें तो आपके पास सुबूत होना चाहिये। क्या आपके पास कोई सुबूत है?

...(व्यवधान)

श्री वैको: जब जांच आयोग का सन्दर्भ किया गया तो श्री सोमनाथ चटर्जी और विपक्ष की नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच आयोग की अध्यक्षता करने के लिये बहुत सोच-विचार कर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को चुना...*(व्यवधान)* उन्होंने इसकी आलोचना की है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं रिकार्ड की छानबीन करूंगा। यदि कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज या चीजें पाई गई, जिन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना अपेक्षित होगा, तो मैं उसे निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): श्री मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है, वह कार्यवाही-वृत्तांत में है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा करते रहे तो बात कभी समाप्त नहीं होगी। इसीलिये मैंने सभा से अनुरोध किया है कि यह मुझ पर छोड़ दें। मैं कार्यवाही-वृत्तांत की छानबीन करूंगा और यदि किसी पक्ष ने कोई आपत्तिजनक बात कही है, तो उसे मैं कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): श्री मणिशंकर अय्यर ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्हें इसे वापस लेना चाहिये...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने मुझसे इसका जिक्र किया है और मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप एक दूसरे पर चिल्लाते रहिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूं कि यदि कुछ असंसदीय या कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किये जाने लायक होगा तो मैं इसकी छानबीन करूंगा और उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: उन्हें इसे वापस लेना ही होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, मणिशंकर जी ने इन्हें हत्यारा कहा है।

[अनुवाद]

उन्हें माफी मांगनी होगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप माननीय गृह मंत्री को बोलने देंगे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपाध्यक्ष महोदय, उस पक्ष के माननीय सदस्य ने अभी जिस शब्द का प्रयोग किया है उसकी अपेक्षा हम इस सभा के माननीय सदस्य से नहीं कर सकते।

---

*अध्यपक्षीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या जो वह कहना चाहते हैं, वह आप मुझे सुनने देंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कांतिलाल भूरिया, कृपया उनकी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, असंसदीय भाषा हमने सुनी है और उस पर जब भी अध्यक्ष जी कहते हैं कि कार्यवाही में से निकाल दूंगा, तो मान लिया जाता है। लेकिन यह तो असंसदीय भाषा नहीं है, यह तो ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग अगर कोई इस सदन में करता है तो उसे खुद खड़े होकर अपोलोजाइज करना चाहिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। क्या वे तैयार हैं? क्या उन्हें पता है कि राजीव गांधी की हत्या किसने की? राजीव गांधी की हत्या के समय टी.एन.सी.सी. के अध्यक्ष कहां थे? जब राजीव गांधी की हत्या की गई तो उनके संसद सदस्य कहां थे?*...(व्यवधान)* वे सभा को गुमराह न करें*...(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: उपाध्यक्ष महोदय, आपत्ति यह उठाई गई है कि उन्हें एल.टी.टी.ई. का आदमी कहा गया है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो मैं रक्षा राज्य मंत्री था। मैंने श्री वैको को समुद्र के बीच से बचाया। वे इस बात से इंकार करें। क्या वे इन्कार कर सकते हैं?*...(व्यवधान)* हमने उन्हें समुद्र के बीच से एल.टी.टी.ई. के चंगुल से बचाया और मैं उस समय रक्षा राज्य मंत्री था*...(व्यवधान)* वह गये और एल.टी.टी.ई. के साथ 15 दिन रहे। वे इस बात से इंकार करें*...(व्यवधान)*

श्री वैको: यह सत्य नहीं है। हम पर सेना ने हमला किया। केवल एल.टी.टी.ई. ने हमें बचाया था।

श्री टी.आर. बालू: श्री राजीव गांधी को सब कुछ पता था। सब कुछ राज्य सभा के रिकार्ड में है*...(व्यवधान)* क्या उन्हें पता है कि जब राजीव गांधी की हत्या की गई, तो उस समय टी.एन.सी.सी. के अध्यक्ष कहां थे?*...(व्यवधान)* क्या उन्हें पता है राजीव गांधी की हत्या किसने की?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पोन्नुस्वामी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने भी कहा, यदि कुछ भी ऐसा है जो कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाना चाहिये, तो मैं इसकी छानबीन करूंगा और कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें अपने शब्दों को विदड्रा करना चाहिए*...(व्यवधान)* आप उनसे अपोलोजाइज करवाइये*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने यह सुना नहीं है। जो भी कहा गया हो, मैंने नहीं सुना। जिस भी शब्द का प्रयोग किया गया हो, चाहे वह राष्ट्र विरोधी हो अथवा अश्लील, मैं कार्यवाही वृत्तांत की छानबीन करूंगा और उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते?

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: महोदय या तो उन्हें अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए, या फिर उसकी पुष्टि करनी चाहिये*...(व्यवधान)* पूरा राष्ट्र देख रहा है। एक सदस्य के लिये यह कहना ठीक नहीं है कि*...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: श्री आडवाणी खड़े क्यों नहीं होते?*...(व्यवधान)* वह गृह मंत्री हैं*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने नहीं सुना। इसीलिये मैं कार्यवाही वृत्तांत की जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी चीजें आपत्तिजनक होंगी, कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जायेंगी।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं गृह मंत्री पर आरोप लगाता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ये सब कठिनाइयां इसलिये आती हैं क्योंकि हम विषय तक सीमित नहीं रहते।

...(व्यवधान)

श्री वैको: नहीं, मैं विषय तक सीमित था...*(व्यवधान)*

मैं बहुत हद तक इस विषय तक ही सीमित हूं।...*(व्यवधान)* उल्लेख किया गया था कि चुनाव का सुझाव देना घटिया पहल जैसा था।...*(व्यवधान)* इसलिए, जब इस बात का उल्लेख किया गया कि गुजरात में चुनाव का सुझाव देना सरकार की तरफ से घटिया पहल की गई, मैंने कहा कि गलियों में हत्याएं हो रही हैं....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री वैको: विपक्ष की नेता द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया गया था...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, मैं ऐसा नहीं मानता।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री वैको: मैं ऐसा नहीं मानता।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मुझे आपकी अनुमति चाहिए।

श्री वैको: मुझे इस सभा पटल पर अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। यह मेरा जनतांत्रिक अधिकार है।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं आपके विनिर्णय पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: वह अभी मेरे विनिर्णय पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: किस नियम के तहत?

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: नियम 376 के अंतर्गत, माननीय सदस्य श्री वैको, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अभिन्न अंग हैं...*(व्यवधान)* इस देश में लिट्टे एक प्रतिबंधित संगठन है, माननीय सदस्य, श्री वैको, लिट्टे के कट्टर समर्थक होने का दावा करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री वैको: हां, मैं लिट्टे का समर्थक हूं। मैं इसे छुपाता नहीं हूं। मैं कल भी समर्थक था, आज भी हूं, और कल भी रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: वह सरकार के अंग हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या उनका भी यही विचार है...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके विनिर्णय पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप मेरे विनिर्णय पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: बहुत अच्छा।

उपाध्यक्ष महोदय: उनके भाषण के बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 352 की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें कहा गया है:

> "सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न का सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यत: आवश्यक न हो।"

यदि आज हम लिट्टे के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं या किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः पहले यह तय किया जाए कि किस मामले में व्यवस्था का प्रश्न बनता है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः पहले उन्हें अपना व्यवस्था का प्रश्न तय करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यरः महोदय, मैं आपके विनिर्णय पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैंने कहा है कि आपको मौका मिलेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः महोदय, गुजरात में जो कुछ हुआ उस बारे में चर्चा कर रहे थे, इस संदर्भ में मेरे माननीय मित्र गोधरा की चर्चा कर रहे थे, और उस संदर्भ में*...(व्यवधान)* श्री वैको पर आरोप लगाया गया*...(व्यवधान)* महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। पहले उन्हें यह तय करने दीजिए कि व्यवस्था का प्रश्न किस मामले में उठाया जाता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर आपको अपना विनिर्णय देना है। वह व्यवस्था का प्रश्न यही है। क्या यह सही है कि कोई सदस्य किसी सदस्य को हत्या का दोषी, राष्ट्र विरोधी, षडयंत्रकारी होने का आरोप लगाए?*...(व्यवधान)* यदि हम इस तरह के अपशब्द बोलने की अनुमति देते हैं, इस सभा में इस तरह की भद्दी गाली का प्रयोग किया जाता है, तो गलत परंपरा कायम होगी। इसलिए, मैं नियम 352 (दो) को उद्धृत करता हूं। उसके अलावा, उस नियम में, दूसरी बात है, जिसमें कहा गया है कि वे देशद्रोही, राजद्रोही या मानहानिपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वह अपने आप में असम्मानजनक है। इसलिए, इसे सिर्फ कार्यवाही वृत्तांत से बाहर ही नहीं करना चाहिए अपितु उन्हें सभा में क्षमा मांगने के लिए भी कहा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं अपना विनिर्णय दूंगा। अब, श्री मणिशंकर अय्यर।

श्री मणिशंकर अय्यरः उपाध्यक्ष महोदय, जिस नियम का उल्लेख श्री आडवाणी ने किया है ठीक उसी नियम के अंतर्गत मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। यहां गुजरात मुद्दे पर चर्चा चल रही है और श्री वैको वर्ष 1984 में दिल्ली में जो हुआ था उसका मामला उठा रहे हैं। उस संदर्भ में, वह किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा कह कर कांग्रेस पार्टी के यहां बैठे हम सभी लोगों पर दोषारोपण किया है कि कांग्रेसी के रूप में, नवम्बर, 1984 के शुरूआत में सिक्खों की हुई हत्या में, शामिल थे। इसलिए अगर आप कार्यवाही वृत्तांत से बाहर रखना चाहते हैं*...(व्यवधान)* महोदय, वह मंत्री हैं, कृपया मंत्री को नियंत्रित कीजिए*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री हरिन पाठक, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यरः उपाध्यक्ष महोदय, संयोग से श्री आडवाणी ने जो कुछ मेरे बारे में कहा, वैसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने जो भी कहा उसे मैं दुहराना चाहता हूं...*

श्री वैकोः महोदय, उन्होंने मुझे हत्यारा कहा*...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यरः मैंने उन्हें हत्यारा नहीं कहा, मैंने उन्हें राष्ट्र विरोधी भी नहीं कहा और यह भी नहीं कहा कि वह राजद्रोह में शामिल हैं*...(व्यवधान)* यदि आप समझते हैं कि मेरे शब्द कार्यवाही वृत्तांत से निकाले जाने लायक हैं, मैं उन्हें कार्यवाही से निकाले जाने पर सहमत हूं, केवल इसी शर्त पर कि वर्ष 1984 में कांग्रेस के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसे भी कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनके बारे में जो भी कहा, यदि उसके लिए मुझे क्षमा मांगनी चाहिए तो मैं ऐसा करूंगा बशर्ते वह भी की गई टिप्पणी के लिए क्षमा मांगे*...(व्यवधान)* गृह मंत्री भी इसी भद्र पुरुष की तरह पक्षपाती हैं, उनका पक्षपातपूर्ण रवैया आश्चर्यजनक नहीं है। क्योंकि उन पर न्यायालय में आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। गृहमंत्री द्वारा हमें औचित्य पर कोई व्याख्यान देने के उनके नैतिक प्राधिकार को मैं स्वीकार नहीं करता।

महोदय, मैं इस संदर्भ में आपके विनिर्णय पर स्पष्टीकरण चाहता हूं*...(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर)**:** उपाध्यक्ष महोदय, उस घटना के शिकार के रूप में, क्या मैं कुछ कह सकता हूं?*...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है*...(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मानः उस घटना के शिकार के रूप में, क्या मैं कुछ कह सकता हूं?

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मुझे विनिर्णय देने दें।

श्री सिमरनजीत सिंह मान: उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं घटना के शिकार के रूप में कुछ कह सकता हूं? महोदय, मैं इस शाम इस जनसंहार के विरुद्ध मत देने जा रहा हूं। लेकिन श्री वैको सही कह रहे हैं कि वर्ष 1984 में कांग्रेस पार्टी ने सिक्खों का जनसंहार किया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया मुझे अपना विनिर्णय देने दें। क्या आप कृपया बैठेंगे?

जब मैं यहां आया, श्री वैको बोल रहे थे। तब कुछ दस्तावेज थे जिसके बारे में कांग्रेस संसदीय दल के माननीय उप नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। तब मैंने सुना कि आप उसे उचित ठहरा रहे हैं। जब मैं यहां आया, तो मैंने श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा से पूछा, उन्होंने कहा, कि हां, उन्होंने इसे सही ठहराया है। पुन: मैंने आपसे पूछा कि क्या आप अभिप्रमाणित कर रहे हैं। आपने कहा मैं अभिप्रमाणित कर रहा हूं। मामला क्या था? मामला इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट से संबंधित था। आप सबके अनुसार, श्री मणि शंकर अय्यर ने कुछ कहा है। वस्तुत: जो श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा, मैंने सुना नहीं। यही कारण था, मैंने कहा कि पहले मुझे कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करने दें।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में सौ लोगों...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। कृपया मुझे सुनें। आप मुझे क्यों नहीं सुन रही हैं? इसलिए, मैंने कहा, पहले मुझे कार्यवाही-वृत्तांत का अध्ययन करने दें। यदि मैंने कोई असंसदीय शब्द और मानहानिजनक टिप्पणी भी पाई, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाए।

इसी बीच, माननीय गृह मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मेरा यही विचार है कि मैं कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करूंगा। अब माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने ऐसा-वैसा कुछ नहीं कहा। मै कार्यवाही-वृत्तांत का अध्ययन करूंगा। यदि इस या उस तरफ से किसी के द्वारा कोई असंसदीय या अपमानजनक बात कही गई है, तो मैं उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम कार्यवाही पुन: शुरू करें। क्या मैं श्री वैको को पुन: बोलने के लिए कह सकता हूं?

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में अगर कोई मां-बहन की गाली देगा और आप यह कहेंगे कि हम उसको एक्सपंज किये देते हैं तो क्या इतने से काम चलेगा?...*(व्यवधान)* क्या आप उस मैम्बर से माफी मंगवायेंगे?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे कहा कि मैंने कुछ नहीं सुना है इसलिए मैं रिकार्ड सुनूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सुनकर मैं कभी ऐसे नहीं बैठूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं तुरन्त उसी समय उनसे वापस लेने को कहूंगा। ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। आप मुझ पर विश्वास करें।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: हमे विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको अपना भाषण जारी रखें।

श्री वैको: उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की नेता और माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी आरोप लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, क्या मैं अब कुछ बोलूं अभी 27 सदस्यों को बोलना है। क्या यह सभा यह चाहती है कि प्रस्ताव के निपटान तक इसे जारी रखा जाए?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या किया जाए?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसे रात्रि 9.30 बजे तक समाप्त करने का प्रयास करें।

...(व्यवधान)

श्री वैको: मेरा भाषण समाप्ति की ओर है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: क्या पूरी रात हाउस चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: किसने कहा होल नाइट चलेगा?

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौडा: महोदय, आपने स्वयं इसी सभा में कहा है कि 57 सदस्यों ने नियम 184 के अधीन इस प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं भी उनमें से एक हूं...*(व्यवधान)*

मैं बिना कुछ बोले कार्यवाही को देख रहा हूं। मुझे कम से कम सभ्य तरीके से अपनी बात कहने दी जाए। मैं यही कह सकता हूं। हमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया है? मैं सभा की कार्यवाही पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं लेकिन हमें भी बोलने का अवसर मिले, इसके लिए सभा सुबह तक चले या फिर उसके बाद भी।

हम यहां किसी हास्य-परिहास के लिए नहीं आए हैं? हम यहां 25 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हमने इस प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए समय का निर्धारण करना अध्यक्षपीठ का काम है...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मुझे एक बात कहनी है। जब इस बहस की शुरूआत हुई थी तो शुरूआत में ही आपने समय के बारे में कहा है कि प्रत्येक पार्टी को समय मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए व्यवधान मेरी पार्टी के अंतर्गत आता है।

श्री रूपचंद पाल: ऐसा नहीं है। चर्चा विशेष अवधि के लिए है। इसको आज रात तक खत्म हो जाना था। यह जारी नहीं रह सकती है...*(व्यवधान)* आप अध्यक्षपीठ से यह जानना चाहते हैं कि यह चर्चा कब तक चलेगी और मतदान कब होगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: 27 सदस्य है। मैं उनमें से किसी को बहिष्कृत नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, अब आप बोल सकते हैं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कृपया संक्षेप में कहें और समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो सीख दी गई उसके लिए मैं अपना धन्यवाद देता हूं। हमें अन्य लोगों से कतिपय चीजें सीखनी हैं।

प्रतिपक्ष की नेता और माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने गुजरात सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने जांच आयोग के लिए एक पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश को चुना है। इसलिए मैं इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। वर्ष 1984 में घटित हत्याकांड की जांच के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा किन परिस्थितियों में किसी न्यायाधीश को चुना गया?...*(व्यवधान)* जैसा कि सिमरनजीत सिंह मान ने कहा है कि वर्ष 1984 में दिल्ली की गलियों में सिख समुदाय के विरुद्ध जातिसंहार हुआ था। क्या बाद में उस न्यायाधीश को इनाम के रूप में राज्य सभा में सदस्यता प्रदान की गई थी?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री वैको: उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को चुना है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: वह एक न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस विवाद को पुन: क्यों खड़ा कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप प्रतिपक्ष की नेता का भाषण पढ़ें। यह कैसे हो सकता है कि वह इसका उल्लेख कर सकती हैं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते?...*(व्यवधान)*

श्री वैको: जब उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को क्यों चुना था, तो इसका निहित अर्थ क्या है? इसलिए वर्ष 1984 में जो कुछ हुआ उसका मुझे उल्लेख करना है। 'पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज' ने ''हू आर द गिल्टी ईन दी कार्निज ईन 1984'' शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट सौंपी है। क्या मैं नाम पढ़ूं? वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि उन लोगों—जिन्हें शामिल किया गया है का नाम पढ़ता हूं तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अत: मैं उनकी भावनाओं को और अधिक चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। पहले से ही वे बहुत ज्यादा दुखी हैं।

[श्री वैको]

सायं 6.00 बजे

मैं स्वर्गीय अरिगनार अन्ना के विचारों वाले द्रविड़ स्कूल का छात्र हूं ...*(व्यवधान)* धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को कायम रखने में हम किसी से कम नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम इस विषय पर सुबह तक चर्चा करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, जहां तक संभव हो कृपया विवादास्पद बात न कहने का प्रयास करें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: अयोध्या पर सभा में चर्चा हुई थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: गोधरा के संबंध में आरोप और प्रत्यारोप हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या हम इस पर चर्चा करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: आप इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या हम उन सभी के आचरण पर चर्चा करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, मैं दो मिनट के अंदर समाप्त कर दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह सभा का अपमान है। दो मंत्रियों जिनके ऊपर अयोध्या में साम्प्रदायिक हिंसा के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है और वे इसके लिए आरोपित हैं, वे इस सभा में यहां बैठे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, वह बिना किसी अनुमति के बेरोक-टोक बोल रहे हैं और हर तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस प्रस्ताव पर सभा में चर्चा हुई थी। जब यह खारिज हो गया तब वे निरूत्साहित हो गए और चुनाव में उन्हें बाहर कर दिया गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वैको: महोदय, इस देश की जेल की काल कोठरी यह चीख-चीख कर बताएगी कि इस देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतंत्र की किस प्रकार हत्या की गई। प्रतिपक्ष की नेता ने यह कहा है कि वे चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और जो संशोधन पुर:स्थापित किए गए हैं, उन्हें इस सभा द्वारा पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसी तरह उन्हें चुनाव में खारिज कर दिया जाएगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): श्री वैको अभी-अभी बोले हैं। उनकी पार्टी पांच सदस्यों वाली है। आपने श्री शरद पवार का नाम पुकारा है। उनकी पार्टी भी आठ सदस्यों वाली है। मैं उनका बहुत आदर करती हूं...*(व्यवधान)* कृपया मुझे एक मौका दें...*(व्यवधान)* क्या नियम हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सूची दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: उपाध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह यादव जी ने जो मोशन यहां रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदन में पिछले दो घंटे से बड़ी गर्मी का माहौल पैदा हुआ है। कुछ अपशब्दों के बारे में गृह मंत्री जी ने यहां सवाल उठाया। इस बारे में आपने जो निर्णय दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। मगर साथ-साथ इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि जिस बारे में यहां कौन से शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इस पर आप देखने वाले हैं। उसी तरह से इस सदन के नौजवान सदस्य कीर्ति आजाद जी ने प्रिय रंजन दासमुंशी जी के बारे में इस सदन में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। इसमें भी देखने की आवश्यकता है और जो आपको ठीक लगेगा, इस बारे में निर्णय दीजिए।

आज की यह चर्चा खास तौर पर गुजरात के बारे में है। कुछ चंद सवाल अन्य राज्यों के बारे में यहां सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने उठाए। महाराष्ट्र के बारे में भी उठाये और यहां सदन के सामने ऐसा निवेदन किया कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की हुकूमत थी तब उस राज्य में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और कांग्रेस और एनसीपी की हुकूमत आने के बाद वहां कुछ साम्प्रदायिक दंगे, 50 दंगे हो गए। लेकिन जहां तक मेरी सूचना है और मैंने राज्य सरकार की तरफ से अभी स्टेटमेंट मंगाया था, मेरी सूचना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की जब हुकूमत थी तब 27 साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। ऐसा स्टेटमेंट मुझे राज्य सरकार ने दिया था।

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, यह बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। शरद पवार जी से यह अपेक्षा नहीं है कि वह सदन को गुमराह करें। यदि उनके काल में पचास दंगे हो गये हैं तो पिछले साढ़े चार साल में एक भी दंगा नहीं हुआ।...*(व्यवधान)* पवार जी से यह अपेक्षा नहीं है। जो वास्तविकता है, वह बयान करिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शरद पवार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शरद पवार: महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट मुझे दिया गया है, वह मैं आथेंटीकेट करके सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं और उसी स्टेटमेंट में कौन से दिन कहां दंगा हुआ, कौन से नं. पर किसके खिलाफ केसेज रजिस्टर्ड हैं, यह सब आथेंटीकेट करके सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं और मैं रखूंगा। अभी पिछले दो महीने से हम गुजरात की स्थिति देख रहे हैं। देश के सभी लोगों में सरकार के प्रति एक तरह की अविश्वसनीयता की स्थिति पैदा हुई है और देश के बाहर भी इस परिस्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। आज देश के हितों की चर्चा नहीं हो रही है। गुजरात जिसका उल्लेख यहां किया गया कि यह महात्मा गांधी की भूमि है, गुजरात हिन्दुस्तान की आजादी के संग्राम में बहुत बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। स्वतंत्रता हासिल होने के बाद गुजरात मेहनत करके तरक्की के रास्ते पर जाने वाला एक राज्य है। गुजरात एक जमाने में 30 अप्रैल 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात विशाल मुम्बई के नाम पर एक राज्य था और इसलिए जिस राज्य से मैं आता हूं, उस राज्य की जनता का एक अलग खास रिश्ता गुजरात के साथ है। इसलिए गुजरात में जो कुछ हो रहा है, उसको देखने के बाद बड़ा दु:ख होता है। यह बात सही है कि 27 फरवरी को नरसंहार या गोधरा के कांड के बाद पूरे देश की नींद खराब हुई है। हिन्दुस्तान को एक जबरदस्त धक्का लगा है। इस कांड की जितनी भी कड़ी निन्दा आप कर सकते हैं, उसको करने की आवश्यकता है। मेरी पार्टी की तरफ से उसी दिन जो कुछ गोधरा में हुआ, उसकी निन्दा करने का ब्यान निकाला था, जिसमें 58 लोगों को जलाया गया। इस घटना का पूरे देश को दु:ख है।

महोदय, मैं सुबह से देख रहा हूं, एक नई थ्योरी यहां पर रखने की कोशिश हो रही है। यह थ्योरी जो रियेक्शन हुआ है, उसके बारे में है। 27 तारीख की घटना घटने के बाद विश्व हिन्दू परिषद ने गुजरात राज्य में बन्द की सलाह दी और एक तरह से वह बन्द सरकार की मदद से आयोजित किया गया। उस दिन से गुजरात राज्य में जो कुछ हुआ, कल तक उस प्रदेश में कोई सुधार दिखाई नहीं देता है। कल भी वहां दो-तीन लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे कई इंसीडेंस हैं और उनके बारे में यहां बहुत कुछ बताया गया है। जो चमनपुरा का इंसीडेंस हैं, एनडीए को समर्थन देने वाले सदस्य, श्री गीते जी ने जो कुछ कहा, गोधरा का इंसीडेंस आतंकवादियों ने किया था। इस बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। वे सरकार के पक्ष में है और उनकी पार्टी सरकार में है, इसलिए उनके पास मुझ से ज्यादा जानकारी हो सकती है और उसको मानने के लिए तैयार हूं। वहां के आतंकवादी या आतंकवादी कोई दूसरे हों, उन्होंने यह काम किया होगा, लेकिन उन आतंकवादियों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी किसके पर थी। जिसे आतंकवादियों के नाम पर पोटो की आवश्यकता थी, यहां हम लोगों को बताया गया और देश के हित में हम लोगों ने समर्थन दे दिया। उन आतंकवादियों को रोकने के लिए पोटा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब भी गृह मंत्री जी को देना होगा, क्योंकि उनके सहयोगी दल ने ही इस बात को सदन के सामने रखा है। आतंकवादियों ने हमला किया और 58 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरे दिन से आज तक जो वहां नरसंहार हो रहा है, इस जिम्मेदारी से वहां की सरकार को मुक्त नहीं कर सकते हैं। यह भी बताया गया कि उस घटना में विदेशी हाथ था। फिर भी गुजरात के बेगुनाह लोगों की हत्या का जवाब यहां देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चमरपुरा में जो कुछ हुआ, जिसमें एहसान जाफरी और उनके परिवार के लोगों की हत्या हो गई। उन्होंने कई लोगों को टेलीफोन किए थे। सात-आठ घंटे से उनकी कोशिश शुरू थी। उन्होंने पुलिस के आफिसर को टेलीफोन किया, वहां के सरकार के प्रतिनिधियों को किया और जो उनके अपने साथी हैं, उन सब को किया और मदद मांगी मगर उन्हें मदद नहीं मिली। सदन के एक जमाने में सदस्य रहने वाले व्यक्ति के परिवार को जला कर वहां खत्म किया गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति इससे पहले इस देश में पहले कभी पैदा हुई थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यह एक्शन है या रिएक्शन।...*(व्यवधान)* 28 फरवरी से छ: दिन पहले 600 लोगों की हत्या हो गई। आज इजराइल और पेलेस्टीन का वहां संघर्ष शुरू है, आम संघर्ष शुरू है। उस आम कंफ्लिक्ट में भी इतने लोग मरे नहीं, जितने छ: दिन में गुजरात में मरे। बेगुनाह लोगों की हत्या की गई। हम किस तरह से इस बारे में कह सकते थे। लूट हुई, दुकानें जला दी गई। मैंने इन्फोरमेशन इकट्ठी की है कि 290 दरगाहों पर हमले हुए और

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शरद पवार]

202 मस्जिदों पर हुए। वहां मस्जिद गिराई गई। फरियाज खान, हिन्दुस्तान के संगीत में योगदान देने वाले सबसे बड़े व्यक्ति थे। उनका वहां मकबरा था, वह भी नष्ट किया गया। वली गुजराती, उर्दू के साहित्य में जिनका नाम था। जहां-जहां उर्दू के बारे में लोगों को जानकारी है, वहां-वहां सब जगह इनका नाम लिया जाता है। उनका भी मकबरा वहां खत्म किया। ये जो हमले थे, मकबरे पर नहीं थे, भारतीय संस्कृति पर थे। संस्कृति की बात कहने वाले जो लोग हैं, उस विचारधारा को सहयोग देने वाले लोगों ने भारतीय संस्कृति पर इस तरह से हमला किया, इससे दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई है। समाज के कुछ लोगों को चुन कर, उन्हें अलग करने की कोशिश वहां शुरू हुई है।

महोदय, यहां एक बात बताई गई कि विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से एक स्टेटमेंट निकाला गया था। उस स्टेटमेंट में लिखा है - सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् एंड जय श्रीराम। उस स्टेटमेंट में अपील की गई, मैं यहां से मुसलमान दुकानदारों से कुछ भी खरीदने का काम कभी नहीं करूंगा।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, विश्व हिन्दू परिषद् ने कभी नहीं कहा।...*(व्यवधान)* इसे आथेंटीकेट करें और तब रखें। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: मैं इसे आथेंटीकेट करने के लिए तैयार हूं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप इसे कहां से पढ़ रहे हैं, यह भी आप बता दें।...*(व्यवधान)* विश्व हिन्दू परिषद् ने मना किया है और कहा है कि उन्होंने यह कभी नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: मैं उद्धृत करता हूं:

हम संकल्प करते हैं कि:

1. अबसे मैं मुसलमान दुकानदारों से कुछ नहीं खरीदूंगा।
2. मैं अपनी दुकान से ऐसे तत्वों को कुछ भी नहीं बेचूंगा।
3. न ही मैं इन राष्ट्र-विरोधियों के होटलों का उपयोग करूंगा, न ही इनके गैराजों का।

इसी तरह, कई मुद्दों पर जानकारी दी गई है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह किस किताब में है और किन का पेपर है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह इंडियन सोशल एक्शन फोरम का प्रकाशन है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आज कल सभी पेपर निकाल रहे हैं।...*(व्यवधान)* कम्युनिस्ट वाले भी निकाल रहे हैं।...*(व्यवधान)* वी एच पी ने इसका खंडन किया है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: मैं इसे रखने के लिए तैयार हूं, इसकी कापी मेरे पास है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वह प्रमाणित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: ये सहमत वगैरह के पेपर्स हैं, यह हमेशा ऐसी चीजें निकालता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह पूरी तरह गलत है। उन्हें इसे पढ़कर नहीं सुनाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शरद पवार क्या आप इसे प्रमाणित कर रहे हैं?

श्री शरद पवार: मैं इसे अथांटिकेट करने के लिए तैयार हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): क्या वह इसे प्रमाणित कर रहे हैं? वह इसे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? वह यही प्रमाणित कर सकते हैं कि यह एक पर्चा है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि इसे वी एच पी ने प्रकाशित किया है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: आज सबसे ज्यादा आवश्यकता गुजरात के लोगों का पुनर्वास करने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गये थे, उन्होंने राजधर्म की सलाह दे दी। डैथ-कम्पनसेशन के बारे में किस तरह से वहां की सरकार ने निर्णय लिया- यह देखने की बात है। गोधरा में जिन लोगों की हत्याएं हुईं उनके लोगों को दो लाख रुपया देने का निर्णय गुजरात सरकार ने किया। गोधरा में

हत्याएं 27 तारीख को हुई थीं और 28 तारीख के बाद जितने लोग मारे गये हैं उन सभी को एक लाख रुपये का कम्पनसेशन दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: जिन्होंने पुलिस के लोगों की हत्याएं की हैं उनको पांच-पांच लाख रुपये इनकी सरकार ने दिये हैं। जो राष्ट्रद्रोही और गैंगस्टर्स हैं उनको पांच-पांच लाख रुपये दिये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गीते, माननीय गृह मंत्री बताएंगे कि यह सही है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: प्रधान मंत्री कोष से एक लाख रुपया और गुजरात सरकार से 50 हजार रुपया दिया गया है। लेकिन गोधरा में जिनकी हत्या हो गयी उनको दो लाख रुपया दिया गया है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के कल्याण में क्या हुआ? महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। इनकी सरकार ने उन दलितों को क्या दिया?

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में दलितों के घर जलाए गये, दुकानें जलाई गयी। इनकी सरकार ने उन दलितों को क्या दिया?...*(व्यवधान)* गुजरात में सबको एक समान रुपया दिया गया है। ये जो कह रहे हैं वह सही बात नहीं है।

श्री शरद पवार: गुजरात में जो कुछ हुआ, अगर इनकी सरकार की नीयत साफ होती तो वह रूक सकता था। अभी माननीय गीते जी ने बताया कि मुम्बई शहर में बम ब्लास्ट हुए थे। यह बात सच है कि बम ब्लास्ट हुए थे। उस समय मैं मुख्यमंत्री था।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): आपके यहां ललित जैन की हत्या क्यों हो गयी। आपकी सरकार वहां नेताओं की हत्या करा रही है। उसके विषय में भी कुछ बता दीजिए।...*(व्यवधान)* वहां आपकी सरकार ने हत्यारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। ...*(व्यवधान)* एक हफ्ते से ऊपर हो गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गीते, वह नहीं चाहते कि आप उनके भाषण के बीच में बोलें अत: आपकी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: जिनकी हत्या हुई हैं उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है। उसकी इंक्वायरी की बात भारत सरकार की तरफ से की गयी है।

श्री विनय कटियार: उपाध्यक्ष जी, ललित जैन को जिसने मारा, वह कौन नेता था। इनकी सरकार ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शरद पवार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शरद पवार के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सभा में सभी को बोलने की अनुमति किस प्रकार दी जा सकती है?

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कटियार, श्री शरद पवार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे बोलने की अनुमति दी है। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। सदन के नेता प्रधान मंत्री और गृह मंत्री सत्ता पक्ष में बैठे हैं। दूसरी ओर के सदस्यों ने श्री चन्द्रशेखर को नहीं बोलने दिया। वे श्री शरद पवार को बोलने नहीं दे रहे। यह किस किस्म का बर्ताव है? क्या सभा में कोई मर्यादा नहीं रह गई है?

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ वहां हुआ, उसकी जांच हो जायेगी लेकिन उस जांच के टर्म्स आफ रैफ्रेंस क्या होंगे, मुझे मालूम नहीं। भारत सरकार यहां से उन्हें सुझाव भेज सकती है और इस नरसंहार में राजनैतिक शक्ति का कितना हाथ है, यह देखने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चुनाव में जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद, मैं गुजरात में देख रहा हूं कि परिस्थितियां बदल रही हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शरद पवार]

पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चाहे इतना अच्छा समर्थन न मिला हो, लेकिन उसके बाद साबरमती विधान सभा उप-चुनाव में बी.जे.पी. हार गई। साबरमती विधानसभा क्षेत्र हमारे गृह मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। उसके पश्चात् साबरकांठा लोक सभा उप-चुनाव में बी.जे.पी. की हार हुई। सूरत लोक सभा क्षेत्र में मुहआ विधानसभा उप-चुनाव और सियाजीगंज, वडोदरा लोक सभा क्षेत्र में भी बी.जे.पी. चुनाव हार गई। हां, राजकोट-2 विधान सभा उप-चुनाव में मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चुनाव जीत गये लेकिन उसके पहले श्री वजुभाई वाला को जितने वोट पड़े थे, उससे बहुत कम वोट मिले यह सब रिकार्ड पर है। इससे क्या लगता है? आज की परिस्थिति में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिये हिन्दू वोट कार्ड लेकर एक अलग माहौल, एक साम्प्रदायिक ज्वर पैदा करने की साजिश की जा रही है। लोगों के दिल में यह बात आ रही है और इसमें कहां तक सच्चाई है, यह देखने की बात है। राजनैतिक लाभ उठाने के लिये इस रास्ते पर जाने की तैयारी जिस किसी ने भी की वह देश हित में नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले गुजरात में दंगे हुये जिसका जिक्र यहां माननीय सदस्य द्वारा किया गया। मुझे मालूम है कि जब श्री चिमनभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नव-निर्माण का आन्दोलन वहां हुआ था, उस आन्दोलन में काम करने वाले कई और नेता भी थे लेकिन परिस्थिति खराब हो गई। श्री चिमनभाई पटेल एक शक्तिशाली नेता थे लेकिन स्व. इन्दिरा जी के एक निर्णय द्वारा वहां के लोगों की जान बचाने के लिये, विधानसभा को भंग कर दिया गया तथा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1985 में श्री माधवसिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे। उनके पास 140 सीटें थीं मगर वहां की परिस्थिति खराब हो गई। उस समय तत्कालीन राज्यपाल श्री बी.के. नेहरू ने भारत सरकार को सख्त रिपोर्ट भेजी। तब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने निर्णय लिया और वहां के मुख्यमंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी को मुख्य मंत्री पद से हटाकर वहां की परिस्थिति को दुरुस्त करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाये। मुझे याद है मेरे राज में रिबैरो नाम का एक पुलिस चीफ था। महाराष्ट्र सरकार को यहां से रिक्वैस्ट की गई कि अगर गुजरात की परिस्थिति ठीक करनी हो तो हमें एक अच्छे पुलिस अफसर की आवश्यकता है। रिबैरो को वहां ट्रांसफर किया गया और रिबैरो के हाथ में वह जिम्मेदारी देकर एक महीने के पहले वहां की परिस्थिति ठीक की। अगर सरकार की तैयारी हो और भारत सरकार की नीयत साफ हो तो गुजरात में परिस्थिति दुरुस्त हो सकती है। ऐसा पहले दो बार हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज वह परिस्थिति क्यों नहीं हो रही है। कब तक यह नरसंहार चलता रहेगा और कब तक आप चुप बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान मंत्री ने सिंगापुर जाते समय जो कुछ कहा था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। यह परिस्थिति इस देश के हर आदमी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं थी और इसीलिए जो दुख और भावना उन्होंने पूरे देश के सामने प्रकट की, उसका हम लोगों ने स्वागत किया था। मगर खाली बोलने से वहां परिस्थिति नहीं सुधरेगी। वहां कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और यदि वह सख्त कदम उठाना हो तो धारा 356 का इस्तेमाल करके वहां प्रेसीडेन्ट रूल लाकर गुजरात की परिस्थिति को ठीक करने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। यह काम आप जितना जल्दी करेंगे, उतना फायदा वहां की परिस्थिति के लिए होगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

मैंने जो राजनीतिक बात कही, मालूम नहीं वहां जिन लोगों की हुकूमत है, उस भारतीय जनता पार्टी ने 17 मार्च, 2002 को एक सर्कुलर भेजा था, जो काम्बैट मैगजीन के मार्च-अप्रैल, 2002 के इश्यु के पेज नम्बर 113 पर दिया है। जो जिला और ब्लाक लैवल पर पार्टी के सदस्य काम करते हैं, यह सर्कुलर उन्हें भेजा गया था और उन्हें इस सर्कुलर में बताया गया था कि कुछ इश्यूज हम आपको भेज रहे हैं, आपके क्षेत्र की इस बारे में जो कुछ इन्फार्मेशन आपके पास है, वह इन्फार्मेशन लेकर आप उस मीटिंग में आइये। उनके पास क्या सवाल भेजे थे। उनके पास भेजा गया पहला सवाल था-

[अनुवाद]

"1. जिले में बंद कैसा रहा? बंद के दौरान कांग्रेस की क्या भूमिका रही?

2. गोधरा की घटना के बाद पार्टी और सरकार के बारे में लोगों की आम राय क्या है?

3. पार्टी के कार्यकर्त्ताओं का क्या विचार है? क्या मौजूदा सरकार विभिन्न जातियों, दलितों, आदिवासियों और अन्य लोगों को पसंद है? यदि हम अभी चुनाव कराएं, तो क्या हमें लाभ मिलेगा? संक्षेप में, क्या हम आम राय अपने पक्ष में कर सकते हैं? कार्यकर्त्ताओं पर गिरफ्तारियों का क्या प्रभाव पड़ा है? चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?"

ये सब सवाल क्या बताते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं पुन: कहता हूं कि भाजपा का ऐसा कोई परिपत्र नहीं है।

[हिन्दी]

यह क्या चीज पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई सर्कुलर बी.जे.पी. ने नहीं भेजा। यह काम्बैट मैगजीन छाप रही है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: जिस तरह से यहां इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट मैन्शन की गई थी, उसी तरह से काम्बैट मैगजीन के मार्च-अप्रैल, 2002 के इश्यू में आई हुई रिपोर्ट को मैंने आपके सामने रखा है।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, ये ऐसी मैगजीन्स हैं जो इस तरह की गलत बातें रोज छापती रहती हैं। माननीय सदस्य वह सर्कुलर दिखायें।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: यह चुनाव के लिए कितना लाभदायक हो सकता है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा मानस अगर वहां के नेतृत्व का हो सकता है और अगर यह बात सच होगी तो मुझे लगता है कि यह बड़ी गम्भीर बात है, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक बात मुझे कहनी है कि आज वहां शांति कैसे पैदा हो सकती है, जो समाज में नफरत है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए वहां की सभी पोलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाकर ज्यादा से ज्यादा इंटरऐक्शन उनके साथ करना होगा और उनका सहयोग किस तरह से ले सकते हैं इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि अभी तक वहां की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। आज के 'संदेश' में एक रिपोर्ट है कि कुछ साधुओं पर कुछ हमला हो गया। हैडलाइन थी कि साधुओं पर मुसलमानों ने इस गांव में हमला किया। जब-जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, तब हमेशा सरकार की तरफ से न्यूजपेपर्स और बाकी माध्यमों को हमेशा एक बात बताई जाती है कि समझो ऐसा कुछ हुआ भी, तो किसी समाज या धर्म के लोगों का नाम मत दीजिए क्योंकि इससे नफरत और पैदा हो सकती है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मगर मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इसलिए यह परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। अगर हमें देश के हितों की रक्षा करनी है, खून-खराबा खत्म करना है, सांप्रदायिक ज्वर खत्म करना है तो हमें सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं प्रधान मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत के बारे में हम लोगों ने कभी बातें नहीं की और करना भी नहीं चाहते, मगर इतना खून-खराबा पिछले दी महीने से होने के बावजूद भी आप शांति और मौन व्रत रखकर यहां बैठेंगे तो धारा 356 का इस्तेमाल करने की बात हम करेंगे। भले ही हमारे पास शक्ति न हो, भले ही नंबर न हो, मगर फिर भी आपको जाने का नोटिस हमें देना पड़ेगा, इतना ही कहकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 184 के अधीन चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, गुजरात में पिछले लगभग एक वर्ष में दो भूकम्प आए हैं। जनवरी, 2001 में आया भूकम्प प्राकृतिक था, और दूसरा यह मौजूदा भूकम्प जो पिछले भूकम्प से अधिक विनाशकारी है और वहां निर्दोष लोगों की क्रूर हत्याएं हुई हैं। पूर्णत: मानव निर्मित भूकम्प है। पहली घटना पूर्णत: प्राकृतिक थी। किन्तु, गोधरा और गुजरात के अन्य भागों में घटी घटनाएं मानव-निर्मित हैं। भारत में और विश्व भर में हर विचारवान व्यक्ति इस क्रूर घटना की निंदा करेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, इसीलिए जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री गुजरात गए तो उन्होंने कहा था कि गुजरात में जो कुछ हुआ वह राष्ट्रीय शर्म की बात है। यह राष्ट्रीय शर्म ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए शर्म की बात है।

गोधरा की घटना अवश्य ही निन्दनीय है। किन्तु, इससे कोई भी राजनीति में न्यूटन के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं कर सकता कि 'प्रत्येक क्रिया की वैसी ही प्रतिक्रिया होगी'। ''आंख के बदले आंख'' अर्थात् 'जैसे को तैसा' किस्म का व्यवहार सबसे घटिया किस्म का मानवीय व्यवहार है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि सभी ''आंख के बदले आंख'' अर्थात् ''जैसे को तैसा' का रवैया अपनाएंगे तो पूरी दुनिया अंधों की हो जाएगी अर्थात् पूरी दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। हमारा समाज अनेक जातियों, संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं वाला समाज है। हमारे यहां विश्व के सभी धर्मों—हिन्दू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, यहूदी आदि के लोग रहते हैं।

हमारे संविधान की उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

आज मानवता के खिलाफ गुजरात में जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी निन्दा करते हुए हम एक अजीब सी स्थिति में फंस गए हैं।

सामान्यत: जब कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

जाता है, और हम सब का इस सिद्धान्त में दृढ़ विश्वास है कि किसी को मुख्यमंत्री बनाने या हटाने के लिए एक मात्र सक्षम निकाय राज्य विधान मण्डल है। लेकिन, कानून-व्यवस्था की स्थिति कई राज्यों में खराब हो रही है। साथ ही, एक और परेशानी यह है कि यदि किसी एक मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, तो किसी अन्य व्यक्ति का शासन चलने लगता है। इस प्रकार, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

हमारी चिंता यह है कि जितना संघवाद बचा है उसे समाप्त नहीं होने देना चाहिए और उसे तब तक बनाये रखे जाने की आवश्यकता है। जब तक कि हम पूर्व संघवाद विकसित न कर लें। चूंकि हम संघवाद में विश्वास करते हैं, इसलिए हम इस प्रस्ताव का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन, साथ ही हम गुजरात में हो रही अनवरत हिंसा और विध्वंस को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते।

बहुचर्चित एस.आर. बोम्मई मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के दो केन्द्रीय मुद्दे न्यायनिर्णयन के लिए आए थे। पहला संघवाद और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बारे में था और दूसरा धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य और इसके दायरे और शासन व्यवस्था में इसकी भूमिका से संबंधित था। न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना (संविधान की) में 'समाजवाद'' और 'धर्मनिरपेक्ष' अभिव्यक्तियों के न होने के बावजूद संविधान धर्मनिरपेक्ष है और जो कुछ अव्यक्त है उसे स्पष्ट किया गया है। अत: कोई भी सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजहबी शासन प्रणाली लागू नहीं कर सकती। न्यायाधीशों ने उल्लेख किया कि संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों को दोयम-दर्जे का नागरिक मानने के विचार का समर्थन नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत, यह विचारधारा प्रबल रही प्रतीत होती है कि बहुसंख्यक समाज अर्थात् हिन्दुओं को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और स्वयं धर्मनिरपेक्ष बनकर उन्हें अल्पसंख्यकों को धर्मनिरपेक्ष बनाने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि बहुसंख्यक समाज ही अन्य लोगों के मन में सुरक्षा की भावना भर सकता है।

बुहलवादी समाजों में कानून के उद्देश्य के बारे में न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

> ''क्या यह बहुसंख्यक वातावरण में अल्पसंख्यकों का उत्तरोत्तर आमेलन नहीं है? इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि यह उनकी पहचान समाप्त करने का एक व्यर्थ प्रयास होगा?''

इस प्रकार, धर्मनिरपेक्षता मौलिक कानून का हिस्सा और भारतीय राजनीति तंत्र का मूल ढांचा है जो इसकी समस्त जनता की मानवीय उत्कृष्टता की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं और उनकी नैतिक सबलता, भौतिक समृद्धि और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि इस पर वोट कब पड़ेंगे। पेट भी खाली है। मेरी प्रार्थना है कि वोटिंग का समय निश्चित कर दीजिए, ताकि हम उस वक्त हाजिर रहें।

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, यह मैं अभी कैसे बताऊं। अभी बोलने वाले बहुत माननीय सदस्य हैं। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य को पांच-पांच मिनट भी दिए जाएं क्योंकि इससे कम में कोई माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त नहीं करता, तो भी मैं आपको कैसे बताऊं। मेरे लिए यह बोलना अभी संभव नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): मुलायम सिंह जी, आपने तो शुरू किया है, इसलिए आप तो बैठिए। आप अपने सब एपाइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए। आपको यही पनिशमेंट है।

श्री मुलायम सिंह यादव: नहीं मेरी कोई एपाइंटमेंट नहीं है। मैं तो बैठा हूं, लेकिन यदि वोट का समय निश्चित हो जाए, तो ठीक रहेगा। चाहे आप रात को 12 बजे या दो बजे, कोई भी समय निश्चित कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, मैं यह नहीं बता सकता कि एक स्पीच के बाद दूसरी स्पीच शुरू होने के बीच में इंटरप्शन का कितना टाइम होता है। इसलिए समय तय करना मेरे लिए संभव नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: संसदीय कार्य मंत्री जी से आप मदद लेकर हमें बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: उनकी मदद लेकर आप खुद ही एसेस कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: दुर्भावना और बीमारी हमारे भीतर ही है। इस दुर्भावना और बीमारी का नाम कट्टरवाद है।

सबसे पहले तो धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में धर्म के आधार पर चुनावी मोर्चा बनाने की मनाही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ चुनावों और विभिन्न विधानमंडलों के सदस्यों को चुनौती दी गई थी और न्यायालयों ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था।

धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसलिए, यह एकदम स्पष्ट है कि जो कोई भी अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का विरोधी कहता है, उसका निर्वाचन नहीं हो सकता।

लगातार हो रहे दंगों से प्रभावित लोग आज पर्याप्त राहत और पुनर्वास की राह देख रहे हैं। ये अलग मामले हैं। मुख्य बात है कि न्याय होना चाहिए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में निहित उच्च सिद्धान्तों के साथ-साथ हमारी सोच में भी परिवर्तन आना चाहिए। लोग हमारे लोकतंत्र को कैसे याद रखेंगे? केवल तभी, जब हम संविधान का सम्मान करेंगे। इतिहास हमें कैसे याद रखेगा? केवल तभी, जब हम 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति वाले सभ्य मानव की तरह व्यवहार करेंगे।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करने और संविधान की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए किया गया था, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए नहीं। इसलिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हमारे राष्ट्रीय एजेंडा का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पूर्व अटार्नी-जनरल तिरू.के. परसरन के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था:

> ''राष्ट्र पिता का नाम ''गांधी'' है। उनके नाम, गुजरात राज्य के नाम और गोधरा शहर के नाम में अंग्रेजी वर्णमाला का 'जी' अक्षर आरंभ में है। 'गाड' शब्द भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'जी' से ही शुरू होता है। यदि धर्म का दर्शन और नैतिकता ही विकृत हो जाएगी तो ईश्वर का रूप भी विकृत हो जाएगा और 'गाड' के स्थान पर वह 'डाग' हो जाएगा (जी-ओ-डी को उल्टा करने पर वह डी-ओ-जी होता है। कुत्ता जानवर होते हुए भी विश्वास का प्रतिरूप होता है। हमें कम से कम इस जानवर के गुण को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।''

सायं 6.48 बजे

(**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए)

अपनी गुजरात यात्रा के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पागलपन का जवाब पागलपन नहीं है। आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, आग को फैलने से रोकने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है। आओ हम सब एकजुट होकर आग अर्थात् सांप्रदायिकता की आग पर पानी डालें, फिर चाहे वह गोधरा जैसी घटना हो या अन्य प्रकार की, चाहे वह हमला हो या जवाबी हमला।...*(व्यवधान)* मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, मैं यहां श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत और श्री प्रियरंजन दासमुंशी और सी पी आई (एम) पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा संशोधित इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं अपने हृदय में अत्यधिक पीड़ा और वेदना के साथ इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस सदन में 26 सांसद गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चर्चा लगभग अपराह्न 12.05 बजे शुरू हुई थी। मुझे यह कहने में अत्यधिक दुख हो रहा है कि गुजरात के एक संसद सदस्य को पांच छह घंटे के बाद ही बोलने की अनुमति दी गई है और हम गुजरात पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि ऐसी कुछ प्रक्रिया हो जिससे, जब सदन किसी विशेष राज्य चर्चा कर रहा है, सदन को उस राज्य के संसद सदस्य से प्राथमिक सूचना मिल जाए। वह सांसद सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष का हो सकता है। मुझे यह कहने में भी अत्यधिक दुख हो रहा है कि वे बहुत वरिष्ठ सदस्य ने भी जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया है, उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व घटित घटनाओं और गुजरात में 1984-85 अथवा 1969 के दौरान घटित घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने पिछले दो माह के दौरान गुजरात में हुए नरसंहार मानव हत्या और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का वास्तविक ब्यौरा नहीं दिया है।

मैं इस वाद विवाद में वेदना के साथ शामिल हो रहा हूं क्योंकि मेरा अपना रिश्तेदार 15 मार्च को उत्तेजित भीड़ द्वारा की गई हिंसा में मारा गया जो विश्व हिन्दू परिषद द्वारा सड़क पर आरती करने के आह्वान के कारण हुई। मैं हिन्दु परिवार में उत्पन्न हुआ था किन्तु मैं बौद्ध विचार धारा को मानता हूं। मेरी पत्नी और मेरी पुत्री हिन्दु धर्म को मानते हैं। वे भगवान राम, शिव और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। महोदय, मैंने कभी सड़क पर और वह भी दोपहर में की जाने वाली आरती के बारे में नहीं सुना है। मैंने मंदिर में सुबह के समय आरती करने के बारे में सुना है। मैंने संध्या आरती के बारे में सुना हैं जैसाकि हम हरिद्वार में शाम में होने वाली आरती को देखते हैं। किन्तु जब भी गुजरात में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आरती का आह्वान किया जाता है तो आरती 1 बजे अथवा डेढ़ बजे की जाती है। सामान्यतया यह आरती शुक्रवार को की जाती है। वे भली भांति जानते हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे और लगभग अपराह्न 1.30 बजे वे वापस आएंगे। वे जानते हैं कि सड़क के दोनों ओर भीड़ होगी। मेरा रिश्तेदार अर्थात् श्री नीतिश परमार, जिसकी आयु 19 वर्ष थी और वह विज्ञान विषय के साथ बारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसकी 15 मार्च को मृत्यु हो गई। एक ओर हिन्दुओं की भीड़ थी और दूसरी ओर मुसलमानों की भीड़ थी। मैं न तो हिन्दू

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

हूं, न मुस्लिम क्योंकि मैं एक दलित हूं। मैं उन लोगों से एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हिन्दुत्व का दावा करते हैं। वे वर्ष 1981 के दौरान गुजरात में आरक्षण रोधी दंगों के दौरान कहां थे? यदि अनुसूचित जाति हिन्दु समुदाय की है तो वे आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है? गुजरात में उस आन्दोलन के नेता कौन थे? मैं किसी दूसरे राज्य का उल्लेख नहीं करूंगा। संविधान के निर्माता महान डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा सुरंगपुर क्षेत्र में किन लोगों द्वारा गिराने की चेष्टा की गई। गुजरात सरकार अब इसकी जांच करे और उन लोगों के नाम बताए जो 1981 में आरक्षण विरोधी दंगों के दौरान महान डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा गिराने की चेष्टा करने के लिए उत्तरदायी थे। अहमदाबाद और उत्तरी गुजरात के सभी गांवों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को निशाना बनाया गया। मैं एक गांव बिलिया जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र पाटन में हैं, की एक घटना आपको बताऊंगा। अनुसूचित जाति की सारी बस्ती में आग लगा दी गई और लोगों को बिलिया गांव से भागना पड़ा। वे सिद्धपुर चले गए और उन्होंने वहां एक आश्रम में शरण ली जिसका प्रबंधन पूनानाथ नामक अनुसूचित जाति के संत द्वारा किया जाता था। वे वहां बीस वर्ष तक रहे। बिलिया के ग्रामीण जो गुजरात के सिद्धपुर तालुक में आए थे, उनका पुनर्वास करने के लिए कालोनी का निर्माण पिछली सरकार और वर्तमान सरकार द्वारा बीस वर्ष बाद कराया गया वह भी जब मैंने संसदीय सलाहकार समिति में मामले को उठाया। जब श्रीमती मेनका गांधी उस समिति की सभापति थी और अब डा. जटिया समिति के सभापति हैं। उसके पश्चात् आदेश भेजा गया जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति के परिवारों से संबंधित उन ग्रामीणों को जो आरक्षण विरोधी दंगों के कारण बिलिया से आए थे, का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

धनराशि भेजी गई, कालोनी का निर्माण किया गया और एक कार्यक्रम तैयार किया गया। गुजरात सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री वहां आए और उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य की हैसियत से मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया। यह कार्य बीस वर्ष के बाद हुआ।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): यह कांग्रेस के शासन में हुआ था।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं शासन का उद्धरण नहीं दे रहा हूं। मैं आरक्षण का विरोध करने वालों की बात कर रहा हूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। किन्तु मैं जानता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: इनमें से अधिकतर कांग्रेस में हैं। मैं आपको उनके नाम दूंगा।...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: अपनी बारी आने पर बात कीजिएगा। वे भी कांग्रेस के व्यक्ति हैं...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हरिन पाठक जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: शिवराज पाटिल जी से पूछ लीजिए* वे नाम कैसे लेते हैं?

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण करें। नाम प्रोसिडिंग में नहीं जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं मनोवृत्ति की बात कर रहा हूं। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने बहुत ठीक कहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं। विशेषकर हम गुजरात में ही नहीं संसद में क्या हो रहा है सच कड़वा होता है। मैं बता रहा हूं कि हिन्दु मनोवृत्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के विरुद्ध थी और इसी के परिणाम स्वरूप दंगे हुए। बिलिया के लोगों का संबंध किसी पार्टी से नहीं था। आप मुझे अपनी सदस्यता के बारे में बताइए और कांग्रेस की सदस्यता क्या है। आप यह नहीं कह सकते कि गुजरात में सभी कांग्रेसी हैं अथवा सभी भाजपा के सदस्य हैं। मैं समुदाय के बारे में बात कर रहा हूं। हम साम्प्रदायिक दंगों की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस अथवा भारतीय जनता पार्टी के दंगों चाहे वे दंगे कांग्रेसियों ने भड़काए अथवा भाजपाईयों ने भड़काए, के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: आपने स्पष्ट टिप्पणी कर दी कि हिन्दु मनोवृत्ति आरक्षण के विरुद्ध है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: ऐसा गुजरात में हुआ। मैं यह कह रहा हूं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कहती है?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं यह कहता हूं। हिन्दु मनोवृत्ति गुजरात में आरक्षण के विरुद्ध थी। मैं यह कहता हूं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: क्या आप कांग्रेसी नहीं हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिन पाठक: क्या यह आपकी पार्टी का विचार है? कृपया स्पष्ट करें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: यह मैं कहता हूं।

आज पिछले कुछ दिनों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सभी भाषणों से संबंधित पुस्तिका हमें प्राप्त हुई क्योंकि आज कल चाहे जो भी कारण हों, उनके भाषणों के बारे में बहुत विवाद होते हैं। परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सरकारी खर्च से यह पुस्तिका प्रकाशित की और इसे सभी संसद सदस्यों को यह बताने के लिए भेजा गया कि कम से कम प्रधान मंत्री साम्प्रदायिक दंगों के पक्ष में नहीं हैं।

आज के समाचार पत्र में भी देश के सर्वोच्च प्राधिकारी अर्थात् महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अपील को पढ़ा* इसका अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति गुजरात की स्थिति से चिन्तित हैं। चूंकि हिंसा जारी है इसलिए वह चाहते हैं कि वहां शाति कायम की जाए।..* उनका यह कथन था।

दि हिन्दुस्तान टाइम्स, एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित सम्पादकीय पृष्ठ में एक अन्य रूचिकर लेख भी था।

सायं 7.00 बजे

श्री एम. वैंकय्या नायडू: मैं व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मैं दूसरे सदन से हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: इस समय बोलने की अनुमति मुझे दी गई है, उनको नहीं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, वह भारत के राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह सही है कि भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेसीडेंट आफ इंडिया का नाम लेने की इजाजत नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: इस पुस्तिका के संबंध में श्री ए.जी. नूरानी ने 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक सम्पादकीय लिखा है। वह कोई आम आदमी नहीं हैं न ही वह एक साधारण व्यक्ति हैं। वह प्रसिद्ध स्तम्भ लेखक हैं। उन्होंने 'द रीयल वाजपेयी' नाम से एक लेख लिखा है। मैं इन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा माननीय प्रधान मंत्री कहूंगा। लेख का शीर्षक है 'प्राइम मिनिस्टर स्पीकस् इन कनफ्लीकटिंग वायसिस'। इसलिए उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? उन्होंने पिछले दो माह के दौरान दिए गए भाषणों के ही नहीं बल्कि 1962 के बाद के बाद के दिए गए भाषणों के उदाहरण दिए हैं जब माननीय वाजपेयी जी ने एक दिन एक वक्तव्य दिया और दूसरे दिन उसे बदल दिया जिसमें अमेरिका में दिया गया वक्तव्य भी शामिल है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह आर एस एस के प्रचारक हैं और अगले दिन यह वक्तव्य बदल दिया कि राष्ट्र के प्रचारक हैं न कि संघ के।

चूंकि मैं गुजरात से हूं इसलिए मैं विभिन्न अन्य राज्यों के माननीय सदस्यों द्वारा दी गई कुछ गलत सूचना को बिना किसी आशय के स्पष्ट करना चाहता हूं। गुजरात के वर्तमान मुख्य मंत्री का चुनाव 22 फरवरी को किया गया था। उनके निर्वाचन का परिणाम 22 फरवरी को घोषित किया गया। वह दिल्ली से गुजरात गए। वह गुजरात में नहीं थे। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं और इस सदन को भी जानकारी दी जाए कि नरेन्द्र मोदी जिनका संबंध गुजरात भारतीय जनता पार्टी से था, उन्हें चार वर्ष पहले दिल्ली क्यों बुलाया गया था? वह इस सदन को इसकी जानकारी दें। ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी को केशुभाई पटेल जैसे व्यक्ति को हटाकर और एक समय आर एस एस के प्रचारक रहे व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाना पड़ा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह संघ परिवार का एजेंडा था। क्योंकि जब श्री वाजपेयी जी मार्च, 1998 में प्रधान मंत्री बने थे- उन्होंने गत मार्च में इस पद पर चार वर्ष पूरे कर लिए हैं- तो कांग्रेस केवल छ राज्यों में शासन करती थी। परन्तु धीरे-धीरे कई राज्यों में चुनाव हुए और अब कांग्रेस चौदह राज्यों में शासन कर रही है।

मेरी जानकारी के अनुसार, यदि मैं गलत नहीं हूं तो भाजपा केवल गुजरात और झारखण्ड में शासन कर रही है...*(व्यवधान)* पूरे देश में केवल गुजरात में भाजपा सरकार है। अन्य सभी राज्यों में कांग्रेस अथवा भारतीय जनता पार्टी या विभिन्न अन्य दलों द्वारा शासन किया जा रहा है। परन्तु निश्चित रूप से भाजपा वहां नहीं है। केन्द्र में रा.ज.ग. के नाम पर भाजपा शासन कर रही है, जिसके संयोजक 1974 की रेलवे हड़ताल के पुराने मित्र कामरेड जार्ज फर्नान्डीज हैं, यह गठबन्धन न तो जनतांत्रिक है और न ही राष्ट्रीय ...*(व्यवधान)* उन दिनों वह मेरे कामरेड थे। मैं मानता हूं कि मैं गुजरात में हड़ताल के लिए लोगों को एकत्र कर रहा था और वह अखिल भारतीय स्तर के नेता थे। आज भी वह अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब वह देश के रक्षा मंत्री के रूप में गुजरात गए थे तो क्या उन्हें मुख्य

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

मंत्री द्वारा कामकाजी वर्ग के क्षेत्रों में न जाने की सलाह नहीं दी गई थी? मैं उनसे जानना चाहता हूं और इस सभा को भी पता लगना चाहिए कि क्या उन पर पत्थर नहीं फेंके गए थे? वे कौन लोग थे जिन्होंने इस देश के रक्षा मंत्री पर पत्थर फेंके? इस सभा को यह पता लगना चाहिए। मैं कुछ गलत-सूचना और गलत धारणाओं को भी दूर करना चाहता हूं। मैं 22 फरवरी से 26 अप्रैल तक का पूरा ब्यौरा देता हूं जो कि पुलिस अभिलेखों के अनुसार है। मेरे पास 26 अप्रैल तक का ब्यौरा है और आप इसमें जोड़ सकते हैं। गुजरात सरकार के अनुसार कुल 661 लोग मारे गए थे। मेरे पास हिन्दुओं और मुस्लिमों के आंकड़े हैं परन्तु मैं इन्हें देना नहीं चाहता...*(व्यवधान)* क्या आप जानना चाहते हैं? 552 मुस्लिम हैं और 109 हिन्दू हैं। पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों की संख्या 170 थी।

धुरेबाजी से घायल लोगों की संख्या 310 है। महोदय, पुलिस ने 9106 राउंड गोलियां चलाई। 12513 अश्रुगैस के गोले छोड़े गए। आगजनी से 10298 घर प्रभावित हुए; आगजनी में 12473 दुकानें लूटी गईं; 2659 लारी गल्ला नष्ट हुए। गुजरात सरकार की राज्य परिवहन की नष्ट होने बाले बसों की संख्या 27 है। अन्य नष्ट हुए वाहनों की संख्या 2978 हैं। इस तारीख तक कुल 831 मौतें हुईं। अब तक कुल 35,552 लोग गिरफ्तार किये गये हैं। प्रिय महोदय, प्रिय गृह मंत्री मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिरफ्तार किये गये ये सभी 35,552 लोग जमानत योग्य अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये थे। इतनी हत्याओं, आगजनी, वाहनों को लूटने और जलाने के पश्चात् मुश्किल से 79 लोगों को गैर-जमानती अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। इन आंकड़ों के बावजूद भी आप राज्य प्रमुख को बदलना नहीं चाहते। क्या गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह पर्याप्त कारण नहीं है? क्या यह ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? मैं यह माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं।

अन्य चीजें स्कूल परीक्षा, गोधरा में रेलवे हत्याकांड में शामिल कांग्रेस जन के कथित मामले इत्यादि के बारे में हैं।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): उसके बाद भी कांग्रेस के लोग दंगों में शामिल थे। आपको नाम चाहिए, जगह चाहिए, तो मैं पूरी डिटेल दे सकता हूं कि कौन-कौन कांग्रेस के लोग थे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं इस सभा को एक महत्वपूर्ण आंकड़ा देता हूं। महोदय, 523 धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया। 523 धार्मिक स्थलों में से 298 दरगाह थी जिनमें उनावा में महान संत मीरा दत्तार के स्थान के समीप मामू साहेब दरगाह भी शामिल है। मैं इस स्थान पर गया था क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मामू साहेब की दरगाह मुस्लिमों द्वारा बनवाई गई थी। परन्तु दरगाह में रजत स्तम्भ और समस्त रजत वस्तुएं बड़ौदा के महाराज श्रीमान साभाजीराव गायकवाड द्वारा भेंट की गई थी। न केवल दरगाह ध्वस्त की गई बल्कि उन्होंने चांदी भी लूट ली। वे पानी के पम्प भी ले गए। यह मीरा दत्तार में हुआ जो कि ऊंझा के निकट है। महोदय, 298 दरगाह और 205 मस्जिदें नष्ट की गई। वहां कुछ मंदिर भी थे। शायद इनकी संख्या 17 है। इसलिए, 17 मंदिर भी ढा दिये गये थे। गिरिजाघर भी वहां थे। तीन गिरिजाघर भी दंगों के दौरान ढ़ा दिये गये थे। इसलिए, कुल 523 धार्मिक स्थल ढहाए गए थे। यदि गोधरा रेलगाड़ी हत्याकांड के संबंध में यह प्रतिक्रिया है तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम महात्मा गांधी, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जो इस देश के महान सपूत थे, के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। आप एक विशिष्ट संस्कृति की बात कर रहे हैं। हम मिलीजुली संस्कृति की बात कर रहे हैं। हम हिन्दुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों, दलितों के पक्ष में हैं और हम समाज के सभी वर्गों के पक्ष में हैं। मैं महान शंकराचार्य की बात रख रहा हूं। पुरी के शंकराचार्य ने इन लोगों से, जिन्होंने गुजरात में गड़बड़ की है, प्रश्न पूछा है। शंकराचार्य द्वारा रखा गया प्रश्न यह है। यह समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है।

> ''शंकराचार्य ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल के हिन्दुओं की ओर से बोलने के अधिकार पर भी प्रश्न लगाया है और कहा है कि इस देश के हिन्दुओं ने इन संगठनों को अपनी ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया है।''

हम भी हिन्दू हैं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: क्या आप शंकराचार्य का नाम बतायेंगे? उन शंकराचार्य का नाम क्या है? वह पुरी के शंकराचार्य नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: उन्होंने जमायत-उल-उलेमा-ए-हिंद द्वारा आयोजित साम्प्रदायिक सद्भाव सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए ऐसा कहा था और सम्पूर्ण समुदाय का उनमें विश्वास है। शंकराचार्य ने गुजरात में सैंकड़ों लोगों की हत्या के लिए प्रधानमंत्री को सीधे जिम्मेदार ठहराया है।

इस अपराध का भारतीय इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि परीक्षा के बारे में सही बात क्या है। अहमदाबाद में मुस्लिम माता-पिता ने एक समिति बनाई और इसका नाम ओपन हाउस कमेटी रख दिया। इस सच्चाई और तथ्य

का न केवल पूरी सभा को बल्कि मीडिया को भी पता चलना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की समिति नहीं थी। संयोग से उप समिति के तीन सदस्य कांग्रेस के थे। इस समिति ने गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों की सर्वाधिक तनावपूर्ण अवधि में परीक्षा कराने के बारे में निर्णय लिया। छात्र गोमती नगर, जमालपुर इत्यादि में रहते थे। दस हजार लोग अमन चौक, बापू नगर शिविर में रह रहे थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपया आप आसन ग्रहण करिए। राष्ट्रपाल जी के सिवा किसी की बात कार्यवाही में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: सात हजार लोग दरियागंज शिविर में रह रहे थे जहां विभिन्न नेतागण गए थे। सात हजार लोग शाह आलम शिविर में रह रहे थे। इन लोगों ने इस ओपन हाऊस कमेटी से अनुरोध किया था और इस कमेटी ने इन शिविरों में रहने वाले मुस्लिम छात्रों को बहिष्कार करने का निर्देश दिया था। बहिष्कार की अपील इस कमेटी द्वारा की गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए...*(व्यवधान)* यह कहा जाता है कि गोधरा की घटना...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मिस्त्री जी, कृपया आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: माननीय सभापति महोदय, गोधरा की घटना के बारे में यह दावा किया गया था कि कांग्रेसजन शामिल थे। मेरे पास 2 मार्च, 2002 की 'दि हिन्दू' की प्रेस कटिंग हैं जिसमें गृह मंत्री ने कहा है- 'गुजरात में गोधरा में 'बाहरी तत्व' शामिल हो सकते हैं। श्री आडवाणी मैं इससे एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं।

> "श्री आडवाणी ने कहा कि तेजी से किये गये ट्रेन आपरेशन से ये संकेत मिले हैं कि यह 'पूर्वनियोजित' आक्रमण था और यह केवल स्थानीय लोगों का ही कार्य नहीं था।"

यह माननीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में कहा था। मैं आगे उद्धृत करता हूं:

> "उन्होंने उन बाहरी तत्वों का नाम नहीं लिया, जो उनके विचार से इसमें शामिल थे, परन्तु कहा कि घटना की न्यायिक जांच के बाद ही वास्तविकता का पता चलेगा। न्यायिक जांच का आदेश गुजरात सरकार ने दे दिया है।"

यह वक्तव्य माननीय गृह मंत्री द्वारा सिविल अस्पताल में रोगियों से मिलते हुए दिया गया था। वहां एक फोटोग्राफ है और उनके नाम का भी उल्लेख किया गया है। गृह मंत्री नहीं बता पाये कि किसने भाग लिया था। एक समय पर यह कहा गया था कि आई एस आई पाकिस्तानी एजेंट शामिल थे। यहां उन्होंने कहा कि बाहरी तत्व शामिल थे।

यदि इस देश के माननीय गृह मंत्री का यह वक्तव्य है जो गुजरात के गांधी नगर से संसद सदस्य हैं, जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र भी है, जिसमें मेघानि नगर पड़ता है, जहां पूर्व संसद सदस्य श्री ईशान जाफरी और अन्य की हत्या हुई थी और इससे अधिक और किस प्रमाण की आवश्यकता है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बीच में बाधा पैदा मत कीजिए। आप आसन ग्रहण कीजिए। श्री खारबेल स्वाइं आप आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, मेरे पास 6 मार्च, 2002 के 'दि इकानामिक टाइम्स' की प्रेस कतरन भी है जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रेस द्वारा कुछ सूचना दी गई है और उस समाचार रिपोर्ट के शीर्षक में कहा गया है: "वी एच पी एण्ड बी जे पी लीडर्स लेड मोब्स, से एफ आई आर्स फाइल्ड इन अहमदाबाद"। मैं उस समाचार रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

> "एसोसियेटेड प्रेस द्वारा प्राप्त पुलिस रिपोर्टों में आज अहमदाबाद में दो हमलों, और गुजरात में पिछले सप्ताह हुए दंगों जिनमें 512 लोग मारे गये थे में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं।
>
> पुलिस अधिकारियों ने नरोडा में रविवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी जहां 65 मुस्लिमों को सोते हुए हिंदुओं द्वारा जलाकर मार डाला गया था, जिन्होंने शुक्रवार प्रात: उनकी बस्ती में आग लगाई थी; और समृद्ध मेघानीनगर में जहां हजारों हिन्दुओं की भीड़ ने गुरुवार की रात्रि में 42 मुस्लिमों के घरों में आग लगाकर उन्हें जलाकर मार डाला था। पुलिस उपायुक्त, पी.बी. गोंडया ने कहा कि रिपोर्टों में आरोपित किसी भी व्यक्ति से टिप्पणी के लिए सम्पर्क नहीं हो सका और वे पुलिस द्वारा उनसे प्रश्न पूछे जाने के प्रयासों से बचते रहे।"

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है:

"ईरडा की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने पहले 18 निवासियों को और बाद में उसी स्थान पर 24 और व्यक्तियों को जला कर मार डाला।"

इसमें आगे कहा गया है:

"नरोदा पाटिया में हुआ नरसंहार 6,000 लोगों की भीड़ का काम था और मेघानीनगर की भीड़ में 20,000 लोग शामिल थे।"

पुलिस द्वारा दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में यही कहा गया है। मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात की पुलिस तब क्या कर रही थी जब 20,000 की भीड़ को एकत्र होने दिया गया। 6000 और 20000 की भीड़ 5 या 10 मिनट में जमा नहीं हो सकती है।

महोदय, मैं केवल एक चित्र दिखाऊंगा। कृपया इस चित्र को देखिए।

[हिन्दी]

यह कांग्रेस वाले का पेपर नहीं है।

[अनुवाद]

महोदय, वे कई चीजों का संदर्भ देते आए हैं। मैं हिन्दू धर्म संसद द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही गुप्त दस्तावेज से उद्धृत करना चाहता हूं। उसके अनुसार, यह एक गुप्त दस्तावेज है। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ने जा रहा। इसमें 25 पैरा हैं। मैं इस दस्तावेज के केवल अंतिम तीन पैराओं को पढ़ने जा रहा हूं और वे उसी हिन्दू राष्ट्र का अनुसरण कर रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वे इसे प्रमाणित करने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। बिना आथेन्टिफिकेशन के यह पर्चा कैसे दिखा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कोई एक माननीय सदस्य बोले तो सुना जा सकता है लेकिन विभिन्न माननीय सदस्यों को कैसे सुना जा सकता है?

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, इस दस्तावेज के अंतिम तीन पैराओं को उद्धृत करता हूं। इसके अनुसार:

[हिन्दी]

"हमारा अंतिम प्रयास यह होगा कि अब देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं विकास योजनाओं को समाप्त करके बेजुबान हिंदू आस्थागत जानवरों के उत्तम रहन-सहन, रख-रखाव तथा उनकी सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा मेनका गांधी ने उठाया है। मेनका गांधी ने हमें यह भी विश्वास दिलाया है कि देश में मुसलमानों का मुख्य व्यापार मांस की बिक्री को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाए और भारत को शाकाहारी देश बनाया जाए क्योंकि मांसाहारी लोग अधर्मी होते हैं और हिन्दू धर्म का विरोध भी करते हैं। सभी हिंदू धर्म कट्टरपंथियों से अनुरोध है कि देश में जगह-जगह गौ-शालाओं के निर्माण हेतु अपने प्रस्ताव भेजें जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी और देश में एक गौ-रक्षक आयोग की स्थापना की जाए। कुछ अधर्मी नेतागण धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदू धर्म को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं।..."

हमने इस समस्या को भाजपा मंत्रिमंडल में उठाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि संसद में धर्म परिवर्तन के बारे में एक विधेयक लाया जायेगा और धर्म परिवर्तन पर हमेशा के लिये प्रतिबंध लगा दिया जायेगा और इस विधेयक में यह भी शामिल किया जायेगा कि नयी मस्जिदें, गिरजाघर, बौद्ध विहार और गुरुद्वारों के निर्माण के लिये गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

प्रो. रीता वर्मा: सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय: क्या है?

[अनुवाद]

प्रो. रीता वर्मा: प्रासंगिक नियमों के अनुसार:

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो..."

सभापति महोदय: आप नियम 353 को उद्धृत कर रहे हैं। इसका संबंध 'किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने से संबंधित प्रक्रिया से है।'

[हिन्दी]

कृपा करके आसन ग्रहण कीजिये। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, सदन का माहौल बदलने के लिए मैं साहिर लुधियानवी का एक शेर पढ़ना चाहता हूं। कृपया इस पर ध्यान दीजिए:

[हिन्दी]

साहिर लुधियानवी ने कहा है:

खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर,

जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमले-आलम का खून है आखिर।

[अनुवाद]

प्रो. रीता वर्मा: मैं नियम 369 को उद्धृत करना चाहती हूं:

"(1) सभा पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज उसे प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा।"

वह उसे उद्धृत कर रहे हैं और पत्र भी दिखा रहे हैं। उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* यदि वह गलत और अपराधारोपक है, तो उन पर आरोप लगाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उक्त नियम के अनुसार:

"(2) सभा पटल पर रखे गये सब पत्र और दस्तावेज सार्वजनिक समझे जायेंगे।"

क्या वह इसे प्रमाणित करने वाले हैं और इसे सभा पटल पर रखने वाले हैं?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे मैं सभा पटल पर रखूंगा। मैं अखबार की कतरनों से उद्धृत कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: आप कह रहे हैं कि वी.एच.पी. और आर.एस.एस. ने पब्लिश किया है, क्या उसे अथंटीकेट कर रहे हैं, तो टेबिल पर रखिये। अन्यथा आप इसे उद्धृत नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन साहब, आप अपनी रूलिंग दीजिये।

सभापति महोदय: आप बैठियेगा तभी रूलिंग दी जायेगी।

प्रो. रीता वर्मा: आप रूलिंग दीजिये तो मैं शान्त हो जाऊंगी।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। मैं इस पत्र को रखने के लिए तैयार हूं क्योंकि यह अखबार की कतरन है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: क्या आप अथंटिकेट करके दे रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं भारत के संविधान को भी प्रमाणित करूंगा और इसे सभा पटल पर रखूंगा।...*(व्यवधान)* मैं प्रमाणित करूंगा।...*(व्यवधान)* मैं उसके विभिन्न अनुच्छेदों को उद्धृत कर रहा हूं। इसकी आपूर्ति संसद द्वारा की गई है। मैं इसे उद्धृत करूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: उनको अथंटिकेट करके देना होगा और सोर्स भी बताना होगा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): सभापति महोदय, या तो पेपर्स सभा पटल पर रखना होगा या इसे वापस लेना होगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप में से कोई एक माननीय सदस्य खड़े होकर बोल सकते हैं और उन्हें सुनकर मामले का निष्पादन किया जायेगा। यदि अनेक लोग बोलेंगे, उस पर क्या निर्णय दिया जायेगा?

...*(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा: सर, मैं बोल रही हूं कि यह बार-बार गलत तथ्य रख रहे हैं। अभी इन्होंने माननीय शंकराचार्य जी का नाम

[प्रो. रीता वर्मा]

लिया...*(व्यवधान)* लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कही है, जो यह शंकराचार्य जी को कोस रहे थे। यह जिसकी बात कर रहे हैं, वह शंकराचार्य जी नहीं है, वह खुद ही एक फ्राड है और उसके नाम पर यह सदन में कह रहे हैं। यह सदन में गलत बात कह रहे हैं। क्या यह सदन को बतायेंगे कि इस डाकूमैन्ट की आथेन्टिसिटी क्या है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: सभापति महोदय, अब मैं भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को उद्धृत कर रहा हूं, जिसको मैंने प्रमाणित नहीं किया था...*(व्यवधान)* अब, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान अनुच्छेद 21 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: आप रूलिंग दीजिए कि इस डाकूमैन्ट की आथेन्टिसिटी क्या है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं संविधान को भी आथेन्टीकेट करता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संविधान को आथेन्टीकेट करने की जरूरत नहीं है।

प्रो. रीता वर्मा: इन्हें इस सीक्रेट डाकूमैन्ट को आथेन्टीकेट करने के लिए बोलिये।...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सर, आपने मैम्बर को डाकूमैन्ट को आथेन्टीकेट करने के लिए पूछा था। आप उनसे सिर्फ यह पूछ लीजिए कि क्या वह आथेन्टीकेट करना चाहते हैं या नहीं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: करेंगे।

श्री विजय गोयल: करिये।

श्री प्रमोद महाजन: यदि आथेन्टीकेट कर रहे हैं तो इसे सदन के पटल पर रखिये।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: अभी साइन करके रखिये।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: जो पेज मेरे पास है, मैं उस पर साइन करके दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: सभापति जी, रीता वर्मा जी ने जो सीक्रेट डाकुमैन्ट पढ़ा, उसके बारे में रीता जी ने प्वाइंट आफ आर्डर दिया। आपने राष्ट्रपाल जी से यह कहा कि आप इसे आथेन्टीकेट करेंगे, यह सीक्रेट डाकूमैन्ट है। उन्होंने कहा है कि हम इसे आथेन्टीकेट करेंगे, आप इस डाकूमैन्ट को आथेन्टीकेट करवा दीजिए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): लेकिन वह आथेन्टीकेट नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: आपने रूलिंग दी है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा: इनसे इसे अभी आथेन्टीकेट कराइये। अभी सदन के सामने आथेन्टीकेट कराइये। आप इस पर रूलिंग दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नियम के अनुसार:

"सभा पटल पर रखा जाने वाला पत्र या दस्तावेज इसे प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

अभी वह पढ़ रहे हैं, उसके बाद वह दस्तखत करके जमा कर देंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): यह आथेन्टीकेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन शंकराचार्य जी फ्राड हैं, रीता वर्मा जी से पूछ लीजिए, वह जरा सदन में नाम तो बतायें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण कीजिए। अभी केवल एक सदस्य खड़े हों। बाकी बैठ जाएं।

श्री विजय गोयल: सदन की मर्यादा के लिए जैसा उन्होंने आथेन्टीकेट करने के लिए कहा, वह डाकूमैन्ट पढ़ चुके हैं, जिसे उन्होंने सीक्रेट डाकूमैन्ट कहा, जिसे आपने कहा कि पढ़ने के बाद वह आथेन्टीकेट कर देंगे। अब उन्होंने पढ़ लिया है। अब उसे आथेन्टीकेट करवा दीजिए।

सभापति महोदय: आथेन्टीकेट का मतलब यह नहीं है, हम भाषण को बीच में रोककर सदन में नहीं रखवा सकते। क्या ऐसा कभी हुआ है। आप नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं। अगर कोई सदस्य सदन में रेफरेन्स देता है, वह आदमी अभी खड़ा है।

श्री प्रमोद महाजन: आप बाद में आथेन्टीकेट करा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: सभापति महोदय, केन्द्रीय गृह मंत्री गुजरात से निर्वाचित हुए हैं। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री गुजरात से राज्य सभा के सदस्य हैं।

मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 355 और इसकी उद्देशिका की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं इसे प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। मेरे अनुसार, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे द्वारा उद्धृत सभी अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है। जिसके परिणामस्वरूप, मैं मांग करता हूं कि उन सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की है, जिन्होंने मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, जिन्होंने मुसलमानों की संपत्ति को लूटा है, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं के साथ बलात्कार किया है और जिन्होंने बेटियों के सामने उनकी मांओं की हत्या की है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, जो डाक्यूमेंट इन्होंने पढ़ा, उसको आथेन्टीकेट करने के लिए कहें।

सभापति महोदय: संविधान को आथेन्टिकेट करने की जरूरत नहीं है। संविधान तो इतिहास से ही आथेन्टिकेटेड है। राष्ट्रपाल जी, अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, अभी 1,50,000 लोग विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करने दीजिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छानेसना गांव के लोग दूसरे गांव मे चले गए हैं। ऊंझा गांव के लोग अन्यत्र चले गए हैं। यकटूपुर के लोग अन्य स्थानों पर चले गए हैं। दो माह बीत चुके हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 300 एकड़ भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। जी हां, ऐसा समाचार पत्र में छपा है। उन्होंने यह भूमि पुनर्वास हेतु देने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री राष्ट्रपाल, अब अपना कनक्लूड करें।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: ऐसा समाचर पत्रों में छपा है।

श्री के. येरननायडू: महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। समाचार पत्रों में ऐसा लिखा है, परन्तु हमने कभी कुछ नहीं दिया और हमने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। ऐसा समाचार पत्रों में छपा है। यह सही है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं इसे वापस लेता हूं। यह ठीक है। परन्तु परसों, माननीय प्रधान मंत्री ने 2 करोड़ रुपए का एक चेक इंडियन रेड क्रास सोसायटी को भेजा है, गुजरात सरकार को नहीं। इसका मतलब है प्रधान मंत्री को गुजरात सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। राहत शिविरों में रहने वाले सभी लोगों के साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तरह व्यवहार किया जाता है और राहत प्रदान नहीं की जा रही है। मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन 1,50,000 लोगों का पुनर्वास कब किया जाएगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: इसकी एक समय-सारिणि होनी चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि उन्हें मानसून आरंभ होने से पहले पुनर्वासित करना चाहिए। पुनर्वास कार्य को मानसून से पहले पूरा किया जाए।

चुनाव के संबंध में वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा संघ परिवार के साथ एक सर्वेक्षण किया गया था कि क्या चुनाव करवाया जाना चाहिए या नहीं। एक सर्वेक्षण किया गया था। गुजरात से एकत्रित करने के बाद, मैं पार्टी द्वारा परिचालित प्रपत्र को प्रस्तुत करूंगा। एक सर्वेक्षण किया गया था। वे इस अवसर का उपयोग करना चाहते हैं।

यह साबित करता है कि यह गुजरात के संबंध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एजेंडा नहीं है बल्कि यह संघ परिवार का एजेंडा है जिससे गुजरात प्रभावित हो रहा है। मैं गुजरात का संसद सदस्य हूं। मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हटाया जाए और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): सभापति जी, इस प्रस्ताव पर कुछ बोलने से पहले, हमारे माननीय सदस्य और मित्र, भूतपूर्व प्रधान मंत्री चंद्रशेखर जी ने यहां पर रोशनी को लेकर जो बातें कहीं, उनके बारे में कुछ सफाई देना जरूरी है।

सभापति जी, 28 तारीख को शांति यात्रा जहां समाप्त हुई, वहां हम कुछ लोग एक मंच से बोल रहे थे। तब वहां मैंने यह बात जो लोग जमें हुए बैठे थे और काफी लोग थे, उनको संबोधित करते हुए कही कि यह वह गुजरात है जहां कुछ दशक पहले नौजवानों ने एक आन्दोलन चलाया। उस आन्दोलन के बारे

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

में बाबू जयप्रकाश नायारण देश भर में बार-बार कहते रहे कि मैं अंधेरे में था, गुजरात के नौजवानों ने मुझे रोशनी दिखाई। जो नौजवान उस जमाने में नौजवान थे, वे अब मध्यम वय के हो गए हैं, लेकिन जो नौजवान आज यहां बैठे हैं या खड़े हैं, उन सबसे मेरी यह प्रार्थना है कि जो स्थिति आज गुजरात में है, उसमें सुधार लाने के लिए आप लोग अपना योगदान दीजिए और जो वयस्क या मध्यम आयु के भी हो गए.हैं, उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि वे भी अपना योगदान दें। इस प्रकार जो रोशनी की बात थी, वह यहां समाप्त हो गई। इससे आगे वह नहीं गई थी, लेकिन आपने जो कहा, अखबारों में जो आया, शायद उसके आधार पर कहा। इसलिए हमारे शब्द कहां तक पहुंचा दिए गए, इसे आप, सदन और सारा देश समझता है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी सफाई देना चाहता हूं उनके बारे में जो हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, वे हैं शरद पवार जी। उनके द्वारा कही हुई एक बात है उसकी सफाई करना चाहता हूं। आपने कहा चिमनभाई पटेल बहुत मजबूत मुख्य मंत्री थे। बात सही है। वे इतने मजबूत थे कि जब आगे इमर्जेंसी आई और हम गुजरात में भूमिगत होकर रहे थे, तो वे हमें अपनी गाड़ी पर घुमाते थे। वे इतने मजबूत थे। शायद साधारण आदमी भी इतनी हिम्मत नहीं करता कांग्रेस के रहते हुए। आपने यह कहा कि उस समय गुजरात में भारी दंगा-फसाद हुआ था और इंदिरा गांधी ने चिमनभाई पटेल को हटा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हकीकत कुछ और है। मैंने जो पहली बात कही, चन्द्रशेखर जी द्वारा कही गई बात को लेकर कि वह आन्दोलन चल रहा था। वहां सरकार गोलियां चला रही था और वह आन्दोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, युवजनों की जो समस्याएं थीं, स्कूल और कालेज में पढ़ने वाले की जो समस्याएं थीं, उनके बारे में उनका आंदोलन चल रहा था और 100 से ज्यादा और 200 से कम युवाओं की जानें उस आन्दोलन में गई। मुझे आंकड़ा भी इस समय ठीक से याद नहीं है।...*(व्यवधान)* हां, आपने ठीक बताया 120 नौजवान सड़कों, स्कूल, कालेजों के आंगन में, रेलवे की पटरी पर, कांग्रेस सरकार की पुलिस की गोली खाकर मर चुके थे। तब मोरारजी देसाई ने दिल्ली में आमरण अनशन शुरू कर दिया और एक ऐसा समय आया जब हम लोगों को लगा कि अब मोरारजीभाई देसाई जा रहे हैं और यह बात जब श्रीमती इंदिरा गांधी को स्पष्ट हो गई, तब चिमनभाई पटेल को हटाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। वह दंगा नहीं था जिसके बारे में आपने इशारा किया।

सभापति महोदय, मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं अपने पुराने कामरेड राष्ट्रपाल जी से। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, पुरानी बातों का जवाब दे रहे हैं। गुजरात अभी भी जल रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण करें। यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): सभापति जी, जार्ज साहब ने जो कहा, वह सही नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मोरारजी देसाई का अनुशन गुजरात सरकार को गिराकर इलैक्शन कराने का था।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): सभापति महोदय, यह सारी बातें गलत बोल रहे हैं। हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। मोरारजी भाई ने इलेक्शन करवाने के लिए ऐसा किया था।...*(व्यवधान)* मोरारजी भाई को जनता पार्टी में किसने लिया था?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपने भाषण में बोलिये।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अभी कामरेड राष्ट्रपाल ने हमसे एक सवाल पूछा कि गुजरात में जब आप रक्षा मंत्री की हैसियत से गये तब आपको किसी ने पत्थर मारा था। उन्होंने हमें रेल हड़ताल के बारे में भी याद दिलाया। मेरा पूरा विश्वास है कि रेल हड़ताल के दिनों में उन्होंने भी पत्थर खाये होंगे क्योंकि बहुत लोगों को पत्थर खाने पड़े थे बल्कि बहुत कुछ खाना पड़ा था। हमने अपने जीवन में बहुत ही पत्थर खाये हैं। केवल पत्थर ही नहीं खाये बल्कि लाठियां भी खाई हैं। इन हाथों में हथकड़ियां भी रही हैं और जंजीर से बांधकर हमको ले जाने का काम भी किया गया है। हम तो अनेक अनुभवों से गुजरे हुए आदमी हैं। इसलिए हमें यह जो अनुभव गुजरात या अहमदाबाद में हुआ है, उसे हम हमेशा की तरह जीवन के अनुभव के आधार पर मानते हैं। इससे हमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कामरेड राष्ट्रपाल ने अपने भाषण के दौरान एक बात और कही कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं बल्कि प्रमोशन आदि को लेकर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): किस नियम के तहत वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं इसलिए स्पष्टीकरण दे रहा हूं क्योंकि यहां पर वक्तव्य दिए गए हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप इतनी गुलामी मत कीजिए। आप बैठ जाइये।

सभापति महोदय: आप उनको भाषण करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सब लोग हमारा जवाब लेकर रहोगे। अगर यहां पर कोई बोलकर जाता है तो उसके बाद बोलते हुए हम उस संबंध में जरूर सफाई देंगे। उन्हें चिंता थी कि गुजरात में जो हरिजन हैं, बैकवर्ड्स हैं, उनके लिए जो न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता था।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आज भी नहीं मिलता है।...*(व्यवधान)* मेरी कांस्टीट्एंसी में आज भी ऐसा है।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: ठीक है। हमने मान लिया। हम उसे नकारते नहीं हैं।...*(व्यवधान)* आप क्यों चिल्ला रहे हो? हम इसे नकारते नहीं हैं।...*(व्यवधान)* हम उनको इतना ही बताना चाहते हैं कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 25 साल तक धूल खाती रही। उसको बाहर नहीं लाया गया। आप इस बात को याद रखिये।...*(व्यवधान)* पंडित नेहरू द्वारा काका कालेलकर कमीशन बनाया गया जो पिछड़ों को न्याय देने के लिए बना था, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार के जमाने में धूल खाती रही।...*(व्यवधान)* बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप नहीं समझ पायेंगी। आपकी समझ में नहीं आयेगा इसलिए आप क्यों परेशान होती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: बी.जे.पी. सरकार ने साबित कर दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: उपाध्यक्ष महोदय, आज तक वहां दंगे भड़क रहे हैं। वहां मार-काट जारी है।...*(व्यवधान)* आप गुजरात के बारे में तो कुछ बोलिये।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: आप ख्वाहमख्वाह बोलते हो। हमको चिल्लाकर आप डरा नहीं सकते। आप सब लोग यहां पर गुजरात पर बोल चुके हैं। बहुत सारे भाषण गुजरात के इश्यू पर हो चुके हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप टोका-टाकी मत करिये।

...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: हम तो पूरी दुनिया को देखना जानते हैं। आप क्या बात करते हैं?...*(व्यवधान)* सभापति जी, हमको यहां पर अपनी बात कहने के लिए संरक्षण मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है?...*(व्यवधान)* हम यहां गुजरात पर चर्चा के लिए बैठे हैं या पुराने इतिहास को दोहराने के लिए बैठे हैं?...*(व्यवधान)* गुजरात के हालात पर चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): आप लोग 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। गुजरात पर बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उस विषय को नकारा जा रहा है।...*(व्यवधान)* जब-जब श्री फर्नान्डीज गुजरात गए, वहां दंगा हुआ है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: तीन-चार केन्द्रीय मंत्री गए। ...*(व्यवधान)* वहां 300 आदमियों की मीटिंग थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बीच में बाधा डालना उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: वहां लोगों के मकान फूंके गए और उनको पत्थरों से मारा गया।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, आप मुझे संरक्षण दीजिए या मुझे कहिए तो मैं बैठ जाऊं।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: वहां लोगों के हाथ बांध कर काटे गए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बार-बार बाधा खड़ी कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: भूरिया जी, आसन ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, आप प्रधान मंत्री जी से कहिए कि तहलका के दोषियों से कोई क्लैरीफिकेशन न दिलवाएं, किसी और मंत्री से दिलवाएं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज के अलावा किसी और सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप भाषण कर चुके हैं। राष्ट्रपाल जी, आप आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो सदन के नियम हैं, उनके मुताबिक सदन को चलाने की कृपा करें।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बैठिए। टोका-टाकी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं सारा भ्रष्टाचार खोलना जानता हूं, हरेक का भ्रष्टाचार खोलना जानता हूं।*...(व्यवधान)* सभापति जी, मुझे बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सदन में नियम रहेंगे या नहीं रहेंगे।*...(व्यवधान)* मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।*...(व्यवधान)* जब वोट होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि जिस समस्या पर आज यहां बहस हो रही है, उससे इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। मेरी मान्यता है कि अगर केन्द्र और राज्य सरकारों ने, चूंकि प्रस्ताव में केवल गुजरात सरकार की बात नहीं है बल्कि देशभर के प्रदेशों की सरकारों की भी चर्चा है, अगर केन्द्र और राज्य सरकारों में मिल कर यह क्षमता होती कि जहां कहीं दंगा होता है, चाहे वह साम्प्रदायिक हो या अन्य किसी किस्म का हो, उसे रोकने की, उसे न होने देने की अगर उनमें क्षमता होती तो पिछले पचास सालों में भारत में जो लगभग 15,000 इस प्रकार के फसाद और दंगे हुए हैं, वे नहीं होते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महदोय: माननीय मंत्री जी नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपया आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आप उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, उन्हें ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति जी, प्रधान जी से कहें कि किसी दूसरे मंत्री से स्पष्टीकरण दिलाएं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी की बात के अलावा और कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज: आज का काम पूरा हो गया। आज की तनख्वाह पूरी हो गई, अब बैठ जाओ। सभापति जी, कितनी गम्भीरता है इस विषय पर, यह स्पष्ट हो रहा है।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: भाषण के बीच में टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: इसलिए मैंने कहा की जो बहस हम यहां कर रहे हैं, जिस तरह से यह बहस चल रही है, इससे किसी प्रकार का कोई नतीजा निकल सकता है, जो समस्या को लेकर हम यहां बैठे हैं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। यह जो सारा रोना रोया जा रहा है एक-एक कहानी बताकर, जैसे यह कहानी पहली बार देश में हो रही है कि कहां मां को मारकर पेट से बच्चे को निकाला, कहां मां के सामने उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, किसको आग में जलाया गया। क्या यह सब पहली बार हो रहा है? क्या 1984 में दिल्ली की सड़कों पर ऐसा नहीं हुआ था?*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कोई बात प्रोसिडिंग में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती: आप में से भी फिर एक भी नहीं बोल पाएगा।*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। अभी 25 से ज्यादा सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं और सदन की कार्यवाही में बैठे-बैठे अथवा खड़े होकर अन्य माननीय सदस्य बाधा डाल रहे हैं और बिना नियम के खड़े हो जाते हैं। कृपया बैठ जाइए। अपना आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): मेरा एक निवेदन है। सभापति जी, सरकार की तरफ से जितने वक्तव्य आये हैं, सबमें अतीत की बातें की जा रही हैं।*...(व्यवधान)* जो कुछ गुजरात में हो रहा है, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह· यह बलात्कारों और कत्लों की वकालत कर रहे हैं। जिन लोगों ने कत्ल किया, उनकी कहानियां कह रहे हैं। ये असत्य बोल रहे हैं।*...(व्यवधान)* ऐसी असत्य बातें यहां पर नहीं होंगी। इनको रिकार्ड से कृपया बाहर निकाला जाये।*...(व्यवधान)* गुजरात में जाते हैं तो वहां की शांति भंग करते हैं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कोई बात, प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदयः आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीजः सभापति जी, लगभग सभी वक्ताओं ने एक प्रश्न उठाया कि गुजरात में क्या हो रहा है।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीजः सभापति जी, जितने भी वक्ता बोले हैं, यह प्रश्न बार-बार उठाया गया कि गुजरात में क्या हो रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः किसी की कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः आप अपनी-अपनी जगहों पर जाइए। कोई भी बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः प्रोसीडिंग्स में कोई बात नहीं जा रही है। यह उचित नहीं है। श्री सुन्दर लाल तिवारी आसन ग्रहण करें। श्री भूरिया आसन ग्रहण करें। सदन की कार्यवाही को नियमानुसार चलने दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वैकोः महोदय, आप श्री दासमुंशी से भी कहें कि वह अपने स्थान पर बैठें*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए। सभी माननीय सदस्यगण कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। सदन की कार्यवाही में बाधा उचित नहीं है, सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलने दें।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंहः सभापति महोदय, आप पहले इन्हें बैठाइए।

सभापति महोदयः कृपया आप सब अपना-अपना आसन ग्रहण कीजिए, अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपा कर सभी माननीय सदस्यगण अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपा कर ऐसे सब माननीय सदस्य खड़े मत होइए, अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीजः सभापति महोदय, मैं बहुत अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूं, नेता विरोधी दल यहां बैठ कर यह जो सारा खेल करवा रही हैं*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, हम इस पर घोर आपत्ति करते हैं।*...(व्यवधान)* मैं इस टिप्पणी पर कड़ा विरोध करता हूं। *...(व्यवधान)* मंत्री जी को इस टिप्पणी को वापस लेना

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

चाहिए...*(व्यवधान)* मैं इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं मंत्री की इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपा कर आप सब शांत हो जाइए और अपना-अपना आसन ग्रहण करिए।

रात्रि 8.08 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, इन्होंने सदन को मजाक बना कर रखा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, हमें एक आवश्यक सूचना देनी है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, गुजरात पर चर्चा हो रही है और इन्हें गुजरात की चिन्ता नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब उन्हें बोलने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: ये विपक्ष के नेता पर आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बारी से आये। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, हमको एक सूचना देनी है। अभी-अभी न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी के मुकदमें पर एक भ्रष्टाचार का नोटिस विपक्ष की नेता माननीय सोनिया गांधी पर दिया है।...*(व्यवधान)** हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्टर प्रभुनाथ जी, हमारे पास कुछ कागज नहीं है, मैं कैसे नोटिस लूं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: .....* हम ये मांग करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वे क्या कहना चाहते हैं, मुझे सुनने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उनकी बात सुनी। मुझे दूसरे पक्ष की भी बात सुनने दीजिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह की बात सुनी। मुझे दूसरे पक्ष की भी बात सुनने दीजिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, मैंने उनकी बात सुनी कृपया मुझे और लोगों की बात भी सुनने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप सहयोग नहीं करते तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। हर चीज की सीमा होती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी से संबंधित मामला उठाया। अन्य सदस्य भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या मैं उनकी बात न सुनूं?

...(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार, कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: हम पहले जार्ज फर्नान्डीज जी को सुनेंगे, बाद में किसी को सुनेंगे।...*(व्यवधान)* सोनिया जी, सिखा-सिखा कर अपने लोगों को बुलवा रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: यह तो संसद का मजाक हो रहा है। ...*(व्यवधान)* हम पहले जार्ज फर्नान्डीज जी को सुनेंगे। पहले वे बोलेंगे, बाद में हम किसी को सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपाध्यक्ष जी, सदन की एक गरिमा होती है और सदन में बीड़ी-सिगरेट-पान आदि नहीं खाये जाते हैं। यहां तो च्यूइंगम खाई जा रही है। यह तो सदन की गरिमा को गिराना है।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग सदन की गिरावट को दुनिया को दिखाना चाहते हैं...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम एक साथ इस सदन में आये थे, क्या ऐसा सदन चलता था या क्या इस तरह इस सदन को चलाया जाता था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हम प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

हम मत विभाजन चाहते हैं। हम कुछ और चर्चा नहीं चाहते...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.18 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, जब आप चेयर में थे, मैं बोल रहा था...*(व्यवधान)* मुझे आपका संरक्षण चाहिये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप लोग सदन की कार्यवाही चलने दीजिये। आप सब लोग अपना-अपना आसन ग्रहण कीजिये। सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न न की जाये।

श्री कांतिलाल भूरिया: सभापति महोदय, इन्होंने अभी आपत्तिजनक बातें कहीं हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह आसन को अधिकार है कि आपत्तिजनक बातों को देख लिया जायेगा और उसे निकाल देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, आप मुझे संरक्षण दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप लोग क्यों खड़े हैं, आप लोग शांति रखिये।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: सर, यह इतने सीनियर मैम्बर हैं और इस तरह की बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपा करके आप आसन ग्रहण कीजिए। सदन की कार्रवाई में बाधा उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): यह बात गैर-मुनासिब है...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सर, मैं कह रहा था...*(व्यवधान)* सुबह से यहां जो चर्चा चल रही है, बार-बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में वही हुआ जो पिछले लगभग 54 वर्ष से चलता रहा है। पिछले 46 साल तक जब कांग्रेस पार्टी देश में राज कर रही थी और देश के अनेक प्रदेशों में राज कर रही थी, उस समय सारे देश में जो चलता रहा, वही आज गुजरात में चल रहा है, उससे भिन्न वहां कुछ नहीं चल रहा है। चूंकि एक नहीं अनेकों...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: सभापति जी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया: ट्रेजरी बैंचिज से ऐसी अपेक्षा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नांडीज: सभापति जी, अगर आपका संरक्षण मिले तो हम आगे बोलें....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप लोग कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

श्री नरेश पुगलिया: आपने जो कहा है पहले आप उसे वापस लीजिए...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नांडीज: सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

सभापति महोदय: कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। सदन की कार्रवाई में बाधा उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: इन्होंने सदन में प्रतिपक्ष की नेता पर आरोप लगाया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपत्तिजनक बात को रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा। आसन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, आसन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इस पर निर्णय हुआ है कि आपत्तिजनक बात को ट्रेस करके रिकार्ड से हटा दिया जायेगा, आसन को इसका अधिकार है। आप लोग आसन ग्रहण करिये और सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए।

सभापति महोदय: आप लोग शांत हो जाएं। अपना आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप आसन को कहिये, उधर नहीं कहिये। कोई एक माननीय सदस्य बोल सकते हैं, सभी सदस्य एक साथ न बोलें। कोई एक माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं। आप आसन का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। बाकी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप मूर्ति को वापस मंगवाइए। वह देश की संपत्ति है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी उमा भारती: महोदय, मैं नियम 349 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं।

महोदय, 349 (नौ) के अनुसार:

"कोई सदस्य कार्यवाही में रूकावट नहीं डालेगा, सीत्कार नहीं करेगा या बाधा नहीं डालेगा और जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा"

यह व्यवस्था का सवाल मैं उठा रही हूं। इसलिए आप इनको बैठाइए और मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। सभापतिजी, क्या आप मेरे व्यवस्था के सवाल को एडमिट करते हैं?...*(व्यवधान)* आप बैठ जाइए, बहुत बुद्धिमान मत बनिए।...*(व्यवधान)* आप इसको पढ़िये। रूल 349 के तहत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूं और उसको फिर पढ़ रही हूं।

"कोई सदस्य कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, सीत्कार नहीं करेगा या बाधा नहीं डालेगा और जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो, तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा।"

सभापति महोदय: रूल यह है कि सभी सदस्य नियमों का पालन करेंगे।

कुमारी उमा भारती: सभापति जी, यह भारत का सर्वोच्च सदन है और नेता प्रतिपक्ष का जो बर्ताव है, वह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है।...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कोई बात कार्यवाही में नहीं जा रही है इसलिए ऐसे खड़े होकर बोलना उचित नहीं है। नियम का पालन होना चाहिए। सभी माननीय सदस्यगण अपना आसन ग्रहण करें। शांतिपूर्वक ढंग से बहस चलाई जानी चाहिए। सदन की कार्यवाही में बाधा उचित नहीं है इसलिए सभी माननीय सदस्यगण सदन की कार्यवाही में बाधा न खड़ी करें। नियम और परिपाटी यह नहीं है। सब अपना-अपना आसन ग्रहण कीजिए। किसी की भी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रही है इसलिए अनावश्यक परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)***

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है। कृपा करके आसन पर जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्रीमती रेणूका चौधरी जी, कृपा करके अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.38 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय: शान्त रहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवस्था बनाये रखिए।

...(व्यवधान)

---

*अध्यपक्षीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी यहां नेताओं के साथ थोड़ी देर बातचीत हुई थी। हमें इस चर्चा को कल तक नहीं आज रात्रि 10.30 बजे तक समाप्त करना है। कल 1 मई, श्रमिक दिवस है।

हमारी यह भी बातचीत हुई कि कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित अप्रासंगिक या जो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने योग्य नहीं है, उसकी समीक्षा की जायेगी और उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

अब, श्री जार्ज फर्नान्डीज बोलेंगे

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने इनको बोलने के लिए बुलाया, तो ये फिर व्यवधान कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, आप बैठें।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके विनिर्णय का पालन करेंगे। यदि आपको लगता है कि जो कुछ भी चर्चा में अप्रासंगिक है, जिसमें हम पर आरोप लगाया है, कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जा सकता, तो उसे नहीं जाना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा वह यह है कि यह चर्चा गुजरात से संबंधित है। इस चर्चा का कई अन्य बातों से संबंध नहीं है। यदि अन्य चीजों का उल्लेख किया जाता है तो कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख आयेगा ही और यह चर्चा व्यर्थ हो जायेगी। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इस चर्चा में केवल गुजरात की ही बात हो न कि विगत इतिहास की...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमें यह चर्चा रात्रि साढ़े दस बजे तक समाप्त करनी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपाध्यक्षजी, मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि मैं इस सदन में आपके साथ आया था। हम दोनों 1967 में यहां आए थे। तब से लेकर आज तक अनेकों वाद-विवाद इस सदन में हुए हैं। लम्बे वाद-विवाद भी हुए हैं, सदन स्थगित भी हुआ है, लोग निकलकर चले गए हैं, लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल बना है, मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा है। मुझे विश्वास है कि आपने भी नहीं देखा होगा।...*(व्यवधान)* अगर हम बोल नहीं पाएंगे, अपने मन की पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो सदन की गरिमा को कौन बनाए रखेगा...*(व्यवधान)* सदन की गरिमा को बनाए रखना सभी सदस्यों का काम है। अगर कुछ लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम कहां जाएंगे, कौन हमें इन्साफ देगा, यह सदन कैसे चलेगा? दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने अभी जैसा आदेश दिया कि केवल इस बहस से सम्बन्धित चीजें ही कार्यवाही में रहेंगी और कोई चीज नहीं रहेगी, वे निकाल दी जाएंगी। मैं उसका अर्थ नहीं समझा, यानी कौन सी चीजें इस बहस से सम्बन्धित हैं और कौन सी नहीं। आज हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति है, जो बहस हो रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप रनिंग कमेंट्स बंद करें।

श्री जे.एस. बराड़: ये हम सबको पढ़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे सदन के लिए कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं यह बात कह रहा था कि सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बात को कहा। आमतौर पर अनेकों ने यह भी पूछा कि गुजरात में क्या हो रहा है। मैं यह कह रहा था कि गुजरात में वही हो रहा है, जो पिछले 54 साल से इस देश में होता रहा है, कोई नई चीज नहीं हो रही है। इन 54 सालों में से 46 साल कांग्रेस पार्टी का राज इस देश में रहा है। तब न ही किसी प्रधान मंत्री को हटाने के बारे में कहा गया, न ही किसी मुख्य मंत्री को हटाने के लिए कहा गया। मगर इस देश ने पिछले 54 सालों में यह अनुभव किया और अगर यह बात किसी को परेशान करती हो तो मेरे पास उसके लिए दवाई नहीं है।...*(व्यवधान)* सैयद शहाबुद्दीन जी हमारे मित्र हैं और आपके भी मित्र हैं और वह इस सदन के भी सांसद रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है:

[अनुवाद]

श्री असगर अली इंजीनियर द्वारा सम्पादित ''कम्यूनल रायट्स इन पोस्ट इंडेपेंडेंस इंडिया''

[हिन्दी]

इसका पहला एडीशन 1984 का है और दूसरा 1991 का है। एक अध्याय इस किताब में लिखा है और 1984 में लिखा हुआ है। वह यह कहते हैं:

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[अनुवाद]

"मुस्लिम समुदाय आज वास्तविक, विस्तारित और काल्पनिक शिकायतों के संचित प्रभाव से निकलने वाली समष्टि से ग्रस्त है। विकास के उचित हिस्से, सरकारी रोजगार, उच्च शिक्षा, बैंक ऋण, विदेशी व्यापार, लाइसेंसों, औद्योगिक, लाइसेंसों आदि के समान लाभ पाने में असमर्थ रहने से हताशा उपजी है। यह निरंतर साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह और भेद-भावपूर्ण प्रणाली का वर्णन करती है।"

[हिन्दी]

...(व्यवधान) मैंने कहा कि जो हम देख रहे हैं, यह वही है जो 54 सालों से चलता आया है। अगर सैयद शहाबुद्दीन जो बात बता रहे हैं और इस किताब में अनेक लोगों ने इन चीजों का जिक्र किया तथा और भी कई चीजें हैं तो किसने उनको रोजगार देने से रोक दिया?...*(व्यवधान)* आजादी 1947 को मिली और उसके बाद 46 साल बीच में कुछ समय छोड़कर इनका राज चला तो जो मुसलमानों को रोजगार मिलना चाहिए था, जो उनको मान-सम्मान देना चाहिए, किसने उनको मिलने से रोक दिया?...*(व्यवधान)* सरकार इनकी थी, प्रधान मंत्री इनके थे और केवल इनके नहीं, परिवार के ही होते रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए समस्याओं के निदान की बात जो सदन के जरिए करना चाहते हैं...*(व्यवधान)* यह प्रश्न हम लोगों को सदन के सामने रखना होगा।...*(व्यवधान)* जो सदन के सामने नहीं रखना चाहता, इसका अभिप्राय यह है कि आज जो स्थिति है, उस स्थिति में वह सुधार नहीं चाहता। ...*(व्यवधान)* मुसलमान की समस्या रोजगार की समस्या है, उसकी समस्या मान-सम्मान की समस्या है। किसने उसको रोजगार मिलने से रोका?...*(व्यवधान)* सैकुलर फैब्रिक की बात हो गई।...*(व्यवधान)* सैकुलरिज्म को बनाये रखेंगे, उसकी बात हो गई।...*(व्यवधान)* मैंने कांग्रेस के सैकुलरिज्म को खूब देखा है।...*(व्यवधान)* क्या हमने नहीं देखा कि मिजोरम में ईसाई सरकार बनाने के लिए जो किया गया, वह सैकुलरिज्म ही था कि हमारे हाथ में सरकार दे दो, ईसाई राज बनाएंगे और तुम्हें कहां-कहां पहुंचा देंगे। क्या यह कांग्रेस का घोषणा-पत्र नहीं था?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): श्री जार्ज फर्नान्डीज यह बताएं कि हमने कब कहा कि हम ईसाई राज को लागू करेंगे...*(व्यवधान)* वह घोषणा पत्र से उद्धृत करें। मैं उन्हें हमारे घोषणा पत्र से उद्धृत करने की चुनौती देता हूं।...*(व्यवधान)* वह एक उपदेशक की तरह नहीं बोल सकते और इस मुद्दे पर यूं ही नहीं हांक सकते।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपाध्यक्ष महोदय, इनका सैक्युलरिज्म 1984 में कहां गया था।...*(व्यवधान)* कहां हैं सैक्युलरिज्म और किस क्षेत्र में इन्होंने सैक्युलरिज्म दिखाया है। मैं आज से नहीं, बार-बार इस देश को कह चुका हूं, बंगलादेश के लिए जब लड़ाई हुई थी, तब से लोगों को कह रहा हूं कि कैसे गृह मंत्रालय ने सारे देश में, हर स्तर पर, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में, प्राइवेट सैक्टर इंडरटेकिंग्स में पत्र गए कि मुसलमानों को मुख्य जगहों पर नहीं रखना है। ...*(व्यवधान)* क्या यह नहीं हुआ था? खूब सैक्युलरिज्म चलाया। हम लोगों ने उस समय कहा था कि यह हाथ बीज बोने वाला है। इस बीज बोने वाले हाथ को काट दो। ...*(व्यवधान)* उसको खत्म करने में कामयाब होंगे। अगर यह बीज नहीं बोया जाएगा, तो फसल नहीं आएगी। फसल नहीं आई है, तो फिर समस्या कहां है। यह इनका व्यवहार है। इन लोगों को सुनना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज, क्या आप श्री सलीम आई. शेरवानी को अनुमति दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सलीम भाई, आज मुझे माफ कर दो।

महोदय, कुमारी उमा भारती जी ने जो बातें कही थी, उनकी एक बात पर टिप्पणी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब देश का बंटवारा हुआ, तो उस समय अनेक मुसलमानों ने यहां पर रहना इसलिए पसन्द किया कि उनको हिन्दुओं पर ज्यादा विश्वास था और पाकिस्तान की तरफ नहीं था। यह बात उन्होंने यहां पर कही। लेकिन मैं इसमें एक संशोधन करना चाहता हूं और वह संशोधन यह है कि उस समय जिनकी राष्ट्रभक्ति स्पष्ट थी, जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से राष्ट्र को मजहब के आधार पर देखना नहीं चाहा, सारे देश का जो मुसलमान समाज था, वह न केवल देश के साथ रहा, बल्कि देश की आजादी के आन्दोलन में उनका योगदान किसी से कम नहीं था। यह बात हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। मैं महापुरुषों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि समय काफी हो गया है और अब रात के नौ बज रहे हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि खान अब्दुल गफ्फार खां और उनके बड़े भाई डा. खां हों तथा अबुल कलाम आजाद हों या किदवई हों और ऐसे अनेक लोग...*(व्यवधान)* हां, इतिहास को सुनना जरूरी है। इतिहास व्यक्ति का नहीं होता है, देश का इतिहास होता है। यहां पर देश को कैपसूल में डूबो देने का प्रयास हुआ था, लेकिन हमने उसको

बाहर निकलवाया। इसलिए इस बात को हमेशा ख्याल में रखना होगा कि इस देश में जो भी पैदा हुआ है, इस देश के साथ अपनी राष्ट्रभक्ति लेकर वह रहा है। इस बात में हम लोगों को कहीं पर भी सन्देह करने की गुंजाइश नहीं है। यह बात सही है, जैसा कि अनेक सदस्यों ने कहा है कि दुनिया में हमारी छवि गिरी है। लेकिन छवि हम लोगों की पहली बार नहीं गिरी है। दिल्ली में जो उस समय हुआ था, तब हमारी छवि बहुत ऊंची गई थी। जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, क्या तब हमारी छवि बहुत ऊपर गई थी। 1996 में उसी गुजरात में, जिस गुजरात की हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, वहां जब एक महीने सम्पूर्ण कर्फ्यू रहा, क्या तब हम लोगों की छवि दुनिया में बहुत ऊंची गई थी।...*(व्यवधान)* इसलिए छवि के बारे में हम लोगों को यहां पर परेशान नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)* ये लोग जिस तरह देश की छवि बढ़ा रहे हैं, देश की खूब छवि बढ़ा रहे हैं।...*(व्यवधान)* ये किस छवि की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफोसस है, अगर यह संकल्प कांग्रेस पार्टी का है कि हमें बोलने नहीं देना है तो हम इस सदन में सुबह होने तक खड़े रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। मगर हम इस बात को नहीं चलने देंगे, हम इसे बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं। सदन के साथ जितना आपका रिश्ता रहा है, उतना ही मेरा रिश्ता है। ...*(व्यवधान)* लेकिन जिनका रिश्ता है वे इस तरह से यहां व्यवहार नहीं करें, जो यहां पर चल रहा है।...*(व्यवधान)* जो भी यहां इस तरह से करें, उनके बारे में प्रश्न पूछना ही होगा।...*(व्यवधान)* हमने क्या-क्या किया था, उसे दुनिया जानती है, आप क्यों परेशान होते हैं। ये सब लोग हमें बाहर बोलते हैं कि हम क्या करें, हमें अंदर हल्ला करना ही पड़ता है। यहां हल्ला करते रहते हैं और बाहर हमें बोलते हैं कि इसके बारे में परवाह मत करो, दरअसल यही होता है। इनके कहने से चिल्लाओं, लेकिन कुछ तो सीमाएं रखो।...*(व्यवधान)* हम तैयार हैं, इस सदन में हम कितनी ही लड़ाइयां लड़े हैं, लेकिन उन लड़ाइयों में बातें होती थीं, बोलने से रोका नहीं जाता था। आप ठीक चिल्ला रहे हैं, आपको भी मालूम है। बूटा सिंह जी, संतोष जी, आप सब जानते हैं, हम लोग इस सदन में खूब लड़े हैं, लेकिन बातें करने पर रोक लगा कर नहीं, बात करके देखा जाए। अगर इतिहास से आप लोगों को मतलब ही नहीं है तो बात अलग है, वरना यहां पर लाइब्रेरी है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप तर्क देकर ही बोलिए, आप इधर-उधर क्यों जाएं। ये तर्क नहीं दे रहे हैं तो क्या आप भी नहीं देंगे। आप तर्क दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो-तीन बातें कह कर समाप्त करूंगा। जब गुजरात में यह परेशानी निर्मित हो गई, तब सेना को वहां पर बुलाया गया और वहां सेना को भेजने में बहुत देरी हो गई, सेना के इस्तेमाल में बहुत देरी हो गई। इसका देश भर में खूब प्रचार हुआ।...*(व्यवधान)* मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों का एक मानस बना है, सेना के मनोबल को तोड़ने का। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि कारगिल की लड़ाई के समय भी हमने इस बात को देखा था और जिस भी मकसद से इन लोगों ने कहा हो, हो सकता है कि मुख्य मंत्री को, सरकार को, रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री को बदनाम करने के लिए कहां हो, वहां पर सेना समय पर नहीं पहुंची, यह बात बार-बार कही गई।

रात्रि 9.00 बजे

28 फरवरी की शाम को 6 बजे हमें सूचना मिली और हम देखते हैं कि हमारे पास न बड़ोदरा में, न अहमदाबाद में, न किसी और केन्द्र में हमारी सेना तैनात है। सेना हमारी तैनात है रन आफ कच्छ में जहां हम खतरा महसूस करते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: किसलिए तैनात है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अगर यह भी आपको मालूम नहीं है तो आप यहां बैठने के काबिल नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: इनको देश की सुरक्षा की भी परवाह नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपाध्यक्ष जी, हमें सेना सेंटर से निकालनी पड़ी। मैं सेंटर का नाम नहीं बताऊंगा, जहां वह दुश्मन की सेना का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही एयर-फोर्स के जहाज से उसको निकालने का इंतजाम हो गया तो हम रात को 12 बजे निकले और एक बजे रात को सेना का स्वागत करने के लिए पहुंच गये। सुबह तीन बजे तक सेना आती रही। सुबह पूरा इंतजाम मुख्यमंत्री के साथ बैठकर किया कि मजिस्ट्रेटों को किस जगह पर ड्यूटी पर लगाया जाए, सड़क दिखाने वालों को कैसे जगाया जाए। यह सब विचार-विमर्श मुख्यमंत्री के साथ किया और सुबह 11 बजे सेना उतरी थी। कभी इस देश में पहले ऐसा नहीं हुआ था कि सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली हो और हम सुबह 11 बजे सेना को तैनात कर दें।...*(व्यवधान)* इसी दिल्ली शहर में मैं आपको 1984 की याद दिलाऊं। इस शहर में लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे कि सेना को बुलाओ लेकिन सेना नहीं बुलाई गयी, जबकि सेना दिल्ली में ही थी।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: उस बात की यहां क्यों याद दिलाते हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उसकी सूचना देना जरूरी है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): आप यह क्यों भूल जाते हो कि सन् 1984 में माननीय इंदिरा जी ने सीने में गोली खाई थी और वे इस देश के लिए शहीद हुई थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: हमारे सामने अभी-अभी एक समस्या आई थी...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, आज दोपहर को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अहमदाबाद से एक फैक्स आया था

[अनुवाद]

विश्व प्रसिद्ध सूफी संत, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आलीय चिश्ती सज्जाद नशीम खानदान के नजीरबाग दिलशाही बाग, अहमदाबाद स्थित उनके घर से एक फैक्स आया था। उनके शिष्य पूरे विश्व में फैले हैं। इस संत में विभिन्न धर्मों के लोगों की आस्था है। नजीरबाग में उन सुफी संत का मकबरा है जो वास्तुकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विशाल मस्जिद है। इस पवित्र स्थान की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व के लोग हमसे सम्पर्क कर रहे हैं।

> "हमें पता चला है कि दिनांक 28 अप्रैल, 2002 को 'गुजरात समाचार' और 'गुजरात टुडे' दोनों में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि कल शाही मस्जिद, मकबरा को ध्वस्त करने एवं लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। यदि इस तरह का पुन: कोई प्रयास किया गया, तो यह निश्चित है कि लाखों अनुयायियों की भावनाएं आहत होंगी। हम मानते हैं कि इस पवित्र स्थान की सुरक्षा की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी भारत सरकार की है।"

यह फैक्स प्रधानमत्री के पास आया था और प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे पास आया। आज दोपहर में इस पवित्र स्थान की सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध किए। इस पर सिर्फ एक बार हमला नहीं किया गया बल्कि तीन बार हमला हुआ। पुलिस अर्द्ध सैनिक बलों और फिर सेना ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। और अब उस पर कड़ी नजर रखने के लिए सेना की एक टुकड़ी के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बल की एक स्थायी चौकी बना दी गई है जो उस क्षेत्र में गश्त लगाती रहेगी। इसलिए, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह संदेश काफी लोगों तक गया है कि मस्जिद और सम्पूर्ण सुविधा की सुरक्षा की गई है। यह सुरक्षित रहेगी और किसी भी व्यक्ति को इस स्मारक को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले दो बातें आपके सामने और रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारे मित्र और टीकाकार श्री सोमनाथ बाबू ने हमारी शान्ति यात्रा के बारे में सही बातें कहीं। यह शान्ति यात्रा हमारी पार्टी ने नहीं की थी।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): उन्होंने इसे तमाशा बताया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: इसकी तैयारी वहां के नागरिक लोग स्थिति में सुधार लाने के लिये करना चाहते थे। इसमें पहल चैम्बर्स आफ कामर्स के अध्यक्ष श्री कल्याण शाह ने की। उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था परन्तु आप उन्हें जानते हैं। इस शान्ति यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 54 रही। इसमें हिन्दू सम्प्रदाय के नेता या सदस्य थे, दस मुसलमान थे। यह चार दिन में तैयारी का कार्यक्रम हुआ और अच्छा कार्यक्रम रहा। कुछ लोगों ने इसका मजाक किया, कई लोगों ने इसे तमाशा कहा और कई लोगों ने इसे जोक कहा। इस बारे में कई किस्म की बातें कही गई। मैं एक बात यह भी बता दूं कि इसके लिये तैयारी समिति के अध्यक्ष हमारे आग्रह पर महानगर के मेयर बने। उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग चलाई। वे कांग्रेस पार्टी के थे। सभी से अपील किया कि इस यात्रा में सब लोग शामिल हों। उसके लिये कोई लिखित रूप से नहीं दिया गया। केवल सार्वजनिक अपील की गई थी। बड़ी संख्या में लोग आये थे। कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन था जिसके लिये आपको चिन्ता है। आपने कहा कि उसमें पुलिस, मिलिट्री वाले लोग थे। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें स्वामी नारायण सैक्ट के अध्यक्ष, जैन समाज के तीन स्वामी रहे, 20 मौलवी शिया और सुन्नी सम्प्रदाय से रहे, जोराष्ट्रीयन के प्रीस्ट रहे, राधा स्वामी सैक्ट के सदस्य, गुरुद्वारा के मुखिया, वैष्णव धर्म के लीडर रहे और वैष्णव टैम्पल के मुखिया उसमें रहे। कांग्रेस के मेयर उसमें रहे। कांग्रेस के एम.एल.ए. फारूख शेख, नरहरि अमीन, सिद्धार्थ पटेल - ये लोग उसमें हाजिर रहे। कांग्रेस की भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उर्मिला बेन पटेल उसमें हाजिर रहीं। जनलोक शक्ति, श्री रामविलास पासवान जिसके अध्यक्ष हैं, उसके कई सदस्य उसमें शामिल हुए। हमारे मित्र देवेगौड़ा जी यहां मौजूद हैं। उनके जनता दल (सेक्युलर) प्रदेश के अध्यक्ष और लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें अपने सदस्यों को लेकर शामिल हुए। बी.एस.पी. के नेता उसमें

हाजिर रहे। समाजवादी पार्टी के एक्स. जनरल सैक्रेटरी श्री हंसमुख ठक्कर उसमें हाजिर रहे। गुजरात कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी छबील दास मेहता उसमें शामिल हुए।...*(व्यवधान)* अगर मेरी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करियेगा। कुंदल लाल ढोलकिया जो गांधीयन हैं, एक्स. स्पीकर हैं, वह उसमें हाजिर रहे। मनोहर लाल शुक्ला, जिनकी उम्र 90 साल हैं और जो गांधीयन हैं, उन्होंने पूरे तीन किलोमीटर उसमें चलने का प्रयास किया। गुजरात विद्यापीठ के डीन उसमें शामिल हुए। एक्स. वाइस चांसलर, भावनगर यूनिवर्सिटी उसमें शामिल हुए। श्रेनिक लाल भाई उसमें शामिल हुए। मौलवी उस्मान गनी बापू भी उसमें मौजूद रहे। सुलेमान संगार, हैड आफ दि आल मस्जिद कमेटी आफ गुजरात उसमें हाजिर रहे। खोराकीवाला, चेयरमैन अकबर अली उसमें शामिल हुए। बोरा सैक्ट के सैदना ने वहां अपना एक प्रतिनिधि भेजा, जिसने वहां बहुत अच्छा भाषण किया। अन्य पार्टियों के राजनीतिक दलों के लोग भी रहे। एन.सी.सी. के सौ कैडेट भी वहां रहे। उसी दिन एन.सी.सी. के कैडेट्स ने चार अन्य शहरों में अपना कार्यक्रम चलाया और लोगों को साथ लाने का प्रयास किया। यह कोई नौटंकी नहीं थी जैसा कई लोगों ने कहा, यह कोई नाटक नहीं था, यह कोई तमाशा नहीं था...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया। ...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): आप जो बात कह रहे हैं, वह पूरी तरह से सत्य नहीं है। जिन कांग्रेस सदस्यों का आप नाम ले रहे हैं, वे वहां पांच मिनट के लिए गये और जब उन्होंने देखा कि रात को दंगा करने वाले दिन में पीस मार्च कर रहे हैं तो वे वहां से हट गये।...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आपने मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपाध्यक्ष जी, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग नजरिया है। सबकी सोच अलग-अलग होगी। अखबारों में छपा कि फ्यू हंड्रैड पार्टिसिपेटिड। टेलीविजन में दिखाया गया कि कितने हजार लोग थे, लेकिन एक अखबार की हैडलाइन थी - फ्यू हंड्रैड पार्टिसिपेटिड। एक अखबार ने कहा कि पीस रैली मार्चेज ओवर डैडबाडीज। इस मार्च को लेकर ये हैडलाइंस थी। आल आर्मी नो पीप्ल - यह एक और अखबार की हैडलाइन थी। अगर आप टेलीविजन की रील लाकर देखें तो आप पायेंगे कि उसमें आर्मी नहीं कैडेट्स थे, जिनकी राष्ट्रभक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।...*(व्यवधान)* उन लोगों ने पहले दिन से उन इलाकों में जो काम किया, उन्हें जितनी शाबासी दें, वह कम है। एक ने कहा -

[अनुवाद]

"मोदी फर्नान्डीज के साथ-साथ चले।" श्री मोदी मेरे साथ नहीं चले। मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था कि "मोदी" जुलूस में शामिल थे।

[हिन्दी]

चूंकि वह जुलूस में सबसे पीछे चल रहे थे, यह हंसने लायक बात नहीं है।...*(व्यवधान)* जब जुलूस का मंच पर आने का वक्त हो गया तब हम लोग उनसे मिले थे और वे मंच पर आये थे। उन्होंने वहां बहुत ही अच्छा भाषण दिया था।...*(व्यवधान)* यही हैं समस्याओं को निपटाने वाले, ये समस्याओं को निपटाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों के हाथों से क्या समस्याएं दूर होंगी? पिछले चार दशकों में इनसे कुछ नहीं हुआ। एक बात लिखी कि शांति मार्च से आग नहीं बुझती और अलग-अलग लोगों ने अपनी-अपनी बातें कहीं। हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना ही कहना है कि यह जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि:

[अनुवाद]

"आयोग की यह राय है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा यथासंभव मार्गनिर्देशों पर चलने की आवश्यकता है जिन्हें संचार माध्यमों को साम्प्रदायिक हिंसा सहित संवेदनशील परिस्थितियों में अपने व्यवहार को शासित करने के लिए आत्म-संयम के आधार पर अपनाना चाहिए ताकि साम्प्रदायिक वैमनस्य को हवा न दी जा सके और हिंसा को बढ़ने से रोका जा सके। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19(1) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए युक्तिसंगत प्रतिबंधों के तहत दिए गए हैं।"

इसमें आगे यह कहा गया है-

"व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया को दिए गए उत्तेजक वक्तव्यों की जांच की जानी चाहिए और फिर उस पर कार्य किया जाना चाहिए और सत्यता का दायित्व ऐसे व्यक्तियों पर अन्तरित हो जाता है कि वे अपने वक्तव्य को स्पष्ट करें या खंडन करें।"

[हिन्दी]

तो मुझे खुशी है कि इस नेशनल कमीशन आन ह्यूमन राइट्स ने भी इसमें दखल दिया है और हम आशा करते हैं कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होंगी जिससे लोगों को उत्तेजित करके उनको लड़ाने का जो प्रयास चला है, फूट डालने का जो काम चला है, हिन्दू-मुस्लिम जो बच्चे थे, उनके बारे में अखबारों में गलत बातें जो

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

छापी गई वह न हो।...*(व्यवधान)* एक अखबार एशियन एज में छपा कि:

[अनुवाद]

"मुस्लिम कांग्रेस के नेताओं द्वारा बच्चों को परीक्षा सभागार में जाने से मना करने के बावजूद, वे परीक्षा सभागार में गए।"

[हिन्दी]

यह बात उसमें छपी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: सर्वदलीय बैठक हुई थी...*(व्यवधान)* मैं इससे इन्कार करता हूं। यह पूरी तरह से गलत है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जहां लोगों को मिलाना है, वहां उनको मिलाने के काम में सभी लोग लगें और ऐसी परिस्थिति जो है, मेरी मान्यता है कि उससे हम तभी निपट सकते हैं अगर गलत प्रचार न हो, अगर सच्चाई लोगों के सामने आए। 95 प्रतिशत अहमदाबाद अपने काम में लगा है, 5 प्रतिशत गुंडागर्दी वाला है, उसको रोकना आवश्यक है। सारे गुजरात में 90 प्रतिशत गुजरात में किसी प्रकार की हरकतें नहीं है, कुछ ही जगहों पर हर हरकतें हैं और इन्हें काबू में लाना हमारा काम है और उस काम में सबका सहयोग मिले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (कनकपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रक्षा मंत्री का भाषण सुनने के बाद, मुझे मोरारजी देसाई के दिन याद आते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए। कोई भी सदस्य जो बाहर जाना चाहते हैं, कृपया शांति से बाहर जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा को शांत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं वे शांति से बाहर जाएं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैं रक्षा मंत्री और संभवत: होने वाले प्रधानमंत्री से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हूं।

मैं अध्यक्ष दीर्घा में बैठा था। जब वह भाषण दे रहे थे, श्री मोरारजी देसाई बाहर चले गए थे। मैं उससे आगे कुछ और नहीं कहना चाहता। श्री चन्द्रशेखर उस समय के पार्टी के अध्यक्ष, इस सभा में थे, मैं किसी दूसरे की भावना को आहत नहीं करना चाहता।

हमने सरकार को अस्थिर न करने के ख्याल से इस मुद्दे को नियम 184 के अंतर्गत उठाया। कृपया मुझे अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखने दें। सरकार को अस्थिर करने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने इस प्रस्ताव पर उस इच्छा से हस्ताक्षर नहीं किया।

मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के साथ लड़कर यहां आया हूं। किसी की कोई हमदर्दी नहीं रही। यदि मेरे प्रति किसी की हमदर्दी है तो वे हैं मेरे चुनाव क्षेत्र के 25 लाख मतदाता। यह हमारे देश के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने मुझे ढ़ाई साल के बाद भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री वरिष्ठतम सांसद हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। मैं इस मुद्दे पर ईमानदारीपूर्वक बोलना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री महोदय जब आप गुजरात गए थे और घोर व्यथा और वेदना के साथ सभी चीजों को देखा तो आपने राज्य प्रशासन के बारे में अपना दोष व्यक्त किया। आपने मात्र दो राहत शिविरों का दौरा किया है एक हिन्दू राहत शिविर है और दूसरा मुसलमान राहत शिविर है। मैं उन सभी बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। लेकिन क्या हुआ? राजधर्म के बारे में उपदेश देने के बाद क्या वहां कोई सुधार हुआ है? क्या गुजरात में किसी तरह की सामान्य स्थिति है? इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानना चाहता हैं।

मैं उन सभी बातों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं जिन्हें प्रधान मंत्री ने कुछ बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास था कि श्री नरेन्द्र मोदी राजधर्म जिसका आपने उपदेश दिया पालन करेंगे। आपने स्पष्ट किया है कि राजधर्म क्या है? क्या उन्होंने इसका पालन किया है? आपके गुजरात जाने के पहले मुख्य मंत्री आपके निर्देश पर आपसे मिलने दिल्ली आए थे। वे आपसे और गृह मंत्री दोनों से मिले। पूरी घटना सुनने के बाद आपने उन्हें वापस गुजरात जाने की सलाह दी और लोगों का विश्वास जीतने के लिए कहा। यह परामर्श आपने मुख्य मंत्री को दिया था। क्या उन्होंने आपकी सलाह का अनुपालन किया है? क्या उन्होंने आपके राजधर्म का पालन किया? हम यह जानना चाहते हैं। उन्होंने किसी एक राहत शिविर का भी दौरा नहीं किया है। मैं आपके मंत्रिमंडल सहयोगी श्री प्रमोद महाजन के नेतृत्व में अधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ नहीं गया। मैंने जान-बूझकर अपनी पार्टी के सहयोगी श्री सी.एम. इब्राहिम को भेजा। मैं 11 और 12 तारीख

को वहां गया था। मैं वहां दो दिनों के लिए गया। मैंने 13 शिविरों का दौरा किया। मैं वहां की दु:खद स्थिति के बारे में बताना नहीं चाहता हूं।

माननीय रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के एक अंश का उल्लेख किया है। मैं मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और मानवाधिकार आयोग के रिपोर्ट के अन्य कई निष्कर्षों के बारे में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। मैं सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं।

मैं श्री नरेन्द्र मोदी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। क्या उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया है? आपका इरादा उन्हें उनके पद पर बनाए रखना है या हटाना है। जितने समय वह आपका इस सभा में बहुमत है हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। हम सिर्फ यह पूछ सकते हैं कि इस सरकार से अथवा इस नेता के नेतृत्व में आप स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने जा रहे है आप आगे और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम यह प्रश्न पूछेंगे।

ऐसा क्यों हुआ? किसी व्यक्ति के मन में आपके आत्मसंयम, आपकी सहिष्णुता और आपके उदारवादी दृष्टिकोण जिसे 50 वर्षों की आपकी तपस्या से मजबूत बनाया है कोई संदेह क्यों उठता है? जब इन सभी लोगों ने तहलका डाट काम मुद्दे पर आपके इस्तीफे की मांग की थी तब आपने 'तपस्या' शब्द का प्रयोग किया था। आपने कहा कि ''मैं प्रतिपक्ष का उपकार करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैंने 50 वर्षों तक तपस्या की है और अब मैं प्रधान मंत्री बना हूं।'' मैं यहां बहुत अधिक स्पष्टवादी हो सकता हूं। उस समय लोगों ने सोचा था कि आप भारत के शीर्षस्थ नेताओं में से एक है लेकिन आज हरेक व्यक्ति आप पर संदेह करते हैं। संदेह क्यों उत्पन्न होता है, यह एक बड़ा प्रश्न है आप जब गुजरात गए थे तो आपने कुछ और कहा और जब आप कंबोडिया और सिंगापुर से वापस आए तो आपने कुछ और कहा। यही समस्या का मूल कारण है। इसीलिए सवाल उठे।

मैं अपने तर्कों को यह साबित करने के लिए कि यह कैसे हुआ, यहां अनेक घटनाओं पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। एक बहुत ही वरिष्ठ गांधीवादी श्री चिन्नीभाई वैद्य जो अस्सी वर्षीय हैं, आपसे मिलना चाहते थे। जब आपने अहमदाबाद का दौरा किया तो उन्होंने आपसे मिलने की मांग की और आपके कार्यालय ने उन्हें अनुमति दे दी लेकिन जब आप सचमुच वहां गए तो स्थानीय प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने उनसे कहा कि ''प्रधान मंत्री की ओर से कोई अनुमति नहीं मिली है। आपका नाम आगुन्तकों की सूची में नहीं है। इसलिए कृपया चले जाइए।'' यदि यह झूठ था और उन्होंने मुझसे यह कहा उन्होंने जो कुछ कहा उसका प्रयोग कर मैं कोई राजनीतिक लाभ उठाने नहीं जा रहा हूं। यह एक पत्र पर आधारित है जो उन्होने तीव्र मानसिक व्यथा के साथ सभी तथ्यों और आंकड़ों सहित आपको लिखा था। उन्होंने महात्मा गांधी और आचार्य बिनोबा भावे के साथ काम किया है जो उनके शिष्य थे। उन्होंने स्पष्टत: उल्लेख किया है कि किस प्रकार प्रधान मंत्री को स्थानीय प्रशासन और विश्व हिन्दू परिषद् के नेताओं द्वारा गुमराह किया गया। पूरी समस्या गोपनीयता की समस्या है। यह आपके व्यवहार के कारण नहीं है। आज तक आपकी अपनी प्रतिष्ठा बरकरार है। फिर भी लोगों ने आपके ऊपर संदेह करना क्यों शुरू कर दिया है?

किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रकार की घटनाओं को होने देंगे। गुजरात इकाई के विश्व हिन्दू परिषद के चेयरमैन 96 वर्षीय प्रो. काशीराम शास्त्री द्वारा एक सनसनीखेज साक्षात्कार दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में मुसलमानों के स्वामित्व वाली दुकानों की सूची 28 फरवरी की सुबह को ही तैयार की गयी थी। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अपनी सेना को 11 बजे भेजा। उन्होंने पूरी रात काम किया। मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने कभी कोई आरोप नहीं लगाया है। मेरे गुजरात दौरे के बाद जब प्रेस के लोगों ने मेरी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो मैंने ईमानदारी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने कहा कि मैं प्रधान मंत्री की नेकनीयती पर संदेह करने नहीं जा रहा था। यह अखबारों में प्रकाशित हुआ है। लेकिन विश्व हिन्दू परिषद ने 28 तारीख की सुबह को क्या किया था। उन्होंने सूची तैयार की और सूची के अनुसार मुसलमानों की दुकानों, घरों और औद्योगिक इकाइयों को नष्ट और बर्बाद किया गया। मैं पूरे साक्षात्कार को पढ़ना नहीं चाहता हूं जो 96 वर्षीय प्रो. काशीराम शास्त्री द्वारा दिया गया है। वे अपने साक्षात्कार में यह भी कहते हैं कि ''विश्व हिन्दू परिषद् ने दंगा फैलाने और लूट के लिए गिरफ्तार किये गए अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए सहायता हेतु 50 वकीलों की एक पैनल तैयार किया है। कोई भी वकील कोई शुल्क नहीं लेगे क्योंकि वे आर एस एस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं।''

अब हम इस बात पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जो अपने राजधर्म की रक्षा के लिए उठाया है और उस राजधर्म का आपके द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा कब पालन किया जाएगा। वे एक निर्वाचित मुख्य मंत्री है। संविधान के अनुसार उन्हें राज्य का शासन चलाने का अपना अधिकार प्राप्त है। क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? क्या इस प्रशासन पर विश्वास कर सकते हैं?

महोदय, मुझे उद्धृत करने दें:

''पार्टी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति ने जैसे ही अपने अध्यक्षीय भाषण को औपचारिक रूप से पढ़ा ही था कि मोदी खड़े हो

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

गए और उन्होंने विशुद्ध हिन्दी में कहा कि "अध्यक्ष जी मैं गुजरात पर बोलना चाहता हूं.....पार्टी के दृष्टिकोण से यह एक गंभीर मुद्दा है। एक निर्बाध और स्पष्ट चर्चा की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए मैं इस संस्था के सामने अपना इस्तीफा रखना चाहता हूं। इसी समय हमने निर्णय लिया है कि पार्टी और देश अब इसके आगे क्या कदम उठाए।"

यह 'इंडिया टूडे' में उद्धृत किया गया है। मैंने इसे उद्धृत करा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई और स्त्रोत नहीं है। उनके पास रा, आसूचना ब्यूरो इत्यादि है। कुछ प्रश्न उठाए गए कि क्या मैं इसे प्रमाणित करने जा रहा हूं या नहीं? एक राज्य विधान मंडल में छह वर्षों तक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी मैंने काम किया है यद्यपि वह इतना बड़ा सदन नहीं है। मैंने स्वयं संसद अथवा राज्य विधान मंडल की मर्यादा और परंपरा को कायम रखने का प्रयास किया है।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस समय विषाद से भरे हैं। जब आप सिंगापुर और कंबोडिया से लौटे तो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। जब आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित हुए तो पुरा माहौल बना हुआ था। वातावरण भाजपा और आर एस एस के नेताओं जो एक मूल संगठन हैं, द्वारा उत्तेजित था। इस प्रकार पूरा माहौल बनाया गया।

महोदय, मैं कुछ घटनाओं को उद्धृत करूंगा:

"साम्प्रदायिक हिंसा पहली बार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में देखा गया और इसकी गरीब आदिवासियों द्वारा अनायास की गई लूट के रूप में व्याख्या की गई। तथापि आदिवासियों को उकसाने में संघ परिवार का हाथ होना स्पष्ट है। गत एक दशक से आदिवासी क्षेत्र से लगातार समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल हाल ही में सार्वजनिक सभा में आदिवासियों को हिन्दुओं में परिवर्तन के लिए उनमें से प्रत्येक को जनसभाओं में एक त्रिशूल और हनुमान की तस्वीर लेकर त्रिशूल अभियान आयोजित किया गया। संघ परिवार अब अपने नव धर्मान्तरितों को अन्न दाता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।"

महोदय, पिछली बार जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो मैंने कहा कि यह देश आर एस एस, बजरंग दल की अन्य दूसरी शाखा को अनुमति क्यों प्रदान करती है जिन्हें तलवार, त्रिशूल और पिस्तौल इत्यादि में प्रशिक्षण प्राप्त हैं? यह किसकी रक्षा के लिए है? उनके द्वारा कितने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं? ये प्रशिक्षण शिविर किसलिए है?

प्रधान मंत्री महोदय, कोई व्यक्ति चिरस्थायी नहीं है। आज हम विपक्ष में है। इस सभा में हमारे दो सदस्य है। इसलिए मेरी बात कमजोर पड़ रही है। वर्ष 1984 में इसी सभा में आपके दो सदस्य थे। आपने पालमपुर में खुले अधिवेशन में मंदिर मुद्दे को अपनाया। वो किसलिए?

क्या यह वोट बैंक हासिल करने के लिए नहीं है? वोट बैंक के मुद्दे को इसी सभा के अन्य पक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा उठाया गया था। राम मंदिर मुद्दे को वर्ष 1989 में भाजपा द्वारा अपनाया गया। उस समय तक आप मंदिर के साथ संबंधित नहीं थे। हरेक व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। लेकिन हम उस समूह में से नहीं है। हम मतदान केन्द्र का सामना कर रहे हैं। मेरे तर्क में रत्ती भर भी संदेह नहीं है।

भाजपा की संसदीय पार्टी की बैठक में श्री बी.पी. सिंघल ने गुस्से का इजहार पार्टी के बड़े तबके के समर्थन में बिना कभी संभव नहीं होता है। श्री सिंघल ने कहा कि "भाजपा को अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे को छोड़ने में शर्म आनी चाहिए। यह आपके लिए और पूरे राष्ट्र के लिए सचमुच दु:ख की बात है।" यदि आप मर्यादित महसूस करते हैं और यदि आप आज अपने संगठन द्वारा न कि दूसरों और इस संगठन के द्वारा बनाए गए इस प्रकार के माहौल के बारे में दुखी हैं तो हम इससे सहमत नहीं है। हम आपका पांच साल का कार्यकाल पूरा होना देखना चाहते हैं। हम आपको अस्थिर करना क्यों चाहेंगे। मात्र दो महीने पहले ही मैं यहां आया हूं। क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि मैं आपकी सरकार को अस्थिर करना चाहता हूं और भाग जाना चाहता हूं? यदि इससे आपकी नई कार्य-सूची को सहायता मिलने जा रही है जिसका आर एस एस, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद द्वारा उपदेश दिया गया है तब आपको नया जनादेश जुटाना चाहिए। आपका जनादेश सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे पर आधारित है। यह इस समय मेरे हाथों में हैं? यह प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। आप इन सभी मित्रों को जो वादा कर रहे हैं वह राष्ट्रीय एजेंडा क्या है? आपने आश्वासन दिया है कि आप समान सिविल संहिता, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को दर किनार करने जा रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जहां बहुत सारे विवाद है। इसी कारण आप इन मुद्दों के देखना नहीं चाहते हैं। ये आश्वासन आपने दिये हैं। इन मुद्दों को क्या हुआ? ऐसा इसलिए हैं क्योंकि आप लगातार चुनाव में हार रहे हैं तथापि मेरी पार्टी कम सदस्यों वाली क्षेत्रीय पार्टी है। मुझे परवाह नहीं है कि यह कम सदस्यों वाली पार्टी है। लेकिन न तो मैं आपके ऊपर या कांग्रेस के ऊपर निर्भर रहना चाहता हूं। मैं अपनी हैसियत से अपने सिद्धांत और प्रतिबद्धता के साथ लड़ना चाहता हूं। यदि श्री फर्नान्डीज यहां होते तो मैं उनके मूंह पर यह कहना चाहता था। 9 अप्रैल, 1997 को राजग के कुछ मित्रों जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता और उनकी भावनाओं को

ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, हमसे मिले थे। उन्होंने यह कहकर मुझे मनाने का प्रयास किया: "आप अवसर क्यों गंवा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का कार्यालय एक बड़ा कार्यालय है और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक किसान को यह अवसर मिला है। आप इसे छोड़ना क्यों चाहते हैं?" मैंने कहा: "मैं आपके मित्रों की दया का पात्र नहीं बनना चाहता। आज मैं संसद जाऊंगा, मैं संसद का सामना करूंगा और तत्पश्चात् मैं राष्ट्रपति भवन जाऊंगा और अपना त्यागपत्र सौंपूंगा।" मैंने इस प्रकार के अपमान के साथ कभी भी कार्यालय में रहना नहीं चाहा है। आप दो समुदायों के बीच फिर से विश्वास कैसे कायम करेंगे, कृपया इस संबंध में हमारी सहायता और मार्गदर्शन कीजिए। आप हमसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें बता दीजिए। हम सहायता करने के लिए तैयार है। आपको इतने अधिक कष्ट आपके मित्रों के कारण है, आपके अपने मूल संगठन के कारण हैं, आपके अपने अन्य सम्बद्ध संगठनों—बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कारण हैं। मैं आपके संघ परिवार के कई कथनों को यहां उद्धृत कर सकता हूं, किन्तु मैं उन सब बातों का यहां जिक्र नहीं करना चाहता।

वे क्या चाहते हैं? यहां यह कहा गया है: "हिन्दू राष्ट्र के रूप में भारत।" यह किसने कहा है? हिन्दू राष्ट्र के संबंध में यह वही श्री एम.जी. वैद्य हैं। यदि आप उन्हीं सिद्धान्तों के साथ हिन्दू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं तो आप लोगों के समक्ष जायें और उनसे यह पूछें कि क्या इस देश को एक हिन्दू राष्ट्र की आवश्यकता है अथवा नहीं है। आपके सामने गुजरात की घटना हुई। सभी विचार-कर्त्ताओं ने कहा है कि भा.ज.पा. पूरी तरह चुनाव जीतने जा रही है। मेरे मित्र श्री येरननायडू ने सुबह कहा था कि यह चुनाव कराने का समय नहीं है, यह समय उचित नहीं है, शिविरों में दो लाख से भी अधिक लोग होने के कारण वातावरण बहुत खराब है। उन्होंने यह बात कही थी।

लेकिन पूरे भारत में गुजरात और आपके सहयोगी हरियाणा के अतिरिक्त ऐसी समस्या अन्यत्र कहीं नहीं है। हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बजरंग दल बहुत मजबूत है और इसीलिए उन्होंने यह कार्य किया है। मैं सहयोगी दलों के बीच कोई मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहता। आप अगले ढाई वर्षों तक बने रहे और अपने कार्यालय और सभी विशेषाधिकारों का लाभ उठायें। तत्पश्चात् एक दिन आयेगा जब आपको भी वैसी ही अनुभूति होगी जैसी श्री प्रकाश सिंह बादल और श्री करुणानिधि को हुई थी। ऐसा एक दिन आयेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उस समय की प्रतीक्षा करें।

ऐसा कहा जाता है कि "बजरंग दल, वी.एच.पी. और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अधिक शक्तिशाली हो गये हैं और उन्होंने हरियाणा में एक मस्जिद गिरा दी है।" यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकास चौटाला ने कही थी।

आज ऐसे कितने संगठन है? आपके पास दुर्गा वाहिनी है...*(व्यवधान)* श्री जार्ज फर्नान्डीज जी देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है इसीलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। वह देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए, ये सभी संगठन अत्यावश्यक हैं और देश भारत माता अथवा मातृभूमि की रक्षार्थ इन सभी को त्रिशूलों, बंदूकें, लाठियां देकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मातृभूमि की संकल्पना केवल आपकी ओर से है। हमें अपने देश की रक्षा कैसे करनी है इसके लिए हममें भी कुछ देश प्रेम है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। उन्होंने सारे विपक्ष को पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था:

> "फिर भी, मैं अपने-अपने मुसलमान मित्रों से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करूंगा कि 99.9 प्रतिशत मामलों में दंगे मुसलमान समुदाय के सदस्यों के बीच ही क्यों होते हैं इससे ठीक-ठीक कारण क्या हैं। यदि देश को साम्प्रदायिकता की विभीषिका से बचाना है, तो सभी दलों को अपने मस्तिष्क की समस्त साम्प्रदायिक विषाणुओं से रहित करने का वचन लेना चाहिए।"

पहले यह बात उन्होंने एक नेता के रूप में कही थी। हम आपके साथ कैसे सहयोग करें? उन्होंने कहा था कि दल अपने हृदयों को साफ करें। हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे क्या सहायता चाहते हैं? आप कृपया हमें यह बात बताएं। जहां तक दोनों समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ उत्पन्न करने का मामला है मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है। हमें इससे बहुत आघात पहुंचा है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब यह पूरी तरह टूट चूका है।

मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। हाल के दिनों में जितने भी थोड़े से लोगों ने वापस घर जाने का प्रयास किया वे राहत शिविरों में वापस आने के लिए मजबूर हो गये। यह बात किसी आम आदमी ने स्वीकार नहीं की बल्कि अहमदाबाद के कलैक्टर श्री के. श्रीनिवास ने भी यह बात स्वीकार की जिन्होंने यह माना कि कम-से-कम 5,000 मुसलमानों ने शिविर छोड़ने का प्रयास किया लेकिन वे वापस आ गये क्योंकि बाहर की स्थितियां अनुकूल नहीं थीं। आप कैसे अनुकूल वातावरण उत्पन्न करेंगे? कृपया इसे सभा को बतायें। हम उसे स्वीकार करेंगे।

राहत शिविरों में शरणार्थियों के रूप में रहने वाले लोगों के साथ मैंने बातचीत करने का प्रयास किया। हमने अपने ही देश में इस शब्द का प्रयोग किया। हमारे अपने ही लोग शरणार्थी हैं। हम

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

जब अहमदाबाद गये तो हमें बहुत बुरा लगा? वे कैसे विश्वास उत्पन्न कर सकेंगे? महोदय, उनके पास रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है। सभी कुछ बर्बाद हो गया है। श्री शरद पवार ने जिन पुस्तिकाओं को उद्धृत किया है उन्हें केवल कोमबेट ही नहीं छाप रहा है। कुछ लोगों ने इस विशेष पत्रिका अर्थात् कोमबेट पर यह कहकर आपत्ति प्रकट की है कि यह एक साम्प्रदायिक संगठन है। इंडिया टुडे और फ्रंटलाइन जैसी पत्रिकाओं ने भी यही बात प्रकाशित की है: "अल्पसंख्यकों को कैसे सबक सिखाया जाए और उन्हें कैसे आर्थिक रूप से बर्बाद किया जाए, यही हमारा रवैया होना चाहिए।" विश्व हिन्दू परिषद के नेता यही बात कह रहे हैं। क्या वे इस देश को एकता को सूत्र में बांधने वाले हैं? पूरी ईमानदारी के साथ मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछता हूं कि इस संगठन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए अथवा इसे प्रोत्साहित, किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण शिविरों के लिए धन कहां से आएगा?

श्री अरुण शौरी जी, मैं आपके लेख पढ़ा करता था। जब श्री आडवाणी जी आये थे तब आप बंगलौर में थे। विधान सौध में हमारा संयुक्त कार्यक्रम था। हम किसी अन्य अवसर पर चर्चा करेंगे कि विनिवेश किस प्रकार चल रहा है। मैं गुजरात से अलग विषय पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं प्रधान मंत्री जी से यह सुनना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करेंगे। कृपया आप हमें यह बताएं। जब आप बहिष्कार की सीमा तक जा सकती हैं, तो क्या आप त्रिशूल वाले शक्ति सम्पन्न हो चुके विश्व हिन्दू परिषद, आर.एस.एस. और बजरंग दल के नेताओं से नहीं कह सकते। अब पैसे का बहुत बल है। मैं समझ सकता हूं कि धन बल भी आ सकता है। हम भी एक संगठन चला रहे हैं। हम इन सब बातों में नये नहीं हैं। प्रशिक्षण के लिए धन कहां से आता है?

जब आपने सिमि (एस.आई.एम.आई.) पर प्रतिबंध लगा दिया है तो आपसे बजरंग दल पर जो इसके लिए जिम्मेदार है प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकते? मैं इन्हीं शब्दों का उपयोग करता हूं। आपने अपने भाषण में कहा था कि पागलपन देशभक्ति का पागलपन अथवा ऐसी ही कोई चीज नहीं हो सकता। पागलपन का जवाब पागलपन से नहीं दिया जा सकता और आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। क्या वे गुजरात में लगी आग को बुझाने के लिए पानी लेने जा रहे हैं? क्या वे उन 58 लोगों को वापस लेने जा रहे हैं जो साबरमती एक्सप्रेस के जलाये जाने वाले काले दिवस पर मरे थे? क्या वे दो हजार से अधिक लोगों से प्रतिशोध लेकर और उनकी हत्या करके उन्हें वापस लेने जा रहे हैं? एक वक्तव्य अथवा सरकार की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार लगभग आठ सौ लोग लापता हैं। तथापि, अधिकारियों के अनुसार, यह संख्या लगभग दो हजार है। कुछ लोग कहते हैं कि यह संख्या बढ़कर तीन हजार तक हो सकती है। मैंने इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की है और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जो झूठी हो। हमने भगवान के नाम पर शपथ ली है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं आस्तिक हूं, और मैं यहां ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहता जोकि झूठ हो। मेरा यह विश्वास है। ठीक उसी आसन पर जब श्री नरसिंह राव बैठे थे, उन्होंने यह कहा था कि वे पांच वर्षों तक सरकार को अस्थिर नहीं होने देंगे। श्री चन्द्रशेखर जी यहां बैठे थे। आपके अपने सहयोगी दल सरकार को गिरा सकते हैं। जब मैंने उसी स्थान से अविश्वास प्रस्ताव पर बात की, तो मैंने कहा "यदि मैं पांच वर्षों तक बना रहा तो यह एक अच्छी बात है। अन्यथा मुझे इस बात की परवाह नहीं है चाहे मैं पांच दिन रहूं अथवा पांच महीने। मैं अपना कर्त्तव्य निर्वाह करना चाहता हूं और अपनी पूरी शक्ति के साथ राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं।" आप उन कार्यवाही-वृत्तांतों को निकालकर पढ़िए। मैंने कहा था: "मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं पांच दिन रहूं अथवा पांच महीने। मैं पूरी शक्ति के साथ देश की सेवा करना चाहता हूं।" मैंने यह दृष्टिकोण अपनाया था। फिर भी, आज क्या हो रहा है? सरकार में बने रहने के लिए आपको अपनी विचारधारा, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के साथ समझौता करना पड़ा जबकि आपको उदार दृष्टिकोण वाले अत्यधिक धैर्यवान, सहनशीलता आदि विशिष्टताओं वाले एक मुख्य नेता के रूप में माना गया है। ये सभी विशेषण आपके लिए प्रयुक्त किए गए और संभवत: इसका कारण आपकी तपस्या है। पचास वर्षों से, इतने सारे लोग आये और गये, लेकिन हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है।

अंत में, मैं बात और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कृपया आप हमें यह बताएं कि आप क्या कदम उठाने वाले हैं। जब आप गुजरात गये थे तब आपने कुछ राहत उपायों की घोषणा की थी। कितने लोगों को एक-एक लाख रुपया दिया गया है? श्री वैको सूची दे रहे थे। श्री वैको जी का भाषण सुनने के पश्चात् ऐसा प्रतीत हुआ मानो सभा को गृहमंत्री जी के भाषण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं बहुत खुश था कि वह सभी तथ्य और आंकड़े बता रहे थे। यदि आपने मुझे इस प्रकार की जरा सी भी सामग्री दी होती तो मैं बिल्कुल भी बहस नहीं करता। एक लाख रुपये की राशि वह राशि है जो मारे गये लोगों के नजदीकी रिश्तेदार को दी जानी है। कितने लोगों को यह धनराशि प्रदान की गयी है? पचास हजार रुपये की राशि उन मकान मालिकों को दी जानी है जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट कर दिये गये, और पच्चीस हजार रुपये की राशि आंशिक रूप से ध्वस्त मकानों के मालिकों को दी जानी है? कितने मकानों की पहचान पूर्णत: ध्वस्त मकानों अथवा आंशिक रूप से ध्वस्त मकानों के रूप में की गयी है। अल्पसंख्यक समुदाय का कितना नुकसान हुआ है क्या राज्य सरकार

ने नुकसान का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं? मीडिया के अनुसार, यह लगभग 3,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। अन्य अनुमानों के अनुसार, यह लगभग 10,000 करोड़ रुपये है। मैं इस आंकड़े पर निर्भर नहीं रहना चाहता। गोधरा की घटना के पश्चात् इस पूरे प्रकरण में अल्पसंख्यकों अथवा हिन्दुओं को वास्तव में कितना नुकसान हुआ है? आप इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं?

पिछली बार, आपने ही कहा था कि आप प्रधानमंत्री राहत कोष से पर्याप्त धनराशि मुहैया करायेंगे। आप पहले ही कितनी धनराशि जारी कर चुके हैं? वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है? इतनी सारी घोषणाएं की गयीं लेकिन दुर्भाग्यवश राहत शिविरों में रहने वाले लोग अपने गांव वापस जाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय के लोग इस नर-संहार अथवा इन किए गए हमलों में शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने गांवों में वापस जाने के बारे में बहुत डरे हुए हैं।

अब आप आपसी विश्वास और भरोसे का माहौल कैसे पैदा करते हैं?

कृपया आप हमें बताएं कि आप हमसे किस तरह का सहयोग चाहते हैं।

महोदय, दूसरी चीज जिसका कि मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने सात से नौ वर्ष की आयु के कुछ उन बच्चों से बात की थी जिन्होंने इस नरसंहार में अपने माता-पिता, अपने भाइयों एवं बहनों को खो दिया था। कहां जाएंगे वे लोग?...*(व्यवधान)* मैं वाह-वाही नहीं चाहता। मैं समय पर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अपने जीवन में कतिपय शालीनता और मर्यादा बनाए रखता हूं। क्या सरकार उन बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलेगी जिन्होंने इन दंगों में अपने सगे संबंधियों को खो दिया है?

महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अपने लम्बे भाषण में यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किया कि कांग्रेस ने अपने 45 वर्षों के शासन काल में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इसकी कीमत चुकाई है। उसने अपनी गलती महसूस की है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने 1984 के दंगों के लिए बिना शर्त अपना खेद प्रकट किया है। क्या भाजपा भी गुजरात में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अपना खेद प्रकट करेगी?

महोदय, मैं 18 महीने तक अपने राज्य का मुख्य मंत्री रहा था। मेरे मित्र श्री जाफर शरीफ यहां उपस्थित हैं और माननीय गृह मंत्री जी हुबली इदगाह मैदान की घटना के बारे में जानते हैं। वह भाजपा द्वारा बनाया गया मुद्दा था। उस स्थान की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वहां प्रत्येक वर्ष राज्य के सभी जिलों से लाकर पांच हजार से भी अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए जाते थे। जब मैं 11 दिसम्बर को मुख्य मंत्री बना तो, अगले वर्ष 26 जनवरी को उस स्थान पर झंडा फहराने के लिए मैंने एक मुस्लिम नेता को नियुक्त किया। उस दिन से उस स्थान पर साम्प्रदायिक दंगे का एक भी उदाहरण नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

महोदय, उनके राष्ट्रीय एजेंडे में क्या कहा गया है?

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौड़ाः यदि आपने इसे अपने राष्ट्रीय एजेंडे में छापा है, तो कृपया उसका पालन करें। मैं संसदीय शालीनता और मर्यादा को बनाए रखना चाहता हूं अन्यथा मैंने इसे टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया होता। फिर भी अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब समाप्त करें।

श्री एच.डी. देवगौड़ाः महोदय, इसके बाद भी यदि आप मुझे बोलने देना नहीं चाहते हैं, तो मैं चुप हो जाऊंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरियां नहीं दी है। इस सरकार ने क्या दिया है? क्या आप उन लोगों को नौकरियां दे रहे हैं जो स्वयं त्रिशूल का प्रशिक्षण लेकर बजरंग दल में शामिल हो रहे हैं?

महोदय, मैंने अपने शासनकाल में मुस्लिमों को चार प्रतिशत का आरक्षण दिया था। इस देश के हिन्दुओं या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। मुस्लिमों को न केवल नौकरियों में ही आरक्षण दिया गया था। बल्कि मैंने उस समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय भी खोले। मेरे मित्र श्री जाफर शरीफ, जो मेरे बगल में बैठे हैं, इस बारे में जानते होंगे। किन्तु मेरे कुछ उन मित्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण मुझे पिछले चुनावों में कीमत चुकानी पड़ी थी जो अब इस सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। मैं श्री राम विलास पासवान की इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर अवश्य सराहना करूंगा। अन्य लोग भी आज नहीं तो कल इसे महसूस करेंगे। हालांकि, मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि वे लोग कब तक इसमें बने रहेंगे।

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

महोदय हमें जब कभी भी मौका मिला, तो हमने वही किया जो हमने कहा था। मैंने विशेषतौर पर मुस्लिमों को नौकरियों में चार प्रतिशत का आरक्षण दिया था। यह कोई मंडल आयोग की सिफारिश का भाग नहीं था जिसमें बूचड़ जैसे, समुदायों को केवल थोड़े से लाभ दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था। वह कोई मुद्दा नहीं है। मैंने चार प्रतिशत का आरक्षण मुस्लिमों को नौकरियों में दिया था और मुस्लिम छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय भी खोले थे। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो मैंने मुख्य मंत्री के रूप में उठाए थे, बिना इस तथ्य पर विचार किए कि इनसे मुझे कोई राजनीतिक लाभ होगा या नहीं। यह कोई वोट बैंक का मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका हल ढूंढा जाना आवश्यक है। हमें उनके सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज सवाल यह है कि हम उन्हें अपने जीवन की मुख्यधारा में कैसे ला सकते हैं। एक बात तो यह है। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वे चले गए।

रात्रि 10.00 बजे

जो लोग इस देश में रह गए हैं, वे निश्चय ही इसी देश के हैं। वे मानते हैं कि यह देश उनका भी है। उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। क्या हिन्दुत्व का उपदेश देने वाले ये नेतागण इस देश के 90 फीसदी हिन्दुओं की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं? क्या वे इस देश के सभी हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर ऐसा कहने का उनका क्या नैतिक अधिकार है?...*(व्यवधान)* मुझे किसी से किसी तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरे हिन्दुत्व का सवाल है, तो मैं जन्म से ही हिन्दू हूं और हिन्दू ही मरूंगा। यह कोई मुद्दा नहीं है। हमने सभी तरह से अल्पसंख्यकों की देखभाल की है। हमने उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं किया जो कांग्रेस ने किया है अथवा जो आप केवल भाषणबाजी कर रहे हैं, इन सबसे इस समस्या का हल नहीं किला।

भाजपा के एजेंडे में कहा गया है: "हम सभ्य 'सर्वधर्म समभाव' स्थापित करने के प्रति वचनबद्ध है।" इसका मतलब है, सभी धर्मों के प्रति समान आदर। क्या वह इसे संविधान की सीमा में करना चाहती हैं या अपने आर.एस.एस., वी.एच.पी. और बजरंग दल के उपदेशानुसार करना चाहती है? "सभी धर्मों के प्रति समान आदर" से उनका क्या मतलब है? मैं इससे और ज्यादा उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। कृपया स्पष्ट तौर पर हमें बताएं कि आप किस तरह इन दो समुदायों को एक साथ करने जा रहे हैं? आपकी योजना क्या है? इस कार्य के लिए कितना धन मुहैया कराने जा रहे हैं?

चाहे आप वहां सरकार का नेतृत्व कर रहे अपने नामित व्यक्ति से उन लोगों के लिए साधारण ईंट और गारा के बदले सोने के घर बनवाये, फिर भी ये लोग वापस नहीं जाएंगे। वे लोग सहमे हुए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि मुस्लिम समुदाय के कुछ दिग्भ्रमित युवकों ने दुर्व्यवहार किया। गोधरा में, उस बोगी में अट्ठारह छोटे-छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। हमने इलेक्ट्रानिक मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखी हैं, हमने उनके बारे में प्रिंट मीडिया में पढ़ा है। जब मैं एक कैम्प में गया तो मैंने एक 85 वर्षीय महिला को देखा जिसके शरीर पर तलवार के भाव थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्या हुआ है, तो वह बोल नहीं पाई। उसने कहा कि कोई मेरे घर में आया और उसने सबको टुकड़े-टुकड़े कर दिये। उसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। वह अब अकेली है। उसने पूछा कि अल्लाह ने उसे इस दुनियां में अकेला छोड़ दिया है। उसके सीने पर तलवार से कटे के निशान थे। उसका हाथ कई टुकड़ों में कटा हुआ था। मैं इससे आगे बताना नहीं चाहता हूं। हमने 13 राहत कैम्पों का दौरा किया है और वहां से हमें जो सूचनाएं मिली है, उन्हें बताकर मैं इस सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। आप परिस्थितियों को समझ सकते हैं। इसलिए, यदि आप उन्हें राहत के नाम पर उसी व्यक्ति और उसी शासन व्यवस्था के माध्यम से कुछ दे भी देते हैं, तो भी वे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। जब जिला कलक्टर यह कहता है कि वे लोग अपने पुश्तैनी घर को नहीं जा सकते हैं, तो कैसे आप उसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं? आप इसे इसलिए कर रहे हैं कि आप मूल संगठन या भाजपा या वी एच पी और मित्रों के आगे मजबूर हैं।

प्रधान मंत्री जी इस देश की जनता की आशाओं पर खरे उतरें। यदि आप समय के अनुसार कार्य करते हैं और आप यह साबित कर देते हैं कि आप एक संयमी और उदारवादी प्रधान मंत्री हैं तो मैं आपको दिल से धन्यवाद दूंगा। बस यही मैं कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण): सर, मुझे बहुत लम्बे इंतजार के बाद दो-चार बातें कहने का मौका मिला है। मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सुबह से हम लोगों ने चर्चा सुनी है। हमारे देश के जो महत्वपूर्ण नेता है और बहुत सारी पौलिटीकल पार्टीज के नेताओं ने अपनी ओपीनियन दी है।

[अनुवाद]

महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि शांति का जो संदेश इस सभा से परिलक्षित होना चाहिए था, वह अभी तक परिलक्षित नहीं हुआ है। यदि कोई किसी एक समुदाय का बचाव

करता है, तो दूसरा किसी दूसरे समुदाय का बचाव करता है। यदि हम इस सभा के सदस्य इस सभा में अपने देश की अनेकता में एकता का बचाव नहीं कर सकते हैं, तो कैसे हम जनता में और पूरी दुनिया में यह संदेश भेज सकेंगे कि हम अनेकता में एकता में विश्वास करते हैं।

महोदय, भारत की जनता पर दोषारोपण करने के बजाय, हम राजनीतिज्ञों को ही हमारे देश में हो रहे इन सांप्रदायिक दंगों, सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। हम लोग कई चीजों पर राजनीतिक रूप से चर्चा केवल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग इस देश की जनता की वास्तविक और मूल समस्या पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

गुजरात में जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत ही घृणित अपराध है। हम सभी इसकी निंदा करते हैं। हमें यह जानकर दुख हुआ है कि गोधरा से शुरू होकर अहमदाबाद तक और देश के अन्य विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों सहित सभी समुदायों के लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किये गये हैं।

महोंदय, जो संदेश मैं देना चाहती हूं वह यह है कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय हूं। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि मैं हिन्दू हूं या मुस्लिम या ईसाई या कोई अन्य हूं। सबसे पहले मैं भारतीय हूं। पहले मैं एक मानव हूं। हम सभी को ऐसा ही महसूस करना चाहिए। इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह महसूस करके गर्व करना चाहिए कि सबसे पहले वह भारतीय है।

महोदय, हमें इस बात को समझना होगा कि इस देश में सांप्रदायिकता की समस्त समस्या केवल वोट बैंक की राजनीति की वजह से है। हमारे देश को आजादी मिलने के बाद असली समस्या क्या थी? पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया। बांग्लादेश मुस्लिम देश बन गया। किन्तु, सौभाग्यवश भारत लोकतांत्रिक देश बना और बना ही रहा। यहां पर अम्बेडकर, कृपलानी, पंडित नेहरू और अन्य लोगों और संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों जैसे नेता और बुजुर्ग हुए। उसी संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि धर्मनिरपेक्षता में हमारा दृढ़ विश्वास है। लेकिन, कभी-कभी कई लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। वे लोग अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की परिभाषाओं की व्याख्या कर रहे हैं। हम तथाकथित धर्मनिरपेक्षता या साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं करते। हम जिस वास्तविक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं उसका अर्थ है मानवीयता। यदि मानवीयता ही नहीं होगी तो धर्मनिरपेक्षता कैसे चलेगी।...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दें, टोका-टोकी न करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैंने अभी तक किसी को इंटरप्ट नहीं किया, सुबह से मैं सबको सुन रही हूं तो आप लोग क्यों नहीं सुनेंगे? अगर नहीं सुनना है तो भी हमें जो कहना है कहेंगे। एक बात सोची है कि हमारे देश का इतिहास क्या कहता है। हमने सुबह से इतिहास सुना है। इतिहास का इंटरप्रेटेशन हो रहा है, लेकिन देश का इतिहास यही है कि महात्मा गांधी जी ने जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी तो सीमांत गांधी जी ने उनका साथ दिया था - एक हिन्दू और एक मुसलमान थे। हिन्दू और मुसलमान हमारे देश में दो फूल की तरह हैं। चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, इनको आपस में टकराकर हम काम नहीं कर सकते हैं। इनकी एकता देश की परंपरा है, यह देश की शक्ति है, एकता है, यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। मैं आडवाणी जी को बधाई देना चाहती हूं कि आडवाणी जी ने सदन में जो बात कही।

[अनुवाद]

हम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, अध्यक्षपीठ सभी के लिए है; यह किसी व्यक्ति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है।

[हिन्दी]

जब कोई मिनिस्ट्री में शपथ लेता है तो कहता है कि मैं उस शपथ के हिसाब से काम करूंगा। इस सरकार में ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर हैं जो अच्छा काम करते हैं। यदि मेरे खिलाफ कोई है तो मैं उससे डरती नहीं हूं क्योंकि जो डरता है, वह मरता है और जो लड़ता है, वह बचता है। जिंदगी एक संघर्ष है। हमने आज दो मिनिस्टर की बातों को सुना। मैं दुख के साथ कहना चाहती हूं कि यह बात ठीक नहीं है। हम कुर्सी में बैठकर यह नहीं कह सकते कि

[अनुवाद]

'सभी मुसलमान बुरे हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं?' हम संविधान पर प्रकाश डाल रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं तो संविधान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही हैं कि यह सभी जातियों, धर्मों आदि को जोड़ती है। इसीलिए मैंने ऐसा कहा है।

[हिन्दी]

गांधी जी ने जब काम किया तब श्री सीमांत गांधी ने उनका साथ दिया। जब पंडित नेहरू जी ने काम किया तब मौलाना अबुल

[कुमारी ममता बनर्जी]

कलाम जी ने उनका साथ दिया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जो देश के लिए लड़े थे, उनके राइट हैंड श्री शाहनवाज खां थे। सर बहादुर शाह जफर ने देश के लिए अपने दो लड़कों को कुर्बान कर दिया। जब सर बहादुर शाह जफर को बर्मा में बंदी बनाकर भेजा गया तब उनको पूरी दुनिया में दो गज जमीन भी मयस्सर नहीं हुई। यह बात सच है। हम लोग इस बात को मानते हैं। इसलिए मेरे कुछ सुझाव हैं। गुजरात स्टेट हमको महात्मा गांधी का दिया हुआ है। हर आदमी साबरमती आश्रम में जाता है। गांधी जी की जो धरती है, वह हिन्दुस्तान की है क्योंकि उन्होंने विश्व को रास्ता दिखाया, रोशनी दिखाई, दिशा दी। गांधी जी के गुजरात में हम जाना चाहते हैं। गुजरात में एक नेचुरल केलामिटी, एक नेचुरल अर्थक्वेक हुआ। उसके बाद एक पोलिटिकल अर्थक्वेक हुआ। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट स्टेट स्पोंसर्ड करे चाहे गुजरात हो, बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो या कोई स्टेट हो, उनमें कभी भी इंसान को इंसानियत नहीं मिलती है। यहां पर श्री आडवाणी जी बैठे है, श्री मुरली मनोहर जोशी जी बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर जी यहां नहीं हैं। वे काफी देर तक बैठे रहे। मैं उनकी आभारी हूं। मेरा कहना है कि अभी आपने अपने लीडरशिप चेंज किया। दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ, अगर मैं गलत न हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि

[अनुवाद]

जब श्रीमती सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, आपने नेतृत्व परिवर्तन किया; जब श्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपने नेतृत्व परिवर्तन किया; उत्तरांचल में भी आपने नेतृत्व परिवर्तन किया। यदि आप कई-कई राज्यों में अपना नेतृत्व बदल सकते हैं तो गुजरात में ऐसा क्यों नहीं करते? खासकर, तब जबकि गुजरात आजकल राष्ट्रीय चिन्ता का मुद्दा बना हुआ है। आप माने या न माने किन्तु सत्य यही है कि अब यह इतिहास बन चुका है; यह एक कलंकित करने वाला इतिहास बन चुका है। इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूं। मैं आप सबके खिलाफ नहीं हूं। अब हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं और हम सरकार के पक्ष में और प्रस्ताव के विरोध में मतदान करेंगे क्योंकि हम सरकार को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं। साथ ही, मैं भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करना चाहती हूं कि यहां युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। एक बहिन की तरह मैं आपसे यह कह रही हूं। यदि आप राजनीतिक कारणों से कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप इस देश के लोगों की भावनाओं का आदर क्यों नहीं करते? मैं आपसे यह कह रही हूं। कृपया, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की भावनाओं का आदर करें। तथ्य-निरूपण समिति की कई रिपोर्टें आई हैं। मैं आपकी इस बात को समझ सकती हूं कि हमें आपके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किन्तु जब कोई मुद्दा राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाए तो सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए।

हमें अपन देश पर गर्व है क्योंकि हमारे देश ने दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन में संघर्ष किया; हमारे देश ने हर अच्छे काम के लिए संघर्ष किया। इसीलिए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा है। और उसी की खातिर मेरा आपसे अनुरोध है। यदि आप इसे अनुरोध समझें, तो यह अनुरोध है, यदि आप इसे मांग समझें तो यह मांग है क्योंकि हम अपने रूख पर डटे हुए हैं। पहले हमने तृणमूल कांग्रेस की ओर से अपना दल भेजा। मैंने अपने नेताओं, संसद सदस्यों डा. रंजीत पांजा, डा. बिक्रम सरकार, श्री अकबर अली खांदोकर, श्री दिनेश त्रिवेदी को अहमदाबाद के शाह आलम शरणार्थी शिविर और अन्य क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा। इस दौरे के बाद उन्होंने मुझे बताया कि सरकार समयानुकूल कार्य नहीं कर पाई और प्रशासन वहां पर पूरी तरह विफल हो गया है। यदि इसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोष देना हो तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका दोष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों दिया जाना चाहिए?

[हिन्दी]

हमने सोचा था कि जब डिस्कशन हो रहा है तो वे वौलंटिरली रैजिगनेशन दे देंगे लेकिन नहीं दिया। मोदी जी को वौलंटरिली रैजिगनेशन दे देना चाहिए था।

[अनुवाद]

उनकी वजह से प्रधानमंत्री क्यों तकलीफ उठाये? उनकी वजह से देश का नुकसान क्यों हो? किसी व्यक्ति विशेष के लिए देश का नुकसान क्यों हो? कई बार बेहतर उद्देश्य के लिए किसी को बलिदान देना पड़ता है। तहलका मुद्दे पर हमने बलिदान दिया और इस मुद्दे पर मेरे छोटे भाई श्री रामविलास पासवान ने बलिदान दिया है। मैं उन्हें बधाई देती हूं। किन्तु, साथ ही मैं उनसे प्रस्ताव के समर्थन में मतदान नहीं करने का अनुरोध करती हूं। या तो वह मतदान में भाग न लें या सरकार के पक्ष में मतदान करें क्योंकि वह मंत्री रहे हैं।...*(व्यवधान)* मेरे कुछ भाषण आपको अच्छे लगेंगे और कुछ अच्छे नहीं लगेंगे इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन, मैं यहां हर किसी को खुश करने के लिए नहीं हूं। जो कुछ मैं कह रही हूं, अपने दिल से कह रही हूं। यह कोई सम्पन्न वर्ग से नहीं बल्कि आम आदमी के बीच से आए हैं। मुझे जो जानकारी मिली है, मैं उसके आधार पर बोल रही हूं।

महोदय, अन्य दलों की तरह कांग्रेस भी इस समय सरकार को गिराना नहीं चाहती, ऐसा मेरा विचार है। मैं कांग्रेस पार्टी में

ही हुआ करती थी क्योंकि मेरा राजनीतिक जन्म और पल्लवन कांग्रेस पार्टी में ही हुआ था। अन्ततः मुझे कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और मैंने एक नई पार्टी की स्थापना की। लेकिन हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में अधिक अंतर नहीं है।

महोदय, गुजरात मुद्दे पर चर्चा करते समय, मेरे सुझाव सरकार के लिए हैं। कोई एक व्यक्ति लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर सकता। इसलिए, श्री मोदी को हटना चाहिए। वह कैसे हटें, यह प्रधानमंत्री जी और सरकार को निर्णय करना है।...*(व्यवधान)* मेरे विचार से श्री मोदी को स्वयं अपना त्यागपत्र भेज देना चाहिए।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव सभी संसद सदस्यों के लिए है। इस मुद्दे पर बहस के दौरान हम विभाजित हैं। मैं नेताओं, विपक्ष की नेता सहित सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि हमें उड़ीसा में शांति यात्रा निकालनी चाहिए। हमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए। हमें उनसे कहना चाहिए कि हमें सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहिए। हमें कोई वोट बैंक नहीं चाहिए। हम देश की प्रतिष्ठा को बहाल करना चाहते हैं। हम शांति बहाल करना चाहते हैं क्योंकि सांप्रदायिक तनाव समाज के लिए कैंसर के समान है। मैं सभा से अनुरोध करती हूं कि हम सब साथ चलें। गुजरात में और देश के अन्य भागों में यह संदेश जाना चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि हम अपने आप को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के सवाल पर अलग-अलग न करें, क्योंकि हम सब एक हैं। महोदय, एकता में बल है और विभाजन में कमजोरी।

[हिन्दी]

वैसे ही हमारे बहुत सारे डिवीजन हो गए हैं- कास्ट, सब कास्ट, इंटर कास्ट कितने हो गए। देश के टुकड़े करना चाहते हैं या देश को एक रखना चाहते हैं अगर देश को एक रखना चाहते हैं तो

[अनुवाद]

किसी को भी हिन्दू कार्ड या मुस्लिम कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम सब भारतीय हैं और एकमात्र कार्ड यही होना चाहिए।

[हिन्दी]

जिन्दगी इतनी आसान नहीं है, जिन्दगी में संघर्ष करना पड़ता है। भारत को आज भी इकोनौमिक फ्रीडम नहीं मिली लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान की एक परम्परा है। हम लोग एक साथ इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं, हर धर्म के व्यक्ति एक साथ हिन्दुस्तान में रहते हैं, यह हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हमारे देश में पोलिटिकल रिफार्म होना जरूरी है।

[अनुवाद]

राजनीतिक दलों को इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम देश को एक बनाए रख सकें और इसे आगे और न बंटने दें। इस कार्य के लिए राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है और चुनाव सुधारों की भी आवश्यकता है। कट्टरपंथी संगठनों पर हमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि वे देश को न बांट सकें।

[हिन्दी]

मुझे मालूम है कि जब समय ज्यादा हो जाता है तो हमें बोलने के लिए कम समय मिलता है। गुजरात में 14,000 मकान डैमेज हुए हैं

[अनुवाद]

36 हजार लोग गिरफ्तार हुए हैं। औरतों और बच्चों के हाथ काट दिए गए हैं। गर्भवती महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है। यह सब कुछ मैंने अपने राज्य में भी देखा है। हमने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। आप इस स्थगन प्रस्ताव को भी स्वीकार करें। क्योंकि हम गुजरात के मुद्दे पर चर्चा नियम 184 के तहत कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कुछ हम गुजरात में देख रहे हैं, उसी प्रकार का राज्य प्रायोजित आतंकवाद मेरे राज्य में भी चल रहा है। मैं पश्चिम बंगाल से यह साक्ष्य लाई हूं। अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अनेक महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई है। वे बेघर और बेसहारा हैं। वे चीख-चीख कर पुकार रहे हैं किन्तु उनकी कोई नहीं सुन रहा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि उनका कुछ भला करें।

श्री रूपचन्द पाल: यह बिल्कुल निराधार आरोप है।

कुमारी ममता बनर्जी: जो कुछ गुजरात में हुआ है, मैं उसकी निंदा करती हूं। हम इसका समर्थन नहीं करते। यदि प्रशासन राजनीतिक कार्यकर्त्ता की तरह काम करे तो यह राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो जाता है। इस प्रकार के प्रशासन से जनता को न्याय नहीं मिलता। जो कुछ गुजरात में हुआ है, वही कुछ मेरे राज्य में हो रहा है। मैं आपको सूची दिखाती हूं।...*(व्यवधान)*

यदि आप इस सूची को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनेक लोगों की हत्याएं हुई हैं। जहां तक राजनीतिक हिंसा का

[कुमारी ममता बनर्जी]

संबंध है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा पहले स्थान पर है। मेरे पास ऐसी सूची है जिसमें पुलिस स्टेशन, पीड़ित व्यक्ति का नाम और पता, जिस तारीख को उनकी मौत हुई, आदि जैसी विस्तृत जानकारी है। मैं आपको अभी यह सूची दे सकती हूं।

मैं ननूर नामक स्थान पर गई जहां सी पी आई (एम) के कार्यकर्त्ताओं ने ग्यारह मुसलमानों की हत्या कर दी है। किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। छोटा अंगनिया के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूं। मारे गये व्यक्तियों के शव भी नहीं मिले हैं।

मैं गजोल नामक एक और स्थान पर गई।

[हिन्दी]

गुजरात में जो हुआ, हमने उसकी निंदा की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: ये निराधार आरोप लगा रही हैं। वह सभा का दुरूपयोग कर रही हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: मैंने देखा कि जिला हल्दिया में गजोल में एक गर्भवती महिला को जला दिया गया, तीन बच्चों को जला दिया और उस मां के पेट में जो बच्चा था, वह निकल आया, उसको भी जला दिया।...*(व्यवधान)* यह सब मैंने देखा है। हमारे दो ब्लाक अध्यक्षों मोहम्मद असलम और हसन लश्कर का मर्डर कर दिया। इसी तरह हमारे आठ बूथ एजेंट्स का दस दिन में मर्डर कर दिया।

[अनुवाद]

कोई न्याय नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार कार्रवाई करे ताकि अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं और उनके बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके।

[हिन्दी]

सर डैमोक्रेसी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मैं मानवाधिकारों की बात कर रही हूं। वे भी मानव हैं। जब हम स्टैण्ड लेते हैं तो हमारी स्टैण्ड डबल स्टैंडर्ड नहीं होती। हम गुजरात के बारे में जो कहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम ऐसे अन्य भागों के बारे में क्यों नहीं बोलते जिनमें राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जारी है। हम झूठे नहीं हैं। वे झूठे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वहां कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। लोगों का गला काट देते हैं। हास्पिटल में नहीं जाने देते हैं। पीने का पानी पीने नहीं देते हैं। मैडिकल कालेज नहीं जा सकते।

[अनुवाद]

वहां कोई मौलिक अधिकार नहीं है, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है और कोई मानवाधिकार नहीं हैं इसीलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस पर ध्यान दें और हस्तक्षेप करें। अनुच्छेद 355 के अनुसार यदि गुजरात में अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अपराधियों को दण्ड मिले और श्री मोदी हटे। साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि बंगाल में क्या हो रहा है? वहां भी यही स्थिति है इसलिए केन्द्र सरकार को वहां भी हस्तक्षेप करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, उन्हें केवल गुजरात के बारे में बोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: हम जनरल बात नहीं करते हैं। हम माइनारिटी और एससी एसटी के लिए बोलते हैं। हमारी लिस्ट एससी एसटी के लिए है कि उन्हें प्रोटैक्शन मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिलता है।...*(व्यवधान)* गुजरात में जो रिलीफ कैम्प्स हैं, जिनके हाउसेज डैमेज हो गये हैं, जो लोग रास्ते पर आ गये हैं, जिनका बिजनैस बर्बाद हो गया है, उनके लिए सरकार को काम्प्रीहेंसिव पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* साथ-साथ हमारी स्टेट में भी हजारों लोग रास्ते पर आ गये हैं। छोटे-छोटे बच्चों का रेप होता है।...*(व्यवधान)* एक भी आदमी पकड़ा नहीं जाता है। वहां एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* हमें बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। बंगाल में एक एफआईआर भी लाज नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को लाल जामा पहना दिया। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में चाहे गुजरात हो, बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो या चाहे मध्य प्रदेश हो, जो भी स्टेट हो, अगर वहां दिक्कत है तो उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और

ध्यान देने के समय सीपीआईएम के साथ अगर कोई दोस्ती करेगा तो माफ कीजिए कि वह कम्युनिल पार्टी है और वह अपोर्चुनिस्ट है जिसने देश को बिट्रे किया है और करते जाएंगे, कांग्रेस को भी फंसाया है।

अंत में, मैं कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री इस देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। देश के लिए उनका पहले कर्त्तव्य बनता है। यह सही है कि सदन में इस विषय पर चर्चा चल रही है, लेकिन प्रधान मंत्री जी को गुजरात के बारे में फैसला जरूर लेना चाहिए। मोदी जी को हटायें और माइनोरिटीज को प्रोटैक्शन दें। मैं कहना चाहती हूं- शक्ति भी, शांति भी भक्तों को गीत में है। धरतीवासियों को प्रीत, मुक्ति में है। सारे जहां से अच्छा, हिन्दुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिन्दी हैं हम वतन है, हिन्दुस्तान हमारा। हिन्दी से मतलब हिन्दुस्तान से है। हिन्दी बोलने से हिन्दू नहीं हो जाता है। हमने हिन्दू घर में जन्म लिया, लेकिन मस्जिद में ज्यादा जाते हैं। माइनोरिटीज की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। त्याग का नाम है हिन्दू, ईमान का नाम है, मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और बलिदान का नाम है सिक्ख। हिन्दुस्तान की इज्जत प्रधान मंत्री के हाथ में है और उनको इसे बचाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): सर, नेशनल कान्फ्रेंस को अबी तक चांस नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

جناب علی محمد نائک (اننت ناک): جناب عالی، نیشنل کانفرنس کو ابھی تک چانس نہیں ملا ہے۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नेशनल कान्फ्रेंस के सदस्यों को बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक: जिस पार्टी का एक मैम्बर है, उसको चांस मिल जाता है, लेकिन जिनके पांच मैम्बर्स हैं, उनको चांस नहीं मिलता है।

جناب علی محمد نائک (اننت ناک): جس پارٹی کا ایک ممبر ہے، اس کو چانس مل جاتا ہے، لیکن جن کے پانچ ممبرس ہیں، انکو چانس نہیں ملتا۔

उपाध्यक्ष महोदय: एक मैम्बर की पार्टी को भी चांस नहीं मिला है। आप क्या आरोप लगाते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे आज से वास्ता रखता है, बल्कि इस देश के मुस्तकबिल से भी वास्ता रखता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही वातावरण चलना है तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि अभी उस तरफ से जवाब आना बाकी है और अगर हम इन्हें पूरे दिन गंभीरता से सुन सकते हैं तो इन्हें भी दूसरों को गंभीरता से सुनना चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत इस देश के अजीम शायर के एक शेर से करना चाहता हूं। कैफी आजमी जी ने एक शेर लिखा है और शायद आज के हालत पर उससे मौजू कोई शेर कहा नहीं जा सकता- "जुस्तजू है जिसकी वह जहां नहीं मिलता, वह जमीं नहीं मिलता, वह आसमा नहीं मिलता।"

इस देश में स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हुआ और जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दीं, उन्होंने अपनी आंखों में कुछ सपने संजोए थे, एक प्रगतिशील भारत के सामने, एक ऐसे भारत का सपना, जहां पर सारे लोग, सारे धर्म-सम्प्रदाय, सारे भाषाभाषी लोग, सारी संस्कृतियों के लोग आपस में मिल-जुल कर प्यार से रहेंगे, एक ऐसा सपना संजोया था, हमारे देश के उन कुर्बानी देने वाले लोगों ने। आज हम उस कगार पर खड़े हैं कि पिछले दी महीने से रोजाना हम आगजनी, खूनरेजी, लूट-पाट और नरसंहार के दृश्य सुन रहे हैं, जो गुजरात में होते चले जा रहे हैं। कोई दिन बाकी नहीं जाता और लगातार दो महीने से यही सब चल रहा है।

महोदय, कशमकश के इस दौर में कई बार मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि इतिहास क्या केवल स्कूल की किताबों या इम्तिहानों की वस्तु रह गई है। इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक होना चाहिए, यह सवाल एक बार नहीं, अनेक बार मेरे मन में उठता है। 1947 में इस देश को जिन्ना और सोहरावर्दियों की मुस्लिम लीगी जिद्द ने एक बार तकसीम किया, मुझे अफसोस है कि हम उससे कोई सबक नहीं सीख रहे। आज इस देश को सुदर्शनों, सिंघलों और मोदियों की संघी जिद्द फिर एक बार तकसीम करने के कगार पर लेकर खड़ी हो गई है। महोदय, मैं बड़ी गंभीरता से एक निवेदन करना चाहता हूं,...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: आप क्या निवेदन करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* आप दिल्ली में दंगे करवाते रहे, लोगों को लड़ाते रहे।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही तरीका है तो आपकी तरफ से भी कोई नहीं बोल पाएगा। ये कोई तरीका

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

नहीं है।...*(व्यवधान)* महोदय, यह क्या तरीका है, क्या हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। भाजपा की पूरी लीडरशिप बैठी हुई है, उनके होते हुए यह तमाशा चल रहा है।...*(व्यवधान)*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): आपने जार्ज फर्नान्डीज जी को बोलने नहीं दिया और हमारे लीडरों की तरफ इशारा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी उनका काफी टाइम बाकी है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की और मेरी यह मान्यता है कि भारत जैसे लोकतंत्रीय देश का प्रधान मंत्री महज एक दलीय राजनेता नहीं हो सकता। उसका कद इससे ऊपर होना चाहिए और जननायक के स्थान पर पहुंचना चाहिए। इस देश के प्रधान मंत्री के सामने कभी दल और देश के बीच में चुनाव का प्रश्न आये तो मेरी और देश की यह मान्यता और अपेक्षा है कि प्रधान मंत्री जी का हाथ देश के पक्ष में फैसला करते समय कांपना नहीं चाहिए।...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो महीनों में गुजरात के अंदर जो नृशंस अत्याचार हुआ है और एक विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया गया है उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लगभग दो हजार से ज्यादा लोग कत्ल कर दिये गये, 10 हजार से ज्यादा घायल लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, बीस हजार से ऊपर मकानों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और दो लाख के लगभग शरणार्थी आज लगभग 103 शरणार्थी केन्द्रों के अंदर ईश्वर के भरोसे पड़े हुए हैं।

गुजरात हिंदुस्तान का औद्योगिकी और व्यापारिक रूप से एक समृद्ध समाज है और उसकी एक लम्बी परम्परा है। पिछले वर्ष लगभग 49 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न उत्पादों का निर्यात करने वाले प्रदेश में आज दंगों के कारण लगभग 5 हजार करोड़ की राजस्व की हानि उत्पाद और बिक्री कर के रूप में हो चुकी है। राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपये बिक्री कर का और केन्द्र सरकार को लगभग 800 करोड़ रुपये, प्रतिदिन के हिसाब से, उत्पाद शुल्क वसूली का नुकसान हो रहा है। सीमा-शुल्क का करीब 500 करोड़ रुपये का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। करीब 1150 ट्रक जलाकर राख कर दिये गये और उद्योगों को प्रतिदिन लगभग 250 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। सात सौ करोड़ रुपये का टैक्सटाइल उद्योग तबाह हो चुका है और 400 कपास की इकाइयां पूरी तरह से जला दी गयी, जिससे 4 करोड़ रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। रसायन उद्योग में 150 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया है और गुजरात के अंदर निवेश करने का जो वातावरण था उसका दूरगामी प्रभाव यह होने वाला है कि वहां वर्षों तक निवेश करने में लोगों को घबराहट होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जीवन में, आज तक, किसी एक विषय पर, इस देश के मीडिया को इतना अधिक एक राय होते नहीं देखा। पिछले दो महीने के अंदर फ्रंट पेज पर, एडीटोरियल में, अग्र लेखों में उन्होंने गुजरात की कहानी का रत्ती-रत्ती बयान किया है। मानव अधिकार आयोग ने, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है। अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उससे मैं सहमत नहीं हूं। यह बड़े शर्म की बात है कि विदेशी लोग हमारे घर की बातों को कहें। लेकिन सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है? एडीटर गिल्ड ने अपनी बात कही। यहां मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के साथियों को सुन रहा था। लगता है कि आज इस देश में अगर कोई सच्चाई बोलने वाला रह गया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और उनके अलावा अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय आयोग असत्य हैं। इसके अलावा पूरा मीडिया झूठा है, हर आदमी और विरोध पक्ष का आदमी झूठा है और केवल सच बोलने वाले ये ही लोग हैं। हर चीज का बिलकुल आंख मूंदकर खंडन करते जा रहे हैं। भाजपा सरकार गुजरात और केन्द्र में बैठी हुई है। जब सारे देश में यह माहौल बना हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर देश की निगाहें प्रधानमंत्री और उसके नेताओं की तरफ है, इस अपेक्षा के साथ कि देश का प्रधानमंत्री क्या कदम उठाता है, कौन सी नीति अपनाता है। इस बिगड़ती हुई हालत पर काबू पाने के लिये कौन कैसे नियंत्रित करता है? इतिहास साक्षी है कि जब संकट की घड़ी होती है, वह प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी होती है। सामान्य स्थिति में प्रधानमंत्रित्व और मुख्यमंत्रित्व सब कर लेते हैं लेकिन जब देश पर संकट आता है, उस संकट में से देश को कैसे निकालना है जिससे देश के हितों का संरक्षण हो सके, तभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सही परीक्षा होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात यह है कि न जाने प्रधानमंत्री जी को क्या हुआ कि वह जो वक्तव्य देते हैं, दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका खंडन और स्पष्टीकरण छप जाता है। अमरीका में उन्होंने स्वयंसेवक होने का वक्तव्य दे दिया था। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका स्पष्टीकरण निकलता है। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी, उन्होंने यह कहा कि यह राष्ट्र पर कलंक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद फिर 6 दिसम्बर, 2000 को वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह तो राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण हुआ है। उसके औचित्य को वही प्रतिपादित करते हैं। पिछली बार इसी सदन में गुजरात की घटनाओं पर उन्होंने इसे कलंक बताया था। उसके बाद नैनीताल पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों

के सामने एक कविता पढ़ी:

'गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं;
आज सब से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं।'

यह प्रधानमंत्री जी की मनोभावना है, उनके मनोद्गार प्रकट होते हैं। नैनीताल से गोआ पहुंचते-पहुंचते भगवान जाने कौन सा हृदय परिवर्तन होता है कि वहां पहुंचने के बाद उनकी कविता का रूप देखिये। कैसे बदल जाता है। गोवा में कही गई उनकी कविता की कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगा:

''क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत हूं,
संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही, वह भी सही।''

प्रधानमंत्री जी में यह कैसा हृदय परिवर्तन? प्रश्न बार-बार यह उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि..

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

[हिन्दी]

जिस प्रकार से आपको चांस मिलने वाला है, वह नहीं मिलेगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपाध्यक्ष महोदय, गोवा जाने से पहले प्रधानमंत्री जी गुजरात पहुंचे। उन्होंने शाह आलम कैम्प की दशा देखी। उसका उल्लेख हो चुका है। उन्होंने वहां बहुत कुछ कहा होगा लेकिन मैं दो वाक्य कोट कर रहा हूं:

''मुख्यमंत्री को मेरा यह संदेश है कि वे राजधर्म का पालन करें''

वे शब्द बहुत अर्थपूर्ण हैं क्योंकि एक शासक को जाति, धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिये। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में पाया कि भेदभाव हो रहा है और जाति, धर्म और राजधर्म का निर्वाह वहां के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। इसलिये उन्होंने यह सीख दी और जाते-जाते शर्म के मारे यह कह गये कि गुजरात के इन दंगों के बाद कौन सा चेहरा लेकर विदेश जाऊं? यह प्रधानमंत्री जी गुजरात में बोलते हैं और विदेश भ्रमण के बाद जब वह गोवा पहुंचते हैं तो आप प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर गौर करें, प्रधान मंत्री जी ने उसमें मोदी को पार कर दिया। विश्वास कीजिए प्रधान मंत्री जी के सामने नरेन्द्र मोदी नितान्त फीके पड़ गये, उनके वक्तव्य फीके पड़ गये। जो नरेन्द्र मोदी कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाये, प्रधान मंत्री जी ने सारी सीमाएं लांघ करके कहा कि ''साबरमती एक्सप्रैस के निर्दोष लोगों को जिंदा जलाने का षडयंत्र नहीं किया होता तो गुजरात की त्रासदी टाली जा सकती थी''...*(व्यवधान)* और अगले वाक्य में बोलते हैं, पर आग लगाई किसने। फिर उसके बाद कहा कि अभी खुद सरकार इस बात की जांच कर रही है, यानी जांच में अभी तक यह सिद्ध नहीं हो सका है कि यह आग किसने लगाई। इसके बाद उनका वाक्य केवल अल्पसंख्यकों की ओर इशारा करता है और फिर वह वहां पहुंच जाते हैं, जहां कोई नहीं गया। जहां-जहां मुस्लिम हैं, वे घुलना-मिलना नहीं चाहते। शांतिपूर्ण ढंग से रहने के बजाय डरा-धमकाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इसके आगे वह कहते हैं कि इस्लाम दो तरह का है - एक सहिष्णु, सच्चाई से चलने वाला संवेदनशील और दया दिखाने वाला, लेकिन आजकल जिस इस्लाम को लेकर चला रहा है, अब जो इस्लाम है, यह कभी किसी जमाने का इस्लाम रहा होगा, पता नहीं कब की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आजकल जिस इस्लाम को लेकर चला जा रहा है वह सहिष्णु नहीं, जेहाद को लेकर चलता है और जिसमें मदरसों में केवल तलवार के बल पर केवल अपने धर्म का प्रचार करना सिखाया जाता है। यह प्रधान मंत्री जी का वाक्य है।...*(व्यवधान)* मुझे आश्चर्य है इस देश का प्रधान मंत्री ऐसा कहे, जिसके एक-एक वाक्य का अर्थ बहुत गहरा हो सकता है, जिसके परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक इम्पलीकेशंस बहुत गहरे हो सकते हैं। क्या कारण हैं और प्रधान मंत्री ऐसा वक्यव्य क्यों देते हैं जिसका रोज-रोज खंडन प्रकाशित करना पड़े, रोज-रोज स्पष्टीकरण देना पड़े। वह खुद अपने वक्तव्यों में आज और कल एक ही विषय पर भिन्न ध्रुवों के ऊपर बात करते दिखाई पड़े। इसकी तीन संभावनाएं हैं। प्रथम यह है कि पूरे हिन्दुस्तान का मीडिया पूरी तरह दुराग्रहवश, विद्वेषवश प्रधान मंत्री जी की इमेज को तोड़ने, उन्हें बदनाम करने, उन्हें कलंकित करने का प्रयास कर रहा है। यह वही मीडिया है जो अभी कुछ महीनों पहले तक प्रधान मंत्री जी की तारीफ करते थकता नहीं था।

दूसरी संभावना यह है कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रधान मंत्री जी इतना थक चुके हैं कि अब ठंडे दिमाग से फैसला

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

करना, सोचना-विचारना और कहने की क्षमता अब उनके हाथ से फिसल चुकी है।...*(व्यवधान)* तीसरी संभावना यह है कि दरअसल अभी तक वह जो कुछ कहते थे वह एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, उनका उदारवाद एक पाखंड था, दिखावा था, एक छलावा था। सच्चाई यह है कि अब उनका असली चेहरा उजागर हो गया है। उनकी असली भावनाएं अभिव्यक्त होने लग गई हैं। यह तीसरी संभावना है। इन तीनों में से एक संभावना हो सकती है। हालात यह है और अब साफ जाहिर है कि संभावना कौन सी सही है, इस पर निर्णय करना मैं लोगों पर छोड़ता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त अधिवेशन में हमारी नेता सोनिया जी ने प्रधान मंत्री जी से मात्र इतना कहा कि शायद आप प्रधान मंत्री के रूप में स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आप दबाव में निर्णय ले रहे हैं। प्रधान मंत्री की हैसियत से आपको स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए, उन्होंने इतना भर कहा कि प्रधान मंत्री जी भड़क गये, तिलमिला गये, नाराज हो गये, आक्रोश और आवेश में आ गये और कहने लगे कि मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं, आपने कितने दिन से राजनीति की है वगैरह, वगैरह। हमारी कृपा से थोड़े ही कोई प्रधान मंत्री बनता है। अगर हमारी कृपा करने लायक होती तो हम खुद अपना प्रधान मंत्री बनाते, यह तो सभी जानते हैं। सवाल यह था कि जो सोनिया जी ने उस दिन कहा था, यह शत प्रतिशत अब सिद्ध हो चुका है क्योंकि आज का अखबार उठाकर देख लीजिए जिस तरह से पिछले तीन दिन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रधान मंत्री के निवास पर कब्जा जमाकर बैठा है और जिस तरह से अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि प्रधान मंत्री स्वतंत्र रूप से कोई फैसला करने के अधिकारी नहीं रह गए हैं, क्षमता भी नहीं रह गई है, अधिकार भी नहीं रह गया है, ताकत भी नहीं रह गई है। सच बात यह है कि जब यह सरकार बनानी थी तो 24 दलों को इकट्ठा करना जरूरी था और उसमें ऐसे बहुत सारे दल हैं और थे जो सोचते थे कि हम धर्मनिरपेक्षता छोड़ नहीं सकते। उनके अपने कारण थे और इसलिए अगर यह सरकार बनानी थी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक अनिवार्य शर्त थी कि वह उदारवादी दिखने का कम से कम प्रयास जरूर करे लेकिन उसका अकली चेहरा जब उजागर हुआ है, जब गुजरात के दृश्य हम देख रहे हैं और प्रधान मंत्री जी और नरेन्द्र मोदी का रवैया देख रहे हैं। नरेन्द्र मोदी की बात तो मैं करना भी नहीं चाहता, वह इस योग्य नहीं। उनसे जो अपेक्षा हम सामान्य तौर पर रखते थे, जिस स्तर के वे व्यक्ति हैं, वही कर रहे हैं। मगर हमें अफसोस है और हम प्रधान मंत्री से जरूर अपेक्षा रखते थे। इस देश के प्रधान मंत्री का पिछले 40 सालों का इतिहास और उन सारी चीजों को लेकर, चाहे झूठी ही सही, पर एक आशा थी कि शायद कम से कम राजनेता के पद से ऊपर उठकर जननायक की भूमिका निभाने में इस ऐतिहासिक घड़ी में वह काम आएंगे, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। मैं असली बात पर भी आता हूं कि यह सब कुछ क्यों हुआ गुजरात में। यह सब एक लंबी योजना का हिस्सा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर 13 दिन की उस सरकार का हिस्सा छोड़ दें तो प्रधान मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी को लगभग साढ़े चार वर्ष इस देश में सत्ता संभाले हो गए। इन साढ़े चार वर्षों में तीन बार विभिन्न प्रदेशों के अंदर विधान सभाओं के राजनैतिक चुनाव हुए हैं। अनेक जगहों पर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। जब ये सत्ता में आए थे तो इस देश में लगभग एक दर्जन राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की मिली जुली सरकारें थीं। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी की अपने बूते कोई सरकार कही जा सकती है तो वह केवल गुजरात में रह गई है, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी इनके सहयोगी दलों की सहायता से इनकी सरकार कायम है। मात्र तीन प्रान्तों में सिमटकर ये रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, उसका परिणाम सामने है। भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी दल थे, एक टीडीपी को छोड़कर, अपवादस्वरूप और दूसरा उड़ीसा को छोड़कर, सारे इनके सहयोगी दलों की भी सत्ता जहां प्रांतों में थी, सब सत्ता से हटा दिये गये। जनता का यह फैसला हुआ। दिल्ली में कार्पोरेशन के चुनावों में सूपड़ा साप हो गया। शिमला में कल चुनाव हुए और दो-तिहाई बहुमत से शिमला में कांग्रेस पार्टी आई जहां इन का मुख्य मंत्री बैठा हुआ है। कल मेघालय के भी परिणाम देखेंगे। लेकिन सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की जमीन उसके पांव के नीचे से सरकती दिख रही थी और भाजपा के लोग आर.एस.एस. के दबाव में आ गए कि हिन्दुत्व की ओर वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। यही उस भाजपा की संघीय योजना का हिस्सा था कि यहां से नरेन्द्री मोदी को वहां भेजा गया और उसके बाद जो कुछ वहां हुआ है, उसके इतने प्रमाण यहां दिन भर में दे दिये गये हैं कि मैं उनको बार-बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन पूरी साजिश के तहत, पूरी जानकारी में, पूरे इरादे के साथ गुजरात की सरकार के संरक्षण आज वहां पर ये चुनाव कराना चाहते हैं।

रात्रि 11.00 बजे

इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई की बात और क्या हो सकती है? इनको लोगों के राहत की परवाह नहीं, बच्चों के इम्तहान की परवाह नहीं, वहां सुरक्षा देने की कोई परवाह नहीं है। अगर इस पार्टी को परवाह है तो केवल एक चीज की है कि वहां इलेक्शन हो जाये।...*(व्यवधान)* इसलिए गोवा में इनके चुनाव कराने की बात घोषित करते ही यह बात उजागर हो गयी, आईने की तरह

साफ हो गयी कि इनका असली मकसद क्या है और उस मकसद को पाने के लिए इन्होंने क्या-क्या करवाया है, यह सारा उसका परिणाम है। अगर आप एक मिनट के लिए फर्ज करें कि कल वहां चुनाव हो जायें। वैसे आप इस भ्रम में मत रहिये कि वहां चुनाव होने वाले नहीं हैं लेकिन एक मिनट के लिए आप फर्ज करिये कि अगर वहां चुनाव हो जायें और ध्रुवीकरण के आधार पर वहां भाजपा सत्ता में आ जाये तो मैं देश और सदन के सारे सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा? यह प्रयोगशाला जो केवल गुजरात में खुली थी, इसके बाद वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और राजस्थान आदि सारे देश के अंदर यह आग फैलाई जायेगी तब सारे देश को फिर से इस आग से बचाना कैसे मुमकिन हो पायेगा। *...(व्यवधान)*

एक सवाल बहुत बार उठाया गया। प्रधान मंत्री जी ने और भाजपा नेताओं ने अपने सहयोगी दलों को फटकार लगा दी कि आप चुप रहो। यह हमारा अंदरूनी मामला है। भाजपा का अंदरूनी मामला है, गुजरात का अंदरूनी मामला है। कश्मीर में स्वायत्ता का प्रस्ताव आता है तो क्या कश्मीर का अंदरूनी मामला मानकर उसे छोड़ दिया जाये। कश्मीर में आतंकवाद फैलता है तो उसे केवल कश्मीर का मामला समझ कर छोड़े दें। असेम्बली में हमला होता है तो हम कोई चिन्ता व्यक्त न करें। गुजरात में भूकम्प आता है तो सारा देश सहायता करने के लिए एक जुट हो जाता है तब अंदरूनी मामला नहीं होता। तब वह सारे देश का मामला है। आज अयोध्या में मंदिर का विवाद हो जाये तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंदरूनी मामला है और बाकी देश को उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में आतंकवाद फैला तब सारे देश के लोगों ने इकट्ठे होकर और पंजाब के बहादुर लोगों ने इकट्ठे होकर उसका मुकाबला किया। लेकिन क्या वह पंजाब का अंदरूनी मामला समझकर छोड़ दिया जाये तो क्या उस समस्या का हल या समाधान होता? पश्चिम बंगाल में अगर कोई विवाद हो जाये तो केन्द्र सरकार यहां से मंत्रियों को वहां जांच के लिए भेजती है। क्या वह पश्चिम बंगाल का अंदरूनी मामला नहीं है? वह अंदरूनी मामला नहीं है तो गुजरात का अंदरूनी मामला कैसे हो गया? बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर बहुत शोर किया गया। दो बार यह कोशिश की गई वहां सरकार धारा 356 के तहत गिरा दी जाये तब अंदरूनी मामला बिहार में नहीं था। गुजरात में आपका अंदरूनी मामला हो गया। गुजरात का अंदरूनी मामला है तो क्या भारतीय जनता पार्टी या नरेन्द्र मोदी की वह पैतृक सम्पत्ति है? क्या उनका अंदरूनी मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अभी कहा है, पैतृक सम्पत्ति है। यह क्या है? कृपया आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा कि क्या उसमें कोई आपत्तिजनक बात है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भाजपा से न अपेक्षा थी और न उनसे मुझे अपेक्षा रखने की जरूरत है। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे कुछ दल हैं जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। मैं उनको धर्मनिरपेक्ष मानने के लिए तैयार हूं। मेरे मन में कोई संशय नहीं है। उनकी सदाशयता पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगाना चाहता। निश्चित रूप से उनकी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास होगा। एक उदाहरण हमें कल देखने को आया। भाई पासवान जी ने अपने जमीर की आवाज को मर जाने से बेहतर यह समझा कि इस मंत्री पद को उठाकर फेंक दिया जाये और वह उन्होंने किया जो कि एक उदाहरण है। लेकिन कुर्सी से चिपककर बैठे हुए हैं, सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं लेकिन एक आदमी है जिसने इस देश को मार्ग दिखाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुना है कि श्री उमर अबदुल्ला ने अपनी तरफ से इस्तीफा देने की पेशकश की है। यह सच है या नहीं, यह तो गृह मंत्री ही जानते हैं। मैं मुखातिब होना चाहता हूं उन सहयोगी दलों की तरफ जो भाजपा के साथ आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं। आप धर्मनिर्पेक्ष हैं, आपको बधाई। गुजरात में पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने की छूट का आदेश दिया, तब भी आप धर्मनिर्पेक्ष थे। जब एन.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से शिक्षा का भगवाकरण करने की पूरी कोशिश की गई, आप फिर भी धर्मनिर्पेक्ष थे। इतिहास का हिन्दुत्वकरण करने की पूरी साजिश चली जिस पर अन्ततः सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई वर्ना वह काम हो चुका था, आप तब भी धर्मनिर्पेक्ष थे। देशभर में मंदिर आन्दोलन को लेकर यात्राएं चलाई गईं, आप धर्मनिर्पेक्ष थे। पुलिस और विधान सभा पर विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल ने हमला किया, आप फिर भी धर्मनिर्पेक्ष थे। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके मंदिर में शिलान्यास का प्रयास किया, आप फिर भी धर्मनिर्पेक्ष रहे। गुजरात में लूट और नरसंहार हो रहा है, आप फिर भी धर्मनिर्पेक्ष थे। हे भगवान, मैं आपकी धर्मनिर्पेक्षता को प्रणाम करता हूं। अगर यही धर्मनिर्पेक्षता है तो वह आपको मुबारक हो, हम इस धर्मनिर्पेक्षता में विश्वास नहीं करते।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अंत में मुझे केवल चार चीजें कहनी हैं। हम सब कुछ कह चुके। अभी भी वक्त है, इस देश के प्रधान मंत्री और सरकार दलीय चश्मे से देखना बंद करें और राष्ट्रीय चश्मे से देखने की कोशिश करें। मेरी मांग है कि श्री नरेन्द्र मोदी को तत्काल बरखास्त किया जाना चाहिए। दूसरी मांग है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को वहां की जांच का काम...*(व्यवधान)* जाना चाहिए। तीसरी चीज, वहां विश्वास और सुरक्षा का वातावरण, अल्पसंख्यकों और सभी समुदाय के बीच बनाया जाना चाहिए। जहां पुनर्वास और सहायता के काम के लिए टैंट लगे हुए हैं, वे पूरी तरह, सुचारू रूप से और ठीक ढंग से चलाए जाने चाहिए। इन चार बातों की मैं मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। काफी चर्चा हुई है। इसी सदन में 11 मार्च को इसी विषय पर चर्चा हुई थी।...*(व्यवधान)* 11 मार्च को 8 घंटे 15 मिनट तक इस सदन में चर्चा हुई और 25 माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। चंद्रशेखर जी, मैं देख रहा हूं कि आप भी इस पूरी चर्चा को सुबह से बैठे हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं अपनी बात अपने ही दो वाक्यों से शुरू करता हूं। मैंने 11 मार्च को चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा था कि गुजरात में जो घटनाएं घटीं, अगर कोई उन घटनाओं की जड़ में जाएगा, उन घटनाओं को दुबारा रोकने के बारे में अगर कोई सोचेगा, तब मुझे लगता है कि हम संसद में जो चिन्ता व्यक्त करते हैं, उसका कोई हल निकलेगा, उसके कोई मायने होंगे। मैं प्रतिपक्ष की नेता सोनिया जी का भाषण सुन रहा था। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने अपनी पूरी बात कही। मैं उस पूरी बात से सहमत हूं न हूं, वह अलग बात है, मेरे उनसे विचारों के मतभेद हो सकते हैं, मगर उनकी अंतिम बात से मेरे कोई मतभेद नहीं हैं। मुझे ममता जी की बात से मतभेद नहीं है। सोनिया जी ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा–

[अनुवाद]

> "मैं माननीय प्रधान मंत्री से पार्टी संबंधों (दलगत राजनीति) से ऊपर उठने और हमारा पुन: मार्गदर्शन करने की अपील करती हूं।"

[हिन्दी]

मैं उनका अभिवादन करता हूं कि प्रधान मंत्री जी को उन्होंने अपील की कि आप पार्टी से ऊपर उठ जाएं। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, उन सभी महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में जो दंगे होते हैं और हो रहे हैं, उसका निराकरण क्या किसी पार्टी विशेष से जुड़ा है, क्या सिर्फ प्रधान मंत्री को ही ऊंचा उठना है, बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, क्या सदन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बाकी पक्षों और प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? यह कोई राजकीय मसला नहीं है, यह सामाजिक समस्या है, बड़ी दर्दनाक समस्या है। इस समस्या ने पिछले चालीस सालों में हजारों परिवारों को तबाह किया है। इस समस्या ने इस देश में अपनी बनाई हुई बिना साम्प्रदायिक परिभाषा के कारण हजारों लोगों को मारा है। मैंने उस दिन अपने भाषण में कहा था कि इसकी जड़ में जाना चाहिए। सुबह उमा जी ने भी वही कहां। मगर फिर वही राजनीति की बातें, फिर हम पर आरोप लगाते हैं और जब हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि आप क्यों राजनीतिक बातें करते हैं। जब आप हम पर इतना बड़ा आरोप लगाओगे, जेनोसाइड, नरसंहार हुआ गुजरात में, तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा। उस दिन मैंने कहा था कि गुजरात की स्थिति को समझना पड़ेगा। जार्ज फर्नान्डीज जी ने अपने प्रवचन में कहा कि आजादी के बाद इस पूरे देश में एक ऐसी मानसिकता बन गई, आजादी की पहली रात को भी बनी थी, क्या हम यह सच्चाई नहीं जानते कि उस वक्त 14 अगस्त की रात को देश में कितना बड़ा कत्लेआम हुआ था। देश में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां 55 साल में कभी कोई दंगा न हुआ हो। दंगे होते रहते हैं, कारण है कि प्रजा के बीच ऐसी शक्तियां है जो उसको गुमराह करने की कोशिश करती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन कहा था कि इसकी जड़ में जाना होगा। गुजरात के दंगे की चर्चा हुई, इतने लोग मारे गए, इतने दिन कर्फ्यू लगा, इतने दिन बाद भी स्थिति कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है, दो महीने हो गए हैं। जब यह सवाल आपने हमसे किया तो हमारे मन में भी यह आएगा कि 1985 में आपके शासन में साढ़े चार महीने तक दंगा चला था। आप कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी के शासन में 800 मुसलमानों को मारा गया, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि 1969 में पांज हजार मुसलमान अहमदाबाद में क्यों मारे गए थे?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हमने सोलंकी को बदला था।

श्री हरिन पाठक: छ: महीने के बाद बदला था। इसलिए मैंने अपने भाषण में कहा था, मुझे आज भी स्कोर नहीं करना है। मैंने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा। मैं हरिन पाठक के नाते बोलने के

लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इस सदन में बोलने के लिए संसद सदस्य होना जरूरी है इसलिए मेरे नाम के बाद सांसद शब्द जुड़ा है। मुझे पार्टी ने मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिया है इसलिए मैं मंत्री के नाते यहां बैठता हूं।

मैंने गुजरात को करीब से देखा है। मैंने उस शहर की गलियों को देखा है, हर गांव को देखा है। शायद ही किसी ने इतने करीब से देखा होगा। 1985 में दंगे के बाद राजस्थान के जस्टिस दवे की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। कांग्रेस के शासन में यह नियुक्ति हुई थी। प्रतिपक्ष की नेता से मैं कहूंगा, हमने यह नहीं कहा, जो अंग्रेजी में ''हैंडपिक्ड'' होता है। अब किसी न्यायमूर्ति के बारे में जिसने अपना काम शुरू कर दिया है, उसके बारे में आप यह कह सकते हैं। इस देश की प्रतिपक्ष की नेता सांसद में एक न्यायमूर्ति के खिलाफ टिप्पणी करती हैं कि वह ''हैंडपिक्ड'' हैं। अभी से उसके खिलाफ हो गए।

श्री पवन कुमार बंसल: आप उनकी क्या बैकग्राउंड जानते हो?

श्री हरिन पाठक: हां, मैं जानता हूं कि बैकग्राउंड किसकी क्या होती है। आपने जो भी पत्रिकाएं पढ़ी हैं, क्या वे सच हैं। आपने जो भी कहा, क्या वह सच है। अब यह जो दवे कमीशन की रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। 1985 के दंगों के बाद उन्होंने उसके प्रकरण 6 में जो कि गुजरात में है पूरी रिपोर्ट है। मैं उसकी हिन्दी करता जाऊंगा। ''गुजरात के दंगे और आंदोलनों का इतिहास'' उनका पहला वाक्य मैं पढ़ता हूं। मुझे तुरंत इसकी हिन्दी करनी है। प्रकरण 6 का पहला वाक्य यह है कि जो मैं कहता हूं कि गुजरात में बार-बार दंगे होते हैं, जो दवे कमीशन ने भी कहा है। 'गुजरात में पुनरावृत्तिक दंगों के कारणों को समझना अगर हो तो गुजरात राज्य के दंगों और आंदोलनों के इतिहास को समझना पड़ेगा।' चाहे वह 2002 का दंगा हो, चाहे 1985 का दंगा हो मगर समझना पड़ेगा कि वहां दंगे बार-बार क्यों होते हैं? दंगे नियंत्रण में क्यों नहीं आते? क्या नरेन्द्र मोदी को बदलने से दंगे कंट्रोल में आ जाएंगे।...*(व्यवधान)* इसका मतलब यह है कि आप इन दंगाइयों से मिले हुए हैं।...*(व्यवधान)* आपको मालूम है कि दंगे कौन करते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी हट जाएंगे तो दंगे बंद हो जाएंगे।...*(व्यवधान)* दंगे के कारणों में जस्टिस दवे साहब अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं कि पुलिस शहर में सफल क्यों नहीं होती, वह लिखते हैं कि यह जो शहरी कोर्ट का विस्तार है, मैं आपको अहमदाबाद की जाग्रफी भी बता दूं क्योंकि कई प्रतिनिधि मंडल गये हैं। वे वहां एयरपोर्ट से सीधे कैम्प और कैम्प से सीधे सर्किट हाउस और फिर मीटिंग और फिर वापसी। पचास लाख की आबादी का शहर है। पुराने शहर का नाम कर्णावती था। उसके बाद वह अहमदाबाद बना। आज उसकी पचास लाख की आबादी है। शहर तीन हिस्सों में बंटा है। एक पूर्व का विस्तार जिसमें गरीब मजदूर लोग रहते हैं, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं। बीच वाला शहरी विस्तार जिसे कोर्ट विस्तार कहते हैं और नदी के पश्चिम छोर का विस्तार जरा समृद्ध विस्तार है, वह पश्चिमी अहमदाबाद में है, सारे मोहल्ले कोट के विस्तार में है। दंगा आजकल कहां होता है? आपने टी.वी. पर पांच नाम सुने होंगे। अहमदाबाद शहर में जो विस्तार है, उसमें से पांच नाम रोज टी.वी. पर सुनते होंगे। एक है कालुपुर, दूसरा है दरियापुर तीसरा है जमालपुर और चौथा जुहापुरा है और पांचवां गोमतीपुर राजपुर है। ये पांच विस्तार हैं जहां हिन्दू मुसलमानों की बस्ती है। कभी-कभी कुछ इलाकों में कालूपुर में अगर 80 प्रतिशत मुसलमान हैं तो उनके बीच दो मोहल्ले हिन्दुओं के हैं। जुहापुरा जहां 90 प्रतिशत मुसलमान हैं तो उसकी एक कि.मी. की दूरी पर कोई हिन्दू सोसायटी की बस्ती है। जमालपुर जो पूरा विस्तार मुसलमानों का है, वहां शायद कोई एक-दो मोहल्ला बचा होगा जो दलितों का है और 400-500 लोगों की आबादी बसती होगी। जो कोट विस्तार है, जब दंगे भड़कते हैं तब दवे कमीशन लिखते हैं कि इस शहर की ज्योग्राफी कैसी है। हमारे यहां जिसे पोल कहते हैं, यानी स्ट्रीट, ये पूरा विस्तार - कायदानि अमल संस्थासाये रक्षणणुरू पाड़े है, यानी कानून का पालन करने में कितनी कठिनाइयां होती हैं, उस पर दवे कमीशन ने लिखा है कि पुलिस क्यों सफल नहीं होती, दंगे क्यों नहीं रूकते। वे कहते हैं कि कोट विस्तार अजोड़ है। पोल में पोल, गली में गली और वह छोटी संकरी सी गली, जहां दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, उसमें नाली पोल और गलियों के दरवाजे मजबूत हैं, जिससे तूफान के दरम्यान पुलिस को व्यवस्था कायम करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। जब दंगे होते हैं तब बड़ी संख्या में चोरी-छिपे, अलग-अलग गलियों के रास्ते से सैंकड़ों-हजारों की संख्या में इस तरफ लोग मुख्य रास्ते पर उमड़ आते हैं, पुलिस का घेराव किया जाता है। पुलिस आए, उससे पहले तूफान करके उन्हीं गलियों में लोग भाग जाते हैं, जिससे पुलिस को उन्हें पकड़ने में भी तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति इस शहर की है।

महोदय, मैंने अपने भाषण में उस दिन भी कहा था कि हम इसकी जड़ में जाएंगे, लेकिन आज मुझे इस बात का दुख है, मैं कब से सुन रहा हूं और करीब 27 माननीय सदस्यों ने भाषण किया, मैं किसी पर आरोप नहीं करने वाला हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। आपने जो बात कही है वह सही है। मैंने उस दिन भी कहा था कि नियम 193 के अंतर्गत 11 मार्च को हमने जो चर्चा की तो उस चर्चा में से क्या निकलना चाहिए था, जैसा ममता जी ने कहा कि कोई ऐसा सुर निकले, जिससे ये दंगे रूकें, दोबारा न हों। आपने मुख्य मंत्री को 1985 में हटा दिया, लेकिन फर 1991-92-95 और 2000 में दंगे हुए और फिर कभी भी हो

[श्री हरिन पाठक]

सकते हैं, क्या सांसद की जिम्मेदारी नहीं है। यहां कितने माहनुभाव बैठे हैं, जिनका मैं आदर एवं सम्मान करता हूं, जिनके चरण स्पर्श करना मैं अपना अधिकार समझता हूं। क्या हम सब की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि इसके बारे में हम सोचें। मगर यह नहीं सोचा जाता है। यह सोचा जाता है कि इसका कैसे राजकीय लाभ उठाया जाए। चन्द्रशेखर जी, 11 तारीख को हमने सवा आठ घंटे चर्चा की। इन सारे दंगों को एक 27 तारीख की घटना है। चतुर्वेदी जी, आपने जो कहा, उसे सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ। आपके प्रति मुझे बड़ी श्रद्धा है। वैसे तो सभी मेरे मित्र हैं, लेकिन आपने यह साबित करने की कोशिश की कि वहां भाजपा ने षडयंत्र किया कि आने वाला चुनाव गुजरात में कैसे जीता जाए, इसीलिए सब कुछ हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 27 तारीख को भी गोधरा कांड भाजपा ने कराया। यह कहा गया कि हमने ट्रेनें जलाई, हिन्दुओं के बच्चे हमने जलाए, ताकि चुनाव जीत जाएं। अगर यह आपकी मानसिकता है तो मुझे दुख होता है कि संसद में चर्चा का स्तर कहां तक जाता है। प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाए जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैंने उस दिन ईमानदारी के साथ कहा था, जब प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय सोनिया जी ने कहा कि हम पार्टी से ऊपर उठ कर सोचें तो मैं सबसे कहूंगा कि आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि अगर 27 तारीख की खौफनाक घटना गोधरा में न होती तो क्या आज गुजरात की ऐसी स्थिति होती।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: जी हां, होती।

श्री हरिन पाठक: नहीं होती, क्यों होती।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मैं आरोप लगाता हूं और जिम्मेदारी के साथ लगाता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी पर टिप्पणी कर दी। जिनके जीवन के बारे में आपने सोचा तक नहीं, पढ़ा तक नहीं। पढ़ा भी है तो आपको अपने पर इतना अभिमान हो गया कि आप सीधे प्रधान मंत्री जी पर टिप्पणी करने लगे। मैंने पढ़ा था 1984 के सभी अखबारों में रात के ढाई बजे एक साठ साल का आदमी लूंगी पहनकर के 6 रायसीना रोड से, अपने घर से दौड़ता हुआ निकला जब उसने निर्दोष सिखों की मरने की चीखें सुनी। जो टोली सिखों को मार रही थी उनके सामने खड़ा हो गया और कहा कि तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा तब तुम इनको हाथ लगा सकते हो। वह आदमी और कोई नहीं था वह विराट कद का आदमी आज के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं।

हम जब किसी की मृत्यु में जाते हैं तो उनके संबंधियों को आश्वासन देने के लिए सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं। चाहे आदमी जैसा भी हो, कहते हैं कि जो हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है। वहां जाकर उनकी वेदना को, उनके घाव को मरहम लगाते हैं। अगर प्रधान मंत्री जी ने उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की तो क्या कोई गलत बात की। अगर 27 तारीख की घटना निंदनीय है तो जैसा मैंने कहा कि मैं इन घटनाओं को दो हिस्सों में रखना चाहता हूं। सत्ताईस, अट्ठाइस, उन्नतीस, एक और दो तारीख की घटनाएं। सुबह से 25 लोगों ने जो भी चर्चाएं की वे सारी घटनाएं 11 मार्च की चर्चा में आ चुकी। 11 मार्च से पहले ये सारी घटनाएं हो चुकी। गोधरा का हत्याकांड 27 तारीख को हुआ। नरौड़ा की दर्दनाक घटना 28 तारीख को हो गयी जिसमें 90 लोगों को जलाया गया। उसी दिन दोपहर को एहसान जाफरी और उनके परिवार को...*(व्यवधान)* मुझे सच्चाई कहने से कोई रोक नहीं सकता है। जो चार बड़ी-बड़ी शर्मनाक, खौफनाक, दर्दनाक घटनाएं हुईं और जिनकी निन्दा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, वे थीं गोधरा, नरौड़ा के लोगों और गुलमर्ग के लोगों को जलाया जाना, महसाणा-साबरकांठा के सरदार पुरा में लोगों को जलाया जाना। पांच तारीख के बाद छुट-पुट घटनाएं होती रहीं। आज सुबह 12 बजे से अब तक सारी घटनाओं पर बातचीत हो गयी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 11 तारीख से पहले इन सारे दंगों का मानवीय हल निकालने के बजाए उनको राजनैतिक रूप दे दिया गया। फिर ये घटनाएं जारी रहीं। सुबह से सभी ने यहां पर अखबार पढ़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने आपके लिए एक कागज लिखकर रखा है। अगर आप कहें तो मैं उसे आपको दे दूं क्योंकि यहां कहा गया कि अखबार पढ़े जाएंगे या नहीं पढ़े जाएंगे। फिर सोनिया जी ने भी तीन-चार अखबार यहां पढ़े। सब लोगों ने अखबार पढ़े। मेरे पास 5 मार्च से लेकर आज तक गुजरात के सभी सात दैनिक अखबारों की कटिंग्स हैं। हमारी पार्टी का इन अखबारों से कोई लेना-देना नहीं। ये समाचार पत्र हैं- 'गुजरात समाचार' 'संदेश' 'जनसत्ता' 'लोकसत्ता' 'समभाव' 'जय हिन्द' और 'जन्म-भूमि'। इन अखबारों की 50 लाख प्रतियां गांव-गांव तक जाती हैं। इन अखबारों की एक महीने तक क्या-क्या हैडलाइन्स रहीं, वह पढ़कर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। हम सब मानते हैं कि अखबारों में मोटी-मोटी तीन तरह की बातें छपती हैं। हम राजनैतिक नेताओं का निवेदन कि हमने संसद में यह कहा, नहीं कहा तो भी वह अखबारों में छप जाता है। दूसरा, बड़े विद्वान - जैसे मणिशंकर जी या बड़े-बड़े लोगों के आर्टिकल छपते हैं। तीसरी बात यह है कि न सिर्फ आर्टिकल छपता है, न सिर्फ निवेदन छपता है, मगर वो छपता है यानी अखबार जो वे लिखते हैं अपनी रिपोर्टिंग। अखबारों ने जो देखा, उसकी तस्वीर ली जमीनी सच्चाई को जाना और जो पत्रकार होते हैं उनकी जान पर हमला होता है तो भी जाकर सच्चाई लाते हैं वो छपता है। मैं इनकी हैडिंग पढ़ने जा रहा हूं...*(व्यवधान)* मैं यह क्यों पढ़ने जा रहा हूं? सच्चाई कड़वी होती है सबसे पहले अखबार वालों ने हम लोगों पर ताना मारा है*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदय, समय सीमा क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय: जब तक नियम 184 के अधीन प्रस्ताव का निपटारा नहीं होता है, हमने समय बढ़ा दिया है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: उन्होंने यह आर्टिकल लिखा है- 'गुजरात के सांसद चुप-चुप बैठे हैं संसद में, गुजरात से बार के आलिया-मालिया गुजरात की माता का वस्त्र हरण करके चले जा रहे हैं। हम गुजरात के सांसद होकर गुजरात की दुखभरी स्थिति को क्यों नहीं बताते हैं।' 26 तारीख को यह अखबारों में छपा है। मेरा कर्त्तव्य बन जाता है। इसलिये मैंने कहा कि मैंने सात अखबारों के नाम लिये हैं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह तो अति है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है। इसकी आप से आशा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि आप.....*

श्री हरिन पाठक: मैं इससे सहमत नहीं हूं। तथापि मैं इस बात से सहमत हूं कि मुझे राष्ट्र को सच बताना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: हमें इसकी आप से आशा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: संसद को सच बताना मेरा कर्त्तव्य है, देश के लोगों को सच बताना मेरा कर्त्तव्य है...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं गुजरात का उदाहरण दे सकता हूं। क्या आप गुजरात का उदाहरण देने जा रहे हैं?

श्री हरिन पाठक: 11 मार्च के पहले कच्छ और भुज में शांति थी। वायलेन्स की एक भी घटना सौराष्ट्र के कच्छ और भुज में नहीं हुई। गुजरात समाचार, 3 मार्च, 2002, अंजार में हनुमान मूर्ति का खंडन और दंगों की शुरूआत। 3 मार्च, अहमदाबाद में शांति। गृह मंत्री जी अगर भाषण करेंगे तो उसमें कहेंगे कि किस-किस दिन कर्फ्यू था। गांधी रोड पर चंद्रविलास होटल के पास 37 दुकानें आग से भस्मीभूत।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आपकी 11 मार्च की चर्चा में आ गया।

श्री हरिन पाठक: किसी ने नहीं कहा। आपके हर सवाल का जवाब इसमें आ गया है। आप कहेंगे कि फिर आप रोकते क्यों नहीं हो। अगर ऐसे तत्व हैं तो आप उन्हें रोकते क्यों नहीं हो, उसका जवाब इसी में है। आपके मन की हर दुविधा का इसमें समाधान है। 4 मार्च - मेन रिलीफ रोड पर एस.आर.पी. तम्बू चौकी पर महिलाओं का हमला। ये महिलाएं अल्पसंख्यकों के कुछ कट्टरवादी तत्वों की रिश्तेदार थीं। 4 मार्च - सूरत, नैनीनाथ मंदिर पर सशस्त्र भीड़ का हमला। कालूपुर, ढाई हजार महिलाओं ने पुलिस थाने को घेर लिया। 9 मार्च - शंकर सिंह जी आपको मालूम है, आप इसके साक्षी हैं कि कालूपुर में क्या स्थिति है। अहमदाबाद में कालूपुर, जुहापुरा, जमालपुर ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आठ पुलिस चौकियों में पुलिस जाने से डरती है। वहां जाने की पुलिस की हिम्मत नहीं है। यह घेराव करने की बात आज की नहीं है। 1992 में एक एन्टी-सोशल कट्टरवादी, जिसका नाम अब्दुल लतीफ था, उसने पांच जगह से 1991 में कारपोरेशन का चुनाव लड़ा था और वह पांचों जगहों से चुनाव जीत गया। उसके खिलाफ आर.डी.एक्स. से लेकर हजारों खून करने का इल्जाम था। उसे पकड़ने के लिए एक दिन पुलिस गई। उसके समर्थकों ने 1992 में कालूपुर पुलिस स्टेशन को घेरा। उसके बाद मुझे मालूम है कि शंकर सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने लतीफ को पकड़ा था, लेकिन वह कूदकर कहीं भाग रहा था, तब पुलिस ने उसे मार दिया था।...*(व्यवधान)* पार्टी कौन सी होती है, बी.जे.पी. को छोड़कर, उसके सभी पार्टियों के रिश्ते थे। प्रेम दरवाजा, बागड़ीवास वहां के 600 दलित, पीड़ित नागरिक भगवान के भरोसे थे। संदेश -- 22 मार्च - नंगी तलवारों के साथ दौड़ते हुए हिंसक टोले ने शहर में अफरा-तफरी मचाई। 22 मार्च - इसकी तरफ मैं संसद का ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा कि कौन शुरू करता है। शंकर सिंह जी, आपको इसका जवाब चाहिए कि दंगा 11 मार्च के बाद भी क्यों चालू रहा। 22 मार्च को पूरे शहर में शांति थी। विधान सभा चालू थी, संसद भी चालू थी। शुक्रवार था, ढाई बजे अचानक एक जगह कालूपुर से हजारों लोग निकल पड़े और खेडी बाजार, सिंधी बाजार में 150 दुकानें खाक हो गईं। पुलिस पर गोलियां दागी और पेट्रोल बम मारे गये। 21 मार्च - समभाव। दूसरा अखबार - जैसे गोधरा में हुआ, हूबहू मोडासा में एक हजार के टोले ने एल.आई.सी. बिल्डिंग को घेर लिया। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो उस बिल्डिंग में जितने लोग थे, सब मारे जाते। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर टुटेजा पर एसिड से हमला हुआ, यह 2 अप्रैल की बात है। अभी-अभी कालूपुरा में विदेशी राकेट लांचरों से हमला किया जाता है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है। आप बता रहे थे कि परसों तीन लोग दंगों में मारे गए। वे कौन लोग थे जो मारे गए? वे दंगें में नहीं मारे गए बल्कि मंसूरीवाड़ कालूपुरा में रात के साढ़े तीन बजे वे बम बनाते थे।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आपकी ही तो सरकार वहां पर है।

श्री हरिन पाठक: इसलिए मैं कहता हूं कि टोली आती है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: जिम्मेदारी किसकी है?

श्री हरिन पाठक: जिम्मेदारी सबकी है। इनको कौन भड़काता है, कौन शरण देता है यही तो सवाल है।...*(व्यवधान)* शरणार्थियों की बात की जाती है। देवगौड़ा जी ने भी चिन्ता व्यक्त की, 1969 में दंगे हुए, लेकिन कोई शरणार्थी कैम्प नहीं खोला गया, 1985 में दंगे हुए, लेकिन कोई शरणार्थी कैम्प नहीं खोला गया। 1995 में दंगे हुए लेकिन कोई शरणार्थी कैम्प नहीं खोला गया, हमारी सरकार के समय में हुआ तो हमारी सरकार ने एन.जी.ओ. के साथ मिलकर सारे कैम्प खोले और उन्हें सारी सुविधाएं दीं। क्या हमने कोई गुनाह कर दिया?...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि संसद को सोचना होगा कि सांप्रदायिक दंगों को राजनैतिक रूप देकर हम समाज का भला नहीं करेंगे। इस्तीफों से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। समाज बंट चुका है, यह सच्चाई है।...*(व्यवधान)* मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं, मगर इसलिए सदन से कहना चाहता हूं कि सिर्फ पिछले एक महीने से...*(व्यवधान)* मैं इसीलिए यह बात सदन में रखना चाहता हूं। मेरी भावना कोई दूसरी नहीं है मगर पिछले दो महीने से ऐसी हवा चली है देश भर में और आप नियम 184 का नोटिस भी देखिये, सिर्फ उसमें यह कहा गया है नायडू जी कि जैसे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, बहुसंख्यकों पर कुछ नहीं हुआ। 36 दलितों को मारा गया। 22 तारीख को मैं और जार्ज साहब जब चैम्बर आफ कामर्स में बैठे थे, शहर में शांति थी। ढाई बजे एक पुलिस वाले को खींचकर तलवार से उसके तीन टुकड़े कर दिये गये। सिर्फ अल्पसंख्यकों पर नहीं होता है। बहुसंख्यक पर भी पिछले डेढ़ महीने से गुजरात और अहमदाबाद में दलित, शोषित, पीड़ित, बहुसंख्यक, सभी कौम के लोगों पर इन आततायियों का आतंक मचा है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। सोनिया जी ने ठीक कहा कि पार्टी से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। सोनिया जी ने ठीक कहा कि पार्टी से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। आप भी ऊपर उठिये, मुलायम जी आप भी ऊपर उठिए। प्रधानमंत्री जी तो जब से राजनीति में आए हैं, उससे पहले से उनका सारा जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित है, आप क्या उनको पार्टियों में बांधेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी इन बातों से किसी को दुख हुआ हो मगर यह बताना जरूरी था। यह जमीनी सच्चाई है कि गुजरात में हमारा समाज बंट चुका है। गुजरात में सबका मन बंटा है, उनका दिल बंटा है, उनकी आत्मायें बंटी हैं। कम से कम नियम 184 के अंतर्गत आज आप उनको और संसद को बांटने का काम मत करिये। यहां से गुजरात में क्या मैसेज जायेगा? यही मैसेज जायेगा कि कुछ लोग उसकी तरफदारी करते हैं और कुछ लोग इसकी तरफदारी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या गुजरात में यह सही मैसेज जायेगा? मेरी प्रार्थना है कि इस समाज को बांटने से रोकने का काम करना चाहिए। उस दिन, 11 तारीख को भी प्रार्थना की थी कि हम सब इस राजनीति से ऊपर उठकर जैसा अभी कहा गया कि ऐसी बात यहां से गुजरात में भेजें, ममता दीदी ने कहा कि सब मिलकर शांति के लिए कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि सही अर्थ में गुजरात में शांति स्थापित होगी।

"दुनिया में अंधेरा है, एक चिराग जला दो,
सोते हुए भारत को उठो फिर से उठा दो,
आपस में लड़े हैं, खून भी बहुत बहा है,
जो कुछ भी हुआ है, अच्छा है, उसे भूला दो,
न हिन्दू, न मुसलमान, न सिख न ईसाई,
शैदा है वतन हम दुनिया को दिखा दें।"

आओ, हम सब आगे आकर भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करें। भारत की बिन साम्प्रदायिकता किसी पार्टी की देन नहीं है। हमारी बिन साम्प्रदायिकता हमारी संस्कृति में है। जब से धरती पैदा हुई, जब से इंसान पैदा हुआ तब से इस भारत में बसने वाला हिन्दू बिन साम्प्रदायिक है। उसे किसी पार्टी के सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे यहां वेदों की ऋचायें लिखी हैं। हर कमरे में वेदों की ऋचायें लिखी हैं। उपनिषद् के श्लोक लिखे हैं। आपकी कुर्सी पर सत्यमेव जयते लिखा है। क्या यह साम्प्रदायिक सूत्र है? आओ, हम मिलकर गुजरात में शांति स्थापित करने के लिए एक आवाज में बात करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम किस समय मतदान करेंगे? क्या वाद-विवाद रात भर चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: वाद-विवाद रात भर नहीं चलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह बेहतर होगा यदि मतदान का समय निर्धारित हो माननीय गृह मंत्री को भाषण देना है और माननीय प्रधान मंत्री को उत्तर देना है।...*(व्यवधान)* मतदान का समय निर्धारित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ छोटे दलों को अभी तक चर्चा में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया है। मैं उन्हें संक्षिप्त रूप से

बोलने का अवसर दूंगा। हम वाद-विवाद को यथाशीघ्र समाप्त करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, सदस्यों और कर्मचारियों के लिए चाय और स्नैक की कोई व्यवस्था नहीं है। यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या सबको एक-एक घंटा बोलने के लिए मिलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: सबको पांच-पांच मिनट ही मिलेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कल पहली मई है और पहली मई को मजदूर दिवस है। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि 12 बजे तक बहस कराई जाये और बाकी बहस को दूसरे दिन यानी 2 मई में ले जाया जाये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, एक मई अवकाश के दिन हम कैसे सदन की कार्यवाही का संचालन कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, खाने का कोई इतंजाम नहीं है।...*(व्यवधान)* स्टाफ के लिए भी खाने का कोई इंतजाम नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: एक मई को तकनीकी रूप से अवकाश है। बारह बजे के बाद पहली मई है। हमें क्या करना चाहिए? यह कठिनाई हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सरकार द्वारा एक मई को अवकाश घोषित किया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: गुजरात में जो घटना घटी है, उस पर यहां चिन्ता जताई जा रही है, उस पर यहां चर्चा हो रही है। इस सदन के लिए क्या महत्वपूर्ण है- गुजरात पर हुई चर्चा या एक मई की छुट्टी, यह पहले तय कर लें।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: एक मई मजदूर दिवस है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: एक मात्र विकल्प यह है कि प्रधान मंत्री से अपना उत्तर देने का अनुरोध किया जाए और उसके बाद मतदान हो। यदि सदन सहमत हो तो हम यह कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हम यह आप पर छोड़ते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम 11 बजे से सबका भाषण सुन रहे हैं, हमारा क्या होगा।...*(व्यवधान)* यह क्या फैसला हो रहा है। दो मई को करें, वह हमें मंजूर है लेकिन क्या वैसे ही वोटिंग हो जाएगी। हम 12 बजे से एक मिनट के लिए ऐबसैंट नहीं हुए, नाश्ता, भोजन सब साफ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी अट्ठारह माननीय सदस्यों को भाषण देना है। हम उन दलों के सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देंगे जो अभी तक नहीं बोले हैं। चार अथवा पांच पार्टियां है। फिर भी बारह बजे से अधिक समय हो जाएगा। नेतागण मेरा मार्गदर्शन करें कि हमें आगे क्या करना है। अन्यथा भले ही हम सदन के नेता से अपना उत्तर देने के लिए कहें और उसके बाद मतदान करें, तब भी बारह बजे से अधिक समय हो जाएगा। इसलिए तकनीकी रूप से हम इसे अब पूरा नहीं कर सकेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री झा, कृपया मुझे बोलने दीजिए। आप उपाध्यक्ष को टिप्पणी भी नहीं करने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि नेतागण मेरा मार्गदर्शन करें कि मतदान कार्य दो मई को करने के लिए अब सदन स्थगित करें अथवा इसे जारी रखें।

अनेक माननीय सदस्य: हम इसे जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: हम इसे जारी रखेंगे।

कृपया व्यवधान न डालें। प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल दस मिनट मिलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: यह क्या हो रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंगारप्पा, यह सदन की राय है। मैं क्या कर सकता हूं। प्रत्येक माननीय सदस्य को पांच मिनट मिलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सदन की भावना है, आप चलाएं, लेकिन कम से कम आपकी कृपा हो जाए कि कौन कितना बोलेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो कल 12 बजे तक हाउस चलता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कल का तो पता नहीं, लेकिन आज 12 बज गए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: कहीं न कहीं कोई स्टैंड लेना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए तो निर्णय लिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: ठीक है चलाइए, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, कहीं न कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अनरिप्रजेंटिड पार्टियों के लिए पांच-पांच मिनट तय किए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: कोई निर्णय तो लें कि दो बजे तक चलेगा या ढाई बजे तक चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: दो बजे तक।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हमने चर्चा करने की बजाय इस प्रकार अधिक समय नष्ट किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक पार्टी को पांच मिनट दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक समय नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सबको पांच-पांच मिनट का समय दे दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? माननीय सदस्यों, या तो आप अपने स्थान पर बैठें अथवा आप बाहर चले जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सदन में व्यवस्था होनी चाहिए। आप पुन: सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सलीम आई. शेरवानी (बदायूं): हम लोग यहां 542 सदस्य हैं। इस सदन में हिन्दुस्तान के कोने-कोने से आते हैं। हर बिरादरी और मजहब के लोगों की हम नुमाइंदगी करते हैं। जो गोधरा में हुआ, उसकी एक लफ्ज से पूरे सदन को निंदा करनी चाहिए, वह गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो गुजरात में हुआ, उसकी भी एक आवाज से हमें निंदा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: सुबह 12 बजे से यही हो रहा है और अब रात के 12 बजने वाले हैं।

[अनुवाद]

सुझाव बारह घंटे पहले आने चाहिए थे। आप हमें लाभ पहुंचा सकते थे।

[हिन्दी]

श्री सलीम आई. शेरवानी: मैं सुझाव दे रहा हूं कि यह हिन्दू-मुसलमान की बात नहीं है, यह इन्सानियत का खून हो रहा है, बेगुनाहों का खून हो रहा है। अगर एक आवाज से हम इसकी निंदा नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में ये दंगे खत्म नहीं होंगे। हम लोगों का यह फर्ज बनता है कि बेगुनाहों के खून को हम रोकें। इसलिए मैं पूरे हाउस से अपील करना चाहता हूं कि हम एक लफ्ज से इसकी निंदा करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब यहां से शुरूआत करते हैं। मैं मि. राशिद अलवी को बोलने के लिए पुकार रहा हूं।

मध्य रात्रि 12.00 बजे

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि रात के ठीक 12 बजे बहुजन समाज पार्टी, जो काफी बड़ी पार्टी है, जिसके 13 सदस्य हैं, उसे आपने पांच मिनट बोलने का समय दिया। हमारी पार्टी संसद में सातवीं सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन करीब 20वें या 25वें नम्बर पर आप मुझे बुला रहे हैं, फिर भी मैं धन्यवाद पेश करता हूं।

सुबह से गुजरात के इस इश्यू पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण मैं सुन रहा हूं। आरोप और काउंटर एलीगेशन एक-दूसरे पर इस हाउस में लगाए जा रहे हैं। पिछले 54 साल का इतिहास गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, वह बार-बार यहां पर रिपीट किया गया। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों पर इल्जाम लगाता है कि जब आप सरकार में थे तो हिन्दुस्तान के अक्लियतों का खून इस तरह बहा था। दूसरा राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर यह इल्जाम लगा रहा है कि जब आप सरकार में हैं तो अक्लियतों का खून इस मुल्क के अंदर इस तरह बहा। मैं अक्लियतों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि मैं किससे सवाल करूं, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं कि जो खून इस मुल्क में बह रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

मैंने जार्ज फर्नान्डीज साहब का भाषण सुना। जार्ज साहब मेरे लिए बहुत काबिलेएहतराम हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जार्ज साहब की तकरीरें सुनता था। मैं खुदा से दुआ मांगता था कि मैं भी ऐसी तकरीरें करने लगूं, जैसी वे करते हैं। लेकिन आज जार्ज साहब ने जो आर्ग्युमेंट दिए, उसका मुझे अफसोस है। 1984 के अंदर जो दंगा दिल्ली में हुआ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, जिनसे मैं उसकी निंदा कर सकूं। एक बदतरीन वाक्या हुआ था। लेकिन यह दलील नहीं दी जा सकती कि 1984 में आपकी सरकार में ऐसा हुआ था इसलिए दूसरी सरकार में ऐसा हो रहा है। पाठक साहब कह रहे थे। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि 1984 के अंदर एक इन्सान सड़कों पर खड़ा हो गया, उसने तूफान को, उस बदतमीजों को रोकने की कोशिश की। मैं बैठे-बैठे सोच रहा था, काश गुजरात के अंदर भी ऐसा एक इन्सान आ जाता और खड़ा हो जाता तो शायद गुजरात में ऐसा वाक्या नहीं होता। गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, वह हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है। गोधरा के अंदर जो कुछ हुआ, उसकी निंदा करने के लिए मेरा पास अल्फाज नहीं हैं। नियम 193 के तहत जब इस हाउस में बहस हुई थी, तो मैंने शिद्दत के साथ उसकी निंदा की थी। लेकिन दुनिया का कोई ईमानदार आदमी, दुनिया का कोई सियासतदां यह नहीं कह सकता कि गोधरा में ऐसा हुआ था इसलिए बाद में गुजरात में जो वाक्यात हुए, वे सहीं हैं।

मेरे पास वजीरे-आजम का बयान है। जैसे आपने कहा कि गोधरा के वाक्यात की निंदा करनी चाहिए, उसके बाद भी जो वाक्यात हुए, उनकी भी निंदा करनी चाहिए। मैं इसको एप्रिशिएट करता हूं, लेकिन गुजारत में दो महीने से लगातार वाक्यात हो रहे हैं, उससे न सिर्फ मुल्क में, दुनिया के अंदर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हमारे पास उसको डिफेंड करने के लिए कोई अल्फाज नहीं हैं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस हाउस के अंदर एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम यह नहीं सोच रहे कि गुजरात के वाक्यात को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। कैसे वहां की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब तक ईमानदारी से बैठकर यह फैसला नहीं होगा कि गुजरात जैसे वाक्यात इस मुल्क के अंदर दोबारा न हो, ऐसे वाक्यात को रोका नहीं जा सकता। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, वे तमाम लोग जो इस आग के अंदर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं।

रात्रि 00.05 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

लेकिन मेरे पास अखबार के बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। मीडिया के अंदर बहुत सारे बयानात मैंने पढ़े हैं जिसके अंदर कहा गया है कि डा. परवीन दुगाड़िया ने कहा कि

[अनुवाद]

"गुजरात का हिन्दुत्व की प्रयोगशाला बनाना क्या गलत है?"

[हिन्दी]

आगे कहा कि:

मुस्लिम भारत को आंतकित करने के लिए प्रयोगशालाएं मदरसे रख सकते हैं। इस तरीके की जुबान गुजरात के दंगों को खत्म

[श्री राशिद अलवी]

नहीं कर सकती। इस तरीके की घटनाएं आग को भड़काने का काम कर सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तलवार की तरफ एक धार होती है। जब तलवार चलाई जाती है तो इंसान के जिस्म में जख्म पैदा करती है लेकिन फिरकापरस्ती की तलवार दो धार की होती है जो इंसान को भी मारती है और मुल्क को भी मारती है। ऐसी किसी तलवार का जो भी कोई आदमी साथ देगा, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये। आज इस पार्लियामेंट के अंदर हम एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं। लेकिन आने वाला इतिहास ईमानदारी के साथ लिख देगा कि कौन सही था और कौन गलत था। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए कि आज चार सौ साल के बाद भी पूरी दुनिया अकबर-ए-आजम को मानती है कि वह सैकुलर आदमी था। आज सैकड़ों साल के बाद भी नादिर शाह को याद किया जाता है कि दिल्ली के अंदर जब वह दाखिल हुआ थो तो चांदनी चौक के अंदर इंसानों की लाशें बह गई थीं। चांदनी चौक के दोनों तरफ बनी हुई गंदी नालियों के अंदर इंसानों का खून बहा था। इतिहास अभी किसी को माफ नहीं करता है। इस मुल्क के अंदर अगर अकलियत रह गई है और 1947 की अकलियतों ने इस मुल्क के अंदर रहना तय किया तो यह उनका अपना फैसला था और यह फैसला उनका इसलिए था कि वे इस मुल्क को अपना मुल्क मानती थीं। मैं तारीख के पन्नों को पलटना नहीं चाहता हूं लेकिन तारीख के पन्ने पलट-पलटकर मैं यह साबित कर सकता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में अकलियतों ने कितना खून बहाया था। मौलाना अबुल-कलाम आजाद, अहमदनगर की जेल के अंदर थे। वे जेल की दीवारें आज भी इस बात की गवाह हैं कि मौलाना आजाद की बीबी और बहन बाहर दम तोड़ती रहीं लेकिन मौलाना आजाद जेल से बाहर नहीं निकले। पंडित जवाहर लाल नेहरू जब मौलाना आजाद के पास सरकारी हुकुम लेकर गये कि आपकी बीबी बीमार है। आपको जेल से बाहर जाने की इजाजत मिल सकती है, आप चले जाइए। तब मौलाना आजाद ने कहा था कि मुझे हिन्दुस्तान की आजादी अपनी बीबी और बहन की जान से ज्यादा अजीज है। जिन मदरसों का जिक्र चल रहा था- मौलाना हुसैन अहमद-मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना शेखुल-हिन्दू महमूदल हसन, मौलाना बरकतउल्ला साहब, एक लम्बी फेहरिस्त मैं हाउस को बता सकता हूं। रेशमी रूमाल की तारीख आज भी तारीख के पन्नों के अंदर है कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ी थी। माल्टा के अंदर जेलों के अंदर बंद रहे। इस मुल्क की आजादी के लिए बंद रहे। लेकिन आज वो सारे बुजुर्ग और उस वक्त जब यह लड़ाई लड़ी थी तो न कोई हिन्दू था और न कोई मुसलमान था। ऊधमसिंह भी वह लड़ाई लड़ रहे थे, चन्द्रशेखर आजाद भी वह लड़ाई लड़ रहे थे, बिस्मिल की लड़ाई लड़ रहे थे और अशफाक उल्ला भी लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन उन्होंने वह सपना नहीं देखा था कि आजाद हिन्दुस्तान के अंदर हिन्दू और मुसलमान बन जाये। यह सपना नहीं देखा था कि धर्म के नाम के अंदर इस मुल्क के अंदर लड़ाई होगी और एक-दूसरे का गिरेबान एक-दूसरे के हाथों में होगा। एस. राधाकृष्णनन जी मुल्क से सबसे ज्यादा काबिले-एतराम शख्शियत माने जाते हैं। उन्होंने दिसम्बर 1946 में कांस्टीट्यूट असैम्बली में कहा कि:

[अनुवाद]

> "चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुस्लिम, राजकुमारी अथवा कैदी, वे इस देश के हैं। हमारे लिए यह सोचना सम्भव नहीं है कि हमारी एक पृथक पहचान है।"

[हिन्दी]

वही बात मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद के अंदर तकरीर कर दी जब मुसलमानों ने अपने बोरिया-बिस्तर बांध दिये थे और पाकिस्तान जाने की बात कर रहे थे। तब मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद के अंदर मुसलमानों को बुलाकर तकरीर की थी। वह तारीख-ए-तकरीर जिसमें मौलाना ने कहा था कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों, यह मस्जिद के अजीमो-शान-मीनारें तुमसे सवाल करती हैं। तुम इन मीनारों को छोड़ कर पाकिस्तान जाओगे तो इन मीनारों के साए के अंदर कौन नमाज पढ़ेगा। मस्जिद के हौज का पानी तुमसे ये सवाल करता है, इसे पीछे छोड़ कर तुम अगर पाकिस्तान चले जाओगे तो इस हौज के किनारे बैठ कर कौन वजु करेगा। मैंने जब भी जुबान खोली, तुमने मेरे होठों को बंद कर दिया। मैंने जब भी तुम्हे रास्ता दिखाने का काम किया, तुम दूसरे रास्ते पर चल पड़े। यह दौर वह दौर था, जब मुस्लिम लीग अपने शवाब पर थी, लेकिन इस कौम के रहनुमा वे लोग थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म की ज्योति जलाई थी और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज अगर उन सब को यह एहसास हो कि इस मुल्क में किस तरीके के वाक्यात हो रहे हैं तो शायद उनका सिर शर्म से झुक जाए। ढाई हजार साल पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भारत की संस्कृति और परम्परा के अंदर अहिंसा और सत्य की एक रास्ता है। भगवान महावीर ने कहा था कि अहिंसा और सत्य ही एक रास्ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तमाम प्राणियों पर दया करना हर प्राणी का फर्ज है। सिर्फ इंसान की बात नहीं है, जानवरों, तक के लिए उन्होंने यही कहा था। जैन धर्म के अंदर मुंह पर कपड़ा इसलिए बांधा जाता है ताकि कोई जीव मुंह में न चला जाए और वह गुनाहगार न बन जाए।

महोदय, रामायण के अंदर भरत ने जब राम से पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है तो भगवान राम ने कहा -परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई-दूसरे का भला करने के बराबर दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। इससे बड़ा मजहब नहीं है कि दूसरे का भला किया जाए और दूसरे को दुख देने

के बराबर कोई पाप नहीं है - यह भगवान राम ने कहा था। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा था - ईश्वरः सर्व भूतानाम हृदय से अर्जन तिष्ठती। हे अर्जुन, खुदा सभी प्राणियों के दिल के अंदर मौजूद है। गीता के अंदर यह नहीं कहा कि सिर्फ हिन्दुओं के अंदर मौजूद है, मुसलमानों के अंदर नहीं या मुसलमानों के अंदर मौजूद है, हिन्दू के अंदर नहीं।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप होही नरक अधिकारी।

श्री राशिद अलवीः महोदय, गीता के चेप्टर दस, श्लोक 20 में भगवान ने कहा है- मैं सभी रचनाओं की आत्मा हूं। चेप्टर 13, श्लोक 13 और 17 में कहा है कि संसार के कण-कण के अंदर मैं मौजूद हूं। शिकागों के अंदर विवेकानंद जी ने कहा है- ईश्वर के लिए प्रत्येक धर्म शाश्वत धर्म का आवश्यक अंग हैं।''

महोदय, गीता के अंदर आगे कहा गया है कि जो भी मेरी पूजा जिस तरह करता है - चाहे वह मंदिर या मस्जिद में जाकर करें, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यही बात कुरान के अंदर है - लकुम दीनाकुम वलायदी-मेरा दीन मेरे लिए और तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। जिस दीन पर तुम चलना चाहते हो उस पर चलो। इससे बड़ी सेक्युलरिज्म की कोई दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसमें राजनीति मत कीजिए! तीन को ओथ होनी है या तीन को नहीं होनी है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सेक्युलरिज्म के इतने बड़े अलम बरदार हैं तो आपको कहना चाहिए कि मायावती जी आगे बढ़िए, हम आपकी सरकार बनाएंगे। आपने एक बार भी नहीं कहा - क्या यही आपका सेक्युलरिज्म है और आप चाहते हैं कि यूपी के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए कांग्रेस आपको सपोर्ट करे। आप रोज कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वे आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन कल जब वह प्रधानमंत्री जी बनना चाहते थे तो आपने भी सपोर्ट नहीं किया था - यह कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आप जो चाहेंगे, बोलेंगे और गलत बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवीः कल सोनिया गांधी जब कांग्रेस की प्रधान मंत्री बन सकती थी, तब समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट नहीं दी।

श्री मुलायम सिंह यादवः यह असत्य बोल रहे हैं। इनका बोलना बंद कीजिए, वरना इसका जवाब करारा मिलेगा।...*(व्यवधान)** ये किस तरह की बातें बोल रहे हैं।

श्री राशिद अलवीः ये असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये असंसदीय शब्द हैं लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूं। मैं अपने अल्फाज वापस नहीं ले रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः यह असंसदीय भाषा नहीं है।

सभापति महोदयः असंसदीय शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाएंगे।

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): यह असंसदीय भाषा है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री राशिद अलवीः अगर यह भाषा असंसदीय भाषा है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदयः रिकार्ड देखकर अगर कोई असंसदीय शब्द होंगे तो वे निकाल दिये जाएंगे।

श्री राशिद अलवीः सर, सवाल यह नहीं है। अगर मुलायम सिंह जी जैसे बड़े नेता इस जुबान का इस्तेमाल संसद में करेंगे तो संसद की कोई गरिमा नहीं रह जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आप क्या पार्लियामेंट के अंदर असत्य बोलोगे। क्या एमपी वैसे ही बनकर आये हो, राजनीति करके नहीं आये हो। क्या सदन के अंदर इतना असत्य बोलोगे। बोलने का मौका मिलता है तो आप राजनीति करते हो।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः हमारे पास समय की वैसे ही कमी है, आप अब समाप्त कीजिए।

श्री राशिद अलवीः सर, जो बात मैं कह रहा हूं वह मैं फिर दोहरा रहा हूं और अपने अल्फाज को वापस नहीं ले रहा हूं। गुजरात पर मैं बोल रहा था लेकिन सुमन जी ने कहा इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस संसद के अंदर जिनते लोग बोले या मुलायम सिंह जी की पूरी तकरीर गुजरात के ऊपर ही है, इधर-उधर की बातें उन्होंने नहीं की है। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइये। ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री राशिद अलवी: सर, जो 184 का मोशन है उसे मैं पढ़ना चाहता हूं:-

[अनुवाद]

"कि यह सभा देश के विभिन्न भागों, विशेषकर गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है।"

[हिन्दी]

सर, यह कोई ऐसा मोशन नहीं है जिसे आंखें बंद करके बना दिया गया है। इसमें सिर्फ गुजरात की बात नहीं है। मोशन के अंदर "वेरियस पार्ट्स आफ द कंट्री" हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं तथा वे वेरियस पार्ट्स भी जहां लैफ्टिस्ट्स की सरकार है। मैं माननीय सोमनाथ चटर्जी की बहुत इज्जत करता हूं लेकिन सीपीएम को अमेंडमेंट लाना पड़ा क्योंकि वेयिरस पार्ट्स पर उन्हें एतराज है। कांग्रेस को अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, अगर वेरीयस पार्ट्स शब्दों पर ऐतराज है। यह मोशन डैलीब्रेटली लाया गया है, फिक्स करने के लिये लाया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लाशों पर राजनीति नहीं की जा सकती। यह मुमकिन नहीं कि लाशों पर राजनीति की जाये। मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब बिजनौर में दंगे हुए थे, उस समय जनता दल की सरकार थी। मेरे पास वे फोटोग्राफ्स रखे हैं जिसमें एक इन्सान गन्ने के खेत के अंदर पड़ा हुआ है और उसे सूअर सूंघने का काम कर रहा है। यह उस समय की सरकार का काम था। मेरी तवज्जह को इधर-उधर कर दिया गया। जो भी गुजरात में वाकयात हुआ, उसकी अल्फाज में निन्दा नहीं की जा सकती। मेरे पास गुजरात के बारे में पूरी एलबम मौजूद है। कोई भी इनसान इन फोटो को देखने के बाद खाना नहीं खा सकता और कोई इन्सान ऐसा नहीं जिसके आंसू न झड़ जायें। वहां जिन्दा इन्सानों को जलाया गया, ये उसकी फोटो है। कोई भी इन्सानियत, कोई मजहब या धर्म इजाजत नहीं देता कि इस तरह के वाकयात पेश करे।

मैं सरकार से मतालबा करता हूं कि सरकार सोसायटी के टूटने के बजाये सोसायटी के अंदर जो वहां के हिन्दू-मुसलमान इख्तालाफात हो गये हैं, सार्वजनिक रूप में डिवाइड हो गये हैं, उसे खत्म करे। ला एंड आर्डर स्टिक करे। गोधरा के अंदर जिन लोगों ने इन्सानों को जलाया है और उसके बाद दूसरे वाकयात के लिये जो जिम्मेदार हैं, अगर सरकार उन जिम्मेदार लोगों को कनाट प्लेस के अंदर खड़ा करके गोली मारने का काम करेगी, हर एक इस देश में उसकी हिमायत करेगा, उसकी मुखालिफत नहीं करेगा। साथ ही मैं सरकार से अपील करूंगा कि सी.बी.आई. को इंस्ट्रक्शन्स दी जायें कि हर मामले में 60 या 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल की जाये ताकि वे लोग आसानी से जमानत पर न छूट सकें। मैं सरकार से यह भी मतालबा करूंगा कि बड़ा दिल करके जितना रिलीफ दे सकें, इनको देना चाहिये। जो लोग बेघर हो गये हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे तरीके से उन्हें मकानात देने चाहिये। जो मारे गये हैं, उन्हें पूरी तरह से कम्पनसेशन देना चाहिये। इसके साथ यह भी कहना चाहूगा कि जो बच्चे इम्तिहान देने नहीं जा सके, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उन बच्चों को दूसरी बार, तीसरी बार मौका मिलना चाहिए ताकि वे इम्तिहान दे सके और उनका वक्त न खराब हो। अब मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा:

खून फिर खून है टपकेगा तो जम जायेगा,
खून फिर खून सौ शक्ल बदल सकता है,
ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाये न बने,
ऐसा नारा कि दबाओ तो दबाये न बने,
ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाये न बने।

[अनुवाद]

अन्त में, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने इस प्रस्ताव का विरोध करने का निर्णय किया है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, हम लोगों को इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए 12 घंटे बीत गए। कुछ घंटे कार्यवाही बाधित में व्यवधान भी हुआ। मेरे गला खराब है। यदि मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलते समय व्यवधान न डाला जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे आशा है। मुझे अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक भागीदार के रूप में, बी.जे.डी. ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा किए गए वे सभी कदम जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य नेतृत्व में उठाए गए हैं, का समर्थन किया है। 17 अप्रैल, को भुवनेश्वर में लाखों लोगों के समक्ष हुई आम सभा में धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने संबंधी संकल्प पारित किया गया था। उसी समय, हमारी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जब तक इस देश की सेवा करेगा, बीजू जनता दल राजग के साथ रहेगा।

मैं यहां जो भी कहने जा रहा हूं वह मेरी पार्टी को राय से संबंधित है। वह मत यह है कि पिछले $12^1/_2$ घंटों से हम उस रोग के लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसने हमारे राजनैतिक तंत्र और हमारे राष्ट्र को प्रभावित किया है। आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे और कार्यवाही को लगातार बाधित किया जाता रहा। निदान तभी किया जा सकता है जब रोग की पहचान कर ली जाए। इस तरफ के कुछ लोगों ने कुछ कहा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक, श्री फर्नान्डीज द्वारा कुछ बातें कहीं गई। रोग यही है। पिछले 55 वर्षों में उस बीमारी को हटाने के लिए क्या

प्रयास किया गया जिसे कई वर्षों में बनाया गया है? इस सभा में यह व्यक्त किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति 'बांटों और शासन करो' की थी। लेकिन मैं नम्रतापूर्वक इस सभा में कहूंगा कि अंग्रेजों ने इसे सिर्फ क्रियान्वित किया, यह रोग हमारे समाज में सैंकड़ों वर्षों से था।

अंग्रेजों के आने के पूर्व, समाज में तनाव था। समाज में संघर्ष होते थे। समाज में साम्प्रदायिक तनाव सिर्फ मुसलमान और हिन्दुओं के बीच ही नहीं होते थे बल्कि हिन्दू समाज के विभिन्न समुदायों में भी होते थे। किसी समय, करीब दो हजार साल पूर्व, बौद्ध विचारों का विनाश किया गया था। जैन धर्मस्थलों को बर्बाद किया गया था। हमारे समाज के भीतर विभिन्न मत थे। उड़ीसा वैसा राज्य है जहां बहुत साल पहले आर्य और द्रविड़ जातियों के बीच संघर्ष हुआ था। करीब हजार वर्ष पहले चोल गंगदेव नाम का एक महान सम्राट था। उसने सभी सम्प्रदायों को एकजुट किया। वह आदिवासियों के प्रमुख देवता को लाये और उन्हें भगवान जगन्नाथ-सवोत्तम देवता की संज्ञा दी, जो पूरे ब्रह्माण्ड का भगवान है।

यह ऐसा स्थान है जहां सभी सम्प्रदाय के लोग, सभी आस्था और विश्वास के लोग मिलते हैं। और पिछले करीब हजारों वर्षों से हम उनमें विश्वास करते हैं। हम सभी धर्मों का आदर करने में विश्वास करते हैं। न केवल सहिष्णुता बल्कि सभी धर्मों का आदर भी करते हैं। हमारे भारतीय समाज में असहिष्णुता का रोग है, हमने क्या किया? मैं समझता हूं, हममें से कई 'म्लेच्छ' शब्द को याद करें तो और समझते भी हैं, 'म्लेच्छ' ऐसा शब्द है जिसका विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख किया गया है...*(व्यवधान)* मैं उल्लेख कर रहा था कि 'म्लेच्छ' शब्द का प्रयोग किया गया है और हमें इसके मनोविज्ञान को समझना चाहिए क्योंकि एक अल्पसंख्यक मानसिकता है, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में अलगाववाद की मानसिकता है जो कि हिन्दू समाज की अनन्यता के कारण है, यह हाल में उत्पन्न नहीं हुई है बल्कि यह हजारों वर्षों से भी अधिक समय से विद्यमान है। इसने समाज में, उस समुदाय में अलगाववाद को जन्म दिया है। यदि हिन्दू यह महसूस करते हैं कि वे अनन्य हैं तो इससे दूसरे समुदाय में अलगाववाद की भावना जन्म लेती है। विभिन्न आस्था और विश्वास के होते हुए भी इस धरती के कई संतों ने विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने के कई प्रयास किए।

हम 'पूजा' करते हैं और यह सिर्फ बंगाल, उड़ीसा या बिहार में ही नहीं होती वरन् उत्तर प्रदेश के कई गांवों में भी होती है। हम इसे ''सत्यनारायण पूजा'' कहते हैं और मैंने दिल्ली के बाजार में खरीददारी करते समय देखा है कि यहां के हिन्दू भी 'सत्यनारायण का पूजा पाठ' हिन्दी में करते हैं। यह पूजा क्या है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके दल को मात्र छः मिनट का समय आवंटित किया गया है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मेरा दुर्भाग्य यह है कि जब भी मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा होता हूं, आप पीठासीन होते हैं और मेरे प्रति कभी भी दया का भाव नहीं रखते।

मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। 'सत्यनारायण पूजा' की बात के बाद अब मैं इस विषय पर आता हूं। आखिर ऐसी शत्रुता अभी भी क्यों है? श्री राशिद अलवी ने अबुल कलाम आजाद के बारे में सही कहा है। वह नरमपन्थी थे। उन्होंने बिल्कुल वही कहा है जो अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद के सामने कहा था। लेकिन क्या समाज ने उन्हें अपना नेता स्वीकार किया? बड़ी संख्या में लोग वहां से चले गए और वे पाकिस्तान के समर्थक थे। लेकिन मुझे दूसरी बात याद आई है और मैं नहीं समझता कि किसी सदस्य ने ऐसा कहा है। लेकिन गुजरात के कई लोग जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कहां हुआ था। हम इसे गांधी की भूमि कहते हैं लेकिन मुहम्मद अली जिन्ना का जन्म कहां हुआ था।

1925 में उनकी राय क्या थी? बाद में उनकी राय क्या थी? इस सभा में खिलाफत आंदोलन की भी आलोचना की गई थी। इस बारे में मेरी राय भिन्न है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म गुजरात की उसी धरती पर हुआ था जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। उसी धरती ने जिन्ना को भी जन्म दिया। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि बड़ी संख्या में लोग जो भारत में रह गए इस धरती को छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं। जो अपनी भलाई के लिए छोड़ गए उन्हें वहां क्या कहा गया? उन्हें आज क्या कहा जाता है? वे मुहाजिर हैं। उन्हें वहां आदर नहीं मिलता है। वे ऐसे आदर के पात्र नहीं हैं। जिस देश को उन्होंने चुना, वहां उन्हें आदर नहीं मिलता। लेकिन, इस सभा में बार-बार एक शब्द का प्रयोग किया गया और वह शब्द है 'षडयंत्र'। उन्होंने बार-बार यह षडयंत्र किया। मेरा मानना है और मैं यह कहना चाहूंगा कि गोधरा में बहुत बड़ा षडयंत्र किया गया। षडयंत्र यह था कि समूचा देश एक कगार में बदलने वाला था सिर्फ एक चिन्गारी की जरूरत थी, और गोधरा में उस चिन्गारी का काम किया। मेरे एक बड़े भाई ने आज कहा कि हम अपने पाकेट में एक माचिस रखते हैं। यह सुरक्षित माचिस है। हम अपना भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाते हैं। प्रकाश करने के लिए हम इससे लालटेन जलाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है जब कोई व्यक्ति माचिस की तीली जलाता है और जमीन पर गिरा देता है और इसे बुझाने का काम नहीं करता। यह आग धीरे-धीरे फैल जाती है। अचानक यह व्यक्ति कहता है कि उसने कभी गांवों में आग नहीं लगाई। यदि आग फैली तो हवा के कारण। मैंने तो सिर्फ तीली यहां गिरा दी थी। यह समस्या है जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। किसने तीली जलाई? गुजरात में यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई?

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।